Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed : IIJIF, I2OR & SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VIII No. V Supplement 2018

Editor in Chief
Anish Kumar Verma

Associate Editors
Rakesh Kumar Maurya
Purusottam Lal Vijay
Romee Maurya

International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) | I2OR | Scientific Journal Impact Factor

Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VIII **No. V** **Supplement 2018**

Editor in Chief
Anish Kumar Verma

Associate Editors
Rakesh Kumar Maurya
Purusottam Lal Vijay
Romee Maurya

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund, Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.org
E-mail : researchdiscourse2012@gmail.com
Mobile : 09453025847, 8840080928

***Patron :* Dr. Lalji Tripathi,** *Ex. Principal, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.*
***Editor in Chief* : Dr. Anish Kr. Verma** *Asst. Prof., Deptt. of Sociology, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.*
***Associate Editors :* Dr. Rakesh Kumar Maurya, Dr. Purusottam Lal Vijay, Mrs. Romee Maurya**
***International Editorial Board :* Anna Malingdog,** *Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., De La Salle Univ., Philippines*
Abdul Qayyum, *Qadirabad Colony P.O. Choti Zareen Tehsil & Distt. D.G. Khan Punjab, Pakistan*

National Editorial Board

Prof. Rekha, Deptt. of Sociology, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. N.K. Singh, Principal, R.H.S.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Deenbandu Tiwari, Associate Prof., Deptt. of Sociology, L.B.S.P.G College, Varanasi, U.P.
Dr. Rajeev Kumar Singh, Assistant Professor of Law, Law Collage Dehradun, Uttaranchal University, UK
Dr. Aparna Singh, Assistant Professor of Law, Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, U.P.
Dr. Pramod Kr. Shukla, Asst. Prof. Deptt. of Sociology,D.D.U.Gorakpur.U.P.
Dr. Rajneesh, Asst. Prof. Deptt. of Sociology, S.S.S.V.S Govt. P.G. College, Chunar, U.P.
Dr. Ramesh Kumar, HOD, Deptt. of Political Science, S.D. College, Ambala, Hariyana
Dr. Kaushal Kishor, Asst. Prof. in Sociology & Anthropology, A.N. Sinha Inst. of Social Studies, Patna, Bihar
Dr. Reeta, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Gangapur Compus, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Santosh Kr. Tiwari, Asst. Prof., School of Law, Justice & Governance, Gautam Buddha Uni., Greater Noida, U.P.
Dr. Sanjay Kumar Tiwari, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Surendra Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Jitendra Singh Goyal, Academic Counseller, IGNOU, Mahamaya Govt. Degree College, Mahona, Lucknow, U.P.
Dr. Neeraj Tiwari, President, Madhumay Educational & Research Foundation, Faizabad, U.P.
Dr. Neearj Kumar Shukla, HOD, B.Ed., Govt. P.G. College, Kashipur, U.S. Nagar, Uttrakhand
Mr.Shivendra Kr.Maurya, Editor in Chief, Unmesh: An International refereed research journal, Pratapgarh, U.P
Mr. Sudhanshu Chaubey, Editor in Chief, Tripathaga: An International refereed research journal, Varanasi, U.P.
Mr. Manjul Trivedi, Editor in Chief, Veethika : An International refereed research journal, Lucknow, U.P.

Advisory Board

Prof. Sushil Kumar Gautam, Head, Deptt. of Phy. Edu., M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Anurag Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Amjad Ali Siddiqui, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, MOHD.H.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Anajana Verma, Asst. Prof., Deptt. of History, M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Chiranjeev Kumar Thakur, DLW, Varanasi, U.P.
Dr. Dhananjay Sharma, Asst. Prof., Deptt. of Sociology,Govt. P.G. College, Bageshwar, Uttarakhad
Mr. Ashish Samuel Huri, Asst. Prof. Department of Teacher Education, Ewing Christian College, Prayagraj, U.P.
Mr. Kuldeep Birwal, Asst. Prof., Department of Education, Yash college of Education, Rurkee,Hariyana

Review Editor's

Dr. Kripa Kinjalkam, Asst. Prof., Department of Hindi, Iswar Saran Degree College,University of Allahabad, U.P.
Dr. Anju Sihare, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, Govt. Chhatrasal College, Pichore, M.P.
Dr. Vijay Sankar Dwivedi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit, Delhi University. Delhi
Dr. Surya Kant Tripathi, Asst. Prof. Deptt. of Sanskrit,D.D.U.Gorakpur.U.P.
Dr. Archana Bhattacharjee, Asso. Prof., Deptt. of English and Academic Vice Principle, Kakojan College, Jorhat, Assam
Dr. Anjaneya Pandey, HOD, Deptt. of English, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Dinesh Kumar Tiwari, HOD, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, D.A.V.P.G. College, Azamgarh, U.P.
Dr. S.K. Pandey, Asst. Prof., Dept. of commerce ,Y.D. (PG) College,Lakhimpur-Kheri ,U.P.
Dr. Chandra Prakash Dubey, HOD, LIS, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.
Dr Sugriv Singh, Librarian Univ. Employment, Info. & Guidance Bureau, FCI Campus, Univ. of Alla, Allahabad, U.P.
Dr. S. Kandasamy, Asso. Prof. and Head, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan.
Dr. Vinod Kumar Saroj, Deptt. of Public Policy, Law and Governance, Central University of Rajasthan, Rajasthan.
Dr. R. Panneer Selvam, Asst. Prof., Department of History, Gov. Arts College (A), Salem, Tamilnadu.
Dr. Vineet Kumar Guru, Assit. Prof., Department of History,GovernmentCollege,Bijawar,M.P.
Dr. Manoj Kumar Mishra, Asso. Prof. ,Dept. of Defence & Strategic Studies, S.G.R.P.G. College, Dobhi, Jaunpur, U.P.
Mr. Uday Pratap Singh, Asst. Prof., Dept. of Defence, Iswar Saran P.G. College, Allahabad, U.P.
Mr. Ashutosh Kumar Tripathi, Freelance Journalist, B.5/167, Avadgarvi, Shivala, Varanasi, U.P.
Dr. Santosh Kumar Tripathi, Asst. Prof., Deptt. of Sociology,S.M.R.D.P.G.College,Gazipur. U.P.
Dr. Anand Kumar, UGC-PDF, Department of Sociology, Lucknow University, Lucknow, U.P.
Dr. Santosh Kumar Singh, Asst. Prof., Dept. of Psychology,M.G.K.V.P, Varanasi, U.P.
Dr. Rajendra Singh, Asst. Prof., Dept. of Psychology, R.S.K.D.P.G. College, Jaunpur, U.P
Prof. MC Sati, Department of Economics, HN.B. Garhwal University, UK
Mr. Kamlesh Goyal, Research Scholar, Department of Economics, Punjabi University, Patiala, Punjab
Dr. Arvind Kumar, Asst. Prof., Department of B.Ed., Raza college, Rampur, U.P
Dr. Pravin Kumar Tiwari, Asst. Prof., Department of Education., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P
Dr. R. Sekar, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, Thiruvalluar Gov. Arts College, Rasipuram, Namakkal, Tamilnadu.
Dr. Hemant Kumar Singh, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, S.P.M Gov. Digree College, Phaphamau, Alla., U.P.
Dr. Naresh Kr. Verma, Asst. Prof., Deptt. of Geography, Central University of Haryana,Mahendergarh
Dr. Arun Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Geography, S.P.M. Gov. Digree College, Phaphamau, Allahabad, U.P.
Dr. Amit Kr. Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, H.N.B. Gov. P.G. College, Naini, Allahabad, U.P.
Dr. Ram Narain Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, S.B. College (Affi. V.K.S. University), Ara, Bihar
Dr. Neetu Mishra, Asso. Prof., Department of Home Science, University of Allahabad, U.P.
Mrs. Vidya Verma, Asst. Prof., Deptt. of Home Science, Govt.Girls Degree College, Kannauj, U.P.

© Editor

Publication Date : 25 April, 2018

Note: ***Scholars will be answerable to the contents of their articles.***
All disputes and complaints are subject exclusively to the Jurisdication of the courts/tribunals/forums at Varanasi Only.

Editorial

The phenomenon of globalization has many aspects and implications. It refers to a strategy of economic development where borders of the countries do not matter for the movement of commodities, services, capital, finance, labour, technology, ideas and information. This strategy generates a process of increasing economic integration and growing interdependence between the countries of the World Economy.

The process of globalization was started on a much wider scale with emergence of capitalism as a universal/dominant system in the world. This generated a very powerful wave in the Nineteenth Century and continued in the Twentieth Century till the outbreak of First *World War* (1914-18). This was the period when colonialism was at its peak and the developing world of today was colonies of imperial powers. *International Monetary Fund* (IMF), the *World Bank* (IBRD) and the *US Treasury* in the form of an alternative package policy known as "*Washington Consensus*" accelerated the process of globalization. Initially, this set of policies was practiced by Ronald Reagon in the US and Margaret Thatcher in Britain. These policies are also known "*Neo-liberal*" policies. The formation of *World Trade Organization* (WTO) replacing *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) creates new conditions for better implementation of *Washington Consensus*. Many new areas/activities, which were earlier not under the ambit of global trading system, were brought under the purview of WTO. They also included production and trade of agriculture produce, trade in services, *Intellectual Property Rights* (IPRs), trade related investment measures etc.

While globalization is a process of increasing interconnections of individuals, groups, companies and countries, its impact on trade and human development is immense. The greater global equity might be grounded on empathy for the plight of those less fortunate, wherever they happen to have been born, this arguably points to a concern about an appropriate concept of global poverty rather than global inequality. So too does a desire for greater global equity in opportunities; it is surely the lack of opportunities of the less advantaged that is the real concern, not the inequality of opportunities. We can certainly care that high inequality (of outcomes or opportunities) in a country can impede economic growth, poverty reduction and human development, and foster social ills such as crime, political paralysis or excessive political influence of a rich elite. (Both authors point to such costs of high inequality). But the concerns here are about inequality within countries. And each of these arguments point to other higher goals, not inequality. There are other, more international, arguments that point to

external costs to rich folk from global inequality (such as throughpandemics) or point to a case for compensation for actions (or inactions) by rich countries thatimpose costs on poor ones (such as global warming, trade restrictions or implicit support for money laundering). But we can probe each of these arguments and find that the real concern is not inequality, which is instrumentally relevant and potentially very damaging at high levels, but not intrinsically so. Recognizing this point helps clarify the arguments for public action.

We express extreme gratitude to Dr. Praveen Tiwari, Dr. Rajiv Kumar Tripathi, Dr. Mahendra Kumar Yadav, Dr. AbhayPratap Singh and all other contributors who have contributed and devoted their essential insights and came up with their manuscripts for this issue which directly as well as indirectly is the contribution to the society.

We are very thank-full to all the researcher and reader. We will be very happy if you give us or write up your valuable comments and suggestion.

Editor in Chief
Anish Kumar Verma

विषय–सूची

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी : एक अध्ययन 1–2
डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह
आचार्य जानकी बल्लम शास्त्री की यथार्थवादी कहानियों की समीक्षा 3–5
मनोज कुमार
लोकपथगामी आचार्य रामचन्द्र षुक्ल की आलोचना दृष्टि 6–8
डॉ0 श्रीप्रकाष
भारतीय संस्कृतियों में शिक्षा और तप 9–11
डॉ0 स्वाती मिश्रा
समाज के सीमान्त वर्ग हेतु विकास बैंकिंग 12–14
डॉ0 उदय गुप्ता
रामाश्रयीय रामायण 15–17
राजीव कुमार
वर्ण विन्यास वक्रता और महाकवि कालिदास के काव्यों में उसका निरूपण 18–19
डॉ0 नित्या पाण्डेय
राजनीतिक स्थितियों पर रघुवीर सहाय का चिन्तन 20–22
डॉ0 रोहित
वृहत्कल्पसूत्रभाष्य में वर्णित आर्थिक जीवन 23–25
डॉ0 हरेन्द्र प्रताप सिंह
ग्रामीण कृषकों में विभेदीकरण 26–27
डॉ0 शिशिर कान्त यादव
प्रवासी हिन्दी साहित्य में स्त्री रचनाकारों का योगदान 28–29
डॉ0 शालिनी शुक्ला
बौद्ध दर्शन के मौलिक सिद्धान्त 30–31
डॉ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह
वैश्वीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था में भारतीय दलित महिलाओं की निहितार्थ 32–34
डॉ0 रामसूरत हरिजन
वर्तमान परीक्षा प्रणाली की कमियाँ 35–36
डॉ0 प्रवीन कुमार सिंह
ग्रामीण महिला उद्यमिता विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका 37–38
डा0 अनिता चन्द
अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकार एवं डॉ0 अम्बेडकर 39–41
राकेश कुमार
स्वतंत्रता आन्दोलन में जवाहर लाल नेहरू की भूमिका 42–43
डॉ0 ओम प्रकाश सिंह
अवस्थापनात्मक तत्व एवं ग्रामीण विकास : एक सैद्धान्तिक अध्ययन 44–46
डॉ0 प्रेम प्रकाश मिश्र
भारत में ग्रामीण विकास पर सिंचाई की भूमिका 47–48
डॉ0 रामिन्त पटेल
बच्चों के वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन का महत्व : जनपद गोरखपुर के सन्दर्भ में 49–50
रूपा सिंह

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की भूमिका 51–53
प्रो0 करुणाकर राम त्रिपाठी व महीप कुमार श्रीवास्तव
उत्तर प्रदेश की नयी पंचायती राज की विशेषताएँ एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या 54–56
डॉ0 रामचन्द्र यादव
वर्तमान सामाजिक जीवन में बौद्ध धर्म की उपयोगिता 57–58
डॉ0 विमलेश कुमार मिश्र
बैजाबाई सिंधिया का व्यक्तित्व एवं कृत्तिव 59–60
डॉ0 मंदाकिनी शर्मा
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बिहार के दलितों की सामाजिक स्थिति 61–62
राम प्रवेश पासवान
भारतीय राजनीति में महिलाओं कि भूमिका 63–65
डॉ0 कृष्णबाबू प्रसाद रजक
उदारीकरण काल में भारत के आयात एवं निर्यात की स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन 66–67
सुजीत कुमार साफी
वर्तमान परिवेश में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में कुपोषण के बढ़ते प्रभाव पर एक अध्ययन 68–69
प्रियंका सिंह
राजपूतों का आरम्भिक मुस्लिम शासकों से सम्बन्ध 70–72
डॉ0 अश्विनी यादव
वैश्विक पूँजीवाद एवं नयी शक्तियों का उभार : नवीन सम्राज्यवाद के संदर्भ में अध्ययन 73–75
चन्द्रशेखर आजाद
समाजोत्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की भूमिका 76–77
डॉ0 कुमारी अल्पना
श्रमिकों की भागीदारी : एक अवलोकन 78–79
डॉ0 संजीव दत्त सिंह
लोक जीवन में सूर्यपूजा 80–81
नीलम भारती
कृषि विकास से ही ग्रामीण विकास सम्भव 82–84
डॉ0 नीरज कुमार
भारत में मनरेगा की वास्तविकता : एक अनुशीलन 85–86
डॉ0 अभय कुमार
हिन्दी भाषा की कोड शब्दावली (Code Words) : प्रचलन और प्रयुक्ति 87–88
डॉ0 देवर्षि कुमार मिश्र
कश्मीर की समस्या राजनैतिक इतिहास 89–90
डॉ0 दिनकर मणि त्रिपाठी
प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन : पुरातात्विक स्रोतों के विशेष सन्दर्भ में 91–92
डॉ० अशोक कुमार पाल
हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के उद्भव की पृष्ठभूमि 93–94
डॉ0 दयानन्द पाण्डेय
ग्रामीण परिवार का बदलता स्वरुप 95–96
डॉ0 (श्रीमती) मोहिनी मौर्य
अमृतलाल नागर के उपन्यास 'बूँद और समुद्र' में जीवन मूल्यों का अन्वीक्षण 97–99
आलोक चन्द

नज़ीर अकबराबादी की कविता में आवामी जिन्दगी 100–102
डॉ0 कमलेश कुमार मिश्र
भारत में उच्च शिक्षा की दशा एवं चुनौतियाँ 103–105
डॉ0 शैलेन्द्र कुमार
भारत में गठबन्धन सरकारों की राजनीति : नवीन परिदृश्य 106–107
अम्बुजेश कुमार मिश्र
समसामयिक परिदृश्य में भारत में गठबन्धन की राजनीति : एक अध्ययन 108–109
महेश कुमार सिंह
भोजपुरी प्रबन्ध लोक काव्य 'शहडोलन' का संक्षिप्त परिचय 110–111
डॉ0 चन्द्रभान सिंह
पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं कि सामाजिक स्थिति 112–113
डॉ0 सुनील कुमार सिंह
शिंगभूपाल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व 114–116
डॉ0 सुधीर कुमार द्विवेदी
प्रवजन का दंश और कश्मीरी पंडित 117–118
डॉ0 मधुमिता भट्टाचार्या व अमित कुमार केशरी
काव्य आलोचना की पंरपरा और नन्ददुलारे वाजपेयी जी के प्रस्थान बिन्दु 119–121
डॉ0 संजय कुमार मौर्य
वैदिक सोम एक सर्वोत्तम पेय 122–123
डॉ0 प्रमोद कुमार
मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में सम्बन्धों के विविध आयाम का अध्ययन 124–126
त्रिलोक चन्द
सूफी प्रेम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 127–128
डॉ0 संतोष कुमार पाल
भारत में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के उद्भव और विकास में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान 129–130
डॉ0 राजीव कुमार
बिहार का सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास(200ई.पू. – 600ई. तक) 131–133
डॉ0 रंजन कुमार
नारीवाद और गाँधी 134–135
विनय कुमार
प्रयाग की विशिष्ट धार्मिक परम्पराएँ 136–137
छोटे लाल यादव
धर्मशास्त्रों में नारी का राजनीतिक–जीवन 138–140
मन्जू यादव
अन्त्यज् की सामाजिक स्थिति 141–143
डॉ0 संजय कुमार तिवारी
मुगल–काल में डुमरांव राज के अन्तर्गत कला–संस्कृति का विकास 144–146
अनिल कुमार
सांस्कृतिक नवजागरण का द्विवेदीयुगीन साहित्य पर प्रभाव 147–148
डॉ0 साधना जायसवाल
प्रसाद जी की गीति योजना 149–150
नरेश प्रसाद

हिन्दी भाषा एवं वैश्विक प्रासंगिकता 151–152
सुधा कुमारी
ग्रामीण समाज पर नगरीकरण का प्रभाव
(चनपटिया प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में) 153–154
प्रो. डॉ0 अवधेश साह
चम्पारण सत्याग्रह में कृषकों की भूमिका : एक ऐतिहासिक विष्लेषण 155–156
रवि कुमार
बाल श्रम का समाज पर प्रभाव 157–158
डॉ0 संजीव कुमार
संस्कृत साहित्य में विशेषणों का प्रयोग : रामायण और महाभारत के सन्दर्भ में 159–160
डॉ0 पल्लवी पाण्डेय
नोखा प्रखण्ड (रोहतास जिला) के कृषिजन्य उद्योगों की समस्याओं का विश्लेषण 161–162
संजीव कुमार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएँ एवं विकास : बिहार के सन्दर्भ में 163–164
कुश कुमार ठाकुर
अनुसूचित जातियों के विकास के लिए संवैधानिक उपबंध सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम का विश्लेषण
भोजपुर जिला के संदर्भ में 165–166
स्नेह कीर्ति
प्रो0 अस्थाना के नाटकों में शिल्प 167–168
डॉ0 आनन्द कुमार
सुतपिटक का परिचय 169–171
रेणु कुमारी
शम्बूक आख्यान : एक ऐतिहासिक विवेचन 172–173
डॉ0 अनिल कुमार यादव
दिग्विजय यात्रायें 174–175
डॉ0 ज्योत्स्ना पाण्डेय
उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हथकरघा उद्योग की स्थिति 176–178
लाल बहादुर यादव
ख्याल गायन का नया आविष्कार : पं0 भिमसेन जोशी 179–180
प्रो0 डॉ0 अविराज कृष्णराव तायडे
मानव समाज में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय नैतिकता 181–183
डॉ0 रीता मौर्या
उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की मूल्यों का उनकी शिक्षक प्रभावशीलता के
निर्धारक के संदर्भ में अध्ययन 184–187
डॉ0 मुकेश कुमार गुप्ता
भारत के ग्रामीण विकास में इन्दिरा आवास योजना की भूमिका का अध्ययन
(जनपद –ऊ०सिं०नगर के विकासखण्ड बाजपुर के विषेष सन्दर्भ में) 188–191
कु0 नीतू

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 1- 2

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी : एक अध्ययन

डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह*

*प्रवक्ता, समाजशास्त्र, शि0 3/40 पी–119,साईधाम कालोनी, लक्ष्मनपुर, शिवपुर,वाराणसी,उ0प्र0

सारांश : यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित हैं। यह अध्ययन प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को रेखांकित करता है। जो समाज के लिए प्रासंगिक हैं।

मुख्य शब्द : श्रम सहभागिता, प्रजातंत्रीय, सामाजिक व्यवस्था, औपचारिक संगठन, समाजवादी देश आदि।

सहभागिता प्रजातन्त्रीय सामाजिक व्यवस्थाओं की एक अभिन्न विशेषता है। आधुनिक राज्य सरकार परम्परागत राज्य व्यवस्थाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि सामान्य व्यक्ति को सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ। मानवीयकरण तथा सामाजिक सम्बन्धों की जो समझ प्राप्त हुई है उसमें औपचारिक संगठनों में इन्टरव्यू के द्वारा किये गये अध्ययनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभौतिक कारकों के रूप में उच्च स्तर की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में यह एक महत्वपूर्ण घटक है यद्यपि आर्थिक प्रोत्साहनों का यह विकल्प नहीं हो सकता है लेकिन आर्थिक प्रात्साहनों के साथ मिलकर यह जहाँ एक ओर उत्पादन के स्तर में वृद्धि ला सकता है वहीं दूसरी ओर श्रमिकों में कार्य सन्तोष को भी बढ़ा सकता है और अध्ययनों से यह बात पुष्ट हुई है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था में श्रमिकों व प्रबन्धकों में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता है श्रमिक केवल अपना श्रम बेचता है उत्पादन की प्रक्रिया व उत्पादन के सम्बन्धों पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं रहता है अनिवार्य रूप से उसे उन सम्बन्धों को स्वीकार करना पड़ता है। वर्तमान समय में साम्यवादी विचारधारा द्वारा श्रमिक संघर्ष और श्रमिक क्रान्ति की जो सम्भावनायें व्यक्त की गयी थी उन्हें समाप्त करने में कार्य के स्वरूप में रूचिपूर्ण परिवर्तन और नये उद्योगिक सम्बन्ध जिनका एक पक्ष सहभागिता भी है ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आज का श्रमिक और परम्परागत श्रमिक दोनों में पर्याप्त अन्तर है तुलनात्मक रूप से आज का श्रमिक अभी शिक्षित नगरीय अनुभव प्राप्त उच्च आय वर्ग और समाज के सभी वर्गो का सदस्य होता है वह अशिक्षित पिछड़ा हुआ वह अपने घर परिवार से निकाला गया विस्थापित सदस्य नहीं है। यह जागरूक श्रमिक उन सभी क्रियाओं में जो उसके कार्य जीवन को प्रभावित करते हैं सहभागिता चाहता है। उन्हें पूरी तरह से प्रबन्धकों या सरकार के ऊपर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिये सहभागिता उस श्रमिक की बदली हुई परिस्थिति की मांग है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैचारिक परिवर्तन हुये हैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बनने के पश्चात् श्रमिकों को बराबरी के स्तर पर लाने का प्रयास निरन्तर जारी रहा। समाजवादी देशों में खासकर यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, रूस इत्यादि देशों में श्रम स्वप्रबन्ध और श्रम सहभागिता की जो व्यवस्था चल रही थी उसमें भी भारतीय समाज व्यवस्था को प्रभावित किया व श्रम सहभागिता उद्योगिक सम्बन्धों की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गयी।

भारत सरकार ने अनेक अध्ययन सम्बद्ध उन देशों में भेजे वहाँ की व्यवस्था का अध्ययन किया एवं विभिन्न देशों की अध्ययनों के आधार पर भारतीय उद्योगों में अधिनियम बनाकर सहभागिता को अनिवार्य कर दिया, एक प्रकार से राज्य सरकारों के दबाव व अधिनियमों के कारण सहभागिता की प्रक्रिया भारतीय प्रबन्ध व्यवस्था में प्रारम्भ हुई। श्रम अधिनियमों ने परोक्ष रूप से इसमें सहयोग दिया। लेकिन इसका कोई निश्चित स्वरूप न तो निर्धारित हो पाया, न ही ऐसा करना सम्भव है क्योंकि उद्योगों की प्रकृति उनके प्रबन्धों, उनके संगठन और स्थानीयकरण की विशेषतायें अलग–अलग रही हैं। इसलिये यह उद्योग विशेष पर छोड़ दिया गया कि वे सहभागिता की इस आवश्यकता पर किस रूप में क्रियान्वित करता है, परिणामस्वरूप अलग–अलग उपक्रमों में अपने अनुसार सहभागिता की व्यवस्था का निर्माण किया। भारतीय उद्योग में कोई समान प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं है।

प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता की योजना का उद्भव हीटले कमेटी ''यू.के. 1917'' से मानते हैं जिसने यह सुझाव दिया कि उद्योग के उन पक्षों के साथ अनुकूलन के विचार विमर्श में श्रमिकों को सहभागिता के अधिकतम अवसर दिये जाने चाहिए। जिससे वे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं ''कुल श्रेष्ठ–1979'' एक और विद्वान् प्रो0 सी0एस0 वालपोल 1944 का कहना है कि श्रमिक एक कर्मचारी होने के नाते प्रबन्ध में सहभागी होता है क्योंकि भले ही वह पैसा उद्योग में नहीं लगाता हो लेकिन अपने श्रम का विनिमय उसमें अवश्य करता है। उद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 के अन्तर्गत वर्कर्स कमेटी की स्थापना अनिवार्य कर दी गयी। जिसमें बैंक तथा उन सभी उद्योगिक संस्थानों में जिसमें 100 या 100 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के समान संख्या में प्रतिनिधियों से वर्कर्स कमेटी गठित की जाय। 1969 में राष्ट्रीय श्रम संगठनों ने अपने सुझाव दिये कि श्रमिकों ने प्रतिनिधियों उन संगठनों में से चुने जायें जिनमें श्रमिक काम करते हैं और यह चयन पंजीकृत यूनियन से विचार विमर्श के द्वारा किया जाय। लेकिन संवैधानिक बाध्यताओं और आदर्शो की पूर्ति के लिए निर्मित इन वरकर्स कमेटियों के गठन से कोई सफलता प्राप्त नहीं हुयी है। तत्पश्चात् 1956 में उद्योगिक पालिसी घोषणा–पत्र में संयुक्त प्रबन्ध काउन्सिल के निर्माण पर बल दिया गया और श्रमिक नेता इस प्रबन्ध में सहभागिता के प्रति क्या विचार रखते हैं इन विषयों पर विस्तार से विवेचन आगे है। लेकिन यह प्रबन्ध समीतियां एक प्रकार से सुझाव देने वाली इकाईयां बन गयी। इनके निर्णय व हस्तक्षेप से श्रमिकों की स्थिति में कोई गहरा व वास्तविक परिवर्तन नहीं आया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् निर्देशक मंडल में श्रमिक प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। जहाँ प्रतिनिधि यूनियन नहीं है अथवा निश्चित तिथि तक प्रतिनिधित्व के लिए नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में सरकार किसी को स्वयं निर्देशक मंडल में नियुक्त कर सकती है दिसम्बर 1972 से कर्मचारी निर्देशक की नियुक्ति बोर्ड स्तर पर बैंक

उद्योग में की जाने लगी है अन्य निर्देशक की तरह इन प्रतिनिधियों को सभी अधिकार समान रूप से दिये जाते हैं लेकिन नीति निर्माण करने में सहभागिता उनकी सीमित है। श्रमिक निर्देशक का चयन के लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं:–

1. उद्योग में कार्य कर रही यूनियन प्रतिनिधियों के नाम का प्रस्ताव करती है।
2. यूनियन तीन नाम प्रस्तुत करती है सरकार उनमें से किसी एक को नामांकित करती है लेकिन इसके लिए नामांकित व्यक्ति की निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक हैः कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, उसी उद्यम का कर्मचारी हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त हो, उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही न चल रही हो।
3. किसी विशेष शैक्षणिक बाध्यता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसे उद्यम के कार्य करने के विभिन्न पक्ष की जानकारी होनी चाहिए।
4. श्रमिक निर्देशक मूल रूप से बैंक का कर्मचारी भी होता है। और कर्मचारी के लिए निर्मित सभी नियमों से प्रतिबन्धित रहता है।
5. बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए अन्य निर्देशकों की तरह अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधाएं प्राप्त होंगी।
6. ये नियुक्ति प्रारम्भिक स्तर पर दो वर्ष के लिए होती है। लेकिन वह संस्थान में कर्मचारी रहता है और फिर यूनियन उसका नाम प्रस्तावित करता है तो उसका नामांकन अगले दो वर्षो के लिए बढ़ सकता है।

ऐसे उद्यम जिनमें एक से अधिक इकाईयां होती हैं प्रत्येक पृथक इकाईयों से क्रमवार रूप से श्रमिक प्रतिनिधि या श्रमिक निर्देशक का चुनाव होगा। जो अध्ययन सामने आये उनमें यह देखा गया कि ये कर्मचारी निर्देशक बैंक व्यवस्था में अपेक्षानुसार कार्य नहीं कर पाये इसकी असफलता के अनेक कारण रहे हैं:–

1. सरकार के सहभागिता की व्यवस्था कई स्तर पर प्रारम्भ की है। लेकिन ब्रान्च स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर यह व्यवस्था न होने से श्रमिकों की रूचि इस व्यवस्था में नहीं रह पाती।
2. बोर्ड के 15 निर्देशक में केवल दो निर्देशक श्रमिक प्रतिनिधि अल्प संख्या होने के कारण प्रभावी नहीं हो पाते, 15 निर्देशकों में एक कर्मचारी में से होता है और एक गैर कर्मचारियों में से होता है।
3. श्रमिक प्रतिनिधि निर्देशक किसी ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व होता है। अतः वह व्यक्तिगत रूप से तटस्थ नहीं रहता है।
4. यह श्रमिक निर्देशक प्रबन्ध के प्रकार्यो में प्रशिक्षित नहीं होते हैं।
5. बैंकों में इतनी यूनियनें होती हैं और इतने नेता होते हैं इनमें आपसी खींच–तान होती है कि किसी एक व्यक्ति को सबका प्रतिनिधि मान लेना व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता। इसके प्रति संकायें और अनिश्चिततायें निरन्तर बनी रहती है।

इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियन नेताओं की यह मान्यता है कि प्रतिनिधि श्रम यूनियन आन्दोलन को कमजोर करते हैं उसका प्रबन्धकों को सहयोग देना निरन्तर संदेह उत्पन्न करता रहता है और वह स्वयं प्रबन्धक मण्डल में आगे हो जाने के कारण श्रमिकों की विशिष्ट समस्याओं के प्रति उसकी सोच कमजोर पड़ जाती है। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद सहभागिता, प्रजातंत्रीय, वैचारिकी और व्यवस्था का अभिन्न अंग होने के कारण सभी प्रकार के उद्योगों में महत्वपूर्ण एवं समान रहती है। परिणामस्वरूप वर्तमान अध्ययनों में हमने यह जाने का प्रयास किया है कि इन नेताओं का प्रबन्ध के लिए दृष्टिकोण क्या है प्रबन्धक उसके विषय में कहाँ तक श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देते हैं।

सन्दर्भ :

1. D.C. Miller :"Industrial Scoiology, Harper, 1951, quoted W.H. Form in Vroom and R.L. Deciceds; Management and Motivation, Penguin Bookds, 1970, P.305"
2. A.H. Maslow: A theory of Human Motivation Psychological Review. Vol. 50, 1942, P. 270 306.
3. Sinha ,D.N.: Studies in Industrial Psychology, Sri Ram Meharo\a Company Agra 1973
4. Smith H.C.: Psychology of Industry, Mc Graw Hill Book Company, INC 1970

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 3- 5

आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री की यथार्थवादी कहानियों की समीक्षा

मनोज कुमार*
*शोध छात्र (हिन्दी), जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार)

सारांश : बल्लभ शास्त्री जी ने भाषा, बनावट, कथावस्तु, जीवानुभवों की इतनी अलग और अनमोल कहानियाँ लिखी हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता साथ ही अनुभवों और बदले प्रगतिषील समाज का अपनी कहानियों में समेटना शुरू किया है। बल्लभ शास्त्री जी ने कहानियाँ बेहद सरल भाषा में लिखी हैं जो कल्पना और वास्तविकता से रूबरू करवाती हैं ये कहानियाँ, मानवीय मन के सफेद और काले दोनों रूपों को व्यक्त करती है। अतः बल्लभ शास्त्री जी की कहानियाँ धर्म, जाति, स्त्री शोषण षिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी, प्रेम, पुरूषवाद जैसे अनेक पहलुओं को पूरी ईमानदारी से उद्घाटित करती है। निष्कर्ष रूप मे भाषा प्रयोग मे विविधता विद्यमान रहती है। बोधगम्यता, सहजता, प्रवाहमयता है। कहानी के सम्बन्ध में बल्लभ शास्त्री जी के विचार उनकी कहानियों की पहचान में सहायक है कुछ विचार में उन्होने अपनी कहानी संबधी मान्यता प्रकट की है यथार्थ का उसमें ऐसा समिश्रण होना चाहिए कि सत्य से दूर न जाना पड़े। इस प्रकार कहानी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम है बल्लभ जी की मध्यवर्ती कहानियाँ यथार्थ चेतन की हैं उसमें सामाजिक यथार्थ का परिचय मिलता है यह यथार्थ कहीं अस्पष्ट रूप से यथार्थ का परिचय मिलता है यह यथार्थ कहीं अस्पष्ट रूप से कही व्यंग में तथा कहीं खुले उभरे रूप में प्रकट हुआ है। समसामयिक जीवन मे व्याप्त अंधविश्वास, सुधारवादी उत्साह और आजादी के संघर्ष की जो तस्वीरें बल्लभ जी ने खीचीं है वह अपनी अपूर्णता में भी समग्रता, सांकेतिकता व्यंजना में ठीक है।

मुख्य शब्द : आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, यर्थाथवादी कहानियाँ, प्रगतिषील समाज, सामाजिक यथार्थ, बाल विवाह, समाज की रूढ़िवादिता आदि ।

यथार्थवादी कहानी एक कथा या कहानी है। जिसका ध्यान उन कहानियों का प्रतिनिधित्व है जो वास्तविक और समान रूप से बताई गई है इतिहास के उपचार का अर्थ है। नकल करने के बिंदु पर वास्तविकता का दृष्टिकोण। कहानी एक साहित्यक रूप है जिसमें वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं को सुनाया जाता है। यह कहानियाँ पात्रों द्वारा विशिष्ट सन्दर्भ में और एक विशिष्ट समय पर, बनाई जाती है। एक या दूसरे तरीके से वास्तविकता हमेशा कहानियों मे मौजूद होती हैं रचनात्मक मामला वास्तविकता से आता है और इसका उपचार लेखक द्वारा की गई व्याख्या के आधार पर होता है। यथार्थवाद के बारे मे प्रकाश डालने के लिए एक पहलू यह है कि यह आस–पास की वास्तविकता के प्रतिबिम्बों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस बात पर ध्यान देना होगा कि वास्तविकता एक साहित्यक वस्तु होने के योग्य है यथार्थवादी प्रवचन सामान्य रूप से एक साहित्य और कलात्मक प्रवृत्ति बन जाती है यथार्थवाद में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। कोई बकाया विषय नहीं है, वास्तविकता और इसमें मौजूद हर चीज नायक है। वल्लभ शास्त्री जी को प्रमुख संग्रह 'बरगद की छाँव' है जो लेखक की आत्मा है। इस संग्रह की सभी कहानियों मे कही प्रेम, कही समस्या तो कही परिवर्तन की कहानी है।

'पैसे की पहचान' नामक कहानी मे लेखक और किशोर देव बाबू मे घनी मित्रता है किशोर बाबू जब भी आते पेड़ की छाँव में बैठकर घंटों बतियाते रहते हैं कुछ नहीं तो बनारस यूनीवर्सिटी की बातें ही करते रहते लेखक को छोड़े हुए करीब चार वर्ष हो चुके है अब वहाँ की कई चीजें बदल गई, नई–नई ईमारतें बन गई है, कॉलेज के समय के कई दोस्त वहाँ रहते थे किशोर बाबू और लेखक ने बनारस यूनीवर्सिटी जाने की योजना बनाई, क्योंकि इधर खेतों मे भी कोई काम नहीं था तो तीन दिन के लिए बाहर जा सकता था। किशोर बाबू के साथ बनाई गई योजना सफल हो गई वह बनारस पहुँचे। लेखक के कुछ दोस्त भी वहाँ रहते थे। जिनका उसने मुसीबत पड़ने पर हर तरह से सहारा किया था लेकिन प्रगतिशील समाज दोस्त या रिश्तों से ज्यादा पैसे को याद रखता, इसलिए उसनें जिसकी धन से सहायता की थी वह सब उसे देखकर मुँह मोड़ने लगे, ऐसा तो लेखन ने सोचा भी नहीं था। उसके गाँव का ही एक मिलने वाला था, जिसका नाम ब्रह्मदेव था, ब्रह्मदेव को कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। उनकी कविताएं समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होती थी लेखक ने बनारस में भारत माता का मन्दिर घूमा उसे बहुत आनन्द मिला उसके और भी मित्र थे जो राह मे एक–एक करके मिले जिन्होने समय पर ऋण लिया था। लेखक को देखते ही वे हाल पूछकर मुखमोड़ के आगे निकल गए नंद किशोर, रेवाशंकर से लेखक को जो उम्मीद थी। वह पूरी नहीं हुई जो पहचानते भी थे। वे बस धनलोलुपता के कारण ही जानते थे। उनके साथ ब्रह्मदेव थे, वे समझाते हुए बोले शायद आप को पहचाना नहीं होगा थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि लेखक को नक्षत्रराय मिल गया कई बार उसने पत्र के द्वारा उससे पैसे भी मॉगे थे, जो उसने वापस नहीं किये थे। देखते ही बोला अभी जल्दी में हूँ फिर मिलते है अंत में ब्रह्मदेव और लेखक संकटमोचन मन्दिर गए वहाँ एक लड़की थी, जो लेखक को तुरन्त पहचान गई, क्योंकि वह कॉलेज के समय पर मंगलवार व शनिवार को आकर रूपया दान करता था तब वह लड़की बहुत छोटी थी अब वह बड़ी हो गई क्योंकि उसे कोई और 1 रू नहीं देता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान मे रूपये पैसे को लम्बे समय तक याद रखा जा सकता है व्यक्ति और दोस्तों को याद रखना इतना संभव नहीं जितना धन को पैसे को चिरकाल तक स्मरण रखा जा सकता है।

'दो बहने' कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज मे व्याप्त कुप्रथा का वर्णन किया है यथार्थवाद में भी लोगों की मानसिकता लड़कियों का कम उम्र में विवाह करना है प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यथार्थवाद की वास्तविक समस्या पर पाठक का

ध्यान केन्द्रित किया गया है। फूल और यशोमति दो बहनें है यशोमति बड़ी बहन है उसका विवाह बहुत कम उम्र में माता–पिता कर देते है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि इस प्रकार की मानसिकता लेकर माता–पिता विवाह कर बेटी के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण मान लेते है जो सही नहीं है। यशोमति अपने ससुराल में कई तरह की परेशानियों को सहन करती है लेकिन माता–पिता का ध्यान उसकी ओर कभी नहीं जाता है जो उचित नहीं है यशोमति का एक भाई है जिसका विवाह हो चुका है उसकी भाभी का भाई अपनी बहन के ससुराल आता है पता चलता है कि उसकी बहन जो नौ साल की है उसकी माँ उसे हर समय उलाहना देता रहती है और कहती है पता नहीं कब इसके लिए लड़का मिलेगा तभी शाम तक उसके पिता और भाई फूल के लड़का देखकर आते हैं और बताते है सारी बात तय हो गई है। फूल की भाभी के भाई को यह सब अच्छा नहीं लगा वह कुछ नहीं कर सकता था लेकिन इतनी कम उम्र में विवाह होना जब फूल को विवाह का मतलब भी नहीं पता थां वह सजना ढ़ोल बाजे इसे ही ब्याह जानती थी, फिर पता चलता है कि दो दिन बाद उसका विवाह के कार्यक्रम है फूल के पिता ने उसे जाने को मना कर दिया और कहा कि वह अगले दिन जाकर यशोमति को उसकी ससुराल से लेकर आए। अब क्या था वह कुछ कर भी नहीं सकता था, सो बहन की ससुराल की बात थी, अगले दिन यशोमति को लेने ससुराल पहुँच गया दोनों ने एक लम्बा सफर तय किया यशोमति ने अपने सारी परेशानी और ससुराल की बातें भाभी के भाई से बताई देखने वाले इस तरह उन दोनों को देखकर बाते कर रहे थे। इस तरह यशोमति को लेकर उसके घर आ गया फूल परेशान थी। वह भाभी के भाई से बोली तुम मुससे ब्याह कर लो। वह कुछ नहीं बोला यह सब देखकर वह परेशान था। इतनी कम उम्र में जब खेलने और पढ़ने की उम्र है तब ब्याह कोई क्यों कर रहे ऐसा फूल का ब्याह पूरा हो जाता है। चलते चलते उसकी भाभी का भाई उससे बोलता है। अब तुम मुझसे ब्याह करोगी इस तरह फूल को एक काटा चुभोकर वह अपने घर को चल देता है जाने से पहले यशोमति के विषय मे उसके पति से बात करता हुआ जाता है। समाज की परम्परा जो यथार्थ में कई जगह प्रचलन में हैं लड़की का जन्म होती ही उसे ब्याह जैसी परम्परा मे बॉध दिया जाता है। समाज की रूढ़िवादिता में इस प्रकार अनेक लड़कियों का जीवन जलता जा रहा है फूल से उसकी भाभी का भाई समय आने पर विवाह का वादा करके चला जाता है। पाठक इस कहानी को पढ़कर नारी बाल विवाह की विषय समस्या की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करता है और यथार्थ में इतनी कम उम्र मे विवाह जैसा अपराध न हो इसलिए इस प्रकार के लेख लिखकर समाज को जागरूक करने का प्रयास करता है। 'दो बहने' कहानी की विधा से लेखक जीवन के द्वन्द को अपनी संपूर्णता से व्यक्त नहीं कर पाते। प्रस्तुत कहानी में लेखन ने वैचारिक दृष्टि से प्रमुख घटनाओं व समसामयिक प्रवृत्ति को उभारा है।

'विनाश के पथ पर' नामक कहानी में जन्मदायिनी प्रेमदायिनी स्त्री की विवशता व त्याग बलिदान का वर्णन किया गया है। किस प्रकार वह स्वंय को विनाश के पथ पर ले जाती है स्वंय को जलाती हुई अपने परिवार को प्रकाशित करती है। समाज की प्राचीन से लेकर प्रगतिशील युग तक की परम्परा चली आ रहीं है कि स्त्री जीवन पर अंकुश लगा आ रहा है पुरूष वर्ग को जो स्वतन्त्रता व स्वच्छन्दता प्राप्त है वह स्त्री के लिए नहीं है अगर वह दूसरों के लिए करती है और स्वयं को जलाती है तो भी वह उस ज्वाला की जिम्मेदारी होती है जिस प्रकार सुवासिनी के साथ होता है। वह एक सुन्दर विधवा स्त्री हैं वह अपने माता–पिता व आवारा भाई के भरण–पोषण का पूरा ध्यान रखती है। उसके घर के ठीक सामने वाला मकान डॉ0 अविनाश का है, वे सौन्दर्य प्रेमी व स्त्री भोग के आतुर व्यक्ति है। सम्पूर्ण आस–पास का समाज सुवासिनी से अपेक्षा करता है कि व धार्मिक क्रियाकलापों में लगी रहे। डॉ0 अविनाश धन धान्य से पूर्ण है वे सुवासिनी के सौन्दर्य रस का पान करने के लिए व्याकुल हो उठते है। सुवासिनी को किसी कारणवश उनके घर जाना पड़ा उसकी मजबूरी को समझकर डॉ0 अविनाश ने उसे सहायता देनी प्रारम्भ कर दी अब उनके घर मे मिठाई और समान की कमी न रहती थी लेकिन इसके बदले सुवासिनी ने स्वयं को डॉ0 अविनाश को सौंप दिया न चाहते हुए भी सुवासिनी विनाश के पथ पर निकल पड़ी वह जानती थी कि डॉ0 अविनाश चरित्र से भले व्यक्ति नहीं है वे जाति से ब्राह्मण थे। जब उनकी पहली पत्नी की तबीयत खराब व्यतीत करते थे और उसके मरने के बाद दूसरी औरत को घर ले आए। एक दिन सुवासिनी के भाई ने उसे डॉ0 अविनाश के साथ देख लिया फिर क्या था माता–पिता व भाई सभी ने खरी खोटी सुनाई और उस पर हाथ भी उठाया। जब वह मिठाई और सामान लाती थी तो सभी ने उसका उपभोग भरपूर किया और आनंद लिया फिर इस दुःख की भागी केवल सुवासिनी ही क्यो? इस प्रकार समाज से उसे निकालने व मारने का प्रण लिया गया तब कुछ भले लोगों ने उसकी मदद की और उसे उस पथ से निकालकर अनाथालय भेज दिया उसके माता–पिता वहाँ से निकलकर बिहार में जाकर बस गए। यथार्थवाद स्वार्थ व लोलुपता से पूर्ण है जिसे लेखक ने कहानी के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है 'पंडित जी' कहानी भी यथार्थवादी के इस गुण को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करती है। इस कहानी मे एक पात्र है पंडित जी जो अपने सिवाय किसी को नहीं सोचते अपना काम निकले बस अगर उस काम मे किसी की जान भी चले जाए तो उन्हें अफसोस नहीं होगा, ऐसी ही एक घटना घटी जब बहुत तेज बारिश हो रही थी आस–पास के गाँव मे बाढ़ आ गई थी। पंडित जी की तम्बाकू खत्म हो चुकी थी वे तम्बाकू के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे, बुद्धदीन नाम के पंडित परेशान थे तभी याद आया जगमोहन यह काम कर सकता था जगमोहन की एक बूढी माँ और एक विधवा बहन थी गाँव भर में जगमोहन के तैराकी के चर्चे थे वह निस्वार्थ भाव से सभी के काम कर देता था पहले बारिश बन्द होने का इंतजार करते रहे जब तक शाम हो गई पंडित जी को जगमोहन दिख गया और उन्होने दो पैसे देकर तम्बाकू लाने को कहा जगमेाहन ने रात होने की वजह से बोला कल चला जाऊँ पर पंडित जी को तम्बाकू का नशा था उन्होंने उसे तुरन्त जाने को बोला, वह दो पैसे लेकर चला तभी तपेश्वर ने आकर बताया पंडित जी जगमोहन डूब गया है पंडित जी बिना किसी परेशानी के बोले उसे तो डूबना ही था पूरा दिन इधर–उधर जो घूमता रहता था आवारा लड़का था तभी थोडी देर मे जगमोहन हाथ मे तम्बाकू लेकर चला आया पंडित जी खुश हो गए और बोले मैं जानता था तू जरूर आयेगा ब्राह्मण का आशीर्वाद जो था साथ मे खुश रहो बेटा इतना कह ही पाया था कि तपेश्वर

उसे देखकर चौंक गया और बोला तू तो डूब गया था वह बोला मैं तो मजाक कर रहा था तपेश्वर ने पंडित जी की ओर देखा और सोचा इतनी जल्दी रूप परिवर्तन अभी तो बोल रहे थे, मेरे दो पैसे लेकर डूब गया उसे तो मरना ही था। कितना स्वार्थी समाज है जिसे न उसके मरने से फर्क पड़ा न जीने से यथार्थवाद में इस तरह की कई घटनाए वास्तविक जीवन में दिखाई पडती है उन्ही घटनाओं को लेखक ने अपने साहित्य में उतारकर स्वार्थी व धनलोलुप प्रवृत्ति पर कुठाराघात किया है साथ स्वार्थी मनुष्य से सजग रहने में ही भला है पाठक इस कहानी को पढ़कर ह्रदयाघात हो जाता है।

उपसंहार : प्रगतिषील समाज मे पाठक यदि कहानी की जमीन पर सख्ती से पाँव टिका कर कहानी के आसमान से बाहर किसी उड़ान पर निकल जाए तो यह कहानी की विफलता नहीं कहानी के मान्यूयेंट बन जाने का संकेत है जो सभ्यताओं के उदाड़ पहाड़ के खेल में भले ही खंड़हर बन जाए, जिन्दगी की लय, ताल, गति और संगीत से कभी महरूम नहीं होता। बल्लभ शास्त्री जी ने भाषा, बनावट, कथावस्तु, जीवानुभवों की इतनी अलग और अनमोल कहानियाँ लिखी हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता साथ ही अनुभवों और बदले प्रगतिषील समाज का अपनी कहानियों में समेटना शुरू किया है। बल्लभ शास्त्री जी ने कहानियाँ बेहद सरल भाषा में लिखी हैं जो कल्पना और वास्तविकता से रूबरू करवाती हैं ये कहानियाँ, मानवीय मन के सफेद और काले दोनों रूपों को व्यक्त करती है। बेषक हम इन्हें सहर्ष स्वीकार करे या नैतिकता का अस्पष्ट चेहरा लगाकर दें इन्हे नकार दे। लेखक ने अपनी कहानियों मे मानवीय जनजीवन और प्रवृत्ति का पात्रों के माध्यम से उल्लेख किया है। उन जनजीवन व मानव प्रकृति के पारखी थे। उनके साहित्य और जिन चरित्रों का उन्होंने चित्रण किया है जिन समस्याओं के बारे में बात की आज भी हम उनसे उबरने के लिए संघर्ष कर रहे है। चाहे वह गरीबी हो या जाति के आधार पर भेद–भाव, ये चीजें आज भी हमारे प्रगतिषील समाज में है और स्थित बद से बदतर हुई है। लेखक ने सम्पूर्ण कहानियों में प्रगतिषील समाज को सामने रखते हुए संकीर्ण मानसिकता रखने वालो पर कुठाराघात किया है। आपकी कही जा सकती है। कहानिया बोझिल न होकर, सरल व रूचिकर लगती है। अतः बल्लभ शास्त्री जी की कहानियाँ धर्म, जाति, स्त्री शोषण षिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी, प्रेम, पुरूषवाद जैसे अनेक पहलुओं को पूरी ईमानदारी से उद्घाटित करती है। निष्कर्ष रूप मे भाषा प्रयोग मे विविघता विद्यमान रहती है। बोधगम्यता, सहजता, प्रवाहमयता है।

सन्दर्भ :

1. आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री : 'पैसे की पहचान' पृ0 87–91
2. आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री : 'विनाष के पथ पर' पृ0 48–58
3. आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री : 'दो बहनें' पृ0 9–23
4. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्यकोष, पृ0289।
5. रांगेय राघव, प्रगतिषील साहित्य के मानदण्ड, पृ0 328
6. धीरेंद्र वर्मा, हिन्दी साहित्य कोष, पृ0 289।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 6- 8

लोकपथगामी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि

डॉ0 श्रीप्रकाश*
*असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, दयानंद बछरावां पी0 जी0 कॉलेज, बछरावां, रायबरेली, उ0प्र0

सारांश : हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य षुक्ल ने एक युगान्तर प्रस्तुत किया। उनकी शैली में भारत की शास्त्रीय पद्धति के साथ–साथ अंग्रेजी की षैली भी मिली हुई थी। "शुक्ल जी ने हिन्दी आलोचना को वैज्ञानिक और आधुनिक रूप दिया। उनके मानदण्ड साहित्येत्तर नहीं थे, साथ ही उन्होंने अपने तरीके से रीतिवाद का भी जमकर विरोध किया। शुक्ल जी की आलोचना का शास्त्रीय आधार सुदृढ़ है, वह रसवाद का परम्परागत आधार कहीं छोड़ते नहीं। शास्त्र के सुदृढ़ आधार पर षुक्ल जी ने लोकमंगल का लक्ष्य निर्धारित कर आलोचना में युगबोध का समावेष किया। आलोचना का पारिभाषिक शब्द 'लोकमंगल' उन्हीं का दिया हुआ है।" आचार्य षुक्ल की आलोचना के दो रूप देखने को मिलते हैं–प्रथम सैद्धान्तिक पक्ष जिसका आधार ग्रंथ उनका समीक्षात्मक ग्रंथ– 'रस–मीमांसा' है, दूसरा आलोचना का व्यवहारिक पक्ष जो 'तुलसी' और 'जायसी ग्रंथावली' की भूमिकाओं, 'भ्रमर–गीतसार' की भूमिका तथा हिन्दी साहित्य का इतिहास में प्रस्तुत विभिन्न कवियों के संक्षिप्त एवं सारगर्भित परिचयात्मक टिप्पणियों में प्रकट हुआ है। षुक्ल जी की सैद्धान्तिक समीक्षा का आधार भारतीय 'रसवाद' है।

मुख्य शब्द : हिन्दी आलोचना, रीतिवाद, लोकमंगल, भारत की षास्त्रीय पद्धति, रसवाद का परम्परागत आधार आदि ।

रचना और रचनाकार में जो आपसी रिष्ता होता है ठीक वैसा ही रिष्ता रचना और आलोचक में भी है। हिन्दी आलोचना की रचना–प्रक्रिया बहुत कुछ उसकी विकास–प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। हिन्दी आलोचना आधुनिक युग एक प्रकार से बीसवीं षताब्दी में जन्मी और विकसित हुई। नवजागरण–काल के प्रमुख चरण में आलोचकों ने समीक्षा की और जनवादी परम्परा का जन्म हुआ और द्वितीय चरण में पं0 महावीर प्रसाद द्विवेदी की देखरेख में जिसका विकास हुआ उसकी चरम परिणिति तृतीय चरण में आचार्य रामचन्द्र षुक्ल (1884–1941) की आलोचना में हुई। हिन्दी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य षुक्ल ने एक युगान्तर प्रस्तुत किया। उनकी षैली में भारत की षास्त्रीय पद्धति के साथ–साथ अंग्रेजी की षैली भी मिली हुई थी। "षुक्ल जी ने हिन्दी आलोचना को वैज्ञानिक और आधुनिक रूप दिया। उनके मानदण्ड साहित्येत्तर नहीं थे, साथ ही उन्होंने अपने तरीके से रीतिवाद का भी जमकर विरोध किया। षुक्ल जी की आलोचना का षास्त्रीय आधार सुदृढ़ है, वह रसवाद का परम्परागत आधार कहीं छोड़ते नहीं। षास्त्र के सुदृढ़ आधार पर षुक्ल जी ने लोकमंगल का लक्ष्य निर्धारित कर आलोचना में युगबोध का समावेष किया। आलोचना का पारिभाषिक षब्द 'लोकमंगल' उन्हीं का दिया हुआ है।"[1] आचार्य षुक्ल की आलोचना के दो रूप देखने को मिलते हैं– प्रथम सैद्धान्तिक पक्ष जिसका आधार ग्रंथ उनका समीक्षात्मक ग्रंथ–'रस–मीमांसा' है, दूसरा आलोचना का व्यवहारिक पक्ष जो 'तुलसी' और 'जायसी ग्रंथावली' की भूमिकाओं, 'भ्रमर–गीतसार' की भूमिका तथा हिन्दी साहित्य का इतिहास में प्रस्तुत विभिन्न कवियों के संक्षिप्त एवं सारगर्भित परिचयात्मक टिप्पणियों में प्रकट हुआ है। षुक्ल जी की सैद्धान्तिक समीक्षा का आधार भारतीय 'रसवाद' है।

"आचार्य षुक्ल ने 'रसवाद' को आध्यात्मिक भूमि से उतार कर मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। उसे बौद्धिक चिन्तन की दृष्टि से अधिक पूर्ण और विष्वसनीय बनाया। 'रस' के प्रवर्तक भावों का विषद, सूक्ष्म और गम्भीर मनोवैज्ञानिक विवेचन किया।"[2]

आचार्य षुक्ल की आलोचना दृष्टि पर प्रकाष डालते हुए डॉ0 बच्चन सिंह लिखते हैं– "जिस प्रकार प्रसाद, निराला और प्रेमचन्द ने रचनात्मक साहित्य को भारतीय परंपरा और जीवन के साथ जोड़ा, उसी प्रकार राममचन्द्र षुक्ल ने हिन्दी की आलोचना को अपनी जीवंत षास्त्रीय परंपरा और लोक से संबद्ध किया। षुक्ल जी ने पष्चिमी आलोचना सिद्धान्तों का गहरा अध्ययन किया था। भारतीय आलोचना सिद्धान्तों को भी श्रमपूर्वक अर्जित किया था। किन्तु न तो रूढ़िवादी पंडितों की तरह वे भारतीय काव्यषास्त्र की उद्धरणी प्रस्तुत करते रहे और न ही पाष्चात्य कसौटियों पर अपने साहित्य को कसने की कोषिष। पष्चिम से आवष्यक प्रेरणा लेते हुए भी उन्होंने भारतीय परंपरा को नवीन चेतना से सम्पन्न बनाया।"[3] षुक्लजी मनुष्य को 'लोकबद्ध–प्राणी' कहते हैं। यह लोक ही है, जिसके भीतर कविता सा किसी भी कला का प्रयोजन और विकास होता है। षुक्लजी के मतानुसार सच्चा कवि वही है जिसे लोकहृदय की पहचान हो, जो अनेक विषेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति कि सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय लीन होने की दषा का नाम रस–दषा है।[4]

षुक्ल जी साहित्य को जीवन से संबद्ध मानते हैं। उनकी दृष्टि में रस भी लौकिक या ब्रह्स्वाद सहोदर नहीं है। उनका कहना है– 'आध्यात्म षब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है।' रस अलौकिक है, लौकिक जीवन में भी रस है। "लोकजीवन की ठोस धरती पर पाँव रोपकर आचार्य षुक्ल ने इस सिद्धान्त की घोषणा की कि लोकहृदय में लीन होने की दषा का नाम रस–दषा है।"[5]

षुक्लजी ने हिन्दी में पहली बार रीति–ग्रन्थों की तीखी आलोचना की और साहित्य पर उनके घातक प्रभावों की चर्चा भी की। उनके साहित्य सिद्धान्त हवा में निर्मित नहीं हुए। भारत के चार प्रमुख कवियों–वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति और तुलीदास का साहित्य उनकी आलोचना का आधार बना है उसी के आधार पर उन्होंने अपने आदर्ष निष्चित किये। साहित्य में वाल्मीकि और भावभूति की स्वीकृियता को षुक्ल जी की आलोचना में भी जगह मिली। लोक–रक्षा के विधान में करूणा को उन्होंने बीज भाव माना। हिन्दी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाओं के यहाँ राजाओं की काम–वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते

थे। एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुँह मकरध्वज का रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरध्वज की पिचकारी देते थे। पीछे से ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। षुक्ल ऐसे ही कविराजों की खबर लेते हैं।[6] षुक्ल जी की दृष्टि में–'कविता देवी के मन्दिर ऊँचे, खुले, विस्तृत और पुनीत ह्रदय हैं।' सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐष्वर्य की सामग्री ही में सौन्दर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल–मिट्टी से सने किसानों, बच्चों के मुँह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी–कभी सौन्दर्य के दर्षन करते हैं, जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुँच सकती। षुक्लजी ने स्पष्ट कहा है–"श्रीमानों के षुभागमन पर पद्य बनाना, बात–बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं।"

षुक्लजी का आलोचना–साहित्य कलावाद के विकल्प की तलाष है। उसमें लोकमंगल को एक साहित्यिक मूल्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। सैद्धान्तिक, व्यवहारिक और ऐतिहासिक सब तरह की आलोचना लिखते हुए षुक्लजी अपनी विचारधारा के साथ हैं। सैद्धान्तिक आलोचना की हिन्दी में आज भी सबसे अच्छी किताब 'रस–मीमांसा' है और यह आचार्य षुक्ल को भारतीय काव्यषास्त्र की परम्परा में प्रतिष्ठा दिलाने वाली किताब है। आज भारतीय काव्यषास्त्र में आचार्य षुक्ल को आचार्य मम्मट और विष्वनाथ की परंपरा में याद किया जाता है तो अकारण नहीं। व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में षुक्ल जी का सबसे आकर्षक प्रयाग–'जायसी ग्रन्थावली की भूमिका' है। कहना न होगा कि षुक्ल जी का 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' बीसवीं षताब्दी के तीसरे दषक की रचना होने के बावजूद समूची बीसवीं शताब्दी के परिदृष्य में हिन्दी की सबसे अच्छी ऐतिहासिक आलोचना की किताब है। लगभग एक हजार वर्ष के हिन्दी साहित्य का जिस तरह से षुक्ल जी ने मूल्यांकन किया, कवियों और उनकी कृतियों पर जैसी सटीक टिप्पड़ी उन्होंने की उसकी अनुगूंजे अगली कई षताब्दियों तक सुनी जाती रहेंगी।

एक उक्ति प्रसिद्ध है–'समग्र यूरोपीय दर्षन प्लेटों की पाद–टिप्पणी है, ठीक वैसे ही हिन्दी में षुक्ल जी के बाद लिखी समस्त आलोचना भी षुक्ल जी की पाद–टिप्पणी है। हिन्दी आलोचना को षुक्ल जी की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने साहित्य के संबन्ध में एक सुसंगत दृष्टिकोण के निर्माण का प्रयत्न किया। उनके इस दृष्टिकोण का आधार ज्ञान का भौतिकवादी सिद्धान्त है, जिसके अनुसार ज्ञान और भाव का आधार यह भौतिक जगत ही है, कुछ और नहीं। अपने 'कविता क्या है' षीर्षक प्रसिद्ध निबन्ध में वे कहते हैं–"जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करें उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियाँ उपस्थित करती हैं। फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भाव–प्रसार के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव–प्रसार होता है।"[7]

आचार्य षुक्ल हिन्दी के पहले आलोचक हैं, जिन्होंने भारतीय काव्यषास्त्र की अतल गहराई में प्रवेष करके उसकी महत्ता, सारवत्ता, व्यापकता और उपयोगिता के प्रति पूर्ण विष्वास व्यक्त किया। उन्होंने घोषित किया कि "षब्द षक्ति, रस और अलंकार" ये विषय–विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनकों अन्तर्भूत करके संसार की नयी–पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत सूक्ष्म, मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है।[8] षुक्ल जी का कहना था कि "हमे अपनी दृष्टि से दूसरे देषों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देषों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं।"[9]

षुक्ल जी हिन्दी–समीक्षा के प्रौढ़ और वैज्ञानिक रूप देने वाले प्रथम आचार्य हैं और वे कविता के जौहरी हैं। उन्होंने साहित्य–चिन्तन को जीवन और समाज की चिंता से अभिन्न माना। षुक्ल जी के आलोचना साहित्य में हिन्दी साहित्य की प्राचीन परंपरा और नई को रचनात्मक अन्तर्दृष्टि से परखा गया है। उनके आलोचनात्मक विवेक की समता हिन्दी के अन्य किसी आलोचक के विवेक से नहीं है। वह अप्रितम हैं और परवर्ती आलोचना के मार्गदर्षक हैं।

आचार्य षुक्ल को जिंदगी भले ही छोटी मिली किन्तु जितने बड़े–बड़े काम षुक्ल जी ने हिन्दी भाषा साहित्य के क्षेत्र में किये उनके इस योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कोष–निर्माण का कार्य किया, हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा, गद्य को निबन्ध और पद्य को प्रकाषवाद का दान किया, काव्य को रस मीमांसा दी और तुलसी, सूर और जायसी को समझने की आधुनिक दृष्टि दी।

षुक्ल जी के अन्तर्विरोधियों पर सबसे तेज दृष्टि रखने वाले 'दूसरी परम्परा की खोज' के लेखक डॉ0 नामवर सिंह ने अपने व्याख्यान में कहा था कि 'आचार्य षुक्ल कोरे साहित्य–समालोचक नहीं थे। वे गम्भीर अर्थ में साहित्य के समालोचक थे, जहाँ साहित्य के अन्तर्गत जीवन की चिंता, समाज की चिंता और पूरी संस्कृति की चिंता रहती थी। यह हिन्दी आलोचना का सौभाग्य है कि उसकी प्रतिष्ठा एक ऐसे आलोचक के द्वारा हुई, जो षुद्ध साहित्यिक आलोचक नहीं था। सिर्फ अलंकार रस की मीमांसा करने वाला काव्य–विवेचक नहीं था, बल्कि साहित्य को व्यापक सामाजिक सन्दर्भों में देखने वाला और साहित्य की सामाजिक सार्थकता की प्रतिष्ठा करने वाला आलोचक था। उनका समूचा कृतित्व केवल सूर, तुलसी जायसी का रसास्वादन नहीं है। सूर, तुलसी, जायसी ही नहीं, आधुनिक हिन्दी साहित्य की आलोचना के द्वारा वे जनता को वह राजनीतिक षिक्षा दे रहे थे, जनजागरण का संदेष दे रहे थे, जिस जनजागरण का संदेष प्रेमचन्द अपने ढंग से और निराला अपने ढंग से और जयषंकर प्रसाद अपने ढंग से दे रहे थे।'[10]

डॉ0 रामविलास षर्मा मानते हैं कि हिन्दी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचन्द का या निराला का। उन्होंने आलोचना के माध्यम से उसी सामन्ती संस्कृति का विरोध किया, जिसका उपन्यास और कविता के माध्यम से प्रेमचन्द और निराला ने किया। शुक्ल जी ने आलोचना के माध्यम से रूढ़िवादिता का विरोध किया, वह चाहे अपने देश की रूढ़िवादिता हो अथवा पष्चिम की। 'उन्होंने बाह्य जीवन और जगत् की वास्तविकता के आधार पर नये साहित्य–सिद्धान्तों की स्थापना की और नई इतिहास–दृष्टि विकसित की।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी जैसे आलोचना के महापंडित की आलोच्य दृष्टि के प्रस्तार को एक लेख में समेटपाना संभव ही नही कल्पनातीत है। हाँ, किसी भी आलोचक का मूल्य इस दृष्टि से लक्षित किया जा सकता है कि उसने अपने बाद की आलोचना को किस सीमा तक और किस रूप में प्रभावित किया है। आचार्य षुक्ल इस दृष्टि से निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ आलोचक हैं। उनके बाद के लगभग सभी आलोचकों ने उनके महत्व को स्वीकारा है।

सन्दर्भ :

1. हिन्दी आलोचनाः बीसवीं शताब्दी– डॉ0 रेवती रमण, अभिव्यक्ति प्रकाशन–इलाहाबाद, संस्करण प्रथम 2002, पृ0 12
2. भारतीय एवं पाष्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिन्दी आलोचना– डॉ0 रामचन्द्र तिवारी, संजय बुक सेन्टर, वाराणसी, पृ0 193
3. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास– डॉ0 बच्चन सिंह, राधाकृष्ण प्रकाषन नई दिल्ली, पृ0 390–91
4. रस–मीमांसा आचार्य शुक्ल– सं0 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ना0प्र0स0।
5. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना– डॉ0 रामविलास शर्मा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ0 34
6. हिन्दी आलोचना, बीसवीं शताब्दी ,पृ0सं0 13
7. 'कविता क्या है' चिंतामणि भाग एक, आचार्य शुक्ल, ना0प्र0स0, पृ0 92
8. काव्य में अभिव्यंजनावाद, चिंतामणि भाग–2 ,पृ0सं 189
9. काव्य में अभिव्यंजनावाद, चिंतामणि भाग–2 ,पृ0सं 309
10. साभार हिन्दी आलोचना, बीसवीं षताब्दी, पृ0सं 33

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 9-11

भारतीय संस्कृतियों में शिक्षा और तप

डॉ0 स्वाती मिश्रा*

*असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास विभाग), श्री रामचन्द सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहटी सरैया, अयोध्या, उ0प्र0

प्राचीन काल के आचार्यों ने शिक्षा, तपस्या चिन्तन आदि के लिए वनस्थली के मनोरम वातावरण को ही उपयुक्त चुना था। महर्षि वाल्मीकि जो अरण्य निवासी थे, ने अरण्य में ही रामायण की रचना की थी और उसको लव–कुश को कण्ठस्थ भी कराया था।[1] शिक्षा के लिये भी तत्कालीन गुरू जिसे जैसा समझते थे, वैसा ही अध्ययन कराते थे। लव–कुश में यह विशेषता थी कि वे दोनो भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे।[2] उनका स्वर बहुत मधुर था।[3] धारणा शक्ति अद्भुत था।[4] गान्धर्व विद्या, संगीतशास्त्र के मर्मज्ञ स्थान और मूर्च्छना के जानकार तथा गंन्धर्वों के समान मनोहर रूपवाले थे।[5] इन उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि अरण्य में प्रत्येक प्रकार की विद्याएं सिखायी जाती थी। आजकल की विद्या पद्धति न थी जिसमें हर प्रकार की विद्या प्रत्येक पढ़ एवं सीख सकें, बल्कि गुरू जिसे जिस विद्या के लिए उचित समझता था, उसे उसी प्रकार की अनुमति प्रदान करता था। यह अधिकार आचार्यों के स्वतः प्रदान था। उसकी इच्छा के विरूद्ध कोई विद्यार्थी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था। तत्कालीन समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करते थे और वह सांस्कृतिक सभा साधुओं की होती थी जिसके बीच शिष्यगण अपनी कण्ठस्थ की हुई विद्या को सुनाया करते थें।[6] कभी–कभी प्रसन्न होकर गुरू अपने शिष्यों को प्रोत्साहन स्वरूप आर्शीवाद भी देते थे। इसी प्रकार की सभा में लव–कुश नें रामायण का गान करके सुनाया था जिसमें संतुष्ट होकर सभी ने कलश, वल्कल वस्त्र तथा मृगचर्म भेंट किया तथा किसी ने यज्ञोपवीत दिया था।[7]

ज्ञातव्य है कि पुरस्कार वितरण की परम्परा बड़ी प्राचीन है जिसका प्रमाण रामायण में मिलता है। रामायण गान पर लवकुश को किसी ने कमण्डल दिया तो दूसरे महामुनि ने मूंज की मेखला भेंट की तीसरे ने आसन और चौथें ने कोपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने प्रसन्न होकर कुठार अर्पित किया किसी ने गेरूआ वस्त्र किसी ने चीर भेंट किया।[8] प्रत्येक वस्तु आवश्यकता समझकर दी जाती थी इसीलिये जटा बांधने के लिए एक ने रस्सी भी दी। किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की।[9] एक अन्य ऋषि ने यज्ञपात्र दिया तो काष्ठभार समर्पित किया।[10] आचार्य अपने शिष्यों को समयानुकूल शिक्षा प्रदान करते थें। विश्वामित्र जी ने बला एवं अतिवला की शिक्षा राम को तत्कालीन आवश्यकता के लिए प्रदान किया था। ये दोनों विद्याएं राम के लिए आवश्यक थी। क्योंकि इस विद्या को ग्रहण करने से जंगली राक्षस सोते समय अथवा असावधान अवस्था में आक्रमण नहीं कर सकते थे तथा कोई बाहुबल में भी ग्रहण करने वाले की समानता नहीं कर सकता था।[11] इसके अतिरिक्त सौभाग्य चातुर्य, ज्ञान तथा वृद्धि सम्बंधी नियम और किसी प्रश्न के तत्काल उत्तर देने में भी ये दोनो विद्याएं सहायक थी।[12] अर्थात इन दोनो विद्याओं को प्राप्त कर लेने से बहुत ही लाभ था, क्योंकि बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार से ज्ञान की जननी है। तथा ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां है।[14] स्पष्ट है कि ये दोनो विद्याएं अरण्य निवासियों के लिए आवश्यक थी ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। शिक्षा स्थल गुरूओं का निवास स्थान ही होता था परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वे एक देश से दूसरे देश में भी जाते हुए पाये गये है। रामायण भी इस बात का साक्षी है कि आश्रमों के गुरूजन तथा छात्रगण सदैव एक ही स्थान में रहकर कूपमण्डूप नहीं बने रहते थे अपितु समय–समय पर शास्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए शैक्षणिक यात्राओं पर भी जाया करते थें।[15] सिद्धाश्रम के मुनि और शिष्य कौशिक कुलपति तथा कोसल राजकुमार राम और लक्ष्मण के साथ जनक के यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए सदलबल गये थें।[16] इसी प्रकार वाल्मीकि भी अपने शिष्यों सहित राम के अश्वमेघ यज्ञ में उपस्थित हुए थे, जहां लवकुश ने अपनी रामायण शिक्षा का प्रदर्शन कर ख्याति अर्जित की थी।[17] इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि शिक्षा के लिए पर्यटन भी आवश्यक होता था। उच्च शिक्षार्थ एक आश्रम या गुरू से दूसरे आश्रम या गुरू के पास जाने की वैदिक प्रथा रामयण में भी दृष्टिगोचर होती है। विश्वामित्र पहले उत्तर अंगराज मे कौषिकी नदी के तटवर्ती एक आश्रम में रहते थे, कुछ दिनों बाद वह अपना कर्मकाण्ड पूरा करने पौरोहित्य–विषयक योग्यता बढ़ाने दक्षिण पश्चिम में स्थित सिद्धाश्रम में गये थें।[18] राम को अपनी प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा सुधन्वा से मिली थी।[19] तथा उच्चतर शिक्षा विश्वामित्र से महर्षि अगस्तय से ही उन्हें कुछ प्रयोग विधि सहित नवीन शस्त्र प्राप्त हुये थे।[20]

उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि गुरू गृह ही शिक्षा केन्द्र कहलाता था। उपनिषदों में गुरूकुल के स्थान पर स्वार्थ कुल का प्रयोग किया गया है।[21] कुल शब्द अत्यन्त सार्थक और सारगर्भित था। शिष्य अपने माता–पिता के कुल से आचार्य कुल में जाकर आचार्य में पितृवृद्धि और आचार्य पत्नी में मातृवृद्धि की भावना तथा पारिवारिक वातावरण का अनुभव करता था।[22] आचार्यकुलवासी अन्तेवासी जैसे शब्दों के साथ–साथ ब्रह्मचर्यवास अर्थात गुरूकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याग्रहण करने का भी उल्लेख हुआ है। कृष्ण और बलराम ने संदीपमुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी।[23] महाकाव्यों में गुरूकुलों का सन्दर्भ मिलता है। जो शिक्षा और विद्या के महान केन्द्र थे। महाभारत में उल्लिखित है कि मारकण्डेय और कण्व ऋषि के आश्रम शिक्षा के प्रधान स्थल थे।[24] इन आचार्यों के स्थल में बहुसंख्यक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। दुर्वासा ऋषि जब कुरू नरेश से मिलने गये तब उनके साथ दस हजार शिष्य थें इन उदाहरणें से स्पष्ट हो जाता है कि गुरूकुल की महत्ता समाज में पूणतः स्थापित हो चुकी थी और द्विजों के अधिकांश बालक उन आश्रमों में शिक्षा प्राप्ति के लिये जाते थे। स्मृतियों के अनुसार छात्र गुरूकुल में रहकर विद्या ग्रहण करते थे।[25]

गुरूकुल में अध्ययन की परम्परा का ज्ञान हमें बौद्धकाल के बौद्धग्रन्थों से होता है। बौद्ध ग्रन्थें में आचार्यो के कलों का विवरण मिलता है जिससे स्पष्ट होता है कि उस युग में लोग गुरूकुल में निवास करके शिक्षा ग्रहण करते थें।[26] कोशल के सुनैन्त और सैल उस युग में अत्यन्त विख्यात थें।[27] मिथिला का ब्रहमामु वैदित्य ब्राह्मण अनेकानेक शिष्यों का आचार्य था जिसका अन्तेवासी भी उसी कोटि का विद्वान था।[28] गुप्तकाल में भी गुरूकुल की शिक्षा निर्बाध रूप से चलती रही। ब्राह्मण आचार्यो के निवास विद्यार्जन के प्रधान केन्द्र थे। कालिदास के ग्रन्थों में अनेक ऐसे आश्रमों का उल्लेख मिलता है जहाँ बौद्धिक उत्कर्ष के निर्मित्त लेाग जाते थे। शिक्षा केन्द्र के बाद शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य, स्वरूप और शिक्षा के दो माध्यम अध्यापक एवं शिष्य के प्रकार योग्यता आदि भी विचारणीय विषय है जो कि इस प्रकार है।

शिक्षा शब्द अंग्रजी भाषा के Education शब्द का हिन्दी रूपान्तर है प्राचीन ग्रन्थों में इसे शिक्षा शब्द से सम्बोधित न करके विद्या शब्द से सम्बोधित किया जाता था। शिक्षा शब्द का उल्लेख हमें तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है, जहाँ इसके विषय में कहा गया है कि वर्ण स्वर, मात्रा, बल, साम तथा सन्तान आदि जिसके द्वारा जाना जाये उसे शिक्षा कहते है।[29] डा0 अल्तेकर के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है, अपने को सभ्य और उन्नत बनाना तथा यह कार्य जीवन पर्यन्त चलता रहता है।[30] ज्ञान के बिना व्यक्ति जीवन और जगत के रहस्यों को जान पाने में असर्मथ होता है। पूर्ववैदिक काल में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व था। उस समय तक विद्या अथवा ज्ञान का समुचित महत्व स्थापित हो चुका था। इसीलिए ऋग्वेद में विद्या को मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया है।[31] विद्या और ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य श्रेष्ठ तथा उत्तम माना जाता था। प्राचीन काल में गुरूकुल में अध्ययन और अध्यापन के कई उद्देश्य होते थे। विद्यार्जन से व्यक्ति आत्मनिर्भरता को प्राप्त करता है तथा साथ ही परिवार और समाज के निर्माण में योगदान भी प्रदान करता था। मनुष्य की धार्मिक वृत्तियों का उत्थान उसके चरित्र का उत्थान उसके व्यक्त्वि का उत्थान उसके सामाजिक उत्तरदायित्वों का विभाजन तथा उसके सांस्कृतिक जीवन का उत्थान शिक्षा के प्रधान उद्देश्य थें।[32] शिक्षार्थी के विभिन्न नियम धर्ममूलक प्रवृत्तियों विकास में सहायक होते थे। इन्हीं नियमों के आधार पर विद्यार्थी लौकिक तथा परालौकिक जीवन को समझ पाने में सक्षम होता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का उत्थान भी सम्भव था। आत्मविश्वास की भावना ही व्यक्त्वि के विकास में मूल भूमिका होती है। अपने कर्मो तथा उत्तरदायित्वों को आत्मविश्वास के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। इसी कारण ब्रह्मचारी में वह आत्मविश्वास जागृत कराया जाता था कि वह भावी जीवन की भयंकर कठिनाइयों में भी स्थिर मति रख सके।[33] शिक्षा के समय ही वह समस्त कर्तव्य भलीभांति गुरू के द्वारा बता दिए जाते थे जिन्हें वह अपना उत्तरदायित्व समझकर करता था। वैदिक साहित्य की शिक्षा और उसका प्रसार शिक्षा का प्रधान आधार था। वेदों को कण्ठस्थ करना और उन्हें यत्नपूर्वक मस्तिष्क में सुरक्षित रखना तत्कालीन शिक्षार्थी का प्रधान कर्तव्य था, साथ ही आर्य संस्कृति का यह प्रधान उद्देश्य भी। वेद वेदांगों को कण्ठस्थ रखना और उन्हें सर्वदा स्मरण रखना ब्राह्मण का प्रधान धर्म था।[34] शिक्षा और शैक्षिक परिवेश दोनों से प्रभावित होकर विद्यार्थी एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण करता है। शिक्षा देने वाले को आचार्य इसलिए कहा जाता था कि वह अपने शिष्यों को आचार या चरित्र्य की भी शिक्षा प्रदान करता था। मनु के अनुसार जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार कर उसे कल्प यज्ञ विद्या तथा रहस्यों उपनिषेदों के सहित वेदशास्त्र पढ़ाता था। वही आचार्य था। मनु ने गुरूओं की कई श्रेणियां बताई है उनके अनुसार जो ब्राह्मण वेद वेदांगों शिक्षा कल्प व्याकरण छन्द आदि को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहा जाता था।

भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति में सदैव से ही आदर्श की भावना कार्य करती रही है। ग्रामों एवं नगरों की विशुद्ध भौतिक वातावरण में शिक्षा सम्भव नहीं हो सकती उसीलिए प्रकृति का मनोरम वातावरण शिक्षा का उपयुक्त स्थल समझाा जाता रहा तप और चिन्तन जो भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्रियाकलापों में अर्न्तभूत हैं इसके भी उद्गम स्थल अरण्य ही थे। भारतीय धर्मशास्त्र एवं विविध धर्मों से सम्बन्धित साहित्य इस प्रकार के साक्ष्यों से भरे पड़े हैं। देवताओं को भी विशेष तत्व के अर्जनार्थ तपश्चर्या का माध्यम अपनाना पड़ा जिसके लिए उपर्युक्त स्थल जंगल ही थे। भारतीय जीवन के आश्रम व्यवस्था में भी जीवन का तृतीय चरण वानप्रस्थी जीवन था जिसमें गृहत्याग कर वन में जाने की व्यवस्था की गयी थी। क्योंकि इस अवस्था तक पहुँचने के बाद व्यक्ति का यह कर्त्तव्य समझाा गया कि वह अपने व्यक्तिगत परिवेश से ऊपर उठकर समाज देश और मानव समाज को अपनी परिपक्व बृद्धि द्वारा एक उचित निर्दशन दें यह तभी सम्भव था जब तपश्चरण द्वारा अपने में परिष्कार लाये फिर मनन–चिन्तन के द्वारा आदर्शों एवं नैतिक मूल्यों की सर्जना कर समाज के समक्ष रखें। महाभारत, रामायण, पुराण, स्मृतियों एवं अरण्यक ग्रथों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा और तप द्वारा हमारे ऋषियों मुनियों ने जो ज्ञानार्जन शक्ति आत्मविश्वास अर्जित किया वे भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि सिद्ध हुए है। ये अमूल्य निधि और नैतिक आदर्श कालातीत सिद्ध हुए हैं जिनका आज के वैज्ञानिक युग में यथावत महत्व बना हुआ है।

सन्दर्भ :

1. काव्यं रामायणं.......चरितव्रतः रामायण 1/4/7
2. कुशीलवौ तु...........यशस्विनौः रामा0 1/4/5
3. भ्रातरो स्वरससम्पन्नो........रामा0 1/4/5
4. सन्तु मैधाविनौ दृष्ट्वा.......रामा0 1/4/6
5. भ्रातरौ स्वर............रूपिणोः रामा0 1/4/10
6. ऋषीणां च.........सुसमाहितौः रामा0 1/4/13
7. रामायण 1/4/20–21
8. कश्ति कमण्डलुं.........ददौ मुनिः रामा0 1/4/22–23
9. जटाबन्धनमन्यस्तु.............रामा0 1/4/24
10. यज्ञभाण्डभूमिः..............तथापरः रामा0 1/4/24
11. रामा0 1/22/14
12. न सौभाग्यै............... रामा0 1/22/16
13. रामा0 1/22/17
14. रामा0 1/22/19
15. डा0 शाति कुमार नानूराम व्यास.........रामायण कालीन संस्कृति पृ0 125

16. ततः प्रागुत्ल्रां गत्वा..............यज्ञवाटमुपागमत्ः रामा0 1/50/1
17. वर्तमाने तथा भूत यज्ञै च परमाद्भृतै......रामा0 1/93/1
18. अहं हि नियमाद् राम हित्वा तां समुपागतः सिद्धाश्रम मनुप्राप्तः.......रामा0 1/34/2
19. रामायण 2/100/14
20. रामायण 1/27/78
21. छान्दोग्योपनिषदोपनिषद 2/23/2–4, 4/5/1, 4/9/1, 8/15/1
22. डा0 जयशंकर मिश्र– प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पृ0सं0 436
23. विष्णु पुराण 3/10/12
24. महाभारत 3/271/48, 1/70/18
25. मनुस्मृति 2/69
26. जातक, 6, पृष्ठ–32
27. अंगुत्तर निकाय– पृ0सं0 371
28. मज्झिम निकाय 2, 133–134
29. तैत्तिरीय उपनिषद 2/1
30. डा0 अनन्त सदाशिव अल्तेकर प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति पृ0 2
31. ऋग्वेद 10/71/7
32. डा0 जयशंकर मिश्र– प्रा0 भारत का सामाजिक इतिहास पृ0 428, 431, 433
33. मनुस्मृति 2/140
34. एकदेशं ......स उच्यते॥मनु0 2/141

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 12- 14

समाज के सीमान्त वर्ग हेतु विकास बैंकिंग

डॉ0 उदय गुप्ता*
*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, निहाल श्याम कॉलेज, बरेली, उ0प्र0

सारांश : भारतीय स्टेट बैंक समाज के कमजोर वर्ग को भी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराता है। यह सेवाएँ सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं। सरकार ने सामाजिक परिवर्तन लाने के एक उपकरण के रूप में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अर्थव्यवसायी को सुदृढ़ धरातल पर जगाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास हो। भारतवर्ष में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी के दानव से छुड़ाने हेतु ठोस कार्यक्रमों की अवश्यकता थी। भारत सरकार ने विभिन्न अवसरों पर निर्धनता उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम लागू किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न तरीकों से निर्धनता का उन्मूलन करना है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम : चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं से क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है। इन योजनाओं को प्रारम्भ के समय कृषि व्यवसाय पर आश्रित परिवारों के आर्थिक विकास को ही दृष्टिगत रखा गया था। तदुपरान्त परिवारों के चयन का आधार कृषि स्त्रोतों के आधार पर निर्धारित न होकर परिवार की वार्षिक आय को बनाया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए सम्पूर्ण देश में 02 अक्टूबर 1980 से एकीकृत ग्राम विकास योजना चलायी गयी, जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष बड़ी संख्या मे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के बैंकों से ऋण तथा शासन से अनुदान उपलब्ध कराकर आर्थिक दृष्टि से उत्पादक परिसम्पत्तियाँ उपलब्ध करायी गयी। यह योजना केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजना थी। योजना में होने वाले व्यय का वहन केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता था। यह योजना देश के समस्त विकास खण्डों में चलायी जा रही थी। वर्ष 1999 से इसे स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना में समाहित कर दिया गया। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे निवास करने वाले लघु–सीमान्त कृषक/कृषक मजबूर, ग्रामीण शिल्पी, अन्य मजदूरों को चिन्हित कर निर्धनतम को प्राथमिकता देते हुए उनके उपलब्ध संसाधन को आर्थिक रूप से उपादेय बनाने हेतु पूरक अनुदान एवं ऋण सहायता देकर उनकी आर्थिक आय को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का परिवारों के चयन व आर्थिक कार्यकलापों के निर्धारण में ग्राम पंचायतों को अहम भूमिका दी गयी थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 सहायक योजनाएँ भी संचालित थीं जो निम्नलिखित हैः

1.स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण योजना : देश की बढ़ती हुयी ग्रामीण बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से वर्ष 1979–80 से देश के समस्त विकास खण्डों में स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण की योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण व अंचलों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के युवकों, जिनकी आयु सामान्यतः 18 से 25 वर्ष के बीच हो, अल्पकालीन प्रशिक्षण देकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित उचित उद्योग धंधों एवं व्यवसायों तथा सेवाओं में रोजगार दिलाया जाना था ताकि वह स्वतः या सवेतन रोजगार में स्थापित हो सकें। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 60 हजार युवाओं को विभिन्न व्यवसायों तथा विद्युत मैकेनिक, वेल्डिंग, पम्पसेट मरम्मत, हैंडपम्प मरम्मत, रेडियो–टी0वी0 मरम्मत, साईकिल मरम्मत, फोटोग्राफी आदि व्यवसायों में 3 से 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में उनको कार्य आरम्भ करने के लिए बैंकों से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती थी।

2.ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास : यह समग्र विकास का एक सहकार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना है। ग्रा0 क्षे0 म0 ब0 वि0 एवं स0 ग्रा0 वि0 का विकल्प नहीं है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समूह क्रियाकलाप जैसे– अचार बनाना, पापड़ बनाना, हस्तशिल्प आदि को भी प्रोत्साहित किया जाता है एवं उद्यम हेतु मूलभूत सुविधाओं के लिए रूपये 15,000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है।

3.पारिवारिक ऋण योजना : समग्र विकास के अन्तर्गत पारिवारिक ऋण योजना एक ऐसा उपाय है जो सग्राविका के अन्तर्गत विहित मानदण्डों में एक सग्राविका परिवार के एक या अधिक सदस्यों को अधिक परिणाम में निवेश करने के लिए सुनिश्चित कराना है। पारिवारिक ऋण योजना के 216 जिलों में विस्तारित किया गया है जहाँ नाबार्ड ने अपने कार्यालय खोले हैं जिनमें जिला विकास प्रबन्धक होते हैं।

4.दस लाख कुँओं की योजना : यह योजना प्रारम्भ में समन्वित/ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना थी। बाद में 01 जनवरी 1996 में इसे स्वतन्त्र योजना का रूप दे दिया गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सम्बद्ध गरीबों, छोटे और सीमान्त किसानों एवं मुक्त मजबूरों को सिंचाई हेतु खुले कुंचे निःशुल्क प्रदान करना है।

5.गंगा कल्याण योजना : यह योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों एवं सीमान्त कृषकों को व्यक्तिगत एवं समूह के रूप में सिंचाई हेतु बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बैंक अनुसूचित जाति–जनजाति तथा विकलांग लाभार्थियों के सम्बन्ध में योजना लागत का 75प्रतिशत तथा अन्य लाभार्थियों के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत ऋण प्रदान करते है।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण की सीमा : इसके अन्तर्गत ऋण हेतु कोई सीमा नहीं है। केवल आर्थिक सहायता हेतु सीमा निश्चित की गई है। ऋण लागत पर विचार किया जा सकता है। लाभार्थी द्वारा कोई मार्जिन नहीं जमा किया जाना है।

आर्थिक सहायता का संचालन : सम्पूर्ण सहायता को मद अन्य विविध देयताएँ उप मद–सम्रवियों आर्थिक सहायता आरक्षित निधि खाता के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए (ऋणी वार विवरण सहित)। आर्थिक सहायता को तभी समोयाजित करना चाहिए जब यदि उधारकर्ता निम्नलिखित न्यूनतम निश्चित अवरूद्धता अवधि हेतु खाते का रखरखाव करता हो।

सफाई कर्मचारी विमुक्ति और पुनर्वास योजना : सफाई कर्मचारी अर्थात् झाडूदार वह व्यक्ति है जो मल एवं गन्दगी की सफाई हाथों द्वारा करते हैं। उनको इस अपमानजनक कार्य में छुटकारा दिलाने एवं किसी लाभ पूर्ण उद्यम को आरम्भ करने में सहायता देने के लिए इस योजना को वर्ष 1993 में आरम्भ किया गया। यह कल्याण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना है एवं पूरे भारत के क्षेत्रों को सम्मलित किया गया है।

1. **पात्रता** : इस योजना के अन्तर्गत 15 से 50 आयु वर्ग वाले झाडूदार सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उपरोक्त आयु वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति एक इकाई के रूप में हैं एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
2. **पहचान** : हिताधिकारियों की पहचान स्थानीय स्तर समिति द्वारा की जाती है।
3. **प्रशिक्षण** : इस योजना में हिताधिकारियों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण निविष्ट हैं एवं ऋण संवितरण के पूर्व स्थानीय निकाय द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है।
4. **ऋण का उद्देश्य** : उद्योग, सेवा, व्यापार एवं कृषि हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। मार्जिन एवं सहायकी की व्यवस्था अजा/अजजा विकास निगम द्वारा की जाती है। हिताधिकारियों को मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है।
5. **प्रतिभूति** : ऋण राशि से खरीदे गये माल का दृष्टिबन्धक करना।
6. **चुकौती** : 6 महीने की ऋण पूर्व आरम्भिक छूट के बाद 3 से 7 बीच ऋण की चुकौती की जाती है।
7. **ब्याज दर** : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जैसा निर्धारित स्तर दर पर ब्याज प्रसारित किया जाता है। रू0 6500 तक के ऋण हेतु विभेदक ब्याज दर प्रभारित किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना : यह कार्यक्रम चुने हुए स्थानों पर 2 अक्टूबर 1993 से आरम्भ किया गया एवं 1.4.1994 से इसे समस्त क्षेत्रों में विस्तारित कर दिया गया एवं शि0 बे0 यु0 स्व0 (शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना) का इस कार्यक्रम में विलय कर दिया गया।

1. **समन्वयकारी एजेन्सी** : जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र, जिसका प्रधान महाप्रबन्धक होगा, इस कार्यक्रम का समन्वय करेगा।
2. **हिताधिकारियों की पहचान** : हिताधिकारियों की पहचान का कार्य टास्क फोर्स द्वारा होगी। टास्क फोर्स द्वारा होगी। टास्क फोर्स में अध्यक्ष महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, सचिव अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं बैंक और सरकारी अधिकारी सदस्य के रूप में होगी।
3. **पात्रता** : ऋणी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की आयु रूपये 24,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, कक्षा 10 उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना चाहिए, क्षेत्र (जिला) में 3 वर्षों से स्थाई निवास, इससे पूर्व कोई ऋण व सहायकी प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
4. **सामान्य दिशा निर्देश** :

- सहायकी को शून्य ब्याज पर सावधि जमा के रूप में रखा जाता है। ब्याज प्रभारित करने के लिए शुद्ध ऋण राशि को सहायिका को छोड़कर हिसाब में लिया जाना चाहिए।
- इस योजना के अन्तर्गत समूह उद्यमों को वित्तीय सहायता अनुमत हैं बशर्तें वह सब इसके लिए पात्र हों।
- किसी सम्पार्षिक प्रतिभूति या अन्य पक्ष की गारण्टी नहीं ली जानी चाहिए किन्तु यदि ऋण राशि रू0 50,000 से अधिक हो तो यह आवश्यक है कि कुछ स्थाई आस्तियाँ तैयार की जानी चाहिए, जिसे मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जा सकता है।
- ऋण संवितरण से पूर्व जिला उद्योग के द्वारा ऋणी को 2 से 3 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ऋण की चुकौती हेतु न्यूनतम 36 महीनों की चुकौती अवधि निश्चित की जाती है। उत्पादन पूर्व 6 माह की आरम्भिक छूट दी जाती है।
- उद्योग, सेवाओं एवं व्यापार क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियाकलाप जैसा कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है एवं कृषि के अन्तर्गत औद्योगिक अन्मुख क्रियाकलाप इस योजना के अन्तर्गत मान्य है।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना : शहरी मामले एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 सितम्बर 1997 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना आरम्भ की गई है। इसे स्वर्ण जयन्ती शास्त्री रोजगार योजना भी कहा जाता है। स्वर्ण जयन्ती शास्त्री रोजगार योजना निम्नलिखित 3 चरणों या उपयोजनाओं में विभक्त है:

1. नेहरू रोजगार योजना जिसमें निम्नलिखित तीन घटक है : मजदूरी नियोजन का उपबन्ध, गृह एवं आश्रम अन्नयन के जरिये नियोजन का उपबन्ध और शहरी व्यष्टि उद्यम योजना।
2. निर्धन हेतु शहरी मूल सेवाएं।

3. प्रधानमंत्री समन्वित शहरी निर्धन उन्मूलन कार्यक्रम।

वैयक्तिक शहरी निर्धन हिताधिकारी को लाभपूर्ण स्व–नियोजन उद्यम स्थापित करने हेतु सहायता हिताधिकारी अन्य नियोजन एवं अनियोजित शहरी युवक जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे हो और जिनकी शैक्षणिक योग्यता नवीं कक्षा तक हो, इसके लिए पात्र होंगें। यह कार्यक्रम सेवाओं, फुटकर व्यवसाय एवं विनिर्माण से सम्बन्धित छोटे उद्यमों के स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है विशेषकर उन शहरी क्षेत्रों में जहाँ इनकी सम्भावनाएँ अत्यधिक है। शहरी क्षेत्रों में उन शहरी निर्धन महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है जो समूह में स्वनियोजन उद्यम स्थापित करने का निश्चय करती है। कोई भी आर्थिक गतिविधि, जो उनके कौशल सीखने एवं स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल हो का चयन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत रू0 1,25,000 की सहायकी या प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिशत उस समूह जिसमें कम से कम 10 सदस्य हों को देने का प्रावधान है। समूह को प्रोत्साहित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए ताकि वह एक मितव्ययी और ऋण समिति के रूप में स्थापित हो सकें। तब यह समूह/मितव्ययी/ऋणी समिति रू0 25,000 का एकमुश्त अनुदान के लिए पात्र हो जाएगें जिससे कच्ची सामग्री, मूलभूत आवश्यकताओं आदि की खरीद हेतु प्रति सदस्य रू0 1000 की दर से एक परिक्रामी निधि प्राप्त होगी।

स्व0ज0शा0रो0यो0 हेतु समान्य दिशानिर्देश : सामुदायिक संगठनकर्ता, विशेष रूप से महिला, सरकार द्वारा या तो नियोजित या अनुबन्ध आधार पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता, इस योजना के अन्तर्गत पहचान किए करीब 2000 परिवारों की देखभाल करेगा। कस्बे स्तर पर प्रोजेक्ट अधिकारी, जिला स्तर पर जिला सहकारी विकास एजेन्सी एवं राज्य सरकार पर शहरी विकास एजेन्सी इस योजना का प्रबन्ध करेगा। हिताधिकारियों की पहचान, कस्बा शहरी निर्धनता अन्मूलन कक्ष, शहरी स्थानीय निकायों के मार्गदर्शन से सामुदायिक विकाससमितियों द्वारा की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत किसी परिवार की पात्रता हेतु आर्थिकोत्तर मानदण्ड उसकी (क) निर्वाह निर्वाह दशा–छत, फर्श एवं जल (ख) स्वच्छता प्रबन्ध (ग) शिक्षा का स्तर (घ) नियोजन का प्रकार (ड) घर के बच्चों की हैसियत आदि पर विचार किया जाएगा। जो परिवार कम सहुलियतों/सुख सुविधाओं वाले होंगे उन्हें प्रत्येक मानदण्ड हेतु शारित अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। महिला हिताधिकारी 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी, अ0जा0/अ0ज0ज0 जनसंख्या में अनुपातिक आधार पर एवं विकलांगता हेतु 3 प्रतिशत का विशेष उपबन्ध है।

सन्दर्भ :

1. डंके, डब्ल्यू0सी0; लघु उद्योग एवं बैंक के मूल्य
2. माथुर, वी0एस0; सहकारिता
3. सिंह, डॉ0 सुदामा; भारतीय अर्थशास्त्र
4. कुलश्रेष्ठ, आर0एस0; औद्योगिक अर्थशास्त्र
5. सुन्दरम, के0पी0एम0; भारतीय अर्थशास्त्र
6. वी0के0आर0वी0 रॉय; अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ ढाँचा
7. राय, के0 दिनकर एवं कावेरी; वी0एस0 लघु उद्योग की प्रगति

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 15-17

रामाश्रयीय रामायण

राजीव कुमार*
*शोध छात्र, वि0वि0 संगीत एंव नाट्य विभाग, ल0ना0मि0 वि0, दरभंगा, बिहार

सारांश : साहित्य में जब भी कोई बड़ी रचना हुई है उसका प्रारंभ बहुत छोटी जगह से हुआ है। ऐसी रचनाएँ प्रकाश–स्तंभ या मील का पत्थर कही जा सकती है, जो भी रचनाएँ रची जाती रही है, उनके लेखकों ने अपनी ओर से अपना कुछ नामकरण भी किया है। यह नामकरण उस रचनाकार के मानसिक धरातल पर उभरा हुआ एक चित्र ही होता है, जिसे समष्टि रूप में व्याख्यायित करने के लिए एक शब्द के रूप में चुन लिया जाता है, जिसे साहित्य में शीर्षक कहा जाता है।
मुख्य शब्द : रचनाकार, नामकरण, मानसिक धरातल, साहित्य, व्याकरणिक अन्वय आदि।

शीर्षक किसी रचनाकार का सम्पूर्ण अभिव्यंजन होता है। तात्पर्य यह कि लेखक का सम्पूर्ण लेख मात्र एक शब्द से ही इंगित हो जाए वह शीर्षक के उपयुक्त होता है। जैसे बिना सिर का शरीर, अस्पृश्य या अकर्मण्य होता है उसी प्रकार शीर्षक के बिना कथ्य और तथ्य अकथ्य हो जाते हैं। शीर्षक शब्द का व्याकरणिक अन्वय भी कुछ इसी प्रकार का होता है–शीर्षं (शिरः) करोति इति शीर्षकः। जो सम्पूर्ण का प्रतिमान कर दे वह शीर्षक कहलाता है। इस दृष्टि से महावाग्गेयकार स्व0 पं0 रामाश्रयीय 'रामरंग' रचित संगीत रामायण का शीर्षक स्वयं रामरंग जी ने ही कर दिया। अर्थात्, रामचरित पर आधारित ग्रंथ का नाम उन्होंने 'संगीत रामायण' दिया। इस शीर्षक से ही यह झलक जाता है कि प्रस्तुत ग्रंथ संगीतमयी रामकथा है। प्रसंगानुसार राग और बंदिशों का वैविध्य इसमें देखने को मिलता है। जो अन्यत्र कहीं देखा नहीं गया, इस दृष्टि से यह अपने आप में अभूतपूर्व रचना है। इस रामायण का अनुशीलन करने से यह भी मालूम हो जाता है कि संगीत के बहाने रामचरित का गायन अथवा रामचरित गायन के बहाने से संगीत का प्रस्फुटन दोनों ही फल प्राप्त हुए हैं। यह लेखकीय विचार है। उन्होंने अपने संगीत पुस्तक का नाम अपने मुताबिक रखा। इसी क्रम में यदि कोई अवान्तर शोधार्थी, जिज्ञासु, अन्वेषी, गवेषक आदि इस ग्रंथ का या यूँ कहिये कि सम्पूर्ण रामरंग संगीत वाड़0मय का यदि अपने कलम से लेखन करे या चित्रण करें तो इस ग्रंथ का अपने शब्द में शीर्षक देना पड़ जाता है। बिना शीर्षक दिये ग्रंथ के साथ न्याय नहीं हो सकता। इस तरह मेरी दृष्टि में इसका कुछ अन्य ही नाम होना चाहिए। जैसे– आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण बाल्मीकीय कहा जाता है। व्याकरण का अन्वय कुछ इस प्रकार दिया गया है।

बाल्मीकिना कृतं इदं रामायणम् – बाल्मीकीय रामायणम्।

इस दृष्टि से पं0 झा जी के द्वारा रचित संगीत रामायण का अन्वय कुछ इस प्रकार होना चाहिए।

रामाश्रयेण कृतं इदं रामायणम् – रामाश्रयीय रामायण।

मेरी समझ में मेरे लिखने के लिए मेरे शब्दों के द्वारा 'रामाश्रयीय रामायण' ही ज्यादा तर्कसंगत लगता है। इस उद्देश्य में मैंने इस ग्रंथ का उल्लेख यत्र–तत्र 'रामाश्रयीय रामायण' के नाम से ही किया है। इसमें पूर्वाग्रह ग्रस्तता नहीं है और न ज्यादा यशोगान। यह नाम मात्र अपनी सुविधा के लिए है। तथा अवान्तर पाठकों के लिए भी ताकि उन्हें भी इस साहित्य से भ्रांति न हो। शेष पाठकों पर भी निर्भर है कि एक शब्द से सम्पूर्ण रामायण का अवबोध हो जाय। इसी अवबोधन के लिए मैंने रामरंग संगीत रामायण को रामाश्रयीय रामायण कहा है।

रामचरित का सबसे पहला गायन आदिकवि महर्षि बाल्मीकि ने किया बाद में अनेक भक्तों ने इसी रामायण को आधार मानकर अपनी–अपनी बुद्धि व विवेक के अनुसार अनेक रामायण कृतियों की रचना की है। जैसे– आध्यात्म रामायण, कृत्तिवास बंगला रामायण, मैथिली रामायण, कम्ब रामायण, साकेत इत्यादि अनेक रामायण ग्रंथों का आर्विभाव हुआ। परन्तु इन सभी ग्रंथों में महर्षि बाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस प्रमुख है। बाल्मीकीय रामायण से भी रामचरित मानस का सामाजिक प्रयास ज्यादा कहा है। स्व. विद्वान संत स्वामी करपात्री जी महाराज का कहना था कि आज की विषम परिस्थिति में भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में 'रामचरित मानस' का अभूतपूर्व योगदान है।[1]

जैसे रामचरित मानस में प्रारंभ 'व' अक्षर से किया गया है और समाप्ति भी 'व' अक्षर से हुआ है। उसी प्रकार 'रामाश्रीय रामायण' का प्रारंभ 'प' अक्षर से हुआ है और 'प' से ही समाप्त किया गया है। यह भी खोज का विषय हो सकता है। अनेक संगीतकारों का मत है कि पंचम स्वर की श्रुतियाँ सप्तक की पहली श्रुति से लेकर आखिरी श्रुति के ठीक बीच में होती है। जो सप्तक में लगने वाली सभी श्रुतियों को आपस में पिरोने का कार्य करती है। इसलिए पंचम स्वर पूर्व भाग और पर भाग दोनों को अन्वित करने में पूर्ण समर्थ है। यह स्वर उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों रूप में प्रकट होता है। सभी रसों का श्रोत बिन्दु है। षडज का अर्द्धांग है और सप्तक का सम्पूर्णांग। इसलिए यह स्वर इस ग्रंथ के आदि में और अंत में प्रयुक्त हुआ है। तथ्य जो भी है इतना सत्य है कि 'प' कार से प्रारंभ होकर 'प' कार से ही अंत होना अपने आप में आश्चर्य चकित कर देता है। इस ग्रंथ के निवेदन में स्वयं गंथकार ने लिखा है।

इसी 'रामचरित मानस' के आधार पर मारूतिनन्दन श्री हनुमान जी की कृपा से इस 'संगीत रामायण' की रचना हुई है। इसमें 'रामचरित मानस' की भांति ही श्री गणेश वंदना एवं श्री गुरू वंदना तथा विभिन्न देवी, संतों, असंतों की वंदना के साथ प्रत्येक काण्ड के प्रत्येक प्रसंग को ध्रुपद एवं ख्याल गायन शैली में अनुबंधित किया गया है तथा 'प' अक्षर से प्रारंभ करके 'प' अक्षर पर ही समाप्त किया गया है और अंत में संगीत रामायण की आरती भी लिखी गई है।[2]

'रामाश्रयीय रामायण' में कुल 249 रागों का अवतरण है तथा इन रागों में कुल 358 बंदिशें लिखी गई हैं और इस प्रकार इस ग्रंथ का पर्यवसान होता है। इस अभूतपूर्व 'संगीत रामायण' ग्रंथ में महात्मा तुलसीदास के 'रामचरित मानस' को आधार मानकर सातों कांडों के प्रत्येक प्रसंग को ध्रुवपद और ख्याल गायन शैली में काव्य–बद्ध किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी रचनाएँ शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों और तालों में निबद्ध है।[3]

विद्वान लेखक स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंह ने स्वरचित पुस्तक में एक बार लिखा था– झा जी की गायकी बहुआयामी है– उसमें पाण्डित्य तो सर्वोपरि है ही उसके साथ ही रसांद्रता तथा प्राविधिक वैशिष्ट्य का ऐसा निरूपण है कि सुनने वाले विमुग्ध हो जाते हैं। स्थाई–अन्तरे के भराव और कहन के साथ ही वह रागछवि को मूर्त्त कर देते हैं, फिर तो श्रोताओं से उनका ऐसा संवाद होता है कि दोनों एक–दूसरे पर निछावर हो जाते हैं।[4]

जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही श्रद्धा से विनम्रतापूर्वक रामचरित मानस का प्रणयन किया है उसी प्रकार विनम्र श्रद्धान्वित होकर इन्होंने भी संगीत रामायण की रचना की। तुलसीदास जी का रामचरित मानस सात कांडों में विभक्त है। उसी प्रकार रामाश्रय झा जी का रामायण भी सात कांडों में विभक्त है। जन्म से लेकर विवाह पर्यन्त की कथा बालकांड में निहित है। लगभग वही सारा प्रसंग रामाश्रयीय रामायण में भी वर्णित है। जैसे– गणेश वंदना, अन्य देवताओं की वंदना, संत–असंत का वंदन सहित श्रीराम के आविर्भाव का चित्रण तुलसीकृत रामायण में है। ठीक उसी तरह रामाश्रयीय रामायण के बाल कांड में भी गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, शिव स्तुति, श्रीराम की वंदना, श्रीराम का जन्म, नामकरण, बाल–लीला, अहिल्या–उद्धार, विवाह–प्रसंग, वाटिका प्रसंग, धनुष–यज्ञ प्रसंग से लेकर माता जानकी की विदाई तक के प्रसंग का वर्णन है। पं0 झा ने अपने अनोखे अंदाज में श्रीराम जन्म प्रसंग का चित्रण 'राम भीम पलासी एक ताल (मध्य–लय) में इस प्रकार किया है–

राग–भीमपलासी–एकताल (मध्यलय):

स्थाई– शुभ दिन शुभ घड़ि प्रगट भये कृपाल,कौशिला के हितकारी।

अन्तरा– दोउ कर जोरे जननी निहोरे,धरिये बाल रूप हरि भक्तन सुखकारी।।[5]

इसी तरह धनुष यज्ञ में देश–देश के भूपालों का पराजय पंडित श्री झा जी ने राग भूपाली में प्रस्तुत किया है जो तीनताल में निबद्ध है–

राग–भूपाली–त्रिताल (मध्यलय):

स्थाई– हारे–हारे हारे भूप सब,शिव धनु काहू न टारे।

अन्तरा– निरखि विदेह हिये अकुलाने सुमिर सिय बिलखाने,बीर बिहीन भई धरनी कहि रोष नरेश प्रचारे।।[6]

विवाह प्रसंग के बाद जानकी जी की विदाई का भी प्रसंग मर्म को छू लेने वाला है। इसमें भी विदाई को पंडित जी ने राग जोगिया में आबद्ध किया है जो मध्यकाल तीन ताल में निबद्ध है।

राग–जोगिया–त्रिताल (मध्यलय):

स्थाई– जनकपुर ते जब जानकी चली,मातु–पिता परिजन की मानहु मुरझी प्राण की कली।

अन्तरा– सुक सारिका कहहिं कहं जानकी, जानकी परम सनेही,भये बिराग विहीन विदेह विदाई निरखि वैदेही,''रामरंग'' जीवन मूरि जिमि चली।।[7]

तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस और रामाश्रयीय रामायण में एक–सी पद्धति देखने को मिलती है। फर्क इतना है कि रामचरित मानस में सुगम साहित्य और रामाश्रयीय रामायण में संगीत साहित्य है। वह भगवान का साकार विग्रह है तो झा जी के रामायण में निराकार विग्रह साकार हो उठा है।

अयोध्या कांड में राजभंग और वनगमन का प्रसंग है, वही सारे प्रसंग रामाश्रयीय रामायण में भी आए हैं। इस प्रसंग में भरत जी का चित्रकूट जाकर श्रीराम से पादुका लेकर पुनः अयोध्या आने का मार्मिक चित्रण पंडित झा जी ने रामाश्रयीय रामायण में किया है। यह राग भीमपलासी तीन ताल में निबद्ध है।

राग–भीमपलासी–त्रिताल (मध्यलय):

स्थाई– भरत उठि राम मनावन चले, कुल गुरू सहित मातु सुचि सेवक परिजन साथ लिए।

अन्तरा– राम सखा निषाद संग पहुँचे, चित्रकूट नियरे,करि विनती बहु भांति राम पद,पावरि लय बहुरे, बसे नन्दि गाँव के छाँ तले।।[8]

अरण्य कांड में भगवान से ऋषि–मुनियों की मुलाकात, सीता–मारीच का प्रसंग, सीता–हरण, इत्यादि प्रसंग रामचरित मानस की तरह ही इसमें भी आए हैं। रामचरित मानस आदि साहित्यकार है तो ये भगवान का संगीतकार स्वरूप है। अरण्यकांड में सीता हरण के बाद गृद्ध–राज जटायु एवं राक्षस–राज रावण के बीच द्वन्द्व–युद्ध का वर्णन है, जिसे पंडित झा जी राग नायकी कान्हड़ा में स्वरबद्ध किया है। यह बंदिश झपताल में निबद्ध है।

राग–नायकी कान्हड़ा – झपताल:

स्थाई– गरजि पुकारे खग, सुनु दससीस सिख तजि जानकी कुशल,धर जाहु रे बावरे।

अन्तरा– मैंनाक–मेरू ज्यों, दोऊ भिरे तमकि काटेसि पंख परा,धरनी खग धाय रे।[9]

अरण्यकांड के अंत में जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम और गृद्धराज जटायु दोनों के मिलन का मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत किया है। ठीक वैसे ही पंडित रामाश्रय झा रामरंग ने रामाश्रयीय रामायण के अरण्यकांड के अंत में भगवान राम और जटायु के मिलन का बड़ा रसपूर्ण सांगीतिक चित्रण किया है। इस प्रसंग को उकेरने के लिए उन्होंने कई रागों का आलंबन किया है। इस प्रसंग का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि भक्त और भगवान के बीच की प्रीति बाहर झांकने लगती है। अरण्य कांड के अंत में शबरी

प्रसंग भी वर्णित है। शबरी के बाद नारद मिलन प्रसंग भी है। संगीत रामायण के प्रथम भाग में मूलतः यहीं तक की कथा उल्लिखित है। इसके बाद संगीत रामायण का दूसरा भाग प्रारंभ होता है। संगीत रामायण के इस भाग में चार कांड समेटे गए हैं। इनमें किष्किन्धा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड सम्मिलित है।

रामाश्रयीय रामायण का उत्तर कांड जिसे सप्तम सोपान कहा गया है। इस कांड की प्रमुख घटना श्रीराम का राज्याभिषेक ही है। इसके अतिरिक्त रामराज्य का वर्णन भगवान के द्वारा प्रजा का उद्‌बोधन प्रमुख रूप से वर्णित है। रामचरितमानस में काक–भुसुंडि–प्रसंग भी दे दिया है। किन्तु रामाश्रयीय रामायण में यह प्रसंग अवर्णित है। एक खास बात और है कि संगीत रामायण के प्रारंभ से लेकर पूर्णाहुति तक की तिथि वर्णन भी सप्तम सोपान के अंतिमावयव में चित्रित है। सप्तम सोपान की अंतिम बंदिश राग तिलक कामोद तीनताल मध्यकाल में संगीत रामायण की आरती भी छन्दोबद्ध है। इस सम्पूर्ण संगीत काव्य कलेवर को देखने से प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में साहित्यिक चेतना भी रही है, सांगीतिक चेतना भी रही है और धार्मिक चेतना भी रही है। इन सबों के साथ यदि सम्यक रूप से संगीत का अवलोकन किया जाए तो अपने आप में यह एक सम्पूर्ण सांगीतिक महाकाव्य है। उसी तरह सम्पूर्ण रामचरित को अपने में समेटे रहने के चलते इसमें महाकाव्यीय गुण भी समाहित हो गए बावजूद इसके यह अपने आप में एक धार्मिक ग्रंथ भी है जिसका धर्म–क्षेत्र में भी अपना एक अलग स्थान है।

सन्दर्भ :

1. रामरंग पंडित रामाश्रय झा (लेखक), डॉ0 रामशंकर (संकलन एवं संपादन), रामरंग संगीत रामायण भाग–1, निवेदन।
2. रामरंग पंडित रामाश्रय झा (लेखक), डॉ0 रामशंकर (संकलन एवं संपादन), रामरंग संगीत रामायण भाग–1, निवेदन।
3. पं0 रामाश्रय झा अंक, संगीत, अगस्त, 2003, प्रधान सम्पादक, डॉ. लक्ष्मीनारायण गर्ग, पृ.017.
4. सिंह गजेन्द्रनारायण (लेखक), डॉ0 रामशंकर (संकलन एवं संपादन), रामरंग संगीत रामायण भाग–1, बालकांड, पृ0 72
5. रामरंग पंडित रामाश्रय झा (लेखक), डॉ0 रामशंकर (संकलन एवं संपादन),रामरंग संगीत रमायण भाग–01, बाल कांड पृ0 72
6. रामरंग पंडित रामाश्रय झा (लेखक), डॉ0 रामशंकर (संकलन एवं संपादन), रामरंग संगीत रामायण, भाग–01 बालकांड, पृ0 118
7. रामरंग पंडित, रामाश्रय झा (लेखक), डॉ0 रामशंकर (संकलन एवं संपादन) रामरंग, संगीत रमायण, भाग–01, बालकांड, पृ0 138
8. रामरंग पंडित रामाश्रय झा (लेखक), डॉ0 रामशंकर (संकलन एवं संपादन), रामरंग, संगीत रामायण भाग–01, अयोध्याकांड, पृ0 164
9. रामरंग पंडित रामाश्रय झा (लेखक), डॉ0 रामशंकर (संकलन एवं संपादन), रामरंग संगीत रामायण, भाग–01, अरण्यकांड, पृ0 187

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 18-19

वर्ण विन्यास वक्रता और महाकवि कालिदास के काव्यों में उसका निरूपण

डॉ0 नित्या पाण्डेय*

*असि0 प्रो0 संस्कृत विभाग, राजेन्द्र प्रसाद तारा चन्द महाविद्यालय, निचलौल, महराजगंज, उ0प्र0

वक्रोक्ति सिद्धान्त के संस्थापक आचार्य कुन्तक भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख आधार स्तम्भ है। अपनी मौलिक प्रतिभा और प्रखर मेधा के द्वारो उन्होने काव्य के मूल सिद्धान्तों के सर्वथा नवीन रूप में पुनराख्यान किया और वक्रोक्ति को काव्य के जीवित रूप में स्थापित किया। आचार्य कुन्तक नें वक्रता के मुख्यतः छः भेंदों को प्रस्तुत किया और बताया कि प्रत्येक की विच्छित्ति से सुशोभित अनेक भेद हो सकते है। कुन्तक ने कविता के विवेचन का प्रथम अवयव वर्ण को ही माना है इसीलिए वर्ण विन्यास वक्रता को ही वक्रोक्ति का प्रथम भेद माना है–

वर्णानां विन्यासो वर्ण विन्यासः।[1] कुन्तक के अनुसार जहाँ पर वर्णों को उनके सामान्य प्रयोग करने के ढंग से भिन्न रमणीय ढंग द्वारा विन्यास किया जाता है जिसके कारण उनका वह विन्यास सहृदयों को आहलादित करने में समर्थ हो जाता है ऐसे स्थलों में वर्ण विन्यास वक्रता होती है कुन्तक ने इस वर्ण विन्यास का प्रथमतः पांच भेद करके प्रत्येक के कई प्रभेद किए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता का प्रथम प्रकार वहाँ होता है जहाँ स्वल्प व्यवधान से एक दो या बहुत से व्यन्जनों के निबन्धन द्वारा सौन्दर्य प्रस्फुटित होता है–**एकौ द्वौ बहवो वर्णा बध्यमाना पुनः पुनः**।[2] **स्वल्पान्तरास्त्रिया सोक्ता, वर्ण विन्यास वक्रता**।।

वर्ण विन्यास वक्रता के इस प्रथम भेद के भी कुन्तक नें तीन प्रभेद किए है। प्रथम भेद वहाँ होता है जहाँ एक ही व्यंजन अत्याल्पान्तर से उपनिबद्ध होकर वक्रता उत्पन्न करे, द्वितीय वहाँ जहाँ दो व्यंजन अत्याल्पान्तर से उत्पन्न होकर उत्पन्न करें और तीसरा वहाँ जहाँ दो से अधिक व्यंजनों का उपनिबन्धन बार–बार उपनिब्द्ध होकर वक्रता उत्पन्न करे। **यथा–वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थ प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ**।।[3] वर्ण विन्यास वक्रता का द्वितीय भेद वहाँ होता है जहाँ– **वर्गान्तयोगिनः स्पर्शा द्विरूक्तास्त–ल–नादयः। शिष्टा च रादि संयुक्ताः प्रस्तुतौचित्यशोभिनः**।।[4]

इस द्वितीय प्रकार के वर्ण विन्यास वक्रता के भी तीन भेद होते हैं और इन तीनों ही भेदों में यह आवश्यक है कि इनका निबन्धन परिमित व्यवधान से हो। **स्वल्पान्तराः परिमित व्यवहिता इति सर्वेषाममिसम्बन्धः**।[5]

महाकवि कालिदास के काव्यों में वक्रता का यह भेद सर्वत्र दृष्टिगत होता है–**वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति व्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्रयन्ति**।[6] **नद्यो घनामत्तगजावनान्ताः प्रियाविहिताः शिखिनः प्लवङ्गा** ।।

वर्णविन्यास वक्रता का तृतीय भेद वहाँ होता है जहाँ कहीं अर्थात् वाक्य के किसी भी अंश में बिना व्यवधान के भी एक या सम्मिलित दो या दो से अधिक व्यंजनों का विन्यास हृदयावर्जक लगता है–**क्वचिद्व्यवधानेऽपि मनोहरि निबन्धना। सा स्वराणामसारूप्यात परां पुष्णाति वक्रताम्**।।[7]

वक्रता के इस भेद महाकवि कालिदास के काव्यों में से एक सुन्दर उदाहरण दृष्टव्य है–**सुभग सलिलावगाहाः पाटलसंसर्गिसुरभि वन वाताः**।[8] **प्रच्छाय सुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः**।। कारिका में अपि (भी) शब्द का प्रयोग हुआ है जिसके अनुसार कहीं कही व्यवधान होने पर भी यह वर्ण विन्यास वक्रता सम्भव है–**यथा–असौ शरण्यः शरणोन्मुखानामगाद्यसत्तवोमगध प्रतिष्ठः**।।[9] यहां श, र एवं ण वर्ण का य वर्ण के व्यवधान से पुनः पुनः निबन्धन हुआ है। इस वर्ण विन्यास वक्रता के चतुर्थ भेद प्रकार के सम्बन्ध में कुन्तक कहते है कि–**नातिनिर्बन्धविहिता नाव्यपेशल भूषिता**।[10] **पूर्वावृत्त परिव्यागनूतना वर्तनोज्जवला**।। अर्थात् वर्ण विन्यास का वैचित्य न तो अत्यन्त आयस और न ही कठोर वर्णों से अलंकृत होना चाहिए अपितु पहले बार बार आवृत्त किए गये वर्णों के परित्याग एवं नवीन वर्णों की आवृत्ति से सुाशेभित होने वाली वर्णविन्यास का निबन्धन करना चाहिए इसमें वर्णों की आवृत्ति स्वाभाविक होनी चाहिए अन्यथा वाच्य तथा वाचक में परस्पर स्पर्धित रूप साहित्य सहभाव का विच्छेद हो जाता है। महाकवि कालिदास सुकुमारमार्गी है। **सुकुमाराभिद्यः सोऽयं येन सत्कवयो गताः**।[11] मार्गेणोत्फुल्ल कुसुमकानेनेव शट पदाः।। सुकुमारमार्ग से जो कुछ भी वक्रोक्ति का संयोग होता है, वह प्रतिभाजन्य अर्थात् कवि की शक्ति से ही समुल्लिसित होता है न कि आहार्य जैसे कैसे भी प्रयत्नपूर्वक विरचित–**यत् किंनापि वैचित्यं तत्सर्व प्रतिभोद्भवम्। सौकुमार्य परिस्पन्दस्यन्दि यत विराजते**।।[12]

इस प्रकार कालिदास के काव्यों में ऐसी वक्रता सर्वत्र विराजमान है जो कवि की प्रतिभा से ही उत्पन्न हुआ है। यहां पूर्वावृत्त वर्णों के परित्यागपूर्वक नवीन वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति से वर्ण विन्यास वक्रता समुल्लसित हो उठी है– **युद्धाय धावतांधीरं वीराणामितरेतम्। वैतालिकाः कुलाधीशा नामान्यलमुदाहरन**।।[13]

यहां पुर्वार्ध में य्, ध्, त, एवं र् वर्णों की आवृत्ति कराकर पुनः उत्तरार्ध में ल्, क्, एवं न वर्णों की आवृत्ति कराने में पूर्वावृत्त के त्याग एवं नवीन के पुनः पुनः विन्यास होने से अपूर्व वक्रता सम्पुष्ट हो रही है वर्ण विन्यास वक्रता का पाँचवा प्रकार वहाँ होता है जिसके आदि, मध्य अन्त या अन्य किसी नियत स्थान पर एक, दो या अनेक समान श्रुति वाले वर्णों के व्यवहित या अव्यवहित उपनिबन्धन में दिखाई दिया करता है, जिसका अर्थ भिन्न भिन्न हुआ करता है जो शीघ्र वाक्य के अर्थ का समर्पक प्रसाद गुण युक्त सुकुमार पदो से विरचित यमक नामक कोई भेद देखा जाता है। पूर्वोक्त वर्ण विन्यास वक्रता किसी दूसरी शोभा का अभाव होनें से कुन्तक द्वारा इसका अधिक विस्तार नहीं किया गया है–**समानवर्णमन्यार्थे प्रसादि श्रुतिपेशलम्। औचित्ययुक्तमाधादि नियत स्थानोशभियत्**।। **यमकं नाम कोऽप्यस्याः प्रकारः परिदृश्यते**।[14] **स तु शोभान्तराभावादिह नाति प्रतयन्ते**।।

कुन्तक नें इस यमक रूप भेद को वर्णविन्यास वक्रता का ही एक भेद स्वीकारना समुचित समझा इसके उदाहरण स्वरूप कुन्तक नें शिशुपाल वध चतुर्थ सर्ग एवं रघुवंश महाकाव्य के वसन्त वर्णन को प्रस्तुत किया। महाकवि ने वैसे तो नवम् सर्ग के प्रारम्भ से लेकर 45वें श्लोक तक लगातार यमक का प्रयोग किया है परन्तु वसन्त ऋतु का वर्णन 26वें श्लोंक से लेकर 45वें तक है। महाकवि कालिदास के काव्यों में ऐसे यमक अप्रत्यल विरचित हैं–**अलिभिरंजन विन्दुमनोहरैः कुसुपंगिक्तनिपातभिरिंकतः।**[15] **न खलु शोभयति स्म वनस्थली न तिलकस्तिलकः प्रमदामिवा।।**

यहाँ तिलक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है किन्तु भिन्नार्थक है। प्रथम 'तिलक' का अर्थ है माथे पर लगाने वाले काजल का काला बिन्दु है और दूसरे 'तिलक' का अर्थ जंगल में पाये जाने वाले तिलक का वृक्ष है। अतः यहाँ यमक रूप वर्ण विन्यास वक्रता है। इस प्रकार कुन्तक ने इसी वर्ण विन्यास वक्रता के अन्तर्गत अन्य आचार्यो द्वारा स्वीकृत अनुप्रास के सभी भेदों को भी समाहित कर लिया है– **एतदेव वर्ण विन्यास वक्रत्वं चिरन्तनेत्वनुप्रासः इति प्रसिद्धम्।।**[16] यह वर्ण विन्यास वक्रता माधुर्यादि गुणों का एवं सुकुमारादि मार्गों का अनुवर्तन करने वाली एवं प्राचीन आचार्यो को भी समाहित करनें वाली कही गयी है–**वर्णच्छायानुसारेण गुणमार्गानुवर्तिनी।**[17] **वृत्ति वैचित्ययुक्तेति सैव प्रोक्ता चिरन्तनै।।**

इस प्रकार कुन्तक नें वस्तुतः वर्ण विन्यास के सभी प्रसिद्ध प्रयोंगों अनुप्रास के समस्त भेदों सुकुमारादि मार्गों माधुर्यादिगुणों उपनागरिका आदि वृत्तियों यमक एवं यमकाभास आदि सभी का अन्तर्भाव वर्ण विन्यास वक्रता के अन्तर्गत कर लिया है और वक्रता का यह भेद महाकवि कालिदास के काव्यों में सहजता से प्राप्त हो जाता है

सन्दर्भ :

1. वक्रोक्ति जीवितम्
2. वक्रोक्ति जीवितम् 2/1
3. रघुवंश 1/1
4. वक्रोक्ति जीवितम् 2/2
5. तदेव 2/2 वृत्ति
6. ऋतुसंहारम् 2/19
7. वक्रोक्ति जीवितम् 2/3
8. अभिज्ञान शाकुन्तलम् 1/3
9. रघुवंश 6/21
10. वक्रोक्ति जीवितम 2/4
11. वक्रोक्ति जीवितम 1/39
12. वक्रोक्ति जीवितम 1/28
13. कुमारसम्भवम् 16/3
14. वक्रोक्ति जीवितम 2/6,7
15. रघुवंश 9/41
16. वक्रोक्ति जीवितम 2/1 वृत्तिभाग
17. वक्रोक्ति जीवितम 2/5

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 20-22

राजनीतिक स्थितियों पर रघुवीर सहाय का चिन्तन

डॉ0 रोहित*
*प्रवक्ता, हिन्दी, राजबहादुर पी.जी. कालेज, गुलालपुर, जौनपुर, उ0प्र0

कवि जो कि समाज का अतिशय जागरूक व्यक्ति है उसका सबसे बड़ा धर्म होता है कि समाज में जैसा भी घट रहा है उसे वह अपनी कविताओं के माध्यम से दुनिया के सामने रखें कवि समाज का एक आईना होता है, जिसे अपने समाज की स्थिति और राजनीतिक स्थिति को समाज के सामने लाना होता है। सन् 1960 ई0 के बाद की कविता के केन्द्र में राजनीति की अनिवार्य स्थिति दिखाई देती है मनुष्य की नियति को संचालित करने वाली राजनीति बीसवीं सदी के प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को झकझोरती है। ऐसे समय में एक जिम्मेदार कवि राजनीति के द्वारा प्रभावित न हो ऐसा संभव ही नहीं है। 1960 ई0 के बाद की कविता राजनीतिक व्यवस्था को लेकर विद्रोह, असंतोष और जुझारूपन की स्थितियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगीं। कवियों की इस अनिवार्य प्रवृत्ति को लक्ष्य कर 'अशोक वाजपेयी' ने लिखा है–''राजनीति का दबाव इतना आक्रामक और तीव्र होता गया है कि उससे बचना वयस्क कविता के लिए मुमकिन नही रह गया है। समकालीन सच्चाई, राजनीति कर्म, इच्छा और तथ्यों से उलझी सच्चाई है, और बिना राजनीति से दो–चार हुए उसका साक्षात्कार अधूरा और अप्रमाणिक रहेगा। राजनीति से सुरक्षित संसार, इच्छित संसार है, अतीत–जीवी या भविष्यत् संसार है समकालीन संसार नहीं, जिसे चरित्रार्थ करने के लिए कविता नयी कविता, अगर उसकी मूल प्रतिज्ञाएँ अभी भी सही हैं, प्रतिश्रुत हैं। राजनीति से अछूता काव्य संसार कलात्मक ढंग से सार्थक हो सकता है, स्वायत्त भी, पर मानवीय ढंग से समृद्ध और तत्कालीन नहीं।''[1] एक कवि की क्या भूमिका राजनीति में होनी चाहिए इस प्रश्न पर 'नेमिचंद्र जैन' ने इस प्रकार से कहा है–''कवि सीधे राजनीतिक संसार की रचना भले ही न करता हो पर जो भी संसार वह कविता में रचता है, वह यदि सार्थक है तो राजनीति के अनुभव से और उसी के औजारों से बना हुआ संसार होता है। सारी सार्थक कविता किसी–न किसी स्तर पर परिवेश से आदमी के संबंध को, आदमी–आदमी के संबंध को, अपने–आप से आदमी के सबंध को, नए सिरे से परिभाषित करती है, जो राजनीति से बचकर और बाहर रहकर नहीं किया जा सकता। एक पूरे लंबे दौर में हम एक गलतफहमी में पड़े रहें कि राजनीति के संसर्ग से कविता भ्रष्ट हो जाती है।[2] उनकी कविताओं में राजनीति अपने पूरे परिवेश के साथ उभरी है। स्वतंत्रता के बाद के मोहभंग के इस कटु सत्य की ओर संकेत करते हुए तथा संसद की स्थिति का बड़े साहस के साथ चित्रांकन करते हुए कवि कहता है–

''टूटते टूटते ,
जिस जगह आकर विश्वास हो जाएगा कि,
बीस साल
धोखा दिया गया
वहीं मुझे फिर कहा जायेगा
विश्वास करने को
पूछेगा संसद में भोलाभाला मंत्री
मामला बताओ हम कार्रवाई करेंगे
हाय–हाय करता हुआ हाँ–हाँ करता हुआ
हें–हें करता हुआ
दल का दल
पाप छिपा रखने के लिए एक जुट होगा
जितना बड़ा दल होगा
उतना ही खायेगा देश को।''[3]

'डॉ0 नन्दनवल किशोर' ने उपर्युक्त कविता के बारे में लिखा है–

''स्पष्टतः इन पंक्त्तियों में नागरिक अधिकार में नागरिक अधिकार, संसदीय जनतंत्र और दक्षिणपंथी से लेकर वामपंथी रजानीतिक दल–इन सबों का एक स्वर में विरोध किया गया है। यह 'स्थायी रूप' से विरोध पक्ष में रहने की 'राजनीति' है जो पूँजीवादी जनतंत्र में सीमित नागरिक अधिकारों के महत्व, संसदीय प्रणाली की उपयोगिता और वामपंथी दलों की भूमिका को समझने से इंकार करती है।''[4]

कवि ने भारतीय संसद का यथार्थ चित्र अपनी कविताओं में खींचा है। कवि संसद की गरिमा को आज के नेता किस प्रकार से ठेस पहुँचा रहे हैं, इस बात पर भी सभी का ध्यान खींचा है। संसद, जो लोकतंत्र को कायम रखने के लिए सबसे प्रतिनिधि संस्था है, हिन्दुस्तान में ज्यादातर गैर जिम्मेदार और भ्रष्टाचारी प्रतिनिधियों से भरा है। कवि आगे कहता है कि स्वभावतः अधिकतम प्रतिनिधि शोषक शासक दल के हैं, जिनके पूर्वाग्रह और मूर्खताओं के बीच जनता के सही प्रतिनिधि की आवाज दबा दी जा रही है जो कि शर्मनाक है–

''सेना का नाम सुन देशप्रेम के मारे

मेजें बजाते हैं
सभासद भद भद भद कोई नहीं हो सकती
राष्ट्र की
संसद एक मंदिर है
जहाँ किसी को द्रोही कहा नहीं जा सकता
दूध पिये मुँह पोंछे आ बैठे जीवन दानी गोद–
दानी सदस्य तोंद सम्मुख धर
बोले कविता में देश प्रेमलाना हरियाना प्रेम–
लाना आइस्क्रीम लाना है''[5]

कवि का लोकतंत्र में आस्था होने के कारण रोज–रोज मरते हुए मतदाता की समस्याओं, उसकी चिन्ताओं को अपने काव्य में वाणी दी है। यह उनकी कविताओं के केन्द्र में है। परम्परा से हटकर उनकी कविताओं की विषय–वस्तु की ओर इशारा करते हुए 'कोई एक और मतदाता' शीर्षक कविता में वे कहते हैं–

''कितना अच्छा था छायावादी
एक दुख लेकर वह एक गान देता था
कितना कुशल था प्रगतिवादी
हर दुख का कारण पहचान लेता था
किताना महान था गीतकार
जो दुख के मारे अपनी जान लेता था
किताना अकेला हूँ मैं इस समाज में
जहाँ सदा मरता है एक और मतदाता''[6]

कवि ने अपने समय की परिस्थितियों को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया है तथा उसे बड़े ही साहस के साथ अपनी कविताओं का विषय बनाया है। नेहरू युग के खोखलेपन–उनके समय में देश की खराब स्थिति, लोगों के मोहभंग तथा उस युग में भी साधारण मनुष्य की असुरक्षा को व्यक्त करता हुआ कवि कहता है–

''दूर राजधानी से कोई कस्बा
दोपहर बाद छटपटाता है
दूसरे दिन कौन कौन बतायेगा कि वह कहाँ गया
एक फटा कोट एक हिलती चौकी एक लालटेन
दोनों, बाप मिस्तरी और बीस बरस का नरेन
दोनों पहले से जानते हैं पेंच की मरी हुई चूड़ियाँ
नेहरु–युग के औज़ारों को मुसद्दीलाल की सबसे बड़ी देन
अस्पताल में रीज छोड़कर आ नहीं सकता तीमारदार
दूसरे दिन कौन बतायेगा कि वहा कहाँ गया।''[7]

उपर्युक्त पंक्तियों की अत्यंत विस्तार से व्याख्या करते हए 'सुरेश शर्मा' जी ने लिखा है कि–

''रघुवीर सहाय नेहरु युग के भ्रम और खोखलेपन का बयान तो करते ही हैं, इसके साथ ही व्यवस्था के निरंतर मनुष्य विरोधी होते चले जाने की सूचना भी देते हैं, जो हमें एक अप्रत्याशित दहशत की दुनिया में ले जाती है। 'आत्महत्या के विरुद्ध' कविता की संरचना इस तरह की है कि कवि बार–बार अन्याय और घुटन की स्थितियों से निकल कर वहाँ लौटता है जहाँ उसके अपने लोग हैं''[8]

रघुवीर सहाय की कविताओं में संसद, व्यक्ति, संस्था,दल, सत्ताधारी नेताओं का जन विरोधी चरित्र तथा देश का भ्रष्ट लोकतंत्र सामने आ जाता है। कवि ने सबकी बखिया उधेड़कर रख दी है। कवि ने लोकतंत्र के नेताओं के भ्रष्ट चरित्र, ढोंग, राजनीतिक अवसरवाद, स्वार्थ, भाई–भतीजावाद, जातिवाद फैलाने वाले नेताओं तथा उनके दुमुँहे चरित्र को अपनी कविताओं में बेनकाब किया है। उनकी कविताओं के कुछ उद्धरण द्रष्टव्य हैं–

''नाम कहा तक याद रखूँ
लोगों को उनकी तोंद से जानता हूँ''[9]
''राष्ट्रसंघ को महासंघ का यह संदेश है
जब मिलो तिवारी से
हँसो क्योंकि तुम भी तिवारी हो
जब मिलो शर्मा से हँसो क्योंकि वह भी तिवारी है
जब मिलो मुसद्दी से
खिसियाओ
जॉत पॉत से परे
रिश्ता अटूट है

राष्ट्रीय झेंप का''[10]

कवि ने संसदभवन को ध्यान में रखते हुए 'नयी हँसी' शीर्षक कविता लिखी थी। क्योंकि आज जो भी संसद की कुर्सी पर आसीन रहता है वो केवल अपने बारे में ही सोचता है। जनता के पैसे से चुन कर जाने वाले नेता केवल अपनी जेब भरते हैं व जनता की जेब खाली–

''महासंघ का मोट अध्यक्ष
धरा हुअ गद्दी पर खुजलाता है
उपस्थ सर नहीं
हर सवाल का उत्तर देने से पेश्तर
बीस बड़े अख़बारों के प्रतिनिधि पूछें
पच्चीस बार
क्या समाजवाद
कहे महासंघ पति पचीस बार हम करेंगे विचार
आँख मारकर पचीस बार वह हँसे
वह पचीस बार हँसे बीस अखबार''[11]

आज जो मतदाता की स्थिति भारत जैसे देश में हो गयी है उससे वे बहुत अधिक चिंतित से दिखते है। उनका मानना है कि मतदाता का इस देश में केवल वोट देने का ही अधिकार रह गया और कुछ भी नहीं और नेता जी का काम है वादा करना–

''पाँच दल आपस में समझौता किये हुए
बड़े–बड़े लटके हुए स्तन हिलाते
जाँघ ठोंक एक बहुत दूर देश की
विदेश नीति पर
हौंकते डौंकते मुँह नोचे लेते हैं
अपने मतदाता का''[12]

सन्दर्भ :

1. घुवीर सहाय की काव्यानुभूति और काव्यभाषा, में उद्धृत फिलहालः अशोक वाजपेयी–कविता और राजनीति : पृ0–64
2. रघुवीर सहाय की काव्यानुभूति और काव्यभाषा, में उद्धृत इन्द्रप्रस्थ भारती, कृष्णदत्त पालीवाल के 'सामायिक कविता और सर्जनात्मक आलोचना के नये आयाम, शीर्षक लेख': पृ0–64
3. आत्महत्या के विरुद्ध : 'एक अधेड़ भारतीय आत्मा' रघुवीर सहाय पृ0 79
4. रघुवीर सहाय की काव्यानुभूति और काव्यभाषा, में उद्धृत कविता की मुक्तिः डॉ0 नन्दकिशोर नवल, पृ0 24
5. आत्महत्या के विरुद्ध 'फिल्म के बाद चींख', पृ0 28
6. आत्महत्या के विरुद्ध 'कोई एक और मतदाता', पृ0 73
7. आत्महत्या के विरुद्ध 'एक और मतदाता', पृ0 73
8. रघुवीर सहाय का कवि कर्म–डॉ0 सुरेश शर्म, पृ0 41
9. आत्महत्या के विरुद्ध 'शराब के बाद सवेरा', पृ0 61
10. आत्महत्या के विरुद्ध 'नयी हँसी', पृ0 69
11. आत्महत्या के विरुद्ध 'नयी हँसी', पृ0 68
12. आत्महत्या के विरुद्ध 'फिल्म के बाद चींख', पृ0 29–30

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 23-25

वृहत्कल्पसूत्रभाष्य में वर्णित आर्थिक जीवन

डॉ0 हरेन्द्र प्रताप सिंह*
*प्रवक्ता (प्राचीन इतिहास), राज बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुलालपुर, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : भारत सदा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि ही लोगों के आय का मुख्य स्रोत था। कृषि उत्पादन से जहाँ एक ओर लोग अपनी आवश्यक आवश्यकतायें पूरी करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें विनिमय कर अपनी अन्य जरूरतें पूरी करते थे तथा उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। कृषि के अतिरिक्त लोग तरह–तरह के उद्योग–धंधे, वाणिज्य–व्यापार आदि करते थे। अहिंसा का कठोरता से पालन करने के कारण जैन समुदाय के लोग कृषि कार्य कम करते थे क्योंकि इस पेशे में हिंसा की ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए प्राचीन काल से ही और आज की जैनी उद्योग और व्यापार जैसे कम हिंसा वाले पेशे अपनाये हुए हैं। लेकिन प्रस्तुत ग्रन्थ चूँकि निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों के जीवन–व्यापार से संबंधित है इसलिए उसमें आर्थिक जीवन से संबंधित लगभग हर तरह की सामग्री निहित है।

कृषि योग्य भूमि को ''खेत्त'' कहते थे।[1] खेत को दस प्रकार के परिग्रहों में गिना जाता है।[2] खेती योग्य भूमि बनाने के लिए जंगलों को जलाकर साफ किया जाता था।[3] भूमि पर राजा का स्वामित्व था क्योंकि उसे पृथ्वी का स्वामी कहा गया है।[4] वन्य पशुओं से फसलों की रक्षा हेतु बाड़ बनाये जाते थे।[5] फसलों की सुरक्षा करने के लिए कृषक बलिकायें ''टिट्टि'', चिल्लाकर जानवरों को भगाया करती थी।

कृषि उपकरण :''बृहत्कल्पभाष्य'' में हल, कुदाल और हंसियां जैसे कृषि उपकरणों का उल्लेख प्राप्त होता है।[6] अन्न की फसल काटने पर खलिहान में धान्य तथा भूसे को अलग करते समय बैलों द्वारा उसके मर्दन तथा गाहन करने में सहायता ली जाती थी।[7] धान्य पकने के कार्य को सूप्पनिष्फाव कहा जाता था। स्वच्छ करने के पश्चात अनाज को सम्बाहपल्लग,[8] मुख[9] आदि संग्रहालयों में रखा जाता था। इस काल की एक प्रमुख फसल गन्ना या ईख थी, जिसको पेरकर गुड़ अथवा शक्कर बनाने के लिए कृषिक एक प्रकार के यन्त्र का प्रयोग करते थे, जिसे ''कोल्हू'' कहा जाता था।[10] उसमें यंत्रपीडन नामक एक उपकरण यंत्र का नाम भी दिया है। जिसके द्वारा गन्ना, सरसों आदि पेरे जाते थे और जिसकी गणना 15 कर्मदानों में की गई है।[11] ''बृहत्कल्पभाष्य'' में हल की तीन कोटियां बतायी गयी हैं– हल, कुलिय, और दन्तालक।[12] इनमें कुलिय सम्भवतः घास काटने वाला एक काष्ठ औजार था, जिसकी लम्बाई लगभग दो हाथ थी और जिसके सिरे पर लोहे की धारदार कील लगी होती थी, और इसका प्रयोग सौराष्ट्र में किया जाता था।[13]

सिंचाई : उस समय कृषि अधिकांशतः वर्षा पर ही निर्भर थी। सिंचाई के कुछ कृत्रिम साधनों का भी उल्लेख मिलता है। जलवायु तथा प्राकृतिक स्थिति के अनुसार अलग–अलग स्थलों पर सिंचाई के अलग–अलग साधन थे। सिंचाई के प्राकृतिक एवं कृत्रिम इन दो जल स्रोतों के आधार पर खेत भी दो भागों में बंटे हुए थे– केतु और सेतु[14]। सेतु क्षेत्रों को रहट आदि कृत्रिम जल साधनों से सींचा जाता था, जबकि सेतु में वर्षा जल से ही पर्याप्त धान्योत्पत्ति संभव थी।[15]

''बृहत्कल्पभाष्य''[16] में उल्लेख है कि लाट देश में वर्षा से सिन्धु देश में नदी से, द्रविण देश में तालाब से, उत्तरापथ में कुओं से, डिम्भरलेक में महिरावण की बाढ़ से खेतों की सिंचाई की जाती थी। काननद्वीप में नावों पर धान रोपे जाते थे। वर्षा के जल से कृषि करने वाले प्रदेश ''देवमा तृक'' नदी के जल से सिंचाई करने वाले प्रदेश ''नदीमातृक'' या ''अदेवमातृक'' एवं बिना सिंचाई के ही धान्योत्पादन करने वाले समुद्रीप्रदेश ''प्रकृति'' मातृक कहलाते थे।[17] जहाँ इनमें से कोई भी प्राकृतिक साधन उपलब्ध नहीं होते थे, वहाँ तालाब आदि के कृत्रिम जल से सिंचाई की जाती थी।[18]

कृषि उत्पादन :''बृहत्कल्पभाष्य'' में सत्रह प्रकार के धान्यों का उल्लेख हुआ है– गेहूं (गोधूम), यव (जब), शालि (सालि), बीहि (विहि), सटिव्यासाठी (सटिव्या), कोद्रव (कोदों), मक्का (अणया), बाजरा, तिल, मूंग (मुद्ग) माष (मास), अलसी (अतसि)[19], इक्षु (इक्खू), तूवर (तुवरी), मटर, चणक (चना), सण (सन)[20] अन्न एवं तिपुट।[21]

चावल : शालि की मुख्य तीन प्रजातियों में ''कलमशालि'' एवं ''गन्धशालि'' का नाम लिया गया है।[22] उस समय प्रचलित धान्यों में चावल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था।[23] प्राचीन भारत में चावल (शालि) की खेती बहुतायत से होती थी। कलमशालि[24] पूर्वीय प्रान्तों में पैदा होता था। इसकी बलि देवी–देवताओं को दी जाती थी।[25] ''रक्तशालि'', ''महाशलि'' और ''गन्धशालि''[26] चावल की दूसरी बढ़िया किस्में थीं। संवाध (अथवा संवाहं) भी एक प्रकार का कोठार ही होता था जिसे पर्वत के विषम प्रदेशों में बनाया जाता था। किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें ढोकर ले जाते थे।[27]

घर के बाहर जंगलों में धान्य को सुरक्षित रखने के लिए फूस और पत्तियों के बुंगे (बलय) बनाये जाते थे और इसके अंदर की जमीन को गोबर से लीपा जाता था।[28] अनाज के गोलाकार ढेर को पुंज और लम्बाकार ढेर को राशि कहते थे।[29] दीवाल (भित्ति) और कुड्य से लगाकर ढेर बनाये जाते थे, इन्हें राख से अंकित कर, ऊपर से गोबर लीप दिया जाता था।[30] वर्षा ऋतु में अनाज को मिट्टी अथवा बांस (पल्ल) के बने हुए कोठों (कोट्ठ) बांस के खम्भों (मंचों) पर बने हुए कोठों अथवा घर के ऊपर बने हुये कोठों (माला) में रक्खा जाता था, द्वार पर लगाये जाने वाले ढक्कन को गोबर से और फिर उसे चारों तरफ से मिट्टी से पोत

दिया जाता था। तत्पश्चात् उसे रेखाओं से चिन्हित कर और मिट्टी की मोहर लगाकर छोड़ दिया जाता था।[31] इसके सिवाय कुम्भी, करभी[32] का भी उल्लेख मिलता है। चावल के छांटने का उल्लेख ''बृहत्कल्पभाष्य'' में नहीं मिलता है। समसामयिक अन्य जैन ग्रन्थों के अनुसार चावलों को ओखली में छोड़ दिया जाता था, और उनको मलकर साफ कर लिया जाता था।[33]

गन्ना : चावल की भांति गन्ना (उच्छू) भी यहाँ की मुख्य फसल थी। गन्ना कोल्हुओं (महाजन्त, कोल्लुक)[34] में पेरा जाता था। इन स्थानों को यंत्रशाला (जंतशाला)[35] कहा गया है। ईख के खेत को सियार खा जाते थे। उनसे बचाने के लिए खेत का मालिक खेत के चारों ओर खाईं खुदवा दिया करता था।[36] पशुओं और राहगीरों से रक्षा करने के लिए खेत के चारों ओर बाड़ लगा दी जाती थी।[37]

कपास : सूत की फसलों में कपास (कप्पास, फलही) सबसे मुख्य थी।[38]

विविध मसाले : ''बृहत्कल्पभाष्य'' में विविध प्रकार के मसालों का उल्लेख है जो भोजन को सुस्वादु करने के काम आते थे। मुख्य रूप से वर्णित मसालों[39] में हल्दी (हरिद्रा), लौंग, मिर्च (मरिया), अदक (श्रंगवेर), लहसुन, मिर्चा (पिप्पली), हींग, जीरा, कुपुम्भरी, पिण्डहरिद्रा एवं सरसों उल्लेखनीय है।

पशुपालन : प्राचीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण धन माना जाता था, तथा गाय, बैल, भैंस और भेड़ और राजा की बहुमूल्य सम्पत्ति गिनी जाती थी। ''बृहत्कल्पभाष्य'' में पशुओं के समूह को व्रज (वय), गोकुल और संगिल्ल कहा गया है। एक ब्रज में दस हजार गायें रहती थीं।[40] बैलों को हलों में जोतकर उनसे खेती की जाती थी और रहट में जोतकर खेतों की सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकाला जाता।[41] उन्हें माल से भरी गाड़ी में जोतते, चाबुक से हांकते, दाँतों से पूछ काट लेते और आरी से मारते थे। ऐसी हालत में कभी अड़ियल बैल जुए को छोड़ अलग हो जाते थे जिससे गाड़ी का माल नीचे गिर पड़ता था।[42]

गोपालन पर विशेष ध्यान रक्खा जाता था। आमीर (अहीर), गाय–भैंसों को पालते–पोसते थे। इनके गांव अलग होते थे।[43] ग्वाले ध्वजा लेकर गायों के आगे चलते और गायें उनका अनुसरण करतीं।[44] दूध से दही और नवनीत बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है।[45] गाय अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती और व्याघ्र आदि से संत्रस्त होने पर भी अपने बछड़े को छोड़कर नहीं भागती थी।[46] ''निशीथचूर्णि'' से ज्ञात होता है कि उस समय हाथियों का नल (एक तृण), और इक्षु, भैंसों को कोमल पत्तियां, घोड़ों को हरिमन्थ (काला चना), मूंग आदि तथा गायों को अर्जुन आदि खाने के लिये दिये जाते।[47] गाय, बैल और बछड़े गोशालाओं (गोमंडप) में रक्खे जाते थे फिर भी चोर (कूटग्राह) गोशालाओं में से रात के समय चुपचाप पशुओं की चोरी कर लेते थे।[48] ''निशीथचूर्णि'' में पशुओं की चिकित्सा के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं।[49] भेड़ के ऊन से और ऊंट के बालों से जैन साधुओं के रजोहरण तथा कम्बल बनाये जाते थे।[50]

वाणिज्य और व्यापार : जैन धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग व्यापारी थे और आज भी, इसलिए प्रस्तुत धर्म–ग्रन्थ में एतद्विषयक विपुल सामग्री प्राप्त होती है। ये प्रसंग श्रमण–श्रमणियों के संदर्भ में आये हैं जो वर्षावास के बाद आठ महीने धर्मयात्रा करते हैं। धर्मयात्रा के दौरान उनका संपर्क अनेक व्यापारिक संगठनों, सार्थवाहों, निगमों आदि से होता था। अतः भाष्यकार ने इनकी विस्तृत चर्चा की है।

सन्दर्भ :

1. बृ0क0भा0 वृत्ति, भाग–2, पृ0 263।
2. बृ0क0भा0, भाग–2, गा0 825।
3. वही, भाग–5, गा0 489।
4. वही, भाग–3, गा0 489।
5. वही, भाग–1, पीठिका गा0 789।
6. बृ0क0भा0, भाग–1, पीठिका गा0 77।
7. बृ0क0सू0भा0, भाग–2, गा0 1091।
8. बृ0क0सू0भा0, भाग–2, गा0 1092।
9. बृ0क0भा0, भाग–2, गा0 10।
10. बृ0क0भा0, भाग–1, पीठिका गा0 575।
11. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3468।
12. बृ0क0भा0, वृत्ति, भाग–1, पृ0 79 निशीथचूर्णि में भी इन उपकरणों का उल्लेख है– मधुसेन, ए कल्चरल स्टडी आफ निशीथचूर्णि, पृ0 194।
13. मधुसेन, वही, पृ0 194।
14. बृ0क0भा0, भाग–1।
15. बृ0क0भा0, भाग–2, गा0 890।
16. बृ0क0भा0, भाग–1, पीठिका गा0 39।
17. बृ0क0भा0, भाग–2, गा0 826।
18. कच्चिद्राष्ट्रे तड़ागानि पूर्णनि च महान्ति च। भगाशी विनिविष्टानि न कृषिर्देवमादतका।– महाभारत, सभापव्र, 47.9 तथा 5.67।
19. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3342।
20. बृ0क0भा0, वृत्ति, भाग–2, पीठिका गा0 828।
21. बृ0क0भा0, भाग–2, गा0 926–27।
22. बृ0क0भा0, भाग–2, पृ0 926–27।
23. आचारांगसूत्र, 2.1.370, पृ0 771।
24. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3398।
25. बृ0क0भा0, भाग–2, गा0 1212।
26. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 330। वृत्ति पृ0 3397।
27. बृ0क0भा0, भाग–2, गा0 1092।
28. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3298।
29. जगदीशचन्द्र जैन, जैन–आगम साहित्य में भारतीय समाज, पृ0 122।
30. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 331।
31. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3394–95, निशीथसूत्र, 17.124 में कोठी (कोठिया) का उल्लेख है।
32. बृ0क0भा0, भाग–1, पीठिका गा0 10 में कुम्भी और करभी का उल्लेख है।
33. व्यवहारभाष्य, 10.23, सुत्रकृतांग, 4.2.12।
34. बृ0क0भा0, भाग–1, पीठिका गा0 575, उत्तराध्ययनसूत्र 19.53।
35. बृ0क0भा0, भाग–1, पीठिका गा0 380।
36. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3468।
37. बृ0क0भा0, भाग–1, पीठिका गा0 729।

38. बृ0क0भा0, भाग–1, पीठिका गा0 24 में जंगिय, भंगिय, साणिय, पोत्तय और तिरीपट्टक नाम के पाँच वस्त्र गिनाये जाते हैं। इनमें केवल पोत्तय ही कपास से बनाया जाता था।– मधुसेन, पूर्वोक्त, पृ0 147–49।
39. बृ0क0भा0, भाग–2, गा0 1711।
40. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 4269।
41. बृ0क0भा0, टी0 भाग–2, गा0 1219।
42. बृ0क0भा0, टी0 भाग–2, गा0 1268, उत्तराध्ययन, 27. 3–4।
43. बृ0क0भा0, भाग–3, गा0 2199।
44. बृ0क0भा0, भाग–5, गा0 5202।
45. बृ0क0भा0, भाग–3, गा0 3240–89।
46. बृ0क0भा0, भाग–2, गा0 2119।
47. निशीथभाष्य, चूर्णि, 4.1638।
48. बृ0क0भा0, भाग–3, गा0 2762।
49. नि0चू0 20, पृ0 304।
50. बृ0क0भा0, भाग–4, गा0 3914।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 26-27

ग्रामीण कृषकों में विभेदीकरण

डॉ0 शिशिर कान्त यादव*

*असि०प्रो०, समाजशास्त्र विभाग, राज बहादुर पी०जी० कालेज, गुलालपुर, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश :''विकास'' की प्रक्रिया में कृषि संरचना की विभिन्न इकाईयाँ अपने अन्तर्सम्बन्धों को नियोजित और पुर्नियोजित करती रहती है। इन इकाईयों में भूमि, श्रम शक्ति, कृषि संसाधन और कृषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कृषि क्षेत्र के विकास और उसके प्रतिफल से जुड़े मुद्दों पर जो बहस चलायी जा रही है उसमें तीन प्रमुख मान्यताएं तथा विचारधाराएं उल्लेखनीय है। एक दृष्टिकोण यह है कि राष्ट्र की आर्थिक संरचना को रूपान्तरित करने के लिए औद्योगिकीकरण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके प्रतियुक्ति में, कृषि क्षेत्र सस्ते मूल्य पर देशी उत्पाद बाकी अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध करा सकता है साथ ही साथ घरेलू बाजार के निर्माण में भी सहयोग कर सकता है।

विकसित राष्ट्रों में पूँजीवादी उद्यमों की भांति वृहद् आकार के कृषि फार्मों के माध्यम से उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। इस प्रकार का रूपान्तरण, जिसमें पूर्ववर्ती धनी कृषक या बड़े भू–स्वामियों में से कुछ पूंजीपति किसान वर्ग का निर्माण करते हैं और निर्धन कृषकों में से कृषि बुर्जुआ का निर्माण होता है जिसे विभेदीकरण कहा जाता है।[1] 20वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध रूप में यह बहस प्रमुखता से की जाती रही कि क्या कृषकों में विभेदीकरण हो रहा है? शानिन (1972) का कथन है कि तथा कथित विकासशील राष्टों के लिए, जिनमें अधिकांश लोग निवास करते हैं, उपर्युक्त प्रश्न/बहस आज भी उपयोगी है।[2]

लेनिन ने अपनी पुस्तक 'रूप' में पूंजीवाद का विकास के अन्तर्गत यह प्रस्थापित किया है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास के हित में विभेदीकरण की प्रक्रिया आवश्यक है और यह गतिशील भी है। लेकिन अन्य अर्थशास्त्री, जिनमें ए०बी० चायनाब भी हैं, का कथन है कि सांख्यिकीय आंकड़े यह प्रगट करने में असफल रहे हैं कि बड़ी इकाईयों में संकेन्द्रण हो रहा है और यह कि विभेदीकरण की उपकल्पना को प्रस्थापित करने के उपयोग में लाए गए समंक कृषक परिवारों में चक्रीय गतिशीलता के विभिन्न स्वरूपों में लाए गए समंक कृषक परिवारों में चक्रीय गतिशीलता के विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट करने के उपयोग में लाए जाने चाहिए। उनका विश्वास है कि प्रघटनाएं कृषि के वृहद जोत ईकाइयों की प्रमुखता प्रगट करने में असफल रही हैं संगठन एवं उत्पादन विद्या के मूलयांकन हेतु मार्क्सवादी उत्पादक विधा व विचार के प्रवर्तकों के समकक्ष एक अन्य बहस चलायी गयी जिसे प्रसिद्धवादी सिद्धान्तकार कहा जाता है। इनका भी मत था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि क्षेत्र का विकास आवश्यक है परन्तु इसके लिए वे कृषि के पूंजीवादी रूपान्तरण के साधनों के द्वारा ही विकास को आवश्यक नहीं मानते। इसका मुख्य कारण यह था कि प्रसिद्धवादी विचारक वृहद कृषि समुदाय की आजीविका को प्रमुख समस्या के रूप में देखते हें। उक्त विभेदीकरण की प्रक्रिया में अधिकांश कृषक उत्पादक पीड़ित होंगे जैसा कि विकसित राष्ट्रों की स्थितियों से प्रगट होता है।

प्रसिद्धवादी विचारकों का मत है लघु कृषि जोत आकार बड़े जोत आकारों की अपेक्षा अधिक उत्पादक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनमें श्रम घनत्व उत्पादकता के लाभांशों को प्रभावित करता है, साथ ही साथ लघु जोत आकार कृषि उत्पादकता वृद्धि के उत्तम अभिकरण हैं। अतएव इनका मत है कि लघु कृषिकों के विकास को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए और बड़े जोत आकारों को विभाजित कर छोटे कृषकों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।[3]

शानिन(1972) का कथन है कि उपर्युक्त दोनों स्कूल के विचारक एक समान समंकों से अलग–अलग वैचारिक प्रस्थापनाएं करते हैं। प्रसिद्विवादी विचारकों के अनुसार जोत आकारों और भूमि की उत्पादकता के सन्दर्भ में प्राप्त आकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि दो में विलोम सम्बन्ध है। भारतीय सन्दर्भ में भी इस वैचारिकी को सत्यापित करने वाले अधिकांश अध्ययन किए गए हैं।[4] कृषि क्षेत्र की आर्थिक संरचना में निहित अंतर्विरोध ही विभेदीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं, सम्पत्ति के स्वामित्व की दशाओं के अनुरूप कृषकों को अलग–अलग समूहों में स्थापित कर देते हैं। कृषक समुदाय में कृषकों के विभेदीकरण को लेकर विभिन्न सैद्धान्तिक विचार प्रस्थापित किए जाते हैं। इन विचारधाराओं में चल रही बहस आज भी किसी स्पष्ट स्तरों को निर्धारित करने में एकमत नहीं हो पायी है। वर्गीय प्रभुता की विवेचना करते हुए मार्क्स यह स्पष्ट करते हैं कि वर्ग उत्पादन सम्बन्धों के एक पक्ष में हैं। वर्गों का गठन उत्पादन के अभिकरणों में निजी सम्पत्ति के स्वामित्व के अन्तर्गत व्यक्तियों के समूहों के सम्बन्धों द्वारा होता है।[5] मार्क्स पद और आय के आधार पर वर्गों की संरचना को अमान्य करते हुए उन्हें उत्पादन सम्बन्धों का प्रतिफल कहा है। फ्रांसीसी ग्रामीण समाज की वर्गीय संरचना और कृषकों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उसने यह मत प्रस्थापित किया है कि लघु जोत स्वामित्व वाले कृषक एक वृहद जनसंख्या का निर्माण करते हैं परन्तु उनके सदस्य, एक सी स्थिति में रहते हुए भी, एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्धों में आबद्ध नहीं होते।[6]

भारतीय ग्रामीण समाज में स्तरीकरण और कृषक विभेदीकरण की अलग–अलग मान्यताएं प्रस्थापित की गयी है। चायवनावादी विचारक कृषक समुदाय की अर्थव्यवस्था की विशिष्ट प्रकृति और गुणवत्ता पर बल देते हैं तो मार्क्सवादी विचारक कृषक समुदाय और उनकी अर्थव्यवस्था को वृहद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एक प्रभाग के रूप में मूल्यांकित करते हैं। कृषि उत्पादक क्रियाओं की संगठनात्मक विधाएं कृषक समुदाय में पूंजीवादी उत्पादन विधा की प्रभुता स्थापित करने में कृषकों के विभिन्न समूहों के रूप में विभेदीकृत होने की ओर इंगित करती है। मार्क्सवीद उपागम की मान्यता है कि भारत में पूंजीवादी उत्पादन विधा अधिक प्रभावशाली है। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि भूमि का स्वामित्व और किराये पर प्राप्त किए गए श्रमिकों का शोषण पूंजीवादी उत्पादन

विधा की ओर इंगित करता है जो अंततः कृषकों को विभिन्न प्रभागों में बाँट देता है। तृतीय उपागम ग्रामीण या कृषि विकास की स्थितियों से सम्बन्धित है, जिनका यह मानना है कि कृषकों का अभ्युदय राजनीतिक शक्ति के रूप में हो रहा है।[7]

वस्तुतः भारतीय कृषि समाज बहुत पद्धति मूलक समाज है। समाज के बहु क्षतिमूलक स्वरूप की मान्यता उसकी अधिसंरचनात्मक संस्थाओं के प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा करती है। स्वतन्त्रता पूर्व तक भारत की परम्परागत और अंग्रेजों द्वारा स्थापित अधिक संरचनात्मक संस्थाओं ने राष्ट्रीय उत्पाद के पुनर्वितरण तथा उपभोग में सक्रिय सामाजिक भूमिका अदा की थी, दूसरी ओर उत्पादक संचय में उनका योगदान नगण्य था। पुनर्वितरण की यह मिश्रित प्रणाली सामाजिक श्रम–विभाजन के मार्ग पर उत्पाद के संचालन की जटिलता को और भी अधिक जटिल बनाती तथा उसे प्रभावित करती थी। **19वीं** शताब्दी के मध्य में **(1953)** भारत के सन्दर्भ में मार्क्स का विचार था कि भारत में एक विशेष सामाजिक व्यवस्था, तथाकथित ग्राम व्यवस्था प्रत्येक छोटे समुदाय को स्वतंत्र संगठन तथा विशिष्ट जीवन प्रदान करती थी...... भारतीय समाज की सामाजिक–आर्थिक संरचना की स्थिरता के विषय में मार्क्स की समग्र अवधारणा की आज विधिशील स्वरूप के नये प्रमाणों द्वारा पुष्टि हो रही है।[8]

मार्क्स का कथन है कि सामाजिक श्रम विभाजन माल अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवाद के विकास की पूरी प्रक्रिया का आधार है।[9] राष्ट्रीय आय के परिणाम की दृष्टि से भारत की बहु पद्धतिमूलक अर्थव्यवस्था में उन निम्न उत्पादक पद्धतियों की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति है जो सर्वोपरि गांवों में संकेन्द्रित हैं। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में पुनरूत्पादक के दौरान जिन कृषि उत्पादों की खपत होती है, इनका वैयक्तिक उपभोग विधि तथा उत्पादक उपभाग विधि में विभाजन के अभिरक्षक अनुपात आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की कृषि की विशिष्टता के द्योतक अनुपातों से अत्यधिक भिन्न होते हैं। तीसरी दुनिया के अन्य राष्ट्रों की भांति भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की उत्पादक शक्तियों का प्रमुख विभेदकारी गुण यह है कि भौतिक श्रम पर सजीव श्रम स्पष्टतः हावी है। हरित क्रान्ति के बाद ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था में श्रम उत्पादन शीलता की दृष्टि से अलग–अलग शाखाओं में बाँटने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र हुयी है। इस प्रक्रिया के कारण कृषक समुदाय में विभेदीकरण अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा है जो उत्पादन की पूंजीवादी विधि की विवेचना में आरम्भिक दौरों का अभिलक्षण है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन के साधनों के पुनरूत्पादन के परम्परागत ढाँचे में निश्चित परिवर्तन हो रहे हैं।

वस्तुतः भारत की कृषि की पूंजीवादी विकास क्रम पर रूढ़िवादी विकासात्मक प्रवृत्ति हाबी रही है। स्वतन्त्रता के उपरान्त कृषि सुधार ने पंजीवादी पद्धति की ओर परिवर्तनों की गति को तीव्र किया है। परन्तु पंजीवादी नीचे से विकसित होने की अपेक्षा ऊपर से प्रचलित किया गया है।[9]

सन्दर्भ :

1. Harris, J., (1982), Capitalism and Peasant Farming: Agrarian Structure and Ideology in Northern TamilNadu, Oxford Univ. Press, Delhi, pp. 2-3.
2. Ibid.
3. Dahrendorf, R., (1955), Class and Class Conflict in an Industrial Society, Stanford, pp.18-27.
4. "The small-holding peasants form a vast mass, the members of which live similar conditions but without entering into manifold relations with one another. Their mode of production isolates them from one another instead of bring ing them into mutual intercourse. In so far as millions of families live under economic conditions of existence that separate their mode of life, their interests and their culture from those of the other classes, and put them in hostile opposition of the latter, they farm a class. In so far as there is merely a local interconnection amongthese small holding peasants, and the identity of their interests begets no community, no national bondand no political organisation among them, they do not form a class." Selected Works, Vol. 1, p. 334.
5. See for detail analysis, Tripathi, S. D., (1991), Transformation of Indian Agrarian Structure and Peasantry, Unpublished Ph. D. Thesis, Deptt. of Sociology, Banaras Hindu University, Varanasi.
6. पाव्तो, व,द, रास्त्यान्निकोव, एवं ग, शिरोकोव, 1979, भारत का सामाजिक–आर्थिक विकास, प्रगति प्रकाशन मास्को,
7. पृ०–14–30.
8. वही, पृ०–113.
9. वही, पृ०–113.
10. Hadges, D, (1961), The “Intermediate Classes” in Maxian Theory; social Research, vol. 28, pp. 241-52.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 28-29

प्रवासी हिन्दी साहित्य में स्त्री रचनाकारों का योगदान

डॉ0 शालिनी शुक्ला*
*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, बलराम कृष्ण एकेडमी, अतरौली मोहनलालगंज, लखनऊ, उ0प्र0

सारांश : हिन्दी साहित्य लेखन की सुदीर्घ परम्परा भारतवर्ष में ही नही अपितु भारत से बाहर गए प्रवासी भारतीय लोगों में भी विद्यमान है। प्रवासी शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग होता है जो अपना देश छोड़कर रोजगार या अन्य किसी परिस्थितिवश दूसरे देश में जाकर निवास करने लगता है। ये प्रवासी भारतीय विश्व के अनेक देशों में फैले हुए है। भारत से बाहर रहने वाले इन प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या 2 करोड़ से भी अधिक है। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे ये प्रवासी भारतीय कई देशों में वहॉ की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते है और वहाँ की राजनीतिक व आर्थिक दशा व दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवासी भारतीयों की योग्यता एवं कार्यकुशलता को आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है।

प्रवासी भारतीयों में विदेशी भूमि और भाषा से प्रेम है जो उनके साहित्य सृजन में दृष्टिगोचर होती है। इन प्रवासी साहित्यकारों के समक्ष अपनी मूल संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति दोनों में सामंजस्य बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। दो संस्कृतियों के मध्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत इन साहित्यकारों ने बार–बार अपनी रचनाओं में इस पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। अमेरिका की नीलू गुप्ता की कविता 'यहाँ और वहाँ' में कहती हैं:–

''कैसा लगता है यहाँ और कैसा लगता था मुझे वहाँ
सच बात तो यह है कि सभी कुछ मिला है हमें यहाँ
पर न दे पाई यहाँ की ये स्वर्णिम मिट्टी हमें यहाँ
सोंधी भीनी महक जो देती थी मेरे देश की मिट्टी वहाँ
अपनों को छोड़ आई हूँ मैं यहाँ।''[1]

प्रवासी महिला रचनाकारों में उषा प्रियंवदा उषा वर्मा, दिव्या माथुर, अलका शर्मा, कादम्बरी मेहता, कीर्ति चौधरी, सुधा ओम ढीगरा, सुषम बेदी का नाम उल्लेखनीय है। सुधा ओम ढींगरा की कहानी 'टॉरनेडो' की पात्र जैनेफर कहती है– ''अमेरिकी लोग प्रीति की आंतरिक समाधि को कहाँ समझ सकते है, जहाँ शारीरिक इच्छा गौण हो जाती है। दैहिक सुख के आगे वे सोच ही नहीं पाते?''[2] इस प्रकार भारतीय नारी में प्रेम व त्याग का स्वरूप सदैव समान रहता है चाहे वह भारत में हो अथवा विदेश में। यू0के0 की निवासी ऊषा राजे सक्सेना चर्चित कथाकार है। उन्होंने अपनी कहानियों को सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करती है। मुट्ठी भर उजियारा, वह कौन थी, मेरे अपने तान्या दीवाना, वह रात इंटरनेट डेटिंग इत्यादि प्रमुख कृतियॉ है। अलका शर्मा लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की हिन्दी लेखिका है। वे कथाकार के साथ–साथ अच्छी नाट्ककार भी है। वे लंदन में बी0बी0सी0 रेडियो की हिन्दी सेवा से जुड़ी और सतत रेडियो नाटक लिखती रही है। प्रवासी महिला रचनाकार भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि के रूप में दिखायी देती है जो अपनी मातृभूमि से दूर होते हुए भी अपने आचार–विचार से अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रकट करते है। अमेरिका में रहने वाली कवयित्री सरोज भटनागर अपने भावों को अपने कवितों में व्यक्त करती है:–

''मेरे मस्तक पर लगी यह बिंदी,
मेरे व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति है।
कि मैं विवाहित हूँ
कंगन, चूड़ी, पायल, महावर,
मेरी संस्कृति के कायल है।''[3]

रेणु 'राजवंशी' गुप्ता ने अमेरिका में भारतीय संस्कृति के बढ़ते परिदृश्य को अपनी कविता 'घर हिन्दू का' में लिखा है:–

''बाहर चले शीत शुष्क हवा
भीतर हो सौरभ धूप चंदन का
होता है वह घर हिन्दू का।''[4]

प्रवासी महिला साहित्यकारों में झुम्पा लाहिरी का महत्वपूर्ण स्थान है। झुम्पा लाहिरी और चित्रा बैनर्जी दिवाकारूणी की कहानियाँ 1999 में बेस्ट अमेरिकन स्टोरीज के संग्रह में संकलित है। झुम्पा लाहिरी की कहानियाँ यह दर्शाती है कि आदमी की आंतरिक जरूरत सब जगह एक जैसी है। पहली पीढ़ी अपने बच्चों को भारतीय मूल्य देने का अथक प्रयास करती है, संघर्ष करती है किन्तु दूसरी, तीसरी पीढ़ी शीघ्र ही माता–पिता के मूल्यों से अधिक अमेरिकी मूल्यों के निकट पहुँच जाती है। वे अपने माता–पिता के बंधन से मुक्त हो जाते है। चित्रा बैनर्जी दिवाकारूणी की अधिकांश कहानियाँ इंग्लिश पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। वे अमेरिका की निवासी हैं और शिक्षण कार्य में लगी है। उन्होंने 'मैत्री' नामक संस्था भी खोली है जो शोषण का शिकार हुई स्त्रियों की सहायता करती है। अपनी रचनाओं में चित्रा जी ने स्त्रियों के संघर्ष, पीड़ा, प्रेम आदि विषयों को स्थान दिया है, जिससे वे स्त्री पाठकों में अधिक लोकप्रिय हैं। उषा प्रियंवदा भारतीय और विदेशी समाज की विसंगतियों को अपनी रचनाओं में समान स्तर पर अपने अनुभव के प्रकट करने वाली प्रवासी रचनाकारों में महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनकी भारतीय पृष्ठभूमि की कहानियों में वर्णित स्त्री पात्रों के माध्यम से रूढ़िगत परम्पराओं और मान्यताओं में दबी स्त्री की विवशता देखने को मिलती है। कुछ कहानियों में रूढ़ मान्यताओं का विरोध और

नवीन मूल्यों व विचारों का अनुकरण करने वाली विचारधारा प्रकट होती है। उन्होंने साठोत्तरी नारी की छटपटाहट, मानसिक तनाव और उसके अहं का सूक्ष्म चित्रण किया है। भारतीय मूल की झारखंड में जन्मी इला प्रसाद अपनी वैविध्यता के कारण प्रवासी हिन्दी साहित्यकारों में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही। वह न केवल एक सक्रिय व सशक्त कहानीकार है बल्कि एक कवयित्री के रूप में भी उन्होंने अपने लेखन को रचनात्मकता प्रदान की है। ''इला प्रसाद ने अपनी कहानियों के माध्यम से दो चार होने और उसका हिस्सा बनते प्रवासी भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का वास्तविक जीवन का वास्तविक चित्रण किया है।''[5]

भारतीय मूल के इंग्लिश प्रवासी साहित्य में भारती मुखर्जी, कमला मार्कंडेय, अनीता देसाई, किरण देसाई, सुषमा बेदी, मीरा स्याल, सुनेत्रा गुप्ता आदि का भी प्रमुख स्थान है। इन साहित्यकारों की जड़े पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं। इन विदेशी रचनाकारों में बंगालीपन देखने को मिलता है। ये बांग्ला साहित्य, संगीत व भोजन में अभी भी रूचि रखते है। ये विशेषताएँ प्रथम पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी दोनों तरह के बंगाली प्रवासी लेखन में मिलती है। ये सभी साहित्यकार अपनी परम्पराओं में बहुत गहरे धंसे हुए है। डॉ0 सुदर्शन प्रियदर्शिनी अमेरिका में रेडियो, टेलीविजन से जुड़ी हुई है। इन्हें हिन्दी परिषद कनाडा का महादेवी पुरस्कार, ओहियो यूएसए का गवर्नस मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके कथा साहित्य में प्रस्तुत दार्शनिकता व संवेदनात्मक गहनता और शैली प्रवासी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। सुषमा बेदी न्यूयार्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रोफेसर है, उन्होंने कई उपन्यास और कहानियाँ लिखी है। उनकी कहानियाँ अपने समय की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं हंस, धर्मयुग, सारिका, नया ज्ञानोदय में प्रकाशित होती रही है। उन्हें साहित्य में योगदान के लिए भारतीय साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिन्दी अकादमी ने सम्मानित किया है। वर्ष 2001 के पद्मानन्द साहित्य सम्मान एवं मैथिलीशरण गुप्त प्रवासी लेखन सम्मान से सम्मानित दिव्या माथुर का नाम भी प्रवासी साहित्यकारों में प्रमुख है। इनकी कहानियों में प्रवासी जीवन की पीड़ा व त्रासदी का चित्रण है। ''ब्रिटेन की प्रवासी रही दिव्या माथुर की कहानियाँ समय पात्र और परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ती है। उनकी विशेषता यह है कि उनकी कहानियों में भाषा, समाज, व संस्कृति महत्वपूर्णरूप से उपस्थित होती है।''[6]

ब्रिटेन का प्रवासी साहित्यकार जकिया जुबेरी का अनुभव संसार व्यापक है। वे लखनऊ में जन्मी और विवाह पाकिस्तान में हुआ फिर ब्रिटेन में जाकर बस गयी। वे ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सक्रिय सदस्या रहीं तथा कई चुनाव जीतकर काउंसलर के रूप में निर्वाचित हुई। उन्होंने भारतीय और विदेशी परिवेश के बीच द्वन्द्वात्मक स्थिति का हमेशा अनुभव किया और उसे अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। प्रवासी साहित्य भारतेतर देशों को भारत से जोड़ने का निर्माण करता है। विभिन्न देशों के हिन्दी लेखक एवं हिन्दी समाज भारत के हिन्दी समाज से जुड़कर उनके निकट आने का अवसर प्राप्त करते हैं और हिन्दी विश्व को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रवासी हिंदी साहित्य और संस्कृति का अभिन्न संबंध है भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में प्रवासी हिंदी साहित्य की मुख्य भूमिका रही है। प्रवासी हिंदी साहित्य में विदेशी संस्कृति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती है क्योंकि विदेशी संस्कृति में रह रहे हमारे प्रवासी साहित्यकारों के मन में भारतीयता रची–बसी है। प्रवासी साहित्यकारों में पुरूष रचनाकार ही नहीं स्त्री रचनाकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे निरन्तर साहित्य सृजन में अग्रसर है और अपनी आगामी पीढ़ी को विदेशी भूमि पर रहते हुए भी भारतीय संस्कृति से परिचित कराने के कार्य में लगी हुई है।

डॉ0 कमल किशोर गोयनका के अनुसार ''हिन्दी के प्रवासी साहित्य का रूप रंग उसकी चेतना और संवेदना भारत के हिंदी पाठकों के लिए नई वस्तु है, एक नये भावबोध का साहित्य है, एक नयी व्याकुलता और बेचैनी का साहित्य है जो हिंदी साहित्य को अपनी मौलिकता एवं नये साहित्य संसार से समृद्ध करना है। इस प्रवासी साहित्य की बुनियाद, भारत प्रेम तथा स्वदेश परदेश के द्वन्द्व पर टिकी हैं तथा बार–बार हिंदू जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा उनके प्रति श्रेष्ठता के भाव की अभिव्यक्ति होती है।''[7]

सन्दर्भ :

1. हिन्दी चेतना (अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका) अप्रैल, 2015, सं.सुधा ओम ढींगरा हिन्दी प्रचारिणी सभा, कैनेडा, पृ0सं0–41
2. दस प्रतिनिधि कहानियों , कहानी, टॉरनेडो, सुधा ओम ढींगरा पृ0सं0–100
3. हिन्दी प्रवासी साहित्य (कविता): कमल किशोर गोयनका (सं0) प्रकाशन–यश पब्लिकेशंस, नई दिल्ली–110032,पृष्ठ सं0–67
4. वही, पृ0सं0–45
5. प्रभास प्रवासी भारतीय साहित्य विशेषांक (अक्टूबर–दिसम्बर 2018) उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ त्रैमासिक पत्रिका, अंकः01, पृ0 सं0–68
6. सात समुन्दर पार महिला रचनाकार–स्वाति तिवारी – (इन्टरनेट के माध्यम से)
7. प्रभाव–प्रवासी भारतीय साहित्य विशेषांक (अक्टूबर–दिसम्बर 2018, अंक–01) उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ की त्रैमासिक पत्रिका, पृ0सं0–39 ।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 30-31

बौद्ध दर्शन के मौलिक सिद्धान्त

डॉ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह*

*प्रवक्ता, श्री के.एन. सिंह महिला पी.जी. कालेज, जियनपुर, आजमगढ़, उ0प्र0

सारांश : ई.पू. छठी सदी के मध्य महात्मा बुद्ध का आविर्भाव इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना है। उन्हीं के आचार–विचार बौद्ध धर्म के केन्द्रीय तत्व हैं। उनके अष्टांगिक मार्ग ने तत्कालीन देश समाज यहाँ तक कि विश्व के दर्जनों देशों पर क्रान्तिकारी प्रभाव डाला था। महात्मा बुद्ध का प्रधान उद्देश्य दुखाग्रस्त मानव को मुक्ति पथ पर उन्मुख करना तथा भेदभावों से पार करना रहा। मानवीय संवेदना का प्रसारण तथा व्यक्ति जीवन में उच्चतर जीवन–मूल्यों का प्रस्थापन रहा।[1] महात्माबुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग से तत्कालीन समाज में महान् क्रान्ति उपस्थित की।

मुख्य शब्द : बौद्ध धर्म, धम्मपद, आर्यसत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि ।

बौद्धधर्म का चौथा आर्यसत्य दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा का अपर नाम आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह 'अष्टांगिक मार्ग' बौद्धधर्म की आचार–मीमांसा का चरम साधन है। इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखों का नाश कर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह समस्त मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है।[2] आर्य अष्टांगिक मार्ग बुद्ध–शासन में निश्चय ही एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने सर्वप्रथम प्रवचन (धम्मचक्कपवत्तनसुत्त) में भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को इसका उपदेश दिया था और मध्यमा प्रतिपदा के साथ इसकी एकात्मकता दिखाई थी। यही वह मार्ग है जिसे तथागत ने खोज निकाला। मध्यामा प्रतिपदारूपी आर्य अष्टांगिक मार्ग 'अरण' धर्म है और वहीं ठीक मार्ग है।[3] यह मार्ग आँख देने वाला है, ज्ञान करा देने वाला है। यह शासन, अभिज्ञा, बोध और निर्माण की ओर ले जानेवाला है।[4] भगवान् ने कहा है कि निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही एक मार्ग है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। इस मार्ग पर चलने से तुम दुःख का नाश करोगे।

सम्पूर्ण धम्मपद के अनुशीलन करने से यह ज्ञात होता है कि बौद्धधर्म के अनुसार शील, समाधि और प्रज्ञा ये तीन मुख्य साधन है। अष्टांगिक मार्ग इसी साधनात्रय का पल्लवित रूप है। बौद्धधर्म में आचार की प्रधानता है। तथागत निर्वाण के लिए तत्वज्ञान के जटिल मार्ग पर चलने की शिक्षा कभी नहीं देते, प्रत्युत तत्वज्ञान के विषय प्रश्नों के उत्तर में वे मौनावलम्बन ही श्रेयस्कर समझते हैं। आचार पर ही उनका प्रधान बल है। यदि अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाय या आश्रय लिया जाय तो शान्ति अवश्य प्राप्त होगी। भगवान के आदेश का यही सार है। मार्ग पर आरूढ़ होना अत्यन्त सरल है। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा–उद्योग तुम्हें करना होगा। उपदेश के श्रवणमात्र से दुःखनिरोध कदापि नहीं होगा। उसके लिए आवश्यक है उद्योग कार्य। उस आर्य अष्टांगिक मार्ग में आरूढ़ होकर ध्यान में रत होने वाले व्यक्ति ही मार के बन्धन से मुक्त होते हैं, अन्य पुरूष नहीं। इसलिए भिक्षु को तथागत के उपदिष्टधर्म में उद्योगी हो सत्–अर्थ में अप्रमादी एवं आत्मसंयमी होकर विहार करना चाहिए। इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वालम्बन की शिक्षा दूसरी कौन हो सकती है। प्रायः आर्य अष्टांगिक मार्ग को तथागत के मूल उपदेशों में माना जाता है।

बौद्ध धर्म के तीन मौलिक सिद्धान्त है, जिसके निरुपण से बौद्ध धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि जानी जा सकती है। वे सिद्धान्त हैं–प्रतीत्यसमुत्पाद, क्षणभंगवाद और अनात्मवाद। मूलतः प्रतीत्यसमुत्पाद का बौद्ध दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है जिसके आधार पर अन्य सिद्धान्तों की व्याख्या की जाती है। जिस प्रकार जैन सिद्धान्तों की व्याख्या की जाती है। जिस प्रकार जैन सिद्धान्तों की व्याख्या अनेकान्त के आधार पर की जाती है, उसी प्रकार बौद्ध दर्शन के सभी सिद्धान्तों की व्याख्या प्रतीत्यसमुत्पाद के आधार पर की जाती है। कर्मवाद, क्षणिकवाद, संघातवाद आदि के मूल में प्रतीत्यसमुत्पाद ही है।

प्रतीत्यसमुत्पाद अर्थात् प्रत्यसों से उत्पत्ति का नियम। प्रतीत्य यानी किसी वस्तु की प्राप्ति की होने पर, समुत्पाद यानी अन्य वस्तु की उत्पत्ति अर्थात् किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर अन्य वस्तु की उत्पति। तात्पर्य यह है कि वस्तु के प्राप्त होने पर दूसरी वस्तु की उत्पत्ति या इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक कारण के आधार पर कार्य की उत्पति। भगवान् बुद्ध ने कहा है–''इस चीज के होने पर यह चीज होती है, अर्थात् जगत की वस्तुओं या घटनाओं में सर्वत्र यह कार्य–'कारण नियम जागरुक होता है।[5]'' कहने का अभिप्राय यह है कि कारण के रहने तक ही कार्य होता है और इसी कारण–कार्य के आधार पर बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद की बारह कड़ियाँ प्रस्तुत की है जिसे भवचक्र के नाम से भी जानते है। इन बारह भागों (अंगों) को द्वादश निदान भी कहा गया है। इन कड़ियों के द्वारा ही संसार की सत्ता प्रमाणित होती है। वे बारह कड़ियाँ निम्नलिखित है–(1) अविद्या (2) संस्कार (3) विज्ञान (4) नामरुप (5) शडायतन (6) स्पर्श (7) वेदना (8) तृष्णा (9) उपादान (10) भव (11) जाति (12) जरामरण। अविद्या को समस्त दुःखों का मूल माना गया है–अविद्या से ही संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नामकरण, नामकरण से शडायतन, शडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादन, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा, जरा से मरण की उत्पति होती है।

प्रतीत्यसमुत्पाद को मध्यम प्रतिपदा कहते है। इस सिद्धान्त में शाश्वतवाद तथा उच्छेदवाद का समन्वय होता है। शाश्वतवाद के अनुसार कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिसका न आदि है और न अन्त। इनका कोई कारण नहीं है तथा ये किसी वस्तु पर अवलम्बित नहीं है। उच्छंवाद के अनुसार वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता है। परन्तु बुद्ध ने इन ऐकान्तिक मतों को छोड़कर मध्य मार्ग का अनुसरण किया है। उनका कहना है कि वस्तुओं के अस्तित्व में कोई संदेह नहीं है। किन्तु वे न तो सर्वथा नित्य ही है और न उसका पूर्ण विनाश ही होता है। प्रत्येक वस्तुत अपने कारण से उत्पन्न होती है, कार्य न तो कारण से अलग होता है और न भिन्न ही। बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। पर बीज अंकुर नहीं होता है और दूसरी ओर अंकुर भी बीज से बिल्कुल भिन्न वस्तु नहीं

है। अतः बीज नित्य और स्थिर नहीं है क्योंकि वह अंकुर के रूप में परिवर्तित होता है। बीज नष्ट भी नहीं होता क्योंकि अंकुर में बीज का ही रुपान्तर होता है। अब यदि हम कार्य को कारण से अन्य माने तो कार्य होने के बाद का उच्छेद मानना पड़ता है। और यदि कार्य को कारण रूप ही माने तो नित्य या शाश्वतवाद को मानना पड़ता है। किन्तु ये दोनों ही बातें नहीं होती है। प्रतीत्यसमुत्पाद की उपर्युक्त बारह कड़ियों का संबंध तीन जन्मों से होता है, जिसे आचार्य वसुबंधु ने त्रिकाण्डात्मक नाम से संबोधित किया है प्रथम दो अर्थात् अविद्या और संस्कार का संबंध अतीत जन्म से होता है, मध्य के आठ यानी विज्ञान से लेकर उपादान तक का संबंध वर्तमान जीवन से होता है तथा अन्तिम दो जाति और जरामरण का संबंध भविष्य जन्म से होता है।

जन्म और मरण संसार का स्वभाव है। जहाँ जन्म है वहीं मरण भी है। जो महान मालूम पड़ता है। उनका पतन भी है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी बौद्ध दर्शन के अनुसार जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सर्वथा नित्य हो। वस्तु में क्षण–क्षण परिवर्तन होता रहता है। जो वस्तु आज है वह कल नहीं होगी। जिस प्रकार वह प्रवाह दूसरे को जन्म देता है, उसी प्रकार एक क्षण दूसरे क्षण को जन्म देता है। संसार की प्रत्येक वस्तु अनित्य धर्मों का संज्ञात मात्र है। तब कुछ क्षणभंगुर है। इस अनित्यवाद ने ही आगे चलकर क्षणभंगवाद का रूप ले लिया है। क्षणभंगवाद में वस्तुत केवल अनित्य ही नहीं है, अपितु उसकी सत्ता क्षण भर के लिए ही होती है।

बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार परिवर्तन शीलता को प्रधानता प्राप्त होती है। किन्तु बाद में उनके शिष्यों ने परिवर्तन को क्षणिकता मे ंपरिवर्तित कर दिया। प्रत्येक वस्तु क्षण–क्षण बदलती रहती है, जैसे–जल का प्रवाह दीपशिखा आदि।

अनात्मवाद का सिद्धान्त भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण दर्शन के आत्मवाद के निषेध के रूप में दिया है। ब्राह्मण दर्शन में आत्मा, नित्य, कूटस्थ, अचल और ध्रुव माना गया है। संसार में आत्मा ही परम प्रिय वस्तु है तथा संसार में जो भी प्रिय वस्तु है वे सब आत्मा के कारण ही है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा की कामना के लिए सब प्रिय होता है। आत्मा, जिसके लिए प्राणी सुखों की कामना करता है, यहाँ तक की स्त्री, पुत्रादि के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वह इसी आत्मारूपी स्वार्थ पर अवलंबित होता है और जब तक व्यक्ति सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग नहीं कर लेता तब तक उसे मुक्ति या निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

आत्मा अनित्य है, क्षण–क्षण बदलता रहता है, लेकिन उसकी अविरल प्रवाह को हम भ्रमवश नित्य मान लेते हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है। जिस प्रकार हमें भ्रमवश एक ही दीपक रात भर जलता हुआ प्रतीत होता है। जबकि वह अयथार्थ है क्योंकि रात के पहले प्रहर की दीपशिखा दूसरी थी, दूसरे प्रहर की उससे भिन्न। किन्तु देखने वाले को एक ही दीपशिखा जान पड़ती है जबकि यह प्रतिक्षण बदलती रहती है। प्रवाह की दो अवस्थाओं के बीच एक क्षण का भी अन्तर नहीं रहता हे। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस प्रकार बुद्ध का अनात्मवाद, आत्मा का न तो बिल्कुल निषेध ही करता है और न उसकी सत्ता को स्वीकार ही करता है।

महात्मा बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म ने अपने इतिहास में कई महत्वपूर्ण चरणों का साक्षात्कार किया आरम्भिक बौद्ध धर्म जो बुद्ध के उपदेशों पर आधारित दार्शनिक जीवन–पद्धति थी, उसने कालांतर में वृहद धर्म का स्वरूप ग्रहण कर लिया। जब यथावत धर्म की स्थापना हुई तो बुद्ध में देवत्व की भी स्थापना प्रारम्भ हुई। देवता की स्थापना के पश्चात् धीरे–धीरे देवकुल तथा अनेक देवी–देवतओं की कल्पना कर ली गयी। बौद्ध धर्म के इन विविध चरणों को भारतीय कला में अनुभव किया जा सकता है जो भरहुत, साँची के प्रतीक प्रदर्शन से लेकर कन्हेरी के एकादश मुखी अवलोकित वर तक तथा क्रमशः विकसित है। न केवल भारत अपितु अन्य एशियाई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तथा बौद्ध कला ने भी अपना स्वरूप ग्रहण किया।

सन्दर्भ :

1. प्रवीण कुमार मिश्र : सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म का योगदान एवं प्रासंगिकता, बौद्ध संस्कृति का वैश्विक प्रभाव–अजय कुमार पाण्डेय, पृ. 226।
2. धम्म पद, 273
3. मज्झिम निकाय, 3/4/9
4. धम्म चक्क पक्तनसुत्त
5. Thomas, E.J. (1927) life of Budha.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 32-34

वैश्वीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था में भारतीय दलित महिलाओं की निहितार्थ

डॉ0 रामसूरत हरिजन*

*असि0 प्रो0, राजनीतिशास्त्र विभाग, एस0 डी0 एस0 एन0 डिग्री कॉलेज, छोटा भरवारा, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0

सारांश : वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर प्रत्येक व्यवस्था व राष्ट्र–राज्य के कार्यो को प्रभावित करता है। इसका क्षेत्र विस्तार सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूप से सभी समाजों के व्यक्ति व समूह को अन्तरसंबंधित करती है। जिसमें स्थानीय स्वशासन भी वैश्वीकरण के अन्तर्गत आता है। ऐसी स्वशासन व्यवस्था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनता द्वारा अपने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के दायित्व का निर्वहन किया जाता है। स्थानीय स्वशासन का शाब्दिक अर्थ क्षेत्र के शासन–प्रशासन के संचालन से है, जो स्थानीय नागरिकों की भागीदारी एवं सक्रिय योगदान क द्वारा किया जाता है। सहयोगी लोकतंत्र के अन्तर्गत समाज के सभी वर्ग के लोग शासन में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर देती है। साथ ही नीति–निर्माण प्रक्रिया में जन साधारण की भागीदारी इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हुए लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई को संबल प्रदान करें जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो सकें।

10 मई 1882 को लार्ड रिपन जिन्हें भारत में ''स्थानीय स्वशासन का जनक'' कहा जाता है। इससे बहुमत में निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को एक स्थानीय बोर्ड प्रदान किया जिसकी अध्यक्षता एक गैर सरकारी अध्यक्ष को सौंपी गयी, इसे ही 'स्थानीय लोकतंत्र का मैग्नाकार्टा' कहा गया। जिसे इतिहास में अभूतपूर्व घटना कहा जा सकता है। 02 अक्टूबर 1959 को पं0 नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से शुरूआत की। परिवर्ती वर्षो में अंततः संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन का कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था मे बहुत सारे कार्यो का उल्लेख किया गया है। इन्ही कार्यो में ग्रामीण नागरिकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा जिसके द्वारा सरकारी लोकतंत्र व सहभागी लोकतंत्र को स्थायी स्तर व नगर व्यवस्था के स्वशासन को मजबूती प्रदान करें। संविधान के भाग–IV को जिसे DPSP द्वारा अनुच्छेद–40 में कहा गया ''राज ग्राम पंचायतो को गठित करने के लिए कार्यवाही करेगा और उनको इतनी शक्तियां तथा सत्ता प्रदान की जाएगी जिनसे वे स्वशासन की इकाइयों के तौर पर कार्य कर सके''।

1992 के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम निम्न स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु देश के सभी राज्यों की विधानसभा द्वारा किया गया। जिसे स्थानीय स्वशासन के रूप में प्रचलित हुआ। इसी प्रकार 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का गठन विधान मण्डल द्वारा किया गया, जिसे बाद में 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। उक्त संविधान संशोधन सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति व समीक्षा करने के लिए जनवरी 1957 में सामुदायिक विाकस और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर एक समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। जिन्होने 24 नवम्बर 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत में पंचायती राज के नाम से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की त्रिस्तरीय पद्धति की सिफारिश की थी। इस प्रतिवेदन में लोकतांत्रिक संस्था का विकेन्द्रीकरण किया जाय पर बल दिया। जिसके निर्णय निर्माण में जनता की अधिक सहभागिता हो सके। अर्थात पंचायती राज संस्था को वास्तविक शक्ति और उत्तरदायित्व हस्तांतरित किया जाय। ग्राम विकास का पूरा कार्य इन्ही के द्वारा कराया जाना चाहिए। मेहता ने महिलाओं की रक्षा व सुरक्षा हेतु 1/3 आरक्षण स्थानीय स्वशासन में प्राप्त हो ऐसा विचार दिया, कहीं–कहीं यह आरक्षण विविध राज्यों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किये गये है। गाँवो में रहने वाले लोग कृषि, पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, सिचाई इत्यादि से संबंधित विकास क्रियाओं में सक्रिय भाग ले, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं के विषय में स्वयं ही निर्णय ले सके।

संविधान के भाग–9 में स्थानीय स्वशासन के विषय को संविधान की सातवी की अनुसूची के राज्य सूची में दर्शाया गया है। इसमें कुल 29 विषय है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में, गाँव स्तर पर–ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर–पंचायत समिति और जिला स्तर पर–जिला परिषद, तीनों ही स्तरो पर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप किया जाता है। तीनों ही स्तरों पर वैश्वीकरण का प्रभाव दिखाई देता है। चूँकि भारत में डिजिटल इण्डिया की शुरूआत 1 जुलाई 2015 को हुई, जिसका उद्देश्य स्थानीय व नगरीय स्तर पर डाटा का संकलन किया जाय, जिसमें व्यक्ति की आई0 डी0 भूमि आवंटन, लेखा जोखा, वस्तु विनियम हेतु यू0 पी0 आई0 क्रय–विक्रय में मदद करें, मोबाइल एप जिसके जरिये कृषि, पशुपालन, स्वच्छता अभियान, योजनाए, कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर छोटे–छोटे उद्योग धन्धों, इण्टरशिप, छात्रवृत्ति, रजिस्ट्रेशन कम्प्यूटर, इंटरनेट द्वारा संभव बना है। इसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण की सहभागिता से ही संभव हो पा रहा है। ग्रामीण महिला व पुरूष भी सेलफोन द्वारा बाहरी दुनिया से अपना नाता जोड़ने हेतु वीडियों कानफ्रेसिंग, ई–मेल, फेसबुक, सोशल मीडिया, टयूटर इत्यादि साइट जो आम जन मानस की मुश्किलों को हल करने में अमूल्य योगदान प्रदान किया है। खास कर महिलाओं में दलित वर्ग की महिलाओं की भागीदारी स्थानीय स्तर पर कुछ सीमा तक बढ़ी है। रोजगार के अवसर इन दलित महिलाओं को कम ही मिला है।

भारतीय पंचायती राज व्यवस्था आधुनिक परिवेश से गुजर रही है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अन्तर्गत इस व्यवस्था का संवैधानिक उद्भव हुआ, जिसे 24 अप्रैल 1993 ई0 में लागू किया गया, तत्पश्चात प्रत्येक पॉचवे वर्ष चुनाव के द्वारा चक्रिय क्रम में एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0, के प्रतिनिधि चूने जाते है। सामान्य काल में यह व्यवस्था सभी प्रतिनिधियों के लिए अवसर खुले होते है। जिसमें जनरल प्रतिनिधि के अतिरिक्त एस0टी0, एस0सी0, ओ0बी0सी0 भी अपना भाग्य आजमाते है। इस व्यवस्था में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है।

वैश्विक व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन किये है जिससे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को आधुनिक समाज बनाने तक का सफर जारी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने भारतीय लोकतंत्र में मुखर हुआ है जिससे ये महिलाए सेलफोन, सोशल मीडिया, फेसबुक, ई–मेल तथा वीड़ियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अपनी आवाज को खुले तौर पर रखने का प्रयास कर रही है।

वर्तमान युग वैश्वीकरण, उदारीकरण, व निजीकरण (L.P.G) का दौर है जिससे पंचायती राज व्यवस्था भी वंचित नहीं रह सकती है। किसान वही योजना किसान मित्र योजना, खसरा, खतौनी का डिजिटलीकरण द्वारा अमुख दस्तावेजों को भी डिजिटल इण्डिया के माध्यम से सभी स्थानीय कामकाज को समावेशित किया जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर एवं मनरेगा में अनेक कार्यो को अमलीजामा पहचाया जा रहा है।

ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का विकास वर्तमान में नगण्य है। दलित महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार स्पष्ट नहीं है। कृषि व घरेलू कामकाजी महिलाएं भी अपनी दशा पर जीने के लिए आज भी मजबूर है। सरकार ने उनके लिए छोटे–छोटे कारोबार हेतु अल्प धन मुहैया कराती है, जिससे उनका पालन–पोषण हो सके जो संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से भी इन्हें प्रत्येक राशन कार्ड में मुखिया महिला के परिवार में यूनिट की दर से सरकार यू0पी0आई0 के माध्यम से गेहूँ, चावल, चीनी व किरोसिन तेल मुहैया करा रही है। जो पूर्णतः संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योकि यदि परिवार में अधिक सदस्य या बहुत ही कम सदस्य होने की स्थिति में खाद्यान अल्प मात्रा में ही प्राप्त हो रहा है साथ ही जिनका कार्ड बी0पी0एल0 में होना चाहिए, उनको ए0पी0एल0 में कर देने से जो त्रुटि छोटी है उसका खामियाजा गरीब व शोषित समाज को मिल रहा है। उसके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं जिससे वह अपनी समस्या कहे, अशिक्षित होने से यह समस्या और भी दुष्कर हो जाती है।

वैश्विक व भारतीय अर्थव्यवस्था काफी धीमी गति से संचालित हो रही है। जिसका प्रभाव जनमानस पर बहुत गहरा असर किया है। यद्यपि पूँजी एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा वर्तमान की सारी वस्तुओं एवं सेवाओं का मापदण्ड बन चुकी है। जिसे किसी भी सभ्य समाज के द्वारा नकारा नहीं जा सकता। दैनिक व जरूरतमंद सारी वस्तुए जो आधारभूत मानवीय व व्यैक्तिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है जब पूँजी से वंचित व्यक्ति गरीबी के कगार पर चला जाता है। यह स्थिति तब आती है। जब व्यक्ति की क्रय शक्ति क्षमता सबसे नीचले स्तर पर आ जाए ऐसे माहौल में दलित वर्ग की महिलाएं अपना भविष्य कैसे तय करे जो पहले से ही वंचित व शोषित रही है साथ ही संसाधनों से वंचित रहकर क्रयशक्ति क्षमता काफी बुरी स्थिति में मनोबल को जिन्दा रखा है। उन्हें कही से काई आस प्रतीत नहीं हो रही है, फिर भी संरचनात्मक कार्य करके अपनी व अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही है। कृषि से आप केवल भरण–पोषण तक ही सीमित है। आगे बढ़ने के लिए सरकार कोई अमुख कार्य नहीं कर रही है। जिससे अपनी कार्यक्षमता व संसाधनों से ऊँचा स्तर प्राप्त करे।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की धारणा को स्थानीय स्तर पर सभी को समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारें अपने यहाँ अलग–अलग आयाम तलाश कर रहे है। शोषित व वंचित वर्गो को न्याय उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक न्याय का सहारा लिया जा रहा है। जैसा कि DPSP में अनु0 38 में इसका उल्लेख कल्याणकारी राजय के रूप में किया गया है। जिसमें स्थानीय स्तर पर वंचित व शोषित समाज जो सामाजिक प्रवंचन के शिकार हुए थे। उनको कुछ विशेष सुविधां (सब्सिडी) व आरक्षण प्रदान करके उनके जीवन स्तर को उन्नत अवस्था में लाने का प्रयास तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना व विहार में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार सुरक्षा, स्वास्थ्य, सूचना व थोड़ी सुविधाए ही प्राप्त करवा पा रही है।

डा0 बी0आर0 अम्बेडकर का मानना था कि ''सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरूषों के समान अधिकार मिलेंगे, महिलाओं की उन्नति तभी होगी, जब उन्हें परिवार, समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगी, शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेंगी।

पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत रोजगार सृजन की संभावना बहुत है। यहाँ सहभागी लोकतंत्र द्वारा सभी को नीति–निर्माण में भाग लेन की आवश्यकता होती है, ताकि अच्छा शासन किया जा सके और निर्बल–दुर्बल वर्ग की सुरक्षा की जा सके, परन्तु यह व्यवस्था आज भी पन्नो पर ही है। आम जनमानस की बात को शासन द्वारा कभी कभी स्वीकार किया जा रहा है। अमूनन सरकार उनकी बातों व विचारों को खारिज ही कर देती है, जिससे स्थानीय जनमानस में असंतोष व्याप्त होता है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य शासन की शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर अलग–अलग विभागों में बटी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भवन निर्माण योजनाए, कुटीर उ़द्योगो में महिलाओं को भागीदारी आवंटित है। आशा बहुए, प्राथमिक स्तर पर ऑगनवाड़ी कार्यकत्री, सुपरवाइजर, रोजगार सृजन हेतु मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सामग्री, मुद्रा योजना के तहत किसानों को जीरो वैलेन्स पर खाता खोलना, आपदा के समय इसी खाते में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। पी0वी0 नरसिंहराव की सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि मात्र स्थानीय शासन तथा नागरिक सुविधा मुहैया कराने वाली संस्था है। बल्कि इसे आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन के लिए नियोजन कार्यवाही तथा वातावरण बनाने के उचित साधन के रूप में माना जाना चाहिए। इन सबके अलावा जमीनी स्तर पर पंचायती राज के प्रतिनिधियों को विकेन्द्रीकृत शासन योजना तथा विकास की मूलभूत बातों का प्रशिक्षण देना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योकि वर्तमान समय में कुछ अपवादो को छोड़कर महिला प्रतिनिधि के स्थान पर उसके पति और कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि के स्थान पर उस गॉव के जमींदार एवं प्रभावशाली व्यक्ति, वास्तव में पंचायती राज की जगह अपना आधिपत्य चला रहे है। इसे रोकने के लिए आवश्यक है। साथ ही रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा के तहत ऐसा व्यक्ति जिसका जॉबकार्ड बना है। कार्यस्थल पर उपस्थिति नही है। फिर भी उसकी उपस्थिति दर्जा कर रोजगार सेवक श्रम का मूल्य आपस में बांट कर खा जाते है। आवंटित रूपये की राशि श्रमिक को अन्य दी जाती है। बाकी सम्पूर्ण कार्य दिवस का पैसा बैंक से निकलवाकर स्वयं रोजगार सेवक

हजम कर जाता है। जिससे जरूरतमंद व गरीब लोगो को जॉब कार्ड होते हुए भी रोजगार से वंचित रहना पड़ता है, जिसकी जॉच राज्य सरकार को गहनता से करानी चाहिए इसी प्रकार सचिव भी योजनाओं का आवंटन पात्र व्यक्ति को न देकर पैसे वाले व्यक्ति को प्रदान कर मोटी रकम वसूल कर लेता है। जिससे वैश्विक व्यवस्था में आज भी पंचायत राज व्यवस्था में दलित, एस0सी0, एस0टी0 महिलाओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जिससे उनका विकास तेजी से नही हो पा रहा है। इन कमजोर महिलाओं को उनके अधिकार तथा शक्तियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। साथ ही उन्हें बताना आवश्यक है कि उन्हें यह आरक्षण क्यो दिया गया है? जिससे कि वे अपने अधिकारो का समुचित प्रयोग सत्ता की भागीदारी के रूप में करे तभी स्वशासी संस्था के अन्तर्गत समाज का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष : आलोचना का अभिप्राय यह नहीं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम निष्प्रभावी, अर्थहीन तथा इसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। यद्यपि इस अंतर्निहित सच्चाई से भी मुंह नही मोड़ा जा सकता कि आज भी इन स्वशासी संस्थाओं में कोई खामियां है, जिसे दूर करना समय की माँग है। वैश्वीकरण के दौर में पंचायती राज व्यवस्था में बहुत बदलाव को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन दुनिया का विशालतम लोकतंत्र होने की वजह से हमारे देश में इस व्यवस्था को लागू करने में जमीनी दिक्कते आ रही है, लेकिन इसके बावजूद पंचायती राज व्यवस्था आज ग्रामीण विकास की धूरी बन चुकी है। तथापि आजादी के 71 वर्ष के पश्चात, इन उपलब्धियों के बावजूद भी पंचायती राज प्रणाली अपने समस्त प्रावधान को व्यवहारिकता के धरातल पर नही उतार पायी है। अपने उद्देश्य सत्ता में सभी वर्गो की भागीदारी और समाज के सर्वांगीण विकास की कल्पना अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव तथा नौकरशाही की धीमी गति से है।

इस प्रकार उम्मीद की जाती है कि अगर ईमानदारी के साथ निःस्वास्थ्य भाव से राजनीतिक दल, राजनीतिक इच्छा का निर्वहन करे, भयमुक्त होकर कमजोर वर्ग के लोग अपने अधिकारो का प्रयोग करे, महिलाओ के अधिकारो को कठपुतली की तरह इस्तेमाल न किया जाय, विशिष्ट वर्ग के लोगों अपनी अभिजात्यवादी प्रवृत्ति का परित्याग कर दे तथा सभी वर्ग के लोग इस स्वशासी संस्था में अपने अधिकारों की भागीदारी निश्चित तौर पर करें तभी समाज का सर्वांगीण विकास हो पाएगा।

सन्दर्भ :

1. स्मिथ, जोन बाइलिस एवं पेट्रिक ओन्स, 1998 ''ग्लोबलाइजेशन एण्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स'' आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पृ0 12
2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। (अक्टूबर 2019)
3. ब्रजकिशोर शर्मा, 2010 ''भारत का संविधान एक परिचय'' 7वॉ संस्करण प्रकाशन नई दिल्ली पृ0 288–289
4. ब्रजकिशोर शर्मा, 2010 ''भारत का संविधान एक परिचय'' 7वॉ संस्करण प्रकाशन नई दिल्ली पृ0 90–91
5. एम0 लक्ष्मीकान्त, ''भारत की राज व्यवस्था''
6. महेन्द्र प्रसाद सिंह, 2011 ''भारतीय शासन और राजनीति'' ओरिएन्टल ब्लैक श्वास नई दिल्ली पृ0 212
7. आर0सी0 बरमानी, 2005 ''समकालीन राजनीतिक सिद्धान्तो का परिचय'' प्रकाशन गीतांजलि पब्लिसिंग हाउस नई दिल्ली पृ0 341–342
8. डेनियल वैरी स्टेवन सलाटर, 2015 ''ग्लोबल डेमोक्रेटिक थियरी'' प्रकाशक कैमब्रिज यू0के0 पृ0 34
9. अभय कुमार दूबे, 2007 ''भारत का भूमण्डलीकरण'' वाणी प्रकाशन नई दिल्ली पृ0 127
10. सुखदेव थोराट एण्ड कैथरिन एस0 न्यूमैन, 2012 ''इकोनामिक डिस्क्रीमिनेशन इन मार्डन इण्डिया'' आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली पृ0113–114
11. के0एस0 चालम, 2011 ''इकोनामिक रिफार्म एण्ड सोशल इसक्लूजन इनपैक्ट ऑफ लिब्रलाइजेशन ऑन मार्जनलाइज्ड ग्रुप इन इण्डिया सेज पब्लिकेशन नई दिल्ली पृ0 77–78
12. रामगोपाल सिंह, 1986 ''भारतीय दलितो की समस्या, उनका समाधान'' मध्य प्रदेश दिल्ली एकादमी भोपाल पृ0 36–37

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 35-36

वर्तमान परीक्षा प्रणाली की कमियाँ

डॉ0 प्रवीन कुमार सिंह*

*प्रवक्ता, बी0 एड0, स0ब0पी0जी0 कालेज बदलापुर, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : हमारा देश शैक्षिक अभिजात वर्ग से शैक्षिक समाज की ओर बढ़ रहा है इस प्रजातांत्रिक आंदोलन को कोई शक्ति रोक नहीं सकती तथा यह भी सत्य है कि परीक्षा में विद्यार्थी की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तथा उपयुक्त परीक्षा पद्धति की अत्यंत आवश्यकता है। 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा पद्धति मैं सुधार के लिए सिफारिश की है ।

आधुनिक परीक्षाएं केवल पाठ्यक्रम के रूप को निश्चित नहीं करती हैं। बल्कि वे शिक्षण विधियों के रूप को भी निश्चित करती हैं। वास्तविक स्थिति तो यह है कि ये सारी शैक्षिक व्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव डालती है। तथा शिक्षक एवं विद्यार्थियों के सारे प्रयत्न इसी प्रकार आधारित हो जाता है।

कुछ लोग वर्तमान परीक्षा प्रणाली को सही नहीं मानते और इससे समाप्त करने का सुझाव देते हैं। इस संदर्भ में F-W- नौरबुड (1972) ने कहा कि'' आधुनिक परीक्षा प्रणाली ऐसी है, कि इसमें सुधार नहीं हो सकता है। इसे तो समाप्त कर देना चाहिए।''

परीक्षा का अर्थ : परीक्षा से हमारा तात्पर्य है कि शिक्षक तथा अधिकारी वर्ग विद्यार्थियों के कार्यों को व्यवस्थित रूप से जांच करें और यह देखें कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कितनी प्रगति की है। परीक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पेज तथा थामस (1952) ने कहा है कि ''परीक्षाएं योग्यता, उपलब्धि तथा किसी विषय में वर्तमान निष्पादन का मूल्यांकन है।''

परीक्षाओं का उद्देश्यः

1. छात्रों की उपलब्धि का ज्ञान ।
2. शिक्षण विधियों की सफलता की जाँच ।
3. छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास ।
4. शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना ।
5. छात्रों के वर्गीकरण में सहायक ।
6. अध्यापकों की कार्यकुशलता का मापदंड ।
7. छात्रों के चयन में सहायक ।
8. विद्यालय के स्तर का ज्ञान ।
9. विद्यालय का समाज के द्वारा मूल्यांकन ।
10. मार्गदर्शन में सहायक ।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष :

1. स्मरण शक्ति पर प्रबल : वर्तमान परीक्षा प्रणाली में रटने पर अधिक बल दिया जाता है प्राप्त ज्ञान के उपयोग का अवसर विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता, जिस बच्चे के रटने की क्षमता एवं स्मरण शक्ति ज्यादा होती है वह परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर लेता है परंतु इससे उसके ज्ञान की गहराई का पता नहीं चलता, वास्तव में परीक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे बच्चे की संपूर्ण क्षमता का ज्ञान प्राप्त हो सके न कि केवल स्मरण शक्ति का–

2. परीक्षा साधन के स्थान पर साध्य के रूप में : परीक्षा एक साधन है जिसके द्वारा छात्रों की सफलता की जांच होती है। परंतु वर्तमान परीक्षा प्रणाली स्वयं साध्य बन बैठी है। इसी के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि आदि का निर्धारण होता है। यह परीक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष है। इस विषय में रेनत्तमद महोदय ने कहा है। ''बुराई उस समय उत्पन्न होती है जब परीक्षाओं को कार्य की परीक्षा के स्थान पर कार्य को परीक्षाओं के अनुकूल होना होता है।''

3. विश्वसनीयता का अभाव : परीक्षकों के द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात दिए गए अंकों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इसलिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता स्टार्च एवं इलियट ने एक कापी को 120 परीक्षकों से मूल्यांकन करवाया और प्राप्तांक 28 से 92% तक अंक प्राप्त किए इस परीक्षण से वर्तमान परीक्षा की अविश्वसनीयता स्पष्ट होती है।

4. वैधता का अभाव : वर्तमान परीक्षा अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने मैं असमर्थ है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उसके स्थान पर वह बालक की अन्य क्षमताओं का मूल्यांकन करती है जैसे बालक के ज्ञान का कम उसकी लेखन क्षमता तथा सुंदर लिखावट का मूल्यांकन होता है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों की उपलब्धियों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं करती।

5. वस्तुनिष्ठता का अभाव : वर्तमान परीक्षा प्रणाली में वस्तुनिष्ठता का नितांत अभाव पाया जाता है। इसमें परीक्षक वस्तुनिष्ठता के प्रति निष्ठावान ना होकर विषयगत विचारों से प्रभावित होते हैं। छात्रों के प्राप्तांक पर परीक्षकों की मनोदशा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है।

6. भविष्यवाणी करना कठिन : यह परीक्षा प्रणाली किसी भी रूप में बालकों के समक्ष उनकी तर्कशक्ति एवं निर्णय शक्ति आदि की जाँच नहीं करती बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं परंतु वास्तविक जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते और बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में अनुउत्तीर्ण होने पर भी व्यवहारिक जीवन में बहुत कुशल होते हैं।

7. व्यक्तित्व के विकास पर बुरा प्रभाव : परीक्षाएं विद्यार्थियों के स्वतंत्र चिंतन तथा समुचित बौद्धिक शक्तियों को विकसित करने में हमेशा बाधक रहती है अतः इससे छात्रों का व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध होता है वर्तमान परीक्षा बालक को निरंतर रटने और याद कराने के लिए प्रेरित करती है अतः परिणाम यह होता है कि छात्र के चिंतन को सही दिशा नहीं मिल पाती है।

8. नकल की समस्या : वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों को नकल कराने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम से कुछ चुने हुए प्रश्न आते हैं और उसके कुछ निर्धारित उत्तर उपलब्ध होते हैं। इस पर्याप्त सुविधा का छात्र भरपूर लाभ उठाते हैं। और आसानी से नकल करते हैं। तथा वर्ष भर मेहनत करके परीक्षा देने वाले छात्रों से अधिक अंक पा जाते हैं। यह नहीं बच्चों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कुछ विद्यालय तो नकल कराने के लिए ठेका भी लेते हैं।

9. शिक्षा के स्तर में गिरावट : आज की शिक्षा व्यवस्था परीक्षा को विशेष महत्व प्रदान करती है शिक्षा का अर्थ अच्छे अंको से परीक्षा उत्तीर्ण करना ही मात्र रह गया है इसका सीधा प्रभाव शिक्षण कार्य पर भी पड़ रहा है अध्यापक अध्ययन एवं अध्यापन के उपयोगी कार्यों को छोड़कर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को लिखकर रटा देते हैं अन्य कार्यों को निरर्थक एवं समय नष्ट करने वाला समझा जाता है।

10. प्रश्न पत्रों की दोषपूर्ण रचना : परीक्षा में कभी–कभी अत्यंत कठिन प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो कभी–कभी सामान्य स्तर से भी सरल प्रश्न आ जाते हैं। कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रश्न पत्रों में पाठ्यक्रम के बाहर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऐसी स्थिति में छात्रों के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तथा छात्रों में असंतोष फैलती है।

परीक्षा प्रणाली में सुधार के कुछ उपाय : परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली के साथ–साथ आंतरिक परीक्षा की भी आवश्यकता होती है। यू0जी0सी0 ने आंतरिक परीक्षा के लिए 50% अंक निर्धारित किए हैं। आंतरिक परीक्षा में जो शिक्षक विषय से संबंधित है उसे पढ़ाता है वही आंतरिक मूल्यांकन का कार्य भी करता है। इस परीक्षा के निम्न लाभ बताए गए ।

1. सहयोग से सफल एवं असफल होने वाले छात्रों की संभावनाएं कम होती है ।
2. आंतरिक परीक्षा वर्तमान परीक्षा की अपेक्षा ज्यादा वस्तुनिष्ठ होती है ।
3. इसमें वर्ष भर के कार्यों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है ।
4. आंतरिक परीक्षा के अंक परीक्षाफल में जुड़ने के कारण छात्र वर्ष भर पढ़ाई के प्रति सचेत रहता है ।
5. अनुशासन की समस्या समाप्त हो जाती है ।
6. शिक्षक छात्र के बीच अच्छे संबंध स्थापित होते हैं ।
7. शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही शिक्षण कार्य के प्रति सचेत रहते हैं ।
8. आंतरिक परीक्षा में शिक्षक भी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में सोचते हैं ।
9. रटने के महत्व कम हो जाते हैं ।
10. नकल की समस्या समाप्त हो जाती है ।

सन्दर्भ :

1. Examination reform plan of action UGC New Delhi -1981
2. Verma, L.K. Indian educational review- 1981
3. Rai, V.K. Attitude of examiners toward spot evaluation system-1989
4. U.G.C. A Minimum Program of exam reform 1982

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 37-38

ग्रामीण महिला उद्यमिता विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

डॉ0 अनिता चन्द*
*मकान न0–10, ग्राम–कोहरा खूर्द, पोस्ट–कोहरा बुजूर्ग, तहसील–गोला, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : महिलाओं का हाशिए पर रखने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। मानव समाज का यह दुशित कृत्य है, जिसमें समाज के आधारभूत संभाग को ही कमजोर बना दिया गया। समाज के इस नींव को कमजोर करने की प्रकिया में मानव समाज के समाजिक व्यवस्था को विस्मृत कर दिया है। इस आधार पर यह कहना अतिश्योक्ति नही होगा कि महिलाओं के अभाव में किसी भी समाज के विकास की परिकल्पना असत्य है।

समाज की मुख्य धारा से महिलाओ को सम्बद्ध किये बिना किसी समाज राज्य या देश की सामाजिक आर्थिक एंव राजनीतिक विकास की कल्पना नही की जा सकती। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगा सकता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की प्रगति कितनी हुई है? उनके विचार में किसी समाज के उन्नत होने का मापदण्ड उस समाज के पुरूष न होकर स्त्रियॉ है। आपने 1928 में महिलाओं के कल्याणर्थ मुम्बई में महिला मण्डल की स्थापना की। अल्टेकर ने भी लिखा है कि नारी के प्रति सम्मान की मात्रा समाज की सभ्यता का मापदण्ड है। नारी ही निष्ठा व प्रेम की संजीवनी बुटी है। अतः किसी समाज के सर्वागींण अध्ययन एवं विकास के लिये नारी के सम्पूर्ण पक्षों के अध्ययन की आवश्यकता है।[1] समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि भारतीय नारी संस्कृति के कई स्तरों से गुजरी है। युगों–युगों से उत्थान पतन की तरंगों से झुलती हुई नारी को कभी सम्मान का स्वर्णिम शिखर प्राप्त हुआ, तो कभी अद्यःपतन की मझधार। ब्रिटिश शासन की अवधि ने हमारे समाज की सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किये। ब्रिटिश शासनकाल के दो शताब्दी की अवधि में हमारे देश के बुद्धजीवियों द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से महिलाओं की स्थिति को सुधारने का कार्य उल्लेखनीय रूप से किया गया।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में महिलाओं ने भी अपना संगठन बनाना प्रारम्भ कर दिया था। यह अवधि महिला संगठन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उस समय बंग महिला समाज व महिला थियोसोफिकल सोसाइटी जैसे, संगठन महिलाओं के लिये स्थानीय स्तर पर पाँच महिला संगठन भी सक्रीय रूप से महिलाओं के लिये कार्यरत थे जैसे भारत में महिला परिषद, जो 1904 में स्त्रियों के मुक्ति के संघर्ष हेतु, भारत स्वर्ण महामण्डल (1910), महिला भारतीय संघ (1917), श्रीमती एनी बेसेन्ट द्वारा (मद्रास) भारतीय महिला परिषद (1925), लेडी उवरडन तथा लेडी टाटा द्वारा ऑल इण्डिया वुमेंन कान्फ्रेंस (1927) में मार्गरेट कजिन्स तथा अन्य लागों द्वारा स्थापित किया गया। इन सभी संगठनों ने स्त्रियों की शिक्षा पर्दा प्रथा व बाल विवाह जैसे बुराइयों का उन्मूलन हिन्दू अधिनियम में सुधार, स्त्रियों की नैतिक व भौतिक प्रगति, अधिकारी व अवसरों की समानता और स्त्रियों के मताधिकार जैसे मामले को उठाया।[2] **के0 एम0 कपाडिया** के अनुसार, समकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका एंव परिस्थति से सम्बन्धित परम्परागत अवधारणा धीरे–धीरे परिवर्तित हो रही है।[3]

आज अनवरत संघर्ष के बल पर देश की महिलाओं ने सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर चढ़कर प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को पुरूषों के समकक्ष सिद्ध किया है। गॉधी जी ने कहा था कि महिलाऐं किसी प्रकार से कमजोर नहीं है, वह पुरूषों से श्रेष्ठ है। महिला और पुरूष एक दूसरे के पूरक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओ की क्षमता अथवा आत्मनिर्भरता मे वृद्धि हुई है। वे रोजगार के माध्यम से दिन–प्रतिदिन विकास के मार्ग पर अग्रसर होती जा रही है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है और वे गाँव में पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान कर रही है। वे नये जोश के साथ रसोईघर की दहलीज को लाँघ कर सामाजिक दायित्व निभाती दिखाई पड़ रही है। अपने सपनों को साकार करने के लिए महिलाओं ने गरीबी और सामाजिक बंधनों को भी तोड़ा है। ये सुधार प्रत्येक रूप में महिलाओं के चेतना का प्रतिक है। महिलाओं ने आज प्रत्येक क्षेत्र में अपनी स्थिति को निश्चित कर लिया है। उद्देष्य के प्रति समर्पण, प्रतिबद्धता और विपरित परिस्थितियों में धैर्य जैसे स्त्रियों के गुण सराहनीय है। समाजसेवा, राजनीति, खेल, साहित्य कला, सिनेमा, संगीत विज्ञा, उद्योग या सेना आदि अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने विजय प्राप्त की है। अतः स्त्रियॉ आत्मशक्ति की प्रतीक है।[4] एक सशक्त समाज ही देश कर मजबूती का आधार है। आवश्यकता है कि समाज में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्तर पर, निर्णयन सम्बन्धी अधिकार पुरूषों के समान प्राप्त हो। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिला सुधार प्रक्रिया को बल दिया गया। महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं में राजनीति के साथ आर्थिक एवं सामाजिक पोषण प्रदान किया गया। महिलाओं को विकसित समाज की मुख्यधारा से जोड़नें के लिए विधायी उपाय कल्याणकारी योजनाएॅ तथा विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया। महिला शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराये गये। जिससे महिलाओं में स्वसवलम्बन और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हो सकी। अतः महिला सुधार की पहल समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन का स्वरूप लिए राष्ट्र विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित हो गयी है। स्त्रियों की आर्थिक सुदृढ़ता में व्यापक परिकल्प निश्चित किया गया है। मानवीयता, मानव संसाधन विकास, समानता, न्याय एवं राष्ट्र की प्रगति आदि लक्ष्यों का निर्धारण महिला आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण परिकल्पना है। शिक्षा, जागरूकता, दृढ़ इच्छाशक्ति, राष्ट्रीय नीति में सुधार के साथ स्वैच्छिक संगठनों का निमार्ण आदि महिला उद्यमिता विकास की पूर्वापेक्षाएॅ है। स्त्री तथा पुरूष दोनों ने मिलकर अभिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के अनेकानेक प्रयास किये है कुछ सीमा तक सफलता भी प्राप्त हुई है। प्राचीन एवं मध्यकाल में स्त्री के सम्मुख स्वतन्त्र रूप ये आजीविका उपार्जन का कोई साधन नही था। स्त्रियों के लिए विवाह ही सुखमय जीवन का आधार था

स्त्री के लिए विवाह एक तटस्थ मूल्य अवधारणा थी। अतः विवाह के पश्चात् आर्थिक दृष्टि से पति पर अवलम्बित होने से पति का वंशवति होना स्वाभाविक था। साम्प्रतः समाज में स्थितियो में परिवर्तन हो गया है। शिक्षित होने से स्त्रियों में आर्थिक स्वावलम्बन की क्षमता में वृद्धि हो गई है। वे स्वतन्त्र स्वावलम्बन के साथ आजीविका उपार्जन कर सकती है अपने निर्वाह के लिए पति पर निर्भर रहने अथवा विवाह करने की पहले जैसे अनिवार्यता का पतन हो गया है। अब वे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए विद्याभ्यास करती है। हाटे के अन्वेषण में 37 प्रतिशत स्त्रियों का लक्ष्य अपनी शिक्षा प्राप्ति से आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है।[5] स्त्रियों का आर्थिक स्वतन्त्रता वर्तमान आधुनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मानव चेतना का यह एक ऐसा परिकल्प है जिसमें मानव समाज के दूसरे सम्भाग को मानवीयता प्रदान किया गया। मानव समाज नई व्यवस्था की ओर उन्मुख हो गया।

आदर्शात्मक व्यवस्था के बाद अस्तित्वात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ। स्त्रियॉ संघर्षशील हो गयी है। यह एक भौतिक संघर्ष है। इससे स्वयं को भौतिक रूप से स्थापित करना है। अतः कुछ पारम्परिक मूल्यों का पतन स्त्रियों के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कीमत है। विवाह की अनिवार्यता, जन्म जन्मान्तर का बन्धन, लोक–लाज, पर्दाप्रथा, आर्थिक अवलम्बन आदर्शात्मक व्यवस्था के मूल्य थे। जिसकी समाप्ति के उपरान्त एक महत्वपूर्ण मूल्य की स्थापना सम्भव हो पाई है। यद्यपि इस अवस्थापना के उपरान्त कुछ समस्याओं को भी अंकित किया जा सकता है। परिवारिक अस्थिता बच्चों के देखभाल एवं सामाजिक पोषण में कमी, पति–पत्नी में प्रेम का अभाव, विवाह–विच्छेद आदि समस्याएं उद्धत होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाह के पहले स्वतन्त्र कमाई करने वाली स्त्रियों में 70 से 80 प्रतिशत विवाह के बाद यह अनुभव करती है कि वह अब पहले जैसे जीवन स्तर रख सकती है। इस कारण से वे वैवाहिक बंधन से मुक्त होने का प्रयास करती है।

अतः परम्परा और आधुनिकता के बीच यह एक द्वन्दात्मक स्थिती है। एक ओर अतीत का मोह तो दूसरी ओर विकास की अनिवर्याता। गॉव की परम्परागत प्रकृति आदर्शात्मक व्यवस्थता के मूल्यों को पूर्णतः त्याग नहीं पाया है। स्वाभाविक है कि स्त्रियों में जड़ता आज भी यहॉ किसी न किसी रूप में विद्यमान है। नये–नये उपायों का प्रादुर्भाव प्रारम्भिक पूर्वापेक्षाओं का ही परिणाम रहा है अर्थात् शिक्षा के बढते प्रभाव से ग्रामीण महिलाएँ जागरूक हुई है। जहाँ राष्ट्रीय नीति सवैधानिक उपायों के साथ महिलाओं में सशक्तीकरण वही विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ स्वप्रयास के रूप में समूहों का निर्माण उद्यमिता विकास की महत्वपूर्ण आवश्कता बन चुकी है। स्वयं क्षेत्र को अनेक चुनौतियों और समस्यओं का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में अति संकल्पवान लोगों को अपेक्षाकृत सीमित साधनों के भितर ही काम करना होता है। इससे उनके काम और भी कठिन हो जाते है। परम्परा और आधुनिकता के बीच स्थापित इस संघर्ष में उद्यमिता विकास में स्वयं सहायता समहों की भूमिका एक चुनौती है।

आज भारत में 36.78 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है जो विभिन्न प्रकार से महिलाओं के आर्थिक विकास में योगदान कर रही है। समूह में ग्रामीण महिलाओं को बढ़ई गिरी और राजगिरी का प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देकर सामाजिक अवरोधों को नष्ट करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह नवाचार का एक अच्छा उदाहरण है। लीक से हटकर यह ऐसी सोच है जो कौशल विकास के साथ–साथ रूढ़ियों को भी ध्वस्त करती है।[6]

स्वयं सहायता समूहों से बैकों और अन्य सरकारी/गैरसरकारी वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्सम्बन्ध ने ग्रामीण गरीबी को दूर करने और ग्रामीण महिलाओ मे उद्यमिता से सम्बन्धित गुणों के विकास में अब तक एक महत्वपर्ण कारक सिद्ध हुआ है। लाखों ग्रामीण परिवार जो कि इतने निर्धन है कि बैकों से सीधे ऋण नहीं प्राप्त कर सकते और विषक्तः महिलाओं जिनके पास समान्यतः कोई चल–अचल सम्पत्ति नही होती है, वे बैकिंग प्रणाली का लाभ उठा रहीं है। साल दर साल महिलाओं द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों में इस बात को प्रमाणिक करने के लिए पर्याप्त है, के स्वयं सहायता समूहों का गठन समाज की ऐसी महिलाएँ जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है, के लिए अत्यन्त लाभकारी है। अतः इन समूहों के अध्ययन से इसकी सत्यापन अपेक्षित है। अतः इन सभी स्थितियों के आधार पर गोरखपुर जनपद जिसमें 6738 स्वंय सहायता समूह का स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यरत है, की ओर शोधर्थिनी उन्मुख है।

सन्दर्भ :

1. अल्टेकर, ए0एस0; (1958): द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिन्द सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
2. आहुजा, राम; (1996) भारतीय सामाजिक व्यावसायिक, रावत पब्लिकेशन जयपुर
3. कपाड़िया ,के0 एम; (1995) भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, हिन्दी अनुवाद हरिकृष्ण रावत, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
4. रमिक्स हिन्दुस्तान रविवार 8 मार्च 2009 वाराणसी, पृ0 2
5. Hate (Mrs.) C.A. the Socio-Economic conditions of Educated woman in Sociology, Bombey, 1930
6. भारत (2011) सूचना विभाग एंव प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पृ0 843

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 39-41

अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकार एवं डॉ0 अम्बेडकर

राकेश कुमार*
*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

सारांश : विश्व में भारत की पहचान "जातियों के देश" के रूप में है। "प्रतिनिधत्व" मूल संवैधानिक शब्दावली है और "आरक्षण" गैर–संवैधानिक और वैकल्पिक। इस वैकल्पिक शब्दावली का इस्तेमाल संविधान में कहीं नहीं है फिर भी आज यही शब्द बुद्धिजीवी, छात्र, शोधार्थी, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारी जनता प्रयोग में लाती है। 1930–32, अस्पृश्यों को अपनी अस्तित्व को भूलाया हुआ इतिहास व सत्ता की मॉंग थी, जो बाबा साहेब ने जाति–पाति में बिखरे हुए लोगों को जातीय जनगणना के द्वारा संख्या आधारित संवैधानिक प्रावधान कर उसे पुरा करना था, ताकि सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए यह एक संवैधानिक मांग थी। ब्रिटिश उदार वादियों ने भारत के कमजोर वर्गो के संरक्षण के लिए बाबा साहेब से भी पहले कई कानून व अधिकार लागू करता रहा लेकिन उसे अमल में नहीं आने दिया, लेकिन बाबा साहेब अबेडकर ने जबसे अपना होश संभाला तब से अर्थात 1917 से लेकर 1956 तक, कभी समाजसेवी बनकर, कभी वकील बनकर, कभी मंत्री बनकर और अंत में संविधान शिल्पी बनकर सतत संघर्षरत रहे।

मुख्य शब्द : सामाजिक पिछड़ापन, जाति व्यवस्था, भेदभाव, हिन्दू समाज, संवैधानिक अधिकार आदि।

भूमिका : बाबासाहेब डॉ0 अबेडकर न केवल दलितों को संवैधानिक अधिकार दिलाये बल्कि भारतीय समाज के सभी वर्गो के लिए संवैधानिक अधिकार दिलाये। बाबा साहेब ने अछूतपन की पीड़ाओं को झेलते हुए एहसास किया, कि मेरे ऐसे विदेषी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ उसमें भी अंग्रेजी शासन में छूत लगने से उच्च वर्गो को मन प्रभावित हो जाता है तो हमारे अनपढ़ अछूत भाईयों के साथ क्या बितता होगा। वे दलितो के लिए लड़ाई अपने जिम्मे लिया और वे ब्रिटिश भारत से लेकर आजाद भारत की कानूनो में भूमिका निभाई। जैसा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान सभा में डिबेट समाप्त करते हुए उन्होने कहा 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करेगें। ''हम राजनीति में एक व्यक्ति एक मत और एक मत एक आदर्श'' के सिद्धान्त को मानेगे। परंतु सामाजिक–आर्थिक संरचना के कारण हम सामाजिक–आर्थिक जीवन में ''एक व्यक्ति एक आदर्श'' के सिद्धांत को नही मानेगें। आखिर कब तक हम अंतविरोधों के साथ जीऐंगें? डॉ0 अम्बेडकर के शब्दो में ''किसी देश का संविधान उसका मूल दस्तावेज होता है। इसलिए हमें यथाशीघ्र सामाजिक–आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने पर विचार करते हुए अंतर्विरोधों से निजात पाने का भरसक प्रयास ईमानदारी से करना होगा, वरना असमानता से पीड़ित लोग उस राजनैतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देगें जिसे बहुत मुश्किल से तैयार किया गया।[1]

अछूतों को दासता से मुक्त करने के लिए इस्ट इंडिया कम्पनी ने 1843 में एक Emancuptation Act (मुक्त कानून) पारित किया इण्डियन पीनल कोड (भारत दण्ड संहिता) को जनवरी 1862 को लागू हुआ, जिसमें 370–371 आदि धाराओं में दासता को अवैध करार दिया गया लेकिन यह रूकी नहीं और बन्धक मजदूरी के रूप में निरंतर जारी रहा।[2]

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : ब्रिटिश शासन के बावजूद ब्राह्मणों का ही बोलबाला था सरकार ने समय–समय पर अस्पृश्यां का कानून व्यवस्था के आधार पर हक दिया पर उसे ब्राह्मणों ने लागू नहीं होने दिया। यदि ब्रिटिश शासन दबाव देकर अस्पृश्यों का अधिकार देने का कार्यान्वयन करता तो उसे वापस जाना पड़ता, क्योंकि ऐसा करने पर ब्राह्मणों द्वारा विरोध किया जाता। ब्रिटिश उदारवादियों ने पाया दलित सताया हुआ एक वर्ग है इसे संवैधानिक सहारा चाहिए और भारत के कमजोर वर्गो के संरक्षण के लिए बाबा साहेब से भी पहले कई कानून व अधिकार लागू करता रहा लेकिन उसे अमल में यहाँ के ब्राह्मणों ने नहीं आने दिया। जैसे दंड प्रक्रिया सहिता...शिक्षा.... बाल मजदूर...,बाल विवाह... विधवा विवाह कानून इत्यादि।[3] लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब से अपना होश संभाला तब से अर्थात 1917 से लेकर 1956 तक, कभी समाजसेवी बनकर कभी वकील बनकर, कभी मंत्री बनकर और अंत में संविधान शिल्पी बनकर सतत् संघर्षरत हर जगह वह हर मोड़ पर दलितो अनुसूचित जाति के हित में आवाज उठाते हुए प्रतिनिधित्व कैसे मिले संवैधनिक अधिकार हेतु उनका संघर्ष था।

दूसरी गोलमेज सम्मेलन गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि बनकर अस्पृश्यों का नेता साबित होने के लिए लंदन गए पर बाबा साहेब ने उन्हें नकली साबित करने के लिए सारी ब्यौरा एवं सामाजिक परिघटनाओं का साक्ष्य जुटान करके गोलमेज में लिखित साक्ष्य एवं बयान दोनों तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे गोलमेज ने 1932 को अछूतों के हक में डॉ0 अम्बेडकर की जायज बात मानकर जारी कर दिया, जिसके कारण आव न ताव, गांधी जी भूख–हड़ताल कर दिया इसे और साबित हो गया कि वास्तव में गांधी अछूतों के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर ने 'नेहरू रिपोर्ट' में दलितों का प्रावधान नहीं होने के कारण नाराजगी जताते हुए सायमन कमीशन को दो निवेदन दिए। व्यस्क मताधिकार और विधानमंडल में आरक्षित जगह और प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए। इस बात को बाबा साहेब तीनों गोलमेज परिषद, 1930, 1931, 1932 में लंदन में भाग लेकर अछूतों की समस्या सम्मेलन के अन्दर व बाहर की दुनिया में जगजाहिर की जिससे रैम्जे मैक्डोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 8 अगस्त 1932 का जातीय समस्या का समाधान ईसाई, युरोपियन, मुस्लिमों को पृथक मताधिकार और दलितों को आरक्षित मताधिकार और पृथक मताधिकार घोषित किया गया।[4] ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने Communal Award द्वारा दलितों को दोहरी मताधिकार दिए जाने के कारण गांधी के पुना के यरवदा जेल में भूख हड़ताल करने पर उनके सहयोगी भड़क गए और पुरे भारत में अछूतों के झोपड़ियों का आगजनी और रक्तपात किया।

साथ ही साथ बाबा साहेब पर भी अनेक प्रकार के दबाव बनाया गया, जिसके चलते 'पुना समझौता' करना पड़ा और मिली हुई प्रथम मताधिकार और आरक्षित सीटें खोनी पड़ी।[5]

बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर 1942 ऑल इंडिया शैडयूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इस पार्टी ने जुलाई 1946 की संविधान सभा चुनाव में भाग लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने "ब्रिटिश भारत के कुल 292 स्थानों में 212 कांग्रेस और 73 मुस्लिम लीग जीत हासिल की। लेकिन कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को केवल आंशिक मान्यता ही दी, जिससे संविधान सभा के कामकाज में मुस्लिम लीग ने अवरोध पैदा कर स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया। इससे पूर्व बाबा साहेब द्वारा ऑल इंडिया शैडयूल्ड कॉस्ट फेडरेशन की ओर से खड़े किए गए उम्मीदवार चुनाव में हार गए जिससे मुम्बई से उम्मीदवार नहीं बन सके। इसलिए वे बंगाल विधानमंडल से संविधान सभा में चुने गए। बाद में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता प्राप्त हई जिससे उनका चुना गया क्षेत्र पश्चिम बंगाल प्रदेश का क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में जाने के कारण उनका संविधान सभा की सदस्यता रद्द हो गई। परंतु बाबा साहेब को संविधान सभा में न रहना सूर्य का न होना था। इसलिए डॉ0 अम्बेडकर को मुम्बई प्रांत से कांग्रेस के आला कमान के आदेशानुसार पुनः चुनकर संविधान सभा में लाया गया। 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति नियुक्त की गई। इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 हुई और उन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी डाली गई।[6] उन्हें खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी भारतीय संविधान लिखा। 26 नवंबर 1949 को संविधान की पूर्ण चर्चा में डॉ0 अम्बेडकर अपने भाषण में बताया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभाके 2 वर्ष 11 माह 17 दिन हो गए। जिसमें 11 बैठक हुई। इन 11 बैठकों के 165 दिन लगे। केवल संविधान के मसौदे पर विचार करने में 114 दिन लगे। 13 दिसम्बर 1946 को प0 जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के निर्माण हेतु उद्देश्य एवं लक्ष्यों का मसौदा सदन में बहस के लिए रखा। इस मसौदे पर पहली बार बाबा साहेब 17 नवंबर 1946 को अपना वक्तव्य दिया।

बाबा साहेब ने कहा, कि यह मसौदा कुछ अधिकारों की बात तो करता है लेकिन किसी प्रकार के उपचार (रेमिडिज) की बात नहीं करता है और न किसी व्यक्ति की जान स्वतंत्रता एवं संपत्ति विधि की उचित प्रक्रिया में नहीं ली जा सकती का जिक्र इस मसौदे में नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय संभव है इसलिए मैं इस मसौदे से निराश हूँ। वैसे तो डॉ0 अम्बेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में कई योगदान है, परंतु उनमें से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रजातांत्रिक संविधान का निर्माण सबसे मौलिक एवं महत्वपूर्ण है।[7]

अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकार : दलितों के उत्थान के लिए बाबा साहेब ने भारतीय संविधान के निर्माण के समय अनेक अनुच्छेदों के अन्तर्गत दलितों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और संवैधानिक संरक्षण प्रदान किये। संविधान के अनुच्छेद 15 (2) के अर्न्तगत दुकानों, सार्वजनिक भोजनायलयों, मनोरंजन स्थानों, कुओं, स्नान घाटों, सड़कों और सरकारी धन से पुरी तरह से संरक्षित किसी भी स्थानों के उपयोग संबंधी सभी अयोग्यताएँ, रूकावटे और शर्ते समाप्त कर दी गयी। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत एवं संविधान की धारा 15 (अ) के अन्तर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 ई0 में पारित कर सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। अधिनियम की धारा 15 ए(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के द्वारा इस कानून पर कारगर तरीको से अनल करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गयी। 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में छुआछूत के मामलों में कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया। 19 राज्यों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की निगरानी के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित किये गये। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में छुआछूत की कुप्रथा वाले जिलों में तेजी से निपटने के लिए 42 विशेष चलती–फिरती अदालते भी गठित गयी। संविधान के अनुच्छेद 19 (5) में दलित जातियों को आम नागरिक की तरह आने–जाने, रहने बसने, सम्पत्ति खरीदने बेचने का अधिकार एवं अनुच्छेद 23 के तहत दालितों को जबरन मजदूरी कराने पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

अनुच्छेद 25 (ख) के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक और हिन्दू धार्मिक संस्थाओं दलितों के लिए खोल दिया गया। अनुच्छेद 29 (2) के द्वारा सभी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश एवं अनुच्छेद 46 में राज्य के सभी दलित जातियों को सामाजिक एवं आर्थिक प्रोत्साहन के साथ–साथ अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 339 से 342 तक ऐसी जातियों के विषय में राष्ट्रपति को विशेष अधिकारी की नियुक्ति तथा आयोग के गठन का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 338 के तहत विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजातीय आयेाग का गठन किया गया। अनुच्छेद 16 (4) में नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गयी थी परन्तु बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण की दिशा स्पष्ट करने के लिए इसके साथ पिछड़ा शब्द जुड़वा दिये थे।[8] अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अन्तर्गत लोकसभा और विधान सभाओं में दलितों का स्थान आरक्षित किये गये। संविधान के अनुच्छेद 243 घ (1) में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में, प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों के अनुपात में वही होगा और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम आवंटित किये जा सकेंगे। आरक्षित स्थानों की कुल संख्या में 1/3 स्थान इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।[9] अंतिम रूप में संविधान के मसौदे में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है। संविधान के मसौदे पर भेजे गए कुल संशोधनों की संख्या लगभग 7635 थी। इनमें से सभा में पेश किए गए संशोधनों की संख्या 2474 थी। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सिवाय एक सदस्य के मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य के प्रति संविधान सभा के सदस्यों ने सामान्यतया प्रशंसात्मक भाव प्रकट किए हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान में पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने हेतु केवल "जाति" को दो अनिवार्य शर्तो पर आधार बनाया गया– सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन।[10] संविधान के अनुच्छेद 15(1) में निर्दिष्ट है कि, "राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" अनुच्छेद 15, भारत, भारत के प्रत्येक नागरिक को समता के व्यवहार की गारंटी देता है। इसके बावजूद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को "जाति" के आधार पर ही आरक्षण प्रदान किया गया। "जाति" आरक्षण का वैध आधार तब बनी जब

स्वतंत्र भारत में संसद द्वारा सन् 1951 में संविधान का वैध आधार पर तब बनी जब स्वतंत्र भारत में संसद द्वारा सन् 1951 में संविधान का प्रथम संशोधन "जाति" को "आरक्षण का आधार" बनाने के लिए किया गया।[11] इस संशोधन के जरिये अनुच्छेद 15(4), जो "आरक्षण अनुच्छेद" के नाम से जाना जाता है, संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि, "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के कीन्हीं वर्गो की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवार्सित नहीं करेगी।"

निष्कर्ष : यदि कांग्रेस एवं गांधी ने दलितों के लिए बाबा साहेब द्वारा हक व अधिकारों की मांग को 1917 से 1932 तक उठाए जाने के प्रति ह्रदय परिवर्तन कर समाजहित में मान लियाहोता तो यह देश 1932 में ही जल्द स्वतंत्र होने का रास्ता साफ हो जाता। ऐसी स्थिति में दलितों में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक वस्तु स्थिति से समझने और उसे उपर उठने का मौका मिल जाता, जिससे बाबा साहेब को भी पूरे देश में संवैधानिक अधिकार पूर्णरूपेन सक्रिय करने में सफल होते। साथ ही "प्रतिनिधत्व" मूल संवैधानिक शब्दावली है और "आरक्षण" गैर–संवैधानिक और वैकल्पिक। इस वैकल्पिक शब्दावली का इस्तेमाल संविधानमें कहीं नहीं है फिर भी आज यही शब्द बुद्धिजीवी, छात्र, शोधार्थी, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारी जनता प्रयोग में लाती है। संवैधानिक शब्द "प्रतिनिधित्व" को दफनाकर वैकल्पिक शब्द "आरक्षण" क्यों गढ़ा गया, यह अनुसन्धान का विषय हो सकता है। बाबा साहेब का एक ही ध्येय था बल्कि आजाद भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों को अधिकार समुचित रूप से प्राप्त हो। वास्तव में उन्हीं का देन है कि आज अनुसूचित जातियों सभी स्थानों पर नजर आ रहे हैं।

सन्दर्भ :

1. कुमार, राजन; ''में से नहीं, 'हम' से बनेगा राष्ट्र'' सामाजिक न्याय संदेश, दिल्ली, अगस्त, 2016, पृ0 10–11
2. बाली, एल आर, डॉ0 अम्बेडकर ने क्या किया? भीम पत्रिका पब्लिकेशन जालंधर, 2013, पृ0 62
3. सुर्या, अनिल; बाबासाहेब, डॉ0 अम्बेडकर; आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीति, सम्यक प्रकाशन, 2013, पृ0 160
4. वही, पृ0 161
5. वही, पृ0 162
6. वही, पृ0 165
7. कुमार, विवेक; ''राष्ट्रनिर्माण की प्रक्रिया का आरंभ था संविधान निर्माण,'' दलित दस्तक, दिल्ली, पृ0 7–8
8. परमार, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डॉ0 अम्बेडकर की भूमिका, सम्यक प्र., दिल्ली, 2015 पृ0 160
9. सिंह, श्याम; संविधान सभा में डॉ0 अम्बेडकर सम्यक प्रकाशन दिल्ली, 2010 पृ0 189–195
10. कुंभारे, देवानन्द; ''प्रतिनिधित्व का आधार जाति क्यों? फॉरवर्ड प्रेस, अप्रैल, 2015, पृ0 29–34
11. डॉ0 अम्बेडकर; संपूर्ण वांग्मय, खण्ड–04, डॉ0 अम्बेडकर, साइमन कमीशन, केन्द्र सरकार दिल्ली 2013, पृ0 162 –168

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 42-43

स्वतंत्रता आन्दोलन में जवाहर लाल नेहरू की भूमिका

डॉ0 ओम प्रकाश सिंह*
*सहायक प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग, राधिका महाविद्यालय, करवल मझगांवा, गगहा, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्रता आन्दोलन के महान नेता और भारत के निर्माता थे। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में महान भूमिका निभाई। उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता को देखते हुए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिदृश्य में नेहरू का पदार्पण एक झोंके समान था। उनका व्यक्तित्व भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति को अनूठा मेल था। यह उनके व्यक्ति और विचारों का ही प्रभाव था कि एक पिछड़े एवं गरीब देश भारत की आवाज विश्व मंच पर गौर से सुनी जाती थी। नेहरू रूजवेल्ट, लेनिन और माओ की श्रेणी के नेता थे। वे सच्चे मायने में एक विश्व नेता थे। भारत के विषय में उनका एक स्थान था। वे एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो लोकतंत्र के मानवतावादी मूल्यों पर आधारित हो, जो सामाजिक बुराईयों से मुक्त हो, जिसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, जो अहिंसा और शान्ति का अग्रदूत हो, जो प्रगतिशील और आर्थिक रूप से मजबूत व आत्मनिर्भर हो, जहाँ सभी धर्मों व समुदायों के बीच सद्भावना व सौहार्द हो, जिसकी एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हो, जिसका अपना स्वतंत्र व स्वाभिमानी वजूद हो।

गांधी युग के महान नेता, जवाहर लाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों में केवल गांधी से ही कम थे। वास्तव में गांधी जी के अतिरिक्त जवाहर लाल नेहरू ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पण्डित नेहरू भारतीय राजनैतिक रंगमंच पर ऐसे छा गए कि भारत नेहरू था और नेहरू भारत था। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पण्डित मोतीलाल नेहरू के घर 14 नवम्बर 1889 को जन्म लिया। एक अमीर वकील के बेटे होने के कारण उन्हें विद्या ग्रहण करने के लिए इंग्लैण्ड भेज दिया गया। 1912 में वह बैरिस्टर बनकर लौटे। उन्होंने बांकीपुर के कांग्रेस अधिवेशन में एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। पंडित नेहरू की अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए राष्ट्रीयता के परिधि बहुत सकरी थी। वह एक सच्चे अन्तर्राष्ट्रीय भावना से प्रेरित व्यक्ति थे और सदा पद्दलित मानवता के प्रति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरूद्ध विचार व्यक्त करने और भारत की उन्नति के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक ढंगों का प्रयोग करना चाहते थे। उन्होंने कई बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण दिये। भारत के भिन्न–भिन्न भागों में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनेक केन्द्र उनकी दूरदर्शिता के स्पष्ट प्रतीक है।

जवाहर लाल नेहरू ने भारत लौटकर वकालत आरम्भ की और वर्ष से वह भारत की आजादी की बात करने लगे। प्रारम्भ में वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेन्ट के होमरूल आन्दोलन के प्रति आकर्षित हुए। 1918 में उनको होमरूल आन्दोलन का सचिव नियुक्त किया गया। अवधि में उनको भारतीय जनसमुदाय की निर्धारित, पीड़ाओं और कृषकों की दयनीय स्थिति देखने का अवसर मिला। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में संचालित असहयोग आन्दोलन में जवाहर लाल नेहरू ने सक्रिय भाग लिया और उनको कारावास का दण्ड दिया गया। 1923 में उनके अदम्य साहस, अपूर्व उत्साह, देशभक्ति राष्ट्र के प्रति अनन्य निष्ठा एवं समर्पण, मौलिक सुखों एवं आकांक्षाओं के सहर्ष त्याग को सम्मानित करते हुए उनका अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव मनोनीत किया गया। इसी अवधि में वे इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और अपने कार्यकाल में जनहित के अनेक प्रशसंनीय कार्य किये, जिससे उनकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई। 1926 में जवाहर लाल नेहरू ने यूरोप मे आयोजित अनेक साम्यवादी सम्मेलनों में भाग लिया। 1927 में उन्होंने रूस के आर्थिक कार्यक्रमों एवं सामाजिक गतिविधियों का गहन अध्ययन किया। उनकी भावी गतिविधियों, विचारधारा, चिन्तन और कार्यक्रमों में साम्यवादी समाजवादी विचारधारा और दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है।

पं0 नेहरू 1920–21 के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान आन्दोलन के सम्पर्क में आये और उनमें आर्थिक सवालों के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई। 1922–23 के दौरान जब वे जेल गए तब जेल में अवकाश के समय विस्तार से रूस और अन्य देशों की क्रांतियों का अध्ययन किया। 1927 में उन्होंने 'उपनिवेशवाद दमन और साम्राज्यवाद'' के विरोध में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में ब्रुसेल्स में हिस्सा लिया और समूचे विश्व के साम्यवादियों तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं के सम्पर्क में आये। इस समय तक मोटे तौर पर वे मार्क्सवाद को स्वीकार करने लगे थे। उसी वर्ष उन्होंने रूस का दौरा किया और नए सोवियत समाज से काफी प्रभावित हुए। वहाँ से लौटकर उन्होंने सोवियत संघ पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसके मुख्य पृष्ठ पर कवि वर्ड्सवर्थ की फ्रांसीसी क्रांति से सम्बन्धित निम्नांकित पंक्तियाँ लिखी –''उस ओर में जिन्दा रहना आशीर्वाद था, लेकिन युवा होना तो स्वर्ग जैसा था।'' यदि उनकी जीवन के लेखक सर्वपल्ली गोपाल के शब्दों में का जाय तो जवाहर लाल नेहरू ''आत्मसजग क्रांतिकारी होकर लौटे थे।''

सन् 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन पर समस्त भारत में विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये। लखनऊ में जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व के विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इन प्रदर्शनकारियों पर ब्रिटिश पुलिस ने निर्ममता पूर्वक लाठियों के प्रहार किये। नेहरू जी भी घायक हो गए। 1929 में लाहौर में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा किया कि ''हमारा एक ही लक्ष्य है 'स्वाधीनता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता'' इसी अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर अपूर्व उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

सन् 1930 में गांधी जी के द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आन्दोलन में जवाहर लाल नेहरू ने सक्रिय भाग लिया। उनको बंदी बना लिया गया और कारावास का दण्ड दिया गया। गांधी जी द्वारा आन्दोलन स्थगन का उन्होंने विरोध किया। सन् 1931 में उन्हें गांधी इरविन समझौते के बाद उनको कारागार से मुक्त कर दिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद विभिन्न आरोपों में पुनः बंदी बना लिया गया और 2 वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक नेहरू जी सन् 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत अधिनियम, 1935 में प्रावधानों से संतुष्ट नहीं थे। इस अधिनियम के अनुसार सन् 1937 में देश में चुनाव हुए। नेहरू ने देश का संदेश जन–जन तक पहुँचाया। परिणामस्वरूप प्रान्तों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस सरकारों का गठन किया गया। पं0 जवाहर लाल नेहरू एक राजनीतिज्ञ, प्रशासक व देशभक्त होने के साथ–साथ एक योग्य लेखक भी थे। उन्होंने भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक तथा आत्मकथा की रचना की। 27 मई 1964 ई0 को भारत के इस सपूत का दहावसान हो गया। उनकी मृत्यु पर डॉ0 राधाकृष्णन ने कहा था –''श्री नेहरू की मृत्यु से देश का एक युग समाप्त हो गया है। नेहरू का जीवन अनन्त सेवा और समर्पण का जीवन था वे हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति थे, वे एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे, जिनकी मानव जाति के प्रति सेवाएं सदा स्मरण रहेंगी। ''पं0 नेहरू महान राष्ट्रवादी थे। उनका कहना था ''हिन्दुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है और उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे स्वभावतः उकसाती है।'' किन्तु नेहरू को धार्मिक राष्ट्रवाद में कोई रूचि नहीं थी उनका कहना था ''यदि राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तो भारत में न केवल दो वरन् तमाम राष्ट्र मौजूद है। भारत की राष्ट्रीयता न हिन्दू राष्ट्रीयता है, न मुस्लिम, वरन् यह विशुद्ध भारतीय राष्ट्रीय हैं।'' जवाहर लाल नेहरू ने धर्म व राष्ट्रवाद को जोड़ने का विरोध किया। उनका कहना था – मेरी राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता पर आधारित है और आधुनिक विश्व, विज्ञान, व्यापार और यातायात के साधनों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय की नींव पर खड़ा है। कोई भी राष्ट्र विश्व से विमुख नहीं रह सकता।

पं0 नेहरू समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है। उनका विचार था कि देश में उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि औद्योगिक विकास हो सके। औद्योगिक विकास से ही देश का विकास सम्भव है। स्वतंत्र भारत में अपनी नीतियों के द्वारा उन्होंने देश में ठोस लोकतांत्रिक परम्परा की स्थापना की। इसी कारण डॉ0 राधाकृष्णन् ने उनके विषय में लिख है – ''स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व था।''

सन्दर्भ :

1. ग्रोवर, बी0एल0 यशपाल; आधुनिक भारत का इतिहास, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली
2. सक्सेना, सी0के0; भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन, साहित्य भवन पब्लिशर्स प्रा0लि0, आगरा
3. चन्द्र, विपिन; भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
4. मित्तल, ए0के0; भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
5. शुक्ल, भूपेन्द्र नाथ; युग निर्मता नेहरू, आकाशदीप पब्लिकेशन्स, महरौली, नई दिल्ली
6. सिंह, मनोज कुमार एवं चौधरी, शैलेष कुमार; भारतीय राजनीतिक चिन्तक जवाहर लाल नेहरू, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
7. पाथरी, शैलेन्द्र; भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मिश्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, वाराणसी
8. वर्मा, दीनानाथ; आधुनिक भारत, ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्ली

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 44-46

अवस्थापनात्मक तत्व एवं ग्रामीण विकास : एक सैद्धान्तिक अध्ययन

डॉ0 प्रेम प्रकाश मिश्र*
*असि0 प्रोफेसर, भूगोल विभाग, जवाहर लाल नेहरु स्मा0 पी0 जी0 कालेज, महराजगंज (उ0प्र0)

सारांशः किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अनिवार्य एवं आधारभूत पदार्थ परिस्थिति एवं व्यवस्थाएं अवस्थापना तत्व कहे जाते है। अवस्थापनात्मक तत्व के अन्तर्गत किसी क्षेत्र, समुदाय या संगठन की उन्नति एवं निधिकरण हेतु आधारभूत सुविधाएं, साधन, सेवाएं तथा व्यवस्थाएं, सरकारी तथा प्रशासनिक तंत्र को सम्मिलित किया जाता है। वास्तविक रुप में अवस्थापनात्मक तत्व एक समूह बोधक शब्द है। जिसमे किसी भी व्यवसाय के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सहायक सभी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों, अवस्थाओं, सुविधाओं, आश्रयों एवं स्त्रोतों को सम्मिमिलित किया जाता है। वर्मा एस0एस0 1987 ग्रामीण क्षेत्र का समाजिक, आर्थिक विकास उस क्षेत्र के संरचनात्मक परिवर्तन में घटित होता है। संरचनात्मक परिवर्तन विभिन्न अवस्थापनात्मक तत्वों के परिवर्तन से सम्बन्धित होते है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न तत्वों की स्थिति एवं संख्या में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि की समाजिक–आर्थिक रुपान्तरण को प्रभावित करती है। भौगोलिक रुप में अवस्थापनात्मक तत्वों को निम्न रुप में प्रस्तुत कर सकते है।

किसी भी क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण अवस्थापनात्मक तत्वों के समुचित जाल द्वारा सम्भव किया जा सकता है। यद्यपि सभी अवस्थापनात्मक तत्व स्वयंमेव आर्थिक समृद्धि के परिणाम है, लेकिन क्षेत्रीय समाजिक–आर्थिक विशिष्टताओं के सन्दर्भ में अवस्थापना तत्वों की भौगोलिक अवस्थिति एवं वितरण सुचिश्चित करके अर्थतंत्र का क्षेत्रीय नियोजन किया जा सकता है। वस्तुतः अवस्थापनात्मक तत्व प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में योगदान नही देते है, लेकिन ये उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं को सुगम बनाते है। दूसरी ओर अवस्थापनात्मक तत्व प्रत्यक्ष संसाधन होते हुए भी विभिन्न संसाधनों की उपयोगिता में वृद्धि करके उपभोग प्रक्रिया को सुगम बनाते है। इस तरह से उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष योगदान के कारण अवस्थापनात्मक तत्वों को प्रादेशिक नियोजन का आधारभूत अंग माना गया है। ग्रामीण विकास में अवस्थापनात्मक तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मानव अपने सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के लिए इन तत्वों का निर्माण करता है। अवस्थापनात्मक तत्वों की अवस्थिति, वितरण विशेषताएं एवं परिणाम क्षेत्र विषेष की अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर लाती है। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्थापनात्मक तत्वों की स्थिति, विकास एवं वितरण को प्रभावित करती है। ग्रीनवल्ड (1973) ने अवस्थापनात्मक तत्वों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करते हुए इन्हे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नींव कहा है, जिस पर आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग आदि की स्थिति, उत्पादन एवं उत्पादित पदार्थ का संचालन आदि निर्भर है। अवस्थापनात्मक तत्व के रुप में पूँजी, परिवहन, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साधन, विपणन केन्द्र आदि क्षेत्र के सुचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। भौगोलिक रुप में ग्रामीण विकास का आधारभूत तत्व ग्रामीण विकास का आधारभूत तत्व ग्रामीण पूंजी है, क्योंकि ग्रामीण पूंजी के द्वारा ही कृषिगत अर्थव्यवस्था में शीघ्रता से रुपान्तरण होता है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अवस्थापनात्मक तत्व सभी समाजिक–आर्थिक कार्यो तथा क्षेत्रीय विकास को आधार प्रदान करते है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में क्षेत्र विशेष में सभी विकास सम्भावनाओं तथा गतिशील उत्पादन कारकों को प्रभावित करते है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अवस्थापना तत्व क्षेत्र विशेष के विकास के मापदण्ड, ग्रामीण गरीबी एवं बेरोजगारी की अचूक दवा कृषि तथा औद्योगिक विकास हेतु जीवन शक्ति, आर्थिक विकास की पहिया, आधुनिक आर्थिक जगत की महान प्रेरक शक्ति, सम्यक विकास के मूलाधार एवं मानव सभ्यता के दर्पण है।

ग्रामीण विकास : विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो कालक्रमानुसार परिवर्तनशील रहती है। इसी सन्दर्भ मे ग्रामीण विकास की संकल्पना न केवल परिवर्तनशील है, अपितु परिमार्जित भी होती रहती है। भौगोलिक रुप मे ग्रामीण विकास की संकल्पना, ग्रामीण परिवेश मे मात्रात्मक, गुणात्मक एवं संरचनात्मक प्रत्यावर्तन हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया है। जिसे प्राकृतिक, आर्थिक एवं संस्थागत अवस्थापनात्मक तत्वों तथा प्राविधिक अन्तर्क्रियाओं और भविष्य मे होने वाले परिवर्तन के मध्य संयोजन द्वारा की जा सकती है। जो सामाजिक एकीकरण द्वारा समाज कल्याण के रुप मे प्रकट होती है। एस0एल0 मलहोत्रा (1997) के अनुसार ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण परिवेश मे संरचनात्मक रुपान्तरण से है, जिसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओ एवं अवस्थापनात्मक तत्वों, उत्पादन प्रक्रियाओं एवं ग्रामीण जनसंख्या के मध्य अन्तक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिससे ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर मे मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है। जी0 आर0 मदन एवं एस0 गुप्ता (1968) के अनुसार ग्रामीण विकास प्रक्रिया एक निरन्तर क्रियाशील प्रक्रिया है, जो निर्धनता उन्मूलन के पश्चात् अवरूद्व नही होती है, बल्कि यही विकास प्रक्रिया का प्रारम्भिक बिन्दू है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास की संकल्पना न केवल कृषि उत्पादकता मे वृद्धि अपितु ग्रामीण अधिष्ठान के सर्वागीण विकास से सम्बन्धित है। इस विकास प्रक्रिया के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों के मध्य अन्तप्रक्रिया द्वारा एक विकास परक स्थानिक संगठन का निर्माण होना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट यह है कि ग्रामीण विकास को सामान्यतः बहुखण्डीय क्रियाकलाप के रुप मे माना जाता है, जिससे कृषि विकास और ग्रामीण उद्योग के साथ–साथ सामाजिक सुविधाओं या अवस्थापनात्मक तत्वों यथा विद्यालय, क्लीनिक, सड़क, संचार, और जलापूर्ति को स्थापित व समन्वत करना और कल्याणकारी सेवाओं या कार्यक्रमों यथा रोग नियंत्रण उत्तम पोषाहार, प्रौढ़ शिक्षा या परिवार नियोजन को सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण विकास एक सतत् प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्षेत्र मे

कृषि एवं उससें सम्बन्धित क्रियायें ग्रामीण उद्योग, कला व हस्तकला के विकास से है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर उच्च हो सके। भारत मे ग्रामीण विकास का तात्पर्य गरीबी उन्मूलन एवं सभी सामाजिक आर्थिक बुराइयों की समाप्ति से है, भारत के सन्दर्भ मे इसे निम्नवत् देखा जा सकता है। 1. ग्रामीण क्षेत्रों मे व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना। 2. ग्रामीण क्षेत्रों मे भौतिक, आर्थिक तथा समाजिक अवस्थापनात्मक तत्वों की स्थापना एवं विकास करना। 3. ग्रामीण परियोजनाओं मे कृषि, पशुपालन एवं कुटीर उद्योगों का समुचित विकास। 4. ग्रामीण मे साक्षरता एवं शिक्षा के विकास द्वारा उनमें सामाजिक राजनीतिक चेतना का सृजन करना। इस प्रकार से स्पष्ट है कि ग्रामीणों का सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होना सम्भव है। हमारे देश मे ग्रामीण विकास की संकल्पना अत्यन्त प्राचीन है। इसीलिए सरकार का ध्यान हमेशा ग्रामीण विकास की ओर आकर्षित करता रहा है। इसी के परिणामस्वरुप देश मे विभिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मे अवस्थापनात्मक तत्वों की भूमिका : ग्रामीण विकास मे उल्लेखित अभिष्टतम लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए अवस्थापनात्मक तत्वों के एक ऐसे तन्त्र की आवश्यकता है जो उत्पादकता में वृद्वि एवं उसके सम्यक वितरण के साथ एक ऐसे भूवैन्यासिक संगठन को मूर्तरुप प्रदान कर सकें, जो बहुपक्षीय आर्थिक–सामाजिक, प्रादेशिक एवं पारिस्थैतिकी समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता के आधार पर स्थायी विकास प्रक्रिया द्वारा निर्धन जनसमूह को विकासोन्मुख बना सके। अवस्थापनात्मक तत्व समष्टिगत उपागम के आधार है तथा ग्रामीण विकास में इनकी भूमिका निर्विवाद है। अवस्थापनात्मक तत्व सामाजिक, आर्थिक कार्यकलाप के आधार स्वरुप होते है। प्रो0 ग्रीनबाल्ड ने स्वीकारा है कि किसी राष्ट्र के बेहतर एवं अपेक्षाकृत पूर्ण व्यवस्थित अवस्थापनात्मक तत्वों द्वारा उसमें बेहतर अपेक्षाकृत प्रभावपूर्ण आर्थिक क्रिया को लाया जा सकता है। अतः किसी अर्थव्यवस्था मे जितनी ही श्रेष्ठ आधारिक संरचना या अवस्थापनात्मक तत्व होगें, उतनी ही कुशलतापूर्वक आर्थिक क्रियाओं मे अभिवृद्वि, सुसंचालन एवं राष्ट्रीय विकास सम्भव होगा।

अवस्थापनात्मक तत्व यथा पूँजी, परिवहन एवं संचार, प्रविधिकीय परिवर्तन, ऊर्जा शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन विपणन केन्द्र आदि समन्वित प्रादेशिक विकास मे अपना व्यक्तिगत महत्व रखते हुए समष्टिगत रुप मे अति प्रभावी होते हैं। अवस्थापना का प्रमुख अंग पूजी, समस्त आर्थिक कार्यकलापों एवं अवस्थापनात्मक तत्वों के प्रतिष्ठान का आधार होती है। विश्व की वर्तमान विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन एवं संचार तत्वों का सर्वाधिक महत्व होता है। आर्थिक विशेषीकरण वृहद पैमाने पर उत्पादन, उत्पादों का विपणन एवं संचरण, व्यापारिक विकास तथा सामाजिक सांस्कृतिक समागम, संवादों, समाचारों, नीतियों, योजनाओं आविष्कारों का संचरण परिवहन एवं संचार द्वारा ही सम्भव होता है। प्राविधिक परिवर्तन विकास–प्रक्रिया में गतिशीलता लाते है। यदि प्राविधिक स्तर स्थिर हो जाय, तो विकास प्रक्रिया में स्थिरता आ जायेगी। प्रो0 शुम्पीटर ने तो 'नवप्रर्वतन' को ही आर्थिक विकास का एक मात्र निर्धारक तत्व माना है। तकनीकी परिवर्तन द्वारा ही उद्योग कृषि व्यापार आदि आर्थिक क्रियाओं, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन स्तर जनसंख्या नियंत्रण एवं पारिस्थितिकी संतुलन आदि मे क्रांतिकारी परिवर्तन सम्भव होता है। ऊर्जा के साधनों का विकास एवं उपभोग बहुत पहले से ही विकास का सूचक माना जा रहा है। क्योकि ऊर्जा उत्पादन, उपभोग एवं आर्थिक सामाजिक विकास मे अन्योन्य सम्बन्ध है। विपणन केन्द्र मानवीय सघनता के प्रतीक है। प्रत्येक प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादन का उपभोग जनसमुदाय द्वारा विपणन केन्द्रों के माध्यम से होता है। विपणन केन्द्रों की संख्या उनका भूवैन्यासिक एवं पदानुक्रमिक वितरण तथा समीपता विभिन्न उत्पादन एवं उपभोग की प्रक्रिया एवं स्तर की विकसित करती है। शैक्षणिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, पेय एवं अन्य उपयोगार्थ जल आदि की व्यवस्था मानव से गणनात्मक विकास लाती है। मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से पूर्ण सक्षम मानव ही तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्रक्रिया को जन्म देता है। अतएवं यह सामान्य उक्ति है कि अधिक संसाधन मानव मे है न कि अवस्थापनात्मक तत्वों में मानव ही विभिन्न तत्वों का शोषण एवं विकास सम्बन्धी वरीयता को निर्धारित करता है। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों का निर्माण करता है। ये संस्थायें मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। इसके अतिरिक्त अवस्थापना के अन्य तथा तत्व यथा सिंचाई सुविधा, यंत्र व उपकरण, उर्वरक एवं उन्नतिशील बीजों की उपलब्धता, किटाणु एवं महामारी नाशक दवावों का उपयोग, फसल चक्र, फसल सुरक्षा के अन्य साधन, भूरक्षण एवं कटाव रोकने के साधन, वाड नियंत्रण हेतु बनाये गये बांध, जल निकास व्यवस्था, वस्तु भंडारण की सुविधा एवं तकनीकी वैधानिक शोध संस्थाओं द्वारा अन्वेषित एवं शोधित आधुनिक तकनीकी आदि पर विकासशील अर्थ तंत्र की धूरी कृषि का विकास निर्भर होता है। समुन्नत कृषि ही समुन्नत औद्योगिक विकास हेतु आधार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकारी नितियां सामाजिक व्यवहार, रिति रिवाज, शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रशासनिक तंत्र का ही प्रादेशिक विकास पर प्रभाव पड़ता है।

पूर्ण विश्लेषण से ग्रामीण विकास में अवस्थापनात्मक तत्वों की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। विकासशील राष्ट्रों में व्यापक निर्धनता को दूर करने में अवस्थापनात्मक तत्वों का निर्माण बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। क्योकि इसके निर्माण कार्य में न सिर्फ अशिक्षित और अकुशल श्रमिकों की भारी संख्या में आवश्यक पड़ती है बल्कि प्रशिक्षित अभियन्ता, व्यवस्थापक, प्रशासक एवं रख–रखाव हेतु अन्य लोगो की भी आवश्यक पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, नहरो एवं अन्य निर्माण कार्य में बेरोजगार ग्रामीण जनो कों वर्ष प्रयंत्र निरन्तर रोजगार के अवसर सुलभ होते रहते है। प्रादेशिक विकास में इस प्रकार विकास का निरन्तर सुलभ होना आधारभूत पूँजी का निर्माण करते है। निरन्तर आय प्राप्त होने से जनसमुदाय की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में वृद्धि होने से उपभोक्ता वस्तुओं की माँग बढ़ती है। परिणामतः विविध वस्तुओं का उत्पादन का न्यूनतम स्तर प्राप्त होता है। इससे इस प्रदेश की ओर विविध विनिर्माण उद्योग आकर्षित होते है। इन उद्योगों की तथा इनके लिए अवस्थापनात्मक सुविधाओं की अवस्थापना से रोजगार के अवसर की पुनः वृद्धि होती है और पुनः विकास चक्र प्रारम्भ हो जाता है। विकास के के अगले चक्रों में तृतीय सेवाओं एवं जनकल्याण से सम्बन्धित अनेक कार्यकलापों का विकास होता है। सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर विशेष

ध्यान दिया जाने लगता है। अनेक तकनीकी ज्ञान शोध संस्थाओं एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास होता है। इससे मानवीय क्षमता में गुणात्मक अभिवृद्धि होती है और उसकी उत्पादकता तथा क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अनेक छोटे–2 केन्द्रों का प्रार्दुभाव होता है। ये बढ़े नगरीय केन्द्रो एवं विशाल ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य अन्तर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु एक सश्क्त पदानुक्रमीय तंत्र की रचना करते है। जो ग्रामीण विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। अतः आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक तत्वों एवं कृषि का विकास करते हुए स्थानीय स्तर पर कृषि कार्य के अतिरिक्त श्रम को रोजगार उपलब्ध कराया जाय। कृषि तथा अन्य स्थानीय संसाधनों पर आधारित क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु श्रम बाहुल्य तकनीकी पर आधारित स्थानीय उर्जा एवं संसाधनों का विकास करके लघु एवं कुटीर उद्योंगो का विकास किया जाय जो क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता एवं अतिरिक्त पूंजी निवेश के आधार होंगे। ग्रामीण जनता की कार्यकुशलता की वृद्धि हेतु क्षेत्रीय स्तर पर ही शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन आदि सुविधाओं का विकास होना चाहिए एवं प्रचार माध्यमों से नये नकनीकी का प्रयोग की जानी चाहिए। जिससे विकास कार्यक्रम हेतु उन्हे अधिकाधिक गतिशील बनाया जा सके। इसके लिए पूर्व नियोजित एवं सुविचारित कार्यक्रम तैयार करने तथा उसे सक्रियतापूर्वक क्रियान्वयन करने की आवश्यक होगी तथा इनके स्थायित्व प्रदान करने हेतु स्थानीय संगठनों का निर्माण एवं उनकी कार्यक्षमता की अभिवृद्धि करनी चाहिए।

अतः पूर्व विवेचना से स्पष्ट है कि अवस्थापनात्मक तत्व सभी सामाजिक एवं आर्थिक कार्यो समन्वयति ग्रामीण विकास हेतु आधारभूत तत्व है तथा विकास हेतु सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करते है। ये प्रत्यक्षत एवं अप्रत्यक्षतः ग्रामीण विकास सम्भावनाओं तथा गतिशील उत्पादक कारकों को प्रभावित करते है। अतः सम्यक ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्र में अवस्थापनात्मक तत्वों के नियोजित विकास हेतु सरकारी सहयोग पूर्ण आपेक्षित है।

सन्दर्भ :

1. Mishra R.P. & Sundram K.V.(1980) : Muli Level Planing and integrated Rural Development in India, New Delhi.
2. Desai, Vasant (1998) , Rural Development, Vol V.
3. Mishra, Prem Prakash (2012) : ग्रामीण विकास एवं जीवन की गुणवत्ता सिद्धार्थनगर जनपद की प्रतीक अध्ययन प्रकाशित शोध ग्रंथ।
4. Srivastav, V.K. (1997) : प्रादेशिक नियोजन एवं संतुलित विकास वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर।
5. Mishra Prem Prakash (2015) : ग्रामीण विकास एवं जीवन की गुणवत्ता ,प्रत्युश पब्लिकेशन्स, दिल्ली।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 47-48

भारत में ग्रामीण विकास पर सिंचाई की भूमिका

डॉ0 रामिन्त पटेल*

*असि0 प्रो0, भूगोल विभाग, एल0 बी0 एस0 डिग्री कॉलेज, गोण्डा, उ0प्र0

साराशः भारत एक कृषि प्रधान देश है देश की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण जनता मुख्य पेशा कृषि है। अतः विकास का आधार कृषि है। अतः विकास का आधार कृषि विकास है तथा कृषि विकास में सिंचाई की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। सन् 1950–51 में देश में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कुल शस्य क्षेत्रफल का केवल 15.8 प्रतिशत जो अब बढ़कर 23 प्रतिशत है। शेष शस्य क्षेत्र या तो असिंचित है या शुष्क खेती है। परन्तु कृषि उत्पादन की विकसित/उन्नत तकनीकी केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है, जहाँ पर सिंचाई की समुचित सुविधा एवं भरोसेमंद है। कृषि की उन्नति ही ग्रामीण विकास की कुंजी है, जिसके लिए सिंचाई की विशेष भूमिका है।

कृषि के विकास में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समग्र ग्रामीण जीवन कृषि से अनुप्राणित है। अतः कृषि विकास को ग्रामीण विकास का पर्याय कहना गलत नहीं होगा। ग्रामीण विकास हेतु कोई भी उपागम कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिये बगैर सार्थक एवं सफल नहीं हो सकता है। यद्यपि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषि एवं उद्योग की समान महत्वपूर्ण भूमिका है तथा दोनों में अन्योन्याश्रित अन्तर्सम्बन्ध है तथा बहुमत इस पक्ष में है कि आर्थिक विकास के सन्दर्भ में, विशेषतया विकासशील देशों में कृषि में उत्पादकता वृद्धि प्राथमिकता देना अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में ग्रामीण विकास की कुंजी कृषिगत उत्पादकता में अभिवृद्धि है।[1] भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51 प्रतिशत भाग पर कृषि है। अब कृषि क्षेत्र में विस्तार की गुंजाइश नहीं है। अतएव कृषि उत्पादकता में वृद्धि कृषि की गहनता एवं विविधता में वृद्धि द्वारा ही संभव है। गहनता का तात्पर्य है–फसल सम्मिश्रण एवं फसल चक्र में खाद्यान्न तथा नकदी फसलों का सर्वोत्तम सामंजस्य, जिससे कोई कृषि भूमि वर्ष में अल्पतम् अवधि तक रिक्त रहे और कृषक श्रम का वर्षपर्यन्त सम्यक् उपयोग हो तथा परिणामस्वरूप कृषकों को अधिकतम् यथासंभव नकद आय प्रदान करें। स्पष्ट है कि कृषिगत गहनता व विविधता को आसानी से प्रश्रय नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कृषिगत अवस्थापना सुविकसित हो और कृषक विकासोन्मुख कृषि पद्धति अपनाने की स्थिति में हो।[2]

यद्यपि कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता का स्तर विविध अवस्थापना तत्वों से प्रभावित अथवा निर्धारित होता है तथापि उनमें सिंचाई की अतुलनीय भूमिका है, क्योंकि बिना जल सम्पूर्ति के परिवहन, वित्त, बाजार आदि अवस्थापनाओं के अतिरिक्त उपयुक्त धरातल एवं मृदा का भी प्रभाव उत्पादकता वृद्धि के सन्दर्भ में सीमित हो जाता है। शीघ्र तैयार होने वाली अधिक उपजदायी फसल प्रजातियों, रासायनिक उर्वरकों, उन्नत कृषि–यंत्रों, फसल सुरक्षात्मक दवाओं आदि की सुविधा एवं वैज्ञानिक फसल–चक्र, वांछित कृषि ज्ञान और अनेक तकनीकी ज्ञान आदि कृषि अनुकूल दवाएं सिंचाई के बिना अग्रसित नहीं हो पाती और कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती। प्रकट है कि कृषि उत्पादकता में अभिवृद्धि का कोई भी उपागम सिंचाई के बिना सार्थक नहीं हो सकता। अतः सिंचाई को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक कृषि निवेश कहना चाहिए, क्योंकि यह अन्य निवेशों को प्रश्रय देती है, उन्हें प्रयोज्य बनाती है। सिंचाई की सुनिश्चितता होने पर ही कोई कृषक लाभदायक कृषि योजना बना सकता है और कार्यान्वित कर सकता है। किसी क्षेत्र में कृषि भूमि की मात्रा से कृषि सम्पन्नता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का होना या न होना उत्पादकता की दृष्टि से उस समय काफी महत्वपूर्ण होता है, जब वर्षा अनिश्चित और अपर्याप्त होती है।

सिंचाई कृषि जीवन के लिए श्वास है, प्राण वायु है।[3] पूरी शस्यावधि में सिंचाई, मिट्टी में आद्रता की कमी को पूरा करके समुचित रूप से शस्य के अविच्छिन्न विकास को सुनिश्चित करती है। वर्षातिरिक्त दिनों में शस्योत्पादन के अयोग्य भूमि में सिंचाई का सन्निवेश होने पर दूसरी, तीसरी शस्योत्पादन के योग्य भूमि में सिंचाई का सन्निवेश होने पर दूसरी, तीसरी शस्योत्पादन के योग्य हो जाती है। सिंचाई दीर्घकालीन सफल कृषि हेतु आधार रेखा स्वरूप होती है।[4] कृष्येत्तर जनसंख्या की खाद्य आवश्यकता कृषि से पूरी होती है और सिंचाई कृषि ही अतिरिक्त अन्नोत्पादक की एक आधुनिक विधि है।[5] जनसंख्या की खाद्य समस्या को चुनौती देने वाली कृषि उत्पादन के लिए जल का सम्यक् उपयोग निर्णायक होता है।[6] सिंचाई न सिर्फ उत्पादकता वृद्धि का एक लाभप्रद माध्यम है, वरन् अविकसित क्षेत्र को विकसित करके अन्तर्क्षेत्रीय विसंगति को अपशमित अथवा न्यून करती है।[7] उत्पादकता में अभिवृद्धि एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर सिंचाई ग्रामीणों की आय में वृद्धि करती है। इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्यों में सिंचाई बहुत सहायक होती है। सिंचाई कार्य सम्पूर्ण प्रदेश को सभ्य बनाने में मदद करते हैं।[8] चार्ल्स त्रिवेल्यन के अनुसार ''भारत में सिंचाई ही सब कुछ है और जल भूमि से भी मूल्यवान है, क्योंकि जब भूमि में जल का प्रयोग होता है तो उसकी उत्पादकता को कम से कम छः गुना बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, यह ऐसी बहुत अधिक भूमि को उत्पादक बना देता है जो जल के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती।''[9] इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास हेतु सिंचाई सुविधाओं का अनिवार्य महत्व है, क्योंकि यह वही आधार है जिस पर कृषि की प्रगति निर्भर करती है। चूंकि कृषि भूमि में विस्तार, उच्च क्षमतायुक्त भूमि उपयोग प्रारूप, द्विफसली क्षेत्र में विस्तार, शस्य गहनता में वृद्धि, वांछित फसल चक्र, शस्य साहचर्य अथवा कृषिगत विविधता, भूमि उपयोग गहनता, कृषि उत्पादकता एवं कृषि क्षमता इत्यादि के लिए सिंचाई एक आधारभूत कारक है। देश की सिंचाई सुविधा में व्यापक परिवर्तन के साथ–साथ इसमें क्षेत्रीय विषमता मिलती है।

सामान्य भूमि उपयोग एवं उस पर सिंचाई का प्रभाव : इसके अन्तर्गत भूमि उपयोग के प्रमुख संवर्गो यथा कृषिगत भूमि, कृष्य बंजर, अकृष्य भूमि, वन भूमि का स्थान एवं काल दोनों सन्दर्भों में विश्लेषण किया गया है।

शुद्ध कृषिगत भूमि :श्शुद्ध कृषिगत भूमि, भूमि उपयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके उपयोग की विभिन्न अवस्थाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास स्तर की परिचायक होती है। साथ ही मानसूनी जलवायु, प्रचुर भूगर्भ जल, जलोढ़ निर्मित अत्यन्त समतल मैदान, उर्वर मिट्टी, उच्च जनसंख्या घनत्व आदि कारणों से कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र का अधिक होना स्वाभाविक है।

कृष्य बंजर भूमि : कृष्येत्तर भूमि उपयोग के अन्तर्गत कृष्य बंजर भूमि के वितरण एवं परिवर्तनशील प्रतिरूप का सापेक्षतः अधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा क्षेत्र विशेष के भूत, वर्तमान एवं भावी भूमि उपयोग की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। कृष्य बंजर के अन्तर्गत बाग वाली भूमि, पुरानी परती, घास एवं कटीली झांड़ियां, दलहन एवं बंजर भूमि को सम्मिलित किया गया है। स्पष्ट है कि वह सभी प्रकार की भूमि जो वर्तमान में किन्हीं निश्चित बाधाओं–कठिनाइयों एवं प्रतिकूल दशाओं के कारण कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है, परन्तु भविष्य में वांछित परिस्थितियों एवं उचित संसाधनों के उपलब्ध होने अथवा भूमि सुधार के कार्यक्रम द्वारा उपयोग में लायी जा सकती है। कृष्य बंजर की श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। कृष्य बंजर भूमि उपयोग का एक विशिष्ट पक्ष है।

आकृष्य भूमि : आकृष्य भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे वैज्ञानिक अनुसंधानों, नवीन कृषि यंत्रों, सिंचाई के साधनों, अभिनव तकनीकी ज्ञानों एवं अन्य सुविधाओं के उपरान्त भी आर्थिक दृष्टि से शुद्ध लाभ प्रदायी कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत लाया न जा सके। इसके अन्तर्गत कृष्येत्तर कार्यों में लगी भूमि यथा–अधिवास, सड़कें, जलाशय, ऊसर एवं अकृष्य बंजर भूमि को सम्मिलित किया गया है। भूमि उपयोग का यह एक ऐसा पक्ष है जिसमें आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भू–दृष्यावलियां (निवास स्थान, परिवहन के साधन, उद्योग, बाजार एवं सांस्कृतिक संस्थान) विकास करती है। जनसंख्या वृद्धि से अधिवासों, सड़कों तथा अन्य संस्थानों के अन्तर्गत अधिक भूमि उपयोग से अकृष्य क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह वृद्धि की अवस्था में है, जो भूमि उपयोग गत्यात्मकता की चौथी अवस्था का द्योतक है।

वन, बाग एवं झाड़ी वाली भूमि : मानव की विविध आवश्यकताओं के पूर्ति के अतिरिक्त मृदा, अपरदन, वातावरण सन्तुलन, वातावरण परिष्कार, पारिस्थितिकी सन्तुलन हेतु वनस्पतियों की भूमिका अकथनीय है, परन्तु जनसंख्या वृद्धि के साथ वनों, उद्यानों तथा अन्य स्थलों पर उगे वृक्षों की निर्ममतापूर्वक कटाई हुई है, जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में पारिस्थितिकी असन्तुलन की समस्या उत्पन्न हो गयी है, नहर निर्माण के पश्चात उत्पन्न जल जमाव के कारण वृक्षों के सूखनों से बाग, बगीचों वाली भूमि में कमी आयी है।

सन्दर्भ :

1. सिंह, जगदीश एवं सिंह, बंशराज (1981): कृषिगत गहनता एवं विविधता तथा ग्रामीण विकास, उ0भा0भू0प0, गोरखपुर, अंक–17, सं0–1, पृ0–2
2. मिश्र, श्रीकान्त, (1976): ''भारत में कृषि विकास,'' दि मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लि0, नयी दिल्ली, पृ0 29
3. Mitra, C.A. (1982): Feed Back Analysis of Agriculture in India Progressive Press Culcutta.
4. Mamoria, C.B. (1975): “Geography of India (Agriculture Geography Shivalal Agrawal Company, Educational Publishers, Agra3, Page-218
5. Singh, M.L. (1981): Extension of Irrigation Facility in Shidhi, Kurukshetra, Vol. 1, 26, No. 11, P. 33
6. Sharma, O.P. and Desai, V.V. (1980): “Rural Economy of India, Vikash Publishing House, Pvt. New Delhi P. 123.
7. Pandey, M.P. (1979): Impact on Irrigation of Rural Development- A Case Study, Concept Publishing Company, New Delhi.
8. Knowels, Economic Development of British Empire, Overseas, Vol. 11 PP. 367-368.
9. Observes, Bamard Economic Darley, (1939): “ The have banished the grim spectre of famine and drought Pease. Prosperity and a higher standard of living to the whole country in Economic Problems of Modern India (Ed. By R.K. Mukerjee), Vol.1, P. 167.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 49-50

बच्चों के वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन का महत्व :जनपद गोरखपुर के सन्दर्भ में

रूपा सिंह*
*शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा, बिहार

सारांश : प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन यौगिक है जिसकी लघुतम ईकाई अमीनों अम्ल है। प्रोटीन में लगभग 22 प्रकार के अमीनों अम्ल पाये जाते है इनमें से 10 अमीनों अम्ल मानव शरीर के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, तन्तुओं के पुर्ननिर्माण, अम्ल, क्षार की मात्रा नियमित करना, हार्मोन्स एन्जाइम, एन्टीबॉडीज का निर्माण, जल सन्तुलन मांसपेशियों के संकुचन सामान्य दृष्टि में सहायक, रक्त में थक्का जमाने में स्थान्तरण प्रोटीन के रूप में दूध के निर्माण में ऊर्जा प्रदान करने आदि में सहायक एवं आवश्यक है।

मुख्य शब्द : तन्तुओं, अम्ल, क्षार, रक्त, एन्टीबॉडिज, एन्जाइम, प्रोटीन, ऊतक, नाइट्रोजन आदि।

मूल्डर गेरार्ड (Mulder Gerard) के अनुसार, सभी प्राणियों की कोशिकाओं एवं ऊतक प्रोटीन के बने होते है। उन्होंने जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को पृथक् करके उनका वर्णन किया और उन्हें प्रोटीन नाम दिया।

डॉ0 सिसेली विलियम (Decicely Willium) 1935 के अनुसार, ''क्वाशियोरकार वह रोग है जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है।''इन्होंने सर्वप्रथम अफ्रीका का निर्धन आबादी (जनजाति) में इस रोग की घटना का उल्लेख किया था। रोगी को लाल बालक कहा था। इस रोग से शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना तथा कार्यक्षमता में आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के परिवर्तन होते है। प्रोटीन की अपर्याप्तता में बाल, त्वचा, ऊतक, रक्त कोशिकाओं मे जल की मात्रा रक्ताणु (Blood Cells) यकृत (Liver), आहार नली, तंत्रिका तंत्र (Nervous System) प्रभावित होते है। बालक का शरीर रक्त क्षीणता, उदासीनता, क्षुधानाशक (Anorexia) त्वचा शोध (Odema) तथा अतिसार की स्थिति में बना रहता है। इसमें शारीरिक तथा मानसिक विकास बाधित होता है।

प्रस्तुत अध्ययन बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन के महत्व के सन्दर्भ में गोरखपुर जिले एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है। वही इन शोधों के माध्यम से इनके बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन के महत्व पर विशेष रूप से संचालित विभिन्न पदानुक्रम द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों का आंकलन एवं मूल्यांकन विशेष ध्यान दिया गया है। यह आश्चर्यजनक के साथ–साथ एक अपमानजनक वास्तविकता है कि मानव जीवन और उसके हजारों वर्षों के अनुभव के बाद भी आज हम लोग वास्तव में कठिनाई से अपने को उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए काम में लगा रहे है। जो हमारे बच्चों को सही रूप में आहार देने तथा उनके उचित पालन–पोषण के लिये आवश्यक होता है।

आहार एवं स्वास्थ्य तीनों ही हमारे जीवन के लिये मूल पहलू है। आहार से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों की उपयोगिता एवं प्रोटीन के महत्व को बताना है। पोषण सम्बन्धी गलत धारणायें, परम्परायें, मिथ्या, आदत एवं अज्ञान आदि को दूर करने पर भी अध्ययन का उद्देश्य है। आहार की पौष्टिकता बनाये रखने के लिए भोजन पकाने के विधियों पर ध्यान आकर्षित करना है। बच्चों को शरीर निर्माण तत्व प्रोटीन कुपोषण से बचाना है। प्रोटीन जीवन की आधारशीला है अतः जीवन की मजबूत नींव निर्माण की आवश्यकता को बताना है। आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तित्व के लिए प्रोटीन की आवश्यकता एवं उपयोगिता को बताना है। प्रोटीन की पोषक गुणवत्ता या दक्षता शरीर की वृद्धि और विकास पर निर्भर करती है। उपलब्ध साधनों में प्रोटीन की गुणवत्ता में वृद्धि करके उपयोगिता और महत्व को बताना है।

परिकल्पनायें : उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला के बच्चों में प्रोटीन कुपोषण देखा गया है। प्रोटीन कुपोषण शारीरिक वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। प्रोटीन अभाव मनोदैहिक प्रभाव डालता है। प्रोटीन कुपोषण से बच्चों की लम्बाई और भार में गिरावट होती है। प्रोटीन मानव जीवन का आधार है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के साथ–साथ शारीरिक सौष्ठव में वृद्धि करता है। प्रोटीन युक्त भोजन से बच्चे स्वस्थ एवं प्रफुल्लित होते है। प्रोटीन आभाव से बच्चे उदास, सुस्त एवं रोगग्रस्त रहते है।

संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation) 1996 की अधिकारिक सूचना के अनुसार विश्व के प्रतिवर्ष 1.35 करोड़ या 13.5 मिलियन बच्चे (5 वर्ष की आयु से कम) कुपोषण से मृत्यु के शिकार हो जाते है।

National Dairy Council 2005 : अनेकों शोध अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि दूध से उत्पादित भोज्य पदार्थों का बच्चों के विकास और वृद्धि में कोई महत्व नहीं है। लेकिन दूध से प्राप्त Chornic रोगों के लिए फायदेमन्द होता है। डायटरी गाइड लाइन 2005 में अमेरिका में यह अनुशंसा की है कि 3 कप प्रतिदिन वसा रहित या कम वसा वाले दूध या दूध उत्पादक चीजें अथवा पनीर, चीज आदि 9 वर्ष तक बच्चे या युवा और वृद्ध के लिए लाभकारी है। इससे बच्चों में शारीरिक सक्रियता बनी रहती है। अन्य अध्ययन में यह पाया गया है कि दूध, चीज तथा प्राकृतिक रूप से पौष्टिक भोजन जिसमें कैल्शियम पोटैशियम तथा अन्य लवण और प्रोटीन बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए दूध और दूध से बनी चीजों का महत्व बहुत अधिक है। अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों के प्रतिदिन के भोजन में पोषक तत्व के रूप में कैल्शियम की कमी होती है। बच्चों और किशारों में हड्डी कमजोर हो जाती है और हड्डी टूटने का भय बना रहता है इसकी कमी से बच्चों में (Rickets) रिकेट्स होने का खतरा रहता है। George's Medical College Lucknow- Deptt. of Social and Preventive Medicine में P.S. Gill, B.G. Prasad and R.N. Srivastava ने Nutrinional Status of Primny School Children in Rural Area of Lucknow ने अध्ययन

किया है कि इस अध्ययन हेतु 8 से 15 वर्ष की आयु समूह के 812 ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय अधिकांश बच्चे ग्रामीण परिवार के निम्न सामाजिक आर्थिक समूह के थे। इस अध्ययन में दोनों लिंगों में विभिन्न आयु समूह के वजन और लम्बाई के अन्तरों को स्पष्ट किया गया है। उन्होंने अध्ययन में पाया कि 77 प्रतिशत, 1 प्रतिशत बच्चे कुपोषित है जिसमें प्रोटीन कैलोरी की कमी पायी गयी ऐसे बच्चों का प्रतिशत 60.8 प्रतिशत था 46.3 प्रतिशत बच्चों में विटामिन–ए की कमी और 10.3 प्रतिशत में विटामिन–डी की कमी पायी गयी। टंडन के अनुसार, दूध के प्रोटीन का जैविक मूल्यांकन 90 प्रतिशत होता है। दूध को अनाजों के साथ मिलाकर बनाये व्यंजनों से प्राप्त प्रोटीन का जैविक, मूल्यांकन 75 प्रतिशत होता है। नवजात के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी होता है यह पोषक तत्व 20 सामान्य एमीनों एसिड से मिलकर बना होता है जो बच्चों को मजबूती देने का काम करता है, बच्चे को यह प्रोटीन माँ के दूध से प्राप्त होता है बच्चे के जन्म के पहले चार से छः महीनों में स्तनपान ही प्रोटीन के सही स्तर को बनाये रखने का सबसे बेहतर तरीका माना गया है। दिल्ली के श्रीगंगाराम अस्पताल में नियोनैटोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ0 सतीश सालूजा के अनुसार, ''जब माँ के गर्भाशय में बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उसे लगातार एमीनों एसिड्स मिलते है।'' उनके अनुसार, माँ के दूध में आवश्यक मात्रा में प्रोटीन होता है वह बच्चे के छोटे से शरीर को विकसित करने में मदद करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हुए विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाता है। यह एक बहुत अच्छा मेटावोलिक प्रोग्रामर होता है जो दिमाग की गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही पाचन को भी सुचारू बनाता है। डॉ0 सतीश का कहना है, कि जीवन की शुरूआती छः महीनों के लिए स्तनपान विशेषतौर पर बहुत जरूरी होता है बच्चे अधिकतम विकास के लिए इसे पर्याप्त आहार के साथ दो साल तक जारी रखना चाहिए। इस बात का जिक्र विश्व स्वास्थ्य और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने भी किया है। उन्होंने कहा की किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। बच्चे के शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर अभिभावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे को पर्याप्त प्रोटीन मिले, ज्यादा प्रोटीन नवजात शिशु के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर अभिभावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे को पर्याप्त प्रोटीन मिले, ज्यादा प्रोटीन नवजात शिशु के विकास पर असर डाल सकता है हालांकि कुछ शोध यह बताते है कि बच्चे अगर शुरूआत के 24 महीनों के अन्दर ज्यादा प्रोटीन ग्रहण करते है तो भविष्य में उन्हें मोटापे की शिकायत होती है। नवजात का पर्याप्त विकास प्रोटीन के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यह बच्चे के अंगों की नई कोशिकाओं का निर्माण मरम्मत महत्वपूर्ण एन्जाइम और होर्मोन्स को बनाने में अहम योगदान देता है।

शरीर की वृद्धि एवं विकास करना (Growth and Development of Body) : नाइट्रोजन शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। भ्रुणावस्था से लेकर जन्म लेने तक तथा बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक शरीर की वृद्धि होती रहती है। वृद्धि और विकास की अवस्था में नये तन्तुओं के निर्माण हेतु प्रोटीन की आवश्यकता होती है त्वचा, बाल, नाखुन, मांसल भाग के प्रत्येक कोशों में पाया जाने वाला प्रोटोलाज्म तत्व का प्रमुख भाग प्रोटीन है। गर्भावस्था में एक नये जीवन की उत्पत्ति के लिए गर्भवती माता की प्रोटीन सम्बन्धी आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भस्थ शिशु माता के रक्त से अमिनों अम्ल शोषित करके विकसित होता है। धात्री अवस्था में दूध निर्माण के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था में कोशिकाओं एवं तन्तुओं के टूट–फूट की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। तन्तुओं के पूर्व निर्माण हेतु (Regeneration of Tissues) शरीर के तन्तुओं के निर्माण और उनकी टूट–फूट की क्षतिपूर्ति में प्रोटीन का उपयोग होती है। प्रोटोप्लाजम (Protoplasm) मुख्यतः प्रोटीन और जल से बना है। जो कि तन्तुओं का निर्माण और मरम्मत करता है इसलिए तन्तु निर्माण कहते है आपरेशन या दुर्घटना की स्थिति में कोषजाल नष्ट हो जाते है उनके रिक्त स्थान की पूर्ति तथा समस्त नष्ट हुये जालों को भरने के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष : मानव जाति के लिए आहार का सम्बन्ध उसके अस्तित्व के साथ होता है। आहार के बिना उसके भौतिक अस्तित्व को बनाये रखना असम्भव है। इसका उपयोग न केवल शारीरिक अस्तित्व को बनाये रखने के लिए किया जाता है। बल्कि प्यार, स्नेह, प्रेम, मित्रता, सामाजिक स्वीकृति, धार्मिक सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव की अभिव्यक्ति के रूप में आहार का उपयोग होता है। आहार पोषण और स्वास्थ्य का हमारे जीवन से धनिष्ठ सम्बन्ध है। पोषक तत्व प्रोटीन की कमी होने से न केवल शारीरिक वृद्धि बाधित होती है।

सन्दर्भ :

1. सिंह, अनीता : ''आहार एवं पोषण विज्ञान'' स्टार पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 19–25, 69–72, 92–93, 298–99
2. गुप्ता, निशा एवं निगम : ''व्यवहारिक मानव विज्ञान एवं मानव स्वास्थ्य, साहित्य प्रकाशन, आगरा, पृ0 102–103
3. कुमारी, आशा : ''आहार एवं पोषण विज्ञान'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स आगरा, पृ0 1–13, 21–23, 168–169, 308, 309
4. उपाध्याय, सुप्रिया : ''स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं आरोग्यशास्त्र'' विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी–01, पृ0 1–3, 173–174
5. वखशी, वी0के0 : उपचारार्थ पोषण'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 1–9, 19–21, 45–48

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 51-53

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की भूमिका

प्रो0 करुणाकर राम त्रिपाठी*
*आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ0प्र0
महीप कुमार श्रीवास्तव**
**शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : किसी भी देश के औद्योगिक विकास की प्रक्रिया उस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत वर्ष प्राचीन समय से ही कार्य क्षमता, उद्यमशीलता एवं कल्पनाशीलता के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। विदेशी आक्रमण, परतन्त्रता एवं शोषणवादी नीतियों के कारण देश में औद्योगिक विकास की गति अत्यधिक धीमी हो गयी, जिसके कारण देश में स्थापित उद्योगों का तेजी से पतन हुआ। स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने उद्योगों, विशेषकर लघु उद्योगों पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0) क्षेत्र पिछले पाँच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्रकृषि के पश्चात् उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ–साथ तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर रोजगार अवसर सृजित करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है। साथ ही साथ यह क्षेत्र देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है बल्कि भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। वर्तमान बदलते हुए आर्थिक परिवेश एवं जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते हुए दबाव में सभी को नौकरी उपलब्ध कराना संभव नहीं है, परन्तु उद्योगों कि अधिकारिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग स्थिति गोरखपुर जनपद, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की दृष्टि से औद्योगिक विकास हेतु सम्भावनाशील जिला है। जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए अवस्थापना सम्बन्धी आकर्षक सुविधाओं को अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1989 में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का सृजन किया गया। इस योजना के विकास हेतु कुल 76 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की विकास योजना 2012–2032 के अन्तर्गत लगभग 13,135. 00 एकड़ भूमि वर्ष 2032 तक अधिग्रहित कर समग्र अवस्थापना सुविधाओं के साथ विकसित की जानी प्रस्तावित है। जिसके अनुसार विकास योजना को 32 सेक्टरों में विभक्त किया गया है, जिसमें 11 सेक्टर आवासी, 4 आवासीय/व्यवसायिक, 1 आवासीय/औद्योगिक, 1 ट्रांसपोर्ट नगर/व्यवसायिक, 2 संस्थागत, 1 संस्थागत/व्यवसायिक एवं 12 सेक्टर औद्योगिक उपयोग हेतु प्राविधानित है।

वर्तमान आर्थिक परिवेश में गीडा द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि गीडा में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण किया जाय तथा कतिपय आवश्यक विशिष्ट अवस्थापना सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाय। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना, सहजनवाँ आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, संस्थागत योजना एवं व्यवसायिक योजना का विकास, इसी प्रयास की कड़ियां हैं।

औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तारीकरण : गीडा द्वारा औद्योगिक सेक्टर– 13, 15, 17 एवं 23 में उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक भूखण्डों का विकास किया गया है जिसमें अब तक 743 औद्योगिक भूखण्ड एवं 30 औद्योगिक शेड का आवंटन किया जा चुका है। आवंटित भूखण्डों/शेडों में 372 औद्योगिक इकाईयाँ स्थापित हैं तथा लगभग 102 इकाई निर्माणाधीन हैं। स्थापित इकाईयों में मुख्य रूप से टेक्सटाईल मैनुफैक्चरिंग, डाईंग एण्ड प्रोसेसिंग, डिस्पोजेबुल सिरिज, फ्लोर मिल, बिस्कुट, ब्रेड, गत्ता उत्पादन की इकाईयाँ, डिस्पोजेबुल ग्लास, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, साल्वेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लान्ट, डिस्टीलरी, सरिया उत्पादन, कैप्टिव पॉवर प्लान्ट आदि की इकाईयाँ स्थापित हैं। स्थापित इकाईयों में लगभग रू0 1000.00 करोड़ का पूँजी निवेश हुआ है तथा प्रत्यक्ष रूप से लगभग 5000 का रोजगार सृजन हुआ है।

संस्थागत उपयोग की भूमि का विकास : गीडा में सेक्टर संख्या– 7, 9 एवं 23 के अन्तर्गत लगभग 197 एकड़ भूमि संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित की गयी है। इस भूमि में से 21 एकड़ क्षेत्र में एक निजी इंजिनियरिंग/फार्मेसी कालेज, 10 एकड़ क्षेत्रफल के भूखण्ड पर प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था डायोसिस आफ गोरखपुर को माध्यमिक स्कूल की स्थापना हेतु आवंटित किया गया है। सेक्टर संख्या 23 में 9. 45 एकड़ भू–क्षेत्र में एक राजकीय डिग्री कालेज, 10 एकड़ क्षेत्र में एक डेन्टल कालेज, बुद्धा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी तथा कैलाश इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड फार्मेसी की स्थापना के अतिरिक्त एक आर्किटेक्चर कालेज, मैनेजमेन्ट कालेज, कैन्सर इंस्टीट्यूट, बी0एड0 कालेज, खादी ग्रामोद्योग कार्यालय भारत सरकार, शसस्त्र सीमा बल, भारत सरकार एवं पब्लिक स्कूल की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त आवासी सेक्टर–23 में एक स्कूल तथा एक इण्टरमीडिएट कालेज हेतु विकसित भूखण्ड का आवंटन किया गया जिसमें इण्टरमीडिएट कालेज हेतु आवंटित भूखण्ड पर गत शैक्षणिक सत्र से विद्यालय प्रारम्भ हो गया है।

सहजनवाँ आवासी योजना सेक्टर–23 : सहजनवाँ कस्बे के निकट गीडा क्षेत्र में स्थित सेक्टर–23 मिश्रित भू–उपयोग का सेक्टर है। सहजनवाँ कस्बे की आबादी लगभग 50000 है। गीडा क्षेत्र में औद्योगिक विकास होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती जा रही

है। प्रस्तावित आवासी क्षेत्र सहजनवाँ कस्बे के सन्निकट है तथा रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ लगभग सभी अवस्थापना सुविधाओं जैसे–स्कूल, शापिंग सेन्टर, कम्यूनिटी सेन्टर, पार्क आदि से युक्त होगा। इस योजना में कुल 513 भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है।

ट्रांसपोर्ट नगर एवं वाणिज्य क्षेत्र का विकास : गीडा द्वारा उद्योगों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति एवं शहर के छोटे ट्रांसपोर्ट नगर के कारण गीडा विकास योजना 2012 में प्रस्तावित लगभग 50 एकड़ भू–क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर का विकास किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत 614 भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। गोरखपुर नगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को जिला प्रशासन द्वारा गीडा में विकसित ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सेक्टर–22 में वर्तमान समय तक 743 वाणिज्य भूखण्डों का आवंटन किया गया है।

मौलैसिस बेस्ड मार्डन डिस्टलरी प्लान्ट कीस्थापना : मे0 इण्डिया ग्यालकोल्स लि0 को मौलैसिस बेस्ड मार्डन डिस्टलरी प्लान्ट की स्थापना हेतु गीडा के सेक्टर–15 में लगभग 56 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है, जिस पर इकाई द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में इकाई द्वारा 15.80 मेगा वाट विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु कैप्टिव पावर स्थापित कर ऊर्जा का उत्पादन माह फरवरी 2014 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स/इंटीग्रेटेड स्टील कॉम्पलेक्स की स्थापना : गीडा क्षेत्र में 113 एकड़ भूमि पर गैलेन्ट इस्पात लि0 द्वारा एक इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स की स्थापना की गयी है। जिसकी प्रस्तावित लागत लगभग 354 करोड़ है। इसके अन्तर्गत इंटीग्रेटेड स्टील यूनिट 18 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लान्ट एवं फ्लोर मिल की स्थापना की गयी है। प्रस्तावित इकाई में प्रत्यक्ष रूप से 459 लोगों को रोजगार प्राप्त है। रेलवे साईडिंग का निर्माण पूर्ण करते हुये संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

एस0एस0बी सेक्टर हेड क्वाटर एवम् कम्पोजिट हास्पिटल की स्थापना : गीडा सेक्टर–7 में एस0एस0बी0 सेक्टर हेड क्वार्टर एवम् कम्पोजिट हास्पिटल की स्थापना हेतु 31 एकड़ भूमि की मांग की गई है। इस हेतु एस0एस0बी0 को 22.58 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण मद् में एस0एस0बी0 को शेष 8.42 एकड़ भूमि का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। संस्था द्वारा अब तक लीज डीड की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है जिसके कारण आवंटित भूमि का कब्जा हस्तगत नहीं किया जा सका है।

राईस प्लान्ट, साल्वेन्ट प्लान्ट, रिफाईन्ड आयल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट की स्थापना : मेसर्स अम्बा फाइवर्स लि0, गोरखपुर द्वारा राईस प्लान्ट, साल्वेन्ट प्लान्ट, रिफाईन्ड आयल प्लान्ट एवं पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु गीडा क्षेत्र में बल्क लैण्ड आवंटन नीति के अन्तर्गत 50 एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। कम्पनी द्वारा लगभग रू0 55.69 करोड़ के पूँजी निवेश में राईस प्लान्ट 20 एम0टी0 प्रति घंटा, साल्वेन्ट प्लान्ट 500 एम0टी0 प्रतिदिन, इडिबिल आयल रिफाईनरी 100 एम0टी0 प्रतिदिन तथा 1200 किलोवाट की क्षमता का पावर प्लान्ट स्थापित किये जाने की परियोजना है। प्रस्तावित इकाई में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 100 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

आटोमोबाइल कम्पनियों की डीलरशीप की स्थापना : गीडा क्षेत्र के सेक्टर–9 एवं 11 में देश की प्रतिष्ठित कम्पनीयां मारूती सुजकी, टाटा, टोयटा, फोर्स मोटर एवं भारत बेन्ज की डीलरशीप/सर्विस स्टेशन स्थापित किये गये है साथ ही शोरूम स्थापित कर वाहनों का विक्रय भी प्रस्तावित है।

फूड एवं टेक्सटाइल पार्क : गीडा औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर–15 में फूड–पार्क स्थापित करने की योजना है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को भूमि आवंटित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 81.54 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें उद्यमियों को टेक्सटाइल से सम्बन्धित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट एवं टेक्सटाईल यूनिट की स्थापना : मेसर्स अंकुर उद्योग प्रा0लि0 गोरखपुर के पक्ष में 82 एकड़ भूमि का वर्ष 2010 में आवंटन किया गया है। जिसके द्वारा लगभग 300 करोड़ के पूँजी निवेश से इटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट एवं टेक्सटाईल यूनिट की स्थापना की जायेगी, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट की स्थापना : मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा गीडा के औद्योगिक क्षेत्र में एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु लगभग 38.50 एकड़ भूमि आवंटन की मांग के क्रम में कार्पोरेशन के पक्ष में पट्टा विलेख की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। उक्त आवंटन के फलस्वरूप गीडा को रू0 40,98,14,697.00 की आय प्राप्त हुई है।

गीडा भवन का निर्माण : गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का सेक्टर संख्या–07 में कार्यालय भवन हेतु लगभग 6000 वर्गमीटर (1.50 एकड़) आरक्षित भूमि में से लगभग 2360 वर्गमीटर कवर्ड एरिया में कार्यालय भवन का निर्माण किया जायेगा। भवन निर्माण पर लगभग रू0 703.61 लाख का व्यय प्रस्तावित है। कार्यालय भवन परिसर में ही एक बैंक एवं कैन्टीन का भी प्रावधान किया गया है।

सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना : गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सेक्टर–22 में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप पार्किंग हेतु आरक्षित 4200 वर्गमीटर के भूखण्ड (भू0सं0पी–1) का निःशुल्क आवंटन सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना हेतु निर्गत कर दिया गया है। उक्त कार्यालय गीडा के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थापित होने से गोरखपुर नगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की शिफिटिंग में तेजी आयेगी।

गीडा महायोजना 2032 : गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) विकास बोर्ड द्वारा गीडा–2032 महायोजना प्रारम्भ किया गया है जो साढ़े तीन लाख हेक्टेयर में विकसित होगी, जिसमें जलनिगम द्वारा कामन इफ्लूएंट ट्रीटमेन्ट प्लांट(सी0ई0टी0पी0) लगाने हेतु 104 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है।

महायोजना–2032 में 24 प्रतिशत क्षेत्र उद्योग के लिए 35 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय टाउनशिप के लिए 11.5 प्रतिशत क्षेत्र सड़क व नाली के लिए तथा लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र में पौधारोपण व पार्क आदि के माध्यम से हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा। साढ़े पाँच प्रतिशत क्षेत्र व्यवसायिक निर्माण के लिए तथा शेष में सामुदायिक विकास शिक्षण संस्थान, कला व सांस्कृतिक कार्यों के लिए

सुरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में उद्यमियों को किये गये आवंटन जिस पर किसी कारण से कब्जा नहीं दिया जा सका उन्हें ब्याज में छूट के साथ छः माह का ब्याज भी माफ कर दिया गया है।

जनपद में स्थापित गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि औद्योगिक विकास के दृष्टिगत गीडा में न्यू गोरखपुर आवासीय योजना, सहजनवाँ आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट योजना, संस्थागत योजना एवं व्यवसायिक योजना का विकास किया जा रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक विकास को तीव्रता प्रदान करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए औद्योगिक सेक्टर–13, 15, 17 एवं 23 में उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक भूखण्डों का विकास किया गया है तथा सेक्टर–7, 9, 23 में संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित किया गया है। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि गीडा महायोजना 2032 के अन्तर्गत साढे तीन लाख हेक्टेयर में 24 प्रतिशत क्षेत्र उद्योग के लिए तथा इसके अतिरिक्त आवासीय टाउनशिप, व्यवसायिक निर्माण तथा सामुदायिक विकास शिक्षण संस्थान आदि की स्थापना की योजना है।

सन्दर्भ :

1. Brief Industrial Profile of Gorakhpur District(2016-17), Ministry of MSME, Govt. of India.
2. गीडा स्थिति पत्रक (2016), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर।
3. जनपद गोरखपुर में लघु उद्योगों के विकास हेतु सुविधायें (2016–17), महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, गोरखपुर।
4. सांख्यिकी पत्रिका जनपद गोरखपुर (2010–2016), अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, गोरखपुर।
5. सामाजार्थिक समीक्षा जनपद गोरखपुर (2016), संख्याधिकारी (अर्थ एवं संख्या प्रभाग), राज्य नियोजन संस्थान, गोरखपुर।
6. सामाजार्थिक समीक्षा गोरखपुर मण्डल (2017), उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या) गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7. उत्तर–प्रदेश में औद्योगिक विकास, प्रगति समीक्षा,(2013–14), उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश (नियोजन एवं समन्वय अनुभाग), कानपुर।
8. दिग्दर्शक बजट (2016–17), उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदश (नियोजन एवं समन्वय अनुभाग), कानपुर।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 54-56

उत्तर प्रदेश की नयी पंचायती राज की विशेषताएँ एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या

डॉ0 रामचन्द्र यादव*
*प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, राजबहादुर पी.जी. कालेज, गुलालपुर, जौनपुर,उ0प्र0

सारांश : भारत के इतिहास में 24 अप्रैल, 1993 का दिन अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसी दिन 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। पंचायती राज के संस्थाओं के माध्यम से लोकतन्त्र को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के उद्देश्य से जो कार्य योजना तैयार की गयी थी, उसके अनुसार सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वे एक वर्ष के भीतर यानि 24 अप्रैल 1994 तक इस संविधान संशोधन अधिनियम उपलब्धियों को ध्यान में रखकर अपने–अपने पंचायती राज कानून में संशोधन करलें। यह प्रसन्नता की बात है कि सभी राज्यों ने इस अवधि के अन्दर ही अपने–अपने पंचायती राज कानूनों में 73वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुसार आवश्यक संशोधन कर लिये हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस संवैधानिक दायित्व का निर्वहन 22 अप्रैल, 1994 को उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 को पारित एवं लागू करके किया। वस्तुतः 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना से ओत–प्रोत इस उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1949 के उपबन्धों में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन किय गये। इस प्रकार उपर्युक्त संविधान संशोधन अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम के माध्यम से जो नयी पंचायत राज व्यवस्था प्रदेश में स्थापित की गयी है, उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, किन्तु नयी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करने के पूर्व उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के उद्देश्य और कारण का उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के उद्देश्य और कारण : 73वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम 1992 देश में पंचायतों के सम्बन्ध में नयी व्यवस्था करने के लिये अधिनियमित किया गया था, इसलिये इस नयी व्यवस्था को उक्त अधिनियम में समाविष्ट उद्देश्यों और दिशा–निर्देशों के अनुसार इस राज्य में प्रवृत्त करना आपेक्षित हो गया है। तदानुसार राज्य में तीन स्तरों पर अर्थात् ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के स्तर पंचायतें स्थापित करने के लिये संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 का संशोधन करने और उक्त संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कतिपय व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया है जैसे–पंचायतों का संघटन और रचना। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के महिलाओं के लिये स्थानों का आरक्षण। पंचायतों का पाँच वर्ष का कार्यकाल। राज्य सरकार को किसी पंचायत के कतिपय परिस्थितियों में विघटित करने के लिये सशक्त करना। सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन प्रत्येक तीन स्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली को तैयार किया जाना और उनके लिये सभी निर्वाचनों का संचालन। प्रत्येक पंचायत के लिये एक निधि की स्थापना। पंचायतों के कृत्य, शक्तियों और उत्तरदायित्व, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलो के सम्बन्ध में उपबन्ध भी है। पंचायतों को कर, फीस इत्यादि के शुद्ध आगमों के वितरण को नियमित करने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में राज्यपाल को सिफारिश देने के लिये वित्त आयोग का गठन तदानुसार उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 को पुनः स्थापित किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएँ (Rural Problems) : हर वर्ष ग्रामीण समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाये जाने के बावजूद भी हमारी ग्रामीण समस्यायें सुलझती ही नहीं हैं। साथ ही निकट भविष्य में इनके दूर होने की सम्भावनायें क्षीण होती नजर आती है। इसके प्रमुख कारण है– इन योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामवासियों के स्थान पर बिचौलियों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जेब में चला जा रहा है। यही वजह है कि आज भी गाँवों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की जनसंख्या 27.09 प्रतिशत है। आज भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है, उनमें प्रमुख इस प्रकार है–

कृषि क्षेत्र की समस्या : कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अभी भी कृषि ग्रामीणों के जीवन यापन का महत्वपूर्ण अंग है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 1950–51 में 55.47 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटते–बढ़ते वर्ष 2003–04 में 22 प्रतिशत भले ही रह गया हो, लेकिन अभी भी यह सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण अर्थवयवस्था पर व्यापक रूप से प्रभाव डालती है। विगत वर्षों से कृषि में सुधार के लिए कई कारगर कदम उठाये गये है, परन्तु इसका लाभ विशेषतः बड़े किसानों तक ही सीमित रहा है, जबकि छोटे तथा सीमान्त कृषक इस लाभ से वंचित रहे हैं। कृषि युक्त जमीन का उपविभाजन एवं विखण्डन इतना बढ़ गया है कि आज प्रतिव्यक्ति जोत का आकार मात्र 0.14 हेक्टेयर रह गया है। यही वजह है कि छोटे एवं सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक बनने को विवश हैं। इसका कृषि उत्पाद पर भी बुरा असर पड़ा है

कृषक ऋणग्रस्तता : कृषक ऋणग्रस्तता ग्रामीण विकास की बाधाओं में मुख्य बाधा रही है। अधिकारिक तौर पर सन् 2003 में देश के 43.42 मिलियन कृषक परिवार (48.6 प्रतिशत) ऋणग्रस्त थे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जनवरी–दिसम्बर 2003 में कराये गये कृषकों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण से पता चला है कि अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 147.90 मिलियन परिवार है, जिनमें

से 89.35 मिलियन कृषक परिवार हैं। कृषक परिवारों मे से 48.60 प्रतिशत परिवारग्रस्त है। ऋणग्रस्तता की वजह से किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ महसूस करता है। ऐसे में उनके द्वारा उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, समय पर सिंचाई व कीटनाशक के प्रयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस वजह से कृषि उत्पादकता और कृषक की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। जब तक कृषि क्षेत्र में साख की कमी को दूर नही कर लिया जाता, तब तक ग्रामीण समस्यायें विद्यमान रहेंगी।

ग्रामीण बेरोजगारी : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की भयावह स्थिति बनी हुई है, जो राष्ट्र के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित है। कृषि श्रमिक एवं कृषकों को कृषि में वर्ष भर रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप कृषक एवं कृषि श्रमिक मौसमी बेराजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी के दुष्चक्र से घिरा रहता है। औद्योगीकीरण एवं विकास की दौड़ ने ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों को समूल नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। फलस्वरूप गैर–कृषि श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पलायन की समस्या से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थवयवस्था निश्चित तौर पर डगमगा गयी है।

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की समस्याएँ : आज अन्धाधुन्ध औद्योगीकरण के नाम पर हमारे ग्रामीण लद्यु एवं कुटीर उद्योग कुचल कर रह गये हैं। नियोजन के विगत 56 वर्षों में भारी एवं वृहत् उद्यागों को प्रोत्साहन दिया गया एवं ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योग उपेक्षा के पात्र बने। ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्योग अनुसुचित जाति, अनूसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा चलाये जाते थे, परन्तु सामाजिक कुप्रथाओं एवं दुर्भावनाओं ने इस उद्योगों को बुरी तरह कुचल दिया। ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की भारी हानि के कारण भारतीय ग्राम्य जीवन के आर्थिक आय के साधन को गहरा आघात पहुँचा है। शायद यही वजह है कि गाँधी जी के खुशहाल ग्रामीण जिन्दगी (ग्राम विकास) का सपना अधूरा जान पड़ता है। लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण परिवारों की आय का स्रोत भी है। अतः जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास में उनके योगदान में वृद्धि की जाए।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समस्या :ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सुनियोजित ढ़ंग से कार्यान्वयन न होने के कारण ग्रामीण विकास में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने मात्र से गाँवों के चहुंमुखी विकास के बारे में सोचना बेइमानी है, अपितु ग्रामीण विकास योजनाओं में योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समन्वय, समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण आदि कार्य उचित समय पर किये जाने अति आवश्यक है। अन्यथा ग्रामीण विकास के लिए कितने भी कार्यक्रम लागू किये जायें, ग्रामीणों की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं किया जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रय लागू किये गये, परन्तु कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से उसे कार्यान्वित नहीं करने एवं समय–समय पर समीक्षा के अभाव में फलीभूत नहीं हो पाये है।

गामीण संसाधनों एवं कार्यक्रमों के नियोजन की समस्या : हमारा ग्रामीण क्षेत्र संसाधनों से परिपूर्ण है। जरूरत है उसके सही एवं नियोजित विदोहन की। विगत वर्षों में केन्द्रीय नियोजन व्यवस्था के अर्न्तगत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संचालित किया जाता था। उच्च अधिकारीगण, जिन्हें ग्रामीण समस्या की सही जानकारी नही थी, वे शहरों में बैठे–बैठे ग्रामीण समस्याओं के समाधान की योजना तैयार करते थे। अभी हाल के वर्षों में सरकार ने यह अनुभव किया है कि जब तक ग्रामीण समस्याओं एवं उसके समाधान के तरीकों का निर्धारण गाँवों में रहने वाले सरकारी मुलाजिम नहीं करेंगे अर्थात् नियोजन का विकेन्द्रीकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों के चहुँमुखी विकास के रास्ते में समस्याओं का अम्बार लगता रहेगा। अतः अब गाँवों के विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का भार मुखिया एवं ग्राम पंचायत स्तर के सरकारी अधिकारियों को दिया गया है, परन्तु अभी भी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होकर संचालित करने का अधिकार उन्हें नही दिया गया है।

शिक्षा की समस्या : साक्षरता ग्रामीण विकास का अपरिहार्य अंग है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। क्योंकि जहाँ एक ओर शिक्षित ग्रामीण ही कार्यक्रमों को सही रूप से समझ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर विकसित अर्थव्यवस्था के लोग साक्षरता का महत्व समझते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी शिक्षा को बुद्धि के विकास और समाज के पुर्नगठन के लिए आधारभूत साधन माना था। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के निरक्षरों का प्रतिशत 34.62 है, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये ग्रामीण अशिक्षित भाग्यवादी तथा रूढ़ितावादी से ग्रसित हैं, जो किसी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने में असमर्थ हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की उपयोगिता तब तक सिद्ध नहीं हो सकती, जब तक ग्रामीणों एवं कार्यक्रम संचालकों के बीच समन्वय नहीं होगा। यह ग्रामीणों के शिक्षा प्रतिशत में वृद्धि से सम्भव है। अन्यथा विकास कार्यक्रमों की पूर्ण सफलता स्वप्न ही बनी रहेगी।

ग्रामीण आवास की समस्या : गाँवों में गरीबों की संख्या काफी है जो समुचित आवास व्यवस्था करनें में असमर्थ हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसका समाधान मात्र सरकारी प्रयत्नों से सम्भव नहीं हैं। हालाँकि पंचवर्षीय योजनाओं के अर्न्तगत आवास समस्या को हल करने के कुछ प्रयत्न किये गये है। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के लिए मकान बनवाये गये तथा मकान बनवाने के इच्छुक लोगों को कर्ज देने की व्यवस्था भी की गयी है, परन्तु यह काफी नहीं था। हाल के वर्षों में सरकार ने ग्रामीणों को समुचित आवास की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में नये–नये कार्यक्रमों को भी लागू किया, उनमें प्रमुख हैं–समग्र आवास योजना (1999–2000), क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना (2000) आदि। परन्तु आवास जैसे बड़ी समस्या का समाधान सिर्फ सरकारी प्रयत्नों से ही सम्भव नही जान पड़ती। अतः समाजसेवी संस्थाओं एवं अन्य एजेन्सियों को भी इसमें सहयोग करने की आवश्यक्ता है।

जनसंख्या वृद्धि की समस्या : वास्तव में तीव्र जनसंख्या वृद्धि सारी समस्याओं की जननी है। सरकार ने ग्रामीण विकास कि लिए अनेक कार्यक्रम जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, हरियाली योजना,

इन्दिरा आवास योजना आदि समय–समय पर चलाई हैं। इन कार्यक्रमों पर सरकार ने हर वर्ष बजट का एक बड़ा हिस्सा व्यय किया है, किन्तु तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने ये सभी योजनायें बौनी साबित हुई हैं।

अन्य समस्याएँ : ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है। गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्युतीकरण आदि सुविधाओं की भारी कमी है, जो ग्रामीण विकास के राह में रोड़े के समान है। सरकार द्वारा हर वर्ष नये–नये कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, परन्तु असलियत में गाँवों की समस्याओं के समाधान के लिए नये कार्यक्रमों की नही, अपितु उसके पुराने कार्यक्रमों के सुनियोजित ढ़ंग से संचालन की जरूरत है ताकि अमुक कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

ग्रामीण समस्या के ज्यों के त्यों बने रहने की एक प्रमुख वजह यह भी है कि हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि, जो ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, वे भी ग्रामीण समस्याओं को दूर करने के बजाय शहरी भोग–विलासिता की जिन्दगीं का आनन्द उठाने लग जाते है।

सन्दर्भ :

1. आर0के0 मुखर्जी; चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका शासन काल, दिल्ली, 1958
2. अशरफ अली; उत्तर प्रदेश में ग्राम संस्थायें स्टडी ऑफ पंचायती राज इन स्टेट ऑफ इण्डिया,नई दिल्ली, कान्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी–1994
3. दुर्गादास बसु; भारत का संविधान एक परिचय, नई दिल्ली पी0एच0आई0, 1998
4. जेम्स ब्राइस मार्डन डेमोक्रेसीज, खण्ड–1, द वर्ल्ड प्रेस कलकत्ता, पुर्नमुद्रित, 1962
5. एस0एस0 सार्जेन्ट कन्सेप्सन रोल एण्ड इगो इन कन्टेपोरेरी साइकोलाजी, जे0एच0 रोहनर एण्ड एम0 शेरिफ (एडिटर्स) सोशल साइकोलाजी एट क्रासरोड, 1951

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 57-58

वर्तमान सामाजिक जीवन में बौद्ध धर्म की उपयोगिता

डॉ0 विमलेश कुमार मिश्र*
*असि0प्रो0, प्राचीन इतिहास विभाग, राष्ट्रिय पी0जी0 कॉलेज, सुजानगंज, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : बौद्ध धर्म की उत्पत्ति आकस्मिक नहीं बल्कि वैदिक युग में अब तक पूँजीभूत विश्वासों के सत्यान्वेष्ण का प्रतिफल था। यह धर्म ऐसे काल में उद्भूत हुआ, जिसमें मनुष्यों की जिज्ञासा पुरातन युग के संचित विश्वासो के आवरण को चीर कर प्रत्येक वस्तु को वास्तविकता को देखना चाहती थी। मनुष्य के उद्भूत तर्क शीलता एवं सत्यान्वेषी दृष्टि के समक्ष अन्धविश्वासों की प्राचीनता कांप रही थी। कर्मकाण्ड की विशाल दीवारें जर्जरित हो रही थी और अन्धविश्वासों पर संरोपितपुरातन मान्यतायें अब मानव के सम्मुख निराश दिखाई देने लगी थी। ऐसे में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने प्रजापति ब्रह्म की याचना के फलस्वरूप बुद्ध ने धर्म प्रचार करना स्वीकार किया। संसार के हित के लिए उन्होने धर्म प्रचार करना स्वीकार किया। वे सर्वप्रथम ऋषिपातन (सारनाथ) यहा उन्हे ऊरूबेला के छूटे हुए 5 ब्राह्मण मिले, इन तपस्वियों ने सिद्धार्थ के नैतिक और मानसिक जीवन में बहुत सहायता की थी।[1] उन्ही लोगों को बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया अर्थात धर्मचक्र प्रर्वतन किया[2] यह उपदेश दुःख–सुख के कारणों तथा उनके समाधान से सम्बन्धित था। इसे चार आर्य सत्य कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान तथा प्रचार से समाज में नैतिक आचरण तथा सामाजिक परिवर्तन वर्तमान समाज एवं राजनीति के लिए महान आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। गया में तपस्सु और मल्कि नामक निम्न जातीय दो बंजारो को उपदेश देकर अपना अनुयायी बना लिया, जो समाज जाति वर्ण आदि से ऊपर उठना तथा मात्र मानव जाति के रूप में प्रेम भाव का ज्ञान समाज में संचार किया।

सामाजिक जीवन में बौद्ध धर्म की अनेक संदर्भो में बढ़ी उपादेयता है। व्यापार के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण नई उत्पादन तकनीक पर विकसित हो रहे, समाज को वैचारिक तथा धार्मिक समर्थन भी दिया। रामशरण शर्मा के अनुसार बौद्ध–धर्म के सिद्धान्त नई आर्थिक व्यवस्था तथा उपज के अधिशेष पर विकसित हो रही नगरीय जीवन के अनुकूल थे नई कृषि प्रणाली सिक्को के प्रचलन तथा व्यापार की प्रगति से शासन तथा व्यापारी दोनो अत्यधिक धनाढ्य हो रहे थे। वास्तव में उत्पादन में संलग्न श्रमिक वर्ग की दशा तथा समस्याओं का समाधान वैदिक, जैन, बौद्ध या अन्य किसी धर्म या दर्शन के अन्तर्गत सम्भव नहीं था। जो वर्तमान समय में भी विद्यमान है तथा इस समस्या से आज भी उद्देलित हो रहा है। निम्न वर्ग का व्यक्ति संयासी या भिक्षु हो सकता था, किन्तु उत्पादन के मूल निहित श्रम तथा श्रमिक की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बौद्ध आन्दोलन का आधार था। दुःखवाद का हिस्सा नही था।[3] इस प्रकार बौद्ध धर्म के कारण शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। डॉ0 ए0एस0 अल्तेकर लिखते है कि संगठित सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं का उत्पान मुख्यतया बौद्ध–धर्म के प्रभाव के कारण था इस समय निश्चित रूप से जो बड़ी मात्रा में साहित्य का निर्माण हुआ वह भारत की बौद्ध–धर्म की अमूल्य देन है।

बुद्ध का जन्म जिस समय हुआ उस समय मानव 'तत्वशास्त्र' की समस्याओं को सुलक्षाने मे निमग्न था। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा, जगत, और ईश्वर जैसे विषयों के चिन्तन मनन मे डूबा था जितने विचारक थे उतने मत हो गये थे, इस दार्शनिक प्रकृति (चिन्तन) का फल यह हुआ कि लोगो का नैतिक जीवन निष्प्राण हो रहा था। लोग जीवन के कर्तव्य को भूल रहे थे। वे संसार मे रहकर भी संसार से कोसो दूर थे। नीतिशास्त्र के प्रति लोगो की आस्था उठने लगी थी। विचार एवं नैतिक क्षेत्र में अराजकता थी। उस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो लोगों की आस्था उठने लगी थी। विचार एवं नैतिक क्षेत्र में अराजकता थी।[4] उस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो लोगो को नैतिक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने में सहायक हो। बुद्ध इस माँग की पूर्ति करने में पूर्ण सफल हुए। जब हम बुद्ध की शिक्षाओं का सिंहावलोकन करते है तो उसमे आचारशास्त्र मनोविज्ञान तर्कशास्त्र दया प्रेम समर्पण पाते है।

बौद्ध संस्कृति (श्रमण) सत्यान्वेषण में प्रकृत होने के कारण न तो हिंसा में विश्वास करती थी और न जन्म की श्रेष्ठता में इस कारण उनके संघो में सामाजिक समता पायी जाती थी वाद में बुद्ध तथा महावीर ने श्रमण संस्कृति को उत्कर्ष पर पहुँचाया। अनात्मवाद, अनित्यवाद के सिद्धान्त शील, समाधि एवं प्रज्ञा पर आधारित आर्य आष्टागिंक मार्ग संघ में समता, अहिंसा, त्याग और करूण एवं मंत्री पर बल दिया।[5] महायान में अप्रतिष्ठित निर्माण का प्रत्यय वोधिसत्व का आदर्श तथा करूणा एवं मंत्री पर बल दिया। महायान में अप्रतिष्ठित निर्माण का प्रत्यय वोधिसत्व का आदर्श तथा करूणा एवं प्रज्ञा का समन्वय उनका बौद्धिक तथा भावनात्मक दोनों स्तरो पर प्रेरणा देते है। पर दुःख कारता दूसरों के लिए आत्मोत्सर्ग का भाव तथा शीलव्रत का पालन करते हुए समाधि के क्षारा प्रज्ञा की उपलब्धि को वे सामाजिक तथा व्यक्गित जीवन के सर्वोच्च आदर्श मानते थें। अप्रतिष्ठित निर्माण बौद्ध अवधारणा सामाजिक कल्याण की दृष्टि से एक महान आदर्श है। निर्वाण प्राप्ति के अवसर के बावजूद उसे प्राप्त करने से इनकर करता है। उसकी प्रतिज्ञा है कि जब तक एक भी प्राणी दुःख के भवसागर में पड़ा हुआ है, क्लेशों के पाश में जकड़ा हुआ है, कोई बौद्ध साधक अपनी मुक्ति का मात्र क्षुद्रता समक्षता है। जो स्व से वसुधैव कुटुम्ब की तरफ अग्रसर करता है।

इन सिद्धान्तो से उनकी अन्तः उनकी अन्तःचेतना की प्रेरणा आत्मनियन्त्रण के लिए आधार मिल सकता है।[6] क्या उनसे एक नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। नया उनसे दूसरो के लिए था समाज के लिए प्रेरक मिल सकती है। और अपने आत्योत्कर्ष की भावनाएँ उत्पन्न हो सकती है प्रेम मैत्री, त्याग तथा अहिंसा जैसे आदर्श किसी भी समाज और संस्कृतिके लिए अनिवार्य

है। आज के युग में समतामूलक एवं शोषण विहीन, उत्कृष्ट मानवीय समाज जिसमें नैतिक, वैचारिक तथा आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अवसर इस धर्म मे मिल सका।

ऐतिहासिक कारणों से आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की दौड़ में पिछड़ गया परम्परा प्रिय रूढ़िग्रस्त भारतीय समाज और उनकी विभिन्न संस्थाये तथा समुदाय, जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था, धर्म तथा सम्प्रदाय, नैतिक मूल्य, आचार व्यवहार, ग्राम तथा नगर परिवार तथा पड़ोस स्त्रियो की स्थिति, शिक्षा तथा मनोरंजन आदि सब कुछ द्रुतगति से परिर्वन हो रहा है। इस द्रुतगायी परिवर्तन के समक्ष अपने अस्मिता की रक्षा करते हुए राष्ट्रीयता विश्ववन्धुत्व लोकतन्त्र और सामाजिक समता जैसे नये मूल्यो एवं तत्वो को आत्मसात करने में बौद्ध धर्म एवं दर्शन महती भूमिका का निर्वहन कर सकता है।

सन्दर्भ :

1. डॉ0 जयशंकर मिश्र; प्रा0भा0 का सा0 इतिहास, पृ0 793
2. संयुक्त निकाय 5.420
3. मझ्मि निकाय 2—98 धम्मपद अट्ठकथा 31.69
4. धम्मपद अट्ठकथा 1.319
5. गोयल, श्री राम पृ0 439
6. थापर ,रोमिला ,प्रा0 भा0 का इतिहास, 9 से 81

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 59-60

बैजाबाई सिंधिया का व्यक्तित्व एवं कृत्तिव

डॉ0 मंदाकिनी शर्मा*
*अतिथि विदान (इतिहास), शासकीय चीनौर महाविद्यालय कॉलेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

सारांश : 1857 की क्रांति में मध्य भारत की महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। मध्य भारत की महिलाओं ने 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहूती दी। 1857 की क्रांति में मध्य भारत की महिलाओं में बैजाबाई सिंधिया विषिष्ट थी। बैजावाई सिंधिया ग्वालियर रियासत के शासक दौलतराव सिंधिया की पत्नी थी। कतिपय तथ्यों से विविद होता है कि इन्होंने 1857 की क्रांति को संगठित करने का प्रयास किया था, लेकिन बैजावाई सिंधिया की 1857 की क्रांति के समय भूमिका संषय पूर्ण थी। बैजाबाई सिंधिया ग्वालियर रियासत के सरदार सरजेराव घाटके की पुत्री थी। उनका विवाह ग्वालियर सियासत के शासक दौलतराव सिंधिया के साथ 1798 ई.में हुआ। ग्वालियर रियासत की प्रमुख ऐतिहासिक महिला बैजावाई सिंधिया ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं तथ्यों से यह जानकारी मिलती है कि बैजाबाई सिंधिया ने1857 के समय एवं उससे पूर्व क्रांति की आधार भूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐतिहासिक तथ्य इस बात का भी उल्लेख करते है कि बैजाबाई सिंधिया ने पूरे देष में अंग्रेजों के विरूद्ध उठ खड़े होने का खाका तैयार किया। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी और सिंधिया रियासत के मध्य संबंध आन्तरिक रूप से अच्छे नहीं थे। महारापुरा के युद्ध के बाद 1843 संधि के कारण सिंधिया के अधिकार क्षेत्र एवं भौगोलिक क्षेत्र अंग्रेजी ने सीमित कर दिये थे।

सिंधिया परिवार की महारानी बैजावाई ने अपनी बिगड़ती एवं कमजोर होती हुई स्थिति में अपनी में अपनी तेज, तर्रार, कुषल कूटनीति द्वारा अपने शासन का संभाला ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की देषव्यापी योजना बनाई, बैजावाई सिंधिया एक कुषल शाषिका एवं महत्वकांक्षी महिला थी। उनकी क्षमताओं का लोहा तत्कालीन प्रषासन भी मानता था। उन्होंने अपनी कुषलता द्वारा विभिन्न राजाओं के साथ पत्र व्यवहार किया। तथा अंग्रेजों के विरूद्ध एक साथ मिलकर लड़ने के लिये कहा। बैजावाई दृढ़ संकल्पी महिला थी। उनके अन्दर विषय परिस्थिति में कठोर निर्णय लेने की क्षमता थी।

बैजाबाई सिंधिया की इस योजना के बारे में सूचना 1857 की क्रांति के समय एक न्यायिक गवाही के दौरान सामने आयी। जब 18–25 जनवरी 1858 ई. में मैसूर के जूडीषियल कमिष्नर एच.बी. डेबरों और कैप्टन जे.एल. पियर्स के सामने एक हिन्दू सन्यासी बाबा सीताराम की गवाही के दौरान बैजावाई सिंधिया की इस योजना का खुलासा किया। सीताराम की गवाही के अनुसार बैजावाई की इस योजना में सभी राजा प्रमुख रूप से सम्मिलित थे, जब सीताराम जी से पूछा गया कि बैजावाई आगे क्रांति में शामिल क्यो नहीं हुई, तो सीताराम ने बताया कि अंग्रेजों ने जब राज्याधिकार शासन जयजीराव को सौंप दिया तथा बैजाबाई इस षड्यंत्र से दूर हो गयी और उनका स्थान नाना साहब ने ले लिया। गर्वनर जनरल ने बैजावाई के विषय में सीताराम की गवाही की जांच करने के लिये मध्यवर्ती भारत, हैदराबाद, बम्बई, पंजाब, के प्रषासनिक मुख्यालय में जांच हेतु प्रतियाँ भेजी, किन्तु यह तथ्य भी सत्य है कि इस मामले की गंभीरता के साथ जांच नहीं हुई।

ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि बैजावाई सिंधिया कुलष राजनैतिक महिला थी। उनका कुषल प्रबंध ओर राजनैतिक सूझ–बूझ से यह ज्ञात होता है कि वह तत्कालीन परिस्थितियों की प्रभावित करने में सक्षम थी। जब महारानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा किया। तब ''राव साहब'' जो कि नानासाहब के भाई थे। उनके द्वारा बैजाबाई सिंधिया को पत्र लिख ग्वालियर राज्य संभालने के लिये कहा गया। उस समय बैजाबाई और सिंधिया राज्यवंष की महिलाएं ग्वालियर से दक्षिण–पष्चिम में लगभव 100 किलोमीटर दूर नरवर के किले में शरण लिये हुये थी। राव साहब ने बैजावाई सिंधिया को दो–पत्र लिखे जिनमें पहला पत्र इस प्रकार था – हम यहाँ आ गए हैं। हमारे आने से पहले आप यहाँ से चली गई। हमने आपकी जयाजीराव की खोज की। आपने जाकर अच्छा नहीं किया। जो होना था वह हो गया। अब आप यहाँ अवष्य आएं ओर चिंमन राजा को अपने साथ लाए। बैजावाई ने पत्र का कोई जबाव नहीं दिया। तब नाना साहब के भाई ''राव साहब'' ने बैजावाई सिंधिया को दूसरा पत्र भेजा–मे। यह पत्र रामजी चौथे जमादार के द्वारा भेज रहा हूं। यहाँ सब कुषल है। मेरा विचार है कि आपका यहाँ से जाना ठीक नहीं था। आपने मेरे पहले पत्र का उत्तर नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ग्वालियर अवष्य आओ और अपने शासन के स्थान संभालो मेरा उद्देष्य केवल आप से मिलकर आपका शासन आपको देना है। ग्वालियर पर अधिकार पर अधिकार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है।

रावसाहब के पत्रों का बैजावाई ने कोई जबाव नहीं दिया। बैजावाई सिंधिया वहीं कुषल कूटनीतिक महिला थी। वह जानती थी कि क्रांतिकारी किसी भी प्रकार से उन्हें साथ मिलाना चाहते थे। वह राव साहब के पत्रों की मंषा को भांप गई थी। बैजावाई जानती थी क्रांतिकारी का साथ देने का अंजाम क्या होगा। बैजावाई सिंधिया ने यह दोनों पत्र अंग्रेजी अधिकारी हैमिल्टन के पास भेज दिये और संषय की संभावना को सदा के लिये समाप्त कर दिया। बैजावाई सिंधिया की 1857 की क्रांति के समय भूमिका संषय पूर्ण थी। जायाजीराव सिंधिया के तत्कालीन शासन, जयाजीराव सिंधिया की भूमिका भी संदिग्ध थी वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधिया आंतरिकत रूप से विद्रोहियों के पक्ष में किन्तु बाह रूप से अंग्रेजो के साथ खड़े रहे।

अतः तथ्यों से यह विदित होता है कि बैजाबाई सिंधियाने 1857 की क्रांति को संगठित करने का प्रयास किया था। मध्य भारत कि महिलाओं की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं में बैजाबाई सिंधिया विषिष्ट थीं।

सन्दर्भ :

1. शर्मा, डॉ. आनन्द कुमार; माधव सिंधिया व्यक्तित्व एवं कृत्तिव, राधा प्रकाषन, नई दिल्ली 2010 पृ. 40–41
2. शर्मा, डॉ. आनन्द कुमार; माधवराव सिंधिया व्यक्तित्व एवं कृत्तिव, राधा प्रकाषन, नई दिल्ली 2010 पृ0 44–45
3. सेन, सुरेन्द्र नाथ; अठारह सौ सत्तवान, प्रकाषन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली 2005 प्र. 474।
4. सेन, सुरेन्द्र नाथ; अठारहा सौ सत्तावन, प्रकाष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली 2005 पृ. 471।
5. फॉरेन सीक्रेट कंसल्टेषन, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, स. 344–346, 28 मई 1858 सेव, सुरेन्द्रनाथ, अटारह सौ सत्तावन प्रकाषन विभाग भारत सरकार नई दिल्ली, 2005, पृ0 472।
6. शर्मा, डॉ. आनन्द कुमार; माधवराव सिंधिया व्यक्तित्व एवं कृतित्व राधा प्रकाषन, नई दिल्ली, 2010 पृ.–45।
7. सुरेन्द्र नाथ; अठारहा सौ सत्तावन, प्रकाषन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2005, पृ0 342–43 फॉरेस्ट–ए विस्ट्री ऑफ दि इंडियन म्यूटिनी जिल्द 3, पृ. 265–66।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 61-62

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बिहार के दलितों की सामाजिक स्थिति

राम प्रवेश पासवान*
*शोध छात्र, स्नातकोत्तर, इतिहास विभाग, ल.ना.मि.वि. कामेश्वरनगर, दरभंगा, बिहार

सारांश : बिहार का दलित समुदाय भारत के दलित समुदाय के समान ही कई छोटे–बड़े समूहों में बँटा है। ब्रिटिश शासन में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्णित किया गया। बिहार के दलित 23 उपजातियों या समूहों में बँटे हैं। विडम्बना तो यह है कि करीब 1 करोड़ दलित आबादी 23 उपजातियों में बंटकर रह जाने से संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाना, संघर्षशील होना आदि नामुमकिन है। इतना ही नहीं, इनमें भी जो संख्या में ज्यादा हैं, वे दूसरों को जो संख्या में कम हैं, उनकी संवेदना को नजरअंदाज कर देते हैं। यद्यपि बिहार के दलित समाज 23 उपजातियों में बँटे हैं फिर भी रविदास (29.86%), दुसाध (26.34%), मुसहर (13.42%), भुइंया (7. 87%), धोबी (5.47%) और पासी (4.69%), ये चार उपजातियां मिलकर करीब 88% हिस्सा ले लेती हैं। शेष 12% आबादी 17 उपजातियों में बँटी हैं एक ओर रविदास समूह सबसे ज्यादा 30% आबादी का हकदार है, दूसरी ओर भूमिज और कंजर जैसी उपजातियों की आबादी 4 हजार से भी ऊपर नहीं है। यह सर्वविदित है कि प्रजातंत्र में जहाँ संख्या के आधार पर राजनैतिक शक्ति का केन्द्रीकरण और हस्तांतरण होता है, उस समाज में बहुसंख्यक समूहों का बोलबाला हमेशा रहा है। बिहार के सामाजिक परिवेश में दुसाध और रविदास समूह दोनों आबादी में बहुसंख्यक होने के वजह से बिहार और देश की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं। बाबू जगजीवन राम बिहार का क्यों, पूरे भारत के दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते थे, फिर भी उनका प्रभाव अधिकतर रविदास समुदाय तक सीमित रह जाता था।

भारतीय परिवेश में दलित समुदाय सदियों से उत्पीड़न, शोषण और दमन का शिकार रहा है। बिहार जैसे प्रांतों में जहाँ जाति, सत्ता और जमीन के वर्चस्व में बुनियादी सामंजस्य स्थापित हो चुका था, वहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्तियाँ ऊंची जाति और उच्च वर्ग के हाथों में सिमट कर रह गयी थीं। इतना ही नहीं जैसे–जैसे संसाधन के स्रोत ऊँची जाति के हाथों में संचय होते गये, वैसे–वैसे वे समाज के सर्वेसर्वा के रूप में उभर कर सामने आते आए। गाँव–कस्बे के छोटे–मोटे निर्णय से लेकर इलाके के मूलभूत अधिकारों पर वे अपना अधिकार जमाते गए। गाँव की पंचायत उनकी थी या उनके इशारे पर चलती थी। इन पंचायतों द्वारा, जो निर्णय दिया जाता था, वह भी उनके 'परम्परागत अधिकार' को बनाए रखने की दिशा में मददगार साबित हुआ। दूसरी ओर दलित वर्ग समाज से बहिष्कृत, तिरस्कृत, अमानवीय जीवन स्थिति में गुजर–बसर करने को विवश था। गाँवों के पंच में न ही उनका प्रतिनिधित्व था और न ही पंचायत उनकी गुहार सुनने को तैयार थी। चूंकि वे जीवन के संसाधनों से वंचित थे, उन्हें सवर्ण जाति के कर्ताधर्त्ता के हर इशारे पर नाचना अनिवार्य हो गया था। न परम्परागत पंचायतों में उनकी कोई बात सुनी जाती थी और न ही आधुनिक प्रशासन तंत्र में।

बिहार में दलितों की संख्या तुलनात्मक रूप से घनी है। यद्यपि भारत की तुलना में (16.49) यहाँ पर दलितों की आबादी 14. 55% है, फिर भी कई इलाकों में दलित बहुल इलाके हैं। गया जिला में दलितों की आबादी 30% के करीब है। यद्यपि प्रजातंत्र में संख्या शक्ति का पूरक माना जाता है, मगर बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी दलितों की परिस्थिति यहाँ पर दयनीय है। यह बात अवश्य है कि यहाँ से निर्वाचित हुए विधायक और सांसद अपने हालात में तब्दीली अवश्य लाए हैं, मगर सम्पूर्ण दलित समुदाय की परिस्थिति बद् से बद्त्तर होती जा रही है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है लेकिन दलित समुदाय का साक्षरता दर मात्र 40.20% है। दलित समुदाय की आर्थिक दशा का विश्लेषण करने से यह तस्वीर साफ नजर आती है कि चाहे देश और दुनिया कितना भी विकास क्यों न करे, मगर दलितों के आर्थिक दशा ज्यों की त्यों रह जाती है या और दयनीय परिस्थिति में पहुँची हुई है। विसंगतियों का अंत यहीं तक सीमित नहीं हैं। वे 1 या 2 बिगहा रखने वाले छोटे किसान हैं। मौजूदा वैश्वीकरण, भूंडलीकरण की प्रक्रिया में ये इन 1 या 2 बिगहा जमीन को भी बचा नहीं पाते हैं। कालांतर में यह भी जमीन इनके हाथ से छीन जाती है और वे भूमिहीन होकर कृषि मजदूर की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र कृषि ही प्रमुख आर्थित स्रोत हैं, इसलिए कृषि मजदूरों में बढ़ोत्तरी पहले से दयनीय स्थिति में रह रहे मजदूरों पर असर ज्यादा पड़ता है। मजदूरी का आयाम सीमित है, मजदूरों में अनियमित वृद्धि, न्यूनतम मजदूरी की माँग को भी शून्य पर पहुँचा देता है। श्रम आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे कई आयोगों का गठन पुनः एक बार कागजी घोड़े दौड़ाने की सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है। दलित हितैषी परियोजनाएं एवं आयोग के गठन की वास्तविकता की बानगी सरकारी आँकड़े खुद हैं। हर साल बिहार से पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली की ओर बिहार के मजदूरों के पलायन की रफ्तार तेज होती जा रही है। पलायन के लिए प्रेरणा न केवल उचित मजदूरी से है, मगर इसके साथ–साथ सामाजिक सम्मान भी जुड़ा हुआ है। बिहार की सामाजिक संरचना के तहत् दलित किसी भी प्रकार की इज्जत और सम्मान से हमेशा वंचित रहे हैं। ऊँची जाति के जमींदारों के यहाँ मजदूरी कर रहे दलित पुरूष का जीवन तो यहाँ के गाय–बैल से भी बद्त्तर होता है। इसलिए आए दिन न केवल पुरूष पलायन करते हैं, बल्कि पुरूष, महिला और बच्चे यानी सारा परिवार पलायन करते हैं। सबसे हैरत की बात तो यह है कि दलित समुदाय पर बार–बार यह आरोप लगाया जाता है कि वह परम्परागत पेशा से जुड़ा रहता है। अगर व्यापार, जिसे स्वरोजगार के तहत् आंका जाता है, इस पर विश्लेषण करें तो दलितों की दयनीय स्थिति और भी सोचनीय होती है। जहाँ सामान्य जाति के 5.12% आबादी व्यापार में लगी है, वहीं पर दलित समुदाय के मात्र 1.21% व्यापार में है। दलितों में जो व्यापार

करते हैं, वे बड़े महाजन या मारवाड़ी के बराबर नहीं हैं, वे सिर्फ परम्परागत पेशों में लगे हैं, जिनसे उन्हें जीविका चलाने भर आमदनी हो पाती है। गौरतलब यह है कि आए दिन वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से जो भी परम्परागत आय के स्रोत रहे हैं, वे भी इनके हाथों से फिसलते जा रहे हैं। दलित समुदाय पर बराबर यह आरोप लगाया जाता है कि वह परम्परागत पेशों से जुड़ा रहता है। दलित समुदाय जिस तंगी हालत में गुजर–बसर कर रहा है, उसका अध्ययन नहीं करते हैं। यहाँ पर यह सवाल उठाना वाजिब है कि क्यों दलित समुदाय के कई लोग अपने पूर्वजों के पेशे को बनाए रखते हैं। इनसे विचार–विमर्श करने से यह मालूम होता है कि वे परम्परागत पेशों का सहारा इसलिए लेते हैं, क्योंकि इनके सामने आमदनी का और कोई जरिया नहीं है। कुछ ऐसे भी धंधे होते हैं जिनको करने से उनको समाज में इज्जत नहीं मिलती है, फिर भी वे इन पेशों को त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हीं कामों से उनकी जीविका चलती है। बिहार का दलित समुदाय भारत के दलित समुदाय के समान ही कई छोटे–बड़े समूहों में बँटा है। ब्रिटिश शासन में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्णित किया गया। बिहार के दलित 23 उपजातियों या समूहों में बँटे हैं। विडम्बना तो यह है कि करीब 1 करोड़ दलित आबादी 23 उपजातियों में बँटकर रह जाने से संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाना, संघर्षशील होना आदि नामुमकिन है। इतना ही नहीं, इनमें भी जो संख्या में ज्यादा हैं, वे दूसरों को जो संख्या में कम हैं, उनकी संवेदना को नजरअंदाज कर देते हैं। यद्यपि बिहार के दलित समाज 23 उपजातियों में बँटे हैं फिर भी रविदास (29.86%), दुसाध (26.34%), मुसहर (13.42%), भुइंया (7.87), धोबी (5.47%) और पासी (4.69%) ये चार उपजातियां मिलकर करीब 88% हिस्सा ले लेती हैं। शेष 12% आबादी 17 उपजातियों में बँटी हैं एक ओर रविदास समूह सबसे ज्यादा 30% आबादी का हकदार है, दूसरी ओर भूमिज और कंजर जैसी उपजातियों की आबादी 4 हजार से भी ऊपर नहीं है। यह सर्वविदित है कि प्रजातंत्र में जहाँ संख्या के आधार पर राजनैतिक शक्ति का केन्द्रीकरण और हस्तांतरण होता है, उस समाज में बहुसंख्यक समूहों का बोलबाला हमेशा रहा है। बिहार के सामाजिक परिवेश में दुसाध और रविदास समूह दोनों आबादी में बहुसंख्यक होने के वजह से बिहार और देश की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं। बाबू जगजीवन राम बिहार का क्यों, पूरे भारत के दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते थे, फिर भी उनका प्रभाव अधिकतर रविदास समुदाय तक सीमित रह जाता था। रामविलास पासवान दलित सेना के बदौलत राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। आज भी वे इसी बुनियाद पर 'आया राम गया राम' जैसा प्रायः सभी सरकारों में केन्द्रीय मंत्री बने हुए हैं। इसके बावजूद वे दुसाध समूह के लोकप्रिय नेता है। इन बातों से दो सत्य दलित समुदाय के सामने आत्मनिरीक्षण के लिए दस्तखत कर रहे हैं। पहला यह है कि दलित समुदाय में भी जिनकी संख्या अधिक थी, जिनकी आर्थिक परिस्थिति बेहत्तर रही और जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया था, उन उपजातियों की हालत औरों की तुलना में कई गुना मजबूत है और वे तरक्की की ओर अग्रसर हैं। दूसरा, दलित समुदाय में भी दलितों मे दलित हैं। इस कथन क तात्पर्य यह है कि बिहार में दलित समाज डोम, मुसहर जैसे उपसमूह अमानवीय परिस्थिति में जीवनयापन करने के लिए विवश है, चूंकि ये आर्थिक संसाधनों से हमेशा वंचित रहे हैं, दलित समाज के लिए शिक्षा एक हथियार है, जिसके द्वारा समाज की सीढ़ी में और एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि ये उपजातियां शिक्षित होने से मजबूर हैं, आगे विकास के रास्ते इनके लिए बन्द हो जाते हैं, इस चक्रव्यूह में फंसकर ये उपजातियां ज्यों की त्यों रह जाती हैं।

बिहार के दलित समाज में धोबी उपजाति एकमात्र ऐसी एक उपजाति है, जिसने आरक्षण और शिक्षा दोनों का पूर्णतया लाभ उठाया है। इसलिए इनके बीच अभियन्ता से लेकर डाक्टर तक पाए जा सकते हैं। राजनीति में भी इनका प्रतिनिधित्व संतोषजनक है। सरकारी आँकड़े इसके गवाह हैं। बिहार के सभी उपजातियों में धोबी समूह अधिक साक्षर हैं। इसके बाद दुसाध समूह की आबादी साक्षर हैं। संख्या में बहुल रविदास समूह में भी लोग साक्षर हैं। सबसे निचली पायदान में रहने वाला डोम समाज में कम लोग साक्षर हो पाए हैं। इन सारे तर्कों से उभरता एक सत्य यह है कि बिहार के दलित समुदाय से जितने राजनेता उभरकर आए हैं, उनमें यह कमी रह गई है कि सम्पूर्ण दलित समाज को लेकर चलें। भले ही इन नेताओं ने दलित रहनुमाई होने का, असली दलित नेता होने का दावा पेश किया था, फिर भी वास्तविकता यह है कि ये सारे कारनामे मात्र दिखावे रह गए। इन नेताओं ने भी दलितों का अपना ''वोट बैंक'' के रूप में इस्तेमाल किया है।

निष्कर्ष : बिहार का सम्पूर्ण दलित समाज अपने हक और अधिकार की लड़ाई में एकजुट होकर आगे बढ़े इसकी प्रेरणा कोई बाहरी ताकतों से प्राप्त होने की संभावना नहीं है। दलित समुदाय को अपने आप इस अति आवश्यक कार्य में पहलकदमी करनी होगी। बिहार के खेत–खलिहानों में सदियों से उभर रहे विभिन्न आन्दोलन मार्गदर्शक अवश्य सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ इस बात को भी उजागर करना उचित है कि यद्यपि बिहार में दलित उभार आन्दोलन का स्वरूप नहीं लिया हो, फिर भी कई अन्य विद्रोह और जनउभार आन्दोलन के लिए रणक्षेत्र अवश्य तैयार किया हैं। स्वामी सहजानन्द सरस्वती के तत्वाधान में संचालित किसान सभा आन्दोलन हो, त्रिवेणी संघ विद्रोह हो, बोध गया भूमि आन्दोलन हो या करीब 3 दशक से अनवरत चल रहे नक्सली आन्दोलन हो, ये सारे आन्दोलन दलित मुक्ति आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। अब देखना यह है कि दलित समुदाय, बुद्धिजीवी, कार्यकर्त्ता इसका रूपरेखा और रणनीति किस तरह तैयार करते हैं।

सन्दर्भ :

1. यंग इंडिया, 25 मई, 1921, पृ. 52
2. दुर्गादास बसु –भारत का संविधान, एक परिचय, नई दिल्ली, 2001, पृ0 44
3. कंवल भारती, दलित विमर्श की भूमिका (इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद 2002), पृ.76
4. डॉ. कुसुम मेघवाल ;भारतीय राजनीति के आंदोलनकर्ता कांशीराम (राजस्थान दलित अकादमी, उदयपुर, राजस्थान, 2002)पृ. 35
5. डॉ.बी.आर.अम्बेडकर, फिलोसफी ऑफ हिन्दूज्म ,डॉ.अम्बेडकर राईटिंगस एण्ड स्पीचीस, वाल्यूम 3, भाग–1, अध्याय–1,1987, पृ. 39
6. जगजीवन राम– कास्ट चैलेंज इन इंडिया, 1986, पृ. 23
7. प्रकाश लुईस : ''सामाजिक शक्तियां एवं राजनैतिक मजबूरियां'' भारतीय सामाजिक संस्थान, 2000.
8. डॉ. तेज सिंह, अम्बेडकरवादी विचारधारा और समाज (स्वराज प्रकाशन, दिल्ली, 2008), पृ.45

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 63-65

भारतीय राजनीति में महिलाओं कि भूमिका

डॉ0 कृष्णबाबू प्रसाद रजक*
*राजनीतिशास्त्र विभाग, ल.ना.मि.विश्वविद्यालय, दरभंगा, ग्राम व पोस्ट– ददरी, सीतामढ़ी

सारांश : हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नही किया जाता है, इसी रूप में आजादी की लड़ाई में महिलाओं ने क्रांति और अहिंसा दोनो रास्तों पर पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। आजाद हिन्द सेना की केप्टन लक्ष्मी सहगल, कस्तुरबा गांधी, कादम्बिनि गांगुली, कमला नेहरू, सावित्री बाई फुले आदि का नाम उसी सम्मान के साथ लिया जाता है जैसे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का। इसी समय में स्वामी विवेकानंद, दया नन्द सरस्वती, सुब्रामण्यम भारती, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भी महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। इन सभी के प्रयासों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने भेदभाव रहित लोकतंत्र की रचना की जिसने समानता के ध्येय को सर्वोपरी रखा गया और महिलाओं के आगे बढ़ाने तथा उन्हें हर क्षेत्र में मौका देने के लिए विशेष प्रावधान किये गए।

महिलाओं को संवैधानिक एवं कानूनी रूप से सश्सक्त बनाने हेतु स्वतंत्र भारत के संविधान में भी स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद–14 भारत के सीमा क्षेत्र में व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों से समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद–15(1) राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा। अनुच्छेद–15(3) इस अनुच्छेद में किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपलब्धि बनाने में बाधा नहीं होगी। अनुच्छेद–16(2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग उद्‍भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन कि सर नौकरी या पद के लिए विषय में न अपात्रता होगी, और न विभेद किया जायेगा। अनुच्छेद–19(1) समान रूप से प्रत्येक नागरिक को भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकरी की गारन्टी देते है, अर्थात सभी नागरिक अपने विचारों, विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को निर्बाध रूप से तथा बिना किसी टोक के मौखिक शब्दों द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्रण के द्वारा अथवा किसी अन्य ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद–21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं किसी व्यक्ति की विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या उसकी वैयक्ति स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद–23 तथा अनुच्छेद–24 मानव के अवैध व्यपार, बेगार और अन्य बलात् श्रम, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन आदि के द्वारा शोषण के विरूद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है अनुच्छेद–39 समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरूषों एवं महिलाओं को समान कार्य समान वेतन, श्रमिकों पुरूषों और महिलाओं का स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकांकी सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो। अनुच्छेद–42 तथा 43–3 राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, काम की मानवोचित दशाएँ, प्रसूति सहायता, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का पूर्ण उपभोग और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चत करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद–51(3) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे तो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो। अनुच्छेद–243 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की एक तिहाई आरक्षण।

अतः अब भारत ही नही, अपितु सारे विश्व में महिलाओं को समानता अथवा ये कहें, बराबरी के हक व अधिकार मिलने लगे हैं। इसी के साथ यह भी सत्य है कि विश्व के सभी देशों में उनके लिए, उनके हित में अनुकूल वातावरण भी बनता जा रहा है और शायद इसलिए 21वीं शताब्दी को महिलाओं की शताब्दी कहा गया है अतः इन्हीं नियमों व कानूनों के माध्यम से महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं समाज के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी क्षमता के बलबूते पर आत्मविश्वास तथा साहस के साथ पुरूष प्रधान समाज में विश्व में अपने अस्तित्व का एहसास जताने का सफल एवं सार्थक प्रयास कर रही है। इस दृष्टि में चाहे हम विकसीत देशों का उदाहरण ले या विकासशील देशों में महिलाओं की बदलती हुई स्थिति का अवलोकन करें, इस तथ्य को सभी को एक मत से स्वीकार करना पड़ेगा कि महिलओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए आज कुछ न कुछ प्रयास हर स्तर पर हो रहे हैं। पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की राजनीतिक रूप से सबल बनाने हेतु सर्वप्रथम अप्रैल 1993 में 73वे एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर पर महिलाए सदस्यों के लिए एक तिहाई सीटे आरक्षित कर दी गई ताकि देश के राजनीतिक सामाजिक जीवन में वह सक्रिय भागीदारी कर सके। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से देश के सभी प्रान्तों में ग्रामीण और शहरी पंचायतों के सभी स्मरों पर महिला निर्वहन कर रही है। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पहला समय था जब स्थानीय स्वशासित संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए और इसमें से एक तिहाई स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। 74वें अधिनियम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के हिसाब से नगरनिगम, नगरपालिका तथा नगर पंचायत बनाए जायेंगे एवं इनमें महिलाओं के स्थानों को सुनिश्चित किया गया जिससे पारम्परिक पुरूष प्रधान, निर्णय लेने वाले समाज में अब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं के स्थानों को सुनिश्चित किया गया जिससे पारम्परिक पुरूष, निर्णय लेने वाले समाज में अब प्रक्रिया में महिलाओं को भी भागीदारी होने लगी। स्थानीय स्तर से ऊपर उठकर केन्द्र सरकार द्वारा संसद तथा विधानसभाओं में तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु पहले 1986 को 81वॉ संशोधन विधेयक तथा 1998 में 84वॉ संविधान संशोधन विधायक संसद में प्रस्थापित किया गया था। किन्तु दोनों ही बार दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के चलते यह विधेयक

सफल नही हो पाया एवं देश की आधी आबादी अपने को ठगा सी महसूस करती रह गई। आज स्थिति यह है कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक को ही आम सहमति से पारित करने कि बात क्यों की जा रही है। स्पष्ट है कि पुरूष प्रधान राजनीति में यह आरक्षण हो जाने पर अनेक राजनीतिज्ञों का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त होने की आशंका है। उच्च स्तर पर भले ही न सही लेकिन स्थानीय स्तर पर 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक सहभागीता की शुरूआत तो हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है ताकि उनको अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों को संरक्षण एवं विकास के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके जिससे महिला शिक्षा प्रोत्साहन 1986 के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है, बालिकाओं के दाखिले और उनकी पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रसावधान, राष्ट्रीय स्तर के विद्यालयों में एक तिहाई छात्राओं के प्रवेश पर जोर दिया जा रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा विभिन्न शोध परियोजनाओं में महिलाओं से संबंधित परियोजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। 1974 में गठित समिति सामाजिक समानता की और नामक कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं का कल्याण न समझकर, उन्हे महत्वपूर्ण एजेन्ट का दर्जा दिया गया। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय सदर्श योजना 1988–2000 में बनाई जिसमें महिलाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुउद्देश्य नीति बनाई गई। 1988 की श्रम शक्ति की रिपोर्ट के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार की सिफारिश की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से महिला बाल विकास संबंधी कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई जाती है जिसमें विशेषकर ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं पर जोर दिया जाता है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसी तारतम्य में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया जो महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को लागू करवाने की सिफरिश करता है तथा अपने सुझाव भी देता है। 2001 में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई जिसके माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकारों एवं महिलाओं के उन अधिकारों की सिफारिश करना जो महिलाओं को समाज में समाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पुरूषों के समान हिस्सेदारी दिला सके।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतान्त्रिक देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए है, अनेक सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई गई है। महिला सशक्तिकरण के विमर्श को आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के कई महिलाएँ राजनीतिक शक्ति की प्रथम बार उपयोगकर्त्ता बनी हैं। जिससे की उनकी सहभागिता एक वांछित न्यूनतम स्तर तक अवश्य हो सके एवं महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके, परन्तु महिला विकास की इन नीतियों योजनाओं एवं कार्यक्रमों को निचले स्तर तक पूरी ईमानदारी के साथ लागू किए बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना असम्भव प्रतीत होता है, महिला विकास हेतु सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता भी है। साथ ही साथ संसाधनों का आवंटन इस तरह से किया जाए कि समय पर सही तरीके से सही लोगों और सही क्षेत्रों तक पहुँच सके, इस प्रकार से कुछ व्यवहारिक कमद उठाकर सदियों से उपेक्षित रही इस आधी आबादी को और सही तरीके से विकास की आवश्यकता है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अध्याय 9 जोड़ा गया। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूचि अर्थात् ग्यारहवीं अनुसूचि जोड़ी गई। 24 अप्रैल, 1993 को 73वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 243 छः में पंचायतों के स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कल्पना की गई है किन्तु शक्तियों और कार्य सौपने का कार्य विद्यानमण्डल की इच्छा के अधिन होगा। 73 वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएँ निम्न है :ग्राम सभा गाँव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर उपलब्ध करें। अनु0 243 ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा किन्तु उस राज्य में जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वह मध्यवर्गी स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। पंचायत के तीनो स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा लेकिन अध्यक्ष पद के लिए ग्राम पंचायत को छोड़कर मध्य और जिला स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, यह राज्य, विधानमण्डल की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। पंचायत के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण उनकी जनसुख्या के अनुपात में होगा तथा 1/3 आरक्षण इन वर्गों की महिलाओं का भी होगा। पंचायतों के तीनों स्तरों पर कुल सदस्यों व अध्यक्षों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगें।

पंचायत–उपबन्ध अधिनियम,1996 : भारत में पंचायती राज प्रणाली को 72वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनिवार्य बनाने के साथ–साथ एकरूपता भी प्रदान की है किन्तु यह ध्यान देने की बात हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में उल्लेखित पाँचवी अनुसूची के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों के लिए पंचायतों को प्र्याप्त स्वायत्तता सम्बंधी अनुसंशा हेतु केन्द्र सरकार ने दसवीं लोक सभा के सदस्य दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति जून, 1994 में गठित की थी जिसकी रिपोर्ट के अनुसंशओं के आधार पर उपर्युक्त क्षेत्रों के आदिवासी बहुल पंचायतों हेतु एक नया विधेयक संसद में पारित हुआ। जिसकी स्वीकृति राष्ट्रपति ने 23 दिसम्बर 1996 की दी।

इस उपबंध में महिलाओं को एक तिहाई स्थान मिले से पंचायती राज संस्थाओं में स्त्री पुरूष भेद कम हो गया है। देश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का यागदान नीचे दिए गए आँकड़ों से ज्ञात होगा। देश में कुल पंचायतों की संख्या की स्थिति(1 अप्रैल 2005) जिला पंचायत 537 तीन स्तरों के पंचायत संस्थाओं की कुल संख्या 2,41,310 हैं। इन संस्थाओं में आज महिलाओं का प्रतिशत इस प्रकार हैं– जिला पंचायत में 41 प्रतिशत, मध्यवर्त्ती पंचाय में 43 प्रतिशत और ग्राम पंचायत में 40 प्रतिशत। तीन स्तरों के पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित है और उपर्युक्त प्रतिशत से यह जाहिर होता है कि आरक्षण की न्यूनतम सीमा अधिक स्थान पर महिलाएँ निर्वाचित होकर आई है। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि महिलाएँ आरक्षित स्थान के अतिरिक्त

सामान्य सीटों पर भी उम्मीदवार होकर चुनी गई है। आज देश में 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में सं करीब 9 लाख महिलाएँ है और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में 59000 से अधिक महिलाएँ अध्यक्ष है। यह पंचायतों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेखनीय योगदान है। यह एक क्रान्तिकारी पहल है कि 2006 में इस दिशा में बिहार ने अब अपने नए पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायत के तीन स्तरों के सदस्यों और अध्यक्षों हेतु महिलाओं के लिए आधा स्थान (50प्रतिशत) आरक्षित कर दिया है और इस आणार पर बिहार में दस चरणों में 11 जून 2006 को चुनाव सम्पन्न हो गया। सामाजिक बदलाव की दिशा में बिहार पहला राज्य है जिसने तृणमूल (ग्रासरूट) स्तर पर लोकतंत्र में महिलाओं को पुरूषों के बराबर स्थान दिया है ।

सन्दर्भ :

1. दत्त डॉ0 विजय रंजन, (अगस्त 2007) ''पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप एक समीक्षा'' प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी मासिक, उपकार प्रकाशन, आगरा
2. प्रकाश तीर्थ व सिंह संतोष कुमार, (अगस्त 2007), '' पंचायती राज यथार्थ के आइने में'', कुरूक्षेत्र, वर्ष–55, अंक–10, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
3. दत्त डाॅ विजय रंजन, (अगस्त 2007) ''पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप एक समीक्षा'', प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी मासिक, उपकार प्रकाशन, आगरा
4. अरोड़ा पी. सी., (2007), ''बिहार पंचायत राज, विधि–एवं संविधान '', पाहूजा लॉ हाउस पीरमुहानी, कदमकुआँ, पटना
5. अरोड़ा पी. सी., (2007), ''बिहार पंचायत राज, विधि–एवं संविधान'', पाहूजा लॉ हाउस पीरमुहानी, कदमकुआँ, पटना

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 66-67

उदारीकरण काल में भारत के आयात एवं निर्यात की स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन

सुजीत कुमार साफी*

*शोध–छात्र ,स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, ल.ना.मि.वि. कामेश्वरनगर, दरभंगा, बिहार

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र के अन्तर्गत वैश्वीकरण के दौरान 1991 से भारत की आयात एवं निर्यात की स्थिति का अवलोकन किया गया है। जिसमें पाया गया है कि सरकार द्वारा विश्व बाजार में अर्थ व्यवस्था को मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए निर्यात सम्बर्द्धन नीति का अवलम्बन किया गया है। विकासशील देशों में मुख्य रूप से घरेलू माँग के चलते विकास गतिशीलता अभी भी बहुत मजबूत है और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए विकास के इंजन के रूप में काम कर रहे हैं।

भारत की विदेशी व्यापार विश्व के लगभग सभी देशों के साथ है। 7500 से भी अधिक वस्तुएँ लगभग 190 देशों को निर्यात की जाती है, जबकि 6000 से अधिक वस्तुएँ 140 देशों से आयात की जाती हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। कई विकसित देशों में यह मंदी सार्वजनिक बजट को कम करने या चालू खाते घाटों को कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों के परिणामस्वरूप संभव हुई है। भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर जहाँ 8.1 प्रतिशत के साथ विश्व की दूसरी सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि दर दर्ज कर रही है, वहीं चीन को 9.4 प्रतिशत के साथ विश्व की सबसे अधिक जीडीपी वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था का गौरव प्राप्त है। इसे विकसित देशों में मौजूद मंदी के विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ भी प्रभावित हो रही हैं। दक्षिण एशिया में, भारत में तीव्र आर्थिक विकास, मजबूत घरेलू उपभोग एवं निवेश पर मुख्य रूप से आधारित है। इसमें विशुद्ध निर्यात का अहम योगदान रहा है। अंकटाड का भारत के लिए वृद्धि पूर्वानुमान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्वानुमान 8.2 प्रतिशत से कम और भारतीय रिजर्व बैंक के चालू राजकोषीय वर्ष के पुर्वानुमान स्तर 8.0 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा अधिक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। 1991 व इसके बाद के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं–(1) बढ़ते हुए विश्व बाजार से लाभ उठाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन व गत्यात्मकता लाना; (2) आवश्यक कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, कल–पुर्जों, उपभोग व पूँजीगत वस्तुओं की उपलब्धि सुनिश्चित करना ताकि उत्पादन को बढ़ाकर संवृद्धि की प्रक्रिया को तेज किया जा सके; (3) भारतीय कृषि, उद्योग व तकनीकी सेवाओं की तकनीकी क्षमता व दक्षता में वृद्धि करना उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि लाना, नए रोजगार अवसर पैदा करना तथा विश्व–मान्य क्वालिटी उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना; (4) उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर अच्छी किस्म की वस्तुएँ उपलब्ध कराना। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार नीति में किए गए परिवर्तनों में प्रमुख निम्नवत् हैं–(1). आयात की कार्य–प्रणाली का सरलीकरण किया गया। आयातों के लिये केवल दो लाइसेंसों–अग्रिम लाइससेंस व विशेष आयात लाइसेंस के अतिरिक्त सभी लाइसेंस को भी समाप्त कर दिया गया। (2). नकारात्मक सूची (Negative List) को लगातार छोटा किया गया। अप्रैल 2001 तक विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित सभी 2714 मदों से प्रतिबन्ध हटाया जा चुका था। इस प्रकार, 1 अप्रैल, 2004 को कुल 10,149 टैरिफ क्रमों में से 9611 मुक्त सूची में थे जो कुल टेरिफ क्रमों का 95 प्रतिशत है। केवल 538 मदें निषिद्ध व प्रतिबन्धित सूची में शेष थीं। ये मदें स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिक व्यवहार के आधार पर प्रतिबंधित की गई हैं जिसकी अनुमति गैट के अनुच्छेद XX तथा XXI में दी गई है। इसी के साथ–साथ सारिणी–बद्ध सूची को भी समाप्त किया गया। (3). 1992–93 में सीमा शुल्क की उच्चतम दर 110 प्रतिशत थी। इसे लगातार कम किया गया है। 2003–04 के बजट में सीमा शुल्क को उच्चतम सीमा को 25 प्रतिशत किया गया। 1 अप्रैल, 2004 तक के लिए इसे 20 प्रतिशत किया गया था। (4). आयात शुल्क की दरों की संख्या को लगातार कम किया गया। 1 अप्रैल, 2004 तक इसकी केवल दो दरें किया गया –विनिर्मित उत्पादों के लिए 20 प्रतिशत और कच्चे माल, कल–पुर्जों व मध्यवर्ती वस्तुओं के लिये 10 प्रतिशत। (5). निर्यात उन्मुख इकाइयों और निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों को अधिक सुविधाएँ प्रदान की गई। निर्यात गृहों तथा व्यापार गृहों की स्थापना के लिये विदेशी भागीदारी की अनुमति दी गई। (6). पूँजीगत वस्तुओं की निर्यात प्रोत्साहन योजना (Export-Promotion of Capital Goods Scheme-EPCG) में संशोधन किए गए। पूँजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क की दरों को कम किया गया है। (7). वैल्यु बेस्ड एडवांस लाइसेंस (Value Based Advance Licence) तथा पुरानी पास बुक योजनाओं के स्थान पर एक नई ड्यूटी इन्टाइलमेंट पासबुक योजना (Duty Entitlement Pass Book Scheme-DEPBS) आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व वर्षों में किये गये निर्यात के आधार पर आयात करने की अनुमति दी गई है। (8). निर्यात की गई वस्तुओं से प्रतिबन्ध समाप्त किये गये हैं। इसमें मुख्यतः उपभोग की वस्तुएँ शामिल हैं। (9). उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों को ग्रीन कार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। (10). लघु निर्यातकों के प्रोत्साहन के लिये विशेष प्रेरणाओं की घोषणा की गई है। (11). सेवा क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। (12). 300 संवेदी वस्तुओं के आयात पर निगरानी रखने के उद्देश्य से सचिवों के एक स्थायी समूह का गठन किया गया है। (13). पर्यटन, विधि, मेडकल सेवाओं, जैव प्रौद्योगिकी, एग्रो रसायन आदि क्षेत्रों को विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। (14). 1 अप्रैल, 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा की गई थी। नवम्बर 2000 को कांडला, सान्ताक्रुज, कोची व सूरत में निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदला गया। इसके अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों की घोषणा की गई। इन क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ व प्रेरणाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। (15). 1 अप्रैल, 2001 को कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा की गई थी। जनवरी, 2003 तक 41 कृषि निर्यात क्षेत्रों की घोषणा की गई है।

(16) सकल घरेलू उत्पाद की अन्तर्राष्ट्रीय हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मार्केट एसेस इनीशिएटिव (Market Access Initiative) योजना प्रारम्भ की गई है। लगातार बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा निर्यात में तीव्र वृद्धि के उद्देश्य से पंचवर्षीय आयात निर्यात नीति (2002–07) की घोषणा 31 मार्च, 2002 को की गयी। इस नीति के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में भारत के कुल निर्यात को वर्तमान स्तर से लगभग दो गुना करते हुए 80 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया। इस प्रकार विदेशी व्यापार में भारत के हिस्से को वर्तमान 0.67 प्रतिशत से बढ़ाकर 2007 तक 1.0 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके लिए अगले पाँच वर्षों तक 12 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि दर प्राप्त करनी थी। उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्यातकों के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों की घोषणा की गयी। इन रियायतों में निर्यातकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, औद्योगिक समूहों (clusters) कृषि निर्यात, स्वर्ण आभूषण व जवाहरात, हार्डवेयर तथा विनिमय लागत को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।(1). भारतीय बैंकों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ओवरसीज बैंकिंग यूनिटें (OBUs) स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इन बैंकिंग इकाइयों में डॉलर खाते रखे जा सकेंगे तथा इन इकाइयों को नकद कोष अनुपात (CRR). सांविधिक तरलता अनुपात (SLR), प्राथमिकता क्षेत्र ऋण आदि से मुक्त रखा जाएगा। (2). इन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को आयकर संबंधी छूट दी जायेगी, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा अलग से की जायेगी। (3). इन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को हेजिंग (Hedging) की अनुमति दी जायेगी। (4). विशेष औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तिरूपुर (बुने हुए कपड़े– (Knitted Hosiery), पानीपत (ऊनी कंबल) तथा लुधियाना (ऊनी होजरी) का चयन किया गया है। (5). जूट, प्याज व नाइजर के बीज को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के निर्यात पर से परिमाणात्मक नियंत्रण समाप्त कर दिए गए हैं। (6). 20 नए कृषि निर्यात क्षेत्रों (Agricultural Export Zones) की घोषणा की गयी है। (7). कृषि निर्यात क्षेत्र में परिवहन लागत पर अर्थ सहायता की घोषणा की गयी है। इसके अन्तर्गत कच्चे व संसाधित फलों, सब्जियों, फूलों, पोल्ट्री उत्पादों व डेयरी उत्पादों को शामिल किया जाएगा। गेहूँ व चावल पर भी इसी प्रकार की परिवहन सहायता तैयार करने की योजना है। (8). आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध वाली कुछ वस्तुओं पर से भी प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा की गयी है। (9). आयात व निर्यात के लिए जिंसों का नया वर्गीकरण किया गया है। (10). अफ्रीका व राष्ट्रकुल देशों में भारतीय जिंसों का बाजार बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने की घोषणा की गयी है। (11). फोकस अफ्रीका नाम से एक नयी रणनीति की घोषणा की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 7 देशों को शामिल किया गया है। ये देश है–नाइजीरिया, तंजानिया, घाना, व मारीशस। (12). स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल (CIS) से संबंधों को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गयी है। इस दृष्टि से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन तथा अजरबेजान पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। (13). जम्मू–कश्मीर और उत्तर–पूर्वी राज्यों को दूरी के कारण होने वाली हानि को पूरा करने के लिए परिवहन सहायता देने की घोषणा की गयी है। (14). कारोबार की लागत को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने की घोषणा की गयी है। (15). राज्यों को निर्यात विकास और बाजार पहुँच (Market Access) बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की गयी है। (16). प्राथमिक व संसाधित खाद्य पर विशेष शुल्क अर्हता पास बुक की दर तीन प्रतिशत की गयी। (17). कुटीर उद्योग क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुँच प्रोत्साहन के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। (18). हस्त शिल्प क्षेत्र से निर्यात पर शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। (19). सादे आभूषणों पर मूल्यवर्धित मानक को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया। (20). गैर–तराशे हीरों के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त किया गया है। (21). विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की गयी है। प्रमाणितकर्ता के खिलाफ दण्डनीय ब्याज दर 24 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की गयी है। (22). नए कारोबारियों को बिना जाँच के बैंक गारण्टी के आधार पर लाइसेंस प्रदान करने की घोषणा की गयी है। (23). एक अरब रुपया या उससे अधिक के निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत वस्तु (EPCG) लाइसेंस के लिए 12 वर्ष की निर्यात दायित्व अवधि अनिवार्य की गयी है जिसमें 5 वर्ष की कर छूट अवधि शामिल है। (24). निर्यात से आय की विदेशी मुद्रा स्वदेश लाने की अवधि 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन की गयी। (25). DEPB और EPCG जैसी निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ जारी रखने की घोषणा की गयी है। इन योजनाओं को अधिक लचीला बनाने के लिए भी उपायों की घोषणा की गयी है। (26). निर्यात में हाने वाली देरी की अवधि तथा निर्यातकों को हाने वाली परेशानी को कम करने के उद्देश्य से निर्यात वस्तुओं के भौतिक सत्यापन में कमी की घोषणा की गयी है।

निष्कर्ष : उदारीकरण काल में भारत के विदेशी व्यापार के गठन में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं निर्यातों में गैर–परम्परागत वस्तुओं का प्रतिशत निरंतर बढ़ा हैं, रसायनिक वस्तुओं का प्रतिशत निरंतर बढ़ा हैं, रसायनों व इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, दस्तकारी का सामान (जिसमें रत्न व आभूषण भी शामिल हैं) इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सॉफ्टवेयर विगत वर्षों में निर्यात की सबसे प्रमुख वस्तुओं के रूप में उभरी हैं। भारत के आयातों में पेट्रोलियम पदार्थों के अतिरिक्त पूँजीगत सामान, कार्बनिक व अकार्बनिक रसायन व औषधीय उत्पाद प्रमुख हैं, मोती एवं रत्नों का भी भारी मूल्य का आयात किया जाता है, किन्तु साज–सज्जा के पश्चात् इनका निर्यात कर दिया जाता है।

सन्दर्भ :

1. विश्व व्यापार संगठन, प्रतिवेदन, 2016, पृ.70.
2. विश्व व्यापार संगठन, प्रतिवेदन, 2013, पृ.111
3. आर्थिक सर्वेक्षण, 2006, पृ. 40
4. वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार प्रतिवेदन, पृ.115
5. आर्थिक सर्वेक्षण, 2011, पृ.12

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IJJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 68-69

वर्तमान परिवेश में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में कुपोषण के बढ़ते प्रभाव पर एक अध्ययन

प्रियंका सिंह*
*शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,कामेश्वरनगर, दरभंगा, बिहार

सारांश : मानव जाति के लिए आहार का संबंध उसके अस्तित्व के साथ होता है। आहार का उपयोग ना केवल शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किया जाता है, बल्कि प्यार, मित्रता तथा सामाजिक स्वीकृति की अभिव्यक्ति के रूप में इसका उपयोग होता है। किंतु यह आश्चर्यजनक के साथ–साथ एक अपमानजनक वास्तविकता है कि मानव जीवन और उसके हजारों वर्षों के अनुभव के बाद भी आज हम बच्चों को सही रूप से आहार देने तथा उसके उचित पालन पोषण में असमर्थ हैं अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि देश के सभी भागों में कुपोषण व्याप्त है। एक या अनेक पोषक तत्वों की अपर्याप्त मात्रा का प्रभाव कुपोषण है। कुपोषण में पोषक तत्व को निर्धारित आवश्यक मात्रा में कमी या अधिकता का प्रभाव होता है। कुपोषण की स्थिति है स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। अतः बचपन को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ बच्चों से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है।

मुख्य शब्द : आहार, पोषण, कुपोषण में पोषक तत्व, पोषक तत्व आदि।

प्रस्तावना : पर्याप्त अनुकूल तथा उत्तम पोषण का उपयोग यह बताता है कि अनिवार्य पोषकों की आपूर्ति सही मात्रा और सही अनुपात में होना चाहिए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि शरीर में इन पोषकों का उपयोग इस प्रकार हो रहा है कि संपूर्ण जीवन काल तक शरीर को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है। पोषणात्मक संरक्षण के द्वारा लोगों को उचित आहार की योजना तैयारी और उपलब्धता की ज्ञान का ही उपयोग बताना इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति या परिवार या समूह के आहारओं का वर्तमान रूप क्या है तथा उसमें पोषकों का अनुपात क्या है। यदि इसमें किसी प्रकार का असंतुलन होता है तो उसे संतुलित करने की व्यवस्था की जाती है जिससे वर्णित या समूह को स्वस्थ बनाए रखा जाए। यह एक योजना है जिसमें उपलब्ध पोषक आहारों को व्यवस्थित कर उसे संतुलित बनाया जाता है। ताकि सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, इसमें रोगों से बचने का उपाय है तथा रोग होने की स्थिति में आहार के रूपों का निर्धारण तथा चिकित्सीय उपाय को भी शामिल किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में पोषणात्मक संरक्षण की विशेष आवश्यकता है जहाँ लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं एवं जिसके कारण अनेक रोगों जैसे आयरन की कमी से एनीमिया, विटामिन ए की कमी से नेत्र रोग तथा अंधता, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग रिकेट्स आदि से पीड़ित होते हैं। यह लोग सामान्य जीवन का निर्वहन नहीं कर पाते तथा और असामाजिक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं या फिर विकलांग बनकर समाज और परिवार के लिए अनसुलझी समस्या बन जाते हैं। एवं इसे नियति का परिणाम मानकर किसी तरह अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग कुपोषण से प्रभावित रहता है। कुपोषण का स्तर क्या है, किस उम्र वर्ग में कुपोषण अधिक होता है, किस आयु वर्ग में अल्पपोषण या अतिपोषण दिखाई देता है, किस लिंग में कुपोषण अधिक होता है। यदि यह सारे आंकड़े एकत्र करना है तो व्यक्तियों के समूह के पोषण का स्तर जानना पड़ता है। किसी देश में पोषण संबंधी नीतियां निर्धारित करने के पूर्व भी वहाँ के निवासियों के पोषण के स्तर के विषय में जानकारी होना अनिवार्य होता है।

कुपोषण के कारण : भारत वर्ष में कुपोषण के मुख्य कारण हैंः–

गरीबी : गरीबी या खाद्यान्न की कमी के कारण कई लोगों का भरपेट भोजन और आवश्यक मात्रा में पोषण ना मिलने के कारण वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। परंतु ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भरपेट भोजन तो मिलता है लेकिन पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।

अशिक्षा : पोषण आहार विज्ञान की शिक्षा की कमी देखी गई है। गरीबी कुपोषण का एक प्रमुख कारण है पर इसके साथ ही इसका कारण पोषण संबंधी ज्ञान के प्रति अज्ञानता भी है। इस समस्या के शिकार लोग यह नहीं जानते कि कौन–कौन से भोज्य पदार्थ पौष्टिकता से पूर्ण हैं, पर सस्ते हैं।

अज्ञानता : हमारे समाज में निम्न आय वर्ग के लोग ऐसे हैं जो सब्जी दाल नहीं खाते चटनी से रोटी खा लेते हैं। लेकिन पेट भर तृप्त होकर भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता है। फलतः उन्हें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग हो जाते हैं।

बेरोजगारी : बेरोजगारी भी कुपोषण का एक बड़ा कारण है। जनसंख्या वृद्धि, स्वयं का धंधा व्यवसाय ना करने की चाह, सरकारी सेवाओं में नौकरियों का अभाव आदि कारणों से बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में दर–दर ठोकरें खाते हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिलती। अतः आय नहीं मिलती, परिणामतः गरीबी बढ़ती है गरीबी के कारण कुपोषण बढ़ता है।

अध्ययन का उद्देश्य : भारत में अनेक आहारीय और चिकित्सीय सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि देश के सभी भागों में कुपोषण व्याप्त है। भारतीय संदर्भ में पोषण शिक्षा का विशेष महत्व है। क्योंकि देश में कुपोषण की समस्या मुख्यतः– अज्ञानता, दरिद्रता तथा आहार के मूल्य संबंध में जानकारी की कमी के कारण होता है। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों की जानकारी दी गई। कुपोषण से बचाया जाए तथा उत्तम पोषण से परिचित कराया गया। कुपोषण के दुष्परिणामों से अवगत किया गया है। स्वस्थ जीवन की आदतों को प्रोत्साहित किया गया है। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया गया है। उपलब्ध साधनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग किया गया है। स्वास्थ्य की जांच और और असंक्रमणीकरण, सुरक्षित पेयजल तथा उचित स्वच्छता से अवगत किया गया है। आधुनिक फास्ट फूड की अपेक्षा परंपरागत भारतीय आहार के महत्व को बढ़ावा

दिया गया है। पोषण संबंधी गलत धारणाएं, परंपराएं, मिथ्या आदत एवं अज्ञानता आदि को करना इस अध्ययन का उद्देश्य दिया गया। इस अध्ययन में माताओं, अभिभावकों, बाल चिकित्सकों, संस्थाओं आदि के लिए उत्तम समाधान एवं कुपोषण को दूर कर नवीन दिशा निर्देशन करना रहा है। यह परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है। क्योंकि जब एक व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी एक स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का निर्माण होता है। कुपोषण के प्रति लोगों को विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण देना एक सामाजिक दायित्व देखा गया है। पर्याप्त पोषण से ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है और वह सुयोग्य, कर्मठ, निष्ठावान, परिश्रमी एवं सुसंस्कारित नागरिक बनता है। कुपोषण से बचाना ही है।

अध्ययन क्षेत्र : अध्ययन की उपयोगिता एवं सुविधा हेतु गोरखपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र का चयन किया गया है।

अध्ययन की विधियां : तथ्यों के संकलन हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया गया है–प्रश्नावली विधि (Questionnaire Method), निरीक्षण विधि (Observation Method), न्यायदर्शविधि (Sampling Method), सांख्यिकी विधि (Statistical Method)

अध्ययन की सीमाएं : यह अध्ययन बच्चों पर ही किया गया है। इस अध्ययन में प्रतिवर्ष गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र को ही लिया गया है। इस अध्ययन में 300 परिवारों के बच्चों के सर्वेक्षण आंकड़ों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। इस अध्ययन में बच्चों में कुपोषण के प्रभाव पर ही विचार किया गया है।

पूर्ण साहित्यिक अध्ययन : शोध करने से पूर्व शोध विषय के संबंध में प्रारंभिक ज्ञान तथा पूर्व में हुए अध्ययनों का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे शोधकर्ता के कार्य सरल हो जाते हैं। अतः आवश्यक है कि प्रारंभ में ही शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लिया जाए। संबंधित साहित्य में प्रलेख, लेख पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, प्रतिवेदन विषय से संबंधित प्रविधियां का ज्ञान एवं शोध कार्य में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस अध्ययन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में कुपोषण की स्थिति का अध्ययन करना विषय पर पूर्व में हुए अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों का पुनरावलोकन किया जाता है। ताकि शोध कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके।

सुझाव : कुपोषण के प्रति जागरूक होना चाहिए माता–पिता को पोषण संबंधी सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चों में टीकाकरण व उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कुपोषण के कारण व निवारण पर बल दिया जाना चाहिए।

सन्दर्भ :

1. खनूजा, रीना (2020) ''आहार एवं पोषण विज्ञान'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा,पृ01–17, 31–52, 53–74
2. सिंह, अनीता (2019) ''आहार एवं पोषण विज्ञान'' स्टार पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ038–48, 92–93
3. कुमारी, आशा (2019) ''आहार एवं पोषण विज्ञान'' अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ021–23, 308–329
4. श्रीवास्तव, आराधना (2020) ''आहार एवं उपचारात्मक पोषण'' विजय प्रकाशन मंदिर, वाराणसी–01, पृ034–53, 185–203
5. सिंह, डॉ0 वृदा ''आहार एवं पोषण विज्ञान'', प्रकाशन हर्षनगर, कानपुर, पृ026–65, 183–195
6. विनायक, जे0 एस0 (1990) 'बालविकास एवं मनोविज्ञान संस्करण', संजीव प्रकाशन मेरठ, पृ0 108–111
7. अग्रवाल, नीता (2009) 'बालविकास' संस्करण, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ0 196–232
8. बख्शी, कौर श्रीमती भूपिन्द (2011) 'बालविकास, संस्करण', प्रकाशन हर्षनगर,कानपुर, पृ0 183–195
9. जैन, प्रभा शशि (2001) 'बालविकास संस्करण', प्रकाशन आगरा मलवा, पृ0175–182
10. विल्सन, डॉ0 ईला (2019) ''पोषण के सिद्धान्त'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृ080–93

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 70-72

राजपूतों का आरम्भिक मुस्लिम शासकों से सम्बन्ध

डॉ0 अश्विनी यादव*

*असिस्टेन्ट प्रोफेसर (इतिहास विभाग), हण्डिया पी0जी0 कालेज, हण्डिया, इलाहाबाद, उ0प्र0

सारांश : हर्षवर्द्धन की मृत्यु के बाद तथा त्रिकोणीय संघर्ष की समाप्ति के बाद का (750–1200) इ0 का समय राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। जब राजपूत भारत के भाग्य विधाता बनकर उभरे और इतिहास के पन्नों में वीरता की नयी गाथा की शुरूआत हुयी। भारतीय राजनीति के राजपूताना के राजपूत राजाओं का सबसे प्रमुख भूमिका भी मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने में रहा।

राजस्थान का इतिहास प्राचीन काल से ही वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी ने समय–समय पर अनेक वीर योद्धाओं को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी सरकार से इतिहास को गौरवान्वित किया और मुस्लिम आक्रान्ताओं की सम्पूर्ण भारत की विजय का स्वप्न अधूरा ही रहा। जब अरबों के नेतृत्व में इस्लामी सेना भारत विजय पर स्वप्न देख रही थी उस समय भारत के राजपूत राजाओं ने उनके समक्ष सबसे बड़ा प्रतिरोध उत्पन्न किया और इस देश में उनके विस्तारवादी नीति को सफल नहीं होने दिया। सुल्तान महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी दोनों के अनेक पराजयों में राजपूत राजाओं का सीधा हाथ था। 12वीं शताब्दी तक इस्लामी सेना भारत में केवल सिंध, मुल्तान और पंजाब ही जीत सके थे। भारत विजय का उनका स्वप्न अब भी अधूरा था मुस्लिम आक्रान्ताओं से प्रतिरोध का नेतृत्व मुख्य रूप से राजस्थान के राजाओं ने किया था। 1191 ई0 में तराइन की प्रथम विजय भारत का इतिहास बदल देती अगर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी का पीछा कर उसकी हत्या कर दी होती एवं 1192 ई0 में ताइन की दूसरी लड़ाई तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय ने राजपूतों के इतिहास में एक नया युग मध्य युग का प्रारम्भ हुआ। भारत में मुस्लिम सत्ता का मार्ग प्रशस्त हुआ। पृथ्वीराज चौहान के पराजय के उपरान्त केवल 15 वर्षों में ही लाहौर से लेकर बंगाल तक तुर्कों ने सरलता पूर्वक विजय प्राप्त कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कर दी। यद्यपि 1206 ई0 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। तथापि दिल्ली के सुल्तान सल्तनत पर अपना नियन्त्रण न रख सके। दिल्ली सल्तनत के लगभग 300 वर्षों के युग में राजस्थान के राजपूत राजा उनके लिए एक बड़ी चुनौती बने रहे। केवल सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के लगभग एक दशक को छोड़कर दिल्ली का कोई भी सुल्तान राजस्थान को पूर्ण नियंत्रित नहीं कर सका था। इस युग में राजस्थान ने हम्मीर देव, कान्हण देव, हम्मीर द्वितीय राणा कुम्भा और राणा सांगा महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं को जन्म दिया। राजस्थान के इस गौरवशाली इतिहास के उपरान्त जब भारत में बाबर मुगल साम्राज्य स्थापित कर रहा था उस समय भी राजस्थान के राजपूत ही उसके लिए सबसे बड़ी रूकावट थे। बावर के विरुद्ध राजपूतों में इस प्रतिरोध का नेतृत्व मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा कर रहा था। राजपूतों की पराजय के बिना मुगलों की सत्ता भारत में स्थापित होना सम्भव नहीं था। दुर्भाग्य से 1527 ई0 में खानवा की लड़ाई में बाबर के विरूद्ध राणा सागा की पराजय हुयी। खानवा का यह युद्ध भी भारत के निर्णायक युद्धों में था।[1] इस घटना से राजस्थान के तत्कालीन राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। यद्यपि बाबर उन्हें चन्देरी के युद्ध में विजय के बाद हुमायूं तथा कामरान का विवाह राजपूती कन्याओं से किया। मुगलों ने अब भलीभाँति समझ लिया था कि यद्यपि राजपूत खानवा के युद्ध में पराजित हो चुके है फिर भी वे शांत नहीं बैठेगें। मुगल सम्राट हुमायूँ राजपूतों के महत्व को ठीक प्रकार से समझ न सका था। उसने रानी कर्णवती को चितौड़ आक्रमण में सहायता न देने की भारी भूल की थी। यह उसकी भयंकर भूल थी[2] जिसके लिए उसे भविष्य में पछताना पड़ा। किन्तु डॉ0 बनर्जी ने इस प्रकार की सहायता न देने से कई लाभ होना पर्णित किया है।[3]

राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब 1556 ई0 में अकबर मुगल सम्राट बना। अकबर एक दूरदर्शी कुशल राजनीतिज्ञ था। वह पहला भारत का मुस्लिम शासक था जिसने राजपूतों के सही महत्व को समझा, उसके समक्ष सल्तनत काल से लेकर उसके समय तक के लम्बे इतिहास का यह उदाहरण प्रस्तुत था कि राजपूतों ने हमेशा मुस्लिम शासकों का विरोध और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे।[4] वह राजपूतो के इस गुण को समझ चुका था कि राजपूत एक कुशल योद्धा ही नहीं परम साहसी और वचन के पक्के होते हैं। उसने राजपूतों के विरूद्ध तलवार तभी उठाया जब उन्होंने अकबर के सभी प्रस्तावों को ठुकरा कर मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति अपनायी।[5] जहाँगीर के राज्यारोहण से पूर्व मुगल दरबार दो दलों में विभाजित हो गया था। उस समय राजस्थान के कछवाहा राजपूतों ने जहाँगीर का पक्ष लिया तथा वह गद्दी पर बैठने के बाद अपनी योजनानुसार मेवाड़ को जीतने में सफल हुआ था।[6] फिर भी जहाँगीर में अकबर जैसा उच्च आदर्श और विवके न था। जहाँगीर में कार्य क्षमता और न्याय का अभाव था। वह एक योग्य शासक नही था. किन्तु उसने राजपूत राजाओ की उच्च पदों पर नियुक्तियाँ करने की नीति को अधोमुखी नहीं किया।[7] 1628 ई0 में शाहजहाँ सिंहासनारूढ़ हुआ[8] वह एक कुशल प्रबन्धक तथा उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था। उसकी प्रतिभा में मौलिकता का अभाव परन्तु सौन्दर्य का बाहुल्य था सिंहासनारोहण के बाद उसे अनेक विद्रोहों का सामना करना पड़ा परन्तु राजस्थान के राजपूत राजाओं से उसके सम्बन्ध अच्छे बने रहे। उसने अपने शासनकाल में राजपूत शासकों को उच्च पद तथा मनसब से सम्मानित किया था।[9] उसके काल में हुए उत्तराधिकार युद्ध में राजपूत राजाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

चौहान राजवंश : चौहानों के अजमेर और सांभर मुख्य केन्द्र थे। राजपूताना के अनेक भागों में छोटे–छोटे चौहान वंशीय राज्य थे किन्तु सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक आते–आते चौहानों का प्रभाव समाप्त हो गया था और केवल वर्तमान कोटा–बूंदी क्षेत्र में चौहान वंश का राज्य रह गया था। सोलहवीं शताब्दी के पूर्व चौहान वंशीय राजवंश मेवाड़ के अधीन था। यहाँ के शासकों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के कारण यहाँ के शासकों ने अपने आपको मेवाड़ से स्वतंत्र कर लिया

किन्तु इनकी स्वतंत्रता अधिक समय तक नहीं बनी रह सकी। कुछ ही समय बाद इस राजवंश ने बाध्य होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहाँ राजपूतों की उत्पत्ति पर राक्षिपत प्रकाश कालना आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि बहुत से यूरोपीय इतिहासकार राजपूतों को विदेशी मूल का मानते है किन्तु अध्ययन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि वास्तव में राजपूत किसी विदेशी मूल के न होकर भारतीय मूल के ही थे। चन्दबरदायी ने अपने काव्य ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुण्ड से बतायी है। उन्होंने लिखा है कि राजपूतों के चार वंश जो यज्ञकुण्ड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किये गये थे।[10] इन मत को मान्यता न मिलने के कारण अनेक विद्वानों द्वारा कहा गया है कि यह मत केवल कवियों की मानसिक कल्पना का परिणाम है। अग्निवंशीय मत को न मानते हुए विदेशी मत के प्रमुख इतिहासकार कर्नल टॉड ने राजपूतों को बताते हुए विदेशी बताते हुए शक और सिथियन बताया है।[11] अपने प्रमाणों में इन जातियो के रिति–रिवाजों का उल्लेख किया गया है उन्होंने बताया है कि शक जातियों में सूर्य की पूजा अश्वमेघ यज्ञ सती प्रथा आदि का प्रचनल था।[12] विलियन कुक ने चन्दवरदायी के अग्नि वंशीय मतः को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने बताया है कि राजपूत विदेशी थे। उन्हें अग्नि में इसलिए शुद्ध किया गया जिससे वे हिन्दू व्यवस्था में प्रविष्ट हो सके।[13]

डॉ0 बी0ए0 स्मिथ ने भी राजपूतो के विदेशी वंशज होने का मत स्वीकार किया है। उनका कहना है कि राजपूतों का सम्बन्ध शक और कुषाण जातियों से था। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया है कि शक ईसा से दो शताब्दी पूर्व और कुषाण यूची, ईसा से एक शातब्दी बाद में भारत में आये।[14] इसी स्थिति में से शक और कुषाण के ही वंशज माने जाते है। अग्निकुल मत का खण्डन डॉ0जी0एच0 ओझा ने किया है। उन्होंने राजपूतों को प्राचीन क्षत्रिय वंशधर बताया है।[15] उनका कहना है कि राजपूतों और विदेशियों के रस्म रिवाजों में जो साम्यता कर्नल टॉड ने बतायी है वह साम्यता विदेशियों से राजपूतों ने नहीं प्राप्त की है बल्कि उनकी साम्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज तथा संस्कृति से की जा सकती है। इसी प्रकार डॉ0सी0वी0 वैद्य ने राजपूतों को विदेशी न मानते हुए भारतीय मूल का माना है।[16] महाभारत से यह स्पष्ट होता है सूर्य की पूजा केवल शक और सिथियन जाति के लोग ही नहीं वरन वैदिक काल के आर्य भी करते थे सती होने का रिवाज शकों के भारत में आने से पहले भी था। अश्वमेघ यज्ञ केवल विदेशियों की ही देन नहीं, बल्कि यह वैदिक काल में भी होता था।[17] अंत कर्नल टॉड का राजपूतों को विदेशी संतान कह कर पुकारना सत्य नहीं है। डॉ0 रामवृक्ष सिंह अपने महत्वपूर्ण शोध ग्रन्थ ओरिजिन आफ द राजपूत्स में राजपूतो की उत्पत्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला है उन्होंने बड़े ही तर्क पूर्ण ढंग से राजपूती के उत्पत्ति के विदेशी मूल की धारणा को अस्वीकार कर दिया है।[18] डॉ0 सिंह का मत सही प्रतीत होता है कि राजपूत भारतीय मूल के थे और विदेशों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था।गुजरात में शासक कर्णदेव बघेला का शासन था उसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी, अलाउद्दीन खिलजी ने अनहिलबाड़ को बिना किसी युद्ध के जीत लिया राय करन के खजाने के साथ प्रमुख रानी कमला देवी आक्रमणकारियों के हाथ पड़ गयी। सोमनाथ का मन्दिर, जहाजी बन्दरगाह और अन्य शहर भी आक्रमणकारियेां के द्वारा लूटा गया, स्त्रियों और पुरूषों को दास बना लिया गया। अलाउद्दीन हिन्दू रानी कमला देवी के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उससे विवाह करके मुख्य रानी (मल्लिकाएं–ए–जहां) बना लिया। अलाउद्दीन को मालिक काफूर मुसलमान नामक हिंजाड़ा प्राप्त हुआ जो पहले हिन्दू था। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासपात्र था जिसे बाद में मलिक नायब का पद दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय का श्रेय उसे ही दिया जाता है। फरिश्ता का कथन है कि राय करन दक्षिण में देवगिरी के शासक रामचन्द्र देव के पास सुरक्षा हेतु भाग गया, किन्तु कुछ समय पश्चात उसने बगलाना की ओर कूच किया जो दक्षिण के निकट गुजरात का ही एक प्रदेश था और रामदेव की सहायता से वहां प्रतिष्ठित हो गया।[19] गुजराज विजय के बाद अलाउद्दीन रणथम्भौर की ओर अग्रसर हुआ। समकालीन रणथम्भौर शासक राणा हम्मीर देव चौहान था, यद्यपि किले को एबक और इल्तुतमिश ने जीता था, परन्तु उनकी मृत्यु के बाद राजपूत चौहानों ने उसे ले लिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने भी इस किले को जीतने का प्रयत्न किया, परन्तु इसकी सुदृढ़ता को देखते हुए जीतने से मना कर दिया। महीनों किले कि घेराबन्दी के बाद भी किले की दीवारेां पर नहीं चढ़ पाये। पाशेब की नींव रखी गयी और गर्गच का निर्माण किया गया। बरनी लिखता है कि मगरबिया लगा दी गयी और उनके रक्षक सेना पर पत्थर फेंके जाने लगे किन्तु रक्षक सेना बराबर पत्थर और अग्नि फेंक कर पाशेब नष्ट करती रही, दिल्ली सेना ने धार तक प्रदेश लूटा और उसे अपने अधिकार में कर लिया।[20] खजाइनुल फुतुह के अनुसार दुर्ग का पूर्ण अवरोध मार्च या अप्रैल (रजब) में आरम्भ हुआ और पूरे ग्रीष्मकाल के पश्चात वर्षा ऋतु तक चलता रहा, इस बीच दो अन्य विद्रोह हुए किन्तु अलाउद्दीन रणथम्भौर पर विजय प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर चुका था और वह वहाँ से हिला नहीं। किले के भीतर भोजन, पानी की भारी कमी हो गयी। अतः राजपूतों ने भयंकर जौहर अनुष्ठान किया, सभी स्त्रियों ने चिता में प्रवेश किया और सारे पुरूष लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त करने के लिए किले से बाहर निकल आये। अमीर खुसरो ने उस समय किये गये जौहर अनुष्ठान का वर्णन किया है। रणथम्भौर के बाद राजपूतों के शक्तिशाली राज्य चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण किया गया, जिसका वर्णन अमीर खुसरो ने विस्तार से खजाइनुल फुतुह में किया है जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान पर गया हुआ था चित्तौड़ पर उस समय गुहिलोत वंशी शासक राणा रतन सिंह का शासन था। गुहिलोत आठवीं शती से ही मेवाड़ में रह रहे थे। उन्होंने अरबों का सिन्ध पर आक्रमण के समय से ही अन्य अनेक आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था। इल्तुतमिश के आक्रमण को भी विफल किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का एक उद्देश्य राणा रतन सिंह की अद्वितीय सुन्दर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। खुसरो के विवरण की पुष्टि सभी समकालीन इतिहासकारों ने की है उनमें से किसी ने भी पद्मिनी का उल्लेख नहीं किया है। इस घटना का पहली बार उललेख 1540 ई0 में मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी साहित्यिक रचना पद्मावती में किया है। जायसी के प्रमाण पर जे0 टाड ने जौहर का वर्णन करते हुए कहा है कि जौहर की आग एक ''भूमिगत गुफा'' जो आज भी मौजूद है में जलायी गयी एवं राजपूत महिलाएं पद्मिनी के नेतृत्व में गुफा में ले जाया गया और प्रवेश द्वार बन्द कर दिया गया, ताकि वे आग में जलकर अपनी मर्यादा की रक्षा कर से।[21] कपटपूर्वक राणा को बन्दी बना लिया गया परन्तु गोरा और बादल के नेतृत्व में राणा को खिलजियों से मुक्त करा लिया गया। अमीर खुसरो का कथन है कि एक खूनी संघर्ष में राजपूतों का प्रतिरोध समाप्त हो गया, रतन

सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, राजपूतों के घनघोर युद्ध से क्रुद्ध अलाउद्दीन ने किले को जीतने के बाद चित्तौड़ की जनता के सामूहिक कत्लेआम का आदेश दिया। परिणामतः एक दिन में 30 हजार राजपूत औरतें और बच्चे और पुरूष मार डाले गये। अलाउद्दीन ने अपने आठ वर्षीय पुत्र खिज्र खां को वहाँ का गवर्नर बना दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्राबाद रख दिया, कालान्तर में राणा रतन सिंह के पुत्र हम्मीर ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर तुर्क नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद राजपूताना तथा मध्य भारत के अन्य राजाओं ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली, जिनके प्रमुख मालवा का महलकदेव सवाना का शीतलदेव, जालौन के चौहान शासक कान्हड़देव प्रमुख थे। सभी राजपूत राजाओं ने एक दूसरे की सहायता करने की जगह आपस में ही लड़ते रहे, उनके सामूहिक सुरक्षा की भावना तथा आत्मरक्षा का अभाव था। वे अपनी संकीर्ण मानसिकताओं और आपसी फूट के कारण किसी बाहरी शक्ति के आक्रमण से सामूहिक रूप से नहीं लड़ सकें एक–एक करके हरा दिये गये।[23] राजस्थान का अन्य महत्वूपर्ण राज्य कछवाहा राजवंश था। यह अपने आपको कुश का वंशज मानते है। राजस्थान में इस राजवंश की स्थापना को काल के बारे में मतभेद है। सभी इतिहासकार इस विषय पर एकमत है कि सौढ़ादेव इस राजवंश का संस्थापक या जिसने सबसे पहले दौसा पर अधिकार किया। ओझा की मान्यता है कि सौढ़ादेव राजस्थान में 1137 ई में आया। कर्नल टॉड ने 967 ई श्यामलदास ने 976 ई0 और इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार 1128 को सौढ़ादेव के राजस्थान आगमन का समय बताया गया है। शिलालेखों से ओझा के कथन की पुष्टि होती है। सौढ़ादेव ग्वालियर से दौसा आया। यहाँ के बढ़ गुर्जरों को पराजित किया और बाद में जयपुर (ढूढाण प्रदेश) में अपना राज्य स्थापित किया। जब आमेर शहर का निर्माण तब से यह आमेर राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

वास्तविकता यह है कि शाहजहाँ के शासनकाल से ही मुगलों की सेवा में मराठों के सामने राजपूतों का रंग फीका पड़ने लगा था। मुगल साम्राज्य पर मारवाड़ और मेवाड़ के साथ बिगाड़ के महत्व को अतिरंजित करके नहीं देखा जा सकता। 1681 ई0 में राणा के साथ मुगलों की सन्धि के बाद उस क्षेत्र में मुगलों की सैनिक कार्यवाहियों का कार्य इतना कम हो गया कि उससे न तो राजपूतों को कोई फर्क पड़ता था न मुगलों को ही कोई लाभ होता था बल्कि मुगलों के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ने लगा। सर यदुनाथ के इस विचार से सहमत हैं कि औरंगजेब की राजपूत नीति से उसे जो क्षति हुयी उसक अन्दाजा केवल इस बात से नहीं लगाया जा सकता कि रेगिस्तानी क्षेत्र में उसने कितने आदमी और कितना धन झोंका। इन रियासतों के साथ छिड़े विवादों को निपटाने की असमर्थता से साम्राज्य की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और अधिक बड़ा क्षेत्र अव्यवस्था की चपेट में आ गया। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि इससे औरंगजेब की राजनीतिक बुद्धिमानी ने और गैर मुसलमानों के साथ उसके व्यवहार की सदाशयता में सन्देह उत्पन्न हो गया। इससे देश में राजनीतिक, गेर वफादारी और धार्मिक वैमनस्य को हवा मिली और यह नासूर विभिन्न शहजादों ने राजपूत राजाओं के साथ मिलकर षडयंत्र करने और अपने–अपने गुट कायम करने के प्रयत्न के रूप में भी फूटा। जिसके कारण मुगल साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर हुआ और दिल्ली में उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। कालान्तर में अहमद खाँ के आक्रमण ने इसकी शक्ति के खोखलापन को उजागर कर दिया और मुगल सत्ताक्षीण होती चली गयी।

सन्दर्भ :

1. दुगलत मिर्जा हैदरः तारीखे रशीदी (अनु0 सैयद अतहर अब्बास रिजवी, हिन्दी) हुमायूँ भाग–1 पृष्ठ–441
2. सोमानी, आर0बी0ः वीर भूमि चिततौड़, पृ0 69
3. बनर्जी, डा0 एस0के0ः हुमायूँ बादशाह पृ0 118–119
4. श्रीवास्तव, डॉ0 आशीर्वादी लालः अकबर दि ग्रेट, भाग 1, पृ0 133
5. श्यामलदास : वीर विनोद, भाग 2 पृ0 73–74
6. वी0भू0चि0 : पृ0 92–93
7. जहाँगीरः तुजुक–ए–जहाँगीर (हिन्दी अनु0) पृ0 250
8. खाँ इनायतः शाहजहांनामा, (हिन्दी अनु0) भाग 1
9. वही, भाग 3 (हिन्दी) पृष्ठ 303, 306, 307, 312 सक्सेना, बी0पी0ः मुगल सम्राट शाहजहाँ पृ0 50–60
10. चन्द्रबरदायीः पृथ्वीराज रासो, भाग 1, पृ0 45–57
11. ए0ए0रा0 भाग 1 (कुक संस्करण), पृ0 73–74
12. दास, ए0ए0, भाग 1 (कुक संस्करण), पृ0 73–97
13. दास, ए0ए0, भाग 1 (कुक संस्करण), पृ0 73–97
14. स्मिथ वी0ए0ः अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (चौथा संस्करण), पृ0 425
15. ओझा जी0एच0 राजपूताने का इतिहास, भाग 1, पृ0 41
16. वैद्य, सी0वी0ः हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिन्दू इण्डिया, भाग 2 पृ0 27, 38
17. महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि पाण्डु की दूसरी रानी माद्री सती हुयी थी–युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। महाभारत, अश्व श्लोक, अध्याय–17
18. सिंह डॉ0 आर0वी0ः ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स, पृ0 1–80
19. फरिश्ता 103
20. बरनी 288
21. ''एनल्स एण्ड एटीवीटीज ऑफ राजस्थान डब्लू0 क्रूक द्वारा परिषोधित 3 खण्ड लंदन, 1920 प्रथम पृष्ठ 311
22. अमीर खुसरो खजाइन–उल–फुतुह पृ0 77
23. अमीर खुसरो, खजाइन–उल–फुतुह ई0 एण्ड डी0 3 पृष्ठ 77

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 73-75

वैश्विक पूँजीवाद एवं नयी शक्तियों का उभार : नवीन सम्राज्यवाद के संदर्भ में अध्ययन

चन्द्रशेखर आजाद*
*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार

सारांश : अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि नयी शक्तियों–विशेष रूप से चीन, भारत, ब्राजील और दूसरी शक्तियों के उभार का मतलव है कि अब साम्राज्यवाद की अवधारना सही नही हैं। लेकिन पूँजीवाद की सम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के पूरे उभार को ''नयी शक्तियों के आगमन'' के तौर पर चित्रित किया जाता रहा हैं, जिनमें से कुछ ने आगे चलकर दबंग पड़ोसी की भूमिका निभायी है। जब लेनिन ने अपनी पुस्तिका लिखी उस वक्त एक वैश्विक वर्चस्ववादी शक्ति के रूप में अमरीका का उभार एकदम अस्पष्ट था। फिर भी अमरीका जो उस वक्त यूरोपीय शक्तियों के बीच एक मामूली खिलाड़ी था, लगभग एक सदी बाद दुनिया के परिदृश्य पर वर्चस्ववादी शक्ति के रूप में उभरा। इसी तरह बीसवीं सदी के दूसरे भाग में, जापान का उभार किसी भी तरह साम्राज्यवादी शक्तियों के कमजोर होने का लक्षण नहीं था। यह सिर्फ ऐसी शक्तियो के ज्यादा जटील मूल्यांकन की जरूरत को दिखाता है।

मुख्य शब्द : वैश्विक पूँजीवाद, नवीन साम्राज्यवाद, बहुराष्ट्रीय निगम, नवउदारवाद, विकासशील राष्ट्र आदि ।

तीसरी दुनिया के देशों में, उत्पादन व्यवस्था का वैश्वीकरणी नये दलाल बुर्जुआ के आधिपत्य वाले नये दौर के वर्चस्ववादी गुट द्वारा पुराने दौर के वर्चस्ववादी गुट के विस्थापन के साथ–साथ चलता है, यह नया गुट वैश्विक बुर्जुआ का वैधानिक हिस्सा नहीं हैं बल्कि यह सिर्फ वर्चस्ववादी त्रयी के बुर्जुआ का मातहत सहयोगी है। त्रयी की वर्चस्ववादी स्थिति (साम्राज्यवादी लगान) से हासिल लाभदायक स्थिति समान्यीकृत एकाधिकारों के इर्दगिर्द गठित वर्चस्ववादी गुट को उस वैधता से फायदा पहुँचती है जो सभी प्रमुख निर्वाचित पार्टियों (दक्षिणपंथी और वामपंथी) के एक समान झुकाव और नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के लिए उनकी एक समान प्रतिबद्धता तथा तीसरी दुनिया के देशों के मामलो में निरन्तर हस्तक्षेप में अभिव्यक्ति होती है। दूसरी तरफ, तीसरी दुनिया के देशों का नव–दलाल बुर्जुआ अपने लोगों के बीच न तो वैध है और न ही भरोसेलायक है क्योंकि वे जिन नीतियों को परोसते है वे लोगों के स्तर को ''उपर उठाने'' लायक नहीं है और अक्सर उन्हें लटपट–विकास के बन्द मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है।

उत्तर आधुनिक विचारधारा में एक विचार फैल रहा है कि समकालीन पूँजीवाद का विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन के लिए ज्यादा दिनों तक राज्य की आवश्यकता नहीं है और इसलिए नागरिक समाज के पक्ष में राज्य व्यवस्था धीरे–धीरे निस्तेज हो रही है।यह नजरिया वर्चस्ववादी सरकारों और उनकी सेवा में लगे मीडिया द्वारा फैलाया गया है। अमरीका के सैन्य हस्तक्षेप और डॉलर के प्रबन्ध के बिना पूँजीवादी वैश्वीकरण को जारी नहीं रखा जा सकता। स्पष्ट रूप से, सशस्त्र सेना और मुद्रा बाजार के नहीं बल्कि राज्य के उपकरण हैं।

वैश्विक पूँजीवाद एवं बहुराष्ट्रीय निगम : वैश्विक पूँजीवाद के सबसे प्रभावी और निर्धारक लक्षण के रूप में बहुराष्ट्र निगम का उभार निश्चय ही पिछली सदी की सबसे सबसे महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से एक सदी पहले ही लेनिन और बुखारिन ने इसकी पूर्वसूचना दे दी थी। जैसे कि बुखारिन ने बताया कि उत्पादन का लम्बवत एकीकरण उत्पादन प्रक्रियाओं के भौगोलिक विकेन्द्रकरण के साथ जुड़ने की प्रवृति रखता है। उत्पादन की अनेकों शाखाओं को एक साथ बाँधनेवाली और उन्हें एक एकल संगठन में रूपान्तरित करने वाली प्रक्रिया निरन्तर जारी है। सबसे पहले, यह अपने आप को संयुक्त उधमों के रूप में व्यक्त करती है, यानी कच्चे माल के उत्पादन और निर्मित मालों को आपस में जोड़ने वाले, निर्मित सामानों के उत्पादन को अपूर्ण सामानों से जोड़ने वाले, इत्यादी। जो प्रक्रियाएँ उत्पादन की ज्यादा असमान शाखाओं को आत्मसात कर सकती हैं, करती हैं, क्योंकि हमारे समय से प्रचलित श्रम विभाजन के अन्तर्गत हर शाखाकम या ज्यादा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है।[1] उन्होंने इसे ''आर्थिक जीवन के बढ़ते अर्न्तराष्ट्रीय के साथ मिलकर काम करने के रूप में देखा, जहाँ प्रतियोगिता और पूँजी की केन्द्रीयकरण विश्वस्तर पर पुनरुत्पादित किये गये हैं।[2]

लेकिन यह स्पष्ट है कि वह इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगा सके थे कि यह प्रक्रिया किस सीमा तक घटित होगी। पिछली आधी सदी में हुए तकनीकी परिवर्तनों से परिवहन में लगनेवाले समय और लागत में नाटकीय कमी आयी, इसके अतिरिक्त सूचना तकनीक क्रान्ति ने उत्पादन के विशेष कार्यों को छोटे–छोटे कार्यों में बाँटना सम्भव बनाया जिन्हें आसानी से भौतिक रूप से अलग–अलग सम्पन्न किया जा सकता था। इन दोनो परिवर्तनों ने मिलकर वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को सम्भव बनाया जिनका नेतृत्व बड़े बहुराष्ट्रीय निगम करते हैं और इसमें प्रतियोगी तथा सहयोगी कम्पनियाँ दोनों के क्षेत्रीय और वैश्विक नेटर्वक शामिल है। यहाँ सीधा नियंत्रण करने के लिए बड़े निगम जरूरी नहीं हैं और निश्चय ही, उत्पादन का नियंत्रण स्थानान्तरण करने की योग्यता के साथ–साथ उत्पादन से सम्बन्धित जोखिम को मूल्य श्रृंखला के निचले स्तर पर के भरोसे छोड़ देना, ऐसी कार्रवाइयों से मुनाफा हासिल करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। यह उस शोषण को बढ़ाती है जो ऐसी वैश्विक कम्पनियों द्वारा किया जाता है। चूँकि अब वे मजदूरों और संसाधनों के लिए किसी एक जगह पर कम निर्भर हैं, तो वे कीमतें कम करने के लिए और उत्पादन की परिस्थितियों के लिए आपूर्तिकारों के बीच प्रतियोगिता का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन पर उन नियामक प्रक्रियाओं का कम दबाव रहता है जो उनकी बाजारशक्ति को कुछ कम कर सकते है।

उत्पादन के संगठन के ये परिवर्तन दूसरे प्रलोभनों के साथ मिलकर उस प्रक्रिया का निर्माण करते हैं जिसे ''आकार घटाने और वितरण करने'' का माडल कहते हैं जो बहुराष्ट्रीय निगमों की वैश्विक उत्पाद श्रृंखला के निवेश की चालक शक्ति हैं। ज्यादातर

विकसित और विकासशील देशों में कम्पनियों के प्रदर्शन को ''शेयरधारक मूल्य'' से आँकने पर फोकस होने से लागत कम करने और कम समय में काम करने के प्रोतसाहन को बढ़ावा मिला है जो अतित में दिखने वाली ऐसी प्रवतियों से बहुत ज्यादा है। इसलिए बड़ी कम्पनियाँ ऐसे वित्तीय बाजारों में बंधी रहती हैं जो जल्द मुनाफे की माँग करते हैं और ऐसी वैश्विक मूल्य श्रृखलाओं के निर्माण को बढ़ावा देते हैं जिनसे परिधि के देशों में औद्योगिक विकास को फायदा पहुँचाने की बेहद कम सम्भावना होती है, और इस बात की भी कम सम्भावना होती है कि ये सफल आर्थिक विविधीकरण के लिए व्याहारिक आधार प्रदान कर सकेंगें।

नयी शक्तियों का उभार : अकसर यह तर्क दिया जाता है कि नयी शक्तियों– विशेष रूप से चीन, भारत, ब्राजील और दूसरी शक्तियों के उभार का मतलव है कि अब साम्राज्यवाद की अवधारना सही नही हैं। लेकिन पूँजीवाद की सम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के पूरे उभार को ''नयी शक्तियों के आगमन'' के तौर पर चित्रित किया जाता रहा हैं, जिनमें से कुछ ने आगे चलकर दबंग पड़ोसी की भूमिका निभायी है। जब लेनिन ने अपनी पुस्तिका लिखी उस वक्त एक वैश्विक वर्चस्ववादी शक्ति के रूप में अमरीका का उभार एकदम अस्पष्ट था। फिर भी अमरीका जो उस वक्त यूरोपीय शक्तियों के बीच एक मामूली खिलाड़ी था, लगभग एक सदी बाद दुनिया के परिदृष्य पर वर्चस्ववादी शक्ति के रूप में उभरा। इसी तरह बीसवीं सदी के दूसरे भाग में, जापान का उभार किसी भी तरह साम्राज्यवादी शक्तियों के कमजोर होने का लक्षण नहीं था। यह सिर्फ ऐसी शक्तियो के ज्यादा जटील मूल्यांकन की जरूरत को दिखाता है।

वर्तमान में चीन के उभार को ऐसे संकेत के तौर पर देखा जाता है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह बदल चूका है। निश्चय ही यह सच है कि विश्व व्यापार और निवेश में चीन के बढ़ते महत्व ने कई प्रमुख उत्पादक देशों के व्यापार और निर्यात की मात्रा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया गया है और बहुत से दूसरे देशों को उत्पादन की मूल्य श्रृंखालाओं का हिस्सा बना दिया है इस हद की खुद चीन ज्यादातर देशों तैयार माल आयात करने का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत बन गया है लेकिन इसके मौजूदा महत्व का ज्यादा करके आँकने के अपने खतरे अभी भी वैश्विक उत्पादन में चीन का हिसा 9 प्रतिशत से कम है (इसे 2005 की कीमतों के आधार पर आँका गया है)। इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी दुनिया के औसत की आधी से भी कम (लगभग 45 प्रतिशत) है और इसका हिस्सा उन तथाकथित ''विकसित'' पूँजीवादी अर्थव्यस्थाओं के औसत से कई गुणा कम है जिनसे मिलकर साम्रज्यवादी केन्द्र एक हिंस्सा बनता है।[3] तुलनात्मक रूप से चीन एक ''गरीब'' देश ही बना हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि दुनिया भर में आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए होने वाले निरन्तर संघर्ष में चीनी पूँजी कई तरीकों से एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि चीन के सन्दर्भ में मुख्यधारा के मौजूदा अतिशयोक्तिपूर्ण विश्लेषण और उनकी भविष्यवाणीयाँ आश्चर्यजनक रूप से 1970 के दशक में जापान के बारे में किये गये विश्लेषण और उन भविष्यवाणियों के समान हैं जिनमें कहा गया था कि यह उभरती हुई दैत्याकार शक्ति जल्द ही अमरीका से वैश्विक आर्थिक नेतृत्व अपने हाथों में ले लेगी। ऐसा ही उदाहरण बड़ी मजबूती से उन कई राष्ट्रों के बारे में दिया जा सकता है जिन्हें बड़े हर्षोल्लास के साथ ''उभरते हुए बाजार'' कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह इस बात का सबूत है कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ विकासशील राष्ट्रों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका) का कुल योगदान विश्व जी.डी.पी. के 15 प्रतिशत से भी कम है, जबकि जनसंख्या में अनका हिस्सा लगभग आधा है। यह इतना ज्यादा कम है कि इन देशों को नयी साम्राज्यवादी शक्तियों के रूप में घोषित करना एक नासमझी है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वैष्विक संस्थागत ढ़ाचे का सन्तुलन अभी भी स्थापित शक्तियों के पक्ष में झुका हुआ है।

निश्चय ही, अगर इतिहास के सबक को पहचाना जाये तो यह संभावना है किविश्व पूँजीवादी रंगमंच पर नयी शक्तियों का उभार नये और बड़े संघर्षों– आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संघर्षों को जन्म देगा क्योकि पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों विश्व व्यवस्था पर अपना वर्चस्व बनाये रखने का प्रयास करेंगी। वर्तमान व्यापार वार्ताएँ संकट आने से पहले ही आर्थिक हमला करने के वाशिंगटन के संकल्प को दर्शाती है ताकि अमरिका के नेतृत्ववाली अमरीका/कनाडा, पश्चिमी यूरोप और जापान की त्रयी द्वारा स्थापित वर्तमान सत्ता के ढ़ाँचे को बनाये रखा जा सके। इसका लक्ष्य विश्व व्यापार के लिए एक ऐसी राजनीतिक–कानूनी अधिरचना का निर्माण करना है जो उन शक्तियों के फायदे को सुदृढ़ करेंगी, जिनके पास फिलहाल ज्यादा आर्थिक शक्ति है, और इसमें त्रयी में केन्द्रित दैत्याकार बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल है इसके अतिरिक्त यह आवश्वक है कि''इसे आज ही किया जाये,''जैसे कि ओबामा ने मई 2015 में नाइक कम्पनी में दिये गये अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था–''हमें यह सुनिष्चित करना होगा कि जब हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर सक्षम है तब अमरीका ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियम लिखे, क्योंकि अगर हम दुनिया भर में होने वाले व्यापार के नियम नहीं लिखेंगें, ''तब एक ऐसा समय आयेगा जब ''चीन क्या करेंगा–अंदाजा लगाइये।''[4]

दक्षिण के प्रमुख दलाल राष्ट्रों का बहुमत (यानी वे देश जो अपने दलाल बुर्जुआ की सेवा में हैं) सहयोगी है, शत्रु नहीं है– जब तक इन दलाल राज्यों मं से प्रत्येक आपने देश का प्रभारी होने का आभास देता है। लेकिन वाशिंगटन, लन्दन, बर्लिन और पेरिस के नेता जानते हैं कि ये राष्ट्र बेहद कमजोर है। जैसे ही लोकप्रिय आन्दोलन से जन्मा कोई विद्रोह वह किसी व्यवहारिक वैकल्पिक रणनीतिवाला हो या उसके बिना हो। इनमें से किसी राज्य को खतरे में डालता है तो त्रयी जबरन अपने हस्तक्षेप के अधिकार का दावा ठोक देती है। हस्तक्षेप इन राष्ट्रों, और उससे भी आगे उनसे सम्बन्धित समाजों का विनाश करने तक के बारे में भी सोच सकता है। यह रणनीति फिलहाल इराक, सीरिया और कई अन्य जगहों में काम कर रही है। नवउदारवादी नुस्खे की कठोर सीमाओं के अन्तर्गत बची हुइ रूसी राज्य सता, एक स्वतंत्रा विदेश नीति की सफलता की सम्भाावना और एक महत्वपूर्ण अर्न्तराष्ट्रीय कारक के रूप में रूस के वास्तविकता में उभरते हुए देश बनने की सम्भावना को जड़ से समाप्त कर देती है। नवउदारवाद रूस को सिर्फ दुखदायी आर्थिक और सामाजिक गिरावट, ''लम्पट विकास'' का नमूनों और वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में एक अधीनस्थ का ओहदा ही प्रदान कर सकता है। रूस त्रयी को तेल, गैस और कुछ दूसरे प्राकृतिक संसाधन प्रदान करेगा और इसके उद्योग पश्चिमी एकाधिकारियों के फायदे के लिए उप–ठेकेदारों की स्थिति में सिमटकर रह जायेंगे। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में रूस इस

हालत से ज्यादा दूर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में, अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का प्रयास बेहद कमजोर बना रहेगा और ''प्रतिबन्धों'' की घमकी मिलते रहने से वह त्रयी के वर्चस्ववादी एकाधिकारों की माँ के अनुसार शासन करनेवाले आर्थिक अल्पतंत्र के अनर्थकारी संयोजन को मजबूत करेगा।[5]

निष्कर्ष : यह अनुमान निश्चय ही विश्व–व्यवस्था में तीसरी दुनिया के देशों के गुणात्मक महत्व को कम करके दिखाता है कि वैश्वविक अर्थव्यवस्था और राजनितिक शक्ति मे कोई बदलाव नहीं हुआ हैं। हालाँकि आर्थिक और राजनीतिक पदसोपान क्रम में इन देशों की स्थिति में परिवर्तन का यह अर्थ नहीं है कि साम्राज्यवादी प्रवृतियों का आधारभूत प्रभाव जो वैश्विक व्यवस्था का चालक है वह गायब हो गया है। जैसे आर्थिक क्षेत्र के लिए संघर्ष ज्यादा प्रतियोगी होता है, उनके ज्यादा प्रभावी प्रतियोगी होने की संभावना है। निश्चय ही, अगर इतिहास के सबक को पहचाना जाये तो यह संभावना है कि विश्व पूँजीवादी रंगमंच पर नयी शक्तियों का उभार नये और बड़े संघर्षों– आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संघषों को जन्म देगा, क्योकि पुरानी साम्राज्यवादी शक्तियों विश्व व्यवस्था पर अपना वर्चस्व बनाये रखने का प्रयास करेंगी। इसका लक्ष्य विश्व व्यापार के लिए एक ऐसी राजनीतिक–कानूनी अधिरचना का निर्माण करना है जो उन शक्तियों के फायदे को सुदृढ़ करेंगी जिनके पास फिलहाल ज्यादा आर्थिक शक्ति है, और इसमें त्रयी में केन्द्रित दैत्याकार बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल है

सन्दर्भ :

1. निकोलाई बुखारिन, इम्पीरियलिज्म एंड द वर्ल्ड इकोनोमी (न्यूयॉर्कः मंथली रिव्यू प्रेस, 1973), 70
2. वही, 61
3. ''नोमिनल एंड रियल जीडीपी, टोटल एंड पर कैपिटा, एनुअल, 1970–2013 : यूस डॉलर्स एट कांस्टेंट प्राइस (2005) एंड कांस्टेट एक्सचेज रेट्स (यूएनसीटीएडी), http://unctdstat.unctad.org
4. नइक कम्पनी में राष्ट्रीय ओबामा का भाषण, ''रिमाक्र ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन ट्रेड,'' बीवरटन, ओरेगोन, मई 8, 2015, http://whitechouseAgov, ''दे आर मेकिंग थिंग्स अप'' : प्रेसिडेंट ओबामा बाईटस बैक एट डेमोक्रेट ट्रेड डील क्रिटिक्स, गार्जियन, मई 8, 2015, http://theguardian.co
5. समीर अमीन, कैपिअलित्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन (लन्दनः जेड प्रेस, 2014), vii-viii, द इम्प्लोजन ऑफ कन्टेम्परेरी कैपिटलिज्म (न्यूयार्कः मंथली रिव्यू प्रेस, 2013), 17

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 76-77

समाजोत्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की भूमिका

डॉ0 कुमारी अल्पना*
*गृहविज्ञान, उच्चतर माध्यमिक शिक्षिका +2 सेवक देवनारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पानापुर कांटी, मुजफ्फरपुर, बिहार

सन्दर्भ : परिवार कल्याण कार्यक्रम परिवार के समग्र कल्याण पर बल देता है, जबकि परिवार नियोजन का सम्बन्ध मात्र परिवार का आकार नियोजित करने से है अतः परिवार नियोजन समन्वित विकास की विचारधारा पर कार्य नहीं करता। परिवार कल्याण कार्यक्रम परिवार की खुशी एवं भलाई पर बल देता है।

मुख्य शब्द : समाजोत्थान, परिवार कल्याण कार्यक्रम, अभिवृत्ति, जनसंख्या वृद्धि दर, वैवाहिक निर्देशन, यौन शिक्षा, पारिवारिक जीवन की शिक्षा, आदि।

परिवार की खुशियों के लिए बच्चों की संख्या कम रखना तो आवश्यक है साथ ही परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य पोषण, शिक्षा, आवास, सुरक्षा आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता को स्पष्ट की जा सकती है–परिवार कल्याण कार्यक्रम से जन्म–दर में कमी आती है इस कार्यक्रम के कारण अदूरदर्शी मातृत्व रूकता है। अदूरदर्शी मातृत्व का प्रत्यय श्री आर.ए. गोपालस्वामी ने दिया इस प्रत्यय के अनुसार चौथे एवं इसके बाद के बच्चों को जन्म देना अदूरदर्शी मातृत्व के अन्तर्गत आता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामाजिक आर्थिक समस्याओं में कमी आती है। परिवार का आकार छोटा होने से परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है और देश में उपलब्ध सामाजिक सुविधाओं पर जनसंख्या का अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। परिवार कल्याण कार्यक्रम से माता एवं बालक के स्वास्थ्य स्तर में सुधार होता है। छोटे परिवार के मानक की स्थापना होती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम पारिवारिक जीवन की शिक्षा प्रदान करने में सहायक है। जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। महिलाओं की स्थिति में सुधार आता है। बिखरे परिवारों को परामर्श सेवाएँ उपलब्ध होती है जिसमें उनके पुनः जुड़ने की संभावना बढ़ती है। शिशु एवं बाल मृत्यु–दर में कमी आती है। बच्चों में अन्तर रखने की विधियों, बाल पोषाहार कार्यक्रम, जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य एवं देखभाल कार्यक्रम आदि के साथ शिशु एवं बाल मृत्यु–दर में कमी आती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं को सहायता प्रदान करता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम परिवार की खुशियों में वृद्धि करता है।[1]

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के निम्नलिखित कार्यात्मक लक्ष्य निर्धारित किये हैं–छोटे परिवार के मानक की स्थापना एवं प्रसार करना। बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की विधियों का प्रसार करना। योग्य जोड़ों को गर्भ निरोधकों की पर्याप्त उपलब्धता उनकी पहुँच में सुनिश्चित करना। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त चिकित्सकीय एवं शल्य सुविधाएँ सुनिश्चित करना।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे परिवार के मानक को ऐच्छिक रूप से अपनाने पर बल देना है। वर्तमान में भारत में दो बच्चों के मानक का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। लोगों में 'छोटा परिवार सुखी परिवार' की अभिवृत्ति विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे परिवार का मानक भारत में शिक्षित उच्च एवं मध्यम आय वर्ग के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है परंतु सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित वर्गों द्वारा अभी छोटे परिवार के लाभों के प्रति जागरूकता का अभाव है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छोटे परिवार के मानक की स्थापना करना है। देश के विभिन्न राज्यों में छोटे परिवार के मानक को स्वीकृति में अन्तर है दक्षिण के राज्यों यथा तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आदि में यह मानक अधिकतर लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्य अभी लक्ष्य से काफी दूर हैं। दो बच्चों के जन्म के मध्य समयान्तराल बढ़ाना जनसंख्या नियंत्रण का प्रभावी तरीका है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे अनेक तरीकों का प्रयास किया जाता है जिनका प्रयोग कर युगल बच्चों के जन्म में अन्तराल बढ़ा सकते हैं।

भारत में परिवार नियोजन का प्रमुख लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि दर पर लगाम कसना है। इसे परिवार नियोजन की शिक्षा के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। वर्ष 1991–2001 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर 2.13 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लगभग रही। सन् 2000 की जनसंख्या नीति में वर्ष 2045 तक जनसंख्या वृद्धि दर को शून्य पर लाने की बात कही गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को शून्य पर लाना होगा तथा जन्म एवं मृत्यु के बीच अन्तर समाप्त करना होगा। वर्ष 1999 में अशुद्ध जन्म–दर तथा अशुद्ध मृत्यु–दर क्रमशः 26.1 तथा 8.7 थी। जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए जन्म–दर को एक अंकीय अर्थात् 9 प्रति हजार या इससे कम पर लाना होगा।[2]

परिवार नियोजन कार्यक्रम का सम्बन्ध परिवार के आकार को नियोजित रखने से है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो जन्म में अन्तर रखने एवं परिवार का आकार सीमित रखने तथा संतान विहीन लोगों को, यदि चिकित्सकीय रूप से संभव हो, माता–पिता बनने में सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम की मान्यता है कि अभिभावकत्व नियोजित होना चाहिए। परिवार में बच्चे का जन्म नियोजित तौर पर होना चाहिए न कि आकस्मिक। परिवार नियोजन कार्यक्रम में वैवाहिक निर्देशन, यौन शिक्षा एवं पारिवारिक जीवन की शिक्षा आदि सम्मिलित है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य विवाहित जोड़ों एवं उनके बच्चों की खुशियों में यथासम्भव वृद्धि करना है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन्म नियन्त्रण या परिवार के आकार को सीमित रखने के कार्यक्रम के रूप में जाना गया। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के जन्म से इसको संचालित करने का दायित्व स्वास्थ्य मंत्रालय का रहा

है। 1996 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वतंत्र परिवार नियोजन विभाग स्थापित किया गया। परिवार नियोजन पर एक कैबिनेट कमेटी, जिसका प्रमुख केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होता है, का गठन किया गया। सरोज सिंह[3] ने अपने अध्ययन में व्यक्त किया कि 35 प्रतिशत महिलायें दस या पांच या उससे अधिक बार गर्भधारण करती हैं। 35 प्रतिशत महिलायें गम्भीर एनीमिया से ग्रसित हैं तथा 50 प्रतिशत महिलाओं में साधारण रक्तअल्पता पायी जाती है। इसके साथ–साथ ये महिलायें कई अन्य प्रकार के प्रजनन मार्ग संक्रमण की भी शिकार हैं। गर्भधारण करने व बच्चे को जन्म देने में महिलाओं की शारीरिक ह्रास होने पर कार्य करने की क्षमता में प्रभाव पड़ता है। शारीरिक प्रक्रिया पर प्रभाव जिसकी भरपाई जीवन भर नहीं होती है। अत्यधिक गर्भधारण से गर्भपात होने की सम्भावनाएं भी बढ़ जाती हैं जो किसी भी स्तर पर जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं। पदमचन्द मौर्य[4] के अध्ययन में पाया गया कि महिला अधिकारों का हनन मानव–अधिकारों का हनन है। गर्भाधान–सन्तानोत्पत्ति एक महिला का मूल अधिकार है तथा जन्म लेना प्रत्येक शिशु का मूल अधिकार है, लेकिन लैंगिक विभेद/लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके मूल अधिकार से वंचित किया जाता रहा है। कन्या वध तथा कन्या भ्रूण हत्या (गर्भपात) लैंगिक असमानता का वीभत्स रूप है। तथाकथित पुरूष प्रधान मानसिकता की क्रूरता का शिकार किसी महिला या बालिका को ही नहीं वरन् एक गर्भस्थ कन्या, भ्रूण को भी होना पड़ता है। कन्या, भ्रूण हत्या महिला वर्ग के प्रति समाज के उपेक्षित व्यवहार की विकृत परिणति है। हमारे समाज में कन्या–भ्रूण हत्या को मूक सहमति प्राप्त है। प्राचीन समय में जन्म के तत्काल पश्चात कन्या शिशु की विविध तरीकों से हत्या कर दी जाती थी, वहीं आज अल्ट्रासाउण्ड मशीन की सहायता से गर्भस्थ शिशु की लिंग पहचान कर कन्या भ्रूण को गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है। यूनीसेफ के एक अनुमान के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष 50 लाख कन्या भ्रूण हत्याएं होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक गर्भपात किये जाते है, जिसमें अधिकांश गर्भपात कन्या भ्रूण सम्बन्धित होते है। बनर्जी (1989)[5] ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित अपने एक अध्ययन में पाया कि निर्धन तथा धनी के बीच विभेद, औषधियों की अनुपलब्धता, औषधियों की गुणवत्ता में कमी, ज्यादा भीड़–भाड़, लम्बे समय तक इन्तजार करना, कार्यकर्ताओं का शुष्क व्यवहार आदि अभियोग ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये लगाये गये। परिवार नियोजन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये। ऐसे कई उदाहरण पाये गये जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उपयुक्त नियोजन सेवायें न मिलने के कारण अनिच्छित गर्भ समापन के लिये गर्भपात का सहारा लेना पड़ा। निःशुल्क मिलने वाले गर्भनिरोधकों को बाजार में बेच दिये जाने के समाचार भी प्राप्त हुए। ए.एन.एम. तथा स्वास्थ्य निरीक्षिका की छवि ऐसे व्यक्ति के रूप में पाई गई जिसकी सेवायें निर्धन लोगों के लिये नहीं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से युक्त गांवों में भी परंपरागत दाइयों की सेवाओं का पर्याप्त प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अधिक पैसे नहीं लेती तथा आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इन अध्ययनों पर ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से मृत्युदर में गिरावट आई है, औसत उम्र बढ़ी है और महामारियाँ समाप्ति की ओर हैं, मगर हृदय रोग, कैंसर, मोतियाबिंद से पैदा होने वाली नेत्रहीनता तथा मधुमेह जैसे संक्रमक, असंक्रामक रोगों में वृद्धि हुई है। संक्रामक और असंक्रामक रोगों की इस विभिषिका से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया, क्षय, कुष्ठ रोग, नेत्रहीनता, एड्स और कैंसर इत्यादि हेतु देश भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया है। संक्रामक रोगों पर नज़र रखने और उन्हें फैलने से रोकने के लिए भी योजनायें लागू की जा रही हैं। इसके साथ ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रयास किया गया है। कुष्ठ रोग, पोलियो, नवजात शिशुओं के टिटनेस और आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को समूल नष्ट करने की दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। ऐसी स्थिति में समाजोत्थान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की सशक्त भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। समाजविज्ञान परिवार से जुड़ा चिकित्सा समाजशास्त्र आज अपनी शैशवावस्था में है। आज आवश्यकता है इसे युवा बनाने की।

सन्दर्भ :

1. चन्देल, नरेन्द्र पाल सिंह एवं नन्द, विजय कुमार, 2010, जनसंख्या शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ. 241–242.
2. वही, पृ. 229–230
3. सिंह, सरोज, 2010, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं आरोग्यशास्त्र, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी
4. मौर्य, पदमचन्द, 2011, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम : विविध शासकीय प्रयास, रिसर्च एवं मूल्यांकन, जनवरी, 2011, वा. 2.
5. बनर्जी, डी., 1989, क्राइसस इन द मेडिकल प्रोफेशन इन इण्डिया, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वा.24,नं.20, पृ.1091–92.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 78-79

श्रमिकों की भागीदारी : एक अवलोकन

डॉ0 संजीव दत्त सिंह*

*असि0 प्रो0 समाजशास्त्र विभाग, श्री विश्वनाथ पी0जी0 कॉलेज, कलान सुल्तानपुर, उ0प्र0

सारांश :यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में तीव्र औद्योगिक एवं प्राविधिकी विकास तथा वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिणामस्वरूप सामाज के विविध पक्ष प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। विकास की प्रक्रियाओं की गहन जड़ें भारतीय समाज व्यवस्था में अपना स्थान बना रही है। परिणामस्वरूप इनके प्रभाव और दूरगामी परिणामों के प्रति समाज वैज्ञानिकों को गहन चिन्तन की परमावश्यकता है। यह अध्ययन श्रमिकों की भागीदारी : एक अवलोकन को रेखांकित करता है। जो समाज के लिए प्रासंगिक हैं।

मुख्य शब्द : श्रम सहभागिता, उदारीकरण, तीव्र औद्योगिक एवं प्राविधिकी विकास, आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी देश आदि।

राष्ट्रीय उत्पादन में श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन श्रमिकों के इस महत्वपूर्ण स्थान की आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में सर्वथा अवहेलना ही की जाती है। औद्योगिक संस्थानों के मालिक श्रमिकों के प्रति केवल भौतिक दृष्टिकोण ही रखते हैं तथा उनका प्रयोजन श्रमिकों के श्रम–मात्र से ही होता है, जिसे वह खुले श्रम बाजार में जब चाहे तब खरीद सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगती है कि मन लगाकर काम क्यों करें, उसके परिश्रम का अधिकांश तो मिल–मालिक ही उठाते हैं, उसे तो केवल जूठन ही मिलती है। मालिकों एवं श्रमिकों के इस दृष्टि से न केवल राष्ट्रीय उत्पादन प्रभावित होता है बल्कि उद्योगों में मालिक–मजदूर की अनेक समस्यायें भी उत्पन्न होती है। कुछ देशों में श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर प्रयोग करने के परिणाम बड़े आशाजनक निकले हैं। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों ने भी श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाये जाने के महत्व को स्पष्ट किया। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाये जाने से हमारा तात्पर्य यह है कि श्रमिकों के श्रम का उद्योगों में उचित मूल्यांकन करना तथा उन्हें अन्य नागरिकों के समान जीवन की सुविधायें प्रदान करना। उनके श्रम का उचित मूल्यांकन तभी हो सकता है जब उद्योगों में उन्हें भी प्रबन्धकों के समान हिस्सेदार माना जावे। इस स्थिति को औद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थिति कह सकते हैं। श्रमिकों के श्रम को इस रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों में जो व्यवस्था की गई है उसको विभिन्न नामों से पुकारा गया है जैसे ''संयुक्त विचार विमर्श'', ''सह निर्णय'', ''स्वतः प्रबन्ध'' इत्यादि। इस प्रकार प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के नाम देश–देश के अनुसार भिन्न–भिन्न है, लेकिन इनके पीछे भावना एक ही है। आधुनिक समाज में, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के कई उद्देश्य हैं जिनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है– आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक उद्देश्यों में हम उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और औद्योगिक सम्बन्धों की मधुरता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और औद्योगिक सम्बन्धों की मधुरता में वृद्धि को ले सकते हैं। सामाजिक उद्देश्यों में हम मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठा की स्वीकृति, श्रमिक को उसकी स्थिति में हीनता से बचाना, उसकी आत्म–अभिव्यक्ति की क्षुधा को शान्त करना और प्रजातन्त्र को वास्तविक रूप में प्रजातान्त्रिक बनाने को ले सकते हैं। इनमें से प्रत्येक उद्देश्य अपने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी एक–दूसरे से घनिष्टतया सम्बन्धित है।

राष्ट्र उत्पादन के साथ–साथ जीवित रहते हैं। अन्तिम रूप से किसी भी राष्ट्र का जीवन–स्तर उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करता है जिनको उत्पन्न करने में वह समर्थ होता है। अर्थ विकसित देशों के लिये तो उत्पादकता औद्योगिकरण की कुंजी है। उद्योग समाज की केवल एक आर्थिक इकाई ही नहीं है, बल्कि इनका समाज के प्रति एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता हे। इनका समाज के प्रति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को उचित सांचे में ढ़ालने में निहित है जिन्हें यह अपने यहाँ रोजगार पर लगाते हैं। कोई भी संस्था अपने अस्तित्व को उसी समय न्यायोचित सिद्ध कर सकती है जब वह मानव व्यक्तित्व के पूर्ण एवं स्वतन्त्र विकास के अनुसार हो। बालपोल के अनुसार समस्त मानवीय इच्छाओं में सबसे अधिक तीव्र इच्छा मनुष्य में मनुष्य के रूप में सम्मान पाये जाने की है। यह बात केवल शिकायत करने अथवा सुझाव देने का अधिकार तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह ऐसा करने के उत्तरदायित्व को मान्यता चाहते हैं, क्योंकि एक कर्मचारी होने के नाते वह उस उद्योग का संयुक्त भागीदार है जिसमें उसका रूपया तो नहीं, जीवन लगा होता है। **श्री पलेन्डर्स महोदय** के मतानुसार श्रमिकों की प्रबन्ध में राय का लिया जाना मूल रूप से एक नैतिक प्रश्न है।

श्रमिकों का सहयोग और विश्वास प्राप्त आसान काम नहीं है, जहाँ तक हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने वाला लगन के साथ तभी कर सकता है, जबकि उस व्यक्ति को उस कार्य में उचित स्थान मिलने की सम्भावना हो। यह भी कहा जा सकता है कि एक श्रमिक उत्पादन में वृद्धि तब कर सकता है जब वह अपना खून–पसीना एक करेगा। ऐसा वह तभी करेगा जबकि ऐसा करने के लिए उसे उचित सामाजिक स्थान प्राप्त होगा। साथ ही यह कहना उचित ही है कि उत्पादन की दो घुंडी है– पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति वर्ग उत्पादन में अपनी पूंजी लगाता है और श्रमिक इस संगठन को श्रम देकर संचालन करता है। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों वर्गो (पूंजीपति और श्रमिक) के बीच सहयोग की स्थापना आवश्यक है।

उत्पादन में संगठन का महत्व सबसे अधिक है। आज हम यह भी देख रहे हैं कि कुछ उद्योगों को सफलता प्राप्त हो रही है। वे दिन–दूनी, रात–चौगुनी प्रगति कर रहे हैं, साथ ही दूसरे ऐसे उद्योग भी हैं जो श्रम के अभाव में अवनति की ओर अग्रसर दिखायी पड़ते हैं। यदि गम्भीरता से उद्योगों की सफलता और असफलता के कारणों का विश्लेषण किया जाये तो उसमें सबसे अधिक महत्व

संगठन का है। अभी तक प्रबन्ध तथा उद्योगों के संगठन में मिल–मालिकों का हाथ होता था वे जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे। श्रमिकों से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की राय नहीं ली जाती थी। श्रमिकों की सहभागिता का सीधा और सरल अर्थ यह है कि प्रबन्ध में श्रमिकों को उतना प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जितना की मालिकों को प्राप्त होता है।

इस दृष्टि को सामने रखकर महात्मा गांधी ने कहा था कि ''श्रमिक और मालिक एक ही परिवार के सदस्य हैं।'' इसका तात्पर्य यह हुआ कि उद्योगों से श्रमिकों और मालिकों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1. A.H. Maslow : A theory of Human Motivation Psychological Review. Vol. 50, 1942, P. 270 306.
2. Sinha, D.N.: Studies in Industrial Psychology, Sri Ram Meharo\a Company Agra 1973
3. Smith, H.C.: Psychology of Industry, Mc Graw Hill Book Company, INC 1970.
4. Sinha, P.K : Sociology of Commitment to work : A Study of the workers of Bokaro steel Plant, Unpublished theses patana University, Patana, 1992.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 80-81

लोक जीवन में सूर्यपूजा

नीलम भारती*

*प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : पृथ्वी पर आदिमानव ने जैसे–जैसे विकास की ओर चरण बढ़ाये, उसने अपने परिवेश को आवश्य ही ध्यान से देखा होगा। विभिन्न प्रकार की वनस्पति धने वन, पठार, मरूस्थल, हिमाच्छादित, शैल–शिखर, कल–कल निदानी झरने ये सब भूमिस्थ परिदृश्य उसकी जिज्ञाषा का अवश्य ही केन्द्र रहा होगा। सम्भवतः उसके जिज्ञासा का सबसे बड़ा केन्द्र अन्तरिक्ष रहा होगा, जिसके नायक अनन्त प्रभाविभूषित सूर्यदेव है। क्रमशः उसने सघन अन्धकार को चीरने वाले तत्व के रूप में सूर्य का ज्ञान प्राप्त किया होगा जो विकास के बढ़ते चरण में उसे ऊर्जा और ताप देने वाले तत्व के रूप में उसने सूर्य को देखा होगा, जैसे–जैसे मानव ने अनुभूति जन्य सूर्य के प्रभावों को देखा होगा। सूर्य उसे अपने जीवन के लिए अनिवार्य तत्व प्रतीत हुआ होगा। सूर्योदय पर तिमिरनश मध्याह्न सूर्य द्वारा प्रचण्ड ऊर्जा और ताप पर प्रचण्ड प्रवाह और अस्ताचलगामी सूर्य का घटना ताप और सूर्य के अस्त हो जाने पर गहन तिमिर आदिमानव को अवश्य ही अपनी ओर आकर्षित किया होगा, कदाचित अपनी इन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मानव सूर्य को एक ऐसे अनिवार्य ऐश्वर्य सम्पन्न और सर्वतेजोमय मानकर उनके प्रति श्रद्धावनत हुआ होगा। मानव की यही श्रद्धा सूर्य को एक ऐसी अनिवार्य शक्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश किया होगा। सूर्य से प्राप्त उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मानव में सूर्य में किसी अमानवीय शक्ति का आघान (देवता) स्वीकार कर उन्हें देवत्व स्वरूप प्रदान किया होगा। मानव की यही अनुभूति प्रतिदान स्वरूप सूर्य की उपासना का मुख्य आधार बनी होगी।

डॉ0 वी0सी0 श्रीवास्तव[1] ने प्राचीन भारत के प्राग–इतिहास में सूर्य के अंकनों को तीन स्तरों पर देखने का प्रयास किया है। 1. शैलाश्रयों के चट्टानों में अंकित चित्र, 2. पुराऐतिहासिक वस्तुओं पर अंकित सूर्य के चित्र, 3. आदिजनजातियों के धार्मिक मान्यताओं एवं विश्वासों में सूर्य का अंकन। शैलाश्रयों में अंकित चित्रों के तिथि पर विद्वानों में विवाद है, पर इन सबसे हटकर यह तो निश्चित ही है कि आदि मनुष्य का मस्तिष्क कला–धर्म से प्रभावित था। इन शैलाश्रयों में अंकित सूर्य पूजा के आदि प्रमाण प्रतीकात्मक रूप से प्राप्त होते है, जिसमें सप्तरश्मि युक्त सूर्य का अंकन हुआ है। पंचमढ़ी के वनियाबेरी नामक स्थान से सूर्य का एक प्रतीक स्वास्तिक प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक की प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक निर्दिष्ट की जा सकती है। इस युग के मृत्पात्रों पर इसके विभिन्न रूप प्राप्त होते है। जिसका प्रचलन वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है। सैन्धव सभ्यता की पूर्वगामी संस्कृति के उत्तवनित अवशेषों में स्वास्तिक की आकृति के निरूपण के प्रमाण उपलब्ध है। इसकी सम्पुष्टि वनिया वेरी (पंचमढ़ी) से प्राप्त प्रागैतिहासिक शिलाभित्ति चित्र के अवलोकन से की जाती है प्रागैतिहासिक इस चित्र विषय–सामग्री हमें अजन्ता के चित्रों की याद दिला देती है जिसमें पूजा भाव के साथ छत्र चढ़ाने का दृश्य चित्रित है। स्यात अजन्ता के चित्र सन्निवेश की अवधारणा में यह आदि भावना अज्ञात रूप से सन्निहित हो जिसमें पूजा या उपासना का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। समस्त पूजा–भाव एक मात्र स्वास्तिक पर ही केन्द्रित है। प्राचीन मानव के ह्रदय में पूजा–भाव (दार्शनिक तत्व) के विकास का स्पष्ट संकेत मिलता है। निश्चित ही इसकी पृष्ठभूमि में किसी देवता की कल्पना विद्यमान रही होगी। सैन्धव सभ्यता में बहुत स्पष्ट तो नहीं पर प्रतीक रूप से सूर्य की स्थिति का ज्ञान मुहरों पर अंकित आकृतियों से होता है। कुछ मुहरों पर गोल आकृति के चारों ओर रेखाएँ निकलती हुई दिखती है। यदि इसको हम सूर्य और उसकी किरणों का प्रतीक मान ले जो मानना स्वभाविक है, तो हम कह सकते है कि सिन्धु घाटी में सूर्योपासना थी।

वैदिक काल में सूर्य की मान्यता व्यापक हो चली थी। सूर्य प्रकाश के देवता के रूप में पूजित थे। उनके भौतिक स्वरूप की कल्पना की गई है। सूर्य[2] दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत् व सूर्य आकाश के पुत्र है, उन्हें 'आदि' अदिति का पुत्र[3] भी कहा गया है। वह 'सूर्यों भूतस्यैकं चक्षुः' है। ऋग्वेद में अनेक सूक्त सूर्य की स्तुति में दिये गये है। वैदिक गायत्री को यदि देखा जाय तो वह सूर्य की स्तुति को ही व्यक्त करती है। पुरुष सूक्त में यक्षों सूर्यों आजायत व विराट पुरुष के नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। सूर्य के रथ को सात अश्व खींचते हैं, जिसका रंग हरित वर्ण का है – 'आ सूर्यायातु स्पतायः' तथा 'सप्त' त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्यः[4] अयुक्त सप्त हरितः[5] वैदिक लोगों ने सूर्य से सम्बन्धित अनेक देवताओं की कल्पना कर ली थी इनमें सविता, पूषन, मित्र, अर्यमन और विष्णु प्रमुख हैं। ऋग्वेद में सूर्य की अनेक ऐसी विशेषताओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने आगे चलकर सूर्य प्रतिमा को प्रभावित किया, ऋग्वेद में सूर्य का 'दिव्यः सुपर्णोगरूत्मान' कहा गया है। वास्तव में इस कल्पना के आधार पर विष्णु के वाहन गरूण की कल्पना का जन्म हुआ।[6] ऋग्वेद में सूर्य के अनेक नामों का उल्लेख मिलता है यथा आदित्य, सविता, प्रसविता आदि। जिसें सौर परिवार में 'सविता' सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य एवं सतिता का तादात्मय ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सविता ने अपनी ज्योति को पृथ्वी से अत्यन्त ऊपर स्थापित किया है और सूर्य अपने प्रकाश से अन्तरिक्ष धावा–पृथिवी को व्याप्त करते है। सूर्यदेव को ऋग्वेद[7] में रोगों को नाश करने वाला कहा गया है। सूर्यदेव का प्रकाश पीलिया रोग तथा ह्रदय के रोग की विशेष लाभप्रद माना जाता था। सभी प्राणियों के लिए सूर्य इस विशाल विश्व में वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का।

उत्तर वैदिक काल में तो सूर्योपासना के आध्यात्मिक तत्वों के अतिरिक्त कर्मकाण्डों और धार्मिक विधि विधान की विस्तृत चर्चाएँ प्राप्त हाने लगती है जिसका उल्लेख संहिताओं[8], ब्राह्मणग्रन्थों[9], उपनिषदों[10] गृहमसूत्रों धर्मसूत्रों में मिलता है। आगे चलकर तो सूर्य के उपसकों का एक अलग सम्प्रदाय बन गया जो सौर सम्प्रदाय कहलाया।

महाकाव्यों के समय वैदिक धर्म की प्रधानता घटने लगी थी। सूर्य की महत्ता इस समय व्यापक नहीं थी कि सूर्य के अधिकांश अवयव विष्णु में समाहित माने जाते थे। फिर भी सूर्योपासना सम्बन्धित विवरण प्राप्त होते है। भारत पर सिकन्दर अभियान के समय यूनान के कुछ लेखक भी आये थे। उन्होंने सौर सम्प्रदाय के विषय में लिखा है कि भारतीय सोरोएडेयिमोस (सूर्य देवता) की भी पूजा करते थे। यह विष्णु की पूजा के साथ–साथ प्रचलित था। यद्यपि विष्णु जो मूलतः एक सूर्य देवता ही थे। उसी से कर्टियस ने लिखा है कि पुरूष की सेना जब बढ़ने को तैयार खड़ी थी तो 'हिरैकिल्स–विष्णु' की मूर्ति उसके सम्मुख लाई गई। यह शुभ के लिए किया गया होगा। यहाँ हिरैकिल्स सूर्य के लिए प्रयुक्त है और विष्णु के साथ इसका उल्लेख है। प्लूर्टाक ने झेलम के तट पर सूर्य मन्दिर का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि पश्चिमी पंजाब में चौथी शती ई0पू0 में सूर्योपासना का विशेष चलन था। शुंगकाल में उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही भारतीय क्षेत्रों में इस धर्म को स्थान मिल चुका था। इसका प्रमाण बोधगया की गुफाओं में सूर्य की आकृतियों उत्कीर्ण मिलती है। इस काल में बोधगया और शाजा के गुफाओं में सूर्य की आकृतियाँ अंकित है। बोधगया के महाबोधि मन्दिर के निकट वैष्टिनी पर अंकित सूर्य प्रतिमा में ऊषा के साथ चार अश्वों द्वारा खीचे जाते हुए रथ पर सूर्य विराजमान हैं सिक्कों के आधार पर इस समय सूर्योपासना का विकास ज्ञात होता है। कुछ सिक्कों पर एक ओर सूर्य की आकृति है दूसरी ओर अश्व की। कुछ पर सूर्य की खड़ी आकृति के बाये हाथ में भाला है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस समय सूर्योपासना पर बौद्ध मूर्तियों का प्रभाव था। तभी सूर्य मूर्तियों के निर्माण में भी बौद्ध मूर्तियों का प्रभाव दिखाई देता है।

गान्धार कला का विकास कुषाण शासकों के समय में विशेष रूप से हुआ। हिन्द यूनानी शासकों की मुद्राओं पर जूता पहने विदेशी आकार और स्वरूप में सूर्य प्रतिमाएं अंकित है। इससे यह संकेत मिलता है कि ये मुद्राएं मागी सौर परम्परा से प्रभावित थी। कालान्तर में इसका प्रभाव पश्चिमोत्तर भारत के भीतरी क्षेत्रों में हुआ और भारत में सौर सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुआ। इस समय भारतीय सीमा में शक सीथियन, पार्थियन और कुषाणों ने प्रवेश करके अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया और विदेशी जातियां भारतीय संस्कृति में समाहित होने लगी। इसी समय शकद्वीप में सूर्योपासना मग ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित थी। जिसका प्रभाव भारतीय सूर्योपासना पर पड़ा। गान्धार क्षेत्र में निर्मित एक सूर्य मूर्ति लम्बा ईरानी जूता पहने चार घोड़ों द्वारा खिचे जाते रथ पर विराजमान है और दासियां दोनों ओर है। रथ के नीचे शमश्रयुक्त आकृति हैं जो सम्भवतः अन्धकार का परिचायक है जिसे सूर्य द्वारा कूचला जा रहा है। इसमें स्पष्ट विदेशी प्रभाव दिखता है। सौर्य सम्प्रदाय का विकास गुप्त काल में अधिक हुआ। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में सूर्य के सप्त हरित अश्वों का उल्लेख किया है गुप्त कालीन सूर्य मूर्तियां मथुरा संग्रहालय और भारतीय कला भवन में संरक्षित हैं जो इसकी व्यापकता को स्पष्ट करती है। वराहमिहिर द्वारा मागी ब्राह्मणों को सूर्य मंदिरों का पुजारी बनाये जाने का भी उल्लेख किया गया है। गुप्तकालीन सूर्य उपासना की परम्परा के अनेक ऐतिहासिक प्रमाण भी प्राप्त होते है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के मंदसोर अभिलेख[11] से जुलाहों की एक श्रेणी द्वारा दशपुर में एक सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। स्कन्दगुप्त के इन्दौर ताम्रपात्र से ज्ञात होता है कि इन्द्रपुर में एक प्राचीन सूर्य मंदिर था।[12] ग्वालियर में मिहिर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि मातृचेति द्वारा गोपापर्वत (ग्वालियर दुर्ग) पर सूर्य मंदिर की स्थापना की गयी थी। भीता और वसरा से प्राप्त मुहरों पर 'आदित्यस्य' अंकित है। उत्तर भारत के सूर्योपासना ईरानी परम्परा से प्रभावित था। हर्ष काल में भी सूर्योपासना प्रचलित थी। पूर्वमध्यकाल में भी सूर्य पूजा व्यापक थी। मुल्तान के सूर्य मंदिर की मूर्ति तथा व्यापकता का उल्लेख ग्यारहवीं शताब्दी में भारत आने वाले अरब यात्री अल–वे–रूनी[13] ने मूल स्थान के मंदिर एवं वहाँ के मगो की चर्चा की है। इस समय के अभिलेखों में सूर्य विभिन्न नामों से सम्बोधित किये गये है यथा– भास्कर मार्तण्ड, वरूणस्वामी आदि। इस प्रकार अब सूर्य विष्णु के तरह संसार का निमित कारण माना जाने लगा। फिर भी इस समय यह सम्प्रदाय अधिक प्रभावक नहीं लगती थी। सूर्य पूजा की विशेषता को महाव्रत छठ के रूप में देखा जाता है। यह आरम्भ में विहार के स्थानीय लघु संस्कृतियों के अन्तर्गत व्याप्त था। परन्तु आज सम्पूर्ण भारत में यहाँ तक की भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में है वहाँ तक छठ पर्व अपने लघु संस्कृति के रूप में परिवर्तित कर वृहद संस्कृति पर्व के रूप में परिलक्षित हो रही है। सूर्य पूजा का आधुनिक काल में इसका सुन्दर उदाहरण है क्योंकि इस व्रत की शुरूआत डूबते सूर्य से उगते सूर्य को अर्ध्य देते हुए 38 घण्टे के जल–त्याग पर आधारित है। अतः कह सकते है कि हमारे लोक जीवन में सूर्य पूजा प्राचीन काल से वर्तमान समय में भी अपने महत्व के कारण सदैव बना रहा।

उपर्युक्त सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि सूर्य अन्य वैदिक देवी देवताओं की अपेक्षा भारतीय जन–मानस में निरन्तर लोकप्रिय स्थान बनाये हुए थे। इनका स्वरूप प्रतिदिन अन्धकार को दूर कर प्रकाश पुंज फैलाते हुए लोगों के समझ प्रतिबिम्बित रहता रहा, इसलिए इन्हें कभी विस्मृत नहीं किया जा सका। इस प्रकार सूर्य पूजा का मूल भारतीय है। किन्तु इसमें सम्प्रदायिक विकास पर विदेशी प्रभाव अवश्य स्वीकार्य है जो मगो के सूर्य मन्दिरों में पूजारी होने के उल्लेख से प्रभावित किया।

सन्दर्भ :

1. श्रीवास्तव, वी0सी0 – सन वर्शिप इन एन्सियन्ट इण्डिया', इण्डो लाजिकल पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 21
2. वही, पृ0 21
3. ऋग्वेद–1.50.8
4. ऋग्वेद– 7.63.3 तथा 7.75.5
5. ऋग्वेद – 9.114.3.10.70.8
6. ऋग्वेद – 7.73.3
7. ऋग्वेद – 4.14.2
8. ऋग्वेद – 1.50.11
9. तैत्तिरीय संहिता – 2.12.1.3.3.2.4.4.3
10. ऐतरेय ब्राह्मण
11. अपस्तम्भ श्रौतसूत्र
12. कार्पस इन्सक्रिप्सन्स इन्डीकैरम, वाल्यूम–III पी0पी0 79–88
13. वही, पृ0 70

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 82-84

कृषि विकास से ही ग्रामीण विकास सम्भव

डॉ0 नीरज कुमार*

*असि0 प्रो0, भूगोल विभाग, श्री हरि नारायण सिंह शिक्षण संस्थान, डेरामूसी, बड़ागाँव, अयोध्या, फैजाबाद, उ0प्र0

सारांश : भारतीय अर्थतन्त्र की जड़े कृषि में है। यद्यपि कृषि एवं उद्योग के विकास में विद्धानों में विवाद देखा गया हैं, किन्तु यह विवाद ग्रामीण विकास के लक्ष्य से न होकर आर्थिक विकास के लक्ष्य से अधिक है। जैसा कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के आर्थिक विकास के लक्ष्य से माना गया था। इसके बावजूद आर्थिक विकास हेतु भी अधिकांश विद्धान कृषि विकास को ही प्राथमिकता देते है। अल्प विकसित देशों में कृषि विकास को ही प्राथमिकता देते है। जिसमें आर्थिक विकास की व्यापक सम्भावनायें छिपी हुई है। किसी भी कृषि प्रधान देश का आर्थिक विकास कृषि विकास के बिना सम्भव नहीं हैं क्योंकि अर्थतन्त्र के औद्योगिक एवं अन्य प्रखण्ड पूर्णतया कृषि पर निर्भर होते है तथा औद्योगिक वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग आर्थिक अतिरेक की मात्रा जो पूर्णतया कृषि से प्राप्त होती है पर निर्भर हैं कृषि न सिर्फ अपने श्रम की आपूर्ति करके वरन् आवश्यक पूँजी संचय का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर भी औद्योगिक विकास का आधार प्रस्तुत करती है।

खाद एवं कृषि संगठन (F.A.O. 1962) के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि के अन्तर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी घास के मैदान तथा रेन्च के अलावा अन्य चारागाह भी सम्मिलित किये जाते हैं। आक्सपोर्ट अंग्रेजी शब्द कोष (1964) के अनुसार एग्रीकल्चर (कृषि) मृदा, कर्षण एवं खेती–बारी का विज्ञान है, जिसमें विभिन्न क्रियाये जैसे संग्रहण, पशुपालन, जुताई आदि सम्मिलित की जाती है। यही कारण है कि कृषिविदों ने कृषि के अन्तर्गत फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों को ही सम्मिलित करना श्रेयकर माना है। इनहोंने कृषि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। ''Agriculture is the science and practice of farming'' अर्थात् ''कृषि खेती कार्य का विज्ञान एवं पद्धति है।'' कृषि तथा उद्योग दोनों को विकास आधार स्वीकार करते हुए रिकार्डो ने यह माना कि इन में कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, जिससे सम्पूर्ण आर्थिक विकास की सीमा निर्धारित होती है अतिरिक्त श्रम की मान्यता पर आधारित फाईरानीस की विकास की संकल्पना के अनुसार कृषि न सिर्फ अपने श्रम की आपूर्ती करके वरन् आवश्यक पूँजी संचय का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर भी औद्योगिक विकास का आधार प्रस्तुत करती है। जैकबवाइन्र कृषि विकास को आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा मानते हुये तर्क देते है कि अल्प विकसित देश अपनी खाद्य पदार्थो की माँग को पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चूँकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों में पूँजी का अभाव है और कृषि में पूँजी की उत्पादकता अन्य सभी उद्योगों से अधिक होती है। अतः इन दोनों के आर्थिक विकास की योजना में कृषि के विकास को प्रथम स्थान देना ही युक्ति संगत हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास सम्भव हो सके। ''इस प्रकार भारतीय अर्थतन्त्र में ग्रामीण विकास रूपी वृक्ष की जड़ कृषि है जिसको सींचने से ही ग्रामीण विकास सम्भव हैं।

व्यापारिक कृषि का अर्थ : कृषि व्यापारीकरण कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। ''विपणन शक्तियाँ जिस मात्रा में क्षेत्र का व्याप्त करती है एवं जिस पैमाने पर वे सक्रिय होती है हमेशा कृषि विकास के लिए निर्णायक तत्व है।'' कृषि के व्यापारीकरण की दृष्टि से खाद्यान्नों के व्यापारिक उत्पादन की अपेक्षा नकदी फसलों के उत्पादन से व्यापारीकरण का लक्ष्य अधिकाधिक प्राप्त किया जा सकता है। कृषि व्यापारीकरण के लिए एक निर्दिष्ट प्रयास के द्वारा कृषकों की मनोदशा एवं विपणन सुविधा की व्यवस्था को निश्चित दिशा दी जा सकती है, जिससे कृषि के व्यापारीकरण के लक्ष्य को सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। कृषि का व्यापारीकरण कृषि अर्थतन्त्र की वहाँ अवस्था है, जिसमें कृषक समुदाय जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं के कारण प्रति इकाई भूमि क्षेत्र से अधकि लाभ प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह ऐसी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है, जिनका मूल्य अधिक होता हैं। इनको मुद्रादायनी फसलें कहा जाता है। ''आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी अर्थतन्त्र में खाद्यान्नों की तुलना में यदि मुद्रादायीन फसलों को अधिकता होने लगती है, तो वहीं से व्यापारिक कृषि का अवस्थापनात्मक तत्वों का विकास परिवहन मार्ग जाल के विकास तथा कृषि पर आधारित औद्योगिक संरचना के विकास का परिणाम होता है। कृषि के व्यापारीकरण से तात्पर्य नगदी फसलों का क्षैतिज व उर्ध्वाधर विकास है जिससे इन नगदी फसलों का किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है तथा ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

इस तरह कृषि का व्यापारीकरण ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को रूपान्तरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृषि का व्यापारीकरण करने के लिए ग्रामीण अंचलों में सिंचाई, परिवहन, संचार के साधनों, वित्तीय संस्थाओं, विपणन सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और विविध प्राकर के परीक्षण तथा तकनीकी सेवाओं का विकास होता है। इस प्रकार ग्रामीण विकास में कृषि से सम्बन्धित उद्योग अपेक्षित भूमिका का सम्यक निर्वाह कर सकेंगे तथा कृषि व्यापारीकरण के परिणमस्वरूप ग्रामीण विकास की कल्पना पूरी हो सकेंगी।

कृषि व्यापारीकरण की आवश्यकता : कृषि का समुचित विकास व्यापारिक कृषि के द्वारा सम्भव है। व्यापारिक कृषि भोजन के लिए खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर व्यापार के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है। अतः व्यापारिक कृषि में कृषिगत उत्पादन का मुख्य उद्देश्य निर्यातोनमुख कृषि प्रतिरूप होता है। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में अधिक गत्यात्मकता एवं कृषि कार्य में लगे किसानों एवं श्रमिकों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। व्यापारिक कृषि के अन्तर्गत प्रायः बागाती कृषि जिसमें रबड़, चाय, काफी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। व्यापारिक कृषि प्रतिरूप नगरों के समीप स्थित ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। जहाँ पर नगर के चारों

आरे स्थित नगरीय उत्पादन क्षेत्र में दूध, फल, फूल तथा सब्जी की कृषि की जाती है। जिसका उद्देश्य नगदीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अतः इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है।

व्यापारिक कृषि के द्वारा किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है। अतः कृषि विकास के लिए कृषि का व्यापारीकरण अधिक आवश्यक है। भारत में यद्यपि चावल एक प्रमुख कृषि उपज है किन्तु इसका अधिकांश भाग के खाद्यान्न के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार तथा पश्चिम बंगाल, मध्य तथा निम्न गंगा मैदान के किसान आर्थिक दृष्टि से विभिन्न स्थिति में है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही गन्ने के कृषि करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है।

व्यापारिक कृषि : व्यापारिक कृषि नगदी कृषि के समानार्थी अंग्रेजी के कामर्शियल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटेन के सत्रवीं शताब्दी के साहित्यों में मिलता है (Lsvanayan,M.L.,1984)। जिसकी व्यत्युत्ति लैटिन भाषा के व्यापार शब्द ''कामर्शल'' तथा खेती करने का अर्थ व्यापारिक कृषिया नगदी कृषि है।

कृषि व्यापारीकरण कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। ''विपणन शक्तियाँ जिस मात्रा में क्षेत्र को व्याप्त करती है एवं जिस पैमाने पर वे सक्रिय होती हैं सर्वथा कृषि विकास के लिए निर्णायक तत्व होती है।'' कृषि के व्यापारीकरण की दृष्टि से खाद्यान्नों के व्यापारिक उत्पादन की अपेक्षा नगदी फसलों के उत्पादन से व्यापारीकरण के लिए एक निर्दिष्ट प्रयास के द्वारा कृषकों की मनोदशा को एवं विपरण सुविधा की व्यवस्था को निश्चित दिशा दी जा सकती हैं जिससे कृषि के व्यापारिक उत्पादों में वृद्धि करके कृषि व्यपारीकरण के लक्ष्य को सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।

कृषि का व्यावसायीकरण कृषि अर्थतन्त्र की वह अवस्था है जिसमें कृषिक समुदाय जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी अधिक उत्पन्न लाभ प्राप्त करना चाहता हैं। इसके लिए वह ऐसी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है, जिनका मूल्य अधिक होता है। इनको मुद्रादायिनी फसलें कहा जाता हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी अर्थतंत्र में खाद्यानों की तुलना में यदि मुद्रादायिनी फसलों की अधिकता होने लगती है, तो वहीं से व्यावसायीकरण कृषि, अवस्थानात्मक तत्वों के विकास परिवहन मार्ग जाल के विकास तथा कृषि पर आधारित औद्योगिक संरचना के विकास का परिणाम होता है, कृषि के व्यापारीकरण से तात्पर्य नकदी फसलों का क्षेतिज व उर्घ्वाधर विकास है।

इस तरह कृषि का व्यापारीकरण ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को रूपान्तरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता हैं। कृषि का व्यापारीकरण करने के लिए ग्रामीण अंचलों में भी सिंचाई स्वास्थ्य सुविधाओं और विविध प्रकार के परीक्षण तथा तकनीकी सेवाओं का विकास होता हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास में कृषि से सम्बन्धित उद्योग अपेक्षित भूमिका का सम्यक निर्वाह कर सकेंगे तथा कृषि व्यापारीकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण विकास की कल्पना पूरी हो सकेंगी।

व्यापारिक कृषि के अन्तर्गत मुख्यतः फलोत्पादन शाक–सब्जी उत्पादन पुष्पोत्पादन तथा शोभकारी बागवानी फल तथा सब्जियों के संरक्षण तथा निरीक्षण को सम्मिलित किया जाता है। साथ ही रेशम कीटपालन, मधुमक्खी पालन तथा मत्स्य पालन डेयरी उद्योंग पशुपालन आदि को इसके अन्तर्गत रखा गया है। व्यापारिक कृषि अधिक लाभकर–अधिक स्वाथ्यकर एवं अधिक आय प्रदायी, मुद्रादायिनी फसलोंत्पादन है। जिसका कृषि उत्पाद में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तथ्य को दृष्टिगत कर विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में व्यापारिक कृषि को सम्वर्धिक करने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा हैं। भारत में फलोत्पादन सम्वर्धन एवं फल अनुसंधान का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना के पूर्व राज्य सरकारों के अधीन था। इस समय तक अनुसंधान का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना के पूर्व राज्य सरकारों के अधीन था। इस समय तक अनुसंधान कार्य संगठित रूप प्राप्त न कर सका था। परिणामवरूप उद्यान विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। फिर भी महाराष्ट्र, तिमलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब, आन्ध्रप्रदेश में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई। 1929 में भारतीय कृषि अनसंधान परिषद की स्थापना के साथ ही फल अनुसंधान का कार्य भी संगठित रूप से होने लगा। फल सम्बन्धी क्षेत्रीय समस्याओं पर 1929 से 1954 के मध्य पर्याप्त कार्य हुआ और विभिन्न राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से अनेक अनुसंधान केन्द्रो की स्थापना हुई (Randhwa, M.S. 1974 p.30)। भारत में बागवानी विभाग की स्थापना वनस्पति विज्ञान विभाग के अन्तर्गत 1954 में हुई, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र विभाग के रूप में 1956 में अपना कार्य प्रारम्भ किया। इस विभाग का प्रमुख कार्य व्यापारिक कृषि के अन्तर्गत पेड़ पौधे फल एवं सब्जी उत्पादन में वृद्धि के साथ ही फलों एवं सब्जियों के संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए नयी तकनीकों एवं विधियों का अनुसंधान करना है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फल अनुसंधान केन्द्र क्षेत्रीय आधारों पर संगठित किये गये। इस प्रकार समस्त देश में आठ क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गयी। ये पूना (महाराष्ट्र), कोहर (आन्ध्र प्रदेश), मेंथली (कर्नाटक), सहारनपुर (उ0प्र0) तथा सबोर (बिहार) प्रत्येक क्षेत्रीय केन्द्रों के उपकेन्द्र भी उन राज्यों में खोले गये। इन केन्द्रों पर किये गये अनुसंधान कार्यो का संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करती थी। इनके अतिरिक्त परिषद द्वारा अखिल भारतीय महत्व की अनेक संयोजित योजनायें अस्थायी रूप से संचालित की गयी। इनमें नीबू वर्ग के फलों पर अनुसंधान योजना–उद्योगों में हारमोन के उपचार की योजना की बागवानों में सुधार की योजना तथा केले की बागों में सुधार की योजनायें प्रमुख थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने से पूर्व देश में समस्त फलों के अन्तर्गत 12 लाख हे0 क्षेत्रफल था जिसमें लगभग 50 लाख टन फलों का उत्पादन होता था, किन्तु यह फलों की न्यूनतम माँग की पूर्ति भी नहीं कर सकता था। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में बागवानी के विकास हेतु पर्याप्त धन का प्राविधान करने से फलों का उत्पादन बढ़कर 121.8 लाख टन करने हेतु प्रयत्न किये गये जिससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 56 ग्राम फल प्राप्त हो सके। इस लक्ष्य की उपलब्धि हेतु अखिल भारतीय फल सुधार योजना चलाई गयी। जिससे विभिन्न अनुसंधान संस्थान, राज्य सरकारें और कृषि विश्वविद्यालय सभी के साधनों का समन्वित ढंग से प्रयोग किया गया। इसके लिए पूरे देश को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया और वहाँ पर उद्यान विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी। इन समन्वित अनुसंधान योजनाओं का संचालन

प्रयोजना समन्वयकर्ता करते है। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेंलन होता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आएं शोधकर्ता भिन्न–भिन्न खोजें प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात आगामी वर्ष के लिये कार्यक्रम बनाये जाते है।

पिछले पाँच दशकों में विभिन्न फलों की किस्मों को वर्णन तथा वर्गीकरण कर पर्याप्त कार्य किया जा चुका है, एवं प्रमुख फसलों की अनेक नयी किस्मों का प्रवर्तन किया जा चुका है। समस्याओं का हल अवश्य निकाला गया है तथापि ऐसी अनेक समस्यायें है जिनके उचित समाधान के लिये अभी अनुसंधान की आवश्यकता है।

एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनता कृषि कार्य कर रही है, तथापि कभी–कभी खाद्यान्न की कमी की पूर्ती हेतु विदेशों से इनका आयात करना पड़ता हैं। इसका एक मात्र कारण भूमि की उत्पादकता के लिये खाद्य उत्पादन बढ़ाने के साथ–साथ जनता को संतुलित आहार प्रदान करना भी आवश्यक हैं। भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। इन सब्जियों एवं फलों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके बावजूद अन्य देशों की तुलना में यहाँ सब्जियों एवं फलों का उपयोग अत्यल्प है। उदाहरणार्थ भारत में सब्जियां भोजन का मात्र 8–10 प्रतिशत होती हैं जबकि जापान में 45 प्रतिशत है। अमेरिका में मांस तथा दुग्ध पदार्थो के अधिक मात्रा में उपयोग के बावजूद प्रतिव्यक्ति सब्जियों का उपयोग भोजन का 40 प्रतिशत हैं। आहार विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन सन्तुलित आहार के लिये 300 ग्राम सब्जियाँ (जिसमें 15 ग्राम पत्तियों वाली, 115 ग्राम अन्य तथा 70 ग्राम जड़ों वाली सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए।)

देश में प्रगति के साथ–साथ सब्जी को भी प्रोत्साहन मिला हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने एक सब्जी उत्पादन योजना बनाकर प्रोत्साहन किया। 1970 के बाद देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में सब्जियों की उन्नति किस्मों का विकास किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्जी सुधार योजना को बढ़ावा दिया। शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान से आलू की अनेक किस्में विकसित की जिससे आलू के उत्पादन में क्रान्ति आ गयी है।

अलंकृत व्यापारिक कृषि या उद्यान विज्ञान का कलात्मक एवं आध्यात्मिक अंग हैं। इसका तात्पर्य सजावट तथा सौन्दर्य के लिए उद्यान में या शीशे के घरों में एकवर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय फूलों एवं शोभकारी पौधों को उगाने से होता है (Dubey, K.N. 1984)। विकसित देशों की अपेक्षा भारत में अलंकृत व्यापारिक कृषि का विकास नगण्य का एक साधन बन सकता है अभी तक फूल उगाना मात्र विलासिता समझा जाता रहा है। जागृति के अभाव में उद्यानों की संख्या भी बहुत कम है। उदाहरण के लिए लालबाग (बंगलौर), मुगलगार्डेन (दिल्ली), पालीवाल पार्क (आगरा), राजकीय वनस्पति उद्यान (ऊटी) इत्यादि ही कुछ प्रसिद्ध उद्यान है।

उद्यानों के विकास हेतु कुछ संस्थानें कार्य कर रही है। जैसे ''हर्टीकल्चर सोसाइटी ऑफ इण्डिया'', साउथ इण्डियन हर्टीकल्चर एसोसिएशन आदि अलंकृत कृषि विकास के लिए सन् 1956 में कुछ संस्थानों का निर्माण किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इसको विशेष महत्व दिया। फूल के पौधे को विदेशों से आयात किया गया। जिससे अच्छी किस्म के फूल उगाये जा सकें। कोनूर के वनस्पतिक उद्यान सिस्म के पौधे को मँगाकर उनका उत्पादन किया गया। यहाँ फूलों की नयी किस्मों के साथ–साथ ऐसे रसायनों का आविष्कार किया गया जिसमें फूलों को अधिकाधिक दिनों तक ताजा रखा जा सकें। व्यापारिक कृषि का एक मुख्य घटक फल सब्जी परीक्षण भी है। फलों एवं सब्जियों को अधिक समय तक खाने योग्य बनाये रखना ही फल परीक्षण कहलाता है देश में फलों एवं सब्जियों से सम्बन्धित सर्वप्रथम कार्य लायलपुर में 1934 में शुरू किया गया। इसके पश्चात् 1938 में क्वेटा में भी फल परीक्षण विभाग की स्थापना हुई। 1942 में मद्रास सरकार ने क्यूवटोर में फल पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की कुछ समय पूर्व मेंसूर ''सेन्ट्रल फ्रूट टेक्नालजिकल रिसर्च इन्स्टीच्यूट'' की स्थापना हुई। वर्तमान समय में फल एवं सब्जियों के परिरक्षण की ईकाइयाँ लगभग सभी बड़े नगरों में कार्यरत है।

सन्दर्भ :

1. Davey Battan, (1975) : The Economic Development of India, Spokese man Books,p.175.
2. David, Turner and ken Muir(1985): The Handbook of soft fruit growing.Pub Cron.Helm London.
3. F.A.O. (1977) : Policies and Institutions For Integrated Rural Development' Joint report on the expert Consulations Colombo and Narobi Session vol.1.
4. Franken, Francine,R.(1971): India,s Green Revolution, Princetion University Press, Bombay,p.175
5. F.A.O.S.I.D.S.E., International Symposium on Inegrated Rural Development, in Berlin United Nation, Renae,
6. GopalKrishan, (1981) : 'The concept of Agriculture Development' in Prespectives in Agricultural Geography (Ed) Noor Mohammad, Concept Pub.Comp, New Delhi, Vol.II,p.77.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 85-86

भारत में मनरेगा की वास्तविकता : एक अनुशीलन

डॉ0 अभय कुमार*

*पी–एच0डी0 (राजनीति विज्ञान विभाग), ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

सारांश : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 (मनरेगा) एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। यह क्रांतिकारी बदलाव का सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व आर्थिक ताकत दे, भूख व गरीबी पर प्रहार किया। यह तर्कसंगत है क्योंकि यह पैसा सीधे उन लोगों के हाथों में पहुँचाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। विरोधी विचारधारा वाली केंद्र सरकार के छः साल में व उससे पहले भी, लगातार मनरेगा की उपयोगिता साबित हुई है। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से भारत में मनरेगा की वास्तविक स्थिति को रखने का प्रयास किया गया है।

मुख्य–षब्द : मनरेगा, कार्यविधि, गरीबी, क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन आदि।

परिचय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य–सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010–11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध–कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया। यह अधिनियम, राज्य सरकारों को "मनरेगा योजनाओं" को लागू करने के निर्देश देता है। मनरेगा के तहत, केन्द्र सरकार मजदूरी की लागत, माल की लागत का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है। राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता, माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक लागत को वहन करती है। चूंकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं, उन्हें श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारी प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि, बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है, जो इस शर्त के अधीन है कि यह पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/4 भाग से कम ना हो और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का 1/2 से कम ना हो। प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार (या बेरोजगारी भत्ता) सक्षम और इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना चाहिए।

ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जांच के बाद पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से (निरंतर काम के कम से कम चौदह दिनों के लिए) काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके तहत योग्य व्यक्ति यदि रोज़गार की अर्जी देता है तो उसे या तो 15 दिनों के अंदर काम दिया जाएगा या नहीं देने पर बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। दुनिया के किसी देश में ऐसा कानून उपलब्ध नहीं है। यह किसी कार्ययोजना के तहत दिए जाने वाले रोज़गार कार्यक्रम नहीं है। यह काम की माँग के अनुरूप दिए जाने वाला रोज़गार का कार्यक्रम है। जो किसी व्यक्ति को रोज़गार की अर्जी देने के 15 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत जॉब कार्ड उपलब्ध कराएगा, जिस पर उसकी तस्वीर लगी होगी। आरंभ में कम से कम उसे 14 दिनों का काम मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसे बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। आरंभ में मजदूरी दर–औसतन 60 रुपया रखी गई थी। लेकिन इसमें बदलाव होता रहा। अब मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ देने के कारण इसमें परिवर्तन होता रहा है। इसका एक सरल सिद्धांत हैः भारत के गांवों में रहने वाले किसी भी नागरिक को अब काम माँगने का कानूनी अधिकार है और सरकार द्वारा उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ कम से कम 100 दिनों तक काम दिए जाने की गारंटी होगी। इसकी उपयोगिता बहुत जल्द साबित भी हुई। यह जमीनी स्तर पर, माँग द्वारा संचालित, काम का अधिकार देने वाला कार्यक्रम है, जो अपने स्केल एवं आर्किटेक्चर में अभूतपूर्व है तथा इसका उद्देश्य गरीबी मिटाना है। मनरेगा की शुरुआत के बाद 15 सालों में इस योजना ने लाखों लोगों को भूख व गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला है। महात्मा गांधी ने कहा था, ''जब आलोचना किसी आंदोलन को दबाने में विफल हो जाती है, तो उस आंदोलन को स्वीकृति व सम्मान मिलना शुरू हो जाता है''। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मनरेगा के कार्यान्वयन के प्रदर्शन लेखापरीक्षा में इस अधिनियम के कार्यान्वयन में "बड़ी कमियों" को पाया है। इस योजना को फरवरी 2006 में 200 जिलों में शुरू किया गया था और अंत में 593 जिलों तक विस्तारित किया गया। 2008–09 के दौरान 4,49,40,870 ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया, जहाँ प्रत्येक परिवार में 48 कार्य दिवस का राष्ट्रीय औसत था। मनरेगा ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनरेगा यह उल्लेख करता है कि कार्य को ग्रामीण विकास गतिविधियों के एक विशिष्ट सेट की ओर उन्मुख होना चाहिए जैसेः जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क–तंत्र, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा जिसमें शामिल है तटबंधों का निर्माण और मरम्मत, आदि। नए टैंक/तालाबों की खुदाई, रिसाव

टैंक और छोटे बांधों के निर्माण को भी महत्व दिया जाता है। कार्यरत लोगों को भूमि समतल, वृक्षारोपण जैसे कार्य प्रदान किये जाते हैं। पूरा देश जानता है कि दुनिया के इस सबसे बड़े जन आंदोलन ने किस प्रकार न केवल लाखों भारतीयों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकाला, अपितु पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप बदल दिया, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करने में मदद की तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। इसने सभी के लिए समान वेतन सुनिश्चित कर, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर एक नए सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की। इसने उन्हें संगठित होने की ताकत दी और उन्हें सम्मान व स्वाभिमानपूर्ण जीवन प्रदान किया। आज के संकट में भारत को सशक्त बनाने के लिए इन तथ्यों को जानना बहुत आवश्यक है।

जब अभूतपूर्व संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो मनरेगा की जरूरत व महत्व पहले से कहीं और ज्यादा है। इन मेहनतकशों का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए राहत कार्य उन पर केंद्रित होने चाहिए। सबसे पहला काम उन्हें मनरेगा का जॉब कार्ड जारी किया जाना है। श्री राजीव गांधी ने अपने विशेष प्रयासों द्वारा जिस पंचायती राज तंत्र को सशक्त बनाने का संघर्ष किया, आज मनरेगा को लागू करने की मुख्य भूमिका उन्हीं पंचायतों को दी जानी चाहिए, क्योंकि यह कोई केंद्रीकृत कार्यक्रम नहीं है। जन कल्याण की योजनाएं चलाने के लिए पंचायतों को और मजबूत किया जाए तथा प्राथमिकता से पैसा पंचायतों को दिया जाए। ग्राम सभा यह निर्धारित करे कि किस प्रकार का काम किया जाए। क्योंकि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि ही जमीनी हकीकत, श्रमिकों की स्थिति व उनकी जरूरतों को समझते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि गाँव व स्थानीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप, अपने बजट को कहाँ खर्च करना है।

श्रमिकों के कौशल का उपयोग ऐसी टिकाऊ संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, जिनसे कृषि उत्पादकता में सुधार हो, ग्रामीण आय में वृद्धि हो तथा पर्यावरण की रक्षा हो। संकट के इस वक्त केंद्र सरकार को पैसा सीधा लोगों के हाथों में पहुंचाना चाहिए तथा सब प्रकार की बकाया राशि, बेरोजगारी भत्ता व श्रमिकों का भुगतान लचीले तरीके से बगैर देरी के करना चाहिए। मोदी सरकार ने मनरेगा के तहत कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 200 करने तथा कार्यस्थल पर ही पंजीकरण कराने की अनुमति देने की मांगों को नजरंदाज कर दिया है। मनरेगा के तहत ओपन–एंडेड फंडिंग सुनिश्चित होनी चाहिए, जैसा पहले होता था। इस योजना की काफी आलोचना भी हुई है और तर्क दिया गया कि यह योजना भी गरीबी उन्मूलन की अन्य योजनाओं से अधिक प्रभावी नहीं है, जहाँ प्रमुख अपवाद राजस्थान है पहली आलोचना वित्तीय है। मनरेगा, दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। मध्य प्रदेश में मनरेगा के एक निगरानी अध्ययन में दिखाया गया कि इस योजना के तहत की जा रही गतिविधियां सभी गावों में कमोबेश मानकीकृत हो गई थी, जिसमें स्थानीय परामर्श नहीं के बराबर था। आगे की चिंताओं में यह तथ्य शामिल है कि स्थानीय सरकार के भ्रष्टाचार के कारण समाज के कुछ ख़ास वर्गों को बाहर रखा जाता है। ऐसा भी पाया गया कि स्थानीय सरकारों ने काम में लगे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या से अधिक नौकरी कार्डों का दावा किया ताकि आवश्यकता से अधिक फंड को हासिल किया जा सके, जिसे फिर स्थानीय अधिकारियों द्वारा गबन कर लिया जाता है। जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए 50 रुपये तक की रिश्वत दी जाती है। मनरेगा का सबसे खतरनाक असर कृषि पर तथा आम अकुशल श्रमिकों पर नकारात्मक मनोविज्ञान प्रभाव के रूप में सामने आ रहा है। आम अनुभव यह बताता है कि गाँवों में अब खेतिहर मज़दूरों का तेजी से अभाव होता जा रहा है तथा खेती करना कठिन हो गया। अलग–अलग क्षेत्रों की रिपोर्टें बता रही हैं कि किसानों ने कम से कम मज़दूरों से पैदा होने वाली फ़सलों की ओर मुड़ना आरंभ कर दिया है या वे खेतों में फल आदि का पेड़ लगा रहे हैं। यही नहीं गावों में खेती से संबंधित मशीनों की ख़रीद भी बढ़ी है। जाहिर है कि जिसके पास क्षमता होगी वही मशीनें ख़रीद सकता है या भाड़े पर अपनी खेती में उसका उपयोग कर सकता है। हालांकि सरकार इससे इनकार कर रही हैं।

निष्कर्ष : मनरेगा की उपयोगिता बार बार साबित हुई है क्योंकि यू.पी.ए. सरकार के दौरान इसमें निरंतर सुधार व बढ़ोत्तरी हुई। विस्तृत सोशल ऑडिट, पारदर्शिता, पत्रकारों व बुद्धिजीवियों द्वारा जाँच–परख व लोकपाल की नियुक्ति के माध्यम से सरकार व नागरिकों ने मिलकर इसे मौजूदा आकार दिया। राज्य सरकारों ने सर्वश्रेष्ठ विधियों को अपनाकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पूरी दुनिया में गरीबी उन्मूलन के एक मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

सन्दर्भ :

1. पाशा, बिनो पॉल जीडी और एस. एम. फहीमुद्दीन, (20013) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में आई.सी.टी. की भूमिका, एस. एम. फहीमुद्दीन पाशात्र पृ0 59
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय (2012); एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. समीक्स, एन एन्थोलॉजी ऑफ रिसर्च स्टडीज ऑन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 2005, 2 "ग्रामीण विकास मंत्रालय", भारत सरकार, नई दिल्लीः ओरिएंट ब्लैकस्वान, पृ0 71
3. रॉय, अरुणा; डे, निखिल (2012); "अस्तित्व योजना से बहुत अधिक" हिन्दू, 21 नवंबर 2013
4. मालेकर, अनोश (21 मई 2006), "बड़ी उम्मीदः डूंगरपुर में पारदर्शिता नरेगा का प्रतीक है", InfoChange समाचार और सुविधाएँ, 25 अक्टूबर 2013
5. मेनन, सुधा (10 जनवरी 2008); "सूचना का अधिकार अधिनियम और नरेगाः राजस्थान पर विचार", म्यूनिख पर्सनल रीपेक, 25 अक्टूबर 2013

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 87-88

हिन्दी भाषा की कोड शब्दावली (Code Words) : प्रचलन और प्रयुक्ति

डॉ0 देवर्षि कुमार मिश्र*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0

सारांश : आज आधुनिक प्रशासनिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास के युग में बहुत से ऐसे गोपनीय तथ्य और सूचनाएँ होती हैं जिन्हें मात्र वांछित स्थान तक संप्रेषित करना होता है, इसके लिए कुछ शब्दों को अपने विशिष्ट अभिप्रेत अर्थ के लिए एक सीमित क्षेत्र में रूढ़ कर लिया जाता है। इन्हें कोड शब्द कहते हैं। कोड शब्द से मेरा प्रयोजन है वह सभी शब्द जो किसी बात के अर्थ को सीधे न उद्घाटित करते हुए व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ द्वारा किसी गुप्त अर्थ को द्योतित कराते हों; अर्थात अभीप्सित व्यक्ति तक किसी बात या संदेश को गुप्त रूप से प्रेषित करने हेतु जिन शब्दों, संकेतो, इशारों का प्रयोग किया जाता है तथा जिसे वांक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति समझने में अक्षम हो, वह 'कोड' है।

मुख्य शब्द : कोड, गूढ़, अभिप्रेत, कूटभाषा, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, लाक्षणिकता, संवेद्य, द्योतित, दिगम्बरीकरण, सतर्कता, संहिता, संकेतावली, डिक्शनरी, कम्प्रेहेन्सिव, उद्घाटित, प्रौद्योगिक, औद्योगिक आदि।

गोपनीय कार्य–व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए गुप्त–भाषा का निर्माण होता है। यह गोपनीयता, मनोरंजन, सुरक्षा, संगठन आदि अनेक कारणों से हो सकती है। सामान्यतः कूटपद का अर्थ है किसी गोपान–भाव को व्यक्त करने वाला शब्द। 'वृहत हिन्दी कोड' में 'कूट' शब्द को अर्थापित करते हुए इसे ''जटिल प्रश्न, व्यंग्य, अन्योक्ति, छल, धोखा, कपट, गूढ़,''[1] आदि के रूप में भी व्यक्त किया गया है। अंग्रेजी में कूटपद के लिए 'Code word' प्रचलित है। 'Oxford English Dictionary' ने Code को पारिभाषित करते हुए लिखा–"A word or phrase used to represent a massage for secrecy"[2] आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी गुप्त संदेश को वहन करने वाला शब्द कोडशब्द या कूटपद है। फादर कामिल बुल्के ने 'अंग्रेजी हिन्दी कोश' में Code के लिए– ''संहिता, विधि संग्रह, नियमावली कूट, संकेतपद्धति, संकेतिकी कूटबद्ध, कूटभाषा''[3] आदि शब्दों का उल्लेख किया है। **ए कम्प्रेहेन्सिव इंग्लिस हिन्दी डिक्शनरी में Code के लिए–** ''संकेतबद्ध, संक्षिप्त नाम, संकेतावलि''[4] आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। अतः उपर्युक्त परिभाषाओं एवं शब्दकोशों द्वारा 'कोड' के लिए दिए गए अर्थों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'कोड' शब्द का अर्थ है, गूढ़, गुप्त, छिपा हुआ, संकेतबद्ध, जटिल, टेढ़ा, व्यंग्य आदि। वैसे तो कोड शब्द के लिए विभिन्न अर्थों का प्रयोग कोशकारों ने किया है। किन्तु यहां कोड शब्द से मेरा प्रयोजन है वह सभी शब्द जो किसी बात के अर्थ को सीधे न उद्घाटित करते हुए व्यंग्यार्थ और लक्ष्यार्थ द्वारा किसी गुप्त अर्थ को द्योतित कराते हों; अर्थात अभीप्सित व्यक्ति तक किसी बात या संदेश को गुप्त रूप से प्रेषित करने हेतु जिन शब्दों, संकेतो, इशारों का प्रयोग किया जाता है तथा जिसे वांक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति समझने में अक्षम हो, वह 'कोड' है।

आज आधुनिक प्रशासनिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास के युग में बहुत से ऐसे गोपनीय तथ्य और सूचनाएँ होती हैं जिन्हें मात्र वांछित स्थान तक संप्रेषित करना होता है, इसके लिए कुछ शब्दों को अपने विशिष्ट अभिप्रेत अर्थ के लिए एक सीमित क्षेत्र में रूढ़ कर लिया जाता है, हिन्दी में इसे ही कूटपद या कूटशब्द की संज्ञा दी जाती है। इन कूटशब्दों का प्रयोग सेना, गुप्तचरों, भूमिगत कार्य करने वाले क्रान्तिकारियों तथा आपराधिक संगठनों आदि में बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है। यही नहीं प्रतिरक्षा तथा अन्य गोपनीय विभागों में गुप्त–कार्य संपादित करने के लिए पूरी–पूरी कोड–भाषा का निर्माण कर लिया जाता है। गुप्तचर सेवा में संदेश का संवहन करने की कोडभाषा प्रणाली को विशेष रूप में व्यवहार में लाया जाता है। सीमापार शत्रु–सेनाओं के कार्यकलापों पर नजर रखने एवं सीमा पर घटित होने वाली असामान्य गतिविधियों, सम्बन्धी सूचनाओं को युद्धकाल आदि की स्थिति में उचित ढंग से एवं त्वरित रूप से संवाहित करने में इन कोडपदों, एवं कोड संकेतों और गूढ़ लेखों को जिस गुप्तलिपि या भाषा के माध्यम से भेजा जाता है वह पूर्व नियोजित होती है। गुप्तचरों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देकर ऐसे गुप्त शब्दों, संकेतों एवं लिपियों आदि की संरचना का अभिज्ञान कराया जाता है। दूसरी ओर आधुनिक गुप्तचर संस्थाओं द्वारा टेलीफोन टेप करना तथा संकलित सूचना को कोडशब्दों एवं संकेतों द्वारा त्वरित रूप से संदेश–संवहण करने के अतिरिक्त शत्रु–समाज के गूढ़ शब्दों एवं लेखों के रहस्य का पता लगाने सम्बन्धी गतिविधियां भी शामिल हैं। वास्तविकता यह है कि किसी भी देश की सुरक्षा में सशस्त्र सेनाओं के साथ–साथ गुप्तचर संगठनों की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। सरकार के गुप्तचर विभाग में कोडपदों तथा कोडाक्षरों का भंडार भरा पड़ा है, जो गोपनीयता भंग न हो, इस कारण जन–सामान्य के बीच प्रकाशित नहीं किया जाता। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तथा अन्य छोटे–छोटे युद्धों में इस कोडभाषा की उपादेयता सर्वविदित है। 'कोडपद' हमारे समाज में दो रूपों में प्रचलित है। एक तो वे हैं जिन्हें सरकार या प्रशासन तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों एवं उपक्रमों द्वारा अपनी कार्य–प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्मित किया जाता है इनमें– रक्षा, गुप्तचर विभाग, संचार, विभिन्न, विभागों के तार कोड तथा प्रौद्योगिक एवं व्यवसायिक कोड आते है। दूसरे वे है जो समाज में प्रचलित विभिन्न शब्दों को अपने अभिप्रेत अर्थ में रूढ़ कर सामान्य जनता द्वारा प्रयोग में लाये जाते हैं। अस्तु, प्रशासन एवं अन्य संगठनों द्वारा निर्मित कोडपद एक व्यवस्थित और सैद्धान्तिक प्रक्रिया के द्वारा सृजित किए जाते हैं तथा दूसरे व्यवहारिक कोडपदों का कोई व्यवस्थित सांचा नहीं मिलता अपितु वे प्रायः प्रचलित शब्द के लाक्षणिक अर्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कोडपदों का प्रचलन अत्यन्त समृद्ध है। मुख्य रूप से सतर्कता अधिष्ठानों आदि में इनकी उपादेयता असंदिग्ध

है। सतर्कता विभाग के कोडपद इतने गोपनीय होते हैं कि वह किसी भी प्रकार से जन–सामान्य संवेद्य नहीं है। यथा–राज्य के मुख्यमंत्री के लिए वहाँ कोडपद 'पी0 पी0' का प्रयोग होता है। पुलिस उपमहानिरीक्षक के लिए 'टाइगर' शब्द का प्रयोग होता है। इमरजेंसी–काल में इंदिरा गाँधी के लिए कोडपद 'जेब्रा' का प्रयोग होता था। वस्तुतः इन सारे कोडपदों को गोपनीयता तथा संभावित खतरे को टालने की दृष्टि से प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिरक्षा और गुप्तचर विभाग (C.B.I) आदि में कोडपदों के द्वारा ही बड़े आपराधिक षड़यंत्रों का दिगम्बरीकरण तथा उनकी धर–पकड़ कर पाना सम्भव होता है। क्योंकि ऐसी गुप्त भाषा के अभाव में इन विभागों की रणनीति का खुलासा होने का खतरा बना रहता है। अस्तु सरकार के गुप्तचर विभाग की भाषा में कोडपदों तथा कोडाक्षरों का भंडार भरा पड़ा है जो गोपनीयता भंग न हो इस कारण जन–सामान्य के मध्य प्रकाशित नहीं किया जाता। सतर्कता एवं रक्षा प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त सरकार के अन्य केन्द्रीय कार्यालयों, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार आदि में भी बहुत से कोडपदों एवं तारकूडों का प्रयोग हो रहा है। उदाहरण स्वरूप रेलवे में प्रयुक्त होने वाले कतिपय हिन्दी कोडपद दृष्टव्य है। अतः कोडशब्दों की यह परम्परा आज अपने पूर्ण विकसित एवं व्यवस्थित रूप में दृष्टिगोचर होती है। वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बढ़ते चरण शीघ्रता, संक्षिप्तता तथा गुप्तचर्या आदि के लिये ढेरों संक्षिप्तियों एवं कोडपदों के निर्धारण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यद्यपित इन क्षेत्रों में निर्मित होने वाले कोडशब्द (Code words) अभी अधिकांशतः अंग्रेजी में ही निर्मित हो रहे है किन्तु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भाषा के रूप में हिन्दी की दखल सुनिश्चित होने साथ ही ये कूटपद हिन्दी भे प्रयुक्त होना शुरू हो जायेंगे। वस्तुतः हिन्दी को कम्प्यूटर भाषा बनाने के लिये उसके सभी कोड (Code) और कमांड (Command) हिन्दी में ही होने चाहिए। यद्यपि इस दिशा में एक सार्थक पहल हो चुकी है अब कम्प्यूटर इंटरनेट पर हिन्दी में ''वेबदुनिया'' नामक वेबसाइट शुरू हो चुकी है, जो हिन्दी के द्वारा कम्प्यूटर के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी कदम साबित होगा। इस प्रकार हिन्दी में कोडशब्द का निर्माण और प्रयोग भारत को धरातलीय विकास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दृष्टि से हिन्दी कोडशब्द का भविष्य अत्यन्त उज्जवल है।

मौसम और कृषि मौसम विवरण शामिल है.

मामूली मौसमी तार – डब्ल्यू

मामूली अन्तर्देशीय प्रेस तार – क्यू

अतः विभिन्न विभागों में सर्वेक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि हिन्दी में मौलिक रूप से निर्मित कोडपदों का प्रयोग कार्यालयों में अभी यदा–कदा ही हो रहा है हाँ अंग्रेजी से नागरी में इनका प्रचलन पूरी तरह से हो चुका है। कार्यालयों तथा विभिन्न सरकारी विभागों में हिन्दी के कूट न होने के पीछे दो कारण समझ में आते हैं। एक तो भारतीय प्रशासन का ढांचा पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा बनाये गये नियम कानूनों के आधार पर ही निर्भर है इसलिए तब से चलन में आ रहे कोडपदों को उसी रूप में हिन्दी में अपना लिया गया। दूसरा, हिन्दी कोडों के प्रयोग में शिथिलिता इसलिए भी है क्योंकि प्रचलित सभी कोडपद/कोडाक्षर राष्ट्रीय स्तर के हैं इनके मूलभूत परिवर्तन से अहिन्दी–भाष राज्यों में कार्य अवरूद्ध हो सकता है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि प्रतिरक्षा, सतर्कता/अभिसूचना, डाक, दूरसंचार, रेलवे आदि विभिन्न विभागों में कोडशब्दावली का प्रयोग हो रहा है। इन कोडपदों के माध्यम से प्रायः गुप्त संदेशों, सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है जिसे विभाग से सम्बन्धित व्यक्ति ही उन कूट शब्दों का पल्लवन कर उनके अर्थ को समझ सकता है। अतः कार्य की सुगमता, शीघ्रता, संक्षिप्तता एवं गोपनीयता की दृष्टि से वृहत परिमाण में कोडशब्दों का निर्माण किया गया है।

कोडपदों (Code words) का एक दूसरा पहलू भी है। कभी–कभी गुप्त संदेशों को कोड–शब्दों के बजाय कोडांको, कोडचिह्नों तथा कोडलिपियों द्वारा भी वांछित व्यक्ति और स्थान एक संप्रेषित किया जाता है। भारतीय डाक विभाग में कोडांको का प्रचलन बहुतायत से होता है। विभिन्न प्रकार के बधाई–संदेशो को भेजने के लिए मात्र कुछ कोडांक द्वारा ही काम लिया गया है। यथा– निष्कर्षतः गुप्चर्या अर्थात् गुप्त कार्यों को सम्पन्न करने के प्रक्रिया में कोडशब्द, कोडभाषा, कोडचिह्न, कोडांक और कोडलिपि आदि का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। प्रथमतः कोडपद का तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो विभिन्न विभागों द्वारा वांछित व्यक्ति या स्थान तक गुप्त अर्थों का संप्रेषित करने के लिए एक सैद्धान्तिक और व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत बनाए जाते हैं जिनका अर्थ नितांत गोपनीय और गुह्य होता है। दूसरे वे कोड शब्द है जिनका प्रयोग उनके दोहरे अर्थ की दृष्टि से किया जाता है। अर्थात् सामान्य–प्रचलन में उस शब्द का अर्थ अभिधार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है किन्तु उस शब्द से ध्वनित होने वाले लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ को हम कोडभाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिस अर्थ तक सहजतया सामान्यजन की बुद्धि नहीं पहुँच पाती। इस प्रकार वह शब्द भी कोडपद के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त 'कोड' (Code) अपने व्यापक संदर्भों में कूटचिह्नों, कोडांक तथा कोडलिपि को भी प्रकृत्या अपनी अर्थ–दीर्घा में समेट लेते हैं। अतः व्यापक आर्थों में कोडपदों से हमारा प्रयोजन उन सभी शब्दों चिह्नों अंको, लिपियों एवं भाषाओं से है जो किसी न किसी रूप में गुप्त अर्थ को प्रकट करते हैं तथा गुप्त अर्थों या संकेत अर्थों के लिए व्यवहृत होते है।

सन्दर्भ :

1. 'वृहत हिन्दी कोश'– सम्पादक कालिका प्रसाद, ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी, संवत 2020, पृ0–308
2. Oxford English Dictionary',Edited by Helen Liebock and etaine pollard,London Press,Oxford,Page NO.94
3. अंग्रेजी हिन्दी कोश', फादर कामिल बुल्के, तृतीय संस्करण, 1984, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी, पृ0–115
4. ए0 कम्प्रेहेन्सिव इंगलिश हिन्दी डिशनरी इण्टरनेशनल एकेडमी ऑफ इण्डियन कल्चर, नई दिल्ली, 1976, पृ0–364
5. 'दूर–संचार नियम पुस्तिका', छठवाँ संस्करण, 1986, वॉल्यूम 2

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 89-90

कश्मीर की समस्या राजनैतिक इतिहास

डॉ0 दिनकर मणि त्रिपाठी*
*ग्राम –बनरही, पो0–नईयापार खुर्द, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ निश्चय एवं जनता को समान बनाने के दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि जम्मू–कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास आज है, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ निश्चय तथा उस बारे में, की यगी कार्यवाही के कारण। ''चौरासी हजार चार सौ इकहत्तर वर्गमील क्षेत्रफल तथा चालीस लाख इक्कीस हजार छः सौ सोलह की जनसंख्या (क्षेत्रफल 84,471 तथा जनसंख्या 40,21,616) वाले इस राज्य पर स्वतंत्रता के समय कश्मीर राज्य पर ठाकुर हरि सिंह का शासन था। श्री एन0 गोपालस्वामी आयंगर, महाराज सिंह तथा श्री बी0एन0 राव जैसे सुयोग्य प्रशासकों के परिश्रम के कारण वहाँ का शासन बड़ा उत्तरदायी था। स्वयं महाराजा हरि सिंह परिश्रमी तथा राज्य की प्रजा की आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य करने वाले थे। वे भी आम राजाओं की भाँति अपना शासन दीवानों के माध्यम से ही करते थे।

''सन् 1932 में शेख अब्दुल्ला ने जो लोकप्रिय आन्दोलन कश्मीर में चलाया था, उसके फलस्वरूप शासन को उदार बनाने का पहला कदम उठाया गया। वहाँ उसकी संस्था अखिल जम्मू तथा कश्मीर मुस्लिम कांग्रेस के नाम से पुकारी जाती थी। 1939 में आन्दोलन का कौमी स्वरूप समाप्त कर दिया गया और संस्था नेशनल कांफ्रेन्स के नाम से जानी जाने लगी थी। नेशनल कांफ्रेन्स महाराजा के विरूद्ध आन्दोलन चलाती रही तथा 1946 में कांग्रेस के आन्दोलन से प्रेरणा लेकर शेख अब्दुल्ला ने महाराजा के विरूद्ध कश्मीर छोड़ो आन्दोलन छेड़ दिया। इसके फलस्वरूप उनको गिरफ्तार कर जेल की सजा दी गयी।

इसी समय से सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा नेहरू जी दोनों कश्मीर राज्य के मामलों में रूचि लेने लगे थे। नेहरू जी स्वयं एक कश्मीरी थे (यद्यपि उनके पूर्वजों ने पीढ़ियों पूर्व उस राज्य को छोड़ दिया था।) इस कारण उनका दृष्टिकोण राज्य की समस्याओं के प्रति भावुकतापूर्ण था जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृष्टिकोण भिन्न था। इसीलिए सरदार वललभ भाई पटेल ने राज्य सरकार को यह सलाह दी कि ''शेख अब्दुल्ला के साथ मैत्रीपूर्ण समझौता कर ले जिससे न तो राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचे और ने ही उससे भविष्य में महाराजा एवं प्रजा के मध्य सम्बन्ध बिगड़ेंगे।

जून 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा के उपरान्त कश्मीर की परिस्थितियाँ बदली और समस्यायें भी बढ़ गयी। यद्यपि राज्य में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी किन्तु वहाँ भारत विरोधी कोई संघर्ष नहीं रहा था। जम्मू क्षेत्र के सभी कश्मीरी चाहे वे घाटी के हिन्दू, लद्दाख के बौद्ध तथा कश्मीर के मुसलमान हो भाषायी दृष्टि से पंजाबी थे तथा वे पाकिस्तानी परिवेश से बिल्कुल भिन्न थे। इसीलिए पाकिस्तान के साथ उनके मिलने का कोई औचित्य भी न था। सामरिक दृष्टि से कश्मीर के लद्दाख वाले भाग का जो चीन तथा रूस जैसी महान शक्तियों की सीमा से मिलता था, का विशेष महत्व था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह स्पष्ट मत था कि जम्मू और कश्मीर राज्य को पाकिस्तान के साथ नहीं भारत के साथ जुड़ना चाहिये। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराजा से स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू एवं कश्मीर का हित बिना विलय किये भारत के साथ जुड़ने में है लेकिन क्षेत्र के महत्व की दृष्टि से एवं उसके सामने खड़ी समस्याओं के बावजूद महाराजा ने यह निर्णय नहीं लिया। क्योंकि वे स्वतंत्र रहना चाहते थे जो असम्भव था।

पाकिस्तान सरकार कश्मीर पर बड़ी आस लगाये बैठी थी। जूनागढ़ एवं हैदराबाद के विशेष संदर्भ में उसने कश्मीर को नापा था। किन्तु कश्मीर की भिन्न संस्कृति एवं भाषा तथा रीति–रिवाजों के कारण वे सफल नहीं हो सके और इसी कारण विद्वेषवश कश्मीर विरोधी बन जाने का मार्ग चुना। ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह उनका प्रतिकार करने में अक्षम थे जिसका प्रमुख कारण उनकी सेना का दुर्बल होना था। ऐसी परिस्थिति में भी कोई निर्णय नहीं ले सके। इसी बीच ''23 अक्टूबर 1947'' तक आक्रमणकारी श्रीनगर में घुसने का प्रयास करने लगे, राज्य का काफी भाग जिसमें गिलगित भी था, शत्रु के हाथ में चला गया और राजधानी तथा कश्मीर घाटी के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया। ऐसे में निराश होकर महाराजा ने भारतीय सरकार से सैनिक सहायता की अपील की तथा अन्य देशी राज्यों की शर्तों पर ही प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था के विषयों में भारत सरकार के साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखा। इसके उपरान्त भारत सरकार ने कश्मीर की घाटी को आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए त्वरित गति से अपनी सशस्त्र सेनायें भेजी।'' जिसका विरोध करते हुए लार्ड माउन्टबेटन तथा अनेक सैनिक अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि यह कार्रवाई खतरनाक सिद्ध होगी। सैनिक कार्रवाई सफल हुई और अन्त में कश्मीर राज्य के अधिकतर भाग को बचा लिया गया।

कश्मीर राज्य का जितना हिस्सा आज भारत के हिस्से में बचा है उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा तथा निर्णय लेने की क्षमता को जाता है क्योंकि भारत सरकार द्वारा सेना भेजने का जो निर्णय लिया गया उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका ही निर्णायक थी। बक्शी गुलाम मोहम्मद जो कि स्वयं सभा में उपस्थित थे। इस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जब सभा हुई तो –

''लार्ड माउन्टबेटन सभापति थे, पण्डित जी, सरदार बलदेव सिंह, प्रमुख सेनापति जनरल व्लूशर, थल सेना के सेनापति जनरल रसेल तथा मैं वहाँ मौजूद था। जनरल व्लूशर ने दृढ़ता से कहा कि मेरे पास उपलब्ध सामग्री इतनी कम है कि राज्य की सैनिक सहायता सम्भव नहीं होगी।'' लार्ड माउन्टबेटन ने भी जान बूझकर इस कदम के विषय में अविश्वास प्रकट किया। पण्डित जी ने उत्कृट अधीरता और गहरी चिन्ता व्यक्त की। सरदार वल्लभ भाई पटेल सुनते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। वे शान्त सन्तुलन एवं समता की मूर्ति बने रहे। मीटिंग में निराशा और लाचारी का जो गम्भीर वातावरण फैला था, उसके सामने सरदार वल्लभ

भाई पटेल का मौन अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा। एकाएक सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी कुर्सी पर हिले और तुरन्त ही उनके कठोर तथा दृढ़ आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा–सेनापति सुन लीजिये। साधन सामग्री हो या न हो परन्तु किसी भी कीमत पर कश्मीर की रक्षा करनी होगी, भले उसका परिणाम जो भी हो। आपको यह काम करना ही होगा और भारत सरकार सारी सहायता आपको देगी। यह काम होना ही चाहिये और होना ही चाहिये। आप लोग जो करना चाहें, हर हालत में करें। सेनापति आतंकित दिखाई दिये और मेरे भीतर आशा की किरण प्रस्फुटित हुई। सेनापति चुपचाप उठे और बोले–''कल सुबह सैनिकों और युद्ध सामग्री को विमान से ले जाने की व्यवस्था तैयार रहेगी। इस प्रकार की भारी कठिनाई के बावजूद कश्मीर की रक्षा सरदार वललभ भाई पटेल की निर्णायक शक्ति और दृढ़ संकल्प का परिणाम थी।

राज्य का अधिकांश भाग तो बचा लिया गया लेकिन अब जो भाग पाकिस्तान के कब्जे में आया था, उस पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में लार्ड माउन्टेबेटन ने जिन्ना के सामने एक ऐसा सूत्र स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ऐसी व्यवस्था हो, कि राज्य के राजा वह राज्य कि उपनिवेश के साथ जुड़े, यह प्रश्न निष्पक्ष मतदान द्वारा वहाँ की जनता से आत्म निर्णय द्वारा निपटाया जाए। भारत सरकार ने भी जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में यह निश्चित किया कि भारत सरकार राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित होते ही राज्य की भूमि से हमलावरों के हटते ही यह स्वीकार करेगी कि उसके किसी एक देश के साथ मिलने का प्रश्न जनता की इच्छा जानकर ही हल किया जाए। पाकिस्तान के साथ हुई चर्चा में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि राज्य में जनमत संग्रह संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्ग–दर्शन में किया जाये। इसे जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया। तदुपरान्त लार्ड गाउन्टबेटन के अनुरोध पर इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से मध्यस्थता करने की अपील की गयी तथा एक जनवरी 1948 संयुक्त राष्ट्र के समक्ष विधिवत यह शिकायत रखी गयी, जो आज 60 वर्षों से भी अधिक समय से ज्यों का त्यों है। आज भी यह गम्भीर समस्या के रूप में सामने है। राष्ट्रीय दृष्टि से न केवल यह राज्य भारतीय संघ के अन्य घटकों से संविधान में विशिष्ट स्थिति रखता है अपितु राज्य में कुछ तत्व आज भी भारत के साथ उसके मिलने तथा भारत के साथ उसे सम्बन्धों के बारे में प्रश्न उठाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वह सदा संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य सूची पर बना रहता है और पाकिस्तान समय–समय पर कम या अधिक, हिंसा या तीव्रता से उसे वहाँ उठाता रहता है। यही नहीं, अपितु समस्या प्रारम्भ होने से आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षक भारत और पाकिस्तान द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर में रहते है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहले से कहना था कि इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ को नहीं सौंपा जाए, क्योंकि उनका मानना था कि ''जिस प्रकार बाद में अन्य राज्यों की समस्या का समाधान हुआ उसी प्रकार कश्मीर का प्रश्न भी हल होना चाहिए।'' उनका यह भी मानना था कि दूसरे यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में महाशक्तियों के मध्य, शक्ति की राजनीति में फँस जायेगा, इस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समस्या को वहाँ ले जाने के विरूद्ध थे। वह देश को वादी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष खड़ा करना नहीं चाहते थे। वस्तुतः उनकी बातें सत्य थी और आज भी सत्य है। इस समस्या के कारण आज भी अपना देश संयुक्त राष्ट्र के दलदल में फँसा हुआ है। जिसका भविष्य में भी कोई समाधान अब दिखाई नहीं देता है।

जब संयुक्त राष्ट्र को यह मामला भेज दिया गया तब उसका उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय नेहरू जी के अधीन होने के कारण उनके पास चला गया। इस समस्या का समाधान न होने के कारण यह समस्या तलवार की भाँति हमारे सिर पर आज तक लटक रही है। यदि यह प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया जाता तो इसका समाधान तभी हो गया होता क्योंकि यह समस्या हैदराबाद से अधिक कठिन नहीं थी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक बार इसी आशय का प्रस्ताव लेकर ''शेख अब्दुल्ला तथा बक्शी गुलाम मोहम्मद इस विनती के साथ पहुँचे थे कि यह समस्या वे अपने हाथ में ले लें'' किन्तु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कश्मीर का प्रश्न, विशेष उत्तरदायित्व के साथ नेहरू जी के विचाराधीन है, अतः इसका निपटारा वे कैसे कर सकते हैं। किन्तु कश्मीर का जितना भाग आज हमारे पास है तथा भारत की अन्य देशी रियासतें जिनका एकीकरण सरदार वललभ भाई पटेल ने अपनी अद्वितीय सूझबूझ निर्णायक पूर्ण दृष्टि, निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ता एवं जूझने की कला से किया यह उनको भारत का महान संगठनकर्त्ता तथा विश्व में एक उदाहरण स्थापित करने वाला सिद्ध करता है।

सन्दर्भः

1. हिन्द के सरदार, राजवीभाई, मणिभाई पटेल, पृ0–318
2. राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल, आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री, पृ0–161
3. पटेल, राव जी भाई मणि भाई, पूर्वो, पृ0–65–66
4. भारत की एकता के निर्माण, सरदार पटेल के भाषण (1947–50), प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1970, पृ0–133
5. सरदार साहित्य माला सम्पुट, अहमदाबाद, 1089, पृ0–15
6. हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 जुलाई, 1945
7. पटेल, रावजी भाई, मणि भाई, पूर्वो, पृ0–65–68
8. वास, सेठ गोविन्छ, पूर्वो, पृ0–94–100

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 91-92

प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन : पुरातात्विक स्रोतों के विशेष सन्दर्भ में

डॉ० अशोक कुमार पाल*
*असिस्टेण्ट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, राष्ट्रीय पी०जी० कालेज, सुजानगंज, जौनपुर (उ०प्र०)

सारांशः मानव में सहभागिता एवं सहयोग की भावना एक सहज प्रवृत्ति है। सभ्यता के आरम्भिक अवस्था में जब व्यक्ति शिकारी जीवन व्यतीत करता था, तो भी वह समूह में ही एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भ्रमण करता था। आगे चलकर विकसित अर्थव्यवस्था के कारण अनेक उद्योगों एवं व्यवसायों को अपनी वृत्ति का प्रमुख संसाधन बनाया। इन शिल्पियों एवं व्यवसायियों को दीर्घ यात्राएँ करनी पड़ी थी। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए एक ही शिल्प एवं व्यवसाय में निमित्त व्यक्ति संगठित होने लगे, परिणामतः आर्थिक संगठनों का अभ्युदय हुआ। ऐसे संगठित व्यापारिक समूह को संघ, पूग या श्रेणी कहा गया है। श्रेणी संगठन का अंकुर वैदिककाल में ही प्रस्फुटित हो चुका था। प्राचीन भारतीय साहित्य में आर्थिक संगठनों के लिए कुल, पूग, निकाय, जाति, व्रात, संघ, समुदाय, समूह परिषद, वर्ग, सार्थ, निगम आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आगे चलकर इनका व्यापक प्रचलन स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जिसकी सूचना हमें अभिलेखिक एवं मौद्रिक साक्ष्यों से प्राप्त होती है।

पूर्व मध्यकाल में परिवर्तित राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव से श्रेणी संगठन अछूता न रह सका। उत्तरदायी कारणों के अन्तर्गत बड़े राज्यों का अभाव, राजाओं एवं सामन्तों के आपसी संघर्ष, मुसलमानों के आक्रमण से उत्पन्न अराजकता का प्रभाव उद्योग एवं व्यापार पर पड़ा। व्यापार–वाणिज्य के पतन होने से नगरों का विध्वंस प्रारम्भ हो गया। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव श्रेणी संगठनों पर पड़ा। क्योंकि अधिकांशतः श्रेणियां नगरों में अवस्थित थी। दूसरे कारण के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत शासन न होने से उनकी गतिविधियां क्षेत्र विशेष तक सीमित होकर रह गयी। परिणामतः श्रेणी संगठनों के बीच समन्वय नहीं रह गया। तीसरा सामन्तीय व्यवस्था के व्यापक प्रचलन के कारण सामन्त और जागीरदार श्रेणी संगठनों से मनमाना धन वसूल करने लगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और वे पहले की तरह समृद्धशाली नहीं रही। प्रशासन के अन्तर्गत श्रेणी संगठनों के प्रतिनिधियों का स्थान सामन्तों ने ले लिया, जिसके कारण वे राज्य प्रशासन से दूर होती चली गयी, जिसकी समस्याओं से राजा भी अनभिज्ञ रहे। लोगों में श्रेणी के प्रति अविश्वास उत्पन्न होने लगा और वह धन–दान के लिए श्रेणियों में न जमा करके मन्दिरों में जमा करने लगे। यद्यपि मन्दिर तथा मठ जमा की गयी धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देती थी तथापि उन्हें श्रेणी संगठनों की तुलना में वरीयता दी जाने लगी। स्पष्ट है कि आगे चलकर इनकी प्रतिष्ठा में काफी कमी आ गई थी। मेधातिथि का कहना है कि श्रेणियों के सदस्य आपसी झगड़ों का निबटारा स्वयं न करके राजाओं से कराते थे।[1] इस काल में अधिकतर श्रेणियां अपने मौलिक रूप को समाप्त कर जातियों का रूप ले ली थी। इसी संदर्भ में स्मृतिचन्द्रिका[2] तथा मित्रमिश्र[3] ने श्रेणी का अर्थ 18 नीची जातियों का संगठन को बतलाया है। जिन्हें वरसूरी ने सुनारों, कुम्हारों, लोहारों, धोबियों एवं अन्य शिल्पियों की श्रेणियों को अधम जाति का कहा है।[4] अभिलेखों में भी 18 प्रकृतियों का वर्णन मिलता है।[5] इतना तो स्पष्ट है कि इस काल में इनकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुँचा, किन्तु उसका प्रभाव स्थाई नहीं था। क्योंकि इसके विपरीत इस काल में साहित्य एवं अभिलेखों में समृद्धशाली संगठन के रूप में श्रेणियों का सन्दर्भ प्राप्त होता है। जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों की मदद हेतु तत्पर रहती थी। हर्षचरित[6] के अनुसार राजश्री के विवाह के अवसर पर आवश्यकता की वस्तुएँ बनाने हेतु बढ़ाई और चितेरों की श्रेणियां नियुक्त की गई थी। अतः यह प्रमाणित हो जाता है कि प्राचीन काल में आर्थिक संगठन हुआ करते थे। इनके संगठित होने का कारण जो भी रहा हो– (i) चोर, डाकुओं तथा मानवीय आपत्तियों से सुरक्षा, (ii) सामूहिक लाभ। उपरोक्त दोनों कारण समीचीन प्रतीत होते हैं।

लक्ष्मणेश्वर से प्राप्त 793 ई० के एक लेख में जुलाहों के एक संघ का उल्लेख मिलता है। 877 ई० के ग्वालियर लेख में सर्वेश्वरपुर के तौलियों की श्रेणियों का और गोपगिरी के मालियों की श्रेणियों का सन्दर्भ प्राप्त होता है। इसी अभिलेख में आगे उल्लिखित है कि नगर के शासन का उत्तरदायित्व श्रेष्ठि और सार्थवाह की प्रतिनिधि संस्था पर था।[7] आगे दसवीं सदी के एक शिलालेख में उत्तर भारत के घोड़ों के व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है। इसी सदी के सिमादोनी लेख से तमोली, तेली तथा कलार आदि के संघों के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। दसवीं सदी के ही लक्ष्मणराज के करतलई शिलालेख में वागुलिकों (शिकारियों) के संघों का तथा विजयसेन के देवपाड़ा लेख में शिल्पी संघ का उल्लेख मिलता है। 1083 ई० का बेलगाँव से प्राप्त एक अभिलेख में एक संघ का उल्लेख मिलता है, जिसका 18 शहरों में कार्यालय था।[8] नदलाई अभिलेख से अनाज के व्यापारियों, तेलियों, मालियों, घोड़ों के व्यापारियों तथा पान, ताम्बूल बेचने वाली श्रेणियों के सन्दर्भ प्राप्त होते हैं।[9] आबू पर्वत से प्राप्त लेख में संघों के अन्तर्गत अध्यापिकाओं, ज्योतिषियों, धर्मशास्त्रियों, पुजारियों, सिपाहियों, नक्काशों, वास्तुकारों, माला बनाने वालों, चिकित्सकों, नाइयों, शिकारियों, कसाइयों, कुम्हारों तथा नाविकों का उल्लेख प्राप्त होता है।[10]

श्रेणी का एक प्रधान होता था, जिसके लिए प्रधान मुख्य, महर, महन्तक, श्रेष्ठि, महाश्रेष्ठि, महागणस्य तथा राजा जैसे श्रेणी प्रमुख सूचक शब्द प्राप्त होते हैं। जो समाज में उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इस काल में श्रेणियों द्वारा विभिन्न कार्यों को सम्पादित किये जाते थे। जिस प्रबन्ध पद्धति द्वारा श्रेणियाँ कार्यों को सम्पादित करती थी, उसका प्रधान एक अध्यक्ष होता था जिसकी सहायता के लिए दो, तीन या पाँच अधिकारी होते थे। जिसकी सूचना ग्वालियर अभिलेख से भी ज्ञात होती है।[11] इस सन्दर्भ में बृहस्पति का कथन है कि केवल वही व्यक्ति प्रबन्ध अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं जो ईमानदार, वेदों एवं अपने

कर्तव्यों का ज्ञाता, योग्य, आत्मसंयमी, उच्च कुल वाले तथा जो प्रत्येक कार्य में निपुण हो।[12] इनसे यह अपेक्षा रखी जाती थी कि व्यवहार नियमानुसार करें, जिसका अनुमोदन राजा भी करें, क्योंकि ये विधानों के अधिकारी के रूप में प्रख्यात होते थे।

पुरातात्विक स्रोतों से श्रेणियों के विविध कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। इस काल में श्रेणियाँ बैंकों के रूप में कार्यरत थी। इनके पास अक्षयनीवि के रूप में धन जमा किया जाता था। इस जमा धन को नगर (निगम) कार्यालय में रजिस्टर्ड कराया जाता था। जमा धनराशि से प्राप्त ब्याज को जमाकर्ता के इच्छानुसार पुण्य कार्य में खर्च किया जाता था, किन्तु पूर्वकाल की अपेक्षा उसमें काफी कमी आ गई थी। 700 ई० के मथुरा से प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि राजा शिव मन्दिर में प्रतिदिन फूल चढ़ाने के लिए मालाकारों की श्रेणी के पास कुछ धनराशि जमा कर रखा जाता था।[13] वस्तुतः उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में धन जमा करने के अधिक उल्लेख प्राप्त होते हैं। श्रेणी संगठन द्वारा न केवल बैंकिंग कार्य अपितु आर्थिक और धार्मिक कार्य सम्पन्न होते थे। मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने भव्य सूर्य मन्दिर का निर्माण करवाया था, जिसके भग्न होने पर उनकी मरम्मत भी करवायी। श्रेणी संगठन द्वारा सामाजिक एवं जन कल्याणकारी कार्य भी सम्पन्न किया जाता था। विक्रम चोल के एक अभिलेख से व्यापारिक संघ का उल्लेख मिलता है।[14] इसी प्रकार मणिग्रामम्[15] नामक व्यापारिक निगम का उल्लेख प्राप्त होता है।

इस प्रकार श्रेणी संगठन को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये श्रेणियां आर्थिक रूप से अत्यन्त सम्पन्न होती थी, जिनके द्वारा अनेक कार्य सम्पादित किए जाते थे। प्राचीन काल में बदलते हुए परिवेश के कारण श्रेणी संगठन भी अपरिवर्तित न रह सकी। श्रेणियों के कार्यों एवं संगठनों में निरन्तर परिवर्तन देखने को मिला।

सन्दर्भः

1. मेधातिथि, मनुस्मृति पर टीका, कलकत्ता, 1932–39, 8 / 12.
2. स्मृतिचन्द्रिका व्यवहारकाण्ड, भाग–1, पृष्ठ 40.
3. वही, पृष्ठ 12.
4. कथाकोश प्रकरण, पृष्ठ 116.
5. एपीग्राफिया इण्डिया, 2 / 200
6. वृहस्पति स्मृति, 17 / 5.
7. एपीग्राफिया इण्डिया, 1 / 159–60.
8. इण्डियन एक्टिक्वेरी, 5 / 344
9. वही, 11 / 50–5.
10. वही, 7 / 50.
11. वृहस्पति स्मृति, 17 / 18.
12. एपीग्राफिया इण्डिया, 1 / 159.
13. वही, 32 / 25
14. गवर्नमेंट एपीग्राफिया रिपोर्ट 1915, पृष्ठ 478.
15. एपीग्राफिया इण्डिया 2 / 88.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 93-94

हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के उद्भव की पृष्ठभूमि

डॉ0 दयानन्द पाण्डेय*
*सहायक प्रोफेसर, श्री गुरू गोरक्षनाथ पी0जी0कालेज, जोगिया, घुघली–महराजगंज, उ0प्र0

सन्दर्भ : पत्रकारिता और शिक्षा का सम्बन्ध अटूट है, यदि शिक्षितों की संख्या नहीं बढ़ती तो पत्रकारिता का विकास असंभव था। 18 वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारतीय कला संस्कृति तथा उद्योग–धन्धों को गहरा आघात पहुँचाया था। परिणामस्वरूप भारत में धीरे–धीरे निर्धनता की बाढ़ आ रही थी। शिक्षा का प्राचीन स्वरूप नष्ट हो रहा था, परन्तु कुछ उदारवादी दृष्टिकोण रखने वाले अंग्रेजी प्रशासकों ने भारत में शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया। साथ ही कुछ अंग्रेजी प्रशासक भारत में शिक्षा के विकास का विरोध कर रहे थे। इसी प्रकार का विरोध पत्र कोर्ट आफ डायरेक्टर्स ने गवर्नर जनरल को 5 सितम्बर, 1827 को दिया। अट्ठारहवी शताब्दी के समाप्ति के समय प्रशासकों को प्रशासन हेतु शिक्षित आदमी नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। इस समस्या के निराकरण हेतु कुछ कालेजों की आधारशिलाएं रखी गईं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के उद्भावक लार्ड मैकाले थे। उन्होनें अपने उद्देश्य पूर्ति की परिभाषा भी दी ''हमें ऐसे वर्ग को बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और लाखों के मध्य एक कड़ी बने। यह वर्ग रक्त तथा रंग में भारतीय हो और अभिरूचि विचार शब्दों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस कार्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप विशेषतया हिन्दी के विकास में अंग्रेजी ने एक नई समस्या उत्पन्न कर दी''।

अनेक समस्याओं और मुश्किलों को देखते हुए हिन्दी का प्रबुद्ध वर्ग और प्रयत्नशील हुआ। प्रेस की स्थापनाएं, विलियम बोल्ट का पोस्टर और हिकीज गजट ने भारतवासियों में चेतना का उन्मेष किया। उनकी ऑखें खुलीं, उन्हें स्फूरण हुआ, वे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए व्यग्र हो उठे। इसी व्यग्रता की सहज परिणित थी, कि 30 मई, 1826 ई0 को उदंण्ड मार्तण्ड के रूप में 'हिन्दी पत्रकारिता' का उद्भव हुआ। हिन्दी पत्रकारिता के उदय के विषम परिस्थितियों कों रेखाचित्र करते हुए प्रेम चन्द गोस्वामी लिखते है ''भारतीय पत्रकारिता की पृष्ठभूमि में अनेक सरकारी विरोध दमन एवं शोषण और बलिदान के प्रसंग रहे हैं। इन परिस्थितियों को पार करती हुई भारतीय भाषाओं के सहारे पत्रकारिता ने चलना सीखा। कोलकता के जीवन में ही 'हिन्दी पत्रकारिता' का विकास हुआ और इसी के परिणामस्वरूप हिन्दी के प्रथम साप्ताहिक पत्र 'उदंण्ड मार्तण्ड' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ।''

'उदंण्ड मार्तण्ड' साप्ताहिक 1826 ई0 में कोलकाता के कोलू टोला नामक मोहल्ले के 31 नवम्बर अमड़ाताल गली से 30 मई को प्रकाशित हुआ। संपादक 'युगल किशोर शुक्ल' थे। एक प्रति की कीमत आठ आने थी। फुल स्केल आकार था। 'उदंण्ड मार्तण्ड' भाषा और समाचार दोनों दृष्टियों से संपादित पत्र था उसमें रिपोर्ट, विदेशी समाचार, अग्रलेख आदि होते थे। 'उदंण्ड मार्तण्ड' में उन्होंने पहले ब्रजभाषा में और बाद में मध्य देशीय भाषा में लिखा। बंगाल में हिन्दी भाषा का प्रचलन न होने और आर्थिक परिस्थितियों की मारने इस पत्र को अधिक दिनों तक जीवित रहने से वंचित कर दिया। फलतः 4 सितम्बर, 1827 ई0 को इश्तहार प्रकाशित कर वह सदा के लिए अस्तगत हो गया। इस प्रकार हिन्दी पत्रकारिता का जन्म हिन्दी प्रदेश से दूर कोलकाता नगरी में हुआ। प्राप्त सामग्री के आधार पर हिन्दी का पहला पत्र 'उदंण्ड मार्तण्ड' था। 10 मई 1929 को राजा राममोहन राय के संचालन में कोलकाता से ही 'बंगदूत' का प्रकाशन हुआ। अंग्रेजी, बांग्ला, फारसी के साथ–साथ बंगदूत हिन्दी में भी प्रकाशित होता था। इसके संपादक नीलरत्न हलदार थे। इस पत्र का हिन्दी अंश अब लगभग उपलब्ध नहीं है। सन् 1845 में काशी से 'बनारस अखबार' प्रकाशित हुआ। इसके सम्पादक मराठी भाषा श्री गोबिन्द धते थे। और संचालक थे सुप्रसिद्ध मनीषी राजा शिवप्रसाद सितारे 'हिन्द'। इस प्रत्र का प्रकाशन देवनागिरी लिपि में होता था। 'बनारस अखबार की फाइल अब उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1848 में शेख अब्दुल्ला ने 'शिमला अखबार'(साप्ताहिक) का प्रकाशन प्रारम्भ किया। नागरी लिपि में यह पत्र लिथोग्राफ हुआ करता था। वह स्नानीय जनता को ज्ञानवर्धन सम्बन्धि जानकारी देता था। घाटे के कारण यह सन् 1849 ई0 में बन्द हो गया। 1850 में शिमला अखबार पुनः द्वैमासिक के रूप में प्रकाशित हुआ। जो कुछ अंकों के बाद बन्द हो गया।

1जनवरी 1848 ई में इन्दौर से 'मालवा अखबार' पंडित प्रेम नारायण के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। आदिवासी साप्ताहिक अखबार था, जिसमें हिन्दी और उर्दू में समाचार छापते थे। मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता को प्रारम्भ करने का श्रेय मालवा अखबार को ही है। इसके संपादक प्रेम नारायण और वासुदेव गुरू थे। 1849 ई0 में कोलकाता से बांग्ला और हिन्दी में जगद्दीपक भास्कर नामक पत्र प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशन की चर्चा पण्डित अंबिका प्रसाद बाजपेई ने हिन्दी समाचार पत्रों के इतिहास नामक पुस्तक में ही की है। हिन्दी पत्रकारिता के मनु पण्डित युगल किशोर शुक्ल ने सन् 1850 ई0 में 'उदंण्ड मार्तण्ड' (साप्ताहिक) का प्रकाशन किया जो कुछ ही अंको तक सीमित रहा। इसके विषय में और कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। 'सुधारक पत्र' का प्रकाशन सन् 1850 ई0 में तारा मोहन मैत्रेय ने किया। यह बांग्ला और हिन्दी दोनों भाषाओं में निकलता था। कुछ विद्वानों ने इस पत्र को हिन्दी प्रदेश का प्रथम पत्र घोषित किया है। 1853 ई0 से यह केवल हिन्दी में ही छपने लगा। 'सुधारक' हिन्दी पत्रकारिता के शुद्ध भाषा के स्वरूप को शुरू करने वाला पत्र था।

सन् 1852 में आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक लाल सदा सुख लाल थे। यह समाचार पत्र नहीं था, बल्कि बालको की शिक्षा के लिए पत्रिका के रूप में इसका प्रकाशन हो रहा था। नवाब वाजिद अली शाह के कार्यकाल में लखनऊ से भी 'बुद्धिप्रकाश' नामक पत्र प्रकाशित होने का प्रमाण है। 'समाचार सुधा वर्षण' हिन्दी दैनिक का प्रकाशन श्याम सुन्दर सेन के द्वारा सन् 1854 ई0 में कोलकाता से हुआ। यह द्विभाषी पत्र था। प्रथम दो पृष्ठ हिन्दी में तथा बाद के दो पृष्ठ बंगला में छपते

थे। यह सन् 1868 ई0 तक प्रकाशित हुआ सन् 1855 ई0 में आगरा से 'सर्वहित कारक' पत्र का प्रकाशन शिवनारायण जी ने किया पत्र में हिन्दी, उर्दू दोनों भाषाएं रहती थी। इसी वर्ष आगरा से ही 'प्रजा हितैषी पत्र' का प्रकाशन हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह इस पत्र के सर्वस्व थे।

सन् 1861 ई0 में ग्वालियर ससे 'ग्वालियर गजट' नामक पत्र का प्रकाशन मुंशी लक्ष्मण दास भटनागर ने किया यह हिन्दी तथा उर्दू दोनो भाषाओं में प्रकाशित होता था। स्वतंत्रता संग्राम के मूर्धन्य नेता अजीमुल्ला खान ने 1857 ई0 में 'पायामें आजादी' का प्रकाशन किया। यह एक ऐसा शोला था, जिसने अपनी प्रखर एवं तेजस्वी बाणी से जनता में स्वतंत्रता का प्रदीप्त स्वर फूंका। इस पत्र के माध्यम से खड़ी बोली गद्य के विषय विस्तार के साथ–साथ शब्दों की वृद्धि हुई। इस पत्र में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, यात्रा सम्बन्धी, व्यापारिक, पशु–पक्षी, और पेड़–पौधे सम्बन्धी, आदालती चिकित्सा सम्बन्धी, सहित्यिक, सरकारी नियुक्तियॉ, तबादले सम्बन्धी सूचनाएं आदि अनेक विषय रहते थे। संपादकीय भी उसकी एक विशेषता थी। हास्य व्यंग पूर्ण बातें ही उनमें दी जाती थीं। इन विषयों की अभिव्यक्ति मुहावरेदार सरल और रोचक यद्यपि ब्रज रंजीत और शिथिल भाषा में होती थी।

भारतीय पत्रकारिता की कहानी को भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की कहानी माना जाता है। दोनों के विकास एक दूसरे के सम्पूरक है। प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से पूर्व कुछ पत्रों ने इस आन्दोलन का प्रचार और समर्थन किया, परन्तु अंग्रेज सरकार ने अपनी दमनकारी नितियों द्वारा सभी को कुचल दिया। सन् 1867 ई0 तक सम्पूर्ण भारत विदेशी विचार धारा से प्रभावित हो गया था। इस समय की शिक्षा पर पाश्चात्य रंग जमा हुआ था। ऐसी शिक्षा के प्रचार के कारण परम्परावादी विचारधारा नष्ट हो रही थी और अनेक नव सुधारवादी संस्थाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था। इन संस्थाओ का निमार्ण नवशिक्षित वर्ग ने किया ऐसे शिक्षकों में भारतेन्दु का स्थान सर्वोपरि है। भारतेन्दु के आगमन से हिन्दी पत्रकारिता को विकसित होने और फलने–फुलने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ।

भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने 'कवि वचन सुधा' के माध्यम से 'हिन्दी की साहित्यिक' पत्रकारिता की जो नींव रखी, उसी पर आगे के पत्रकारो, सम्पादकों और लेखकों ने हिन्दी की 'साहित्यिक पत्रकारिता' का वह आदर्श महल तैयार किया जिसकी ऊँचाई को पाने के लिए स्वातंत्र्योत्तर काल की पत्रकारिता संघर्षरत है। भारतेन्दु को हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता का जनक कहा जा सकता है। भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने पत्रकारों एंव साहित्यकारों का ऐसा मण्डल तैयार किया जो उन्नीसवी शताब्दी के अंत तक पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करता रहा। हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के उद्‌भव के पृष्ठभूमि में इन पत्रकारों एवं साहित्यकारों का स्थान महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ :

1. आ0 महावीर प्रसाद द्विवेदी और साहित्यिक पत्रकारिता–इन्द्रसेन सिंह पृ011
2. हिन्दी पत्रकारिता का वृहद इतिहास डॉ0 अर्जुन तिवारी , पृ0 27
3. इतिहास निर्माता पत्रकार– डॉ0 अर्जुन तिवारी पृ0 16
4. हिन्दी पत्रकारिता के नये प्रतिमान–बच्चन सिंह, पृ0 95
5. हिन्दी पत्रकारिता 'भारतेन्दु पूर्व से छायावादोत्तर काल तक–डॉ0 धीरेन्द्र नाथ सिंह पृ0–22
6. छायावाद युगीन साहित्यिक पत्रकारिता– रमेश चन्द्र त्रिपाठी पृ076
7. हिन्दी पत्रकारिता– कृष्ण बिहारी मिश्र , पृ0116
8. हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप और आयाम–राधेश्याम शर्मा पृ0169
9. भारतेन्दु हरिशचन्द्र और हिन्दी नवजागरण की समस्याए–डॉ0 रामविलास शर्मा पृ0100
10. पत्रकारिता संदर्भ कोश–डॉ0 राम प्रकाश गुप्त व डॉ0 सुधीन्द्र कुमार पृ0 121
11. हिन्दी पत्रकारिता का विकास– एन0 सी0. पन्त ,पृ0 203
12. हिन्दी पत्रकारिता की रूपरेखा, खण्ड–2 'पत्रकारिता के मूल सिद्धान्त' एन0 सी0 पन्त, मनोज कुमार–जितेन्द्र कुमार पृ0 30
13. हिन्दी की सर्वोदय पत्रकारिता–डॉ0 मृदुला वर्मा पृ0 40
14. समाचार पत्रों का इतिहास – अम्बिका प्रसाद वाजपेयी पृ0 93

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 95-96

ग्रामीण परिवार का बदलता स्वरुप

डॉ0 (श्रीमती) मोहिनी मौर्य*

*असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र), अखिलभाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : परिवार सामाजिक व्यवस्था की केन्द्रीय एवं सार्वभौमिक इकाई। यहाँ जैवकीय, वैवाहिक एवं भावनात्मक संबंध पाये जाते हैं। परिवार की व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में परिवार के स्वरुप में बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। एक ओर परिवार की संरचना में और दूसरी ओर परिवार के प्रकार्यों में अनेक कारणों के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरुप काफी कुछ परिवर्तन आयें है।

मुख्य शब्द : परिवार, परिवर्तन, विघटन, संरचना, प्रकार्य, औद्योगीकरण, नगरीकरण, अनुसंधान, प्रयोजन आदि।

प्रस्तावना : प्रस्तुत अध्ययन का विषय है 'ग्रामीण परिवार का बदलता स्रुप' भारतीय ग्रामों में पाये जाने वाले परिवार प्रायः संयुक्त प्रकार के होते हैं। परम्परागत भारतीय संयुक्त परिवार में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। नवीन परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों को कुछ विद्वानों ने विघटन माना है तो कुछ ने इसके स्वरुप में परिवर्तन ही कहा है। पारिवारिक विघटन या परिवार के स्वरुप में परिवर्तन वर्तमान समाज की कोई नवीन घटना नहीं है। बल्कि यह हमें प्राचीन काल में भी देखने को मिलता है। नवीन परिस्थितियों जैसे शिक्षा का प्रसार, यातायात में संचार के साधनों में वृद्धि, महिला आन्दोलन, औद्योगीकरण तथा नगरीकण आदि के कारण संयुक्त परिवार के स्वरुप में परिवर्तन आ रहा है। प्रस्तुत शोध के द्वारा इस बात का अध्ययन किया गया है कि ग्रामीण परिवार के स्वरुप में वर्तमान में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक विघटन हो रहा है? पारिवारिक विघटन के लिए कौन–कौन से कारक उत्तरादायी हैं? वर्तमान समय में परिवार के स्वरुप में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान तथा उसका समाज पर पड़ने वाले प्रकार्यात्मक तथा अप्रकार्यात्मक प्रभावों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इसी विचार दर्शन के परिप्रेक्ष्य में परिवार के स्वरुप में हो रहे परिवर्तन के संबंध में ग्रामीणों के दृष्टिकोंण को जानने के लिए प्रस्तुत शोध का प्रणयन किया गया है। जहॉ तक शोधार्थी जानकारी है परिवार से सम्बन्धित अनेक अनुसंधान पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा किये जा चुके हैं। फिर भी नये तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों के सत्यापन, परीक्षण एवं ज्ञान की वृद्धि में प्रस्तुत अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा।

ग्रामीण परिवार का बदलता स्वरुप : भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। अविभाजित भारत में लगभग 700,000 गाँव थे। विभाजन के बाद यह संख्या कम हो गयी, किन्तु ग्रामीण और नगरीय लोंगों का अनुपात प्रायः वही है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या का 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत भाग गाँवों में रहता है। प्रस्तुत अध्ययन परिवार के बदलते स्वरुप से सम्बन्धित है। गाँव वह क्षेत्र है, जहॉं कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक सम्बन्धों की बहुलता, जनसंख्या की न्यूनता, सामाजिक एकरुपता, गतिशीलता का अभाव, दृष्टिकोंणों एवं व्यवहारों में सामान्य सहमति आदि विशेषताएँ पायी जाती हैं। वैदिककाल के गॉव 'स्वराज्य' था। गाँव वस्तुतः आत्मनिर्भर होते थे। गाँव के सुरक्षा के निमित्त ऊँचे टीले पर एक दुर्ग बना होता था। गाँव के मुखिया को 'ग्रामणी' कहा जाता था। 'ग्रामणी' सम्भवतः नागरिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार का कार्य करता था। 'ग्रामणी' देवता तुल्य था। आरम्भ से ही गाँवों में सामुदायिक भावना विद्यमान रही है। ग्रामवासी प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी, अकाल आदि को झेलते हैं और त्योहार एवं उत्सवों को साथ–साथ मनाते हैं जिससे उनके एकता की भावना का विकास होता है। गाँवों में सामुदायिक भावना आज भी देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन प्राचीन और प्राकृतिक है और इसका आधार परम्परा, रुढ़ि और धर्म है। गॉवों में सामाजिक परिवर्तन की गति भी मन्द होती है।

भारतीय ग्रामों में पाये जाने वाले परिवार संयुक्त प्रकार उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है तथा सदस्यों में प्राथमिक सम्बन्धों की प्रधानता पायी जाती है। सजातीयता, परम्परा, धर्म की प्रधानता, रुढ़िवादिता, कठोर सामाजिक एवं नैतिक अनुशासन, कर्ता की निरंकुशता एवं सहयोग ग्रामीण परिवार की प्रमुख विशेषतायें हैं। ''**बुलेटिन आफ दी क्रिश्चियन इन्स्टीट्यूट फॉर दी स्टडी आफ सोसाइटी**'' में लिखा है कि, "संयुक्त परिवार से हमारा अभिप्राय उस परिवार से है जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य एक दूसरे के प्रति पारस्परिक कर्तव्य–परायण के बंधन में बंधे रहते हैं।" हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें एकांकी परिवार से अधिक पीढ़ियों (अर्थात तीन से अधिक) के सदस्य रहते हैं और जिनके सदस्य एक–दूसरे से सम्पत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा आबद्ध हो। इरावती कर्वे के अनुसार "एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं जो एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं, जो सम्पत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे के रक्त सम्बन्धी हो।" भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। भारत में परिवार का शास्त्रीय स्वरुप संयुक्त परिवार रहा है।

ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के मंत्रों में तीन पीढ़ियों के संयुक्त परिवारें का अनेक स्थलों पर संकेत हैं। 'छवीं सदी ई0पू0 की नगर क्रान्ति के पश्चात् व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण नागरिक परिवेश में संयुक्त परिवार विघटित होने लगे। भारत वर्ष में संयुक्त परिवार प्रणाली का जो रुप आज से कुछ वर्ष पहले था वह अब नहीं रहा, उसमें परिवर्तन हुआ है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, भौतिकवादी मनोवृति तथा शिक्षा के प्रसार आदि के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है तथा एकांकी परिवार की संख्या में वृद्धि हो रही है। समाजशास्त्री विशेष गुप्ता का मत है कि संयुक्त परिवार प्रथा को घायल करने के पीछे भी प्रापर्टी का बंटवारा रहा है। सम्पत्ति के कारण संयुक्त परिवार कई एकल परिवारों में बँट गया है।

औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व तक परिवार उत्पादन एवं उपभोग दोनो का ही केन्द्र था। आवश्यकता की सभी वस्तुयें परिवार में ही तैयार की जाती थी। परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिवार में ही आर्थिक दृष्टि से उत्पादन कार्य करते थे। पहले उद्योग धन्धे सीमित थे। बहुसंख्यक लोग कृषि में लगे थे और शेष लोग कारीगर थे, दस्तकार थे, और अपने पुस्तैनी धन्धों को करते थे। प्रत्येक जाति के अपने निश्चित धन्धें थे और अपने इन्हीं धन्धों में लगे रहते थे। अंग्रेजों के आने के बाद कई नये व्यवसाय ने परम्परागत व्यवस्था का विविधिकरण कर दिया। परिणामस्वरुप परम्परागत ग्रामीण परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में बहुत परिवर्तन आये। समकालीन आधुनिक परिवार में स्त्रियों को काफी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त है। केवल पुरुष ही नहीं, अपितु स्त्री भी अब घर से बाहर कार्य करने जाती है। घर से बाहर कार्य करने वाली स्त्रियों की संख्या निरन्तर वृद्धि की ओर है। इस आर्थिक स्वतन्त्रता ने आधुनिक नारी के दृष्टिकोंण को बदल दिया है। अब स्त्रियों के लिए विवाह ही एक मात्र जीवन नहीं है। 96 वह स्वंय को पुरुष के सम्मुख असहाय महसूस नहीं करती है, अपितु उसके साथ अपनी मर्जी से शर्ते निष्चित करती है। वह पुरुष की दासी नहीं है जो उसे भोजन वस्त्र और शरण देता है, अपितु स्वंय वह अपनी आजीविका कमा सकती है। चयनित 300 सूचनादाताओं में से 286 सूचनादाता अर्थात 95.33 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत है कि स्त्रियों को रोजगार में लगाना ठीक है तथा 14 सूचनादाता अर्थात 4.67 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत है कि स्त्रियों को रोजगार में लगाना ठीक नहीं है।

वर्तमान समय में परिवार के घटते हुये आकार, छिनते हुये कार्यों, बढ़ते हुये प्रेम–विवाह और विवाह विच्छेदों की दर में वृद्धि को देखकर बहुत लोग परिवार के भविष्य के सम्बन्ध में चिन्तित हैं। ऐसे लोगो का कहना है कि संयुक्त परिवार टूट रहा है और इसका अस्तित्व खतरे में है। चयनित 218 पुरुष सूचनादाताओं मे से 44 पुरुष सूचनादाता अर्थात 20.18 प्रतिशत पुरुष सूचनादाताओं का मत है भविष्य में संयुक्त परिवार समाप्त हो जायेगा तथा 53 पुरुष सूचनादाता अर्थात 24.31 प्रतिशत पुरुष सूचनादाताओं का मत है कि भविष्य में संयुक्त परिवार का रुपान्तरण हो जायेगा। 121 पुरुष सूचनादाता अर्थात 55.51 प्रतिशत पुरुष सूचनादाताओं का मत है कि भविष्य में संयुक्त परिवार बना रहेगा। चयनित 82 महिला सूचनादाताओं मे से 24 महिला सूचनादाता 29.27 प्रतिशत महिला सूचनादाताओं का मत है कि भविष्य में संयुक्त परिवार समाप्त हो जायेगा तथा 23 महिला सूचनादाता अर्थात 28.05 प्रतिशत महिला सूचनादाताओं का मत है कि भविष्य में संयुक्त परिवार का रुपान्तरण हो जायेगा। 35 महिला सूचनादाता अर्थात 42.68 प्रतिशत महिला सूचनादाताओं का मत है कि भविष्य में संयुक्त परिवार बना रहेगा।

निष्कर्ष : प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवार में साधारणतः पारिवारिक विघटन के साथ–साथ पुनर्गठन के तत्व भी पाये जाते हैं। पारिवारिक पुनर्गठन की प्रकिया निरन्तर चलती रहती है। जैसे ही कोई परिवार विघटित होता, वैसे ही उसका पुनर्गठन भी प्रारम्भ हो जाता है। आई0पी0 देसाई एवं अन्य समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि नाभिक परिवार संयुक्त परिवार के चक्र में एक अवस्था है। कपाड़िया मानते है कि हिन्दू मनोवृत्तियॉ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है।

सन्दर्भ :

1. आहूजा राम, 'भारतीय समाज', प्रकाशक : श्रीमती प्रेम रावत, रावत पब्लिकेशन्स सत्यम अपार्टमेंन्टस, सेक्टर–3 जैन मन्दिर रोड, जवाहर नगर, जयपुर – 302004, संस्करण–2019, पेज नं0 93–94
2. कापड़िया के0एम0, 'भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार', प्रकाशकः हरिकृष्ण रावत, आनन्द भवन व्यावर, पेज नं0 93–94
3. लवानिया डॉ0 एम0एम0, जैन शशी के0 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' प्रकाशक : रिवर्च पब्लिकेशन्स, 89 ट्रिपलोलिया, बाजार, जयपुर–2 पेज नं0 121
4. दोशी एस0एन0, जैन पी0सी0, 'भारतीय समाज, संचरना और परिवर्तन': प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 337
5. मिश्रा, डॉ0 मंजू, 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' प्रकाशक : के0एस0के0 पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स 7/26 बेसमेन्ट, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002 पेज नं0 52, 53
6. अग्रवाल डॉ0 अमित 'भारतीय सामाजिक समस्यायें' प्रकाशक : विवेक प्रकाशन 7–यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली–7, संस्करण–2018 पेज नं0 44
7. सिंह डॉ0 गोपी रमण प्रसाद, 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संस्थाएं' प्रकाशक : अग्रवाल पब्लिकेशन्स, हेड आफिस :' 28/115 ज्योति ब्लाक, संजय प्लेस, आगरा–2 संस्करण–2018, पेज नं0 334
8. देशाई ए0आर0, 'भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र प्रकाशक, प्रेम रावत फॉर रावत पब्लिकेशन्स, सत्यम अपार्ट्स, सेक्टर–3, जवाहर नगर, जयपुर, संस्करण–2002, पेज नं0 132, 151
9. मुखर्जी डॉ0 रवीन्द्र नाथ, 'सामाजिक शोध व सांख्यिकी' प्रकाशक; विवेक प्रकाशन, 7–यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली–7, संस्करण–2019, पेज नं0 120
10. महाजन, डॉ0 धर्मवीर, महाजन, डॉ0 (श्रीमती) कमलेश, अपराधशात्र, प्रकाशक : विवेक प्रकाशन 7–यू0ए0, जवाहर नगर, दिल्ली–7, संस्करण–2018 पेज नं0 19
11. अग्रवाल जी0के0, पाण्डेय एस0ए0 'सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी' प्रकाशक : एस बी. पी. डी. पब्लिशिग हाउस आगरा (उ0प्र0) संस्करण– अप्रैल, 2018 पेज नं0 125:126

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 97-99

अमृतलाल नागर के उपन्यास 'बूँद और समुद्र' में जीवन मूल्यों का अन्वीक्षण

आलोक चन्द*
*शोधार्थी, हिन्दी, हंडिया पी.जी. कालेज, हंडिया, प्रयागराज (उ.प्र.)

'बूँद और समुद्र' उपन्यास में नागर जी ने वृहद कथानक का चयन किया है, साथ ही इसमें भारतीय समाज की विविधताओं के प्रतीक के रूप में विभिन्न पात्रों का सृजन किया गया है, जिसमें सज्जन, महिपाल तथा कर्नल पुरूष पात्रों के रूप में तथा वनकन्या, ताई प्रमुख नारी पात्र के रूप में प्रमुखता हासिल कर सकने में सक्षम सिद्ध हुई है। इन सारे पात्रों की वैयक्तिकता सामाजिकता का आवरण लपेटे हुए दिखलाई पड़ती हैं। 'सज्जन' उपन्यास का नायक, एक सफल चित्रकार, समाज सेवी पात्र है। वह पूँजीपति वर्ग की दुर्बलताओं से ग्रस्त होकर भी वनकन्या के सम्पर्क में आने पर अपने–आप को बदल डालता है। वह मानव–प्रेमी है तथा मानवीय गुणों एवं भावनाओं की कद्र करता है। उसमें साधारण मानव के चरित्र की कमजोरियाँ विद्यमान हैं, जो उसकी वास्तविकता को सिद्ध करती है।

'बूद और समुद्र' में विशाल सामाजिक जीवन, व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध का गहराई से चित्रण हुआ है। इसमें व्यक्ति और समाज एक दूसरे से अलग होते हुए भी अभिन्न है और अभिन्न होते हुए भी अलग–अलग है यह दिखाया गया है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। व्यक्ति के बिना समाज अधूरा और समाज के बिना व्यक्ति अधूरा होता है। एक दूसरे के साथ ही उन्हें पूर्णत्व प्राप्त होता है। डॉ0 अनिता रावत के अनुसार – ''समाज को वह एक समुद्र के समान समझते हैं, जिसकी रचना व्यक्तिरूपी बूँद–बूँद से होती है। सागर बूँद के बिना निर्मित नहीं हो सकता तथा अकेली बूँद का सागर के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं।''[1] यहीं इस उपन्यास की विशेषता है। इसे क्लैसिकल परम्परा का महाकाव्यात्मक भूमिका का उपन्यास भी कहा गया है।

विवेच्य उपन्यास के सन्दर्भ में राजेन्द्र यादव ने कहा है– ''गोदान के बाद 'बूँद और समुद्र' को उत्तर भारतीय जीवन का महाकाव्य कहा जा सकता है।''[2] अनेक समीक्षकों ने इस उपन्यास के महत्व को पहचानकर इसे महान कोटि के उपन्यासों में रखा है। डॉ0 रामविलास शर्मा ने 'बूँद और समुद्र' को ''पुरानी समाज व्यवस्था के बनते–बिगड़ते और बदलते हुए भारतीय परिवार का महाकाव्य कहा है।''[3]

नगरीय जीवन के केन्द्र मुहल्ला को लेकर ऐसा सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। हिन्दी उपन्यास साहित्य में यह एक विशेष क्षेत्रीय जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। यही कारण है कि यह उपन्यास हिन्दी के उपन्यास साहित्य के इतिहास में प्रथम पंक्ति का माना गया है। 'बूँद और समुद्र' उपन्यास कथावस्तु की दृष्टि से भी सम्पन्न है। इसमें मुख्य तथा गौण अनेक प्रकार की कथाएँ उपन्यास को प्रवाहमयी बनाने में सफल हुई हैं। ये सभी छोटी–मोटी कथाएँ परस्पर सम्बन्धित हैं। लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए सभी कथाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान हैं।

'बूँद और समुद्र' कथा का मुख्य केन्द्र लखनऊ का चौक मुहल्ला है। इसी केन्द्र को लेकर लेखक ने आज के समस्त भारतीय सामाजिक जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अनेक प्रसंग और चरित्रों के माध्यम से हम कथानक से परिचित हो जाते हैं। इस उपन्यास की मुख्य भूमिका के रूप में ताई नाम का पात्र है। ताई राजाबहादुर की परित्यक्ता पत्नी है। अपने पति से अलग पुरखों की हवेली में रहती है। जब राजाबहादुर का ताई के साथ विवाह हुआ था। तब घर में खाने–पीने की कमी थी। ताई उनके जीवन में लक्ष्मी बनकर आई। आज राजाबहादुर लखनऊ के रईसों की नाक माने जाते हैं। वह ताई के साथ विवाह से पलटे भाग्य की देन है। इसके बावजूद ताई को अनेक कारणों से अपनी सास और घर के अन्य सदस्यों से घृणा ही मिली। उन सबका ताई के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा। परिणामस्वरूप ताई अपनी लड़की के साथ परिवार से अलग रहने लगीं। लेकिन ताई के नसीब में संतान का साथ नहीं रहा। उसकी लड़की आठ महीने की होकर चल बसी। ताई शोक में डूब गई। इसी शोक ने बाद में घरवालों के प्रति प्रतिहिंसा का रूप ले लिया।

पारिवारिक बदलाव के चलते तंग आकर राजबहादुर द्वारकादास ने दूसरा विवाह किया। जिस दिन ताई की सौत ने घर में प्रवेश किया, उसी दिन ताई ने घर छोड़ दिया और पुरानी हवेली में आ गईं। तब से मुहल्ले की ही नहीं पूरे शहर की ताई बन गईं। उसके मन में बसी हुई अपने पति के घरवालों के प्रति प्रतिहिंसा ने अब सार्वजनिक रूप धारण किया।

राजाबहादुर के परिवार वालों ने यह बात पूरे गाँव में फैला दी कि ताई अन्धविश्वासी और रूढ़िवादी लोगों को अपने जादू–टोने से भयभीत करती है। द्वारकादास के परिवार के लोग और मुहल्ले वालों की मृत्यु की मनौतियाँ मनाती है। तो दूसरी तरफ बिल्ली के बच्चों से बच्चे जैसा प्यार करती है। तारा का गर्भ गिराने के लिए बददुआ देने वाली ताई उसकी प्रसव पीड़ी देखकर उसकी मदद करती है। यहीं ताई राधा और किशन की शादी में बहुत खर्च करती है। सज्जन द्वारा चोरों के हमले से बचाये जाने के कारण ताई सज्जन को अपना मानती है। ऐसी ताई की मृत्यु से सारा मुहल्ला शोकाकुल होता है।

'बूँद और समुद्र' का दूसरा पड़ाव सज्जन और वनकन्या की है, जो उपन्यास के अन्त तक चलती है। सज्जन को अपने पूर्वजों की सम्पत्ति विरासत में मिली है। वह एक चित्रकार है जो सामान्य जन–जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिए ताई का किरायेदार बनता है। उसे सामाजिक कार्य में रूचि है। वनकन्या अपने परिवार में फैले अनाचार और व्यभिचार से तंग आकर उनके खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए सज्जन से सहायता माँगती है। प्रगतिशील वनकन्या के साहचर्य से सज्जन के जीवन में परिवर्तन आता है। काम सम्बन्धी अपने स्वच्छन्द विचारों के कारण सज्जन के अनेक स्त्रियों से सम्बन्ध आए थे। लेकिन वनकन्या उसे प्रेम और

विवाह सम्बन्धी नई धारणाओं से परिचित कराती है। दोनों के सम्बन्ध में अनेक खटास–मिठास और उतार–चढ़ाव आते हैं और अन्त में दोनों पति–पत्नी के बंधन में बँध जाते हैं।

उपन्यास के तीसरे पड़ाव के अन्तर्गत महिपाल, उसकी पत्नी कल्याणी और प्रेमिका डॉ0 शीला स्विंग के सम्बन्धों को लेकर गतिमान होता है। महिपाल मध्यवर्ग की विशेषताओ तथा दुर्बलताओं से युक्त लेखक है। वह अपने लेखकीय कार्य से गृहस्थी चलाता है फिर भी उसके घर में धन का अभाव रहता है। महिपाल प्रगतिशील, प्रतिभासम्पन्न लेखक परन्तु पत्नी परम्परागत विचारों को मानने वाली, एक पतिव्रता, अशिक्षित स्त्री है। महिपाल की पत्नी और बच्चों को जानते हुए भी डॉ0 शीला उससे प्रेम करती है। वह कभी परिवार तो कभी प्रेमिका दोनों में अपने आप को बाँट देता है। दोनों में से एक को वह चुन नहीं पाता। उसके द्वारा चोरी का रहस्य खुलने पर वह दुःखी हो जाता है। यह चोट वह सह नहीं पाता और अन्ततः नदी में डूबकर आत्महत्या करता है। इसके अतिरिक्त विवेच्य उपन्यासों में अनेक छोटी कथाए कथावस्तु को अग्रगामी करती हैं। इसमें मध्यमवर्गीय कम पढ़े–लिखे लोगों के जीवन का चित्रण किया गया है। साथ ही बड़ी बहू और कवि विरहेश की कथा, तारा और वर्मा दम्पत्ति की अन्तरजातीय विवाह की कथा, बाबा रामजी दास और पागलों के उनके आश्रम की कथाएँ उपन्यास में आई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से सम्बन्धित कथाएँ भी लखनऊ के चौक मुहल्ले का अंग बनकर हमारे सामने आती हैं।

अमृतलाल नागर जी ने उपन्यास में लखनऊ का चौक मुहल्ले का सजीव चित्रण किया है। इसके लिए डॉ0 रामविलास शर्मा का कहना सही लगता है– ''वातावरण के छोटे–बड़े तथ्य जो मनुष्य की दुःख पूर्ण या मनोरंजक स्थिति की ओर संकेत करते हैं लेखक की निगाह से बच नहीं पाते। वह वास्तव में शहर के गली–कूँचों का कवि है।''[4] उन्होंने मुहल्ले का रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। कथावस्तु को यथार्थवादी दृष्टि सम्पन्न बनाती है। डॉ0 प्रकाशचन्द्र मिश्र के अनुसार – ''नागरजी ने कथावस्तु के इस अंश में जीवन के वर्षों के दौरान संग्रहीत किए हुए अनुभवों का उपयोग तो किया ही है, अपने द्वारा भोगे गए, देखे गए तथा सुने गए इस यथार्थ को शैलीगत समूचे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत किया है।''[5]

'बूंद और समुद्र' उपन्यास जी ने बूँद के रूप में लखनऊ के चौक के मुहल्ले का वर्णन किया है। जो सम्पूर्ण भारतीय समाज का प्रतीक हैं। इस मुहल्ले का वातावरण उपन्यास में सजीव हो उठा है। एक प्रकार से मुहल्ले रेखाचित्र ही लेखक ने खींचा है। उपन्यास के वातावरण के बारे में राजेन्द्र यादव ने कहा है– ''सचमुच इस उपन्यास में गलियाँ बोलती हैं, दीवारें बात करती हैं, और मुहल्ले जागते हैं।''[6] उपन्यास पढ़ते समय गलियों का वातावरण पाठक को गली से गुजरने का एहसास कराता है।

वर्तमान काल की सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं को इसमें शब्दों द्वारा विश्लेषित किया गया है। प्रकाशचन्द्र मिश्र के अनुसार– ''देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का सारा लेखा–जोखा यहाँ पर है। लेखक ने समूचे भारतीय जीवन को मूर्त करते हुये यथास्थल अपने पात्रों के द्वारा अपने खुद के विचार भी प्रस्तुत किये हैं।''[7] धार्मिक पाखण्ड का वर्णन ताई के चमत्कारी जादू–टोने के वातावरण में दिखता है। उपन्यास में चित्रित किया हुआ मुहल्ले का वातावरण कितना सजीव हो उठा है। यथा– ''पेपर! पेपर! चिल्लाता साइकिलधारी हाकर भी दैनिक नियम, क्रम का पालन कर रहा है। ''चाह गरम बिस्कुट नरम' की आवाज लगाने वाला रामलोटन महाराज सीताराम की वकालत में राधेश्याम से चिढ़ते हुए गली–मुहल्लों की परम्परागत छेड़खानी को ताजा करने, रोज के समय पर आ चुके हैं। जलेबी वाले की दुकान पर दो–चार लड़के और दो–चार पाँच घरों के नौकर तथा नुक्कड़ के नल पर पानी भरने वाले औरत मर्दों का चखचख करता हुआ मजमा भी नित्य की तरह जुड़ चला है। पवित्रता और आत्मा की सफाई का बड़ा दम भरने वाले भारतीयों की गन्दगी और फूहड़पन जगह–जगह कूड़े के ढेर बनकर सदा की तरह चमक रहा है। घर का कूड़ा निकालकर गली में छितराना, दोमंजिले से छोटे बच्चों के पाखाने की पोटली बनाकर गली में फेंकना आदि सांस्कृतिक कार्य नित्य के नियम से आरम्भ हो चुका है। हाँ, आज की विशेषता के तौर पर नल के पासवाला नाला भी भीतर से फूट जाने के कारण टूटे मैनहोल से उबलकर, गली की सतह पर अनेक टेढ़ी–मेढ़ी धाराओं में बहता हुआ, गली को बदबू से सड़ाकर, लोगों को स्वराज की निन्दा करने के लिए नया बहाना दे रहा है।''[8] तत्कालीन राजनीतिक वातावरण का चित्रण भी उपन्यासकार ने किया है। जैसे–''लाउडस्पीकरों की टकराती हुई आवाजें हवा की तरह मानों प्रकृति का अंग हो गई थीं। विक्टोरिया पार्क के दोनों ओर चाय पान की दुकानों पर सारी कुर्सियाँ आदमियों से भरी हुयी थीं। विक्टोरिया पार्क में पोलिंग हो रही थी। पुलिस, फाइलें दबाकर सरकारी अफसर, कारें, डोलियाँ, पालकियाँ–जन–भीड़ में विशेषता बनकर सामने आ रही थी।''[9]

अमृतलाल नागर के उपन्यास 'बूँद और समुद्र' में समाज, राष्ट्र और मानवता के उत्थान के लिए चिन्तन, मनन से सम्बन्धित जीवन मूल्यों के अन्वीक्षण से सम्बोधित अनेक विचार सन्निहित हैं। विवेच्य विषय की दृष्टि से उनका यह उपन्यास जनजीवन के निकट सामाजिक और मौलिक है। प्रस्तुत उपन्यास में नागर जी ने ग्रामीण जनजीवन की संस्कृति के साथ नगरीकरण जीवन की संस्कृति का निरूपण किया है। नवाबी संस्कृति के अहंकार और दयाहीन व्यवहार तथा समाज में नर और नारी के साथ मानवता की दुर्दशा की निरीहता को भी उन्होंने लोक के समक्ष प्रत्यक्ष किया है। समर्थ उपन्यासकार नागर जी के खुले मन से अपने समय के समाज का सजीव चित्रण कर युग के प्रति अपने कर्तव्य को भी पूर्ण किया है। नागर जी जनजीवन प्रेमी रचनाकार थे। नये गद्यात्मक सृजन मूल्यों के साथ उनका लोक से रागात्मक लगाव था। जीवन मूल्यों की परख, मूल्यगत प्रभाव, सामाजिक वैषम्य और शोषित मानवता नागर जी के उपन्यासों के सृजन के लिए पृष्ठभूमि बनी।

निष्कर्षतः नागरजी के उपन्यास 'बूँद और समुद्र' में वर्णित जीवन जगत के लिए अनिवार्य जीवन मूल्य की मनोधारणा समाज रचना की चिन्तन भूमि है। इसी को दृष्टि पथ में ध्यातव्य कर नागर जी ने अपने उपन्यासों में मानवीय मूल्यों को अन्वेषित और प्रतिष्ठित किया है।

सन्दर्भ :

1. डॉ0 अनिता रावत, अमृतलाल नागर के उपन्यासों में आधुनिकता, पृष्ठ 157
2. संपादक देवीशंकर अवस्थी, विवेक के रंग, दो आस्थाएँ, पृष्ठ 251
3. डॉ0 रामविलास शर्मा, आस्था और सौन्दर्य, पृष्ठ 134
4. डॉ0 रामविलास शर्मा, आस्था और सौन्दर्य, पृष्ठ 136
5. प्रकाशचन्द्र मिश्र, अमृतलाल नागर का उपन्यास साहित्य, पृष्ठ 92
6. संपादक देवीशंकर अवस्थी, विवेक के रंग, पृष्ठ 258
7. प्रकाशचन्द्र मिश्र, अमृतलाल नागर का उपन्यास साहित्य, पृष्ठ 107
8. अमृतलाल नागर, बूँद और समुद्र, पृष्ठ 13
9. वही, पृष्ठ 318

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 100-102

नज़ीर अकबराबादी की कविता में आवामी जिन्दगी

डॉ0 कमलेश कुमार मिश्र*
*ग्राम– बरचौली, पत्रालय सराय हरखू , जनपद– जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : नज़ीर अकबराबादी उर्दू शाइरी में एक अलग तरह के शायर है। उन्हें न तो दिल्ली के शायरों के साथ रखा जा सकता है और न ही लखनऊ के शायरों के साथ। वास्तविकता तो ये है कि उर्दू काव्य परम्परा में वे असंगत प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब उर्दू शायरी आवामी जिन्दगी और समाज की समस्याओं से बेखबर अपनी बँधी–बँधाई परम्परा में आगे बढ़ रही थी, उसी समय से कवि नज़ीर पूर्णतया आवामी जिन्दगी और समाज की समस्याओं से रूबरू होकर काव्य रचना कर रहे थे। उर्दू शायरी की परम्परा से नज़ीर का यह अलगाव ही एक लम्बे अर्से तक उनकी उपेक्षा का कारण बना रहा। इस सम्बन्ध में रघुपति सहाय फिराक का यह कथन अवलोकनीय होगा– 'नज़ीर अकबराबादी उर्दू के ऐसे निराले कवि है, जो वास्तव में अपने से बहुत पहले पैदा हो गए या यूँ कह लीजिए कि उन्होंने इस ढ़ंग से कविता की जिसका मूल्यांकन डेढ़–दो सौ वर्षों बाद ही किया जा सकता था।'

नज़ीर अकबराबादी पूर्णतः भारतीय आवाम के कवि हैं। भारतीय समाज जब प्रतिकूल परिस्थितियों से पीड़ित था तब कवि नज़ीर ने अपने काव्य के द्वारा समाज को एक सही दिशा देने का प्रयास किया। कवि नज़ीर जीवन की कृतिमता और प्रदर्शन के विरोधी थे। जीवन के सम्बन्ध में इनका दृष्टिकोण भावनापरक होते हुए भी व्यापक और उदार था। अपनी इसी व्यापक और निराली काव्य चेतना के कारण ही नज़ीर अपने समय में काफी उपेक्षित रहे थे। इश्क और हुश्न की दुनिया में कैद भावधारा से शब्द कौशल और उक्ति सौष्ठ्व के सहारे नए–नए प्रतिमान और उत्स निकालने के धनी उर्दू शायरों को जिन्दगी की खुरदरी वास्तविकता से जुड़ने में शायद अधिक परेशानी थी या वे उस अनुभव से समृद्ध नहीं थे, जो भी हो उन्होंने जीवन यथार्थ के चित्रण का रास्ता अख्तियार नहीं किया था।

कवि नज़ीर अपने काल की धारा से बहुत दूर रहकर लोकानुभूति, लोक–संस्कृति और सांस्कृतिक जीवन सन्दर्भों के कवि है। उनके काव्य में जहाँ आवाम के सांस्कृतिक रूप की झलक होली, दीवाली, बसंत, ईद, मेले आदि के माध्यम से देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ वो आवाम की रोजमर्रा की जिन्दगी, उसकी समस्याओं और तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को भी अपने काव्य में समुचित स्थान देते है। कवि नज़ीर की शायरी में आवामी जिन्दगी को अव्वल दर्जे की जगह मिली है, जिस पर हम इस तरह नजर डाल सकते हैं – मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता रोटी होती है। कवि नज़ीर ने रोटी को लेकर रोटी की मूल चेतना के साथ चार कविताओं की रचना की है। नज़ीर की ये कवितायें उस युग की आर्थिक दशा का स्पष्ट चित्रण करती है। नज़ीर द्वारा रोटी और पेट पर अधिक जोर देना इस बात का संकेत है कि नज़ीर कालीन समाज जन–सामान्य के स्तर पर रोटी की समस्या से पीड़ित था, तभी तो नज़ीर की कविता रोटियों के सन्दर्भ में यह करुण आवाज उठाती है –

'जब आदमी के पेट में आती है रोटियाँ। फूली नहीं बदन में समाती है रोटियाँ।।'[1]

नज़ीर कालीन समाज में सम्भवतः रोटी की समस्या अत्यन्त विकराल थी। रोटी के लिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा था। रोटी के कारण किस तरह अपने ही पराये बन जाते है, वह नज़ीर की कविता में स्पष्ट है –

'पेट में रोटी पड़ी जब तक तो यारों खैर है। गर नहो फिर गैर का अपने ही जी से बैर है।।'[2]

रोटी की महत्ता कवि नज़ीर को उसे पीर और मुर्शिद के स्थान पर प्रतिष्ठित करने को बाध्य करती है। किसी भी समाज में रोटी का इतना महत्व उसके अभावग्रस्त जीवन को किस तरह खोलकर रख देता है, वो कवि नज़ीर की इन लाइनों में स्पष्ट है– **'जो मुरीद अपना किसी दरवेश को करता है पीर। यानी कुछ देखे तजल्ली की करामत दिल पिजीर। खाते ही दो रोटियाँ दिल हो गया बदरे मुनीर। कोई रोटी–सा नहीं अब पीरो मुर्शिद ऐ नज़ीर। दो चपाती के वरक में सब वरक रोशन हुए।इक रकाबी में हमें चौदह तबक रोशन हुए।।'**[3]

समाज आर्थिक विपन्नता या आर्थिक आकर्षणों में फँसा हुआ होता है तो तत्कालीन समाज की सारी दिशायें अर्थ में केन्द्रित हो जाती है। उस समाज के लिए धर्म, मनोरंजन, आचार, नैतिक मूल्य सभी अर्थ के पर्याय बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जीवन की मूल चेतना का लोप हो जाता है। नज़ीर कालीन समाज में भी सम्भवतः आर्थिक चेतना का रूप वही था जो उनकी कविता – 'पेट की फिलासफी' और 'पेट' नामक कविता में व्यक्त हुआ है –

'आजिज है इसके वास्ते क्या शाह क्या वजीर। मोहताज है इसी के लिए बख्शी और अमीर।
चाकर नफर गुलाम तबगंर गनी फकीर।सब कर रहे हैं, फिक्र सदा पेट के लिए।

× ×   ×   ×   ×

अब खल्क में है छोटे–बड़े जितने पेशावर। सीखें उसी के वास्ते सब कस्ब और हुनर

× ×   ×   ×   ×

बैठे हैं सब दुकान लगा पेट के लिए।।'[4]

नज़ीर कालीन समाज की आर्थिक विपन्नता का चित्रण उनकी कोड़ी, पैसा, रुपये की फिलासफी, जर, मुफलिसी, आटे–दाल का भाव आदि कविताओं में हुआ है। इन कविताओं को पढ़ने से ऐसा महशूस होता है कि नज़ीर कालीन समाज पैसे के अभाव में जी रहा

था और उसकी चेतना पैसे के महत्व पर टिकी हुई उसे ललचाई नजरों से देखती रहती थी। 'कोड़ी' नामक कविता में आवाम की यह स्थिति साफ दिखाई देती है –

'कोड़ी है, जिनके पास वह पहले यकीन हैं। खाने को उनके नेमते सौ बेहतरीन हैं।
कपड़े भी उनके तन पे निहायत महीन हैं। समझे हैं उसको वह जो बड़े नुक्ताचीन हैं।
कोड़ी के सब जहान में नक्शों नगीन हैं। कोड़ी न हो तो कोड़ी के फिर तीन–तीन हैं।।'[5]

नज़ीर के समय का समाज दरिद्रता में इस कदर फँसा हुआ था कि पैसे के लिए मानवीय और नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था। सबकी चेतना पैसे पर ही केन्द्रित हो गयी थी। आपसी रिश्तों का नियामक भी पैसा हो गया था। देखें कवि नज़ीर के शब्दों में –

'असबाब था तो क्या–क्या रखते थे लोग रिश्ता। मुफलिस हुआ तो हरगिज रिश्ता रहा न नाता।
ने भाई–भाई कहता, ने बेटा कहता बाबा। इस पर नज़ीर मुझको रोना बहुत है आता।।'[6]

उस समय में आवाम की सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी। अपने श्रम पर जीने वाले छोटे पेशे के लोग परिश्रम करने के लिए तैयार होने पर भी कारोबार प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। बेरोजगारी की ऐसी स्थिति में उस आवाम की क्या हालात थी ये बात नज़ीर की कविता से भला कैसे बच सकती थी–

'मारे है हाथ–हाथ पे सब याँ के दस्तकार। और जितने पेशावर हैं, सब फिरते हैं जार–जार।
कूटे है तन लोहार तो पीटे है सक सुनार। कुछ एक–दो के काम का रोना नहीं है यार।
छत्तीस पेशे वालों के हैं कारोबार बन्द।।'[7]

आर्थिक विपन्नता से बुरी तरह ग्रस्त होता है तो यह लाजिमी है कि उस समाज में जहाँ एक तरफ सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो जाता है तो दूसरी तरफ समाज से गौरव, स्वाभिमान आदि नियामक तत्वों का भी लोप होने लगता है। नज़ीर कालीन समाज भी अपने नियामक तत्वों को खोकर खुशामदी बन चुका था। कवि नज़ीर ने अपनी 'खुशामद' नामक कविता में व्यंगात्मक स्वर में तत्कालीन समाज को चित्रित किया है –

'जो करते है खुशामद वह बड़े हैं इन्साँ। जो नहीं करते वह रहते हैं हमेशा हेराँ।
हाथ आते हैं खुशामद से हजारों सामाँ।

× × × × ×

चार दिन जिसको खुशामद से किया झुक के सलाम।
वह भी खुश हो गया अपना हुआ काम में काम।।'[8]

समाज में फैली तमाम विषमताओं और विकृतियों को देखते हुए नज़ीर एक दार्शनिक की भाँति आदमी के अस्तित्व पर विचार करते हैं। अपनी 'आदमी' कविता में नज़ीर ने आदमी–आदमी की विषमता को संकेतित करते हुए अपने समाज का एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है, जो इन्सानियत को टटोलने के साथ–साथ विषमता में समता का भाव फैलाता है। कवि नज़ीर की दृष्टि का यह तथ्य इस प्रकार है –

'दुनिया में पादशाह है सो है वह भी आदमी और मुफलिसो गदा है सो है वह भी आदमी
जरदार बेनवा है, सो है वह भी आदमी

× × × × ×

टुकड़े चबा रहा है, सो है वह भी आदमी'[9]

अपनी आदमी नामक कविता में ही कवि नज़ीर ने समाज के पतित रूप का जो चित्रण किया है उससे यह स्पष्ट रूप में पता चलता है कि उस समय के समाज में विषमता और अराजकता की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी। तत्कालीन समाज की अराजकता को बयाँ करने में कवि नज़ीर की ये पंक्तियाँ कितनी समर्थ दिखती है –

'बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा। और आदमी ही फिरते हैं रख सर पै ख्वांचा।।'[10]

नज़ीर के काव्य में आवामी जिन्दगी हर जगह दर्ज है, जिसका एक कारण यह भी है कि नज़ीर व्यक्ति को समाज के सन्दर्भ में और समाज को व्यक्ति के सन्दर्भ में देखना चाहते थे। कवि नज़ीर के जीवन विषयक दृष्टिकोण का यह भी एक पहलू हैं कि वे जीवन को स्थूलतम पहलू से सूक्ष्मतम पहलू तक पर्त दर पर्त खोलते हुए जाते हैं और उसी संदर्भ में जीवन की व्याख्या भी करते हैं। समाज का एक–दूसरा पहलू भी होता है जो कि प्रसन्नता और सुन्दरता के रूप में विद्यमान रहता है। यह प्रसन्नता और सुन्दरता तमाम त्योहारों, मेलों और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होती है। कवि नज़ीर की कविता का सम्यक् अवलोकन करने से हम पाते हैं कि नज़ीर की सामाजिक दृष्टि समाज के उस सुन्दर आनन्दमयी स्वरूप पर भी टिकी हुई है और उसे उन्होंने यथार्थ सामाजिक चेतना के साथ प्रस्तुत किया है। नज़ीर का मन आवाम की इस खुशी में इतना रमा है कि वे उसके साथ एकाकार हो गए। नज़ीर की कविता में जहाँ ईद और शब्बेरात का भावपूर्ण चित्रण है वहीं दूसरी ओर होली और दीवाली में भी नज़ीर आवाम के साथ जुड़े हुए हैं। नज़ीर की कलम से निकला होली का रंग इस तरह है –

'नज़ीर होली का मौसम जो जग में आता है। वह ऐसा कौन है जो होली नहीं मनाता है।
कोई तो रंग छिड़कता है, कोई गाता है। जो खाली रहता है तो देखने को जाता है।
जो भी ऐश चाहो मिलता है होली में।।'[11]

त्योहारों के साथ ही विभिन्न कुरीतियाँ भी जुड़ी हुई थीं। इनका कारण था लोगों का अंधविश्वास। नज़ीर ने अपने काव्य में आदमी को समझाया और उसे रूढ़ियों और बर्बादी से निजात देने का प्रयास किया। दिवाली का त्योहार जहाँ एक तरफ खुशी और

मिलन का भाव प्रकट करता है, वहीं दूसरी तरफ जुआ जैसी गन्दी प्रथा भी दीवाली के माध्यम से प्रकट हो रही थी। नज़ीर ने दिवाली पर जुआ खेलने वालों को फटकारते हुए जो व्यंग लिखा है वो इस प्रकार है –

'वो उसके झोंटे पकड़कर कहे है मारूँगा। तेरा जो गहना है सब तार–तार उतारूँगा।
हवेली अपनी तो इक दाँव पर मैं हारूँगा।ये सब तो हारा हूँ खंदी तुझे भी हारूँगा।
चढ़ा है मुझको तो अभी नशा दिवाली का।।'[12]

तत्कालीन आवाम में त्योहारों के प्रति क्या उत्साह था और उनसे मानवीय जीवन किस तरह प्रभावित होता था, इन सबका चित्रण कवि नज़ीर की कविता में स्पष्ट रूप से मिल जाता है। ईद का वर्णन करते हुए नज़ीर लिखते है –

'पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है। शीरों, शक्कर, सिवइयाँ पकाने की धूम है।
पीरों जवाँ की नेमतें खाने की धूम है। लड़कों को ईदगाह जाने की धूम है।।'[13]

नज़ीर की कविता में आवामी जिन्दगी के उपस्थित होने का ही यह फल था कि जहाँ एक ओर वे मुहम्मद साहब और गुरुनाकक को अपनी कविता में स्थान देते हैं वहीं पर श्रीकृष्ण भगवान को भी अपने आराध्य के रूप में अपनी कविता का विषय बनाते हैं। नज़ीर की ऐसी कविताएँ भावात्मक एकता का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। यदि मुहम्मद साहब की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है –

'रख अपने दिल में ऐ आदम के बिनकलमा मुहम्मद का। और अपनी उँगलियों ऊपर भी गिन कलमा मुहम्मद का।।'[14]

तो दूसरी ओर श्रीकृष्ण की लीलाओं और प्रशंसा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि

'मैं क्या–क्या वस्फ करूँ यारों, उस स्याम बरन अवतारी के।
सी किशन कन्हैया, मुरलीधर, मनमोहन कुंज बिहारी के।
× × × × ×
पतलाज रखैया, दुःखभजन हर भगति भगत आधारी के।।'[15]

नज़ीर अकबराबादी की कविता में आवामी जिन्दगी पूर्णतया उपस्थित है। उस समय का आवाम क्या कर रहा था, क्या चाह रहा था, उसके सामने क्या मुश्किलें थीं उसका सुख और दुःख क्या था, लोगों की जीवन चेतना क्या थी? ये सारी बातें नज़ीर की कविता में साफ तौर पर नजर आती है। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि नज़ीर अकबराबादी भारतीय लोकजीवन के एक महान पोषक कवि हैं। उनके व्यक्तित्व में सहजता और लोकानुभूति कूट–कूट कर भरी हुई है। जहाँ उन्होंने तत्कालीन आवाम की जिन्दगी का चित्रण किया है वहीं उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से तत्कालीन समाज को एक व्यापक आधार और दिशा प्रदान करने का भी काम किया है। नज़ीर की लोक कवि की छवि बनाने में उनकी भाषापरक विशिष्टता का भी योगदान है, अंततः हमें नज़ीर अकबराबादी को आवामी जिन्दगी का कवि स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए…।

सन्दर्भः

1. गुलजार – ए–नज़ीर – सं. डॉ. अलीम जफर, पृ. 219
2. गुलजार – ए–नज़ीर – सं. डॉ. अलीम जफर, पृ. 223
3. गुलजार – ए–नज़ीर – सं. डॉ. अलीम जफर, पृ. 223
4. नज़ीर ग्रन्थावली – सं. डॉ. नज़ीर मुहम्मद, पृ. 247
5. गुलजार–ए–नज़ीर – सं. डॉ. अलीम जफर, पृ. 139
6. गुलजार – ए–नज़ीर – सं. डॉ. अलीम जफर, पृ. 216
7. गुलजार – ए–नज़ीर – सं. डॉ. अलीम जफर, पृ. 78
8. गुलजार – ए–नज़ीर – सं. डॉ. अलीम जफर, पृ. 229
9. गुलजार – ए–नज़ीर – सं. डॉ. अलीम जफर, पृ. 232
10. गुलजार – ए–नज़ीर – सं. डॉ. अलीम जफर, पृ. 234
11. नज़ीर अकबराबादी के काव्य में समन्वय के स्वर (लेख) – डॉ. अब्दुल अलीम–इन्द्रप्रस्थ भारती, जुलाई–दिसम्बर 2002, पृ. 62
12. भाषा लोक संस्कृति और नज़ीर अकबराबादी – लक्ष्मण दत्त गौतम, इन्द्रप्रस्थ भारती, पृ. 48
13. नज़ीर के काव्य में समन्वय के स्वर, डॉ. अब्दुल अलीम, जुलाई–दिसम्बर 2002, पृ. 62
14. नज़ीर के काव्य में समन्वय के स्वर, डॉ. अब्दुल अलीम, जुलाई–दिसम्बर 2002, पृ. 62
15. नज़ीर के काव्य में समन्वय के स्वर, डॉ. अब्दुल अलीम, जुलाई–दिसम्बर 2002, पृ. 61

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 103-105

भारत में उच्च शिक्षा की दशा एवं चुनौतियाँ

डॉ0 शैलेन्द्र कुमार*
*असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, आगरा कॉलेज, आगरा, उ0प्र0

सारांश : मानव आदि काल से ही उत्तरोत्तर उन्नति की अपेक्षा रखता हैं तथा सभ्यता की ओर निरन्तर प्रयास भी जारी हैं। जिस समय आश्रम पद्धति थी उस समय में भी बड़े–बड़े ज्ञानी ऋषि, महात्माओं ने अपने स्तर से समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया हैं तथा जिसमें उपका कोई स्वार्थ नहीं रहता था। गुरु–शिष्य की परम्परा कायम थी। धीरे–धीरे समय के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग को उनको बुद्धि विकास व उनके शारिरिक गठन के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की गयी हैं।

इसी तारतम्य में प्राथभिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व उच्चा शिक्षा की व्यवस्था कुछ निजी व कुछ सरकारी क्षेत्रों में की गयी जी अधिकांशतः आज पूरे मनोयोग से कार्य कर रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हमारे संविधान में वर्णित हैं जिसका मूल उद्देश्य समाज में फैले असमानताओं अशिक्षा व अव्यावहारिक स्थिति को समाप्त करना है। प्राथमिक शिक्षा व पूर्व माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध लगभग 10 वर्ष तक के बच्चों से है जो स्वतः किसी बाहरी वस्तुओं अज्ञान रहते हैं। उन्हें आप अपने ढंग से समाज में पेश करते हैं। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हम युवाओं को देते हैं जो आधे परिपक्व होते हैं जिनकी उम्र लगभग 10–15 वर्ष तक की होती हैं। वह बाहरी समाज की ओर ज्ञान रखने को उत्सुक होता है। उसे भले–बुरे का ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा का भारतवर्ष में उच्च शिक्षा का प्रावधान ब्रिटिश काल से हुआ, जब हम गुलाम थे। गृह शिक्षा प्राप्त करने के बाद सक्षम व्यक्ति ही उच्च शिक्षा का सपना सोच सकता था क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना पड़ता था। यहाँ उच्च शिक्षा से तात्पर्य मात्र शैक्षणिक शिक्षा से नहीं बल्कि तकनीकी ज्ञान, चिकित्सकीय ज्ञान, विज्ञान की जानकारी आदि से भी है जिसकी आवश्यकता मानव जीवन में निरन्तर पड़ती है। आजादी के बाद जब उच्च शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने स्वयं ग्रहण किया तो उसमें कई महत्पूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा का विकेन्द्रीकरण, सामाजिक स्तर पर शिक्षा का प्रचार, अध्ययन विषयों का वास्तविक परिस्थिति अनुसार चयन करना, विदेशी पैटर्न पर शिक्षा को कम महत्व देना, सस्ता व सुलभ शिक्षा की व्यवस्था, आधुनिक युग के अनुसार शिक्षा प्रणाली लागू करना।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक भारत में उच्च शिक्षा की दीक्षा : स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है लेकिन क्या यह हमारे देश की उच्च शिक्षा, छात्रों को जीवन दृष्टि देने में या उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हुई। यह एक बड़ा प्रश्न है। यूनेस्को के डेलर्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी भी देश के शिक्षा का स्वरूप कैसा हो? उस की संस्कृति एवं प्रगति के अनुरूप हो। वर्तमान में हमारे देश की शिक्षा का इस प्रकार का है क्या? देश की उच्च शिक्षा को शिक्षा की मूलभूत संकल्पना आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होगा। इस हेतु इसके अनुरूप पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा की रचना हो। भारत शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा दोनों मामले में अपने बराबर के देशों से पीछे है। 18 से 23 वर्ष के बीच की कुल आबादी में उच्च शिक्षा के लिए पंजीकृत लोगों का अनुपात भारत में करीब 20 प्रतिशत के आस–पास है। इसे सकल पंजीकरण अनुपात कह सकते हैं। दूसरी ओर कई देश इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। चीन में यह अनुपात 28 प्रतिशत, ब्राजील में 36 प्रतिशत और जापान में 55 प्रतिशत है। उच्च शिक्षा देने वाले वैश्विक संस्थाओं की टाइम्स की ओर से जारी वरीयता सूचि में शीर्ष 200 संस्थानों में भारत का एक भी संस्थान शामिल नहीं है। इसी सूची में हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान के दो या दो से भी ज्यादा संस्थानों को जगह मिली है।

असल में 1991 के बाद में लागू हुए आर्थिक सुधारों में उच्च शिक्षा को पूरी तरह से नजर अंदाज किया गया है। मानव संसाधन मंत्रियों ने या तो सुधारों की पूरी तरह उपेक्षा की या फिर उन्हें लागू करने में वे नाकाम हुए। पाँच दशक से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन इस क्षेत्र में राजकाज के बुनियादी ढांचे में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। इस तंत्र के शीर्ष पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नामक संस्था है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और जिसे 1956 के यू.जी.सी. अधिनियम के जरिये वैधानिक दर्जा किया गया था। यह संस्था मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, बार काउंसिल आफ इंडिया, आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जैसे उसके परिषदों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साथ मिलकर उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर पूरा नियंत्रण रखती है। उदाहरण के तौर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके भीतर का कामकाज और नियमन इत्यादि। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिये सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो वे सरकारी क्षेत्र के होते हैं या फिर निजी पहला रास्ता यह है कि इसके लिए केन्द्र या राज्य सरकार एक कानून बनाये। दूसरा तरीका यह है कि यू.जी.सी. किसी मौजूदा संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करें। विश्वविद्यालयों व कालेजों पर यू.जी.सी., उसकी परिषदों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों का तकरीबन पूरा ही नियंत्रण होता है। केन्द्र और राज्य सरकारें अपने दायरे में आने वाले विश्वविद्यालयों के अनुदान को पूरी तरह नियंत्रित करती है। ये नियमित तौर पर इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है। इस विश्वविद्यालयों की गवर्निंग बॉडी में सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। नये अकादमिक कार्यक्रम या विषय शुरू करने के लिए इन विश्वविद्यालयों को सरकार या यू.जी. सी. की मंजूरी की दरकार होती है। इनमें फैकल्टी की नियुक्ति में सरकार और न्यायपालिका, दोनों का दखल होता है। जैसा की अकसर देखा जाता है कि किसी को नियुक्त विश्वविद्यालय के फैसले पर अदालत एक झटके में रोक लगा देती है। इसके अलावा

सरकारें और यू.जी.सी. ही शिक्षण शुल्क और फैकल्टी की तनख्वाह भी तय करते हैं। कालेजों को नये पाठ्यक्रम लागू करने या मौजूदा पाठ्यक्रमों की सामग्री में किसी भी तरह का फेर बदल करने के लिए मान्यता देने वाले विश्वविद्यालय से मंजूरी लेनी होती है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, यू.जी.सी. की मंजूरी के बगैर कोई भी नई डिग्री नहीं की जा सकती।

जिस समय यह व्यवस्था बनाई गयी थी, उस समय इसके पक्ष में तर्क भी थे। तब अर्थव्यवस्था संकुचित थी और प्रशासनिक संसाधन भी बहुत कम थे। तब यू.जी.सी. केन्द्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करके मुठ्ठी भर विश्वविद्यालयों में उसे समान रूप से लागू कर सकता था। फैकल्टी के मानक तय कर सकता था और गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकता था। आजादी के बाद जैसी परिस्थितियां थी। शायद यही कारण था जिसकी वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उस समय राष्ट्रीय हित में बेहतर तरीके से कम कर सकता था। आज दुनिया बदल चुकी है। पचास के दषक के मुकाबले अर्थव्यवस्था, आबादी और उच्च शिक्षा की जरूरते थी उसी हिसाब से विस्तार ले चुकी है। यह क्षेत्र जितनी तेजी से फैल रहा है, अब वह यू.जी.सी. और सरकारों के नियंत्रण से बाहर जाता दिख रहा है। वह किसी एक संस्थान के वष की बात नहीं है कि वह केन्द्रीय स्तर पर इतने बड़े शिक्षा तंत्र को नियंत्रित कर सके। यह तो बात हुई उच्च शिक्षा के प्रशासन और नियंत्रण की दशा की। अब यदि उच्च शिक्षा के शिक्षण व्यवस्था की बात करे तो यह अब पूरी तरह से विदेशी पैटर्न पर आधारित है। आज विश्वविद्यालयों और कालेजों में जो सेमेस्टर पद्धति अपनायी जा रही है। वह पूर्ण रूप से विदेशी पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार साल में दो सेमेस्टर की परीक्षाएं होती है। हर एक सेमेस्टर के परीक्षा के बाद सका रिजल्ट घोषित होना, नये सिरे से हर एक छात्र का पुनः नामांकन होना, इन सब प्रक्रियाओं में दो से तीन महीने बीत जाते हैं। इस प्रकार हर सेमेस्टर की कार्य अवधि 6 महिने के बजाय उसे 4 महीने ही बचती है। और शिक्षा के इस कार्य अवधि में अपना सेलेबस भी पूरा नहीं कर पाता तथा बच्चे भी केवल सेमेस्टर की परीक्षा पास करने के उद्देश्य से ही अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा का मूल उद्देश्य, उच्च ज्ञान की प्राप्ति अथवा रोजगारपरक ज्ञान की प्राप्ति, प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।

उच्च शिक्षा की दिशा : उच्च शिक्षा की पूर्व से लेकर वर्तमान तक की दशा का अध्ययन करने के पश्चात्, इसकी उचित दिशा क्या होनी चाहिए इसका भी अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। उच्च शिक्षा की उपरोक्त चिन्तनीय दशा पर निम्नलिखित सुझााव देने का प्रयास किया गया है।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की पुर्नरचनाः पाठ्यक्रम की जड़ता (रेजीमेन्टेशन) को समाप्त करना, पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे छात्रों में समाज एवं देश के प्रति संवेदनशीलता जागृत की जाय, पाठ्यक्रम में सामाजिक कार्य को अनिवार्य करना। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन किया जाय तथा उच्च शिक्षा के प्रत्येक संस्थान को गाँवों से या शहरी झुग्गी झोपड़ी से जोड़ा जाय। व्यवहारिक तथा व्यवसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाय, प्रत्येक तीन वर्षो में पाठ्यचर्या की समीक्षा की जाय, पाठ्यक्रम में मूल्यों का समावेष हो।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा से सम्बन्धित सभी आयोगों, सभी पंथ सम्प्रदायों एवं महापुरूषों में इसकी आवश्यकता रेखांकित किया है। मूल्य शिक्षा हेतु अलग से पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती। इस हेतु सभी संकायों में शुरू में उन संकाय की दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करने के पीछे का राष्ट्रीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण छात्रों के समक्ष आना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान हेतु कार्यक्रमों की योजना भी छात्रों के स्तर के अनुसार आवश्यक है।

विज्ञान के पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं आध्यात्म का समन्वय हो : आज विश्व भर में इसी बात पर चर्चा प्रारम्भ हुई है कि विज्ञान और तकनीकी का जिस प्रकार विकास एवं विस्तार हो रहा है जिसमें आध्यात्म का समन्वय नहीं किया गया तो विज्ञान एवं तकनीकी मानवता के बदले विनाश की ओर ले जायेगा। ''हमें केवल अपने राष्ट्र की अखण्डता ही सुरक्षित नही रखनी है उसके साथ अपनी सांस्कृति परम्पराओं को भी अक्षुण्य रखना होगा। समय आ गया है अब आध्यात्मक और विज्ञान का समन्वय करने का। यह समनवय ही हमें आण्विक युग में सुरक्षा प्रदान कर विकास की ओर उन्मुख कर सकेगा।''राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के समाधान एवं आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु निम्नलिखित बातों का समावेश हो। आतंकवाद एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक साम्राज्यवाद एवं वैश्विक मंदि, विज्ञान–आध्यात्मिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण शिक्षा की योजना एवं राष्ट्रीय योजना का तालमेल हो और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम की रचना हो।

भाषा : भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देना चाहिए, अन्य भाषाओं के उपयोगी साहित्य का भारतीय भाषा में अनुवाद हो, उच्च शिक्षा में भी भारतीय भाषा माध्यम, संस्कृत की पाण्डुलिपियों के अध्ययन हेतु एक प्राधिकरण बनाया जाय।

शोध कार्य : शोध कार्य को बढ़ावा देना–शोध खर्च बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना, देश और समाज की आवश्यकता के अनुरूप विषय पर शोध कार्य हो। वैश्विक संदर्भ में भारत में रिसर्च एवं डेवलमेंट में 2.5 प्रतिशत खर्च किया जाता है। जबकि चीन में 4 से 9 प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है। (यूनेस्को 2000), मूलभूत विज्ञान विषयों पर शोधकार्य कम हो रहे हैं, इसको बढ़ावा जाय। वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत का हिस्सा 2 प्रतिशत है जबकि चीन का हिस्सा 14.7 प्रतिशत है। (यूनेस्को 2000), विभिन्न विश्वविद्यालयों से हो रहे शोध छात्र के हो रहे शोषण पर रोक लगायी जाये, गलत प्रकार से हो रहे शोधकार्य एवं इस क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकना होगा।

शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ायी जाय : इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते है बी0एड0 का पाठ्यक्रम समग्रता से 4 वर्ष का हो, शिक्षण देने के पद्धति में बदलाव व विविधता लायी जाय, नियमित शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था हो और प्रशिक्षण में नैतिकता, व्यवसायिक निष्ठा एवं मूल्यों का समावेश हो।

आर्थिक व्यवस्था : सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा पर तथा उसमें से 1.5 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च हो, सामान्यतः उच्च शिक्षा में रीकरिंग एक्सपेंडिचर के 20 प्रतिशत शुल्क के रूप में छात्रों से लिया जाय। (पुनैया कमेटी) तथा व्यवसायिक

शिक्षा में 30 प्रतिशत शुल्क छात्रों से लिया जाय, सरकार उच्च शिक्षा के दायित्व से भाग नहीं सकती, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था हो, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों के शुल्क की व्यवस्था सरकार करे, योग्य छात्र पढ़ाई से वंचित न रहे, इसकी व्यवस्था हो। जो सक्षम है वह अधिक शुल्क दें यह दृष्टिकोण भी आवश्यक है (Those who can afford should pay.)

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शुल्क के अलवा भी आय के स्रोत के प्रयोग की योजना बने, पूर्व छात्रों की संस्था बनाकर हर वर्ष उनका सम्मेलन किया जाय तथा दानदाताओं की सूची बनाकर उनको संस्था से जोड़कर सहयोग लिया जाये, संस्था के भवन एवं व्यवस्थाओं का भी पूर्ण उपयोग करके आर्थिक संरचना खड़ी की जा सकती है।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण सुझाव : छात्रों की सुपर एनर्जी को चेनेलाईज करना, समाज व देश की आवश्यकताओं के साथ उच्च शिक्षा को जोड़ा जाये।

मेन पॉवर सर्वे के आधार पर क्षेत्रीय एवं राज्यों के आवश्यकताओं के अनुसार संस्थान खालें जायें : शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति अतिशीघ्र की जाय, परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक, परीक्षा कार्य शिक्षा का हिस्सा ही माना जाय, व्यवसायपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय, भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की जाय, शिक्षा में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक के आधार पर भेदभाव समाप्त किया जाय।

सन्दर्भ :

1. "India Country Summary of Higher Education" World Bank.
2. India 2009: A Reference Annual (53rd edition), 237
3. "Higher Education", National Informatics Centre, Government of India". Education.nic.in. Retrieved 2010-09-01.
4. "Latest Statistics on Indian Higher Education". DrEducation.com. 2012-07-17. Retrieved 2012-08-28.
5. "Central Universities". ugc.ac.in. Retrieved 6 June 2011.
6. "Private Universities - University Grants Commission". ugc.ac.in. 1 August 2011. Archived from the original on 2011-06-28. Retrieved 1 August 2011.
7. "The Institutes of National Importance".
8. India doesn't figure in world top-100 universities, Press Trust of India via timesofindia.com, 2010-09-12

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 106-107

भारत में गठबन्धन सरकारों की राजनीति : नवीन परिदृश्य

अम्बुजेश कुमार मिश्र*
*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, (उ0प्र0)

सारांश : प्रस्तुत शोध पत्र का मूल उद्देश्य भारत में गठबन्धन सरकारों की राजनीति : नवीन परिदृश्य का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत करना है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन हो। किसी भी देश में जीवंत लोकतंत्र की प्रथम दृष्टया मुख्य पहचान यह होती है कि वहाँ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति निरंतर गतिशील रहे।

'गठबन्धन' शब्द अंग्रेजी भाषा के 'कोयलिशन' का हिन्दी रूपान्तर है जो लैटिन भाषा के 'कोएलिशियो' शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है 'एक साथ जाना', 'एक साथ उगना या मिलना'। जिसक आशय हैं कि एक ऐसा संगठन जो किसी विषष उद्देश्य की पूर्ति के लिये विभिन्न पक्षों द्वारा बनाया गया हो। अंग्रेजी शब्द कोष में इसे विभिन्न दलों, व्यक्तियों या राज्यों का स्थायी रूप एक में विलीन हुए बिना किसी संयुक्त कार्य के लिये किया गया समझौता कहा गया है।[1] प्रो0 ऑग के अनुसार –''मिली–जुली सरकार ऐसे सहयोगी प्रबन्ध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमण्डल के निर्माण के लिये एक हो जाते हैं।''[2]

कश्यप तथा गुप्त ने लिखा है – ''मिली–जुली सरकार राजनीतिक समुदायों तथा शक्तियों का गठजोड़ है जो अस्थायी और कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिये होता है। राजनीतिक दलों का यह मिलन सरकारों के निर्माण या उनकी रक्षा करने के लिये बनाया जाता है। जिन दलों के सहयोग के फलस्वरूप संयुक्त सरकारों का निर्माण होता है वे एक बुनियादी राजनीतिक कार्यक्रम पर एकमत होते हैं।''[3] विलियन एच0 रिकर ने अपनी पुस्तक में इसका विशद् वर्णन करने हुए लिखा है कि –''स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर गठबन्धन को 'गेम थ्योरी' के आधार पर समझौते हुए बताया है कि इस खेल में राजनीति खिलाड़ी एक व्यक्ति, वर्ग या समूह हो सकता है। प्रत्येक राजनेता को एक बौद्धिक घटक कहा जाता है।''[4]

संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का संगठन सरकारों का निर्माण करने के लिये बनाया जाता है, जिनमें सम्मिलित दल एक राजनीतिक बुनियादी कार्यक्रम पर एकमत होते हैं। जो दल बड़ा होता है वह एक से अधिक छोटे–छोटे दलों को मिलाकर बहुमत प्राप्त करने के लिये संगठन का निर्माण कर लेता हैं। कभी–कभी छोटे–छोटे दल बड़े दल को सत्तारूढ़ होने से रोकने के लिये गठबन्धन को निर्माण कर लेते हैं।[6]

भारतीय राजनीति और गठबन्धन सरकारें : भवानी सेन गुप्ता ने कहा है कि –''गठबन्धन सरकारों के गठन और जीवन तथा कार्यकरण के लिये जिस प्रतिभा और संस्कृति की आवश्यकता होती है, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में अभी तक वस्तुतः उसका अभाव रहा है। अस्थायी गठबन्धन सरकारों या अल्पमत सरकारों के क्रम ने राज्य के संकट में योगदान किया है, क्योंकि राज्य, सरकार के साथ गुँथा हुआ है।''[7] भारतीय संघ में केन्द्र के स्तर पर अब तक 12 गठबन्धन की सरकारें स्थापित हुई हैं – ई0पी0डब्ल्यू0डी0 कोस्टा के अनुसार–''चतुर्थ आम चुनाव में भारतीय जनता द्वारा मतदान के आधार पर क्रांति लाने का कार्य किया गया।''[8] आपातकाल के पश्चात् 1977 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा पहली बार सत्ता प्राप्त करने के लिये तथा सत्ता से कांग्रेस को हटाने के लिये चुनाव लड़ा गया। भारतीय राजनीति के पाँच घटकों : संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल, संयुक्त समाजवादी दल और चन्द्रशेखर के नेतृत्व में विद्रोही कांग्रेस ने मिलकर 'जनता पार्टी' के नाम से एक नये राजनीतिक दल का गठन किया। (जगजीवन राम के नेतृत्व में 'कांग्रेस फार डेमोक्रेसी' इसमें बाद में सम्मिलित हुई) यह गठबन्धन चुनाव पूर्व गठबन्धन था। इसे चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। परन्तु आपसी कलह के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और चरण सिंह प्रधानमंत्री बने परन्तु गठबन्धन में शामिल दलों के अन्तर्विरोध उजागर होने लगे फलस्वरूप 23 दिन बार सरकार गिर गयी।[9] 'यह तथ्य है कि चरण सिंह मंत्रिमण्डल अपने सदस्यों के आपसी मतभेदों से देसाई मंत्रिमण्डल की तुलना में भी अधिक पीड़ित था।[10] कुलदीप नायर ने लिखा है–''केन्द्र में जनता पार्टी सरकार की स्थिति एक गठबन्धन सरकार जैसी रही, और सत्ता में भागीदार सभी गुट इस बात के प्रति सजग रहे।''[11]

17वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल–मई 2019 में सम्पन्न हुए जिनमें नरेन्द्र मोदी को शासन सत्ता से दूर करने के लिये महागठबन्धन का राजनीतिक दौर चला। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला रा0ज0ग0, यू0पी0ए0 तथा महागठबन्धन के बीच था। एक बार पुनः इस चुनाव में 353 सीटों के साथ रा0ज0ग0 सबसे बड़ा दल तथा 303 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और पुनः 30 मई 2019 को श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। वर्तमान समय में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की सरकार कार्य कर रही है। गठबन्धन सरकारों के प्रसंग में एक प्रश्न यह पैदा होता है कि भारतीय जनता केन्द्र में गठबन्धन सरकार चाहती है या एक दल की सरकार। यह तथ्य है कि भारतीय जनता गठबन्धन सरकार नहीं चाहती और केन्द्र के स्तर पर तो पूर्णतया नापसन्द करती है। अभी तक केन्द्र स्तर पर जितनी भी सरकारें गठित हुई है उनमें अधिकांश गठबन्धन सरकारों के बारे में यह कहा जा सकता है कि – ये सरकारें जनादेश नहीं अपितु राजनीतिक परिस्थितियों और राजनीतिक विवशताओं का परिणाम रही हैं। इस बात ने इन सरकारों की वैधता को आघात पहुँचाया है। लोकतंत्र में 'जनादेश के बिना शासन' एक विडम्बना ही है। ये सभी सरकारें अपने कार्यात्मक दृष्टिकोण से दिशाहीन रहीं, जिसने सामान्य जनता के मनोबल को आघात पहुँचाया। इनके अन्दर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का भी अभाव रहा। कभी प्रधानमंत्री व उपप्रधानमंत्री के बीच 'शाह और मात का खेल' देखा

गया। इन गठबन्धन सरकारों ने राजनीतक अस्थायित्व को जन्म दिया। व्यवहार में इन सरकारों ने केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री की स्थिति को कमजोर किया। परन्तु 2014 के बाद गठित एन0डी0ए0 की सरकार के बाद सरकार के कार्य करने की तस्वीर पूर्ववर्ती सरकारों से अलग दिखाई दी। इसने अपने धटक दलों के साथ मिलकर अवसरवादिता की राजनीति, भ्रष्टाचार एवं गठबन्धन के अपने निजी स्वार्थ से अलग हटकर राजनीतिक, नैतिकता पर आधारित कार्य करने का प्रयास किया। मोदी सरकार के द्वारा किये गये कार्यों, निर्णयों ने केन्द्र सरकार एवं प्रधानमंत्री की स्थिति को सशक्त किया और एक गठबन्धन सरकार की सफलता के लिये जिस समझ, सूझबूझ, राजनीतिक परिपवक्ता और संस्कृति की आवश्यकता होती है उसे अपनाया। जिसका पूरा–पूरा लाभ उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला, जिसमें जनता ने उन्हें सम्मानजनक बहुमत प्रदान किया। यह निश्चित ही गठबन्धन सरकार की प्रासंगिक सफलता के लिये एक साकारात्मक संकेत है।

भारत में क्रमशः गठबन्धन की राजनीतिक संस्कृति का विकास हो रहा है। गठबन्धन सरकारों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो 1989 से लेकर 2018 के चुनाव एवं सरकार की कार्यशीलता की दृष्टि से गठबन्धन परिपक्व दिख रहा है। इसकी सफलता के लिये यह आवश्यक है कि गठबन्धन की संस्कृति को अपनाते हुए छोटी–छोटी बातों के लिये गठबन्धन तोड़ने या छोड़ने की प्रवृत्ति बन्द करनी होगी, व्यक्तित्व की जगह विचारधारा को प्रतिष्ठित करना होगा। 'नेताओं के दल के स्थान पर दलों के नेताओं' की प्रवृत्ति को अपनानी होगी। गठबन्धन में अवसरवादिता की प्रवृत्ति एवं किसी एक दल की तानाशाही की प्रवृत्ति को रोकनी होगी। 'दायित्व के बिना सत्ता'' की स्थिति को रोकने के लिये गठबन्धन चुनाव पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि ''बाहरी समर्थन के आधार पर कार्यरत अल्पमतीय और सूक्ष्मतीय सरकारों का प्रयोग पूर्णतया असफल सिद्ध हुआ है।'' गठबन्धन की सरकार को उसके स्वाभाविक रूप से अपनाते हुए सरकार का नेतृत्व उस राजनीतिक दल द्वारा किया जाना चाहिए, जिसने चुनाव मे प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त लोकसभा में संख्या के आधार पर घटक दलों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गठबन्धन में शामिल क्षेत्रीय राजनीतिक दलों नीतियों और विचारों के मामलों में होने वाले सम्भावित टकरावों से निपटने के लिये एक सर्वमान्य तरीका पहले से ही तय कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति गठबन्धन सरकार के दौर में ही होती है। साथ ही सभी नेताओं के बीच गठबन्धन सरकारों के निर्माण और कार्यकारण सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया पर गम्भीर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। प्रत्येक दल को दूसरे दल का सम्मान करना चाहिए तथा व्यक्तिगत आक्षेपों से बचा जाना चाहिए। साथ ही साथ इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि केन्द्र में गठबन्धन की राजनीति से उत्पन्न राजनीतिक अस्थायित्व को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। इनके साथ–साथ मतदाताओं को भी जागरूक होना अत्यन्त आवश्यक है उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी सूझ–बूझ और दूरदर्शिता के साथ करना चाहिए तथा मतदान करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न भी प्राप्त हो किन्तु कम से कम इतनी सीटें अवश्य प्राप्त हो जायें कि वह एक मजबूत एवं स्थायी सरकार का गठन कर सके। अंततः दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के आधार पर ही हमें अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों और राजनीतिक संस्कृतियों के अनुरूप मार्ग खोजना होगा। वर्तमान समय में तो यह बात निर्मूल सिद्ध हुई है कि गठबन्धन की सरकार टिकाऊ नहीं होती है तथा विकास नही करती है।

उपरोक्त सुझावों के आधार पर ही भारतीय राजनीति में स्वस्थ एवं स्थायी लक्षणों का समावेश सम्भव हो सकता है तथा गठबन्धन सरकारें भारतीय राजनीति में, अनेकता में एकता की भावना को साकार कर, राष्ट्रीय अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय समाधान प्रस्तुत कर, क्षेत्रीय दलों द्वारा उपजी संकीर्णता से राजनीति को मुक्त कर गठबन्धन सरकार की सफलता का नया इतिहास लिख सकती है।

सन्दर्भ :

1. दि आक्सफोर्ड डिक्शनरी – द्वितीय संस्करण, ऑक्सफोर्ड, पृ0 382
2. सिंहल, डॉ0 सुरेश चन्द्र : भारतीय शासन एवं रजानीति, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 2009–10, पृ0 332
3. कश्यप, सुभाष एवं विश्व प्रकाश गुप्त : राजनीति कोश, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2009, पृ0 57
4. रिकर, विलियम एच0 : द थ्योरी ऑफ पोलिटिकल कोलिशंस, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1962, पृ0 12
5. फड़िया, डॉ0 बी0एल0 एवं डॉ0 कुलदीप फड़िया : भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 2018, पृ0 670
6. जोशी, पी0आर0 : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : पुनर्रचना के नये आयाम, आर0एस0 रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000, पृ0 210
7. गुप्ता, भवानी सेन : इण्डिया–प्रॉबलम्स ऑफ गवर्नेन्स; कोणार्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1996, पृ0 104
8. कोस्टा, ई0पी0 डब्ल्यू0डी0 : रुट ऑफ चेन्ज इन पापुलर वोट : द हिन्दु; 17 मार्च 1967
9. जोशी, पी0आर0 : पूर्वोद्धृत, पृ0 211
10. Moraes, Dom : Smt. Gandhi, Vikash Publishing House, New Delhi, 1980, P.321
11. नायर कुलदीप : चरन सिंह मई स्ट्रइस एट सेन्टर; इण्डियन एक्सप्रेस, 21 अप्रैल, 1979, पृ0 1

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 108-109

समसामयिक परिदृश्य में भारत में गठबन्धन की राजनीति : एक अध्ययन

महेश कुमार सिंह*
*शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : प्रस्तुत शोधपत्र में 'समसामयिक परिदृश्य में भारत में गठबन्धन की राजनीति : एक अध्ययन' का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय राजनीति में गठबन्धन सरकारों के युग का सूत्रपात बीसवीं शताब्दी के मध्योपरांत के दशक से ही हो चुका है।

भारतीय राजनीति में गठबन्धन की राजनीति कोई नूतन तथ्य न होकर चुनावी राजनीति के अस्तित्व के समय से ही परिलक्षित होती रही है, जिसके माध्यम से सत्ता प्राप्ति में विभिन्न राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाता रहा। आज हमारे समाज की इस वैविध्यपूर्णता को मानने एवं स्वीकार करने की आवश्यकता है, जिससे गठबन्धन सरकारें सफलतापूर्वक स्थायी सरकार के रूप में चलाई जा सके।[1] भारतीय लोकतंत्र के गत दो दशकों के कार्यकलापों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यहाँ गठबन्धन की राजनीति सिर्फ सतही नहीं है, वरन् इसकी जड़ें गहरी जम चुकी है।[2] गठबन्धन सरकारों का निर्माण जिन घटक दलों के सहयेाग के फलस्वरूप होता है, उनमें बुनियादी राजनीतिक कार्यक्रमों के ऊपर मतैक्यता पायी जाती है।[3]

लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धी दल के अभाव में कल्पना युक्तियुक्त नहीं है। चतुर्थ आम चुनाव तक भारतीय राजनीति में प्रतिस्पर्धी दल का अभाव दृष्टिगत होता है। भारत प्रायः एक दलीय व्यवस्था की श्रेणी में रखा जाने वाला देश था। एलेन वाल ने 'दल पद्धति के वर्गीकरण' में भारत और मलाया को 'प्रभावी दल पद्धति' के अन्तर्गत रखा है।[4] राज्यों में अधिकांश समय तक कांग्रेस का एकाधिकार रहा। राज्यों में सरकारों को एक स्वायत्त इकाई के रूप में देखा गया, जिससे राज्यों के हितों की क्षति हुई और राज्य की जनता में क्षोभ उत्पन्न होने लगा। प्रारम्भिक दिनों में केन्द्र तथा प्रांतों की सत्ता में जो लोग थे उनमें से अधिकांशतः स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले लोग थे। जो राजनीति में सेवा हेतु संलग्न हुए थे, किसी स्वार्थ या लाभ हेतु नहीं। तत्कालीन राजनीति में नेहरू जी के व्यक्तित्व के सम्मुख सभी छोटे थे, किन्तु नेहरू जी की लोकतंत्र में असीम आस्था थी। इसलिए वे संसद तथा विधानसभाओं में अपने विरोधियों को भी (जो योग्य तथा क्षमतावान थे) भेजने में विश्वास रखते थे। इसलिए केन्द्र तथा प्रान्त में कोई विवाद नहीं था।[5]

गठबन्धन सरकारों के मध्य परस्पर अविश्वास और एक–दूसरे के खिलाफ विरोध के भाव प्रस्फुटित होते रहते है, जिससे निरन्तर जोड़–तोड़ की भयावह स्थितियाँ बनी रहती है। सरकार न्यूनतम कार्यक्रम में सहमति के बावजूद ठीक ढ़ंग से कार्य सम्पादित नहीं कर पाती। इन कार्यक्रमों के विविध पहलुओं के क्रियान्वयन में अन्तर्द्वन्द्व की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि कार्यक्रम पर सबकी मतैक्यता होती है, परन्तु जब कार्यक्रम ही अस्पष्ट एवं कमजोर होता है, तो उसका क्रियान्वयन भी बहुत मुश्किल से संतोषप्रद होता है। इससे कार्यसम्पादन आधे–अधूरे ही रह जाते है। गठबन्धन सरकारों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि ''ये सरकारें सदैव खतरनाक और अलोकप्रिय विकल्पों से बचने की कोशिश करती है और निर्णय को स्थगित करती रहती है।''[7] सरकारें किसी भी समस्या की प्रत्यक्षतः निराकरण करने में सक्षम नहीं होती है। वे इस हेतु कोई ठोस समाधान देने में विफल होती है। इसका मात्र कारण मूल्य आधारित राजनीति की जगह स्वार्थपरक राजनीति है।

यद्यपि चुनावी राजनीतिक प्रयोगशाला में गठबन्धन का सर्वप्रथम प्रयोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया। जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि अग्रेतर भारतीय राजनीति में किसी एक दल की प्रभुता का अस्तित्व नहीं बना रह सकता। 1989 का वह वर्ष भारतीय राजनीति के लिए एक युगान्तकारी वर्ष रहा है। जिसे वास्तविक रूप में केन्द्र में गठबन्धन की राजनीति का श्री गणेश माना जा सकता है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिसम्बर 1989 में भाजपा तथा वामदलों के वाह्य समर्थित राष्ट्रीय मोर्चा के रूप में जो सरकार बनी, वह 1990 में भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने से अपदस्त हुई। नवम्बर 1990 में श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित गठबन्धन सरकार सत्तारूढ़ हुई, जो 21 जून 1991 तक रही। वर्ष 1991 में ही श्री पी0वी0 नरसिंहराव के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थायी सरकार बनी जिसने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। मई 1996 के आम चुनाव में पुनः किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने से भाजपा ने अपने सहयोगियों संग सरकार गठन का दावा पेश किया और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार का गठन हुआ, जिसका लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध न कर पाने से 13 दिनों में ही अन्त हो गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पतनोपरांत जून 1996 में देवगौड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित सरकार सत्तारूढ़ हुई, जो कांग्रेस के हठधर्मिता के कारण मात्र 10 माह बाद ही इसका अन्त हो गया। अप्रैल 1997 में इन्द्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में कांग्रेस व मार्क्सवादी दल समर्थित सरकार बनी, जिसका शीघ्र ही अन्त हो गया। 12वीं लोकसभा आम चुनाव 1998 बहुत महत्वपूर्ण है, जो त्रिशंकु संसद व खण्डित जनादेश के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी जिसका अपने ही सहयागी दल की हठधर्मिता के कारण अंत हो गया।

दसवीं लोकसभा आम चुनाव वर्ष 1989 से बारहवीं लोकसभा आम चुनाव 1998 के आम चुनावों में लगभग अन्तर्विरोधयुक्त गठबन्धन सरकारें बनी जो अल्पायु रही, किन्तु तेरहवीं लोकसभा आम चुनाव 1999 में भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने से चुनाव पूर्व भाजपा व सहयोगी दलों ने 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन' का निर्माण कर प्रथम बार चुनाव पूर्व न्यूनतम साझा कार्यक्रम आधारित गठबन्धन कर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पुनः जो सरकार सत्तारूढ़ हुई, इसने अपना कार्यकाल पूरा किया। यह गठबन्धन सरकार अन्य गठबन्धन सरकारों से भिन्न थी क्योंकि यह गठबन्धन चुनाव पूर्व किया गया था। गठबन्धन की संस्कृति

विकसित अवस्था की ओर अग्रसर थी। सरकार समस्त क्षेत्रों में चतुर्दिक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, चाहे वह राष्ट्रीय फलक हो या अन्तर्राष्ट्रीय। वाजपेयी जी गठबन्धन धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करते हुए गठबन्धन की राजनीति के महत्व की समझ विकसित कर लिए थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लोकसभा में 17 अप्रैल 1999 को दिये गये वक्तव्य से समीचीन प्रतीत होता है कि –''हम तो प्रारम्भ से कह रहे है कि भारत की राष्ट्रीय राजनीति जिस तरह से मोड़ ले रही है, उसमें क्षेत्रीय दलों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्षेत्रीय दलों का उभार हमारी विविधता का परिचायक है। यह इस बात का संकेत है कि जो अपने को अखिल भारतीय दल कहते हैं, वे प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सके है।....... अनेक क्षेत्रीय दल हमारे साथ है। जो बाद में हमें छोड़कर चले गए है उन्होंने भी ऐसा रवैया नहीं अपनाया, जो इस देश की एकता एवं अखण्डता के लिए आपत्तिजनक हो। उनसे मतभेद हुए लेकिन देश की एकता में उनका विश्वास डिगा नहीं। यह एक शुभ लक्षण है, जिसका स्वागत होना चाहिए।''[8]

चुनाव पूर्व भाजपा नीत 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन' की अभूतपूर्व सफलता से प्रभावित कांग्रेस पार्टी 'एकला चलो' की राह त्याग कर गठबन्धन की राजनीति का अनुशरण किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन अपनी उपलब्धियों पर अतिविश्वस्त होकर समय पूर्व ही चुनाव कराने का निर्णय लिया, जो उसकी भयंकर भूल साबित हुआ। चुनाव परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन को वह आशान्वित सफलता नहीं मिली, जो कांग्रेस समर्थित सहयोगियों (संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन) को मिली। 'संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन' 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन' से 7 सीट अधिक प्राप्त कर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल रही। इस गठबन्धन में वामपंथी दलों ने वाह्य समर्थन देना स्वीकार किया। जिसने प्रारम्भ से ही विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाते रहे। येनकेन प्रकारेण यह अपने कार्यकाल को पूरा करने में सफल रही। 15वीं लोकसभा आम चुनाव 2009 में जनादेश पुनः गठबन्धन सरकार के पक्ष में आया और कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार की वापसी हुई। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रही थी जो स्वाधीन भारत के अब तक के सबसे बड़े घोटालों में उलझी रही।[9] प्राप्त जनादेश को कांग्रेस समर्थित यूपीए तीव्रतर कमजोर करते हुए किसी तरह अपने कार्यकाल को पूरा किया।

16वीं लोकसभा आम चुनाव 2014 के उपरांत भारतीय राजनीति एक नूतन कलेवर में परिलक्षित हुई। पूर्व चुनावों में प्राप्त जनादेश से यह आम धारणा बन चुकी थी कि अब भारतीय राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाना कठिन होगा, किन्तु भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ने श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में गठबन्धन की राजनीतिक झंझावातों से मुक्त होकर सरकार का गठन किया और सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल को पूर्ण किया।

निष्कर्षतः भारत में शनैः शनैः गठबन्धन राजनीति की संस्कृति परिपक्व होती दिख रही है। गठबन्धन संस्कृति को आत्मसात करते हुए छोटी–मोटी बातों के लिए गठबन्धन जोड़ने या छोड़ने की प्रवृत्ति का अन्त करना होगा, व्यक्ति के स्थान पर विचारधारा को प्रोत्साहित कर प्रतिष्ठित करना होगा। गठबन्धन की राजनीति में दोष ढूढ़ने के बजाएं इसमें आयी हुई विकृतियों को दूर करना होगा। राजनीतिक दलों को विवेकशीलता, कर्त्तव्यनिष्ठा, परिपक्वता, नैतिकता एवं ईमानदारी के गुणों संग राजनीतिक शुचिता, पारदर्शिता एवं नैतिक मूल्यों की पुनःस्थापना करना होगा। राजनीतिक दलों को स्वहित का त्यागकर राष्ट्रहित को प्रमुखता देकर भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में अस्थायी एवं मजबूर सरकार के स्थान पर स्थायी और मजबूत सरकार के निर्माण हेतु प्रयत्न करना होगा जिससे भविष्य के सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके।

सन्दर्भ :

1. अटल बिहारी वाजपेयी, गठबन्धन की राजनीति, सम्पादक– डॉ0 ना0भा0 घटाटे, प्रभाव प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2004, पृ0 11
2. आर0बी0 जोशी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था : पुनर्रचना के नये आयाम, आढ़ा आर0एस0 रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000, पृ0 210
3. डॉ0 सुभाष कश्यप एवं डॉ0 विश्व प्रकाश गुप्ता, राजनीतिकोश, हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2009, पृ0 64
4. डी0सी0 गुप्ता, भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीति, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1972, पृ0 435–437
5. चार्ल्स ए मिकॉड : फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजिकल मिथ्स एण्ड सोशल रिएलिटीज, सिग्मण्ड न्यूमैन, शिकागों, 1956, पृ0 106
6. एलेनबाल, आधुनिक राजनीति और शासन, मैकमिलन प्रकाशन, 1971, पृ0 99
7. डॉ0 अर्जुन मिश्र, भारत में गठबन्धन की राजनीति, गठबन्धन की राजनीति, डॉ0 वीणा गोपाल मिश्रा (सं0) ए0एस0आर0 पब्लिकेशन, गाजियाबाद (लोनी), 2013, पृ0 128
8. अटल बिहारी वाजपेयी, गठबन्धन की राजनीति, सम्पादक डॉ0 ना0 भा0 घटाटे, प्रभाव प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2004, पृ0 11
9. डॉ0 बी0एल0 फाड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन, आगरा, 2018, पृ0 686

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 110-111

भोजपुरी प्रबन्ध लोक काव्य 'शहडोलन' का संक्षिप्त परिचय

डॉ0 चन्द्रभान सिंह*
*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, हिन्दी, रामनवल सिंह स्मारक पी0 जी0 कॉलेज, चिरैयाकोट–मऊ, उ0प्र0

''शहडोलन''[1] भोजपुरी लोक गीतों में रचित प्रबन्ध काव्य है। इसमें दो मित्रों की आपसी प्रेम प्रगाढ़ता का वर्णन किया गया है। इस प्रबन्ध गीत में रानी मारूका तथा राजा शहडोलन का प्यार दो हृदयों में पलकर संसार के सामने आदर्श के रूप में उपस्थित किया गया है।

मेरंग शहर का राजा मोतीलाल था और नरूवर शहर का राज नल। दोनों आपस में मित्र थे। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श किया कि यदि दोनों में से किसी एक को लड़का तथा किसी एक को लड़की हो जाती तो हम लोग उन दोनों की शादी कर देते जिससे हम लोगों की मित्रता रिश्ता में परिवर्तित हो जाता। संयोगवश ऐसा ही हुआ। राजा नल को लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शहडोलन पड़ा। उधर राजा मोतीलाल को लड़की हुई जिसका नाम मारूका पड़ा। अपनी पूर्व योजना के अनुसार समय आने पर दोनों ने अपने पुत्र–पुत्री की आपस में शादी कर दी।

शादी से वापस आ रहे शहडोलन की बारात में से किसी व्यक्ति ने एक बाघ के जोड़े में से नर को मार दिया। तब मादा रोने लगी और कहने लगी, 'कि जिस दिन तुम्हारा लड़का गवना कराके वापस जायेगा। उसी दिन मैं तुम्हारे लड़के को मार दूगीं, इससे राजा नल को बहुत चिन्ता हुई। उसने सोचा कि ऐसा करें कि मेरे लड़के को पता ही नहीं चले कि उसकी शादी कहाँ हुई है जिससे वह न तो गवना करायेगा और न ही बाघिन उसे मार पायेगी। अतः राजा ने इसके लिए शहडोलन के एक मित्र बनजारे को व्यापार करने के लिए मोरंग शहर जाने को मना किया। उसके विवाह में मिला कारूल नामक घोड़ा छिपा दिया। इस प्रकार उसने अनेक उपाय किये। उधर मोरंग शहर में रानी मारूका जवान हो चुकी थी उसे पति वियोग अब सहा नही जाता था :–

आरे पहिया बरखवा भइले असरवा कऽ। मेघवा बोले ला मिठिय बोल जी।।
अरे जो घरे होते पिया हमरे अटरिया। सखिया! हमहूँ बोलती मिठीऽ बोल जी।।

एक दिन शहडोलन के मित्र बनजारे ने सोचा; 'कि मेरे मित्र के पिता क्यों मोरंग शहर जाने को मना किया करते हैं। इसलिए चलना चाहिए; आखिर क्या राज है वह अपनी पत्नी तथा बेचने की वस्तुएँ लेकर एक दिन चल दिया। उधर रानी मारूका स्वप्न देख रही थी कि मेरे पति के मित्र आ रहे हैं तो अपनी सखियों से कहने लगी :–

आरे एक ही सपना हम देखीला सखिया हो, सपना देखलो अजगूत जी।। जे नाहीं सॉच होई हमरे सपना सखिया हो, तलवा पोखरिया देब पटवाई जी।। आरे कुलहीन चिरइयन क जोड़वा फोरवाइब सखिया हो, देबो चित्रकुट ढहवाई हो।।

दूसरे दिन बनजारा मोरंग शहर पहुँच गया। वहाँ रानी मारूका का सौन्दर्य देखकर वह जमीन पर गिर पड़ा। तब बनजारे की पत्नी कहने लगी :

आरे तोहरे जे अँखिया में रानी बेइमनिया, अगवाँ त लिहलू रानी बरधी मोर मलिया।
पिछवाँ दिहलू मोर बनजरवा के मार जी। रानी मारूका ने जवाब दियाः–
आरे नाही ये रानी तोहार लिहली बरधी मलिया, नाहि लिहली तोरे बनजरवा के मार जी।।
तोहर जे पति मोर देखल सूरतिया। पकवा पर गिरै मुरछाय जी।।

इसके बाद दोनों में परिचय हुआ। रानी मारूका ने पूछाः–

आरे केकरा हऊवा अरजा से परजा, केकरा बाटे समिया तोहार आरजी।।

बनजारे की पत्नी ने कहा :–

आरे राजा नरूवर क हम अरजा से परजा, राजा शहडोलन क समिया आर जी।।

परिचय होने के बाद कुछ दिनों तक बनजारा व्यापार करता रहा। अन्त में अपना सामान बेच लेने के बाद घर चलने को वह तैयार हुआ तो रानी मारूका ने अपने पति के लिए बनजारे को एक पत्र दिया। रानी मारूका बनजारे को गाँव से कुछ दूरी पर स्थित नदी तक पहुँचाने आयी तथा मल्लाह से नॉव माँगने लगी :–

आरे सुनबा तू सुनबा हो केवट मलहवा भइया, नइया लेआवा पार जी। आरे नइया ले आवा मलहा पहूँना उतरबों, आरे पहुना उतारा ओही पार जी।।

मल्लाह ने उन्हें नाव से पार उतार दिया। रानी मारूका घर वापस चली गयी और अत्यन्त खुश हुई कि मेरे पति के यहाँ मेरी विरह पाती अवश्य पहुँच जायेगी। इसी खुशी में वह दान देने लगीः–

आरे दानी राजा क हम दानी लड़किया हो,दनवा लूटवात घरवा जाईब जी।।

बनजारा पत्र लेकर नरूवर शहर पहुँचा तो उसने सोचा थोड़ा मदिरा पान कर लूँ तब मित्र का पत्र पहुँचाऊ। नशे की स्थिती में वह पत्र पढ़ने लगा राजा नल ने उसे पत्र पढ़ते देख लिया और बनजारे को मारने–पीटने लगे। जब बनजारे को उसका मित्र शहडोलन मिला तो वह रो रो कर कहने लगाः–

आरे एक ओर रोवत बाड़े दूरजन सहुआ, एक ओर रोवेल नरूवर सरदार जी।।
रोई–रोई कहत बाटे दूरजन सहुआ, मिता करे गइली तोहार ससुरार जी।।

तोहरी जननवा एक चिठिया दिहली, आरे नाही दिहली चिठिया तोहार जी।।
नसवा में होके हम चिठिया पढ़त रहली, तोहार बाप हमके दिहल तरवायजी।।

शहडोलन ने कहा मित्र मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरी पत्नी कहाँ से हो गयी। बनजारे ने प्रमाण के लिए दहेज में मिले कारूल घोड़े को दिखाया। इसी घोड़े ने शहडोलन को विपत्ति में मानवीय आचरण करके बचाया। शहडोलन को जब विश्वास हो गया तो उसने माँ से गवना के लिए कहा। जब माँ ने दूसरी शादी करने के लिए कहा तब शहडोलन ने उत्तर दियाः–

आरे नाही हई माता कनु कलवरवा हो, आरे नाही हुई अहीर गड़ेरी जी।।
छतरी धरमवा क छतरी लड़िकवा हो, नाही करबों दूसरा बिआह जी।।

लाख समझाने पर भी वह नही माना। गवना कराने चल दिया। मार्ग में उसे कई जादूगिरिनें मिलीं और उसे तोता, भेड़ा बनाकर अपनी सेज पर पौढ़ाने लगी। यहाँ रानी मारूका अपने सत्य के बल देख रही थी, और कहने लगीः–

आरे एक ही माई बाप क एक ही लड़किया हो, आरे एक ही पुरूषा के नार जी।।
जो हमरी देहिया में सत्य जे हो खे, जाके लगे हिरिया दुवार जी।।

अन्त में उसने वहाँ से मुक्ति पायी तथा वहाँ पर अनेक कष्टों को सहते हुए रानी मारूका की विदाई करायी रानी मारूका विदाई के समय रोने लगीः:–

आरे माई दिहली डार भर सोनवा,कि बाप दिहल धन खूब जी।।
भइया जे दिहलें कारूल घोड़वा,कि निर मोही हमरे बलमू जी।।

** ** ** ** **

आरे माई कहेली बेटी रोज–रोज आवा, बाप कहेल छठ मास जी।। भइया कहेल बहिना कारे परोजे,
भउजी कहेले कवन काम जी।। रानी मारूका अपनी भाभी से रोती हुई कहने लगीः–
किया भउजी तोहार नुनवा चोरवली, किया चोरवली तोहार तेल जी।। किया मैं भउजी तोहके बोली ला बिरहिया, किया परीला दिशा भोर जी।।

रानी मारूका की भाभी ने कहा :–

नाही ये ननदी मोर नूनवाँ चोरवलू,नाही चोरवलू हमार तेल जी।। नाही रे ननदी हमके बोललू बिरहिया,
नाहीं परेलू दिशा भोर जी।।आरे एक ही दिन हमके अखिया दिखवलू ,परल बा करेजवा में बजर क गाँठ जी।।

इस प्रकार तर्क–वितर्क करती हुई रानी मारूका अपने पति के साथ चल पड़ी। मार्ग में प्रतीक्षारत बाघिन बैठी थी जिसने शहडोलन को पहुँचते ही मार दिया। रानी मारूका बिलख–बिलखकर रोने लगी। शंकर व पार्वती की सहायता से पुनः शहडोलन जीवित हो गया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा।

सन्दर्भ :

1. श्री शंकर कुर्मी, गायक, ग्राम– रामपुर, पोस्ट– जोकहरा, जिला– आजमगढ़ (उ0 प्र0) की वार्ता पर आधारित।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 112-113

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं कि सामाजिक स्थिति

डॉ0 सुनील कुमार सिंह*

*प्रवक्ता, समाजषास्त्र, श्री विश्वनाथ पी0 जी0 कालेज, कलान, सुल्तानपुर, उ0प्र0

सारांश : सन् 1948 में सुप्रसिद्व सामाजिक कार्यकर्मी ताराअली बेग ने 'वूमैन ऑफ इण्डिया' पुस्तक सम्पादित कि थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाषन विभाग द्वारा इस पुस्तक की भूमिका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू लिखी थी। अपनी भूमिका में पण्डित नेहरू कहते है ''एक फ्रांसीसी ने एक बार लिखा था कि किसी देष की स्थिति जानने का सबसे अच्छा उपाय यह पता लगाना है कि वहां महिलाओं की स्थित कैसी है।'' इस कथन का आषय यह है कि यदि किसी देष में महिलाओं कि स्थित अच्छी है तो यह माना जा सकता है कि उस देष कि स्थित अच्छी है।

भारत में महिलाओं कि स्थिति कैसी है? इस प्रष्न का उत्तर जानने के पूर्व एक नजर अतीत कि ओर डाल लेना उचित रहेगा। वेदो को हमारा आदिग्रन्थ माना जा सकता है और वेदो में भी ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है। ऋग्वेद के अनुसार तत्वकालीन समाज में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए महिलाओं को पुरूषों के समान स्थिति प्राप्त थी। और उनमें ज्ञान प्राप्ति क्षमता भी। ऋग्वेद की सभी समवर्ती सूची ऋषियों उवाच है। यद्यपि अधिसंख्या सूक्त, ऋषियों के है, किन्तु कुछ महिला विदुषियों द्वारा रचे गये है और ऐसी महिलाओं को 'ऋषिका तथा 'ब्रहमवादनी' कहा जाता था। लोपा मुद्रा, देवयानी, यमी, इन्द्राणी आदि जैसी ही ऋषिकाएं थी। ऐसी महिलाओं का उल्लेख अन्य वेदो मे मिलता है। यजुर्वेद में तो एक स्थान पर कहाँ गया है। कि जिस पुत्री ने अपना ब्रहमचर्य पुरा कर लिया है, उसका विवाह ऐसे पुरूष से किया जाना चाहिए जो उसी के भाँति विद्वान हो संभवत यहाँ 'ब्रहमचर्य से आषय भी भिन्न अर्थात अनुषासित होकर विद्यार्जन करने वाली वय से है। स्पष्ट है कि वैदिक युग में महिलाओं का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था और धार्मिक क्रियाकलापों आदि में व अपने पतियों की सहभागी होती थी लेकिन समाज, पुरूष प्रधान था और कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसका पुनर्विवाह नहीं होता था। कहाँ बहुविवाह कि प्रथा तब नही थी यह निष्चय ही एक अच्छी बात थी । यही नही, महिलाओं के कुछ वर्गो में पुरूषों कि भाँति उपनयन की प्रथा भी थी, जिससे काफी हद तक उनके पुरूषों के समान स्थिर का संकेत मिलता है।

ईसा से 500 वर्ष पूर्व भारत में पाणिनी नामक व्याकरणाचार्य थे है। उनकी रचना 'अष्टाध्यायी' थी इससे पता चलता है कि तत्कालीन समाज में महिलाये पुरूषों कि भाँति नियमित रूप से वैदिक अध्ययन के लिए जाती थी। यही नहीं अध्ययन–अध्यापन भी करती थी और उन्हें 'अध्यापिका तथा 'अपाध्यायी' जैसे सम्बोधनो से विभूषित भी किया जाता था। यह भी रोचक अध्ययन का विषय है जहाँ आरम्भिक दौर में महिलाओं को हम नृत्य, कला, व्याकरण और साहित्यिक क्रिया–कलापो तक सिमित देखते हैं वही कालान्तर में कुछ और क्षेत्र भी महिलाओं के खुल गये। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज में लिखा है कि सम्राट चन्द्रगुप्त के महल में सषस्त्र महिलाये भी अंगरक्षक के रूप मे तैनात थी। कौटिल्य भी अपनी सुप्रसिद्व कृति 'अर्थषास्त्र' में तीर–कमानो से लैस महिला सैनिकों का उल्लेख किया है। गौतम बुद्व के चिन्तन और बौद्व काल मे अनेक सामाजिक मान्यताओ में उलट दिया। बुद्व ने स्वयं समस्त राजपाट और वैभव का त्याग कर दिया था। यद्यपि वे अपनी पत्नी को भी छोड़कर चले गये थे। किन्तु बौद्ध काल में केवल भिक्षु संघ नही स्थापित किये गये, बल्कि भिक्षुणी–संघों की भी स्थापना हुई जिनके फलस्वरूप महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में योगदान करने के नए अवसर मिले। बुद्वघोष की कृति 'मनोरथपुराणी' और अनेक ग्रन्थों में महात्मा बुद्व की षिष्याओं (यथा, सोमा, अनुपमा, सुन्दरी आदि) के उल्लेख मिलते है।

यही नहीं, भारत में यदि एक ओर देवताओं की कल्पना की गई है और उनकी पूजा की जाती है, तो दूसरी ओर सरस्वती, लक्ष्मी, सीता, सावित्री आदि की भी पूजा–अर्चना की जाती है। यह क्रम युगों–युगों से चला आ रहा है। लेकिन इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन काल से ही समाज से पुरूषों का वर्चस्व रहा है और विधवा के पुर्नविवाह पर प्रतिबन्ध, सती प्रथा, बाल विवाह आदि भी प्रचलित थे इस प्रकार कुल मिलाकर समाज में महिलाओं के लिये अहितकर प्रथाएँ भी थी और साथ ही उन्हें कुछ हद तक आगें बढ़ने के अवसर भी दिये गये थे। इस काल में परम्परागत भारतीय सामाजिक संरचना ध्वस्त हो गयी शासक और शासित वाले रिश्ते स्थापित हुए, जिसका दुष्प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ा। पर्दे की कुप्रथा शुरू हुयी। बौद्ध काल में महिलाओं को षिक्षा प्राप्ति और संघ बनाने के जो अवसर मिले थे, वे समाप्त हो गये। खास तौर पर ऐसा उत्तर भारत में हुआ। दक्षिण का क्षेत्र इन प्रतिकूल स्थितियों से लगभग बचा रहा या उत्तर के आस–पास के सन्दर्भ में इससे भिन्न साक्ष्य भी दिये जा सकते है। उदाहरण के लिए 13वी शताब्दी में चाँदबीवी का नाम एक कुषल प्रषासिका के रूप में लिया जा सकता है। इतिहास कार के.एम. पार्णिक्कर ने अपने एक लेख में ठीक ही लिखा है कि रानियों और राजकुमारियों के जीवन के आधार पर भारतीय महिलाओं कि आम स्थिति के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। हम इक्कीसवी सदी में जो आ गए अपने आचार व्यवहार में तबदिलीया ला रहे है। रूढ़ियों मान्यताओं कि नैतिकताओं से छुटकारा लेना चा रहे है, लेकिन परम्पराएँ और न्याय व्यवस्था भटक रही है, क्योंकि आगे जाते नये लोगो के लिए न तो न्यायालयों के लिए अपने नए औजार है और न समाज के पास नया तर्कशास्त्र। फिर भी अब ज्यादा देर नहीं, जब सामाजिक परिर्वतन के आधार पर न्यायपालिका को अपने कानूनों मे फेर बदल करना पड़े या नये कानूनों की जरूरत पड़े।

आज के युग में महिला एवं पुरूष महत्वपूर्ण प्रभावषाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माने जाने लगे है। भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण का षिकार रही है। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों समाज में प्रचलित

प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न को बढ़ाया है। भारतीय समाज में महिलाओं के समर्पण में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में षिक्षा का फैलाव और महिलाएं धीरे–2 बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएँ अब भी उत्पीड़न का षिकार है। साथ ही सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के आड़ में देवदासी, बसाकी, और जोगिन के रूप में वैष्यावृती विद्यमान है। छेडछाड़, बलात्कार, यौवन शोषण, सामाजिक अन्याय और दहेज जैसी कुरीतियों के कारण महिलाएँ असुरक्षा, शर्म, व अपमान की वेदना में जीवन जी रही है। मानव संसाधन मंत्रालय के महिला एवं बाल–विकास के विभाग के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार, 51 मिनट में छेड़छाड, 26 मिनट में बदसलूकी, 102 मिनट में दहेज के कारण हत्या होती है। एक अध्ययन के अनुसार 40 प्रतिषत से अधिक भारतीय विवाहित महिलाएँ घरेलू हिंसा की षिकार है।

भारत में अनेक सरकारी और गैरसरकारी प्रयासों के बावजूद महिलाओं की सामाजिक, और व्यैक्तिक दषा सोचनीय है। यद्यपि देष में ऐसी समस्यायें है। जो पुरूषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करती है। पुरूष एवं महिला की सामाजिक स्थिति में अन्तर का कारण समाज में व्याप्त वे मान्यताएँ एवं प्रवृत्तिया है। जिसके अनुसार लड़कियों का जन्म अषुभ माना जाता है। और कुछ समुदायों में उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है। भारत में घटता लिंगानुपात जैव, वैज्ञानिक घटना न होकर 'बालिका भ्रूण' हत्या की ओर संकेत करती है जो आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी यथा–अल्ट्रासाण्उड, अमिनोसेन्टीसीस यत्यादि द्वारा अंजाम दी जा रही है। सामाजिक कुरीतियों बाल–विवाह, दहेज–प्रथा, बंधुआ–मजदूरी, नसाखोरी आदि के प्रभाव से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक दृष्य से दबी रहती है। इसके साथ ही गृहस्थी के संचालन में मनोवैज्ञानिक दृष्य से महिलाएं अपना उत्तरदायित्व अधिक समझती है। इस उत्तरदायित्व का संस्कार मां अपनी बच्ची को बाल्यावस्था से प्रदान करती है। फलतः बालिकाएं षिक्षा एवं अन्य विकास के आयामों से वंचित होती रहती है।

निष्कर्ष : भारत में महिलाओं के कल्याण एवं विकास की दिषा में अनेक ठोस कदम उठाये गये है। सरकारी कार्यक्रम व नीतियाँ बनायी गयी है। महिलाओं हेतु सरकारी कार्यक्रमों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। जिससे की उनकी सहभागिता एक वांछित निम्नवत स्तर तक अवष्य हो सके एवं महिलाओं को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल सके। परन्तु महिला विकास की नीतियों योजनाओं एवं कार्यक्रमों को नीचले स्तर तक पूरी ईमानदारी के साथ लागू किये बिना, इन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाना असम्भव प्रतीत होता है। महिला विकास हेतु सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पुर्नमूल्याकंन भी करना होगा। अब समय का तकाजा है, कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं की प्राथमिकता, पुनः नये सिरे से निर्धारित की जाये। और संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जा की सही समय पर, सही तरिके से, सही लोगों और सही क्षेत्रों तक पहुँच सके, इस प्रकार के कुछ व्यवाहारिक कदम उठाकर सदियों से उपेक्षित रही इस आधी आवादी में नई स्फूर्ति लायी जा सकती है। तथा देष के सर्वांगीण एवं सम्मनवित विकास में इन लोगों की भागीदारी सुनिष्चित करने जैसे अहम् उद्देष्य की पूर्ति किया जाना सम्भव हो सकता है।

सन्दर्भ :

1.All India Panchayat Parishad Seminar on Fundamental Problems of Panchayati Raj 1964
2.Abraham, M.F, Panchayati Raj Cervice. Problems and Prospect'.Kurubshetra-jan. 1967
3.Agrwal,S.N, Planing from the Bottom,AICC Economic Review Nov 1-1953
4.Ahamad,S., Pachayati Raj Gramin Vita Ayog U.P.Allahabad 1986

Research Discourse (ISSN 2277-2014): An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 114-116

शिंगभूपाल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

डॉ0 सुधीर कुमार द्विवेदी*
*वरिष्ठ शोधवृत्ति–लब्ध (यू.जी.सी.), पूर्व शोधार्थी, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

सारांश : शिङ्गभूपाल नाट्य एवं संगीत कला के आचार्य के रूप में विख्यात हैं। इनका अवर नाम सिंहभूपाल, शिंगमहीपति, शिङ्गराज, शिंगम नायडू भी कहा गया है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना 'रसार्णवसुधाकर' में जो सामग्री उपलब्ध होती है तदानुसार वे आन्ध्रप्रदेश के रेचलवंशीय राजा थे। 'राजाचलम्' इस प्रदेश की वैभव सम्पन्न राजधानी थी। विंध्याचल पर्वत से लेकर श्रीशैल के मध्यवर्ती प्रदेश पर वे शासन करते थे।

मुख्य शब्द : रसार्णवसुधाकर ,मंगलाचरण, लोकरक्षक, कठारिराय उपाधि, सोमयज्ञ आदि।

'रसार्णवसुधाकर' में शिंगभूपाल ने मंगलाचरण के पश्चात् कतिपय कारिकाओं में अपना परिचय दिया है। उसके अनुसार वे शूद्रवर्ण में उत्पन्न राजा थे। शूद्रों में रेचल्ल राजा दाचयनायक उनके प्रपितामह थे, जो अत्यन्त उदार, कलामर्मज्ञ और समृद्धिशाली राजा थे। युद्धकौशल तथा भुजबल के कारण युद्धस्थल में विजयलक्ष्मी सदैव उन्हें प्राप्त होती थी। लक्ष्मी की स्थिरता के कारण उन्हें खड्गनारायण की उपाधि मिली थी। भगवान् विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के समान उदार गुणों वाली वोचमाम्बा नामक उनकी पत्नी थी दाचनायक और वोचमाम्बा से कल्पवृक्ष के समान और शत्रुवीरों को भयभीत करने वाले तीन पुत्र हुए– शिंगप्रभु, वेन्नम नायक और रेचमहीपति। दाचनायक की मृत्यु होने पर वंशपरम्परा के अनुसार तीनों भाइयों में ज्येष्ठ होने के कारण शिंगप्रभु राजा हुए। उस शिंगप्रभु के शासन में धर्म समृद्ध हुआ तथा विनीत (सज्जन) लोगों की उन्नति और अविनीत (दुष्ट) लोगों का पतन हुआ। उस शिंगभूप के अनन्त और माधव नामक दो लोकरक्षक पुत्र हुए। शिंगभूप के अनुज रेचमहीपति को अत्युत्कृष्ट कठारिराय उपाधि से सम्पन्न नागनायक नामक पुत्र था शिंगभूप के एक भाई वेन्नमनायक के पुत्र के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं जिससे प्रतीत होता है कि अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई होगी। शिंगप्रभु के पश्चात् राजा में पाये जाने दोषों से रहित होने के कारण अनुपात उपाधि वाले अनन्त ने शासनभार संभाला। कनिष्ठ पुत्र प्रतापी और ख्यातिलब्ध कीर्ति वाले नायक थे जिनके वेदगिरीन्द्र इत्यादि प्रमुख पुत्र हुए। शिव की पत्नी पार्वती, शत्रुध्न श्रुतिकार्तित तथा अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के सामान पति को आनन्दित करने वाली अननमाम्बा नामक अनन्त की पत्नी थी। राजा अनन्त ने अनेकों सोमयज्ञ किए। ब्राह्माणों को दान दिया और अनेक युद्धों में शत्रुओं को परास्त किया। उन दोनों अनन्त और अन्नमाम्या से दो पुत्र हुए। वंशपरम्परा से प्राप्त श्रीसम्पन्न 'राजाचल' नामक राजधानी थी। इनका राज्य दक्षिण में श्रीशैल से लेकर उत्तर में विन्ध्यपर्वत तक विस्तृत था। शिंगभूपाल के अनपोत, दाचय, वल्लभ, वेदगिरिस्वामी, माद और दाय – ये छः पुत्र थे।

रेचल्लवंशीय शिंगभूपाल के काल–निर्धारण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सभी मत–मतान्तरों की समीक्षा के बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि उनका समय 1330 ई० से 1400 ई० के मध्य होना चाहिए। शिंगभूपाल प्रजावत्सल, दिग्विजयी, प्रतापी, न्यायप्रिय, उदार, दानी, यशस्वी और शरणागत वत्सल राजा थे। इसके साथ ही विद्वानों, कवियों, कलाकारों के आश्रयदाता तथा स्वयं भी कलाप्रिय, कला के ज्ञाता, कवि और विद्वान थे। कवि विश्वेश्वर कविचन्द्र ने चमत्कारचन्द्रिका में अपने आश्रयदाता के विपुलगुणों से प्रभावित होकर अनेक प्रशंसात्मक श्लोकों द्वारा अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है। चमत्कारचन्द्रिका के कर्ता आचार्य विश्वेश्वर कविचन्द्र शिंगभूप के समृद्धिवैभव, चतुर्दिक विस्तृत प्रताप और व्यक्तित्व से विशेष प्रभावित थे। उन्होंने अपने ग्रन्थ चमत्कारचन्द्रिका में इनके जीवन की विभिन्न घटनाओं के साथ–साथ उनके शारीरिक सौष्ठव का विविध उपमानों द्वारा अत्यधिक मनोरम और स्वाभाविक चित्रण किया है।

शिंगभूपाल तेजविशेष से सम्पन्न प्रतापी राजा थे। उनका समृद्ध और विस्तृत राज्य उनकी बुद्धिमता, दूरदर्शिता और अपरिमित शौर्य का स्पष्ट प्रमाण है। इनका रणकौशल अद्वितीय था। इनके धनुष की टङ्कार सुनकर ही शत्रुराजा भयभीत हो जाते थे। इनके तेजसम्पन्न व्यक्तित्व, ओजस्विता, पराक्रम और यशस्विता के कारण शत्रु सर्वदा नतमस्तक रहते थे। कलिंगराज गजपति ने तो इनसे पराजित होकर अपने विनाश से सशंकित होने के कारण इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह तक कर दिया। यद्यपि इनके राज्य की सीमा अत्यधिक विस्तृत थी तथपि इनके अनुशासन की कला से प्रजा की सुखसमृद्धि तथा प्रजा रंजकता में कोई कमी नहीं थी। उनके अलौकिक गुण और अनुपम गौरव के कारण उनकी उज्जवलकीर्ति पूर्णरूपेण चमकती थी।

एक सफल राजा होने के साथ–साथ शिंगभूपाल का सरस्वती पर भी पूर्ण अधिकार था। वे व्याकरण, साहित्य, अलंकार और नाट्यशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित होने के साथ–साथ रसिक, सरस और प्रौढ़ कवि तथा निष्पक्ष समालोचक भी थे । इसीलिए चमत्कारचन्द्रिका में कविचन्द्र ने इन्हें 'सर्वज्ञ' उपाधि से विभूषित किया है – विद्यादैवत तात तावक? गुरौ सर्वज्ञचूडामणौ (4.23)। संगीतरत्नाकर की टीका में भी इन्हें 'सर्वज्ञ' की उपाधि से विभूषित किया गया है दृ 'सम्यग्व्याख्याकुशलः सर्वज्ञः शिंगभूप एवैकः' (1/11 की टीका)।

प्रकृति और नारी के सौन्दर्यात्मक स्वरूप का सजीव चित्रण करना कवियों का प्रमुख विषय रहा है । रसिक कवि शिंगभूपाल भी इससे पूर्णतः प्रभावित थे। इनके प्रकृतिपरक वर्णनों में निरीक्षण की नवीनता, सहृदय की सरसता तथा कल्पना की कमनीयता दृ ष्टिगोचर होती है। नारी सौन्दर्य को तो अपने असाधारण रचना–कौशल द्वारा ऐसा सजाया है कि सरस सहृदय उसमें बार–बार गोता लगाते हुए उसी में डूबा रहना चाहता है। सहृदय और सरस कवित्व के साथ–साथ शिंगभूपाल में निष्पक्ष समालोचना की कुशलता भी

विद्यमान है। इन्होंने भोज, रूद्रट, शारदातनय, धनजंय इत्यादि प्रसिद्ध आचार्यों के मतों की एक ओर तो यथास्थान समालोचना करते हुए उनके मतों का खण्डन करके अपने मत को स्थापित किया है तथा अन्यत्र समुचित स्थलों पर उनके मतों के प्रति श्रद्धाभाव प्रदर्शित करते हुए अंगीकार भी किया है।

शिंगभूपाल का कृतित्व : सम्प्रति शिंगभूपाल विरचित 5 ग्रन्थ उपलब्ध हैं – रसार्णसुधाकर, नाटक परिभाषा, संगीत रत्नाकर की संगीत सुधाकर नामक टीका, कुवलयावली नाटिका और कन्दर्पसम्भव।

'रसार्णवसुधाकर शिंगभूपाल कृत नाट्यशास्त्र विषयक ग्रन्थ है। कारिकारूप में उपनिबद्ध यह ग्रन्थ तीन विलासों में विभक्त है। इसके प्रथम विलास में 324, द्वितीय विलास में 365 और तृतीय विलास में 350 कारिकाएँ हैं इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ में कुल 1029 कारिकाएँ हैं। आड्यार लाइब्रेरी सेन्टर से टी. वेंकटाचार्य द्वारा सम्पादित संस्करण में द्वितीय विलास के प्रारम्भ में दो तथा तृतीय विलास के प्रारम्भ में एक अतिरिक्त कारिका है। इस प्रकार इस संस्करण में कुल 1032 कारिकाएँ है। इन कारिकाओं के अतिरिक्त बीच–बीच में विषयवस्तु को स्पष्ट करने के लिए तथा अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों की समीक्षा करने के लिए गद्यात्मक वृत्ति भी जोड़ी गई है। ग्रन्थ के प्रथम विलास के प्रारम्भ में ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किये गये मंगलाचरण के अनन्तर शिंगभूपाल ने अपने वंश वृक्ष का परिचय दिया है। पुनः ग्रन्थ की प्रवृत्ति का कारण, नाट्यवेद की उत्पति, नाट्य और रस का लक्षण, विभाव में आलम्बन विभाव के अन्तर्गत नायक–नायिका के गुण तथा भेद का विवेचन हुआ है। द्वितीय विलास में तैंतीस व्यभिचारिभावों, उनके भेदों और उनमें होने वाली चेष्टाओं का सोदाहरण निरूपण किया गया है। तदनन्तर रति, हास, उत्साह, विस्मय, क्रोध, शोक, जुगुप्सा और भय – इन आठ स्थायी भावों में अन्तर्भाव स्थापित करके आठ ही स्थायिभावों का समर्थन किया गया है। इन्हीं आठ स्थायिभावों से निष्पन्न आठ रसों का लक्षण और भेद सोदाहरण स्पष्ट किया गया है। इसी प्रसंग में परस्पर विरोधी और मित्रभाव से रहने वाले रसों तथा रसाभास का भी निरूपण किया गया है। तृतीय विलास में नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति, नाट्यों के दश भेद, इतिवृत (कथावस्तु) और उसके भेद, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण– इन पाँचों सन्धियों के लक्षण सोदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार, रसार्णवसुधाकर में नाट्यशास्त्र–विषयक तथ्यों का अतिसूक्ष्म और सविस्तार निरूपण किया गया है। नाट्यशास्त्र–विषयक ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जो रसार्णवसुधाकर में निरूपित न हुआ हो। इसमें ग्रन्थकार ने सभी विषयों का सांगोपांग सोदाहरण विवेचन किया है।

'नाटक–परिभाषा' नामक ग्रन्थ में उन्होंने नाट्यशास्त्रीय तत्वों का संक्षिप्त एवं व्यवस्थित विवेचन किया है। है। इस लघु ग्रन्थ में 238 श्लोक है। इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि का इण्डिया ऑफिस कैटलाग, खण्ड 11, संख्या 5248 पर उल्लेख है। सम्पूर्ण नाटक परिभाषा शिंग भूपाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रसार्णवसुधाकर' के तृतीय विलास में उपलब्ध है। हाँ, विषयों के विवेचन–क्रम में अन्तर है। प्रतीत होता है कि पहले उन्होंने नाटक–परिभाषा की रचना की, बाद में अपने प्रौढ़ ग्रन्थ रसारणवसुधाकर में उन नाट्यसिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन किया। जैसा कि नाटक परिभाषा के सम्पादक श्री काली कुमार दत्त ने भी कहा है – "Evidently, The Natak paribhasa is his earlier production and possibly a primliminary draft of the bigger work (Rasarnava&Sudhakara) – Introduction] (p. 1-)

आचार्य शिंगभूपाल द्वारा संगीतरत्नाकर की संगीत सुधाकर नामक टीका लिखी गई है। शिंगभूपाल के सभापण्डित शाङ्र्गदेव द्वारा संगीतरत्नाकर नामक ग्रन्थ की रचना की गई है, जिसमें संगीतशास्त्र के विविध विषयों का सांगोपांग विवेचन किया गया है। यह ग्रन्थ संगीतशास्त्र के सम्यग्ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज तक इस ग्रन्थ के समान किसी अन्य ग्रन्थ का प्रणयन नहीं हो सका है। विषयवस्तु के विस्तार के कारण यह उपजीव्य ग्रन्थ संगीतज्ञों के लिए दुरूह है। अतः इसको सरल बनाने के लिए शिंगभूपाल ने संगीतशास्त्र का सम्यक् अध्ययन करके इस ग्रन्थ पर संगीतसुधार नामक टीका लिखी है। इनकी यह टीका संगीतज्ञों के लिए संगीत रत्नाकर को समझने हेतु परमोपयोगी तथा प्रामाणिक है। इसमें संगीत की जैसी सुगम तथा सर्वांगीण व्याख्या की गई है, वैसी व्याख्या अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें अनेक प्राचीन ग्रन्थों, जिनका अब नाम भी बाकी नहीं है, से उद्धरण लिए गए हैं। अतएव ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस टीका का महत्त्व बढ़ जाता है।

'कुवलयावली' शिंगभूपाल कृत चार अंकों में विभक्त यह एक लघु नाटिका है। यह त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज से 1941 में प्रकाशित भी हो चुकी है। इसके प्रारम्भिक परिचयवर्ण में ही उसे शिंगभूपाल की रचना माना गया है – श्रीमता शिंगभूपालेन प्रणीताम ... (कुवलयावली 1/11)। इस शिंगभूपाल की खड्गनारायण उपाधि थी – खण्ड्गनारायणेन (कुवलयावली 1/8)। इसके कतिपय श्लोकों को शिंगभूपाल ने रसार्णवसुधाकर में उदाहरणों के रूप में उध्दृत किया है और उन्हें अपने द्वारा रचित कहा है। इसका 'रत्नपाल्लिका' यह दूसरा नाम भी उपलब्ध होता है। सहृदयों के लिए नाटकीय उत्कर्षों से युक्त और रसानन्द प्रवाहिणी यह नाटिका हृदयसंवेद्य है। कुवलयावली का कथानक शिंगभूपाल की कल्पना की उपज है।

'कन्दर्पसम्भव' शिंगभूपाल विरचित एक साहित्यिक ग्रन्थ है। रसार्णव सुधाकर के द्वितीय विलास में इसके श्लोकों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य स्थलों पर भी "यथा ममैव" (यथा कन्दर्पसम्भवे ममैव दृ रसा.स. 2/113) लिखकर कुछ उदाहरण उध्दृत है, जिससे ज्ञात होता है कि कन्दर्पसम्भव शिंगभूपाल की ही रचना है।

भरत मुनि, धनंजय, भोजराज तथा शारदातनय आदि पूर्ववर्ती आचार्यो का प्रभाव शिंगभूपाल पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों को संक्षिप्त करके शिंगभूपाल ने उन्हें व्यावहारिक एवं सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही, अनेक प्रसंगों में इन्होंने अपने स्वतन्त्र विचार का भी परिचय दिया। अतः पूर्ववर्ती आचार्यो से प्रभावित होने पर भी अपने पाँचों ग्रन्थों में सर्वत्र शिंगभूपाल का अपना मौलिक दृष्टिकोण प्रधान है। यही कारण है कि भरत के परवर्ती आचार्यो में शिंगभूपाल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रसार्णव सुधाकर, नाटक–परिभाषा, संगीत सुधाकर, कुवलयावली तथा कन्दर्प सम्भव– इन पाँचों ग्रन्थों में रसार्णव सुधाकर उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। रसार्णव सुधाकर भरत नाट्य–शास्त्र की विवृत्तिमूलक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसकी रचना भरत–नाट्यशास्त्र की परम्परा पर की गई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि शिंगभूपाल ने नाट्यशास्त्र का केवल अन्धानुकरण किया

है। नाट्यशास्त्र की सामग्री को प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार ने नवीन उद्भावनाएँ भी प्रस्तुत की हैं। वे एक प्रतिभावान् कवि, विदग्ध रसिक, कुशल प्रबन्धक एवं समर्थ शास्त्रकर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त थे। प्रसाद की अगाधता, माधुर्य की मधुरता, अलंकारों की रमणीयता, कोमलकान्त पदावली का प्रयोग, भाव–सौष्ठव, विषय की गम्भीरता आदि उनकी रचनाओं के विशेष गुण हैं। विश्वेश्वर कविचन्द्र ने शिंगभूपाल की सात्त्विक प्रवृत्ति एवं प्रज्ञा की भूरि–भूरि प्रशंसा की है और उन्हें 'सर्वज्ञ' कहा है। संस्कृत काव्यशास्त्र की अभिवृद्धि में शिंगभूपाल का अतुलनीय योगदान है। शिंगभूपाल ने संस्कृत काव्यशास्त्र की एक ऐसी परंपरा का विकास किया, जिसने पूरी शती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उनका लेखन संस्कृत साहित्य की एक ऐसी विरासत है, जिसके बिना संस्कृत के विकास का अध्ययन अधूरा होगा।

सन्दर्भ :

1. रसार्णवसुधाकर – शिंगभूपाल, डॉ. रेवा प्रसाद द्विवेदी, संस्कृत परिषद, सागर विश्वविद्यालय, सागर, 1969.
2. रसार्णवसुधाकर – शिंगभूपाल, टी. वेंकटाचार्य, अड्यार लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेंटर, 1979.
3. रसार्णवसुधाकर – शिंगभूपाल, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, 2004.
4. नाटक–परिभाषा – शिंगभूपाल, श्री काली कुमार दत्त, संस्कृत साहित्य परिषद, कलकत्ता, 1967.
5. नाट्यशास्त्र – भरत, हिन्दी अनुवाद, भाग 1–3, बाबूलाल शुक्ल शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 1972, 1978, 1983,
6. नाट्यशास्त्र – भरत (हिन्दी व्याख्या, अध्याय 1, 2, 6), प्रो. ब्रजमोहन चतुर्वेदी, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली. 1998.
7. काव्यप्रकाश मम्मट, आचार्य विश्वेश्वर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, 1960.
8. दशरूपक – धनंजय (सावलोक), डॉ. भोलाशंकर व्यास, चौखम्बा विद्याभवन,वाराणसी, 1962.
9. नाटकचन्द्रिका – रूपगोस्वामी, श्री बाबूलाल शुक्ल, शास्त्री, चौखम्बा, संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1964.
10. भाव प्रकाशन – शारदातनय, डॉ. मदनमोहन अग्रवाल, चौखम्बा सुभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1983.
11. साहित्य–दर्पण – विश्वनाथ, शालिग्राम शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1978.
12. रस सिद्धान्त के अनालोचित पक्ष – डॉ. ब्रजमोहन चतुर्वेदी, अजन्ता पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1978.
13. आचार्य भरत – डॉ. शिवशरण शर्मा, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1971.
14. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास – डॉ. पी. वी. काणे, हिन्दी अनुवाद – डॉ. इन्द्रचन्द्र शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1966.
15. नाट्यशास्त्र का इतिहास – पारसनाथ द्विवेदी, सुभारती प्रकाशन, चौखम्बा ,वाराणसी, 1995.
16. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास – सुशील कुमार डे, हिन्दी अनुवाद–मायाराम शर्मा, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना 1973.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 117-118

प्रवजन का दंश और कश्मीरी पंडित

डॉ0 मधुमिता भट्टाचार्या*

*एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, आर्य महिला पी0 जी0 कालेज, वाराणसी, उ0प्र0(सम्बद्ध,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)

अमित कुमार केशरी**

**शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, आर्य महिला पी0 जी0 कालेज, वाराणसी, उ0प्र0(सम्बद्ध,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)

सारांश : सभ्यता के विकास में प्रवजन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रवजन के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते है। इससे संस्कृति का फैलाव होता है। यहूदी समुदाय इसका एक उदाहरण है। लेकिन कभी–कभी प्रवजन किसी विशेष समस्या के कारण होता है। जो उस विशेष समूह के लिए दुःखकारी होता है। एक ऐसा ही प्रवजन हमें भारत में कश्मीरी पंडितों का दिखाई देता है। कैसे यह पूरा जनसमूह रातों–रात अपने निवास स्थान से अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवजन किए। इस लेख शोध पत्र में प्रवजन की अवधारणा के साथ कश्मीरी पंडितों के प्रवजन को समझने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : प्रवजन, कश्मीरी पंडित, सभ्यता, नवाचार आदि ।

प्रस्तावना : परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसी कारण हमें अपने चारों ओर निरंतर परिवर्तन होते हुए परिलक्षित होता है। विश्व के किसी भी सभ्यता का अवलोकन करें तो हमें यह दृष्टिगोचर होता है कि वह सभ्यता में अपने जिस स्वरूप में था समय के साथ–साथ उसमें परिवर्तन हुआ है। नवाचार के साथ आगे बढ़ता गया और निरंतर एक बेहतर विकल्प की तलाश में खुद में परिवर्तन लाता गया एक बेहतर जीवन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवजन भी करते गए। एक ऐसा ही प्रवजन हमें भारतीय समाज में परिलक्षित होता है वह कश्मीर विशेष के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति से संबंधित हैं। जिनका पलायन किसी विशेष बेहतर जीवन के लिए नहीं बल्कि तत्कालीन परिस्थिति से उत्पन्न हुए समस्या से हुआ था। समय के साथ यह समस्या इतनी कुरूप स्वरूप में बढ़ती गई की कश्मीर में रहने वाले एक बड़े कश्मीरी पंडितों के जनसमूह को वहाँ से रात में ही पलायन करना पड़ा। कश्मीर के पंडितों का प्रवजन को समझने से पूर्व हम प्रवजन के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगें।

प्रवजन का अर्थ : प्रवासियों के लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द "डायस्पोरा" शब्द है। जो मूलतः ग्रीक शब्द है। डयस्पोरा शब्द का विच्छेदन करने पर दो शब्द बनते है। डाया (क्षेत्र में) और स्पिसरों (बोना) इस शब्द का प्रतीकात्मक प्रयोग बीजों के प्रसार से सम्बंधित है। डायस्पोरा शब्द का सबसे पहला प्रयोग ओल्डटेस्टामेंट में यहूदी लोगों के सन्दर्भ में मिलता है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य कई कारणें से यहूदियों को अपने मूल स्थान को छोड़कर दूर–दूर के देशों में जाकर बसना पड़ा था। दूर–दूर तक फैले हुये यहूदियों के अपनी सभ्यता संस्कृति के जड़ों से जुड़ाव का द्योतक है।

प्रवासी शब्द पर कुछ लिखने से पहने हिंदी एवं अंग्रेजी शब्दकोष इससे सम्बंधित भिन्न–भिन्न शब्द का प्रयोग होता है उसकों जान लेना आवश्यक है–

Emigrant : A person who leaves their country to livein another: emigrant families/ labour/ workers.
Emigrate : to leave your own country to go and live permanently in another country.
Emigration : the mass emigration of Jews from Eastern Europe.
Emigre : a person who has left their own country usually for political reasons.
Immigrant : A person who has come to live permanently in a country that is not their own.
Immigrate : To come and live permanently in a country after leaving your own country.
Immigration : The process of coming to live permanently in a country that is not your own.
Migrant : (i) A person who moves from one place to another, especially in order to find work: they claimed they were political refugees and not economic migrant.
(ii) A bird or animal that moves form one place to another according to the season.
Migration : The movement of large numbers of people, birds or animals from one place to another.
Diaspora :
The movement of the Jewish people away from their own countries to alive and work in their country.
The movement of people from any nation or group away from their own country. वासी (Native) – Connected with the place where you were born and lived for the first year of your life.
वासी वे हैं जो पीढ़ियों से सम्बंधित (जन्मभूमि) धरती पर वास कर रहे हो। इनकी जन्म भूमि ही इनका निवास स्थान हैं।
अप्रवासी (Immigrant) : A person who has come to live permanently in a country that is not their own.
अप्रवासी व्यक्ति उस देश में रह रहा होता है जो उसका अपना नहीं हैं। यह स्थान उसे जन्मभूमि से दूर होता है।
प्रवासी (Emigrant) : "A person who leaves his country to live in another.

प्रवासी (Migrants) : A person or animal who migrates, Migrant worker, those who travelto another region or country to work.

प्रवासी शब्द के शाब्दिक उत्पत्ति पर ध्यान आकर्षित करे तो 'वस' धातु से 'प' उपसर्ग लगाने से बनता है। 'वस' धातु का प्रयोग रहने के अर्थ में किया जाता है। प्र उपसर्ग लग जाने पर इसका अर्थ बदल जाता है। प्रवास का अर्थ है विदेश गमन, विदेश यात्रा, घर पर ना रहना है। किसी दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति प्रवासी है।

प्रवजन का परिभाषा : प्रवास को परिभाषित करने का काम विभिन्न विद्वानों ने किया है जो निम्न है–

डेविड एम0 हीर के अनुसार, सामान्य किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में सापेक्षता स्थायी गमन की प्रक्रिया प्रवजन के नाम से जानी जाती है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के निवास स्थान में परिवर्तन की घटना को ही प्रवजन कहा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के जनांकिकी शब्दकोष के अनुसार : देशांतरण निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरे भौगोलिक इकाई में विचरण का एक प्रकार है।

एजेन्स्टेड के अनुसार, प्रवास को किसी व्यक्ति या समुह का एक सामाजिक परिवेश को छोड़कर दूसरे सामाजिक परिवेश में प्रवेश करना होता है। किसी दूसरे भौगोलिक सीमा में गमन करने से है। इसके अंदर कई सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं का भी समावेश होता है।

प्रवजन भारतीय समाज में हमेशा से होता आ रहा है कभी प्रवजन स्वेच्छा से होता है तो कभी बेहतर जीवन की तलाश में मजबूरी बस अपने जन्मभूमि से अलग स्थान पर जाना होता है प्रवसन को हमेंशा उसके आर्थिक पक्ष से देखने का प्रयास किया गया है। परन्तु उसके आर्थिक पक्ष के अलावा भी एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है जो की उस तक समाजिक पक्ष है उस पर भी विचार करना आवश्यक है क्योंकि प्रवजन पर विचार करते समय उसके सामाजिक पहलू पर व्यापक जानकारी उपलब्ध नहीं होता है।

कश्मीरी पंडित का पलायन : वैश्विक स्तर पर जब भी प्रवजन की बात होती है तो सबसे पहले हमारे स्मृति पटल पर यहूदी समुदाय का नाम उभरकर सामने आता है, परंतु भारतीय परिपेक्ष में जब भी हम प्रवजन को समझने का प्रयास करते हैं तो या प्रवजन के दंश को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे मानस पटल पर एक विशेष समुदाय का नाम उभरकर सामने आता है। वह कश्मीर की घाटी संबंधित कश्मीरी पंडित का है। उन्हें पलायन की हुए आज 30 वर्ष से भी जयादा का समय हो गया है परंतु उनके पूनर्वास की कोई समुचित व्यवस्था ना हो सकी है हुक्मरानों द्वारा समय–समय पर यह बात जरूर कह दि जाती है कि कश्मीरी पंडित, पंडितों का कश्मीर में पुनर्वास की समुचित व्यव्स्था की जाएगी परंतु यह व्यवस्था आज तक संभव नहीं हो पाया। कश्मीरी पंडितों के बड़े–बड़े हवेली आज भी खाली हैं और वो मजबूरी बस टेंट में जिंदगी बसर कर रहे हैं।

कश्मीर से प्रवजन करने वाले कश्मीरी पंडित का सिलसिला 1990 से प्रारंभ होता है। 19 जनवरी 1990 कि भयावह घटना से कुछ समय पहले पंडित और राजनीति कार्यकर्ता टीका टपलू कि 19 सितम्बर, 1979 को उनके घर के बाहर हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह पहली हत्या थी जो बाद में 1990 में पलायन का कारण बना। कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें मुस्लिम बनने कि धमकी दी जाने लगी। कश्मीरी स्त्रियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार भी किया गया। उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया गया। उन्हें जान से मारने धमकी नहीं दिया गया, बल्कि कश्मीरी पंडित परिवारों के साथ भीषण नर–संहार भी किया गया। 1990 के उस घटना से कश्मीरी पंडितों में इतना भय उत्पन्न हो गया की 1990 के बाद से कश्मीरी पंडितों का अपने परिवार के साथ लगातार संधर्ष जारी है। 1990 के बाद भी लगातार कुछ ऐसी घटनाये घटती रही जो उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करते रहे। जिसमें से कुछ घटनायें निम्न हैं–संग्रामपूर नरसंहार, वन्धामा नरसंहार, प्रानकोट नरसंहार।

निष्कर्ष : उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है की 1990 के बाद से लगातार कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार जारी है। जो उसे न चाहते हुए भी अपनी मातृभूमि को छोड़ने पर मजबूर किया गया। कश्मीरी पंडितों कि अपनी एक संस्कृति थी जो उस घाटी विशेष क्षेत्र से सम्बंधित था। परन्तु घाटी से पलायन के बाद वह संस्कृति धीर–धीरे समाप्त हो रही है। मुश्किल से ही कुछ कश्मीरी परिवार प्रवजन के बाद उसे संजोये हुए है। कश्मीरी पंडितों का परिवार घाटी से प्रवजन के बाद अपने आप को कटा हुआ महसूस करते है। उन्हें आज भी हुक्ममरानों से एक उम्मीद बनी हुयी है कि वो उनके समुचित पुनर्वास कि व्यवस्था करेंगें। वर्तमान समय में धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर घाटी में एक शांति का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर में शांति व्यवस्था लागू होने के बाद ही कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का सपना साकार हो सकता है।

सन्दर्भ :

1. Davis, k. (1951). Population of India and Pakistan. New jersey: Princeton university press.
2. Dubey, A. (2003). Indian diaspora: Global Identity. New Delhi: Kalinga Publication.
3. Kashmiri Pandits Looking to the Future. (2001). New Delhi: APH Publishing Corporation.
4. कंधारी, म. (2020, फरवरी 7) कश्मीरी पंडितों की घाटी में अपने घरों में वापसी कितनी आसान?
5. Retrived from www.bbc.com:http://www.bbc.com/hindi/inida-51401924
6. धुरबों, ज; (2020, जनवरी 21) कश्मीरी पंडित टीस के 30 साल आतंक की उस अंधेरी रात में यूँ शुरू हुआ था पलायन Retrieved from लाइव हिंदुस्तान। कॉमः https://www.livehindustan.com/com/national/story-story-of-kashmiri-pandit-exodus-2974131.html
7. पाण्डेय, अ. क.; (2001) Kashmir Aur Kashmiri Pandit: Basanea Aur Bikarne ke 1500 Sall. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 119-121

काव्य आलोचना की पंरपरा और नन्ददुलारे वाजपेयी जी के प्रस्थान बिन्दु

डॉ0 संजय कुमार मौर्य*
*सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा परिषद, सोनभद्र, उ0प्र0

सारांश : काव्य आलोचना का प्रारंभ भक्तिकाल से माना जा सकता है। इस काल की आलोचना पर संस्कृत समीक्षा का प्रभाव स्पष्ट दिखता है और मुख्यतः काव्यशास्त्रीय. सिद्धांतों पर आधारित समीक्षा ही दिखती है। इस काल के कुछ कवियों की रचनाओं में काव्य और जीवन विषयक मत उपलब्ध होते हैं उदाहरणस्वरूप हम महाकवि सूर, तुलसी एवं जायसी की रचनाओं को ले सकते हैं। इनके अलावा इस युग के 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता', 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' तथा 'भक्तमाल' आदि ग्रंथ पूर्णरूप से समीक्षात्मक नहीं हैं फिर भी इनमें काव्य आलोचना के मूलतत्व विद्यमान हैं। 'रीतिकाल' को भी हिंदी समीक्षा का आरंभिक काल ही कहा जा सकता है। इस काल पर भी संस्कृत आलोचना का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। रीतिकालीन काव्यशास्त्रीय विवेचना में सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन का अभाव है, तथा उसमें नये सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि उस समय विवेचना भी गद्य में नहीं पद्य में की जाती थी जो कि विवेचना और विश्लेषण के अनुपयुक्त है। ऐसी स्थिति में अलंकारों, शब्द शक्तियों, नायिका. भेद आदि का ही यत्किंचित निरूपण रीतिकाल में मिलता है। तात्पर्य यह है कि इस काल की जो रीतिबद्धता काव्य के क्षेत्र में दिखाई पड़ती है वही आलोचना के क्षेत्र में भी। जो एकांगिकता और संकीर्णता काव्य में दिखाई पड़ती है, वही काव्यशास्त्रीय विवेचना में भी। जीवन का स्पर्श किसी में नहीं है।

व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में रीतिकालीन आलोचना, संस्कृत आलोचना के समान ही रही एवं उसमें कुछ भी विकास नहीं दिखता। प्रभावात्मक आलोचना की दृष्टि से यह काल प्रमुख रहा है। जिसके मस्तिष्क पर जैसा प्रभाव पड़ा वैसा उल्लेख कर देना इस काल के कवियों का प्रमुख कार्य रहा है। जैसे– **"तुलसी गंग दुवौ भयै सुकविन के सरदार। इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार।।"**[1]

तुलनात्मक.समीक्षा भी संस्कृत से प्रभावित है, जैसे– **"एक लहै तप पुंजन्ह के फल, ज्यों तुलसी अस सूर गुसाईं। एक लहै बटु सम्पत्ति केशव, भूषण ज्यों बरवीर बड़ाई।। एकन्ह को जस ही सौ प्रयोजन, है रसखान रहीम कि नाहीं।।"**[2]

आलोचना क्षेत्र में रीतिकाल महत्वपूर्ण योग न दे सका हो, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि इस काल में आलोचना की कुछ प्रणालियों जैसे– व्यावहारिक. आलोचना, भावात्मक, आलोचना, तुलनात्मक, आलोचना तथा प्रयोगात्मक, आलोचना के आरंभिक रूप के दर्शन हो जाते हैं।

भारतेन्दु युग में कई साहित्यिक विधाओं का नवीनीकरण हुआ जिसमें काव्य आलोचना या समीक्षा भी एक प्रमुख विधा है। गद्य विकास का प्रारंभिककाल होने के कारण इस युग की हिंदी आलोचना भाषा आदि के दृष्टि से अधिक परिनिष्ठित और प्राणवती नहीं थी। इस काल के साहित्यकारों का ध्यान अधिकतर गद्य की अनेक विधाओं जैसे– नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध की ओर अधिक था, किंतु अपने बहुमूल्य समीक्षात्मक लेखों द्वारा आलोचना विधा को भी विकसित किया। इस युग के आलोचना पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत और पाश्चात्य दोनों सिद्धांतों का समन्वय दिखाई देता है। इस युग के मुख्य आलोचकों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अतिरिक्त पं0 बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, बालमुकुन्द गुप्त और पं0 गंगा प्रसाद अग्निहोत्री आदि की गणना की जाती है। यद्यपि इस युग में भी विशिष्ट साहित्यांग के रूप में आलोचना का उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ किंतु आलोचना दृष्टि का भरपूर विकास हुआ। यह दृष्टि हमें मुख्यतः पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित होती हुई दिखाई देता है। बालकृष्ण भट्ट ने 'हिंदी प्रदीप' के लेखों द्वारा पाठकों के अंधविश्वासों को दूर करने और बुद्धि.संगत ढंग से सोचने का तरीका बताया। आलोचना के अंतर्गत किसी संपूर्ण कृति के गुण.दोषों की समीक्षा का कार्य हिंदी में 'प्रेमघन' और बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रारंभ हुआ। प्रेमघन ने वाणभट्ट की 'कादम्बरी', बाबू गदाधर सिंह के 'वंग विजेता', लाला श्रीनिवासदास के 'संयोगिता स्वयंवर' की समालोचना 'आनन्द. कादम्बिनी' में की थी। इसके अलावा भारतेन्दु जी ने भी कालिदास, जयदेव, सूरदास और पुष्पदन्ताचार्य आदि कवियों की जो चरितावली लिखी है, उसमें कालांतर में विकसित होने वाली जीवनचरितमूलक समालोचन पद्धति के बीज अन्तर्निहित हैं। इनके विवेचन में ऐतिहासिक समीक्षा. प्रणाली और शोध सामग्री भी मिलती है। इनके द्वारा लिखित ये जीवन चरित 'कवि वचन सुधा' और 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' के अंकों में समय समय पर प्रकाशित होते थे। जिसमें वे भावी आलोचकों को इस क्षेत्र में कार्य करने के संकेत भी दिया करते थे। इस काल की समीक्षाएँ सामाजिकता से इतनी लिपटी होती थीं कि इनकी साहित्यिकता पर 'शुद्धतावादी' विचारक शंका प्रकट कर सकते हैं। इसका कारण यह था कि इस युग के साहित्य की अनेक विधाएँ परंपरा के मृत अंशों को त्यागकर साहित्य के स्रोत 'जीवन' से रस खींचकर विकसित होने की तैयारी कर रहे थे और यही कार्य आलोचना भी कर रही थी।

डॉ. रामविलास शर्मा ने 'भारतेन्दु युग' नामक पुस्तक में 'बालकृष्ण भट्ट और हिन्दी आलोचना का जन्म' नामक अध्याय में भट्टजी के 'साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है' नामक निबंध का उल्लेख करते हुए लिखते हैं– "लेख के नाम से ही भट्ट जी का आधुनिक दृष्टिकोण प्रकट हो जाता है। साहित्य रसात्मक वाक्य या कवि के अन्तःपुर का लीला विनोद न होकर जनसमूह के हृदय का विकास है।"[3] यह रस निर्जीव रस के प्रति जनसमूह के हृदय का विद्रोह या जिसकी अभिव्यक्ति भारतेन्दु युग कर रहा था। साहित्य को देखने परखने की दृष्टि बदली तो उके मूल्यांकन की कसौटी भी बदली और हिंदी आलोचना में युगांतर उपस्थित हुआ। उस युगांतर की विशेषता बताते हुए पं0 नंददुलारे वाजपेयी लिखते हैं– "भारतेन्दु हरिश्चन्द के समय में स्थिति में परिवर्तन हो चला।

आँखे खुली और यह आभासित हुआ कि रस किसी छन्द में नहीं है, वह तो मानव संवेदना के विस्तार में है। नायक–नायिका कवि जी की कल्पना में निर्माण होने के लिए नहीं हैं, प्रगतिशील संसार की नानाविध परिस्थितियों और सुख–दुःख की तरंगों में डूबने उतराने और खुलकर निखरने के लिए हैं और काव्य कला का सौष्ठव भी अनुभूति की गहराई में है, शब्दकोश के पन्ने उलटने में नहीं।"[4] इस प्रकार जनसमूह के हृदय की भावनाओं का आग्रह करके ही हिन्दी की आलोचना रीतिकालीन केंचुल उतारकर आधुनिक बनी। आगे चलकर आलोचना का अपना स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट हुआ, जिसका श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनके अन्य सहयोगी साहित्यकारों को जाता है।

हिंदी आलोचना में वैज्ञानिकता की परंपरा का जो प्रवर्तन भारतेन्दु ने किया उसे नवीन ज्ञानविज्ञान के आलोक में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुन्दरदास ने विकसित किया। ये दोनों विद्वान देश, विदेश में निरंतर विकासमान ज्ञान. राशि से संपर्क बनाये रहने पर आग्रह किया। ये परंपरा का अनुकरण करने के बजाय उसका उपयोग करने के पक्ष में थे। आचार्य द्विवेदी का प्रभाव सर्जक. साहित्यकारों पर अधिक पड़ा तो श्यामसुंदर दास का प्रभाव विश्वविद्यालयों में शास्त्र की साधना करने वाले अनुसंधित्सुओं और अध्यापकों पर पड़ा। आचार्य द्विवेदी ने आलोचना योग्य भाषा का रूप सुस्थिर करने का सफल प्रयास किया, उसको सही मार्ग पर प्रवृत्त किया और बाबू साहब ने आलोचना के आवश्यक उपादान एकत्र किये, उन्हें व्यवस्थित और संयोजित किया।

द्विवेदी युग के बाद हिंदी समीक्षा में शुक्ल युग का आगमन होता है। इस युग में दो प्रभावशाली आलोचक हुए– बाबू श्यामसुंदर दास और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल। ये दोनों विद्वान समन्वयात्मक समीक्षा के प्रवर्तक कहलाए किंतु दोनों समीक्षकों की समन्वय पद्धति भिन्न भिन्न थी। श्यामसुन्दरदास जी ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य सिद्धांतों का संकलन और समिश्रण तुलना के रूप में प्रस्तुत किया तथा शुक्लजी ने भारतीय एवं पाश्चात्य सिद्धांतों का गंभीर अध्ययन करके उनके आधार पर एक नवीन समन्वित समीक्षा पद्धति की स्थापना की। हिंदी समीक्षा में श्यामसुंदर जी का 'साहित्यालोचन' अपना प्रमुख स्थान रखता है जिसमें संस्कृत और अंग्रेजी के अलंकार ग्रंथों का सारतत्व विद्यमान है। जबकि शुक्लजी ने आलोचना के तीनों रूपों सैद्धांतिक, ऐतिहासिक एवं व्यावहारिक को विकसित करने में अपना अपूर्व योग दिया। सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत उनकी 'चिंतामणि' और 'रस मीमांसा' को लिया जा सकता है। ऐतिहासिक आलोचना की दृष्टि से उनकी प्रसिद्ध रचना 'हिंदी साहित्य का इतिहास' देखी जा सकती है। व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में उनकी कुछ कृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। तुलसीदास, सूरदास, जायसी इत्यादि ग्रंथों की समीक्षाएँ एवं भूमिकाएँ अपना सर्वोच्च स्थान रखती हैं। शुक्लयुगीन अन्य समीक्षकों में बाबू गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु', पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल आदि को विशेष उल्लेखनीय माना जा सकता है।

शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में **आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी** का महत्वपूर्ण स्थान है। ये आचार्य शुक्ल के शिष्य थे। हिन्दी समीक्षा में उनके दाय को स्वीकारते हुए, उन्हें युग प्रवर्तक आलोचक के रूप में मान्यता देते हुए भी वे उनके विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं थे। विशेषतः छायावाद संबंधी विचारों को लेकर इन्होंने शुक्लजी से अपना मतभेद व्यक्त किया तथा अपने विचारों को निर्भीकता से प्रस्तुत किया। जिस प्रकार शुक्लजी के विषय में कहा जाता है कि उन्हें काव्य या साहित्य का परिणत प्रतिमान गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्यानुशीलन से प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काव्य स्वरूप विषयक धारणा का निर्धारण स्वच्छंदतावादी काव्य रचनाओं से प्राप्त किया। इन रचनाओं में प्रकृत मानव अनुभूति और नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौन्दर्यमय चित्र विधान था। भारतीय परिवेश की ये स्वच्छंदतावादी रचनाएँ जातीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय सुगंध से आपूरित थीं। अतः हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ काव्यों में जिन तत्वों की सत्ता वाजपेयी जी देखना चाहते थे, उन्हें वे स्वच्छंदतावादी, छायावादी काव्यरचना और चिंतन में पूर्णरूप से विद्यमान मिली।

शुक्लजी के समीक्षात्मक प्रतिमानों के अनुशीलन से यह स्पष्ट दिखता है कि उनकी रसात्मकता और सौन्दर्य भावना नैतिक भावना का पर्याय बन जाती है। उन्हें मानवीय या लोकमंगल की भावना से प्रेरित कार्य.कलाप में ही सौन्दर्य दिखता है– राम के व्यापार ही सुंदर प्रतीत होते हैं, रावण के व्यापार नहीं। शुक्लजी की दृष्टि में रावण की सक्रियता का योगदान काव्य की भूमि पर भी सौन्दर्य बोधक नहीं है। यहीं काव्यानुभूति के संबंध में वाजपेयी जी इनसे अपना प्रस्थान पृथक कर लेते हैं। उनका कहना है कि काव्यगत सौन्दर्य को नैतिक अनैतिक के खानों में बाँटकर नहीं देखना चाहिए। बल्कि काव्य की भूमिका में उसे इससे ऊपर उठकर समग्रता में सौन्दर्य बोध करना चाहिए।[5] शुक्लजी की काव्यानुभूति सात्विक है और वाजपेयी जी की काव्यानुभूति प्रकृत मानव अनुभूति है। यह बात नहीं कि वाजपेयी जी की प्रकृत मानव अनुभूति असात्विक या अनैतिक है बल्कि वे इस शब्दावली का यहाँ प्रयोग ही नहीं करना चाहते। वे इस स्थल के लिए 'सौन्दर्यानुभूति' का प्रयोग करना चाहते हैं। वास्तव में आचार्य वाजपेयी जी की दृष्टि में साहित्य का सर्वातिशायी और एकमात्र प्रतिमान 'सौन्दर्य' ही है किंतु जैसे रसवादी भारतीय आचार्य 'रस' को काव्य का सर्वोत्कृष्ट तत्व मानते हैं वैसा ही वाजपेयी जी भी मानते हैं कि कलाकार का मानस, सौन्दर्य की व्यंजना के लिए समुन्नत होना चाहिए। यह समुन्नति सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों, वैचारिक रश्मियों और जीवन के समुचित पक्षों से संवलित होने पर ही संभव होती है।

जब वाजपेयी जी समीक्षा संबंधी अपने सप्तसूत्री में साहित्य के मानसिक और कलात्मक उत्कर्ष के आकलन को सर्वप्रमुख मानते हैं तब उनके अनुसार कलात्मक उत्कर्ष का सर्वग्राह्य प्रतिमान होता है– सौन्दर्य। इस सौन्दर्य की परख किन्हीं निश्चित सीमाओं में नहीं की जा सकती। शुक्ल जी से अपने प्रस्थान को पृथक करते हुए वाजपेयी जी ने स्पष्ट कहा है– "साहित्य, कला अथवा किसी भी कलाकृति की समीक्षा में जो बात हमें सदैव स्मरण रखनी चाहिए, किंतु शुक्लजी ने जिसे बार–बार भुला दिया है, वह यह है कि हम किसी पूर्व निश्चित दार्शनिक या साहित्यिक सिद्धांत को लेकर कला की परख नहीं कर सकते।"[6] वाजपेयी जी अपने वैचारिक क्रम में धीरे–धीरे भारतीय रस सिद्धांत की ओर आकृष्ट होते गये। इसीलिए उन्होंने रस सिद्धांत की प्रक्रिया का साक्ष्य देते हुए कहा कि साहित्य.मात्र के मूल में अनुभूति या कल्पना ही कार्य करती है। अतः काव्य की समग्र अनुभूति में सौन्दर्य व्यक्त होता रहता है। नैतिक–अनैतिक के व्यावहारिक संस्कार से उसका विभाजन कर केवल नैतिक अनुभूति में नहीं। उनकी दृष्टि में काव्य के विविधता

में एकात्मकता बोध या रस बोध स्थापित करने वाली यही शक्ति है। स्वच्छंदतावादी चिंतकों के साथ वाजपेयी जी यह स्वीकार करते हैं कि साहित्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वह स्वायत्त है, लेकिन इसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि– "यह सत्ता जीवन सापेक्ष है। जीवन निरपेक्ष कला के लिए कला भ्रांति है, जीवन.सापेक्ष कला के लिए कला सिद्धांत है।"[7] ऐसा कहकर वे पश्चिमी भाववादी कला चिंतकों की जीवन निरपेक्ष अतिवादी सीमाओं से अपने को मुक्त कर लेते हैं। इसी प्रकार जीवन और काव्य को मध्यकालीन बंधे ढाँचे से मुक्त कर 'प्रबंध' से 'प्रगीत' के सौन्दर्यमय धरातल पर उतार लाते हैं। जहाँ शुक्लजी प्रबंध में रस का सर्वोत्तम परिपाक मानते थे, वहीं वाजपेयी जी 'प्रगति' में ही रस की अपेक्षाकृत निबंध स्थिति घोषित करते हैं।

वाजपेयी जी ने 'नई समीक्षा' शीर्षक लेख में शुक्ल जी के मत से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए लिखते हैं– "भारतीय रस सिद्धांत को उन्होंने मुख्य समीक्षा सिद्धांत माना, किंतु रस के आनन्द पक्ष पर, उसके संवेदनात्मक.पक्ष पर उनकी निगाह नहीं गयी। .... रस संबंधी उनकी व्याख्या भाव व्यंजकता या अनुभूति पर आश्रित न होकर नैतिक और लोकवादी आधार का अवलंबन लेती है।"[8] इस प्रसंग में आगे कहते हैं कि यदि नैतिकता की अपेक्षा संवेदना पक्ष पर अधिक बल होता तो भावनामय सूर के प्रति शुक्ल जी वह मत न व्यक्त करते जो कर गये हैं। उन्हें गोपियों का विरह व्यर्थ न महसूस होता। वाजपेयी जी की दृष्टि में "काव्य की रसात्मकता का अर्थ है– उसकी लोकोत्तर भावनामयता। रस का आनन्द अलौकिक आनन्द इसी अर्थ में है कि वह नैतिक और व्यावहारिक भाव, भूमियों को आत्मसात करके भी उनके परे पहुँच जाता है।"[9] इस पर पहुँच जाने वाले पर्यवसित रसात्मकता या सौन्दर्य के अभिव्यंजक जागतिक उपकरण को शुक्लजी दो भागों में बाँट देते हैं– सुंदर और कुरूप जिसे वाजपेयी जी अस्वीकार करते हैं। वाजपेयी जी अनेक बिंदुओं पर शुक्ल समीक्षा से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। इनमें मुख्य बिंदु के रूप में महाकाव्यों और तुलसीदास के नीतिपरक विचारों से विशेष मोह और रस तथा साहित्य में इसी आग्रह की अधिकता, छायावाद के स्वरूप विश्लेषण और महत्व का अंकन आदि को लिया जा सकता है और इन्हीं बिंदुओं को वाजपेयी जी के प्रस्थान बिंदु के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं।

सन्दर्भ :

1. काव्य निर्णय, पृ. 6
2. वही, पृ. 4
3. भारतेन्दु युग, रामविलास शर्मा, पृ. 107
4. हिन्दी साहित्यः बीसवीं शताब्दी– नन्ददुलारे वाजपेयी, पृ. 56
5. रचनावली, खण्ड– 3 पृ. 54
6. वही, पृ. 110
7. रचनावली, खण्ड– 2 पृ. 56
8. रचनावली, खण्ड– 5 पृ. 118
9. वही, पृ. 121

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 122-123

वैदिक सोम एक सर्वोत्तम पेय

डॉ0 प्रमोद कुमार*
*प्रधानाचार्य, श्री गुरूकुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, हैदरगढ़, बाराबंकी, उ0प्र0

सारांश : अब तक प्रचलित पेयों मे सोम को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। वैदिकों ने इसे सर्वश्रेष्ठ पेय मानकर सोम की उपासना की। सोम को राजा माना। यहाँ तक कि सोम के लिए देवता आपस में लड़ते हुए भी दिखायी देते हैं। सोम को प्राप्तकर उसका आदर सत्कार तथा यज्ञों में प्रयोग इसके महत्व को दर्शाता है। सोम सर्वसुलभ नहीं था इसीलिए इस पेय को प्राप्त करना देवता दर्शन के समान था आज भी जो पेय सबसे दुर्लभ हैं अथवा जन सामान्य से दूर हैं उन्हें महत्व दिया जाता है। किन्तु सोम जैसा महत्व किसी अन्य को अब तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके पानोत्तर प्रभाव भी महत्व को सिद्ध करने में सक्षम है।

मुख्य शब्द : वैदिक, यजमान, वैदिक सूक्तों, आपस्तम्ब यज्ञ, देवगण आदि ।

वैदिक समय में प्रचलित पेयों में सर्वश्रेष्ठ पेय सोम को माना गया है। वैदिक सूक्तों में जहाँ कहीं पर भी सोम का नाम आता है वहाँ इनके देवता स्वरूप पर ध्यान न देते हुए, मात्र एक स्वादिष्ट पेय के रूप में देखा गया है। वैसे तो वैदिक ऋषियों को अन्य कई पेय ज्ञात थे, परन्तु प्रमुखता सोम को ही प्राप्त थी। इसके सुस्वाद होने का भाव तो ऋग्वेद के नवम् मण्डल का प्रथम मन्त्र ही बतलाता है– **"स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः।।"**[1] वैदिक देवताओं को यह इतना प्रिय था कि इसके लिए वह आपस में झगड़ते हुए तक दिखाई देते हैं। इसे देवताओं का इच्छित पेय कहा गया है। सोम अभिषव करने वाले ऋषियों को देवताओं की कोटि में माना गया है। जो व्यक्ति सोम अभिषव नहीं करता, वह मृतक के समान तुचछ माना गया है तथा जो सोम का अभिषव करता है, वह सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है।

सोम पेय इतना प्रिय एवं उपयोगी था कि इसका पान सभी मौसमों में किया जाता था– **"यो अस्मै ध्रंस उत वा य ऊधनि सोमं सुनोति भवति द्युमां अह। अपाप शुक्रस्ततनूष्टिमूहति तनुशुभ्रं मघवा यः कवा सखा।।"**[2] ऋषियों, देवताओं, मनुष्यों को शक्ति सम्पन्न, उत्साहयुक्त, कार्यक्षमतावान बनाने वाला यह पेय वृहस्पति देवता को भी श्रेष्ठ, यज्ञों के कर्ता बनता है। यह इन्द्र, अग्नि, बृहस्पति आदि देवताओं का प्रिय पेय था। अग्नि को तो इतना अधिक सोम प्रिय है कि उनकी तो युगल रूप में ही वन्दना प्राप्त होती है। सोम को रूद्र का सहयोगी बतलाया गया है जितने भी चिकित्सकीय कार्य रूद्र करते हैं वे सोमपान के अनन्तर ही करते हैं"[3] सोम को इतना महत्व दिया गया है कि इसे अमृत तुल्य माना गया है। सोम पेय इतना मधुर होता था कि इसे मधु नाम से भी सम्बोधित किया गया है। सोम को ऋषिगण बड़ी श्रद्धा और प्रेम से तैयार करते थे। इसकी श्रेष्ठता के कारण ऋषियों ने इसे अभिषुत करना परम्परा के रूप में अपनाया। सोमपान करना ही नहीं अपितु सोम का दर्शन करना भी श्रेष्ठ कार्य माना जाता था। इसीलिए इसे पवित्र रस दिव्य एवं मन को अच्छा लगने वाला कहा गया है– **इन्द्राय सोम पातवे मदाय परिषिच्यसे। मनश्चिन्मनस्पतिः।।"**[4]

यह पेय सर्वसुलभ भी नहीं था। इसको यज्ञ के समय ही प्राप्त किया जाता था तथा सर्वप्रथम देवों को अर्पित करने के उपरान्त ही ऋत्विकगण एवं यजमान इसका पान कर सकते थे। ब्राह्मणग्रन्थ यह बतलाते हैं कि ब्राह्मण वर्ण के यजमान को ही सोमपान करने की आज्ञा प्राप्त थी। ऐतरेय ब्राह्मण में तीन प्रकार के पदार्थों को पान करने योग्य माना गया है– सोम ब्राह्मणों के लिए दधि वैश्य के लिए, जल शुद्र के लिए तथा क्षत्रिय के लिए न्याग्रोध रस का पान श्रेष्ठ है।"[5]

वैदिक समय में सोम एक स्वादिष्ट पेय ही नहीं था, अपितु जीवन की प्रधान आवश्यकता बन चुका था। वैदिकों का सम्पूर्ण जीवन यज्ञों पर आधारित था। उस समय यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता था– **"यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म"** (आपस्तम्ब यज्ञ परिभाषा) इसलिए वैदिक मन्त्रों की जहाँ कहीं आचार्य सायण व्याख्या करते हैं क्रतु अथवा कर्म पद आता है उसका अर्थ वह यज्ञकर्म ही करते हैं– **क्रतुः योऽयमाग्निष्टोमादियागः"**[6] सोमरस के बिना सोम यज्ञ ही नहीं अन्य यज्ञियाँ भी नहीं हो सकती थीं। स्वयं मन्त्र में भी कहा गया है कि हे सोम। आप हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर इस यज्ञ में आइये और इस यज्ञ कार्य को आगे बढ़ाइये"– **इमं यज्ञमिदं वजो जुजुषाण उपागहि। सोम त्वं नो वृधेभव।"** सोम रस को इतना आदर दिया गया है कि इसे सभी यज्ञियों का जानकार बतलाया गया है। सभी यज्ञियों की पूर्ति सोम ही कर सकते हैं। यज्ञ में प्रयुक्त सभी मन्त्रों का ज्ञान सोम को है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मानकर इन्हें ही सर्वप्रथम यज्ञों में बुलाया जाता है। इस पवित्र रस को यज्ञों में इतना अधिक सम्मान प्राप्त था कि सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति इसी द्वारा कही गयी है। मन्त्र द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि बड़े प्रयत्न पूर्व वैज्ञानिक बुद्धि के द्वारा इसे खोजा गया था"[7]

त्वं सोम प्रचिकितो मनीषां त्वं रजिष्ठ मनुनेषि पन्थाम्।
तव प्रणीती पितरौ न इन्दो देवषु रत्नमभजन्त धीरा।।

इस पेय को इतनी लगन और परिश्रम से तैयार किया जाता था कि इसमें सम्पूर्ण ऋषियों का समूह योगदान करता था। इसलिए यह प्रत्येक घर में पूज्य था। कुछ मन्त्रों से यह भी अनुमान होता है कि इस स्वादिष्ट तथा पवित्र पेय को प्राप्त करने के लिए देवतागण भी ऋषियों की आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहते थे। अतः सोम वैदिक समय का सर्वाधिक लोकप्रिय पेय था।

देवगण सोम का दो रूपों में पान करते थे। कुछ देवता सोम को बिना किसी मिश्रण के पान करते थे तथा कुछ अन्य सोम में आशिरों को मिलाने के बाद पान करते थे। अमिश्रित सोम को पीने के लिए दो देवता अधिक लालायित दिखाई देते थे। मात्र इन्द्र और वायु ही दो देवता ऐसे दिखाई देते हैं जो अमिश्रित सोम पीते थे। श्रौतमूत्रों में कण्व ऋषि को सर्वप्रथम सोमरस में अन्य उपयोगी वस्तुएं मिलाने वाला कहा गया है। ऐसा ही वर्णन अर्थवेद में भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद के मन्त्र द्वारा भी ज्ञात होता है कि सोम में

दुग्ध मिलाकर परिष्कृत करने का कार्य कण्व ऋषि के द्वारा किया गया। यह पौधा सुगन्धित होता था अतएव इससे प्राप्त रस भी सुगन्धित होता होगा मन्त्रब्राह्मण में इसको मधुर सुगन्ध वाला रस कहा गया है– **भूर्भुवः स्व रो सूर्य इव दृशे भूयाममग्निरिव तेजसा वायुरिव प्राणेन सोम इव गन्धेन बृहस्पतिरिव बुध्याश्विनाविव रूपेणेन्द्राग्नी इव बलेन ब्रह्मभाग एवान्हं भूयांम पापम्भागा में द्विषन्त''**[8] किन्तु शतपथ ब्राह्मण के एक आख्यान में सोम को अत्यन्त दुर्गन्ध वाला भी कहा गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसकी दुर्गन्धता इतनी अधिक होती थी जैसे कि मृत सड़े हुए जानवरों में होती है और इसकी दुर्गन्धता के लिए कोई नाक भी बन्द नहीं कर सकता था। ऋग्वेद के मन्त्र सोमरस को सुगन्धित बतलाने है वहीं शतपथ ब्राह्मण दुर्गन्धित इससे यही लगता है कि परवर्ती साहित्य के लोग या तो वास्तविक सोम पौधे का रस प्राप्त नहीं कर पाते थे अथवा अधिक समय तक रखने पर इस रस से दुर्गन्ध आने लगती होगी अथवा तुरन्त निकाला गया रस सुगन्धित होता होगा बाद में दुर्गन्ध आने लगती होगी। इसीलिए वेद में सोमरस में अन्य पदार्थ मिलाने का वर्णन है।

ऋग्वेद के अनुसार सोमरस में तीन पदार्थों को मिलाने का निर्देश प्राप्त होता है। सोम में मिलाये जाने वाले पदार्थों के लिए आशिर शब्द का प्रयोग किया गया है। तीन प्रकार के आशिर मिलाते थे– **गवाशिरः, दध्याशिरः, यवाशिरः– 'पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरूषो हरिः। परि गव्यान्यत्यता।। नमसेदुपसदित दध्नेदभिश्रीणतन। इन्दुमिन्द्रे दधातन।।**[9] इन आशिरों के साथ कुछ अन्य पेय भी मिलाये जाने का संकेत प्राप्त होता है। दुग्ध दधि यौ, धृत, मधु, जल, आदि मिलाया जाता था। इन सभी द्रव्यों को उचित रीति से मिलाने के बाद मथनी से मथा जाता था तदुपरान्त छलनी से छानकर पूर्ण रूप से परिष्कृत सोमरस तैयार होता था।

उपरोक्त वर्णन यह सिद्ध करता है कि सोमक्रयण, परिष्कृत करना, अन्य दृव्य मिलाना तथा शोधित करने हेतु छानना आदि करना सोमपेय की श्रेष्ठता, उपादेयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। उस पर उसके पानोत्तर प्रभाव तो और महत्व को बढ़ा देते हैं सोमपान के उपरान्त बल, बुद्धि, कार्यक्षमता में वृद्धि तथा रेतस् वर्धन, आयु वर्धन, आदि गुण तो प्राप्त होते ही थे साथ ही यह रोगाणु नाशक, रोग प्रतिरोधक औषधि के रूप में भी काम करता था। इसीलिए सोम सर्वश्रेष्ठ वैदिक पेय था।

सन्दर्भ :

1. ऋग्वेद – 9/1/1– ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
2. ऋग्वेद – 5/34/4– ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
3. ऋग्वेद – 6/74/12– ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
4. ऋग्वेद – 9/11/8– ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
5. ऐतरेय ब्राह्मण – 8/2/4– आनन्द आश्रम पूना (दो भागों में) 1930
6. ऋग्वेद सायण भाष्य 1/91/5– ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
7. ऋग्वेद – 1/91/1– ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)
8. मन्त्रबाह्मण– 2/4/14– एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल 1890
9. ऋग्वेद – 9/8/6 एवं 9/11/6 ऋग्वेद संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पूना (5 भागों में) सन् –1933–51)

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 124-126

मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में सम्बन्धों के विविध आयाम का अध्ययन

त्रिलोक चन्द*
*शोधार्थी, हिन्दी विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

मैत्रेयी पुष्पा की कहानियों में संयुक्त परिवार का चित्रण मिलता है। ''सफर के बीच'' कहानी में गिरराज सहित चार भाई बहन तथा माता–पिता संयुक्त परिवार में रहते हैं। इस परिवार का कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। गिरराज पढ़लिखकर जिलाधिकारी बनता है। जिलाधिकारी बनने के बाद उसके भाई जीवन भर उससे सहायता लेते रहे हैं। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार टूट रहे हैं।

''साँप–सीढ़ी'' कहानी की सुमन बी.ए. पास हैं, वह संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती हैं। आजाद तबीयत की सुमन ने राजन को रेलवे में नौकरी पाने के लिए खेत बेचकर पैसे देने के लिए कहा। खेत राजन के पिता के नाम पर हैं। राजन अपने पिता को खेत बेचने के लिए मजबूर करता है, खेत बेचकर भी पैसे नहीं जुटा पाते हैं तब राजन और परिवारजन सुमन के मैके से पैसे माँगने की बात करते हैं, तब सुमन अपना सामान बाँधकर घर से निकल जाती हैं, किन्तु गाँव में संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती हैं। आधुनिक समाज में पारिवारिक सम्बन्धों में दूरियाँ पैदा होती नजर आ रही हैं। रिश्ते को बोझ समझा जा रहा है।

'बोझ' कहानी के गोलू को उसके माता–पिता क्रैश में आया के पास भेजते हैं। पिता नौकरी के लिए तथा माँ क्लब में जाती हैं। बच्चे के पालन पोषण करने में कोताही बरतते हैं। गोलू के पिता गोलू के लेने देर से पहुँचे तब आया कहती है, ''अरे सुनो साब, आपका बच्चा जब न तब कच्छे में पेशाब कर देता है। दस बार उन्हीं का कपड़ा तो नहीं बदलते रहेंगे। यह तो इतना बड़ा है, इससे छोटे नहीं करते। बखत से टट्टी–पेशाब की आदत नहीं डाली। धन्य हैं रे पढ़े–लिखे माँ बाप।''[1] विवाह तय करते समय जाति को आज भी महत्व दिया जाता है। अगर कोई लड़की अपनी जाति से अन्य जाति के युवक से प्रेम सम्बन्ध रखती है, विवाह करना चाहती है, तो समाज उसे किसी भी शर्त पर विवाह करने की अनुमति नहीं देता है।

''केतकी'' का पात्र केतकी के पिता केतकी के विवाह का प्रस्ताव विधुर श्रीगोपाल के पास ले जाते हैं। श्रीगोपाल केतकी के पिता के उम्र के हैं। ''एक तो अति दरिद्र घर में जन्मी थी केतकी, ऊपर से अपने ही बाल सखा चन्दना की अति समीपता उसे बदनाम किए दे रही थी। जातियों की रूढ़ियों से जकड़ा हमारा समाज हरिजन युवक चन्दन से विवाह की अनुमति केतकी को कभी नहीं दे सकता था।''[2] समाज पिता की उम्र के विधुर से विवाह की अनुमति दे सकता है लेकिन हमउम्र हरिजन युवक को विवाह की अनुमति नहीं दे सकता।

''ताला खुला है पापा'' कहानी का अरविन्द तथा बिन्दो अपनी शिक्षा के प्रति सचेत दिखाई देते हैं। अरविन्द नाई है और बिन्दो ब्राह्मण लड़की। बिन्दो बीमार होती है, तब अरविन्द उसे सहायता करता है। अरविन्द ने बी.ए. में दाखिला लिया और बिन्दो के पिता जगदीश चौबे ने साफ मना कर दिया। बिन्दो अरविन्द से प्रेम करने लगी उससे विवाह करना चाहती है, इसे भी पिता ने अनुमति नहीं दी। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि लड़की की शिक्षा के प्रति समाज में विरोध होता है।

''बेहेलिये'' कहानी में नेक इंसान मास्टर को कोई जहर देता है, मास्टर की मौत होती है तब पुलिस तहकीकात के लिए आती है। पुलिस आकर मास्टर की पत्नी सावित्री को ही दोषी ठहराती है। पुलिस अफसर कहता है, ''पति को जहर दिया है और सती बनी बैठी है।'' चल साली बोलती नहीं है, थाने में तो तेरा बाप भी बोलेगा। सिपाही हाथ पकड़कर घसिटने लगा।''[3]

''राय प्रवीण'' कहानी में सावित्री का उल्लेख आया है– ''सावित्री हमारे पुराणों में ऐसी सती का नाम है जो पति के प्राणों के लिए मौत के देवता यमराज से लड़ी थी, परिव्रता स्त्री। पतिव्रता हमारे समाज में बड़ा सम्मान पाती है। देवी की तरह माना जाता है।''[4]

नारी समाज का महत्वपूर्ण अंग है, किन्तु सदियों से समाज उसे मात्र भोगपरक दृष्टि से देखता आया है। प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका **सीमोन द बोउवार** ने कहा है ''स्त्री पैदा नहीं होती उसे बना दिया जाता है।'' स्त्री और पुरुष के लिए कानून समान नहीं हैं। उदारमतवादी नारी आन्दोलन में सोचा की कानून तथा अधिकार यदि समान दिए जाएं तो स्त्रियों की गुलामी समाप्त होगी। पूंजीवादी जनतंत्र ने आर्थिक समानता प्रदान की फिर भी स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार शारिरिक शोषण रुका नहीं। मार्क्सवादी स्त्रीवादियों ने स्त्री के वस्तुरूप को तोड़कर उसे उत्पादन के साथ जोड़ दिया और आर्थिक समानता प्रदान करने का प्रयास किया है। जब सफलता नहीं हुई तब उग्र स्त्रीवाद (Radical feminisum) का जन्म हुआ। महिलाओं को सबल बनाने के लिए राजनीति में आरक्षण दिया गया, किन्तु पुरुष मानसिकता उसे स्वीकार करती हुई नजर नहीं आती है।

मैत्रेयी पुष्पा के ''राय प्रवीण'' कहानी की पात्र सावित्री आजाद विचारों की नारी है। उसके इसी आजाद खयालों का परिणाम उसे पति के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है तब उसका पति उसे घर से निकाल रहा था तब सावित्री ''शान्त मन लौटी तो पति नहीं राक्षस खड़ा था सामने। पकड़कर लात–घूँसों से पीटा। घसीट–घसीटकर पटका, सावित्री में सहन शक्ति राई–भर में भी न बची। सावित्री विरेन्द्र से ज्यादा बलिष्ठ लोगों से जूझकर आ रही थीं। वे संख्या में आठ गुने, दस गुने, पता नहीं कितने ज्यादा। बस, पति ने हाथ लगाया कि चोट–दर्द भूलकर दो लातें मारीं मरदानी कमर पर। वह साँप की तरह फुफकारता हुआ उठा तो तीन–चार धक्के दिए लगातार और घर में जा घुसी।''[5]

स्त्री–जन्म को अभिशाप माना जाता है। पुत्र जन्म पर मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं जबकि पुत्री जन्म पर नाक,भौं सिकुड़े जाते हैं। वर्तमान काल में तो बेटी जन्म ही न ले इसकी व्यवस्था विज्ञान के सहारे की जा रही है। ''तुम किसकी हो बिन्नी?'' कहानी

में एक औरत कह रही थी, ''अरी ये बात नाँय, का करें बेचारे ! शहर में तो तीन बच्चों का हुकुम है, अब इसे यहाँ न भेजते तो चौथा कैसे करेंगे।'' ''के बेर तो इसकी माँ ने गरभ गिराये हैं, दूरबीन से दिखवाय लिये। छोरी निकरी सो गिरवाय दई। कसाइन है निरी।''[6] इस कथन से स्पष्ट होता है कि लड़के के लिए माता–पिता सोनोग्राफी करवाकर लड़की को जन्म होने से पहले ही मार देते हैं। परिवार में घर के कामकाज का सम्पूर्ण बोझ स्त्री पर है। अगर वह स्त्री काम करने के लायक नहीं है तो उसे घर परिवार से भी बाहर निकाला जाता है, मैके भेजा जाता है इसी कहानी का पात्र छवीली के पाँव को गँग्रीन होने के कारण डॉक्टर काटते हैं तब उसकी सास कहती है– ''अरे अब वे घर का काम–धंधा निपटा लेंगी? अब तो उलटे उनकी टहलकरेंगे हम। सो क्या करने हैं ? हम अपने मोड़ा का दूसरा ब्याह लो कल कर लें। टोटे हैं क्या?''[7]

भारतीय समाज में पुरुष प्रधान संस्कृति है। ''उज्रदारी'' कहानी में भाई की विधवा पत्नी को जेठ उसका हक्क छिनकर उसे घर से बाहर निकालना चाहता है। विधवा बहू भोलाराम कुम्हार को मिलने जाती है, अबकी बार विधवा को ही दोषी ठहराया जाएगा वह सोचती है, – ''मेरी जैसी अनाथ औरत क्या, किसी भी औरत को जेठ–ससुर के आगे बोलने का हक नहीं। आदमियों की बिरादरी ऊँची हैं, बड़ी है। वे आदर के जोग हैं, हम सिर नवाने वाली बहुएँ। घर की मरजाद उनके बड़प्पन और हमारे गूँगे घूँघट से हैं।''[8] विधवा भी अब अपने अस्तित्व की तलाश करती नजर आती हैं।

'राय प्रवीण' कहानी की सावित्री बाढ़ के प्रकोप के पश्चात् अपने परिवार तथा गाँव के लोगों के अन्न प्राप्त करने के बदले में सरकारी अधिकारी तथा ठेकेदारों के हवस का शिकार होती हैं। पति को जब पता चलता है तब वह उसे अपने घर में लेने के लिए विरोध करता है। पति विरेन्द्र कहता है– ''अभी क्यों आ गई? वहीं रहती। यार बहुत मन भए?'' मिसमिसाकर बोला– ''आगे पाँव मत बढ़ाना रंडी!।''[9] समाज सावित्री को बदचलन कहने लगा। सावित्री को पति ने अपने घर में लेने से विरोध किया तब सावित्री अपने पिता के पास चली जाती है। परिवार में विवाहित स्त्री पर पुरुष अत्याचार करता है। कहानियों में पुरुष के स्त्री पर अत्याचार तथा मारपीट का वर्णन है।

''भँवर'' कहानी की विरमा को उसका पति केशव कोई कारण न होते हुए भी मारता है। विरमा इस अत्याचार को जब सह नहीं पाती, तब अपने भाई के साथ चली जाती है। विरमा के चले जाने के बाद केशव दूसरा ब्याह करता है। विरमा कुछ दिन भाई के पास रहकर वापस आती है। केशव की दूसरी पत्नी की संतान को अपनी संतान मानती है। विरमा को स्कूटर की ठोकर लगती है, लोग विरमा को अस्पताल में भर्ती करते हैं, तब विरमा का भाई और पति उसे अस्पताल में मिलने आते हैं। दोनों मिलकर स्कूटर वाले से पैसे लेकर पुलिस केस नहीं होने देते हैं। भाई और पति पुरुष हैं, इन दोनों पुरुषों ने मिलकर एक स्त्री पर अत्याचार किया।

''बेटी'' कहानी में मुन्नी अपनी माँ से स्कूल जाने के लिए अनुमति माँगती हैं तब अम्मा कहती है,– ''चुप होती है की नहीं ? बहुत जवान चल गयी है तेरी। तू लड़कों की बराबरी करती है। बेटे तो बुढ़ापे की लाठी हैं हमारी, हमें सहारा देंगे। तू पराए घर का दलिद्दर। तेरी कमाई नहीं खानी हमें, कह दिया, कान खोलकर सुन ले।''[10] स्त्री–स्त्री से सम्बन्ध रखते समय भी समाज की पुरुष मानसिकता का शिकार नजर आती है। विधवा को पूर्वजन्म की पापीन कह कर उसके साज–श्रृंगार पर भी रोक लगाई जाती है।

'उज्रदारी'' कहानी में समाज विधवा के जीवन को बदसूरत बनाना चाहता है, चूड़ी, बिछिया और रंग–बिरंगे कपड़ों को पाप बताकर विधवा औरत की जिंदगी पर होने वाले खर्च और बढ़ने वाले रूप को खारिज करने लगे थे, घर के लोग रंगीन सपने मत देखो, दिल मोहने वाली बातें मत सुनो, पति के दुःख की कटारी से सारे सुखों के तार–तार काट डालो। यह उपदेश समाज में विधवाओं को दिए जाते हैं।

''आक्षेप'' कहानी में विशालनाथ ग्रामसेवक हैं, रुकमपुर गाँव में उसका तबादला होता है। गाँव में रमिया नाम की एक ग्रामीण अशिक्षित महिला है। रमिया का पति शिक्षक है, वह रमिया के साथ न रहकर नौकरी के गाँव में रहता है। रमिया गाँव में सेवाभाव तथा मानवीय करुणा के साथ रहती है। गाँव के नंबरदार को बिमारी में सहायता करती है, शेरखाँ की बीवी नहीं है उसके बच्चे को बीमारी होने पर दवा देने का काम करती है, साहूकार को घर में आग लगने के बाद बचाती है रमिया की सेवाभावीवृत्ति को लोग बदचलन कहते हैं। शिक्षित व्यक्ति ग्रामसेवक विश्वनाथ रमिया के घर में रहता है। रमिया की बदनामी का शिकार ग्रामसेवक विश्वनाथ भी होता है। वह रमिया से बार–बार यह काम करने से रोकता है। कहानी में रमिया की बदचलनी का एक भी प्रमाण नहीं है, फिर भी एक शिक्षित ग्रामसेवक उसका साथ देने से कतराता है।

चरित्र स्त्री का गहना माना जाता है, उसे अगर दाग लग गया तो उसे त्याग दिया जाता है। पति ने जिस स्त्री को त्याग दिया है उस स्त्री का जीवन अत्यंत कठिन होता है। राय प्रवीणा कहानी की सावित्री को उसका पति विरेन्द्र जब त्याग देता है तब सावित्री के पिता गणित मास्साब भी लोकलाज के कारण उसे घर में प्रवेश नहीं देते हैं। ''बिछुड़े हुए ....'' कहानी में सुग्रीव अपनी पत्नी चंदा और बेटी मगना को त्यागकर स्वामी शतानंद नाम धारण कर सन्यासी बनता है।

''बहेलिये'' कहानी की गिरजा ने अपनी बहन के बेटे सूरज को पुलिस अधिकारी बनाया और सपना देखा था कि वह अपने गाँव तथा समाज की सेवा करेगा। एक दिन गिरजा रात के समय अपने बहन के बेटे सूरज को मिलने के लिए चली जाती है और वहाँ खिड़की की आड़ में ही खड़ी होकर देखती है, सूरज एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बोल रहा है, बजुर्ग अपनी कन्या को लेकर आया है, –''सूरज ने उस षोड़शी कन्या को ऊपर से नीचे तक निहारा मानो सब तरफ से तोल–जोख रहा हो। गिरजा का माथा सनसनाने लगा, कनपटियाँ जल उठीं। सूरज कहता है ..... ठीक है ..... इसे रात में फलाँ जगह .....। सूरज ने कोई गुढ़ संकेत सिपाही की ओर किया।''[11] इसी कहानी में साहुकार का बेटा भोली पर बलात्कार करता है। बलात्कार में गर्भवती हुई भोली आत्महत्या करती है तब पुलिस आकर साहुकार के बेटे को पकड़ने के बजाय घूस लेकर साधारण सा आत्महत्या का केस कर वह भी बलात्कार तथा यौन शोषण को प्रश्रय देती है।

''रास'' कहानी में नाई की बेटी जैमन्ती पर उसका ससुर बलात्कार करने का प्रयास करता है– ''जैमन्ती की आँखों में भक्–भक् लपटें उठने लगी। सास काँपने लगी। सास का बेटा आँखें मीचता हुआ कभी बाप को देखे तो कभी उसे। छत पर सोये पड़ोसियों में से कोई बोला, ''क्या हुआ रे हरपरसाद?'' सास ने बात सँभाल ली, ''लल्लू कह दे, बहू साँप से डर गई है।''[12] पिता के समान ससुर ने अपनी बेटी के समान बहू पर अत्याचार करने का प्रयास किया।

समाज में नारी के पवित्र्य को महत्व दिया जाता है। पुरुष ने अगर व्याभिचार किया तो समाज उसे कोई अपमान नहीं मानता है। नारी ने अगर किसी अन्य के प्रति प्रेमभाव भी जताया या अन्य जाति के युवक के साथ विवाह करना चाहा तो उसे समाज मान्यता नहीं देता है। एक अच्छा सा घर देखकर सुरजनसिंह अपनी बेटी रज्जो का विवाह तय करते हैं। रज्जो के ससुर ने अपना असली रूप दिखाया, ऐन दरवाजे पर कहा, ''एक लाख के बिना भाँवर नहीं पड़ेगी और पचास हजार बिना बिदा नहीं होगी।''[13] ऐसे अनेक उदाहरण हैं। दहेज आज भी समाज में अनेक नवयुवतियों के संसार ध्वस्त कर रहा है। समाज शिक्षित होने के बाद इस स्थिति में परिवर्तन आएगा ऐसा लगा था किन्तु यह समस्या तो और भी जटिल बनती जा रही है।

''मन नाहिं दस–बीस'' कहानी में चंदना का पति नपुंसक हैं फिर भी सास अपने बेटे की कमी को छिपाकर अपनी बहू पर ही निसंतान होने का दोष लगाती है। सास एक पल भी चैन नहीं देती थी – ''कच्चे गोद पेट डाले होंगे, फिर कहाँ से जनेगी पूत। हमारे ही करम खोट थे सो ब्याह लाएँ छिनाल को।''[14] जब चन्दना अपने पति की अयोग्यता के बारे में सास के पास कहती हैं तब सास कहती हैं– ''रंड़ी, हमारे लड़के को नपुंसक बताती है। घाट–घाट का पानी पीकर सत–सावित्री बन रही है। जा उसी यार के पास, मरद तो वह है।''[15]

''उज्रदारी'' कहानी में सोमू के पिता की मृत्यु के पश्चात् उसे और उसकी माता को घर से निकालने का प्रयास किया जाता है। जमीन या घर का हिस्सा नहीं दिया जाता है, तब उनके सामने मजूरी के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं है। गाँव में संभ्रांत परिवार की बहू को जब घर से निकाला जाता है तब वह पड़ोस में काकी के पास जाती है। ''वहीं लेटने–बैठने की बात सोच ली। मजूरी तो यहाँ रहकर भी हो सकती है। हेठी किसकी होगी? पराये घरों की मशीन पर चारा काटूँगी, उनका गोबर डालूँगी, खेत निराऊँगी और जेठ की मूँछों पर भूमर (आग) डालूँगी। होने दो थू–थू।''[16] सोमू की माँ सोचती है। दहेज के कारण कई विवाह नहीं हो पाते हैं।

''ताला खुला है पापा'' की बिन्दो का विवाह नहीं हो पाता है। नाई युवक अरविन्द से प्रेम करती है, पिता जाति से बाहर विवाह करना नहीं चाहते हैं। बड़ी बहन के विवाह का कर्ज अभी चुका नहीं पाये। बिन्दो अपनी माँ से कहती है, ''अम्मा, तुम मेरे ब्याह की फिकर बिल्कुल न करना। जो रुपया खर्च कराएगा, मैं उससे ब्याह नहीं करूँगी। ओरछा के मन्दिर में ''आदर्श विवाह'' होते हैं। वहीं करूँगी। ठीक है?''[17]

निष्कर्षतः मैत्रेयी पुष्पा ने कहानियों में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला है। नारी विमर्श तथा ग्रामीण जीवन साहित्य के केन्द्र में पाया जाता है। नारी–विमर्श मैत्रेयी पुष्पा के वैचारिक साहित्य का केन्द्र बिन्दु है। मूल्यबोध, नैतिकता, राजनीति में नारी का स्थान, धर्म, संस्कृति, जातिव्यवस्था, दलित नारी, आर्थिक विषमता, शिक्षा, सामाजिक समस्याएँ, अंधविश्वास, विवाह (बालविवाह, बहुविवाह), दहेज, मीडिया आदि विषयों पर गहरा चिंतन किया है।

सन्दर्भ :

1. मैत्रेयी पुष्पा, ललमनियाँ–बोझ, पृष्ठ 86
2. मैत्रेयी पुष्पा, चिहनार–केतकी, पृष्ठ 125
3. वही, पृष्ठ 43
4. मैत्रेयी पुष्पा, गोमा हँसती है–राय प्रवीण, पृष्ठ 33
5. मैत्रेयी पुष्पा, गोमा हँसती है–राय प्रवीण, पृष्ठ 46
6. मैत्रेयी पुष्पा, ललमनियाँ : तुम किसकी हो बिन्नी?, पृष्ठ 120
7. मैत्रेयी पुष्पा, चिह्नार–सहचर, पृष्ठ 33
8. मैत्रेयी पुष्पा, गोमा हँसती है–उज्रदारी, पृष्ठ 100
9. मैत्रेयी पुष्पा, गोमा हँसती है–राय प्रवीण, पृष्ठ 46
10. मैत्रेयी पुष्पा, चिह्नार–बेटी, पृष्ठ 21
11. मैत्रेयी पुष्पा, चिह्नार–बहेलिये, पृष्ठ 46
12. मैत्रेयी पुष्पा, गोमा हँसती है–रास, पृष्ठ 127
13. मैत्रेयी पुष्पा, गोमा हँसती है–साँप–सीढ़ी, पृष्ठ 82
14. मैत्रेयी पुष्पा, चिह्नार – मन नाँहि दस–बीस, पृष्ठ 64
15. वही, पृष्ठ 64
16. मैत्रेयी पुष्पा, गोमा हँसती है–उज्रदारी, पृष्ठ 109
17. मैत्रेयी पुष्पा, गोमा हँसती हैं–ताला खुला है पापा, पृष्ठ 75

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 127-128

सूफी प्रेम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

डॉ0 संतोष कुमार पाल*
*स0अ0, हिन्दी गिरधारी इ0का0 सिरसागंज, फिरोजाबाद, उ0प्र0

सारांश :यह अध्ययन सूफी प्रेम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। जो समाज के लिए उपयोगी हैं।

मुख्य शब्द : प्रेममार्गी कवियों, सूफी कवियों, मसनवी शैली, कृष्णभक्त कवियों आदि ।

प्रेममार्गी कवियों की प्रेमगाथाएँ भारतीय चरित काव्यों की सर्गबद्ध शैली में न होकर फारीस की मसनवी शैली में प्राप्त होती है। इनमें मसनवी पद्धति के अनुसार कथा के आरम्भ में ईश वन्दना, मौहम्मद साहब की स्तुति तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा तथा आत्म परिचय प्राप्त होता है। **'सुमरो आदि एक करतारू। जेहि जिउ दीन्ह कीन्ह संसारू'आदि एक बरनऊँ सोई राजा। आदि न अन्त राज जेहि छाजा।। कीन्हेसि पुरुष एक निरमरा। नाम मौहम्मद पूनौ करा।।**

भारतीय कथानक रूढ़ियाँ : सूफी कवियों ने भारतीय कथाओं में वर्णित कथानक रूढ़ियों को वर्णन का विषय बनाया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार– ''कथानक को गति देने के लिए सूफी कवियों ने प्रायः उन सभी कथानक रूढ़ियों का व्यवहार किया है जो परम्परा से भारतीय कथाओं में व्यवस्थित होती रहीं। जैसे –चित्रदर्शन, स्वप्नदर्शन, शुकसारिका द्वारा रूप का वर्णन, मंदिर या चित्रशाला में प्रेमी युगल का मिलन इत्यादि''। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य में ईरानी साहित्य की कथानक रूढ़ियों का भी वर्णन किया है। जैसे – प्रेम व्यापार में देवदूतों का सहयोग, उड़ने वाली राजकुमारी इत्यादि।

प्रेमगाथाओं में हिन्दू संस्कृति : जैसा कि प्रेम गाथाओं के रचयिता प्रायः सभी मुसलमान थे फिर भी हिन्दू धर्म की सभी लोकधारणाओं, रीति रिवाज, आचार–विचार, रहन–सहन आदि का ज्ञान था। पद्मावत में पद्मावती के विवाह के अवसर पर ज्यौनार का जो वर्णन मिलता है उससे यही प्रतीत होता है कि जायसी को हिन्दू संस्कृति का पूर्ण ज्ञान था। संतान उत्पत्ति नामकरण, राशि ग्रहगोचर आदि का वर्णन आदि इसी बात के प्रमाण हैं। **पण्डित बहुत बुधिवन्त बुलाए राशि वर्ग ओ ग्रह गुनाए। (नामकरण) भई जेंवनार फिरा खण्डवानी फिरा अरगाज कुँह कुँह पानी।। (ज्यौनार)**

प्रेम गाथाओं का आधार हिन्दुओं की लोक गाथाओं से : सूफी कवियों की प्रेमगाथाएँ अधिकांशतः हिन्दु घरों की गाथाएं हैं जो परम्परा से चली आ रही हैं, जिनमें आधा इतिहास और आधी कल्पना का मिश्रण करके काव्य काक ढाँचा खड़ा किया गया। इनमें शुभाशुभ, जादू–टोना, तन्त्र–मंत्र का उल्लेख है।

लौकिक प्रेम वर्णन में अलौकिक प्रेम की व्यंजना : कृष्णभक्त कवियों में जिस प्रकार भक्ति का आधार श्रृंगार है, उसी प्रकार जायसी के पद्मावत में भी अलौकिक प्रेमाभक्ति का आधार लौकिक श्रृंगार है क्योंकि सूफी कवियों की प्रेम गाथाएँ लौकिक प्रेमाख्यानों द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना करने की दृष्टि से रची गई हैं। अतः इन प्रेमाख्यानों में सांकेतिक शैली का प्रयोग और विरहानुभूति का वर्णन हुआ है। इनके अनुसार आत्मा, परमात्मा के मिलन में शैतान अवरोधक है, जिसे गुरु की सहायता से नष्ट का ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है।

अवधी भाषा का प्रयोग : प्रेममार्गी सूफी सन्तों के काव्य ग्रंथों की भाषा अवध प्रान्त की अवधी रही है। क्योंकि इस प्रेम की पीर के कवियों का प्रधान केन्द्र अवध प्रान्त रहा तथा इनकी काव्य भाषा अवधी रही है। कुछ कवियों जैसे उसमान और नसीर आदि कवियों पर अवधी भाषा के भोजपुरी तथा नूर मोहम्मद पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है।

दोहा–चौपाई पद्धति का प्रयोग : अधिकांश सूफी कवियों में छन्द प्रयोग की दृष्टि से समानता पाई जाती है। इन सभी ने दोहा–चौपाई शैली में ही ग्रंथों की रचना की है। यह सत्य है कि अवधी भाषा के दोहा–चौपाई पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जायसी से ही तुलसीदास ने (ठीक 35 साल बाद) इस परम्परा को ग्रहण किया।

प्रबंध शैली का प्राधान्य : सूफी प्रेममार्गी कवियों ने अपने प्रेमाध्यानों में हिन्दी की प्राचीन काव्य परम्परा का अनुसरण किया, जिससे कथानक की रमणीयता के साथ–साथ कथा वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से वर्णित किया गया है।

प्रबंध काव्यों में नायक का महत्व : भारतीय काव्य परम्परा के अनुसार ही सूफी कवियों ने प्रबंध काव्यों में नायक के चरित्र चित्रण को महत्व दिया है। क्योंकि वही उनकी सम्पूर्ण सिद्धि का साधन है वही जनता को प्रेम के मार्ग से परिचित कराता है। इसलिए सूफी कवि नायक को विभिन्न कठिनाइयों, जैसे– समुद्र में तूफान, सिंहल द्वीप की भयंकरता से निकालकर पद्मावती की प्राप्ति में सूफी दिखाया गया है। पद्मावत में रत्नसेन की मिलनातुरता में आध्यात्मिक पक्ष को प्रबल मानते हुए प्रियतम पद्मावती रूपी परमात्मा के लिए मिलन की व्याकुलता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

रहस्यवाद की सरस अभिव्यक्ति : सूफी कवियों के काव्य में रहस्यवाद की बड़ी सुन्दर व सरस व्यंजना हुई है। इन कवियों का रहस्यवाद सन्त कवियों के शुष्क रहस्यवाद के विपरीत सरल व सरस है। सूफियों के रहस्यवाद में अद्वैतवादी भावना होते हुए आधार शिला के रूप भी हृदय की मधुर भावनाओं को विशेष महत्व देता है। प्रेममार्गियों ने जगत को सत्य मानकर रहस्यवाद भी सुन्दर तथा भावात्मक अभिव्यक्ति की है। उन्होंने प्रेम कथानकों के माध्यम से अव्यक्त सत्ता को व्यक्त रूप में प्रकट किया है।

सूफी काव्य परम्परा में जायसी का स्थान : भाव एवं कला की दृष्टि से पद्मावत का वैशिष्ट्य : सूफी काव्य परम्परा में जायसी प्रौढ़ कवि के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, इनका पद्मावत अन्य प्रेम काव्यों से स्पष्ट भिन्नता रखता है। जहाँ अन्य प्रेममार्गी

कवियों ने केवल कल्पित प्रेम कथाओं का आश्रय लिया है, वहीं जायसी ने पद्मावत की प्रेमकथा में कल्पना के साथ ऐतिहासिकता का भी मिश्रण किया। इसी कारण जायसी की पद्मावत काव्य विषय, काव्य–कौशल तथा प्रेम, करुणा, भक्ति, श्रृंगार, उत्साह, क्रोध आदि के विर्णन से पूर्ण है। कला पक्ष की दृष्टि से पद्मावत की भाषा में कसावट भाव सम्प्रेषणीयता तथा दोहा, चौपाई, शैली का प्रयोग कर काव्य लालित्य का सुन्दर समावेश किया है– **नयन जो देखा कँवल था, निर्मल नीर सरीर। हँसत जो देखा हँस भा, दसन जोति नग हीर।।**

पद्मावत सूफी काव्य परम्परा का सर्वोच्च महाकाव्य : सूफियों की हिन्दी प्रेम गाथाओं की परम्परा में जायसी का पद्मावत सबसे महत्वपूर्ण है। पद्मावत सिंहलद्वीप के राजा गन्धर्व सेन की कन्या पद्मावती और चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन की प्रेम कथा है। आलोचकों के अनुसार पद्मावती की कथावस्तु दो भागों में विभाजित है– पूर्वाद्ध कल्पना प्रसूत व द्वितीय भाग ऐतिहासिक माना जाता है। पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है, किन्तु आलोचकों ने पूर्ण परक महाकाव्य की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है।

पद्मावत का प्रबंध सौष्ठव, समासोक्ति, रहस्यवाद : यद्यपि इस कथावस्तु का पूर्वाद्ध काल्पनिक व उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक है। फिर भी जायसी ने दोनों का ऐसा मणिकांचन संयोग किया है कि उनके प्रबंध सौष्ठव पर आश्चर्य होता है, वहीं इसमें लौकिक प्रेम के आधार पर आध्यात्मिक प्रेम की भी व्यंजना की गयी है। **तन चित उर मन राजा कीन्हा। हिय सिंहल बुधि पद्मिनि चीन्हा।।**

अतः पद्मावत की समस्त कथा को कवि ने रूपक में बाँधने का प्रयास किया है। जिसमें तन चित्तौड़गढ़, मन रत्नसेन, हृदय सिंहल, बुद्धि पद्मावती, गुरु तोता, नागयनी, दुनिया धंधा (राघव चेतन आसुरी प्रवृत्ति) माया अलाउद्दीन आदि प्रतीकों के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन दिखाया है। शुक्ल जी का कहना है कि रत्नसेन पद्मावती आत्मा परमात्मा के प्रतीक हैं जो आज भी हमारे लिए .... वाक्य है। पद्मावत की रूपक सम्बन्धी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने का साहस कोई भी नहीं कर पाया जबकि कवि की यह पंक्तियाँ आज भी चुनौती दे रही है – **प्रेम कथा एहि भाँति बिचारहु। बुझि लेहु जौ बुझै पारहु।**

पद्मावत का रूपक तत्त्व भारतीय साधना पद्धति से गहरा सम्बन्ध रखता है, यदि कामयानी के रूपक से पद्मावती के रूपक की तुलना की जाए तो दोनों में गहरा सम्बन्ध दिखाई देता है।

श्रृंगार के दोनों पक्षों का मार्मिक वर्णन–कल्पना का प्राचुर्य : श्रृंगार के वियोग व संयोग दोनों पक्षों का वर्णन जायसी ने अत्यन्त मार्मिक ढंग से किया है। इतना ही नहीं जायसी का विरह वर्णन तो हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है। जिसमें पूर्वराम, प्रवास और करुणा तीनों का चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार का वार्णन पद्मावती के नख शिख वर्णन के अन्तर्गत देखा जा सकता है, जिसमें पद्मावती के बाह्य सौन्दर्य के अतिरिक्त उसके मन में अंकुरित होने वाली काम भावना के संकेत प्राप्त होते हैं, फिर वर्णन भी उस अतिशयता के साथ किया गया है कि पद्मावती के सौन्दर्य के समक्ष साक्षात् सौन्दर्य भी लज्जित दिखाई देता है। उस सौन्दर्य की ऐसी–ऐसी कल्पनाएँ की गई हैं जो अन्यंत्र प्राप्त नहीं होती।

करिल केस विसहर बिस भरे। लहरैं लोहि कवँल मुध धरे।। लागीं केलि करै मझ नीरा। हंस लजाइ बैठ ओहि तीरा।।

दसन चौक बैठे जनु हीरा। ओ बिच बच रँग स्याम गँभीरा।। रवि ससि नखत दिपहिं ओहि जोती। रतन पदारथ मानिक मोती।।

सूफी काव्य प्रेम परम्परा का चरमोत्कर्ष : जायसी की रचनाओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि सूफी प्रेम काव्य परम्परा का यदि किसी सूफी कवि ने पूर्ण परिपाक किया है तो वे जायसी ही हैं। उन्होंने इस्लाम की सूफी धारा, वेदान्त और योगनिष्ठ भारतीय रूप को एक साथ समाहित किया है। इस्लाम और भारतीय दर्शन के सम्मिलित रूप को चित्रित करने में उनकी निजी मौलिकता में स्वानुभूति के द्वारा ही उपस्थिति हुई है न कि किसी धर्म ग्रंथ या शास्त्र ज्ञान के द्वारा। वेदान्त और योग जायसी के समय भी दो महत्वपूर्ण धाराएँ थीं, वहीं तीसरी धारा भक्ति की थी। पद्मावत में राम–कृष्ण की पौराणिक कथाओं के जो निर्देश प्राप्त होते हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसी इन भारतीय पौराणिक महापुरुषों से समग्र परिचित थे यही कारण है कि जायसी ने वेदान्त व सूफीयत से समन्वित एक सामान्य प्रेम मार्ग की खोज की। प्रेम की पीर को मानव हृदय में लगा देने की उनकी अद्वितीय क्षमता उनके कवि कौशल का सशक्त पक्ष है।

सन्दर्भ :

1. हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, चतुर्थ भाग, संपादक पं0 परशुराम चतुर्वेदी, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
2. हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।
3. जायसी ग्रंथावली, संपादक – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली।
4. औरत के हक में, तसलीमा नसरीन, वाणी प्रकाशन, संस्करण – 2003
5. नारीवादी राजनीतिक संघर्ष एवं मुद्दे, संपादक – साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय।
6. स्त्रियों की पराधीनता, जॉन स्टुअर्ट मिल, अनुवादक – प्रगति सक्सेना, राजकमल प्रकाशन, तीसरी आवृत्ति – 2013
7. स्त्री–अधिकारों का औचित्य–साधन, मेरी वोल्सटन क्राफ्ट, अनुवादक मीनाक्षी, राजकमल प्रकाशन।
8. वोल्गा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, संस्करण – 2014

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 129-130

भारत में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के उद्भव और विकास में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान

डॉ0 राजीव कुमार*
*पूर्व शोध छात्र, इतिहास विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, बिहार

सारांश : भारतीय इतिहास में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का उद्भव आधुनिक युग से माना जाता है। अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य है 6 से 11 वर्ष के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की वयवस्था करना। भारत में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की संकल्पना स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम इस दिशा में प्रयास 1882 ई0 में दादा भाई नौराजी के माध्यम से हुआ था। तत्पश्चात् इसके लिए महत्वपूर्ण शुरूआत महात्मा गाँधी के राजनैतिक गुरू गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अध्ययन का उद्देश्य अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के उद्भव एवं विकास का विवेचनात्मक अध्ययन करना है। यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितियक आंकड़ों पर आधारित है।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतीय बुद्विजीवियों ने यह सोचना शुरु कर दिया कि इस देश को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं पर आधारित हो। वे यह समझ चुके थे कि देशवासियों की सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्विक उन्नति के लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन हो सकती हैं। 1906 ई0 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंन्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्वति की स्थापना करना जरूरी है। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने विभिन्न प्रांतो की सरकारों से अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। 1906 ई में बडौदा रियासत के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। बड़ौदा महाराज के ऐतिहासिक कार्य से उत्साहित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु क्रियाशील बनाने का संकल्प लिया। ज्ञात हो कि गोपाल कृष्ण गोखले पूना के फरग्यूसन कॉलेज के प्राचार्य तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। वे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य भी थे।

1910 से 1913 ई0 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए गम्भीर प्रयास किया जाने लगा। इस सन्दर्भ में गोखले का विचार था कि राष्ट्र की उन्नति की नींव सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ही योगदान दे सकती हे। अतः उन्होने 19 मार्च 1910 ई0 को संसद में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के सन्दर्भ में अपना प्रस्ताव निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया। 'यह सभा संस्तुति करती है कि समस्त राष्ट्र में प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किया जाय तथा सरकारी व गैर अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग इस सम्बंध में निश्चित प्रस्ताव तैयार करने के लिए शीघ्र ही नियुक्त किया जाएं। प्रस्ताव में मुख्य बातें निम्नलिखित थीं– उन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जानी चाहिए, जहाँ लगभग 35 प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे है। यह प्रावधान 6–10 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए होना चाहिए। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन पर लागत खर्च को प्रान्तीय सरकारों एवं स्थानीय निकायों द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन करना चाहिए। केन्द्र सरकार के अधीन एक शिक्षा विभाग खोला जाना चाहिए, जो प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजना तैयार कर सकें। प्राथमिक शिक्षा के संगठन, निरीक्षण एवं देखभाल के लिए एक सचिव नियुक्त किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंतिम तीन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के विकास से सम्बंधित आंकड़ों को सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाने लगा। किन्तु प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का मुख्य मुद्दा गौण ही बना रहा। गोखले सरकार के रवैये से भली–भाँति परिचित थे, अतः उन्होने दोबारा ब्रिटिश सरकार, भारतीय जनता एवं इंग्लैण्ड की सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। अतः 16 मार्च 1911 ई0 को उन्होंने दोबारा असेम्बली में अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करने की व्यवस्था करना है। यह विधेयक मूलतः इंग्लैण्ड के अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 1870 एवं 1876 के प्रावधानों पर आधारित है, जो अपनी प्रकृति में मानवीय एवं उदार था। विधेयक की मुख्य बातें निम्न प्रकार थीं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उन क्षेत्रों में लागू की जाने चाहिए जहाँ 6 –10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या का एक निश्चित प्रतिशत पहले से शिक्षा प्राप्त करता आ रहा है। बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह स्थानीय निकायों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए कि वे यह कानून लागू करना चाहते हैं कि नहीं। स्थानीय निकायों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए जतना से शिक्षा अधिभार वसूलने का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा पर होने वाले खर्च को प्रांतीय सरकरों एवं स्थानीय निकायों द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाना चाहिए। इस अनिवार्यता की शुरूआत करने से पहले वायसराय एवं गवर्नर की मंजूरी आवश्यक है। अनिवार्य शिक्षा का प्रथमतः लड़कों के लिए एवं बाद में लड़कियों के लिए विस्तार किया जाना चाहिए। वैसे अभिभावक जिनकी आय 10 रुपये प्रतिमाह से कम हो, उन्हें अपने बच्चों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

गोखले के उपर्युक्त प्रस्ताव का अध्ययन एक पन्द्रह सदस्यीय सरकारी समिति ने किया एवं इसे राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय शिक्षा निकायों को भेजा ताकि वे अपना अभिमत प्रस्तुत कर सकें। 17–18 मार्च 1912 तक इस विधेयक पर केन्द्रीय असेम्बली में चर्चा की गयी। गोखले ने विधेयक के पक्ष में जबरदस्त तर्क प्रस्तुत किए। लेकिन सरकार ने उदासीनता दिखाई। सरकारी प्रवक्ता के रूप में सर हरकोर्ट बटलर ने विधेयक का विरोध करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए– प्रांतीय सरकार विधेयक के पक्ष में नहीं है। शिक्षित वर्ग भी विधेयक के पक्ष में नहीं है। देश अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयार नहीं है। अनिवार्य शिक्षा जनता की मांग नहीं है। अनिवार्य शिक्षा लागू करने में अनेक प्रशासनिक कठिनाईयाँ है। स्थानीय निकाय अनिवार्य शिक्षा के लिए नये कर लगाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने विधेयक को असामायिक तथा अनुपयुक्त बताते हुए तिरस्कृत कर दिया। विधेयक के अस्वीकार हो जाने से गोखले हतोत्साहित नहीं हुए। इसके साथ ही देश में प्राथमिक शिक्षा की माँग धीरे–धीरे जोर पकड़ने लगी तथा देश के अनेक प्रातों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किये जाने लगे। इंग्लैण्ड के सर्माट जार्ज पंचम 1912 ई0 में जब भारत आए तो उन्होंने अपने सम्मान में आयोजित दिल्ली दरबार में शिक्षा के विकास के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने गोखले के विधेयक के अस्वीकार होने पर खेद व्यक्त किया। 6 फरवरी 1912 ई0 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि सम्पूर्ण भारत में स्कूलों तथा कॉलेजों का जाल बिछ जाए, जहाँ से अपने उद्योग, कृषि तथा जीवन के सभी व्यवसायों को सम्भालने के योग्य निर्भीक व उपयोगी नागरिक निकल सकें। इसमें प्राथमिक शिक्षा हेतु मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे– निम्न प्राथमिक विद्यालयों का पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए। यहाँ लिखने, पढ़ने व अंकगणित के साथ–साथ बालकों को कला, ग्राम मानचित्र, प्राकृतिक अध्ययन व शारीरिक शिक्षा दी जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालय उचित स्थानों पर खोलें जाएं तथा आवश्यकता अनुसार निम्न प्राथमिक विद्यालायों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया जाए। व्यक्तिगत सहायता प्राप्त विद्यालयों की जगह स्थानीय संस्थाओं के विद्यालय स्थापित किए जाए। विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रबंधन को प्रभावशाली बनाया जाए। मकतबों तथा पाठशालाओं को उदारता से सहायता दी जाए। शिक्षकों को मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण तथा एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक पर छात्रों की संख्या सामान्यतः 30 से 40 होनी चाहिए। अवकाश के दौरान शिक्षकों के लिए पुनर्बोधन पाठयक्रमों का प्रावधान किया जाए। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का भी प्रावधान किए जाए। परन्तु 1914 ई0 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने के कारण अनेक प्रस्तावों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सका। फिर भी अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया।

निष्कर्षत : यह कहा जा सकता है कि यह गोखले के प्रयत्नों का ही परिणाम था कि हर्टोग समिति (1929 ई0) एवं एबट बुड रिपोर्ट (जून 1937 ई0) में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 13 मार्च 1937 को महात्मा गांधी ने गोखले के शिक्षा सम्बंधी दर्शन को हरिजन पत्रिका में प्रकाशित किया। इसे उन्होंने बेसिक शिक्षा का नाम दिया। इसमें शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने एवं विद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। 1938 ई0 में गठित खेर समिति एवं 1944 ई0 में सार्जेट योजना में भी शिक्षा के विकास पर योजनाएं प्रस्तुत की गयी। गोखले के सोच का प्रभाव 1964–66 ई0 मे गठित कोठारी आयोग की अनुशंसाओं में देखा जा सकता है। आगे चलकर सन् 2005 में हमारे देश के प्रगतिशील संविधान में, जम्मू–कश्मीर को छोड़कर, पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को भाग तीन में अनुच्छेद 21 क में स्थान दिया गया।

सन्दर्भ :

1. माथुर, वीएस (1985); स्टडीज इन इण्डियन एजुकेशनः नई दिल्ली, आर्य बुक डिपो
2. मुखर्जी, एसएन (1960); एजुकेशन इन इण्डियाः टुडे एवं टुमौरों : बडौदा आर्यो बुक डिपो
3. बसु, अर्पण (1898–1820); द ग्रोथ ऑफ एजुकशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इण्डिया दिल्ली, 1974
4. बीयर्स जीडी (1961); ब्रिटिश एटिटयूडस टुवार्डस इण्डिया, 1784–1858, ऑक्सफोर्ड

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 131-133

बिहार का सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास (200ई.पू. – 600ई. तक)

डॉ0 रंजन कुमार*
*सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, नालंदा कॉलेज, बिहारशरीफ

सारांश : प्राचीन बिहार का सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास सम्पूर्ण भारत के लिए अनुकरणीय रहा है। किसी भी समय के समाज निर्माण में उस काल की अर्थव्यवस्था प्रमुख भूमिका निभाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसा ही समाज का निर्माण होगा, एवं बदलते अर्थव्यवस्था के अनुरूप समाज में भी कई मूलभूत परिवर्तन होंगे, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

मुख्य शब्द : सामाजिक स्तरीकरण, वर्ण, वैदिक काल, पुरातत्त्व, साहित्य आदि ।

सामाजिक संगठन वैदिक काल से ही आरंभ हो गया था लेकिन इसमें इतनी ज्यादा कठोरता नहीं थी, जितना कि हमें उत्तर वैदिक काल एवं विशेष रूप से गुप्त काल में देखने को मिलती है। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, समाज चार वर्णों में विभाजित होता गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, वैदिक काल में जहाँ व्यक्ति की पहचान व्यवसाय आधारित था, वहीं अब ये पहचान जन्म आधारित होने लगी। प्राचीन बिहार से संबंधित कुछ स्रोतों के माध्यम से उस क्षेत्रों की सामाजिक स्तरीकरण, वस्तुस्थिति विशेषकर निचले समुदायो के सन्दर्भ मे जाँच पड़ताल की गई है। साथ ही उस समय की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी इसे भी यहाँ देखने का प्रयास किया गया है। जो हमे आरंभिक बिहार की मिली–जुली सांस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इतिहासकारों का मानना है कि मेगस्थनीज ने जिन भारतीय समाजों को सात वर्गो में बाँट कर उनका वर्णन किया है, वह मुख्य रूप से मगध के और उसके आस–पास के क्षेत्रों का है। ये वर्ग इस प्रकार है– दार्शनिक, किसान, सिपाही, चरवाहे, दस्तकार, दंडनायक और पार्षद। एरियन भी सात वर्गो की बात करता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। विभिन्न जातियो के बारे में आम टिप्पणी करते हुए मेगस्थनीज ने लिखा है– अपनी जाति के बाहर कोई विवाह नहीं कर सकता और न ही अपना व्यवसाय छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय कर सकता है। परंतु किसी और जगह उसने लिखा है कि दार्शनिक पर यह नियम लागू नहीं होता है, और उसे अपने गुण के कारण यह विशेषाधिकार दिया गया है।

पुरातत्वविदों ने सोनपुर से हाथी दाँत के पन्द्रह अलग–अलग वस्तुएँ प्राप्त की है। सभी उतर मौर्यकाल एवं कुषाणकाल की हैं। इनमे लेखनी, सिर में लगाने वाले कील, बाल के सजावट के लिए काँटा इत्यादि शामिल हैं। चिराँद, वैशाली एवं कुम्रहार से भी हाथी दाँत की बनी वस्तुएँ प्राप्त हुई। इन स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्याप्त समाज में ऐसे शिल्पकारो की विभिन्न जातियों के होने के प्रमाण मिलते है, जो विभिन्न प्रकार के शिल्पों का निर्माण करते थे। वहीं वैशाली के उत्खनन से पता चलता है कि 378 तरह के मृदभाण्ड प्राप्त होते हैं, जो हमे उस समय बर्तन बनाने वाले वर्गों के बारे में बताते हैं, वहीं इस काल में स्वर्णकार, चटाई बनाने वाले लोहाकार (लोहार) कुम्हार इत्यादि जैसे जातियों का अस्तित्व का अभास होता है। जो समाज के एक हिस्से के रूप में विद्यमान थे। हम देखते है कि मौर्यो के सेनापति पृष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था, क्षत्रिय वर्ग के कार्य में लगा हुआ था। इसी प्रकार हम यदि अपने समय के पश्चिमी समकालीन पश्चिम में सातवाहनों को भी देखे तो वे भी नये–नये ब्राह्मण से क्षत्रिय धर्म मे आ रहे थे। वही यदि गुप्तों को भी आगे चल कर देखे तो वह भी शासक वर्ग के रूप में दिखाई पड़ रहे थे जिन्हें इतिहास में विवादास्पद रूप से वैश्य कहा गया है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ये सभी एक दूसरे के पेशो को अपना रहे थे। लेकिन कहीं भी ऐतिहासिक साक्ष्यों में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है, जिसमें शूद्रों या निचली जातियों के लोगों को इस तरह के पेशों को अपनाता हुआ दिखाया गया हो, फिर भी इतिहासकारों का मानना है कि शूद्रों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों में काफी परिवर्तन आया। जबकि शुद्रों की स्थिति दिन–प्रतिदिन और गिरती गई। बौध काल में विशेष रूप से मगध क्षेत्र में इस वर्ग क्रम में कुछ बदलाव होता है। बौध साहित्यों के अनुसार क्रम इस प्रकार मिलता है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इससे यह आभास होता है कि बुद्ध के समय में क्षत्रिय के मुकाबले ब्राह्मणों का स्तर मगध क्षेत्रों में संभवता नीचा था। यहाँ स्वयं बुद्ध भी एक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे।

वर्ण–व्यवस्था की परिवर्तनकालीन कठोरता मौर्यकाल में नहीं थी, परंतु इसकी शुरूआत हो चुकी थी। ब्राह्मणों की प्राथमिकता और उनके विशेषाधिकारों का मानना एक आम बात बन चुकी थी। ब्राह्मणों ने राजकार्य में पुरोहित के नेतृत्व की भूमिका का संकेत पहले ही था, अर्थशास्त्र में भी इस पर बल दिया। बौध काल में ब्राह्मणों की सामाजिक और आर्थिक हानि होने लगी एवं मौर्यो के बाद विदेशी शासकों का लगातार भारत के अलग–अलग क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिससे भारतीय समाज की वर्णव्यवस्था चरमराने लगी, अतः ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ होते देख इस तरह के नियम, कानून बनाने लगे, जिससे वर्ण व्यवस्था स्थायी बनी रहे तथा उनकी सर्वोच्चता कायम रहे, जो मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है। जिसमें विशेषकर शुद्रों एवं स्त्रियों के लिए कई ऐसे कठोर नियम बनाये गए जो उस समय के समाज के रूढ़िवादिता को दर्शाती है। लेकिन हम गुप्तकाल में ब्राह्मणों को अलग–अलग क्षेत्रों में भूमि और गाँवों को अनुदान के रूप में प्राप्त करते हुए पाते हैं, जिनमें से कई अनुदान–पत्र बिहार के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जैसे गया, नालंदा इत्यादि। जिनमें कुछ शर्तों के साथ उन्हें उस क्षेत्र से पूरी तरह कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो रहा था, जो समाज के ब्राह्मणों के बदलते स्वरूप को दिखा रहा था। लेकिन मौर्य और मौर्यत्तर काल के ब्राह्मणीकल

स्रोतो से ऐसा नहीं लगता कि ब्राह्मणों ने सभी शाही करों से छूट का आनंद लिया। जैसा कि हमें गुप्त और उसके बाद के कालों में दिखाई पड़ता है।

मधसुरासूत्र राज्य में एक अपराधी चाहे वह ब्राह्मण हो या किसी अन्य जाति का, उसे मार डाला जायेगा। मृच्छकाटिका में उल्लेख मिलता है, एक ब्राह्मण चारूदत्त को राजा द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। अर्थशास्त्र में भी उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण को मौत की सजा से छूट नहीं थी। मनु ने भी यह कहा कि कोई ब्राह्मण यदि राजा के खिलाफ जाये तो उसे मार डालना चाहिए। यहाँ इन सभी बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्चता का स्थान जरूर प्राप्त था, अन्य वर्गों की अपेक्षा लेकिन यदि ब्राह्मण भी राज्य के विरुद्ध कुछ गलत करता है जिससे राज्य को हानि होती है, तो उन्हें भी वही दण्ड दिया जाता जो अन्य लोगों को जो राज्य को सर्वोपरी दिखाता है। लेकिन दूसरी–तीसरी शताब्दी से स्मृति के लेखकों ने ब्राह्मणों को दोषी होते हुए भी मृत्युदण्ड नहीं दिये जाने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार सूत्र साहित्य में योग्य ब्राह्मण जो पुरोहित सेवाओं में होते थे बड़ी संख्या में घरेलू अनुष्ठानों में हिस्सा लेते थे, जिनके बदले उन्हें संरक्षण मिलता था।

तीसरी सदी के शुरुआत से परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही थी। पहले के स्रोतों में ब्राह्मणों को कभी–कभी ईश्वरीय रूप में भी उल्लेख मिलता है, उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण देवताओं और मानव के बीच का देवता है जो ब्राह्मण के महत्त्व को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार क्षत्रियों के सन्दर्भ में भी कुछ बदलाव नजर आते हैं। उनकी स्थितियाँ भी लगातार समय के साथ बदल रही थी, जहाँ वैदिक काल में ब्राह्मण प्रथम दर्जे पर स्थापित था वही बौध काल में यह दर्जा क्षत्रियों को प्राप्त हो गया जिसकी जानकारी हमें बौध साहित्यों से मिलती है। ब्राह्मण और क्षत्रियों में यह स्थान पाने एवं शासक बनने की होड़ शायद शुरू से ही थी।

मौर्यकाल के बाद तो यह पूरी तरह से दिखाई भी पड़ने लगी थी, बाहर से नये–नये आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने लगे एवं यहाँ अपना अधिपत्य स्थापित किया। विशेषकर कुषाणों ने जो लम्बे समय तक शासन किया एवं जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों का दर्जा भी प्राप्त हुआ, जो कि एक जनजाति कबीले से संबंध रखता था, यह दृश्य इस समय हमें पश्चिम में भी दिखाई पड़ रहा था, जहाँ गौमतीपुत्र शाप्तकर्णी एक ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभा रहा था एवं साथ ही उनके अभिलेखों में यह भी दावा पेश किया गया कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया तथा वर्णों के मिश्रण को रोक दिया, जो उस समय के राजा का प्रथम कर्त्तव्य माना गया। इससे यह भी पता चलता है कि जो लोग वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे थे उनके ही द्वारा वर्णव्यवस्था स्थापित भी करने की बात की जा रही थी।

वही गुप्तकाल में गुप्त शासकों द्वारा भी अश्वमेघ यज्ञ एवं अन्य कई तरह के यज्ञों का आयोजन किया जा रहा था, जो नये बने क्षत्रियों को वैधता प्रदान करने का एक तरीका भी था जैसा कि आर.एस. शर्मा ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ (1992) में दिखाया है। क्योंकि गुप्तों को इतिहास में वैश्य के रूप में जाना जाता था, यह हमें हमारे निरीक्षण अवधि के दौरान होने वाले बड़े बदलाव को दिखाते हैं, जो इस काल मे चल रहा था। क्षत्रियों का कार्य अपने क्षेत्रों में खेतों की रक्षा करना एवं बदले में उनसे कर प्राप्त करना था, साथ ही राज्य में व्यापार को बढ़ावा देना एवं व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करना ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था बनी रहे। वैश्यों के सन्दर्भ में भी कुछ ऐसा ही था। वैश्य एक ही समय में पशु पालने, व्यापारी और एक ही समय में कृषक का भी कार्य करते थे। लेकिन फिर धीरे–धीरे समय के साथ वैश्य किसानों और पशुओं को रखने का कार्य छोड़ने लगे और वे मुख्य रूप से व्यावसायिक गतिविधियों को अपनाने लगे। वैश्यों के एक व्यापारिक वर्ग के रूप में उद्भव का अध्ययन हम सूत्र ग्रन्थ, स्मृति और पौराणिक साहित्य की तुलना द्वारा भी कर सकते है।

बौधयान गृहसूत्र में कहा गया है कि सेक्रीपफाइसिंग, कलटीवेटींग द स्वाईल, व्यापार, पशु के रख–रखाव वैश्य का पेशा है। जैसा कि आगे चलकर हम देखते हैं कि इस संदर्भ में ह्एनसांग का प्रमाण भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री के अनुसार इस समय वैश्य मुख्य रूप से वाणिज्य के काम में लगे हुए थे। ब्रह्मनारदीय पुराण में भी व्यापारियों के एक विशेष जाति जिसे वानिक कहा गया का उल्लेख करते है।

बिहार में वैश्यों का विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग तरह के व्यापारिक गतिविध्यिों का पता वहाँ से प्राप्त पुरातात्विक श्रोतों से भी होता है। वैशाली आधुनिक बसाढ़ जो मुजफ्फरपुर से 24 मील दूर एक महत्वपूर्ण शहरी केन्द्र था, वहाँ से 274 मुहर पाई गई है जो बैंकरों, व्यापारियों और कारीगरों की निगम के रूप को दर्शाता है, इसके अलावा इसी तरह की मुहर पाटलीपुत्र में भी उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई हैं जो मौर्य काल के बाद बिहार में वैश्यों के व्यापारिक संगठन के अस्तित्व का आभास कराता है। कुम्रहार से खुदाई के दौरान एक मुहर प्राप्त हुई जो प्रारंभिक गुप्त काल की है, जो पान विक्रेताओं के श्रेणी को इंगित करता है, अब लोग अलग–अलग तरह के व्यावसायों से जुड़ने लगे थे।

कई ऐसे विधि ग्रंथ भी इस काल में मौजूद थे जो वैश्यों को शूद्रों की कोटी में रखे हुए थे। मिलिंदपन्हों ने वैश्य और शूद्र के लिए एक ही प्रकार के कार्यों को इंगित किया है जबकि इस काल में वैश्यों को द्विज का दर्जा भी प्रदान किया गया।

शूद्रों को समाज के सबसे नीचले पायदान पर रखा गया, चाहे वह वैदिक काल हो, मौर्य काल, कुषाण या फिर बुद्ध काल। ये सभी काल कुछ न कुछ परिवर्तन के ही काल थे, जैसा कि हमारे महान इतिहासकार मानते है ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय हो रहे थे, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें हमारे अध्ययन अवधि के दौरान निचली जातियों का सामाजिक सम्मान ब्राह्मण या क्षत्रियों के बराबर हुआ हो। फिर यह कैसा परिवर्तन और संक्रमण काल है जहाँ इनकी स्थिति निम्न से निम्न होती जा रही थी, और अन्ततः समापन छूआ–छूत के साथ होता है। जैसा कि साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है और बिहार जैसे राज्यों में आज भी यह पूरी मजबूती के साथ बना हुआ है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि : मगध के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसी घटनाएँ घटी जिनका असर आने वाले समयों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा जिनमें मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरकर सामने आया। चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नन्दों को हराया एवं स्वयं गद्दी पर बैठा। चन्द्रगुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी के रूप में बिन्दुसार मगध का शासक बना। बिन्दुसार के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। जो शायद अपने भाईयों की हत्या करके यहाँ तक पहुँचा, फिर भी अशोक के समय में मगध का चौतरफा विकास हुआ। यह जानकारी उनके द्वारा जारी किये गये अभिलेखों से प्राप्त होती है, जो भारत के अलग–अलग जगहो से प्राप्त हुआ है। इनसे हमें अशोक के समय के प्रशासन, समाज, आर्थिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्यों की जानकारी प्राप्त होती है तथा इन अभिलेखों के माध्यम से हमें अशोक के राजनीतिक क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध की राजनीतिक इतिहास में काफी उतार–चढ़ाव देखने को मिलता है, जो कभी भी किसी एक राजवंश के अंतर्गत नहीं दिखाई पड़ती है।

निष्कर्षत : इतिहास में समय एवं काल हमेशा के लिए एक समान नहीं होता है, बल्कि यह गतिशील होते हैं। जो समय के अनुसार बदलते हैं। हां यह जरूर देखा गया है कि इस बदलाव के पीछे कोई एक कारण नहीं होता बल्कि भिन्न–भिन्न कारक इसमें मौजूद होते हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो जातियाँ निचले पायदान पर थी। उनकी स्थिति में हमें बहुत ज्यादा बदलाव या उत्थान देखने को नहीं मिलता बल्कि इनकी सामाजिक स्थिति समय के साथ और ज्यादा जटिल एवं निम्न होती जाती है। उसी प्रकार शासक वर्गों की स्थिति भी यहाँ एक समान नहीं दिखाई पड़ती है। कोई भी एक कुल हमेशा के लिए शासक वर्ग नहीं था बल्कि इसमें भी बदलाव होते रहते हैं। जब अलग–अलग समयों में भिन्न–भिन्न वर्गों से शासक वर्ग बने जो हमें अतीत में शासकीय संघर्षों की भी जानकारी प्रदान करते हैं।

सन्दर्भ :

1. थापर, रोमिला, (1977): अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, अनु. डी.आर. चौधरी, प्रभा यादव, ग्रंथ शिल्पी, पृष्ठ 56.
2. पाठक, पी. एन. (1988): सोसायटी एण्ड कल्चर इन अर्ली बिहार (200 ए.डी.–600 ए.डी) कॉमनवेल्थ : पटना, पृष्ठ 83
3. शर्मा, आर.एस. (2007): शूद्रों का प्राचीन इतिहास, राजकमल प्रकाशन : दिल्ली, पृष्ठ 177.
4. सिन्हा, बी.पी., पालटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ बिहार, सी. 30 बी.सी. से 319 ऐ.डी, पेज 766,
5. द कॉम्प्रिहेनसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार, 1974, (सं), बी.पी. सिन्हा पटना, के.पी. जायसवाल संस्थान।
6. शर्मा, आर.एस.; 1974: सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री (प्राचीन), 1–18,

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 134-135

नारीवाद और गाँधी

विनय कुमार*

*सहायक शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बुढ़नीचक, बाढ़, पटना

सारांष : 20वीं सदी का महान व्यक्तित्व महात्मा गाँधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने भारत आगमन के साथ ही न सिर्फ देष का भ्रमण कर यहाँ की परिस्थितियों को जाना व समझा बल्कि देष की आधी आबादी (महिलाओं) की दीन हीन स्थिति को भी अच्छी तरह समझा एवं उनके महत्व को समझते हुए पुरूषों के समकक्ष लाने हेतु सुझाव दिये। उन्होंने न सिर्फ सुझाव दिये बल्कि सीता, द्रोपदी आदि की भाँति अपने आप को सषक्त रहने का रास्ता दिखाया। महिलाओं के जुझारूपन एवं त्याग की भावना को देखते हुए उन्हे राष्ट्रीय आंदोलन में षामिल किया। साथ ही हथकरघा के माध्यम से रोजगार प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। उन्होने पूर्व समाज सुधारकों के कार्य को न सिर्फ लेखन के माध्यम से बल्कि अपने कार्यो द्वारा भी महिलाओं को मुख्य पटल पर लाकर सषक्त बनाया।

मुख्य शब्द : नारीवाद, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आंदोलन, महिला सषक्तिकरण आदि ।

20वीं सदी भारत में स्वतंत्रता आंदोलनों की रही है और इसी सदी में 1915 मे महात्मा गाँधी का भारत मे पदार्पण हुआ। गाँधी के भारत आगमन के साथ ही भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की षुरुआत होती हैं और इस संपूर्ण काल को गाँधीवादी युग की संज्ञा दी जाती है। भारत पदार्पण के साथ ही वे भारतीय समाज व राजनीति की संपूर्ण स्थिति को समझते है व स्वतंत्रता आंदोलनों की षुरूआत करते हैं। उन्होने देष की स्थिति जानने के साथ ही महिलाओ की स्थिति का भी आकलन किया। महात्मा गाँधी ने नारियों की स्थिति सुधारने का विषेष प्रयास किया। विनोवा भावे ने कहा है कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति में श्रीकृष्ण, महावीर और गाँधी इन्ही तीन महापुरूषों ने स्त्री जाति को वह मान सम्मान दिया जिसकी वे अधिकारिणी थी। राष्ट्रीय आंदोलनों में गाँधी महिलाओं को भारतीय पटल पर उभारकर लाते हैं। इसी के साथ ही 20 वीं सदी का गाँधी युगीन महिला सषक्तिकरण प्रारंभ होता है। भारत में महिला सषक्तिकरण या समाज सुधार के अंतर्गत महिलाओं की समाजिक दषाओं में सुधार के प्रयास 19 वीं सदी से ही प्रारंभ हो चुके थे। इस समय के समाज सुधारकों में राजाराम मोहन राय, ईष्वरचंद विद्यासागर, डी. के. कर्वे, स्वामी विवेकानंद आदि ने महिलाओं के उद्धार के प्रति जनचेतना उत्पन्न की थी। गाँधीजी ने इस जनचेतना को नया उत्साह एवं स्फूर्ति प्रदान की। उनके सत्य अहिंसा पर आधारित जीवन दर्षन में किसी प्रकार के भेदभाव व ऊँच–नींच के लिये कोई स्थान नही हैं। गाँधी द्वारा चलाये गये स्वतंत्रता आंदोलन में सत्य व अहिंसा पर बल दिया गया था अतः उन्होने अहिंसा की प्रतिमूर्ति महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित किया। उन्होनें महिलाओं की सहनषीलता व जुझारू क्षमता को अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही समझ लिया था।

गाँधी महिलाओं की अहिंसक, सहिष्णु, एवं आत्मपीड़क छवि की प्रषंसा करते है साथ ही इन गुणों को मानवोचित मानतें है। महिलाओं के इन गुणों का प्रयोग वे अहिंसक आंदोलनों में करते है। 'अहिंसक युद्ध व्यापक कष्ट सहने की माँग करता है स्त्री से अधिक पीड़ा कौन सह सकता है। उन्होनें देखा कि मुल्क उनसे घर संभालने से अधिक बड़ी चीज माँग रहा है।' 1921 मे गाँधी जी ने कहा, 'पुरूषों की नजरों में महिलायें कमजोर नहीं है वरन् दोनों लिंगो में ज्यादा श्रेष्ठ इसलिये हैं कि आज भी वे त्याग, खामोषी, पीड़ा, नम्रता, विष्वास एवं ज्ञान की साक्षात् प्रतिमा हैं। गाँधी ने स्त्री पुरुष में लैंगिक समानता की बात कही हैं। दोनो के परस्पर सक्रिय सहयोग के बिना दोनों का अस्तित्व असंभव हैं। मानव सृष्टि एवं विकास के लिये दोनों का महत्व बिलकुल बराबर हैं। महिलाओं में आत्मजाग्रति एवं आत्मचेतना के लिये षिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया। उनका मानना था कि महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिये स्वयं ही प्रयास करने होंगे। महिलाओं की गुलामी और षोषण के खिलाफ उन्होने कई व्यवहारिक कदम उठाये। स्वदेषी आंदोलन के संदर्भ में उनका विचार था कि स्त्रियों की स्वरोजगार योजनाओं के तहत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाये जिससे वे अपने पैरों पर खडी हो सकें।

गाँधी ने कहा की महिला नेताओं को सीता, द्रोपदी और दमयंती की तरह सात्विक दृढ़ और नियंत्रित होना चाहिये, तभी वह स्त्रियों के भीतर पुरूषों के साथ बराबरी का भाव जगा सकेगी। साथ ही मुक्ति का रास्ता दिखाते हुए उनके अपने क्षेत्र में उनको षीर्ष स्थान दिला सकेगी। स्त्री पुरूष की सहचरी है, उसकी मानसिक क्षमतायें पुरूष के बराबर है। पुरूष के छोटे से छोटे कार्यकलाप में भाग लेने का उसे अधिकार है और जितनी स्वाधीनता और आजादी का हकदार पुरूष है, उतनी ही हकदार स्त्री भी है। गाँधीजी ने अन्य सांस्कृतिक नेताओं की भांति घोषणा की कि स्मृतियों के बारे में जो कुछ कहा गया है, उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। बाल विवाह विधवाओं पर अनेक तरह के बंधन आदि स्मृतियों के निर्देषों के कारण हो रहा था। स्त्रियों को षूद्र कोटि में रखने के कारण हिंदु समाज को अपार क्षति हुई हैं। गाँधी का विचार था कि अपने क्षेत्र में पुरूष जितनी उन्नति कर सकता है उतनी ही उन्नति महिला भी अपने विषिष्ट क्षेत्र में कर सकती है। पुरूष को चाहिये कि स्त्री को उचित स्थान देना सीखे, जिस देष अथवा समुदाय में स्त्री का आदर नहीं होता, उसे सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। स्मृतिकारों ने जो कुछ महिलाओं के बारे में लिखा है उसका सर्वथा समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन ग्रंथो बताये गये नियमों कानूनों के माध्यम से पुरूषों ने महिलाओं को वर्षो से दबाया है। वे महिलाओं की निजि इज्जत एवं स्वयत्ता के समर्थक थे।

भारत देष में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ विद्यमान रही है और आज भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल जाती है। गाँधी ने धर्म के नाम पर होने वाले बाल विवाह एवं सती प्रथा की भर्त्सना की। वे षादी की न्यूनतम उम्र 16 या 18 वर्ष

करने के समर्थक थे जिससे बाल विधवाओं की संख्या में कमी की जा सके। वे विधवा पुनर्विवाह के हिमायती थे। उन्होने बाल विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। साथ ही स्वेच्छापूर्वक अपनाये गये वैधव्य को वे एक महान सामाजिक संपदा मानते थे। उनका मानना था कि पुर्विवाह करने का जितना अधिकार पुरूषों को है उतना ही अधिकार एक विधवा को भी है। मजबूरन पाला गया वैधव्य वृत अभिषाप स्वरूप है।

गाँधी ने दहेज प्रथा की सर्वथा निंदा की है। उन्होने कहा कोई भी युवक जो दहेज को विवाह की षर्त बनाता है, अपनी षिक्षा को कलंकित करता है, अपने देष को कलंकित करता है और नारी जाति का अपमान करता है। दहेज की इस नीचे गिराने वाली प्रथा के खिलाफ लोकमत पैदा करना चाहिए, और जो युवक इस पाप के सोने से अपने हाथ गंदे करते है उनका समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए। वे दहेज माँगने वाले पुरूषों से विवाह करने से अच्छा लड़कियों का सारा जीवन कुंवारा रहना पसंद करते थे। गाँधी का मानना था कि जब तक विवाह का क्षेत्र सीमित होगा अर्थात् जाति विषेष के कुछ सौ युवा लड़के लड़कियों तक सीमित होगा दहेज प्रथा कायम रहेगी, भले ही इसके विरोध में कितनी ही आवाज क्यों न उठाई जाये। अतः इस प्रथा के उन्मूलन हेतु जाति बंधन तोड़ने होंगे। महिला अधिकारो के वे हिमायती थे। महिला अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होना चाहिये। उनके साथ पूरी समानता होनी चाहिये।

गाँधी स्त्री षिक्षा के समर्थक थे पर वे अक्षर ज्ञान के अलावा व्यवहारिक षिक्षा को ज्यादा महत्व देते थे। उन्होनें कहा हम स्त्रियों को षिक्षा दिये बगैर भी भली भाँति समझा सकते है कि उनकी वर्तमान अवस्था कितनी सोचनीय है। स्त्री को पुरूष के समान समानता, स्वधीनता और स्वतंत्रता पाने का अधिकार है।

गाँधी ने महिलाओं को नई सामाजिक जिम्मेदारियाँ जैसे छुआछूत हटाना, साम्प्रदायिकता का विरोध आदि सौंपी। उन्होंने महिलाओं के सजने–संवरने के आभूषणों को अर्थात् व्यक्तिगत संपत्ति, जेवरों को, हरिजन उत्थान तथा स्वदेषी आंदोलन के लिये माँगा। इस प्रकार जेवर पहनने, साज श्रृंगार करने की विष्वव्यापी संस्कृति पर प्रहार किया। उनकी आदर्ष स्त्री में उन सभी गुणों का समावेष था जो तत्कालीन भारतीय समाज को नयी दिषा में ले जाने के लिये आवष्यक थे। सीता की षक्ति के सामने महाबली रावण भी निस्सहाय हो जाता था। भारतीय स्त्रियों को भी सीता की भाँति मजबूत होने की राय उन्होंने दी। अबला होने की बजाय उनको द्रोपदी की तरह निर्भर और स्वतंत्र मानसिकता वाली होना चाहिये, जो भीम से भी अपनी इच्छानुसार काम करा सकती थी। नमक सत्याग्रह तक गाँधी ने महिलाओं के लिये घर की चारदीवारी में रहकर ही राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने के कार्यक्रम रखे थे। नमक सत्याग्रह के समय महिलाओं ने अपने अधिकारो व कर्तव्यों के प्रति जागृत होते हुए पुरूषों के बराबर भूमिका की माँग रखी और गाँधी को मजबूर होकर मानना पड़ा।

गाँधीजी ने महिला नेताओं को प्रेरित किया कि उन्हें सामाजिक सुधार, स्त्री षिक्षा और स्त्री अधिकारों के लिये कानून बनाने के लिए काम करना चाहिये। सन् 1926 में 'अखिल भारतीय महिला परिषद' की स्थापना की गयी। सन् 1928 में 'बाल विवाह निरोधक कानून' पारित हुआ। 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' अहमदाबाद से दांडी तक 1930 में 240 मील की दांडी यात्रा से षुरू हुआ। नमक सत्याग्रह में बड़ी संख्या में महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। सन् 1930 में महिलाओं को पुलिस दमन का सामना करना पडा। सन् 1920 में विकसित गाँधीवादी नारीवाद 1930 के दषक तक एक वृहद नारीवाद का आकार ले सका।

किसी भी देष के सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गाँधी इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे इसलिये उनका मानना था कि विकास की धारा से यदि महिलाओं को नहीं जोड़ा गया तो विकास की परिकल्पना कभी साकार नहीं हो सकेगी। हम देखते है कि गाँधी के आगमन के साथ स्त्री मुक्ति का प्रष्न भारत की आजादी के प्रष्न के साथ जुड़ गया। स्वराज प्राप्ति के संघर्ष में उन्होनें महिलाओं को पुरूषों के समान भाग लेने की अपील की। उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में विभिन्न वर्गों एवं धर्मों तथा जातियों की महिलाओं ने भाग लिया। **जस्टिस रानाडे** ने कहा था कि 'हम लोग अपनी पूरी जिंदगी में महिलाओं के हित में जितना काम कर पायेगें महात्मा गाँधी एक दिन में कर देते है।' इसी आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते है कि महिलाओं को इस मुकाम पर पहुँचानें में इतने तेज कदम चलने वाले बापू का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की महिलायें आज जिस मुकाम पर है उन्हें इस मुकाम पर लाने में महात्मा गाँधी की अप्रतिम भूमिका रही है। उनका मानना था कि स्त्रियों का उद्धार स्त्रियों के हाथों ही हो सकता है।

सन्दर्भ :

1. रेखा कस्तावर, स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाषन, पृ0 74
2. सत्या एम. राय,(सं.), भारत में उपनिवेषवाद और राष्ट्रवाद, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेषालय, दिल्ली विष्वविद्यालय, भारत 2009, पृ0 657
3. डॉ. के. एम. मालती, स्त्री विमर्षः भारतीय परिप्रेक्ष्य, वाणी प्रकाषन, पृ0 47
4. साधना आर्य (सं.), नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देषालय, दिल्ली, 2016, पृ0 167
5. सुजाता, बापू और स्त्री, सर्व सेवा संघ प्रकाषन, राजघाट, वाराणसी, जून 2012, पृ0 91 9.
6. हरिजन, 23.05.1936
7. यंग इंडिया,17.10.1929
8. हरिजन, 24.02.1940
9. यंग इंडिया 1920

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 136-137

प्रयाग की विशिष्ट धार्मिक परम्पराएँ

छोटे लाल यादव*
*शोध छात्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उ०प्र०

सारांश : तीर्थराज प्रयाग भारत के प्राचीन महानगरों में से एक है। रामायण, महाभारत तथा विभिन्न पौराणिक ग्रन्थों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। विहगों के कलरवों से गुंजरित, प्रसूनों की सुरभि एवं लालिमा से परिपूर्ण यह पावन–पुनीत स्थल भगवान राम की चरण–धूलि से धन्य है। अयोध्या से वनवास जाते समय भगवान राम गंगा पार कर वत्सदेश पहुँचे। ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुँचकर उन्होंने उनके पवित्र दर्शन किए तथा माँ जानकी ने अक्षयवट का पूजन किया। लंका से लौटते समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम ने तीर्थराज प्रयाग का स्मरण किया तथा उसकी चर्चा भी की।

मुख्य शब्द : धार्मिक परम्पराएँ, पौराणिक ग्रन्था, अक्षयवट, मुक्तामाल, सांस्कृतिक, आदि।

महाभारत के वनपर्व में प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर वासकी तथा दशाश्वमेध का विशद वर्णन प्राप्त होता है। तीर्थराज प्रयाग वह पवित्र स्थल है, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। ब्रह्मा के पवित्र यज्ञ के चलते भगवान विष्णु तथा शिव ने इस नगर का नाम प्रयाग रखा। मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण तथा वराहपुराण आदि अनेक पुराणों में प्रयाग का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।

स्वतन्त्रता से पूर्व कई चीनी–यात्री यात्रा हेतु भारत आए। उसी दौरान राजा हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनीयात्री ह्वेनसांग प्रयाग आया। अपनी पुस्तक में इसका वर्णन करते हुए उसने लिखा है, "नगर से पूर्व 10ली. के अन्तर पर दो नदियों बीच में पृथ्वी रम्य एवं ऊँची है और सुन्दर, स्वच्छ बालुका से ढ़की हुई है। प्राचीन काल से यह प्रथा चली आती है कि राजे–महाराजे और अन्य बड़े–बड़े धनाढ्य लोग जब यहाँ आते हैं तो वह अपना धन दान–पुण्य में दे डालते हैं। महाराज हर्षवर्धन ने भी, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए पाँच वर्ष तक संचित धन एक दिन में बाँट दिया। पहले दिन उन्होंने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवा कर अपने बहुमूल्य रत्न उस पर चढ़ा दिए। तद्नन्तर उन्होंने वहाँ के रहने वाले पुजारियों को वह सब दान कर दिया। उसके पीछे उन पुजारियों को दिया, जो बाहर से आकर वहाँ ठहरे थे। फिर विद्वानों और अन्त में विधवाओं, अनाथों और दीन–दुखियों को अपना सारा धन लुटा दिया। जब उसके पास कुछ न रह गया तो उन्होंने अपना रत्न–जड़ित मुकुट और गले से मुक्तामाल भी उतार कर दे दिया। ऐसा करने में महाराज को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, वरन् वह प्रसन्नतापूर्वक इस सुकार्य से अपने को धन्य मानते थे। इसके पश्चात् विभिन्न प्रदेशों के माण्डलिक राजाओं ने जो महाराज हर्षवर्धन के अधीन हैं, नाना प्रकार के रत्न इत्यादिक उनको भेंट किए, जिससे राजकोष खाली न रहे।"[1]

आचार्य परम्परा व अखाड़े : भारत के प्राचीनतम नगरों में तीर्थराज प्रयाग का एक विशिष्ट स्थान है। तीर्थराज प्रयाग सदैव से अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक गरिमा का परचम फहरा रहा है। यहाँ योग, कर्म और ज्ञान की त्रिवेणी बहती है। त्रिदेवों, देवी–देवताओं, गन्धर्वों, अप्सराओं, नागों और किन्नरों की यह प्रिय भूमि रही है। इसकी नैसर्गिक सुषमा से अनेक ऋषि, महर्षि, मुनि, महात्मा, आचार्य, संत तत्ववेत्ता कवि, कथाकार और विद्वान आकर्षित हुए हैं। प्रयाग की गरिमा एवं महिमा सदैव से अक्षुण्ण बनी हुई है। बौद्धिक तथा वैचारिक क्रान्ति की बुनियाद पर भारत में आठवीं–नवीं सदी में एक धार्मिक नवोत्थान हुआ। इस क्रान्ति को शंकराचार्य ने आयाम दिया। दार्शनिक शंकराचार्य ने सामाजिक एवं आध्यात्मिक चेतना के प्रसार हेतु देश के चारों कोनों में चार विशाल मठों की स्थापना की। तीर्थराज प्रयाग की धार्मिक धारा के कुमारिल भट्ट एक नौका सदृश्य थे। कहा जाता है कि कुमारिल भट्ट ने गुप्त रूप से एक बौद्ध आचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे सम्पूर्ण बौद्ध धर्म और बौद्ध न्याय का मौलिक अध्ययन किया और यह भी बताया जाता है कि ज्ञान–प्राप्ति के पश्चात् कुमारिल भट्ट ने अपने बौद्ध गुरू के प्रति विश्वासघात कर व्यापक रूप से बौद्ध तार्किकों का खण्डन किया। इतना ही नहीं, बौद्ध तर्क के खण्डन के साथ–साथ कुमारिल भट्ट ने वैदिक मत की स्थापना भी की। इस कृत्य के पश्चात् कुमारिल भट्ट को काफी पश्चाताप हुआ। उन्होंने प्रायश्चित के लिए प्रयाग के त्रिवेणी तट पर तुषानल में प्रवेश कर शरीर त्याग दिया।

दायरे और अखाड़े : समय के सापेक्ष भारत में हुए धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव प्रयाग पर सर्वाधिक पड़ा। धार्मिक गुरुओं ने जिन–जिन स्थानों पर लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया, कालान्तर में वही स्थान दायरे, अखाड़े व मठों में परिवर्तित हुए।[2] इन धार्मिक आन्दोलनों का उद्देश्य प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, एकता आदि की स्थापना रहा। वर्तमान समय में इस सद्भाव तथा एकता के सूचक अधिकांश स्मारक विलुप्त एवं भ्रष्ट हो गए हैं, परन्तु सन्देश व निशानियां अब भी सुरक्षित है। प्रयाग सदैव से आस्था व भक्ति का केन्द्र रहा है। यह वह पवित्र स्थल है जहाँ दीन–दुःखी, अभागा, गरीब, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अधनाश हेतु प्रयाग जाते हैं तथा इस पवित्र स्थल के स्मरण मात्र से उनके समस्त पाप धुल जाते हैं।[3]

हिन्दुओं के अखाड़े : प्रयाग में हिन्दू धर्म से सम्बद्ध सन्तों, सन्यासियों एवं नागाओं सिद्धों एवं औघड़ों आदि के अनेक मठ धन पीठ इत्यादि समस्त क्षेत्र में स्थापित थे। उसमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं– अखाड़ा महानिर्वाणी, अखाड़ा निरंजनी, अखाड़ा जूना, अखाड़ा अटल, अखाड़ा आवाहन और अखाड़ा आनन्द इत्यादि।

उदासीन बड़ा पंचायती अखाड़ा : उदासीन सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी श्री श्रीचन्द जी ने समस्त भारत का भ्रमण किया और मुगल अत्याचारों का विरोध करते हुए हिन्दू धर्म की रक्षा की। उन्होंने स्थान–स्थान पर अखाड़ा स्थापित कर हिन्दू धर्म के प्रसार में अमूल्य योगदान दिया। श्रीचन्द जी के शिष्य प्रीतमदास ने समस्त भारत के साधु–सन्तों तथा महात्माओं को एकत्र करके सम्प्रदाय के

नियम निर्धारित किए। उन्होंने अवध के नवाब से भूमि प्राप्त करके कीटगंज में 1787 ई० के आस–पास 'उदासीन बड़ा पंचायती अखाड़ा' की स्थापना की।[4] उसका प्रधान कार्यालय प्रयाग में निर्मित कर देश के विभिन्न भागों में शाखाएं स्थापित की गई।

निर्मल पंचायती अखाड़ा : प्रयाग में हिन्दुत्व के प्रचार–प्रसार के लिए जिन नवीन धार्मिक पन्थों का उदय हुआ, उसमें निर्मल सम्प्रदाय भी एक है। इसके मूल में हिन्दुत्व की एक विराट ज्योति समाहित थी। पंजाब केसरी, महाराज रणजीत सिंह, पटियाला नरेश महाराज नरेन्द्र सिंह, संगरूर नरेश और नाभा नरेश का इस अखाड़े के निर्माण में प्रमुख योगदान था। 1861 ई० में इसकी स्थापना हुई और इसका प्रधान स्थल कनखल में स्थापित हुआ। बाबा महताब इसके प्रथम महन्त नियुक्त किए गए।[5] तत्पश्चात् देश में अनेक शाखाएं स्थापित हुई, जिनमें प्रयाग में भी एक शाखा है, जो अभी तक अपनी परम्परा का निर्वाह कर रही है।

बाघम्बरी गद्दी : अल्लापुर क्षेत्र में बाघम्बरी गद्दी का भव्य आश्रम अवस्थित है। इस आश्रम के विशाल प्रांगण में बालकों की संस्कृत शिक्षा, उसके आवास तथा भोजनादि की बड़ी उत्तम व्यवस्था है। "आश्रम के महाराज जी स्वामी नरेन्द्र गिरी जी ने बड़े मनोयोग से अत्यधिक अनुशासित ढंग से बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था कर रखी है। इन्हीं महाराज जी की देखरेख में बांध के नीचे बड़े हनुमान जी के मंदिर की भी व्यवस्था है। इस मन्दिर क्षेत्र को भी उन्होंने बहुत सुन्दर और भव्य रूप दिया है।[6] इस गद्दी का नामानुकरण कर बाघम्बरी रोड का निर्माण किया गया है, साथ ही बाघम्बरी के हाउसिंग स्कीम का भी सफल संचालन किया जा रहा है। कुम्भ, अर्ध कुम्भ और माघ मेला के विशेष अवसरों पर यहाँ हजारों साधु–सन्तों का आगमन होता है। यहीं से कई सन्त शाही जुलूस की भव्यता के साथ संगम की ओर प्रस्थान करते हैं, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है।"

भारद्वाज आश्रम : रामायण इसे गंगा एवं यमुना नदी के संगम के नजदीक निर्धारित करता है। वर्तमान भारद्वाज आश्रम नामक स्थल से इसकी पहचान की जाती है, जो आनन्द भवन के पास कर्नलगंज के पास स्थित है। आश्रम के नजदीक के चट्टान स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि इस समय गंगा नदी इसके नजदीक से बहती थी, यद्यपि अब यह यहाँ से दो किलोमीटर दूर से बहती है। रामायण इस कुटी एवं आश्रम का विस्तारपूर्वक वर्णन करता है। भगवान राम, लक्ष्मण एवं सीता के साथ अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे।[7] राम की खोज में भारत भी अपने परिजनों के साथ इस आश्रम में आए थे।[8] यह पवित्र आश्रम चारों ओर से जंगलों द्वारा घिरा था। यद्यपि इसके वैध अधिकार के अन्तर्गत लगभग एक वर्ष तक विस्तृत भूमि थी।

भारद्वाज आश्रम प्राचीन काल में शिक्षा केन्द्र के रूप में विख्यात था। नरसिंहपुराण का अन्तिम संस्करण यहाँ लिखा गया। पद्मपुराण और शिवपुराण भी धार्मिक वार्तालाप के दौरान यहाँ व्याख्यायित हुए थे।[9] गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के आरम्भिक श्लोकों में इस आश्रम की स्तुति की है। उन्होंने रामचरितमानस में भारद्वाज या यजन्यवल्यक के संवाद की सहायता से इसे बहुत अच्छी तरह से निर्देशित किया है। ज्ञान और त्रिवेणी का दुर्लभ संयोग प्रयाग को अमरत्व प्रदान करता है, यहाँ माघ मास में दो–तीन दिन के कल्पवास मात्र से ही व्यक्ति पापरहित हो जाता है। यहाँ प्रवाहित होने वाली माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान कर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है।

सन्दर्भ :

1. प्रयाग प्रदीप; श्री शालिग्राम श्रवास्तव, प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, तृतीय संस्करण, सन्–2013, पृ० 29
2. प्रयागराज माहात्म्य और कुम्भ, डॉ० स्मिता अग्रवाल, अर्पित प्रकाशन, प्रयागराज, पृष्ठ 68.
3. मत्स्यपुराण – वेंकटेश्र स्टीप प्रेस, बाम्बे, 103.10
4. प्रयागराज माहात्म्य और कुम्भ, डॉ० स्मिता अग्रवाल, अर्पित प्रकाशन, प्रयागराज, पृ०–70.
5. वही, पृ० 70.
6. तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग – श्रीप्रकाश, लोकभारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ०–81.
7. रामायण (वाल्मीकि), सम्पादक– जी०एच० भट्ट एण्ड यू०पी० शाह, ओरियण्टल इण्डस्ट्रीज, बड़ौदा 1960–75, II वाल्यूम, 54.9–12. vi.124.1–2.
8. वही, वाल्यूम, 89.92.
9. बोनाजोली, जी प्लेसेज ऑफ पौराणिक रेसदेशन एकार्डिंग टू द पुरानाज, पुरान वाल्यूम xxxiii(i), 1981, पृ० 49.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 138-140

धर्मशास्त्रों में नारी का राजनीतिक–जीवन

मन्जू यादव*

*शोध–छात्रा, प्राचीन इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : सदियों से समय की धारा पर चलती हुई नारी अनेक विडम्बनाओं और विसंगतियों के बीच जीती रही है। उनका जीवन सम्मान और अत्याचारों के क्षेत्र में तरह–तरह के उतार–चढ़ाव से भरा है, नारी का इतिहास मुगलकाल में रानिवासों की शोभा बनकर रह गयी थी, वैदिक युग में मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा सरीखी विद्वान महिलाएं किन्ही मायने में पुरुषों से कम न थी। कोमलता, भावुकता और ममता की प्रतिमूर्ति रही, नारी को सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन के साथ भिन्न–भिन्न स्थितियों से निपटना पड़ा। सम्पूर्ण विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ नारी ने अत्याचार न सहा हो।

मुख्य शब्द : धर्मशास्त्रों, राजनीतिक–जीवन, भारतीय राजनीति, आध्यात्मिक चेतना, वैदिक काल आदि।

स्त्री और पुरुष जीवन–रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक के अभाव में दूसरा अपूर्ण है। स्त्री पुरुष की सहचरी है, शास्त्रकारों ने उसे अर्द्धांगिनी की संज्ञा दी है। आदिकाल से जहाँ पुरुष को पौरुष का पर्याय माना गया है, वही स्त्री को विद्याशील, ममतालक्ष्मी आदि गुणों से विभूषित किया गया है। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में इसके अनेक पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। धर्मशास्त्रों में नारी का मनुष्य जाति की सृष्टि में ही महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं है, अपितु समाज निर्माण में भी नारी समाज का एक अपरिहार्य अंग है। सामान्यतया प्रारम्भ से ही भारतीय राजनीति पुरुष प्रधान ही रही है। स्त्रियों का स्थान घर की चहारदीवारी में ही समझा गया। समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक उत्तदायित्वों का निर्वाह पुरुष द्वारा किया जाता था। लक्ष्मी रघु रमैया का मत है कि निःसन्देह वह स्पष्ट रूप से विदित हो रहा था कि भारतीय नारी को केवल राजनीतिक ही नहीं, अपितु अन्य क्षेत्रों में भी नये–नये आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए।[1]

वैदिक काल में भारत में नारियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वे केवल सन्तान पैदा करने एवं रसोइघर में खाना बनाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पुरुषों के समान ही सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीति क्षेत्रों में भाग लेती थी। राजनीति में नारी समाज की सच्ची पैठ थी। स्त्रियों ने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस एवं योग्यता का परिचय समय–समय पर दिया। पति एवं पुत्र के अभाव में नारी ने शासन व्यवस्था के संगठन, न्यायकर्ता व सेना के संचालन में अपनी कोमलता के विरूद्ध पौरुष का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त समय–समय पर पुरुषों को राजनीतिक विषयक परामर्श देने में भी कभी पीछे नहीं रही। प्राचीन ग्रन्थों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि नारियाँ पुरुषों के समान विविध विधाओं में पारंगत थी। एक ओर नारी ब्रह्मवादिनी बनकर आध्यात्मिक चेतना से समाज को उन्नत करती थी तो दूसरी ओर सद्योवधू के रूप में गृहस्थी संचालन में पति को पूर्ण सहयोग करती थी। नारी शासन संचालन से युद्धों के संचालन तक सभी प्रमुख कार्यों को कुशलतापूर्वक सम्पादित करती थी।[2] ऋग्वेद में नारियों की एक सेना का प्रसंग मिलता है।[3] पत्नियों के रणक्षेत्र में जाने का भी अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। देवासुर संग्राम में इन्द्र की ओर से युद्ध करते हुए दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल जाने पर कैकेयी ने अपनी ऊँगली उसके स्थान पर लगाकर राजा दशरथ के प्राण की रक्षा की। राम के वनगमन पर सीता को राजमुकुट देने का प्रस्ताव रखा गया था।[4] किन्तु कभी–कभी स्त्री को शासिका बनाये जाने का विरोध भी होता था, क्योंकि उनके लिए शासिका का पद उनकी प्रकृति के विपरीत होता था।[5] स्त्रियाँ राजदरबार का प्रमुख अंग थीं और राजदरबार में चारों ओर स्त्रियाँ ही थी।[6]

वैदिक काल में कुछ ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं, जिसमें नारी न्यायकर्ता के रूप में दिखाई देती है। ऋग्वेद में नारी द्वारा किये गये न्याय प्रशासन प्रबन्ध में सुस्थिरता का पता चलता है।[7] यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है कि चक्रवर्ती राजा की तरह ही नारी समाज की समस्याओं पर निर्णय देती थी।[8] सत्य का आचरण करने वाली दमनकारिणी नारी से प्रार्थना की गई है कि वह न्यायाधीश बन कर उचित निर्णय द्वारा वह अपराधी व्यक्तियों को दण्डित करे तथा निर्दोष व्यक्तियों को बन्दीगृह से मुक्त कराये। नारी को 'घोरा' कहकर सम्बोधित किया गया है, जो उसमें दृष्टि दलन के समर्थन की पुष्टि करता है।[9] पौराणिक दृष्टि से भी नारियों की स्थिति सुदृढ़ थी। स्कन्दपुराण में उल्लिखित है कि मुरदैत्य की पुत्री कामकटंकटा ने कृष्ण के साथ युद्ध किया।[10] मार्कण्डेयपुराण एवं देवी भागवतपुराण में देवी का चण्ड मुण्ड, महिषासुर इत्यादि दैत्यों के साथ युद्ध करने का विस्तृत विवरण मिलता है।[11] कल्किपुराण के तृतीय अंश में स्त्रियों के साथ कल्कि के युद्ध का चित्रण हुआ है।[12] नारियों के लिए सैन्य शिक्षा का उल्लेख मार्कण्डेयपुराण में मिलता है। इसी पुराण में मदालसा द्वारा अपने पुत्रों को राजधर्म का उपदेश दिया गया है।[13] राजमहिषी इन्द्रसेना भी अपने पति की हत्या करने वाले शत्रु के प्रति युद्ध करने के लिए अपने पुत्र को प्रोत्साहित करती है। इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्तपुराण में रेणुका नामक स्त्री का राजनीतिक ज्ञान परिलक्षित हुआ है। उस काल में नारियों द्वारा राजकार्य में भी सहयोग प्रदान किया जाता था। अनेक राजमहिषियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने उत्कृष्ट राज्य संचालन के साथ–साथ विधि निर्माण एवं अध्यादेश, दण्डविधान आदि का कार्य भी सम्यक् रूप से सम्पादित किया। जैसे– अनुला–शिवाली, कल्याणवती इत्यादि का सिलोन प्रदेश में शासन करने का विवरण मिलता है। पद्मपुराण[14] में भी बालि की मृत्यु के पश्चात तारा द्वारा राम के प्रति कथन उसके राजनीति विशारद् होने का परिचायक है।

विशेष परिस्थितियों में राज्य प्रबन्ध में दक्ष रानियों द्वारा शासन प्रबन्ध करने का भी उल्लेख मिलता है। कई कन्याओं को संरक्षिका के रूप में शासन–भार भी ग्रहण करना पड़ता था। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से ज्ञात होता है कि अयोध्या

के राजा अग्निवर्ण की मृत्यु के पश्चात रानी ने गर्भावस्था में शासन का भार अपने हाथों में लिया था।[15] दूसरी शताब्दी ई० में आन्ध्र सातवाहन वंशी रानी नागनिका ने राजा की मृत्यु के पश्चात शासन का भार संभाला था। इसी प्रकार वाकाटक वंश की रानी व गुप्तवंशीय सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्र प्रभावती गुप्त पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र की अल्पवयस्कता वंश स्वयं शासन किया था। चालुक्य वंश की विजय भट्टारिका तथा कश्मीर की सुगन्धा ने लम्बे समय तक शासन किया था। रानी दिद्दा ने बाइस वर्षों तक कश्मीर पर स्वतन्त्र रूप से शासन किया।[16] ये विवरण प्रकट करते है कि महिलाएं समय पड़ने पर राज्य के संचालन में अग्रणी रहती थी तथा अपनी अनुपम बुद्धिमत्ता व कुशलता से अपने राज्य का प्रशासन करती थी। ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में सिद्धराज की माता श्रीमिनल देवी ने शासन किया। चालुक्यों के शासन काल में राज्यपाल तथा अन्य राजनैतिक पदों पर रानियों की न्युक्ति साधारण बात थी।[17] कुमारदेवी ने सामरसी की मृत्यु के पश्चात शासन व्यवस्था का दायित्व संभाला तथा कुतुबुद्दीन के आक्रमणों से राज्य की रक्षा की।[18] इसी प्रकार राजपूत युग में भी रानियों ने अपने साहस व शौर्य का परिचय दिया तथा विषम परिस्थितियों में शासन प्रबन्ध को एक सूत्र में बाँधे रखा। स्त्रियों की परिवेश कृत राजनीतिक परिस्थितियाँ प्रायः राजपूत कुल की शासन–प्रशासन से जुड़ी कुछ नारियों के विषय में ही लागू होती थी। आम नारियाँ तो परवर्तीकाल में अल्पायु विवाह के कारण सामान्य शिक्षा से भी वंचित रहने लगी। प्रशासन हेतु अनिवार्य योग्यता प्राप्ति तो दूर ही रही। इस कारण स्मृतियाँ नारी–शासन प्रबन्ध के विषय में विस्तार से नहीं जाती। स्मृतियों में स्त्रियों के शासन प्रबन्ध में भाग लेने का विस्तृत वर्णन प्राप्त नहीं होता है, जिनसे ज्ञात होता है कि स्त्रियों को राजकार्य में लगाया जाता था। पर ये सन्दर्भ स्त्रियों के उच्च पदासीन होने की समुचित पुष्टि नहीं करते।

धर्मशास्त्रों में नारी के प्रति राजा का दायित्व : अति प्राचीनकाल से धर्मशास्त्रों में राजधर्म का विस्तृत उल्लेख हुआ है। राजधर्म को सभी धर्मों का सार कहा गया है।[19] राज के कर्तव्यों के प्रति कतिपय धर्मशास्त्र–ग्रन्थों में प्रभूत संकेत मिलते हैं।[20] इसके अन्तर्गत आचार व्यवहार, प्रायश्चित आदि सभी नियम आते हैं। परमात्मा सृजित राजा के विशिष्ट गुणों और कर्तव्यों के उल्लेख करते इन ग्रन्थों में स्त्रियों के प्रति राजा के उत्तरदायित्व को भी स्थान प्राप्त हुआ है। मनु का मत है कि राजकार्य में जिन स्त्रियों व दास–दासियों को काम पर लगाया जाता है, उसके लिए उनके कार्य के अनुसार प्रतिदिन का वेतन निर्धारित किया जाय। वे क्या कार्य करेंगे, यह भी उन्हें बताया जाय।[21] वशिष्ठ का कथन है कि राजा विधवा स्त्री, कुमारी कन्या से कर न ले। राजा का यह उत्तरदायित्व है कि वह रानी राजपत्नियों और उनके सम्बन्धियों का भोजन व आच्छादन की व्यवस्था करें।[22] अन्यत्र वशिष्ठ ने कहा है कि स्त्रियों की आजीविका की व्यवस्था स्वयं राजा को करना चाहिए ताकि वे व्यर्थ न रहने पाये।[23] राजा का यह दायित्व है कि वह अन्तःपुर की सुरक्षा का कड़ा प्रबन्ध करें, जिससे अन्तःपुर की स्त्रियों की सुरक्षा हो सके। इसके लिए वे ही व्यक्ति लगाये जायें जो आचार से शुद्ध और वीर हो, क्योंकि राजपरिवार की स्त्रियों की चरित्र की रक्षा अत्यन्त आवश्यक है।[24] वृहतपराशर के इस कथन में विशिष्ट नारियों को महत्त्व दिया गया है, सामान्य नारियों को नहीं। नारदीय मनुस्मृति का कथन है कि स्त्रियों पर हुए अत्याचार एवं आक्रमण से सम्बन्धित मुकदमों को राजा का प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहिए।[25]

धर्मशास्त्र में नारी को राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे, परन्तु यह राजघराने एवं कुलीन वर्ग की महिलाओं को अधिकांशतः प्राप्त होते थे। धर्मशास्त्रकारों ने नारी को कहीं शासक के प्राणरक्षक, तो कहीं न्याय के लिए न्यायाधीश, तो कहीं शासिका के रूप में कार्य करते हुए दिखाये गये हैं।

सन्दर्भ :

1. रमैया, लक्ष्मी रघु; "इमरजैन्स ऑफ मॉडर्न इण्डिया वीमैन", इन वी०के० वशिष्ठ, "एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वीमैन इन इण्डिया", नई दिल्ली, 1976, पृ०–75.
2. शर्मा, डॉ० मालती; वैदिक संहिताओं में नारी, पृ०–193.
3. स्त्रियों ही दास आयुधानि चक्रे किं मा करन्नबला अस्य सेनाः। अन्तह्यर्रव्यदुभे अस्य धेने अथोप प्रैधुधये दस्युमिन्द्रः।। – ऋग्वेद, 5 / 30 / 9.
4. आत्मा ही द्वारा सर्वेषां दार संग्रहवर्तिनाम्। आत्मेयमिति रामस्य पालपिष्यति योदिनीम्।। – रामायण 2 / 37 / 28.
5. यत्र स्त्री यत्र कितवो बालो यत्रानुशासिता। मज्जन्ति तेऽवशा राजन्नाद्यामश्मप्लवा इव।। – महाभारत 5 / 38–92.
6. अर्थशास्त्र अध्याय, 20.
7. अत्राह ते हरिवस्ता उ देवीरवोभिरन्द्र स्तवन्त स्वसारः। यत्सीमनु प्र मुचो बद्ब धाना दीर्घामनु प्रसिंतिं स्पन्दयध्यै।।–ऋग्वेद, 4 / 22 / 7.
8. स्योना सि सुषदा सि क्षत्रस्य योनिरस। स्योनामासीद् सुषदामासीद् क्षत्रस्य योनिमासीद।। निषसाद धृतवर्तो वरुणः पस्त्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतुः।।–यजुर्वेद 10 / 26–27.
9. यस्यास्ते धोरासन जुहोम्येषां बन्धानामव सर्जनाय। जनो भूमिरिति प्रमन्दते निऋर्ति त्वाह परिवेदविश्वतः।। – यजुर्वेद 12 / 64.
10. स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्ड, अध्याय 51, श्लोक 37–40।
11. मार्कण्डेयपुराण, अध्याय–47, श्लोक 15–17; श्रीमद्देवीभागत–स्कन्द 5, अध्याय 9.
12. कल्किपुराण – अध्याय–1, श्लोक 1–14.
13. मार्कण्डेयपुराण – अध्याय 15, श्लोक 5–12.
14. पद्मपुराण – 5 पातालखण्डः अध्याय–116, पृ०–21–23.
15. रघुवंश महाकाव्य 19 / 57.
16. चन्द्रवली त्रिपाठी, भारतीय समाज में नारी आदर्शों का विकास, पृ०–196; जयशंकर प्रसाद मिश्र, प्राचीन भारत का समाजिक इतिहास, पृ०–421; राजतरंगिणी, 7 / 905–9, 8 / 1137–39.
17. राधा कुमुद मुखर्जी, दि गुप्ता एम्पायर, पृ०–147.
18. अल्तेकर, पोजीशन ऑफ वुमेन, पृ०–187.

19. शान्तिपर्व, 141/9–10; 56/3.
20. गौतम 10/7–8; आपस्तम्ब धर्मसूत्र 2/5/10/13–16; वशिष्ठ 19/1–2; विष्णु 3/2–3.
21. राजा कर्मसु युक्तानां, स्त्रिणां प्रेण्यजनस्य च। प्रत्यहं कल्पयेद् वृत्ति, स्थानं कर्मानुरूपतः।। – मनुस्मृति 7/125.
22. वसिष्ठ 19/15/20–21.
23. अत्यर्थाः स्त्रियः स्युः।। – वशिष्ठ 19/14.
24. वृहत्पराशर 12/13–14.
25. नारदीय मनु 1/39.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 141-143

अन्त्यज् की सामाजिक स्थिति

डॉ0 संजय कुमार तिवारी*
*असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, राष्ट्रीय पी.जी. कालेज सुजानगंज, जौनपुर, उ0प्र0

सारांश : प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में चांडाल को निकृष्टतम कोटि में रखा गया है। उन्हें 'अन्त्यज' कहा गया है। धर्मशास्त्रों की दृष्टि में वे घृणित थे। धर्मशास्त्र में चाण्डाल की उत्पत्ति बताते हुए उन्हें प्रतिलोम विवाह 'शुद्र पिता एवं ब्राह्मण पत्नी' से उत्पन्न वर्णसंकर माना गया। यह एक निषिद्ध विवाह था। जिसमें पति की जातीय स्थिति पत्नी से निम्न होती थी और यही कारण था कि आचार्यों ने उन्हें सभी स्वीकृत संस्कारों नियमों के अधिकार से रहित कर दिया। कालान्तर में स्थिति और भी बद्तर हो गयी। वे अस्पृश्य मान लिए गए और उनको छूना भी पाप माना गया है। उन्हें गाँव के बाहर रखने को बाध्य किया गया। यह शोध पत्र विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन अन्त्यज् की सामाजिक स्थिति के अध्ययन को रेखांकित करता है। जो समाज के लिए उपयोगी हैं।

मुख्य शब्द: अन्त्यज्, सामाजिक स्थिति, धर्मशास्त्र, भारतीय विद्या, ऋग्वेद आदि।

चाण्डाल की उत्पत्ति एवं उनकी निम्न स्थिति की यह धर्मशास्त्रीय व्याख्या है। भारतीय विद्या के अधिकांश विद्वान इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। वे इसका मूल उद्भव ऋग्वेद में देखते हैं और इसमें वर्णित कुछ उदाहरणों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जिनका संबंध निश्चय ही प्राचीनतम सिन्धुघाटी (हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो) की सभ्यता से है। ऋग्वेद में दास एवं दस्यु का वर्णन है। यह आर्यों द्वारा विजित लोग थे। ऋग्वेद में आर्यों को काले चर्म वाले (दस्यु वर्ग) लोग से भिन्न बताया गया है। आर्य लोग इनसे सेवा कार्य लेते थे। इस बात की प्रबल संभावना है कि समय के प्रवाह में अंर्तसम्बंधों की घनिष्ठता के फलस्वरूप इनसे उत्पन्न सन्तानों को शुद्र वर्ण में परिगणित कर लिया गया। इसकी प्रथम प्रतिध्वनि हम ऋग्वेद के पुरुष–सूक्त में सुनते हैं। जिसमें शूद्रों को परमपुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ बताया गया है।[1] आर्यों से भिन्न दास, दस्युओ को शुद्र वर्ण में प्रतिष्ठित कर उन्हें विशाल भारतीय (हिंदू) समाज में सम्मिलित करने की सफल चेष्टा की गई। कालांतर के धर्मशास्त्रों में चाण्डाल आदि को जो प्रतिलोम विवाह की उपज माना गया है। वह वैदिक हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में उनको ग्रहण करने का धार्मिक आधार तैयार करना था। इसकी संभावना अत्यंत प्रबल है कि 'चांडाल' शूद्र पिता एवं ब्राह्मण स्त्री की सन्तान नहीं, अपितु वे ऋग्वेद कालीन उन दस्युओं के वंशज थे जिन्हें आर्य लोग अपने से अलग मानते थे, परन्तु शनैःशनैः वे उनकी सामाजिक व्यवस्था के अंग बन गए थे।

ऋग्वेद कालीन दास, दस्यु या शुद्र मध्यकालीन शुद्रों (क्योंकि तब तक दास या दस्यु का पूर्णतया वैदिकीकरण हो चुका था। आज के समान हेय, अंत्यज या अस्पृश्य नहीं थे। अस्पृश्यता का भाव अभी प्रकट नहीं हुआ था, वे समाज के विशिष्ट और अभिन्न अंग बन गए थे। उनके अभाव में वैदिक समाज की अवधारणा को पूर्णता प्रदान नहीं की जा सकती थी। तैत्तिरीय संहिता में तो ब्राह्मणों, राजन्यो एवं वैश्यो के साथ शूद्रों के लिए प्रकाश से अवलोकित होने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट है कि शुद्र लोग उस समय तक समाज के एक अंग हो गये थे और परमात्मा से प्रकाश पाने में तीनों उच्च वर्णों के संबंध ही थे।[3]

ऋग्वैदिक काल के उपरांत शूद्रों की सामाजिक स्थिति में बदलाव के चिन्ह परिलक्षित होने लगते हैं। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण एक दीक्षित व्यक्ति को शुद्र से वार्तालाप करने का निषेध करता है। सबसे गरीब वाक्य ऐतरेय ब्राह्मण का है जिसके अनुसार शूद्र यथाकामवध्य है अर्थात उसे कभी भी दंडित किया जा सकता है।[4]

ब्राह्मणकाल से उद्धरण शूद्रों की सामाजिक निम्नता के द्योतक अवश्य हैं परंतु इनसे कभी भी शूद्रों के अछूत या गणित होने के संकेत नहीं प्राप्त होते। 'छान्दोग्योपनिषद मैं भी चांडाल की चर्चा है। उनकी सामाजिक स्थिति अत्यन्त निम्न बताई गयी है। परंतु इस काल तक भी उन्हें घृणित नहीं माना गया था।[5] यद्यपि अस्पृश्यता संबंधी अवधारणा अब धीरे–धीरे अंकुरित हो रही थी। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का वर्णन किया है। प्रथम निरवसति द्वितीय अनिरवसति। यह स्पष्ट हो जाता है कि पाणिनि के काल तक कुछ निम्न जातियों के ऐसे की गणना की जाने लगी थी जिन्हें गाँव के बाहर निवास करना होता था वे अंत्यज थे। जाति प्रथा का शिकंजा अब समाज को प्रेषित करने लगा था और अब ऐसी जातियों की अवधारणा विकसित होने लगी थी जिनके साथ रहना या वार्तालाप करना निश्चित और पाप था। पाणिनि का अनिरवसती शूद्र सी कोटी का था। वैदिक समाज की अवधारणा अब कोरा आदर्श मात्र थी पूर्णविराम यथार्थ यह था कि अब जन्म ही व्यक्ति की उच्च और निम्न स्थित का निर्धारण करने लगी थी गांव के बाहर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा गांव के बाहर रहने वाली यह जातियां ही अस्पृश्य या ग्रीडी तक कहलाई और इन्हें भी चांडाल मातंग या निषाद आदि नाम दिया गया है।

चांडाल किसी एक विशिष्ट जाति या नाम नहीं अपितु सभी घृणित या अछूत जातियों को चांडाल नाम दिया गया यद्यपि विभिन्न प्रकार के घृणित जातियों के उत्पन्न होने की कल्पना अवश्य कर ली गई। बौद्ध साहित्य में भी चांडाल जाति पाँच हीन जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें चांडाल रेड निषाद रथ कार और पुकुस का उल्लेख है।[6] जैन साहित्य में चांडाल आदि हीन जातियों का उल्लेख जिन्हें सामाजिक व्यवस्था में निम्नतम स्थान दिया गया था और जो अछूत एवं घृणित जातियों का उल्लेख है जिन्हें जून गीत कंभ जूनगीत और सिप जून गति के रूप में तीन श्रेणियों में बांटा गया है। चांडाल मातंग दो वफा का भेद आदि जाति जून गीत में आते हैं और वे घृणित है।[7]

मनु एवं बाणभट्ट के समान बौद्ध एवं जैन साहित्य में भी जान डालो को गँाव से बाहर रहने का उल्लेख है। जान डालो एवं निषादों के अलग ग्राम बस गए थे जातकों में चांडाल ग्राम एवं निषाद ग्राम के उल्लेख प्राप्त होते हैं।[8] स्पष्ट है चांडाल के रहने का स्थान अलग था।

जैन समाज में सामान्यतया जातिवादी व्यवस्था को मान्यता नहीं प्रदान की गई थी। जैन आगम साहित्य में जातिवादी व्यवस्था की आलोचना की गई।[9] विवेच पुराण में जाति व्यवस्था को हतोत्साहित किया गया है।[10] ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक संश्लिष्टता तथा नवीन आर्थिक मान्यताओं के परिणाम स्वरुप अनेक उपजातियां अस्तित्व में आ चुकी थी। जिनके उल्लेख जेनेटर ग्रंथों में प्राप्त होते हैं।[11] पदम पुराण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र वर्णों का निर्देश मुख्यतः हुआ है। किन्तु कतिपय उप जातियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। जिन्हें संभवतः पेशे के आधार पर गठित किया गया था। जीना उप जातियों का उल्लेख विवेक पुराण में आया है उन्हें अध्ययन की सुविधानुसार दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वे उपजातियां जिनका आविर्भाव सामाजिक संश्लेषण के परिणामस्वरुप हुआ था। द्वितीय वर्ग में उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है जो तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों के फलस्वरुप अस्तित्व में आई। प्रथम कोटि में आने वाली जातियों का यहाँ किंचित विस्तार में उल्लेख करना अपेक्षित प्रतीत होता है।

मातंग : चाण्डाल को मातंग[12] कहा जाता था। चाण्डाल शब्द का उल्लेख पदमपुराण में इस सम्बन्ध में आया है। जिनसेन ने कुलीन परिवार एवं उच्च कोटि में उत्पन्न होने पर भी हिंसा, चोरी एवं अन्य प्रकार के दुराचार में रत लोगों को चाण्डाल 'कर्मचाण्डाल' की संज्ञा प्रदान की है।"[13]

पुलिन्द : एक प्रकार की असभ्य और जंगली जाती थी। यह लोग अत्यन्त बर्बर होते थे। इनका उल्लेख रघुवंश में भी मिलता है।[14]

लुब्धक : लेच्छ जात के भेदों में लुब्धक जाति की भी गणना की गई है।[15] प्रतीत होता है कि शकुनी लुब्धक ही कालांतर में सामान्यतया लुब्धक के रूप में प्रयुक्त होने लगा। लुब्धक न केवल पक्षियों का शिकार करते थे बल्कि पकड़ कर उनका विक्रय भी करते थे।

शबर : यह जंगलों में रहते थे और शिकार आदि करते थे। प्रारंभ में शर्वरी नदी के किनारे रहने के कारण ही संभव अतः इन्हें सबर कहा गया होगा।[16] संप्रति सबरी नदी की तादात में स्थापना सहज नहीं है। संभवत दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर नहीं यह सरिता प्रवाहित होती रहेगी।[17] सबर जाति के लोग धनुष बाण चलाने में प्रवीण होते थे। विवेक पुराण मैं ऐसे ही लोगों के लिए धनुष्क शब्द का प्रयोग किया गया है।

निषाद : यह जंगलों में निवास करने वाली तथा मुख्यतया शिकार पर निर्भर रहने वाली एक जाति थी। हिरण आदि का शिकार इनमें बहुत प्रिय था।

मलेच्छ : मलिक शो का उल्लेख विवेक पुराण में बहुत आया है। विद्यार्थी पर्वत के दक्षिण और कैलाश के उत्तर में जो क्षेत्र स्थित है। उनमें अर्ध बर्बर नाम का एक देश है। जो अत्यंत भयंकर मलिक शो से व्याप्त कहा गया है।[18] यहाँ के राजा का नाम अंतरंगमतम मिलता है।[19] जब यह मलेच्छ अनेक राज्यों को उजाड़ते हुए जनक के राज्य में पहुंचे तो दशरथ के सहायता से उन्हें परास्त कर दिया गया।[20] पराजित होने के उपरांत जो मलेच्छ बच गए थे वह सहायक और विंध्य पर्वतों पर निवास करने लगे थे। इन की वेशभूषा के संबंध में ज्ञात होता है कि यह लाल रंग का साफा सिर ऑस्थरा और बदन पर पत्तों का वस्त्र धारण करते थे। हाथ में विविध धातुओं से निर्मित अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा में ब्रिक बराह महेश तथा व्याघ्र की तस्वीर धारण करते थे। यह अत्यंत क्रूर एवं मांस भक्षक होते थे। किंतु समय अंतर में युद्ध की पराजय से भयभीत होकर इन्होंने अपनी दुष्टता छोड़ दी थी और मांसाहार के स्थान पर कंदमूल और फल ग्रहण करने पर बल देने लगे थे।[21]

इन जातियों के अतिरिक्त विवेचना पुराण मैं श्रमण विद्याधर ऋत्विक चारण कंचुकी नद वीट आदि जातियों का भी उल्लेख आया है। के लोग तरह–तरह का वेश धारण[22] कर विचित्र प्रकार की चिताओं से लोगों का मनोरंजन किया करते थे।[23] कथित है कि अनेक जन्म धारण करने के कारण सांसारिक प्राणियों की नाटक एक समान विचित्र चेष्टा होती थी।

बौद्ध एवं जैन साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि चांडाल की स्थिति अत्यंत निम्न थी। सिंगाल जातक में चांडाल की तुलना सिया से की गई है। जिस प्रकार चतुष्पादा में सियार निम्नतम माना जाता है वैसे ही मनुष्यों में चांडाल यह एक गाली का प्रतीक था। सियार द्वारा शेरनी से विवाह प्रस्ताव को सुनकर शेरनी को अत्यंत ग्लानि हुई और बिना शेरनी दुखी होकर कहती है कि ऐसे जीवन से क्या लाभ जिसमें ऐसा शब्द सुना। यह कहानी स्पष्ट करती है कि चांडाल का समाज में कितना निम्न स्थान था।[24] कुश जातक मैं एक रानी अपनी पुत्रवधू को अपशब्द के रूप में बोली और चांडाल कहती है। जो परिवार मैं कलंक के समान थी।[25] चांडाल एवं स्वपचो कुत्ते का मांस खाने वाले की वेशभूषा का उल्लेख भी मनु करते हैं। चांडालओ को टूटे–फूटे बर्तनों में भोजन करने का निर्देश दिया गया था। मनु इन्हें राज्य चिन्ह धारण करने का विधान करते हैं। यह इसलिए किया गया प्रतीत होता है कि ताकि इन्हें देख कर लोग दूर हट जाया करते और उनका स्पष्ट ना हो सके। जैसा कि फाह्यान ने चांडाल को अपने गले में ढोल बांधकर आते हुए देखा था। बौद्ध साहित्य में चांडाल के बाहर देश का वर्णन है। मातंग जातक मैं एक चांडाल का वर्णन है जो लाल वस्त्र लपेटे रहता था। इसके हाथ में मिट्टी का बर्तन दिखाया गया उल्लेखनीय है कि मनु भी उसे केवल मिट्टी के बर्तन के उपयोग की ही अनुमति देते हैं।

सन्दर्भ :

1. प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, बजरंग महाविद्यालय, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर बलिया उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद 10/90/12.

2. तैत्तिरीय संहिता 4/7/6/3–4 में उद्धृत (धर्मशास्त्र का इतिहास प्रथम भाग पृ0–112).
3. धर्मशास्त्र का इतिहास प्रथम भाग पृ0सं0–112.
4. वही, पृ0–112.
5. छांदोग्य उपनिषद – 7.10.15.
6. सुत्त विभंग पाचित्तिय 11/2/11 "चाण्डालजाति, वेणजाति, निषादजाति, रथकर जाति, पुक्कुस जाति एसाहीना नाम जाति।"
7. 'सिकन्दर'– ऐस कल्चरल स्टडी ऑफ द निषीथचूर्ण, पृ0–89–95.
8. जातक अनुवाद हिन्दी, जिल्द 4 पृ0–399, 598.
9. जैन आगम साहित्य, पृ0–87.
10. विवेच्य पुराण पृ0–188.
11. ठाणांग, III 202, जैन पूर्व निर्दिष्ट पृ0–194.
12. पद्म पुराण पृ0–190 तुलनीय।
13. वही।
14. रघुवंश पुराण पृ0–सं0 90 तुलनीय।
15. अभिज्ञान शाकुन्तलम् पृ0–187 तुलनीय।
16. विवेच्य पुराण, पृ0– I, 287 तुलनीय।
17. मार्कण्डेय पुराण, 28, 7–8.
18. विवेच्य पुराण ,पृ0–21–21.
19. विष्णु पुराण ,2.5.18.
20. अभिधान चिन्तामणि 3,7,25.
21. विवेच्य पुराण, 22.96.
22. ब्राह्मण पुराण III 12–19.
23. बृहद्धर्भ पुराण 33.306.
24. जातक III 4–52–53.
25. वही, V पृ0–306.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 144-146

मुगल–काल में डुमरांव राज के अन्तर्गत कला–संस्कृति का विकास

अनिल कुमार*
*शोध छात्र, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

सारांश : कला और संस्कृति दोनों का निर्माण मनुष्यकृत है। वह कला का निर्माण भी है और उसका प्रयोक्ता भी। निर्माण के साथ विनिर्माण सदा से लगा रहता है। मनुष्य के भीतर का जो कुछ भी उत्कृष्ट और उदात्त है वह कला–कृतियों में अभिव्यक्त होकर उसकी निर्मात्री शक्ति को प्रतीकित करता रहता है। संस्कृति भी उसके आस–पास के हीं उसकी ''सम्यक कृति'' है। इसका संबंध उसके वाह्य और अभ्यन्तर के समभाविक रूप से प्रकट होता है।

मुख्य शब्द : संस्कृति, आभ्यंतरिक स्थिति, उन्नायक इतिहास, प्रौढ़तम विकास, डुमरेजनी चालीसा आदि।

संस्कृति और कला दोनों का संबंध आधाराध्येय का है। कला द्वारा संस्कृति का प्रतिबिम्ब हुआ करता है। क्योंकि वाह्य आचरण से सभ्यता प्रकट होती है और भीतरी भावनाओं और उसके प्राकटय से संस्कृति का स्वरूप प्रकट होता है। इस प्रकार मनुष्य की पूर्णता, उसका रहन–सहन, उसके भाव–विचार तथा उसके रीति–रिवाज उसकी संस्कृति के प्रत्यायक है। किसी भी सभ्यता और उसकी आभ्यंतरिक स्थिति, संस्कृति और कला के माध्यम से हीं देखा और आंका जा सकता है। इसी से कला के अंग–प्रत्यंगों की जांच होती है और उसमें उसके अनेक भेदोपभेद प्रकट होते चलते हैं। जैसे कला कहने से ही काव्य–कला, संगीत–कला, वाद्य–कला, वास्तु–कला आदि का स्वरूप हमारे सामने एक–एक कर प्रकट हो जाता है। मानव–मात्र का विकास का नक्षा इन्हीं के आधार पर बना हुआ है। संस्कृति की पहचान इन्हीं के विकास और ह्वांस से संबंधित है। कला अपना चिन्ह जो छोड़ती है वह काल के कपोल पर एक सुन्दर तिल के समान मनोहारी होती है। उसके उन्नायक इतिहास में अमरता को प्राप्त करते हैं। साथ हीं मानव के मन और मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इतिहास की गहराई में तारीखें नहीं होतीं, कला का विकास और विलास हीं उसमें प्रत्यंकित रहता है। इसलिए व्यक्ति से ज्यादा कला और संस्कृति का मूल्य अधिक माना गया है। क्योंकि व्यक्ति का वह अभिमापक यंत्र है। कला और संस्कृति का सृजन एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। उसका संबंध अनेक मानवों की प्रतिभा, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक तथा आचरण से सिंचित होकर अभिवर्द्धित होता है। वे सभी अपने–अपने क्षेत्र में कला और संस्कृति का विकास कर रहे थे। इसमें कुछ राजा थे, कुछ सामंत, कुछ जमींदार तथा उनके ऊपर महाराजा होते थे। उनकी शक्ति और सीमाएं विस्तृत थीं। धन और शक्ति दोनों के योग से वे सर्वाधिक प्रतिष्ठित और प्रभुता–सम्पन्न हुआ करते थे। अतः उनकी रूचि तथा मनोवृत्ति के अनुसार उनके राज्य में कला और संस्कृति का पूर्णतम एवं प्रौढ़तम विकास समाहित था।

ऐसे ही महाराजाओं में हमारे आलोच्य डुमरांव–राज के महाराजाओं का कुल प्रतिष्ठित हुआ। डुमरांव का नाम देवी के नाम पर रखा गया जिसकी वहाँ के प्रतिष्ठित कवि विष्वनाथ प्रसाद ''षैदा'' ''डुमरेजनी चालीसा'' में व्यक्त किया है। वे बताते हैं कि राज्य का वहाँ स्थित होना, राजधानी होना ''डुमरेजनी देवी'' का प्रसाद हीं माना जाना चाहिए। तवारीख–ए–उज्जैनिया में समस्त महाराजा बहादुरवृन्द का तिनयात्मक तथा तथ्यात्मय वर्णन मिलता है। इन महाराजाओं ने अपने–अपने काल में अनेक रूप में कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य किया है। इन्होंने प्रजा के हित में कूप, सरोवर, वापी, तड़ाग का निर्माण कर ''जल हीं जीवन है'', इसको सार्थक कर प्रजा के हित में सर्वव्यापी रूप से निर्माण कराकर सुलभ किया। बाग–बगीचों में अनेक प्रकार के फल–फूलों से उन्हें सुसज्जित कराकर पर्यावरण को शुद्ध और सात्विक बनाने में मदद की। संचार–साधनों के लिए सड़क, प्रसृत गलियां, नाले, बाजार तथा मेलों की व्यवस्था कराकर जनता–जनार्दन के हित में अनेक कार्य किये। वास्तुकला के क्षेत्र में वापियों के सुन्दर, सोपान चतुर्दिक बनाये गये और उनके तट पर अनेक सुन्दर मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिनके आधार पर वास्तु–कला और मुर्ति–कला का समानान्तर विकास हुआ। इन मंदिरों और मुर्तियों में हिन्दु वास्तु–कला का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। मूर्तियां पौराणिक यौली में उत्तकीर्ण है जो कला का अनुपम उदाहरण पेष करती हैं तथा वास्तु–कला की पच्चीकारी अद्भुत, अपूर्व और अपनी विलक्षणता में अब भी विचित्र अनन्वय बनी हुई हैं। काव्य और संगीत–कला के क्षेत्र में भी डुमरांव–राज का स्थान ऐतिहासिक है। यहाँ बहुत उत्कृष्ट कलाकार बुलाकर बसाये जाते थे जिनकी परम्परा अभी तक चल रही है। चूंकि महाराजा स्वयं कला के प्रति अभिरूचि रखते थे और उस कला में उन्हें प्रवीणता भी हासिल थी। कला के प्रति अभिरूचि सबकी नहीं बन पाती, यह सरस्वती का वरदान किसी–किसी को कभी–कभी प्राप्त हुआ करता है। किन्तु इस राज्य को यह सब कुछ प्रकृति और परमात्मा द्वारा प्राप्त था जिसमें राजाओं ने अपने कला एवं साहित्य प्रेम को अध्ययन तथा ज्ञानार्जन के लिए पुस्तकालयों का निर्माण किया जिसका वर्तमान रूप ''सरस्वती भवन'' अभी तक विद्यमान है। संगीत कला में वहाँ के गायकों (मलिकों) ने अपनी पहचान बनायी है तथा एक नये स्कूल का निर्माण किया है। एक छोटे से वाद्य शहनाई को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर गायिकी में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले भारतरत्न उस्ताद विस्मिला खां की उस्तादी इसी डुमरावं राज से प्रारंभ हुई थी। अपने समय के प्रसिद्ध गायक और राग–रागनियों के आचार्य ''घनारंग'' जी का पालन–पोषण इसी दरबार में हुआ था। ''घनारंग'' जी ने धनगाई घराना को भारतवर्ष के स्तर पर प्रतिष्ठित कराया था। उनकी कृष्ण–रामायण उस क्षेत्र में आज भी मील का पत्थर बना हुआ है। काव्य–कला के क्षेत्र में वहाँ नवरत्न कवियों की चर्चा ऐतिहासिक है। इस प्रकार मुगल–काल में साहित्य–संस्कृति और कला के क्षेत्र में अलग–अलग इस राज के योगदान का समाकलन किया गया है।

डुमरांव–राज की स्थापना के पूर्व होरिलशाह के पूर्वजों की राजधानी जगदीषपुर, मठिला, भोजपुर तथा बक्सर के अलावे भी कई जगहों में रही है जिनका योगदान कला–संस्कृति के क्षेत्र में बखूबी रहा है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

राजा रूद्रप्रताप नारायण सिंह ने सन् 1628 ई0 में जगदीषपुर में अपनी राजधानी नया भोजपुर में स्थापित की जो प्रारंभ से हीं उनके पूर्वजों की यह जगह थी। राजधानी की सीमा से मिला हुआ बाग–विलास था जिसे सीमित करके अनेक भव्य भवनों का निर्माण कराया गया और किले का नाम नवरत्य–भवन रखा गया। नवरत्न–भवन से चार सौ फिट दूरी पर जनानी महल था तथा दोनों भवनों के दरवाजे आमने–सामने पड़ते थे। अंदर महल के प्रत्येक कमरे में फब्बारों के नल बने हुए थे। साथ हीं नवरत्न–भवन और जनानी–भवन के पष्चिम हाता के अंदर एक तालाब था। नया भोजपुर में खंडहर के रूप में खड़ा यह किला अपने अतीत के गर्भ में कई ऐतिहासिक घटना को छिपाये हुए हैं। इस किले का निर्माण राजा रूद्र प्रताप सिंह ने 1633 ई0 में कराया था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के निर्माण में तीन साल का समय लगा था और इसे अकबराबाद किला को बनाने वाले ने हीं बनाया था। नवरत्नगढ़ किला के बारे में यह प्रसिद्ध है कि इस किला के अंदर बावन गली एवं छप्पन बराज था।

राजा रूद्रप्रताप नारायण सिंह ने अपने काल में गौरीशंकर महादेव के मंदिर का भी निर्माण कराया था। राजा की जो भी आमदनी होती थी वह निर्माण कार्य में व्यय हो जाती थी। हालांकि राजा का दरबार चापलूसों से भरा था क्योंकि उन्हें अपनी प्रषंसा सुनना बहुत पसन्द था। एक भांट को ब्रह्मपुर के युद्ध और नवरत्न महल के संबंध में प्रषंसात्मक कविता लिखने पर भोजपुर के निकट ''खिरौली'' ग्राम हीं राजा द्वारा दे दिया गया था। इधर नाजिम बिहार अब्दुल्ला खां राजा से नाराज चल रहा था। वह भोजपुर आया और राजा को बंधक बनाकर पटना ले गया जहँ मुगल शासक शाहजहँ के आदेष से बाद में राजा का कत्ल कर दिया गया था। तत्पष्चात् 1636 ई0 में नवरत्न भवन को तोड़ दिया गया और राज्य को जब्त कर स्वायत्तता का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके बाद शाही अमलदार के रूप में नेमत खान भोजपुर आया और नवरत्य भवन की मिट्टी तथा पत्थर से उसके पष्चिम एक रोजा–ए–रिजवान बनवाया। उसमें हीं भोजपुर का नाम शाहाबाद रखा था।

राजा नारायण मल्ल के बड़े पुत्र राजा अमर सिंह की राजधानी मठिला में थी और वहाँ इनके द्वारा कृषि की उन्नति के लिए एक बांध भी बनवाया गया था। साथ हीं एक बड़ा तालाब भी मठिला में दक्षिण की ओर खुदवाया गया था। राजा धार्मिक प्रवृत्ति के थे और यहीं कारण था कि उनके कार्यकाल में विन्ध्याचल और जखनी में बलिदान विधान के साथ पूजा की शुरूआत हुई। साथ हीं नटवार के ''भलुनी'' में हर वर्ष चैत महीने में लगने वाले मेले को भी राजा द्वारा विकसित किया गया और ब्राह्मणों को बहुत जमीनें दी गयीं। राजा अमर सिंह के मृत्यु के पश्चात् इनके पुत्र राजा रूद्र सिंह गद्दी पर आसीन हुए लेकिन इन्होनें अपनी राजधानी मठिला में न बनाकर बक्सर में बनायी। मुगलशासन औरंगजेब द्वारा 1683 ई0 में रूद्र सिंह को राजा की उपाधि और मनसब द्वारा सम्मानित किया गया।

राजा रूद्र सिंह ने अपने राज्याधिकार क्षेत्र में बावन बीघे में बाग लगाने की प्रथा शुरू की थी। इनके द्वारा अपने राज्य का चहुंमुखी विकास किया गया और कृषि–संस्कृति को अत्यधिक बढ़ावा दिया गया। इसी क्रम में कान्धाता सिंह के पुत्र होरिलशाह ने पूर्वजों की राजधानी रही मठिला का परित्याग कर 1745 ई में होरिल नगर उर्फ डुमरांव में अपनी राजधानी बनायी और यहीं काल डुमरांव–राज की स्थापना का काल माना जाता है। नयी राजधानी के उत्तर की ओर दीवान लक्ष्मी घर के भवन बने तथा किले से थोड़ी दूर पर महाराजकुमार छत्रषाल सिंह के नाम पर छत्रषालगंज बताया गया। किला और छत्रषालगंज के बीच के मैदान में एक बड़ा तालाब खुदवाया गया जो इस समय पुराना तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। राजा होरिलशाह के मरणोपरान्त जब इनके पुत्र छत्रधारी सिंह राज्यारूढ़ हुए तो इनके द्वारा होरिल नगर को नये सिरे से आबाद किया गया और नयी बस्तियां बसायी गयीं। साथ हीं राजा द्वारा राजधानी डुमरांव में हीं बावन बीघा का एक बाग लगवाया गया।

1770 ई0 में छत्रधारी सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में विक्रमाजीत सिंह जब राज्यारूढ़ हुए उस समय दिल्ली की शाही हुकूमत कमजोर पड़ने लगी थी और कम्पनी सरकार आगे बढ़ रही थी। ऐसी कोई केन्द्रीय सत्ता इस समय शक्तिषाली नहीं रह गयी थी जो व्यवस्था स्थापित करती। अंग्रेजी सरकार की ओर से जब 1771 ई0 में जमींदारी का बंदोबस्त होने लगा तब शाहाबाद को हवेली की पूरी सम्पत्ति का पट्टा राजा विक्रमाजीत सिंह के नाम लिख दिया गया। बनारस के महाराजा चेत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1781 ई0 में हुई लड़ाई में राजा विक्रमाजीत सिंह ने कम्पनी सरकार की सहायता की थी जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली थी। दरिया साहब का जन्म शाहाबाद जिले के धरकंध में सन् 1674 ई0 में हुआ था जो हिन्दी निर्गुणवादी संत–कवियों में बहुत ऊँचा स्थान था। इनके द्वारा एक अलग हीं पंथ चलाया गया था जो आगे चलकर ''दरिया–पंथ'' के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दरिया साहब अपने आपको कबीर का अवतार मानते थे। क्योंकि कबीर की तरह हीं वे धर्म–प्रचारक और संत कवि थे। उन्हीं की तरह इनके द्वारा भी मुर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जाति–पांति, कर्म काण्ड आदि की कटु आलोचना और भर्त्सना की जा रही थी। इनके जीवन का मुख्य उद्देष्य था सत्पुरूष या भगवान की भक्ति द्वारा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमर–लोक प्राप्त करना। दरिया साहब के बहुत षिष्य हुए जिसमें हिन्दु–मुसलमान दोनों सम्प्रदायों के लोग शामिल थे। इनके रचे ग्रंथों की संख्या बीस थी। इनमें एक संस्कृत में, एक फारसी में तथा अठारह हिन्दी में हैं। इनके ग्रन्थों का नाम इस प्रकार है– 1. अग्रज्ञान, 2.अमरसार, 3. भक्ति हेतु, 4. ब्रह्मविवेक, 5. दरिया–सागर, 6. गणेष–गोश्ठी, 7. ज्ञानदीपक, 8. ज्ञानमूल, 9. ज्ञानरत्न, 10. ज्ञान–स्वरोदय, 11. काल–चरित्र, 12. मूर्ति–उखाड़, 13. निर्भयज्ञान, 14. प्रेममूल, 15. शब्द या बीजक, 16. सहस्रानी, 17. विवेकसार तथा 18. यज्ञ–समाधि। इन रचनाओं के लिए इनके द्वारा अवधी–भाषा को अपनाया गया है, किन्तु उस पर खड़ी बोली और भोजपुरी का भी विषेष प्रभाव दिखता है। इनमें इन्होंने अपने रागों का भी प्रयोग किया है, जिससे इनके संगीतज्ञ होने का भी अनुमान किया जा सकता है।

डुमरांव महाराजा बहादुर सर राधा प्रसाद सिंह के पूर्वज और महाराजा अमर सिंह के पुत्र थे प्रबलषाह। ये कुछ विषेष पढ़े–लिखे तो नहीं थे किन्तु हिन्दी–कवियों के सत्संग से अच्छी कविता करने लग गये थे। इन्हीं के दरबार में ''दिनेष कवि'' और उदवन्त प्रकाष के रचयिता ''चन्द्रमौलि मिश्र'' भी रहा करते थे। दिनेष कवि पर तो इनकी विषेष कृपा भी रहती थी और उनपर सर्वस्व न्योछावर करने को सदैव प्रस्तुत रहते थे। इनके भीतर हिन्दी के प्रति अटूट प्रेम था। ''बारहमासा'' नामक एक पुस्तक की रचना इनकी

मिली है जो सवैया, दण्डक, छप्पय आदि छन्दों में है। इनका नाम कहीं–कहीं ''प्रबल सिंह'', ''प्रबल'' और ''प्रबलेष'' भी लिखा मिलता है। इनके द्वारा रचित ''बारहमासा'' नामक पुस्तक को दिनेष कवि को ''रसिक–संजीवनी'' के साथ डुमरांव–राज के दीवान राजबहादुर जयप्रकाष लाल ने महाराजा सर राधा प्रसाद सिंह के आज्ञानुसार, प्रकाषित कराकर निःषुल्क वितरण कराया था। रामेष्वर दास जी एक सिद्ध संत कवि थे और इनके यौगिक चमत्कार की अनेक किंवदन्तियां हैं। इनका जन्म शाहाबाद जिले के कवलपट्टी ग्राम में 1718 ई0 में हुआ था। रामेष्वरदास जी आरंभ से हीं भगवद्भक्त थे और तत्कालीन योगियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले संत षिरोमणि ''पूर्णानन्दजी'' के षिष्य थे। एक सिद्ध संत कवि के रूप में भोजपुराधीष के दरबार में इनकी काफी प्रतिष्ठा थी और राजा भी इनके सान्निध्य से धन्य होते थे। इनके द्वारा एक सतसई की रचना की गयी थी जो अब अप्राप्त है। किन्तु कुछ फुटकर रचे पद इनके मिलते हैं जिससे कि बड़े संत और भगवद्–भक्त होने का उनका प्रमाण मिलता है। इनके पद कुछ इस तरह से है–

सरद चन्द आनन्द पूरन बदन इव रघुनाथ। सुक उड़गन सरस कुण्डल स्रवन सुर गरू साथ।।
मोर मुकुतन मनिन भलकत सुभगतन छविछाये। मनहुं रवि ससि सकन्द उडुगन मिलि जमुनि जल आये।।

अखौरी कुंज बिहारी लाल जिनकी कविताओं में कुंजन तथा कुंजनदास उपनाम मिलता है, का जन्म शाहाबाद के कोरी ग्राम में हुआ था। ये षिव के अनन्य भक्त थे और षिवपुराण के आधार पर दोहा–चौपाइयों, सोरठा तथा विविध छंदों में षिवपुराण–रत्न नामक एक वृहत्काय काव्य–ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी जिसके अध्ययन से इस पर रामचरितमानस का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। षिवपुरान–रत्न से इनकी कुछ चौपाइयों को यहां देखा जा सकता है जिसमें षिव–पार्वती की स्तुति की गयी है–

जै जै जग माता पंकज गाता लाजत दामिनि जोती। छवि सुभग विराजै रति मन लाजै भूषण माणिक मोती।।
जै शम्भु प्यारी महिमा तुम्हारी श्रुति मुनि पार न पावे। निषि वासन धावहिं अंत न पावहिं नेति निरंतर गावे।।
तुम शरण पालक सोच घालक दीन बंधु सो नाम है। भक्त रंजन बिपति गंजन सिद्धप्रद सुख धाम है।
प्रभु चरण जब लो न जान हम सपनहुं न सुख उर पायऊ। अब दास कुंजन शरण आये सकल सिद्ध सोहायऊ।।

बक्सर के राजा गोपालषरण सिंह एक प्रसिद्ध विद्वान थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की सुप्रसिद्ध विनय–पत्रिका के टीकाकार उदयप्रकाष सिंह इनके हीं पुत्र थे। पंडित षिवलाल पाठक नामक एक विद्वान की सहायता से गोपालषरण सिंह जी ने रामचरितमानस की टीका लिखि थी जिसका नाम इनके द्वारा मानस–मुक्तावली रखा गया था। भोजपुराधीष प्रबलषाह के पौत्र उदवन्तषाह के दरबार में एक बहुत हीं विद्वान कवि रहते थे जिनका नाम चन्द्रमौलि मिश्र था जो गया के निवासी थे। अपने आश्रयदाता के आदेष पर इनके द्वारा उदवन्त–प्रकाष नामक नायिकामेद संबंधी एक सुन्दर ग्रंथ की रचना 1752 ई0 में की गयी थी जिसमें भोजपुर–राज–वंषावली है साथ कविवंष–वर्णन भी आया है। इनका उपनाम मौलि था जो इनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है। उदवन्त प्रकाष ग्रंथ की चंद पंक्तियां यहां द्रष्टव्य हैं–

बोले मनोहर मोर जहां, अलि कूजै कपोत करै पिक गानन। मौलि कहै जहां आपुहि तौ, पिय कंठ लगै तरूनी तजि मानन। जाति जहां तू न खेद करै, सुख रासि जहां हूं करि चतुरानन।सीत समीर कलिन्दी के तीर, करील के कुंज कदम्ब के कानन।....... ....काम कली सी लली वृषभान की, संग अली के हुती जहां वैसी। आये तहां बनि नंद कुमार, तिन्है लखि मार की ज्योति अनैसी।।मोलि धरे ब्रजमोलि सोमोलि, लवंग की मंजरी मंजुल तैसी। देखत राधिका के मुखपंद, गहि दुति है दिन चंद की तैसी।।

मुगल–काल में शाहाबाद के राज–दरबारों में अनेक कवियों द्वारा अपना स्थान बनाकर वहाँ के राज्यों की साहित्यिक रूप से समृद्ध किया गया है। राज्य कला–संस्कृति से परिपूर्ण हो इसके मद्देनजर राजाओं द्वारा इनकी रचनाओं को समय–समय पर राज–कोश से प्रकाषित कराकर कवियों–कलाकारों का मनोबल बढ़ाते हुए इनका उत्साहवर्द्धन किया गया है। कवियों–लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम राजा के शौर्य–पराक्रम, राज्य की स्थिति, प्राकृतिक–भौगोलिक चित्रण तथा श्रृंगारपरक रचनाओं से राजाओं का बखूबी मनोरंजन किया है। जबकि संत–कवियों द्वारा साकार–निराकार ब्रह्म की उपासना अपनी रचनाओं के जरिये की गयी है तथा इनके द्वारा राजाओं को अपने कर्तव्य निर्वहन का भी बोध कराया जाता रहा है।

सन्दर्भ :

1. तवारीख–ए–उज्जैनिया– मुंषी विनायक प्रसाद कृत, पृ0 35
2. तवारीख–ए–उज्जैनिया– मुंषी विनायक प्रसाद कृत, पृ0 37, 41
3. तवारीख–ए–उज्जैनिया– मुंषी विनायक प्रसाद कृत, पृ0 47
4. तवारीख–ए–उज्जैनिया– मुंषी विनायक प्रसाद कृत, पृ0 40
5. हिन्दी–साहित्य और बिहार (प्रथम खण्ड) आचार्य षिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना पृ0 74, 75, 84, 124, 158
6. संत कवि दरिया– एक अनुषीलन पृ0 181–82
7. साहित्य (त्रैमासिक) बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना पृ0 80–81
8. ''बिहार–दर्पण''– रामदीन सिंह, खड्ग विलास प्रेस, पटना पृ0 197
9. बक्सर– दर्पण, प्रकाषक– दैनिक जागरण कार्यालय, बक्सर– 2006, पृ0 18

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 147-148

सांस्कृतिक नवजागरण का द्विवेदीयुगीन साहित्य पर प्रभाव

डॉ0 साधना जायसवाल*

*न्यू पुलिस लाइन, कल्ली पश्चिम, पी0जी0 आई0 लखनऊ, उ0प्र0

सारांश : खड़ी बोली हिन्दी का उद्भव और विकास राष्ट्रीयता की चरम परिणति है। राष्ट्रीय भावना के जन्म के साथ ही समष्टि चेतना का विकास हुआ। नवयुग में वैचारिकता और सामाजिक चिंतन–मनन की प्रवृत्ति के प्रबल होने के कारण साहित्य–सृष्टि में भी गद्यात्मकता तथा तथ्यात्मकता की बहुलता को प्रतिष्ठा मिली।

मुख्य शब्द : सांस्कृतिक नवजागरण, सामाजिक चेतना, गद्यात्मकता, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक पुनरूत्थान आदि।

''अयोध्या प्रसाद खत्री ने 'खड़ी बोली का पद्य' (1889) शीर्षक एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों मे रचित उस समय की खड़ीबोली–कविताओं का भी संकलन किया, जिससे इस दिशा में कवि की बढ़ती हुई अभिरूचि का प्रमाण मिलता है। कारण स्पष्ट है–खड़ीबोली–गद्य के समानन्तर खड़ीबोली–कविता के विकास की सम्भावनाओं की खोज अनमें से बहुतों को अभीष्ट थी। उदाहरण स्वरूप भारतेन्दु की निम्नलिखित काव्य–पक्तियां देखिए–**श्री राधामाधव युगलचरण रस का अपने को मस्त बना। पी प्याला भर–भरकर कुछ इस मैं का भी देख मजा।''**[1]

मध्यमवर्गीय सामाजिक परिवेश में साहित्य–रचना का जो रूप उभरा उसको सजाने संवारने और मूल्यवान उपकराणों से अलंकृत करने का कार्य द्विवेदी युग के साहित्यकारों ने किया। भारतेन्दु जी की भाति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी भाषा एवं साहित्य निर्माण में अपूर्व कार्य किया।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती पत्रिका' के सम्पादक का पद ग्रहण कर भाषा परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेन्दुयुगीन साहित्यकार, जहाँ भारत–दुर्दशा पर दुःख प्रगट करके रह गया था, वही पर द्विवेदी युगीन कवियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ–साथ देशवासियों को स्वतन्त्रता– प्राप्ति की प्रेरणा भी दी। द्विवेदी–युग में बाबू श्याम सुन्दर दास, पद्म सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, बाल मुकुन्द गुप्त, देवकीनन्दन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी इस युग के प्रमुख गद्य लेखक कहलाये। इन गद्यकारों के अतिरिक्त चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, कामता प्रसाद गुरू, गोपाल राम गहमरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' और श्रीधर पाठक के कृतियों में पुनरूत्थान की चेतना जागृत हुई। राष्ट्रीयता का और अधिक विकास हुआ। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बाली काव्य की मुख्य भाषा बन गयी।'' बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरूत्थान के परिणामस्वरूप राष्ट्रीता द्विवेदी–युग की प्रधान भावधारा थी। अतः तत्कालीन कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही है। इस युग के प्रायः सभी कवियों ने देश भक्ति पूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया तथा स्वतन्त्रता–प्राप्ति के लिए क्रान्ति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। कविवर 'शंकर' ने ''बलिदान–गान' में कहा था। **देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा।**[2]

ऐतिहासिक नारियो के त्याग एवं प्रेम से बंधे उदात्त चरित्रों की रूपान्तरित कर कवियों ने नारी–जागरण की चेतना का बल दिया। सीता, सावित्री, पद्मिनी के पौराणिक एवं ऐतिहासिक उदात्त चरित्रों के माध्यम से कवियों ने युग जीवन की नैतिकता, आत्मबल एवं कर्त्तव्य–भावना की ओर सचेत किया।

भारतेन्दु–काल से खड़ी बोली और ब्रज भाषा का जो विवाद–चल आ रहा था, वो अब समाप्त हो चुका था। जिस प्रकार यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात जड़ यान्त्रिकता से प्रकृति–जीवन की ओर लौटने का संदेश रूसों, रस्किन एवं टालस्टाय ने दिया था, उसी प्रकार द्विवेदी युग के कवियों पर पड़ने लगा था। श्रीधर पाठक ने हिन्दी और ब्रजभाषा दोनों में स्वतन्त्र ढंग से प्रकृति–चित्रण का श्रीगणेश किया। पं0 करूणापति त्रिपाठी ने लिखा है–''प्रकृति की गोचर, इन्द्रिय–साक्ष्य सुषमा को मानव प्रेम के आलम्बन रूप में हिन्दी कवि उपेक्षित करता आ रहा था। पाठक जी ने अपनी रचनाओं द्वारा यह संकेत दिया कि अनंत और चिर–सुन्दर प्रकृति में मानव–हदय को आकृष्ट करने की अगाध शक्ति है। कवि का भावुक–हृदय यदि उससे दूर है तो वह काव्य के एक प्रमुख और आवश्यक वर्ण्य–विषय का तिरस्कार करता है।''[3] रामायण, महाभारत और शकुन्तला के अनुवादों में भी राष्ट्रीय चेतना का स्पर्श था।

समय का रूख देखकर कुछ ऐसे कवि आलोच्य काल से पूर्व ब्रजभाषा में अच्छी रचना कर चुके थे अब खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। सत्यनारायण कविरत्न के भ्रमरगीत में राष्ट्र में चल रहे सांस्कृतिक नवोत्थान एवं सुधारात्मक आन्दोलन की विचार भूमि का स्पष्ट प्रभाव है। जिसमें भारत की दयनीय सामाजिक व्यवस्था का सफल–चित्रण हुआ। कृष्णा जब द्वारिका में हैं, और यशोदा पुत्र वियोग से दुखी हैं उन्हें दुःख है वे पढ़ी–लिखी नहीं। अशिक्षित होने के कारण पत्र भी नहीं लिख सकतीं और संदेशवाहक का भी अभाव है। वहाँ पर अपनी माता एवं पिता को कोसती है जिनके कारण वे अशिक्षित रह गयी और नारी–शिक्षा को घातक बनाने वाले पुराणपतियों को बुरा–भला कहती हैं। उन्होंने भँवरे से संदेश के पूरे युग की करूण कहानी है और उसमें व्यक्ति के दुःख से अधिक महत्व जातीय व्यथा को दिया गया है। भ्रमर गीत के ग्वाल–बाल भारतीय जनता के प्रतीक हैं जिनमें स्वतन्त्रता, समानता तथा भातृत्व के भावों का अभाव है। और इस अभाव को दूर करने वाला कोई दिखाई पड़ता। यशोदा अपने संदेश में सांकेतिक ढंग से देश की हृदय–विदारक निष्क्रिय मनोवृति का विश्लेषण करती हुई कहती हैं– ''अब तो आशा और विश्वास भी साथ छोड़ रहे हैं, **'लखियत कोउ रीति न भली, नहि पूरब अनुराग'**, अब तो देश ही परेदश बन रहा है और जातीय ज्योति का टिमटिमाता दीपक बाहरी ब्यारि से

बुझना चाहता है, ऐसे में देशीय भेष और भावना की आशा किसे हो। निराशा का साम्राज्य छा रहा है, 'काऊ को विश्वास न निज जातीय उदय में।''[4]

नये युग की माँग थी कि आत्मसंयम मानवतावादी चेतना और आत्म–विसर्जन की क्षमता रखने वाले महत्तम व्यक्तित्व राष्ट्रीय जीवन में आ करके राष्ट्र को आत्ममुक्ति का संदेश दें। ''प्रियप्रवास'' के कृष्ण और राधा अपनी प्रणय आकांक्षा का उत्सर्ग कर जातीय– चेतना के उत्थान के अभिलाषी हैं। सांस्कृतिक नेताओं और राजनीतिक उन्नायकों ने घर–द्वार, स्वजन–मोह और प्रिया की ओर से निष्ठुरतापूर्वक मूँह फेरकर लोक–साधना की थी, इसी क्रम में राधा ने कृष्ण और कृष्ण ने राधा का मोह छोड़कर जगहित में अपने लो लगा दिया। राधा की कल्पना प्रत्येक युग के कवियों ने की। नवोत्थन काल में रीतिकालीन राधा की मूर्ति टूटी और राजनीति की समस्याओं में इतने उलझे कि लौटकर वापस न आ सके लेकिन उनका हृदय ब्रजभूमि में ही रमा रहा। उद्धव के समझाने पर ब्रजवासियों को कृष्ण के बाहर रहने की अनिवार्यता समझ में आ गयी विरह–विदग्ध राधा ने चिर कौमार्य का व्रत धारण कर लोक–सेवा के लिए अपने को अर्पित कर दिया''।[5]

राधा ने अपने प्रेम का त्याग राष्ट्र को अर्पित कर दिया। इस कृति में अलौकिक कृष्ण नहीं बल्कि समाज–संगठन नवयुग के कृष्ण है। बाकासूर, अधासुर आदि राक्षस जिनका वध कृष्ण करते हैं। सिंहधारी राक्षस ने होकर निष्ठुर मानव ही हैं और उन्होंने अपने अत्याचारों से सम्पूर्ण राष्ट्र को पीड़ित किया है। गोवर्धन पर्वत को उगली पर उठाने के कार्य को चूँकि बौद्धिक युग स्वीकृति नहीं दे सकता था। इस लिए कवि ने कहा है–'' गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उगली पर तो नहीं उठाया फिर भी भयंकर वर्षा से बचने के लिए समग्र ब्रज को पर्वत में उपयुक्त स्थान खोज दिया। वर्षा से उन्होंने सबकों बचा लिया। कवि का कहना है कि मानों कृष्ण ने पर्वत को उंगली पर उठा लिया।''[6] इसी प्रकार मध्यकालीन नवधा भक्ति भी देश भक्ति के रूप में वर्णित की गई।

मैथिलीशरण गुप्त पूर्णः रामभक्त कवि थे। उन्होंने 'साकेत' 'यशोधरा' और 'विष्णु प्रिया' आदि काव्य में नवयुग की बदलती हुई सामाजिक चेतना और नए मानव–मूल्यों की परिकल्पना की हैं। भारतीय संस्कृति के उपासक होने के साथ–साथ ने यवीन भारत के राष्ट्रीय कवि भी हैं। इनकी रचनाएं पूर्णतः राष्ट्रीयता से ओत–प्रोत हैं।

सन्दर्भ :

1. डॉ0 नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ0 461
2. डॉ0 नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ0 489
3. पं0 करूणापति त्रिपाठी, आधुनिक हिन्दी काव्य प्रवृत्तिया, पृ0 33
4. डॉ0 केशरीनारायण शुक्ल, आधुनिक काव्य धारा का सास्कृतिक श्रोत, पृ0 104
5. शिवदान सिंह चौहान, हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष, पृ0 73
6. डॉ0 केशरीनारायण शुक्ल, आधुनिक काव्य धारा का सास्कृतिक श्रोत, पृ0 504

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 149-150

प्रसाद जी की गीति योजना

नरेश प्रसाद*

*हिन्दी विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

सारांश : स्वं0 जयशंकर प्रसाद जी का रचना व्यक्तिव मूलतः अनेक विधाओं का संकलित रूप है : साहित्य की अनेकश : विधाओं में से किसी एक के प्रति अपनी एकनिष्ठा को मानदण्ड बनाकर जिन सभी विधाओं के प्रति अपने निर्दोष अनुराग का प्रकट किया है वह साम्प्रतिक परिवेश और अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में एक अद्वितीय उन्मेषकालीन साहित्य की सृष्टि है। अपने अन्तर में निहित रचनाओं में है। इसलिए उनका अपना रचनात्मक दृष्टिकोण उनकी समग्र कृतियों में सम्पूर्णतः सुरक्षित है। निःसन्देह प्रसाद जी का सम्पूर्ण कृतित्व अपने मूलस्वर में रचनात्मक है, तो भी इस समग्रता के विधागत विभाजन पर इनके नाटाकों की उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता तथा काव्यगत प्रच्छन्न बोध अपनी समग्रता में अभिशंसन के लिए इस अद्भुत, सृजनशक्ति का आभारी है। वस्तुतः प्रसाद जी प्रस्तुत विधा में जिस काव्य–सफल वैचारिक संदर्भो की संस्थिति मिलती है वह न केवल असाधारण ज्ञान राशि का वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण है, वरन् सर्वांगीण रूप से भरे पूरे जीवन–दर्शन का सहज प्रतिपादन है। विशुद्ध काव्य की पृष्ठभूमि से अलग हटकर उन्होने रचनात्मकता की साक्षात् स्वीकृति को जिस साम्प्रतिक परिवेश से सम्बद्ध कर दिया है वह अनुभूति की मात्र सद्यः प्रतिक्रिया नहीं है, अपितु उभरती हुई शाश्वत लोकचेतना की राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सार्थकता है।

मुख्य शब्द : रचनात्मकता, उन्मेषकालीन साहित्य, काव्यगत प्रच्छन्न बोध, सर्जनात्मक प्रतिभा आदि ।

प्रसाद जी का सम्पूर्ण नाटकगत परिवेश गंभीर विचारों से उपेत है, फिर भी यह परिवेश अपने अन्तर में उनकी मूल चेतना को सन्निविष्ट किये हुए है। नाटकों मे विन्यस्त गीतों के माध्यम से प्रसादजी ने व्यक्तिगत और राष्ट्रगत चेतना के प्रति जो रागात्मक अनुसन्धान किया है वह भावात्मक और विचारात्मक दोनों परिदर्शो में जीवन के अन्तर और बाह्य मूल्यों का निजी–बोध है। अस्तु, प्रसादजी ने नाटकों के इन ऐतिहासिक सन्दर्भो में जिस काव्यात्मक सुवास को प्रक्षेपित किया है, वह उनकी बहुचर्चित सर्जनात्मक प्रतिभा को अवरसिद्ध नहीं करता वरन् अध्येता को सम्पूर्णतः विन्यस्त कालातीत सौंदर्य की उत्कृष्टता के अवलोकन के लिए भी प्रेरित करता है।

प्रसाद जी के नाटकों में गीतों का समुचित विनियोग हो सका है। उनमें विषयगत सम्पंक्ति के आधार पर विविध विषयों का समाहार हो गया है। मूलतः इसके दो आयाम है–राष्ट्र और व्यक्ति। राष्ट्र से सम्बद्ध भावनाएँ राष्ट्रीयता की सर्जक है, व्यक्ति से सम्बद्ध प्रेम सौंदर्यगत राग भावनाएँ है। फलतः कुछ गीतों में जहाँ राष्ट्रीय उद्बोधनों और चिन्तनाओं का भावात्मक रूपायण हो सका है वहाँ कुछ गीतों में अन्तस्थ राग भावनाओं को मुखर स्वर भी मिल सका है। विंधागत और परिवेशीय स्तर पर इसमें एक ओर तदनुकूल आनंददायिनी सजा मिलती है, दूसरी आरे व्यक्तित्व की मूल चेतना अथवा मनःप्राणों के स्वरित सौंदर्य को कलात्मक संवेदन भी। फलस्वरूप इस सम्पूर्ण कला–संकल्पना में जीवन की मार्मिकता दोनों स्तरों पर प्रतिफलित हो पायी है। प्रतिफलन का यह सम्पूर्ण परिसर, मूल वैचारिक स्तर विचार और भावना–बोध के स्पष्ट और प्रत्यक्ष परिणति साम्य की ओर उन्मुख नहीं। इस पर्याप्त अन्तर का परिणमन अपने समन्वयगत (सजह) प्रयास में यद्यपि 'प्रभाव' की लक्ष्मण रेखा नहीं है, तो भी ये अलग–अलग रचना–निकाय बोधस्तर पर एक दूसरे के सहज आभारी है। यह बिल्कुल अलग सवाल है कि विधा की मूल लक्ष्यभूतता का ही प्राथमिक महत्व है। तथापि, इसका प्रेरक वह समग्र 'प्रभाव' ही है जो अपने सम्पूर्ण परिदर्शों में कोई 'द्वैध' और 'द्वधागत' विभाजन को नही स्वीकारता। इस आधार पर यह स्वीकृत पूर्ण एक के आग्रह का पर्यवसान है जो तद्गत समवेत स्वरूप की उद्भावना का दतर्थ प्रयास है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि प्रसादजी साहित्य और युग दोनों ही स्तरों पर निर्माण– प्रवण रचनाकार थे। युग की अनुभूतियों को भावना–बोध के स्तर पर अधिष्ठापित कर इन्होंने साहित्य में जैसी क्रांति उपस्थित की, वह पारम्परीय जड़ उपलब्धियों से सर्वथा भिन्न शाश्वत प्रतिमान है। प्रसादजी की गंभीर मनीष इनके नाटकों के संदर्भ में भी सर्वव उपलब्ध है। अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का विनियोग जिस ढंग से उन्होने अपने नाटकों में किया है वह मात्र नंदतिक रंजनाओं का आयासलब्ध रूपायण नहीं है वरन् तटसम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति और प्रभावात्मक के लए सर्वथा अपेक्षित है। एक अर्थ में, नाटकों में प्रसादजी की गीत योजना सम्पूर्णतः सोद्देश्य है। नाटकों में रूपायित विचारों और भावनाओं की युगपत स्थिति अपनी परिणति में कलात्मक धरातल की अमोघ स्वीकृति तो है हीः समावेशित अर्थ–गरिमा का पार्श्विक आधार भी । अस्तु, अपनी इस लोचदार स्थिति स्थापकला में स्थूल रूप से परित्राण–परायण भी है और सौंदर्य–भावना की प्रत्यक्ष तुष्टि में सक्षम भी इस तुष्टिगत सन्दर्भ में अध्येता की मनोभूमि अत्यधिक भावुक, अतः अभिव्यक्तिगत अनन्तता की सस्थिति के सर्वथा अनुकूल है। इस सोद्देश्यता के यद्यपि विभिन्नता आयाम है तो भी अपने प्रतिफलन और प्रत्यक्ष उपजीवन के सन्दर्भ में यह तर्कपुष्ट सरणी को ही प्रश्रय देती है। प्रसादजी का यही प्रश्रय उनके गीतों को मानसिक और भाविक परिदृश्यों में ऊर्ध्वता प्रदान करना है तथा पर्यवेक्षण परिधि को मात्र सौंदर्यद्वत्रा भाषा से ही सम्प्रक्त नहीं करना प्रत्युत रचना में तथ्यों क आग्रह को भी उदात उन्मेष प्रदान करता है। इन आधारों पर गीतों की नंदतिक कल्पना अथवा इनका नंदतिक महत्व वैचारिकता के विचक्षण सम्बन्ध से वह सर्वोतम अवदान है। जो अधु–नातन और पुरातन दोनों ही दृष्टियों से ऐतिहासिक और तात्कालिक अधीत तत्वों और अनुभूत समस्याओं की सन्तुलित अभिरूचि निष्चय है। इस दृष्टिकोण से, गीतों की सोद्देश्ता में वे तथ्य भुलाये नही जा सकते जो रंगमंचीय दृष्टिकोण से ध्यातव्य हैं। रंगमंचीय सोद्देश्यता का सीधा सम्बन्ध नाटकीय साफल्य और उसकी प्रभावत्मकता से है। नाटकगत घटनाओं के आगमिष्यत् स्वरूप के लिए वातावरण की जैसी अनुकूलता अपेक्षित होती हैं, ऐसे संदर्भ में

गीतों की तरल भंगिमा प्रेषणीयता का सतत समर्थन करती है। राग भावनाओं की सम्यक् सिद्धि के लिए मुख्य पात्रों के हृदय में जिस प्रकार के उन्नत संवेदनों, अनाहत वेग और नैरन्तर्य की आवश्यकता होती है, तत्सम्बन्धी भावों का संवहान करने वाले ये गीत अपने परिदृश्यों में सर्वथा हितावह है। अस्तु, अभिनेता वातावरण के अनुकूल अभिनय करने के लिए अपने अन्तर में एक प्रकार की भावनात्मक गहराई–सा अनुभूत करता है। अनुभूतिगत इस गहराई का यह अवलम्बन जहाँ एक ओर अभिनेता के चित्र को एकाग्र कर मनःस्थिति को स्पुंजित और संयोजित करने में सक्षम है, वहाँ दर्शको से सम्पृक्त होकर रस–सम्भार अथवा रसास्वादन के लिए भावों के प्लावन द्वार को भी खोल देता है। फलतः दर्शन बिना किसी विशेष प्रयास के नाटकीय भावगत आशुग्राहित्व को प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। अन्तर्भाव स्पर्श की यह आशु क्षमता कोमल प्राण उद्भावनाओं की लक्ष्मण–रेखा में आवद्ध नहीं है अपितु एवं दिध अन्य पृथक भावनाओं को भी तन्मयता प्रदान करती है। प्रायः सभी नाटको में प्रयुक्त गीत इस निकष पर सही परीक्षित होते हैं। 'चन्द्रगुप्त' नाटक का तुम कनक किरण के अन्तराल में लुकछिप चलते हो क्यों ?''– यह गीत अपने वातावरणगत अनुकूलता और सुखद सहयोग में स्पृहणीय है।

सन्दर्भ :

1. आरती और अंगारे (अपने पाठकों) ; डा0 हरिवंश राय 'बच्चन' पृ0 8, राजपाल एण्ड संस दिल्ली– 6, प्रथम सं0 ,मार्च 58
2. आकुल–अंतर (अपने पाठकों से, चौथे संस्करण से) डा0 हरिवंश राय बच्चन, पृ0सं0 10, राजपाल एण्ड संस, पाँचवाँ सं0 फरवरी ' 61
3. त्रिभंगिमा (अपने पाठकों से,) डा0 बच्चन , पृ0 सं0 8 राजपाल एण्ड संस दिल्ली– 6, पहला सं0 फरवरी, 61

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 151-152

हिन्दी भाषा एवं वैश्विक प्रासंगिकता

सुधा कुमारी*
*हिन्दी विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

सारांश : मनुष्य प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है। उसमें चेतना तथा भाव व्यक्त करने की क्षमता होती है। वह अपने चारों ओर की सृष्टि का अनुभव प्राप्त करता है। वह उसे देखता सुनता है और उसका परख कर उसका मंथन करता है। मानव सभ्यता का जैसे–जैसे विकास होता है वैसे ही वैसे यह सृष्टि–प्रसार मनुष्य को अधिकाधिक व्यापक रूप में प्रभावित करता है। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएँ थोड़ी थी और उसका अनुभव भी साधारण था। मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ी और अधिकाधिक जीव–जगत उसके संपर्क तथा साक्षात्कार में आया। इस साक्षात्कार के लिए कोई न कोई भाषा रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है। भाषा से ही व्यक्ति बीज से वृक्ष बनता है अर्थात् व्यक्ति से समाज और फिर राष्ट्र। विश्व के तमाम क्षेत्रों में हिन्दी, अंग्रेजी, जर्मन फ्रेंच, उर्दू, नेपाली आदि जैसे सात हजार से अधिक भाषायें बोली जाती है।

मुख्य शब्द : भावात्मक एकता, व्यवसायिक शिक्षा, उत्पादन श्रम, उच्चतर शिक्षा का पाठ्यक्रम आदि ।

भाषा सम्पूर्ण देश में सांस्कृतिक, आर्थिक और भावात्मक एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस भाषा को हम जन्म से ही सुनते, जानते हैं और जिस परिवेश में रहते है उसी से हम गढ़े जाते है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के भाषा की जनणना 2011 के अनुसार 43.63 आबादी का मातृभाषा हिन्दी है और देश की कुछ आबादी ऐसी भी है। जो हिन्दी भाषा को बोल तो नही पाते मगर समझ लेते है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। अतः हिन्दी आज केवल हिन्दी की जनपदीय भाषाओं के क्षेत्र की भाषा नहीं है। भारत की इतनी बड़ी आबादी हिन्दी से लगाव होने के बावजूद भारतीय शिक्षा नीति में हिन्दी के भाषा रूपी माध्यम के साथ सौतेला व्यवहार अपनाया जाता है। भारत में आज भी उच्चतर शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग मनेंजमेंट एम0बी0बी0 एस0 आदि जैसे शिक्षा का पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इस कारण से हिन्दी माध्यम के छात्रों की इन व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इन उच्चतर शिक्षा का पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में होने के कारण उनके परीक्षाफल पर काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अन्तः में इस परीक्षाफल का दुष्प्रभाव इनका एम0एन0सी0 आदि कम्पनियों द्वारा प्लेसमेंट में देखने को मिलता है। बड़ी कम्पनिया का उत्पादन यूनिट भारत के कई राज्यों में स्थित है। इस यूनिट में श्रमिकों से लेकर मैंनेजमेंट हिन्दी भाषी लोगों के हाथ में होती है। भारत में कम्पनियों को उत्पादन श्रम काफी सस्ती है और इससे उत्पादित वस्तुओं का काफी बड़ा बाजार उपलब्ध है। हम अपनी वस्तु अथवा तकनीक का आर्यात–निर्यात करते हैं, तब उस आयातित–निर्यातित सामग्री के साथ जुड़े उसकी भाषा भी अपने–आप साथ में चली आती है। हिन्दी के इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र के कारण और हिन्दी में नए–नए अधिक प्रयोग विकसित हुए हैं और उसने नए–नए भाषिक प्रयोगों को आत्मसात किया है, इसलिए हिन्दी की आर्थिक संपदा आज बहुत समृतद्ध रूप में है। हिन्दी की पहचान उसके जन्मकाल से ही विविध रूपों के साथ रही है।

हिन्दी के ये अनेक रूप उसकी पृष्ठभूमि में समांतर रहे हैं, इसलिए हिन्दी की पहचान उसके विविध रूपों के साथ ही थी है और रहेगी। अब तक समस्त साामजिक संदर्भों को इकट्ठा करके हिन्दी के उन विविध रूपों को ठीक तरह से सामने नही लाया जा सका है और न हम इस समृद्ध भाषिक संपदा को अभी तक ठीक तरह से संगृहित कर पाए हैं और न उन्हें ठीक तरह से संग्रहित कर पाए हैं और न उन्हें ठीक तरह से परिभाषित ही किया गया है, जिसके दुष्परिणाम भी बहुत हुए। हम यह भी नही जान पाए कि हिन्दी और उनकी जनपदीय भाषाओं के बीच होने वाली कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग व कोड शिफ्टिंग के सामाजिक सदंर्भो की पहचान से किन परिस्थितियों में किन–किन सत्ता का कैसा प्रयोग होता है तथा वे कैसी अपनी स्वतंत्रत पहचान रखते हुए भी एक लंबे अंतराल से हिन्दी की पूरक पहचान बनाये रखे रही और यह पहचान केवल जनपदीय भाषाओं तक सीमिति नहीं रहे, बल्कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ–साथ विदेशी भाषाओं में भी अपनी कुछ विशेषताएँ रखती है। इन विशेषता का प्रमाण हम भारत के अलावा नेपाल, मॉरीशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, सुरीनाम बांग्लादेश, टोबेगो, त्रिनिदाद और पाकिस्तान आदि देशों में देखे जा सकते है। मगर समस्या हम सब हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों में भी है क्योंकि हममें अपनी भाषाओं के प्रति स्वाभिमान निरंतर कम होता जा रहा है। हम अंग्रेजी संरचनाओं के प्रयोग में गौरव महसूस करते हैं, बल्कि उन स्थानों पर भी जिनकी संरचनाएँ हमारी अपनी भाषाओं में उपस्थित हैं। हम प्राचीन भारत की संस्कृत, पालि, प्राकृत अप्रभ्रंश आदि भाषाओं से भी जुड़े नहीं रह पाए और पश्चिम की भाषा को भी हम पूरी तरह आत्मसात कर नहीं पाए। कुल मिलाकर हमारी स्थिति न इधर की रही और न उधर की, बल्कि हमने ऐसी पीढ़ी गढ़ी जो न हमारे पूर्वजों की भाषा ठीक से बोल पा रही है और न अंग्रेजों की ही। इन तमाम परिस्थियों में भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों के अनुरूप नयी शिक्षा नीति की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है और इस बात की भी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि इस शिक्षा में भारतीय भाषाओं और विशेषतः हिन्दी को महत्व मिले।

राजनीतिक स्वार्थों के कारण आज भी हिन्दी भाषा को वह स्थान प्राप्त नही है, जो होना चाहिए। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं एवं हिन्दी का उपयोग पूरी तरह से नही करेंगे, तब तक उनका विकास और राष्ट्रीय गौरव प्राप्त नही हो सकेगा। क्योंकि हिन्दी ही भारत को सामाजिक–राजनीतिक, भौगोलिक और भाषायिक दृष्टि से जोड़ने वाली भाषा है। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में प्रावधान करना समयोचित एवं प्रासंगिक है।

अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के सामाग्रियों को हिन्दी में रूपांतर किया जाय। हिन्दी की समृद्धि से आर्थिक समृद्धि भी जुड़ी है क्योंकि एक बड़ा बाजार हमारे पास है। जनशक्ति और प्राचीन से प्राचीन ज्ञान–स्रोत भी हमारे पास है, पर उनमें हम आज लगभग अनभिज्ञ से हैं, अतः उन्हें जानना होगा और आज की जरूरत के हिसाब से आज की भाषा में अंतराल को भरते हुए उन्हें आज के प्रसंग में उपलब्ध कर हिन्दी की वैश्विकता को बढ़ाना होगा।

सन्दर्भ :

1. विश्व हिन्दी पत्रिका ,मॉरिशस
2. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास
3. डॉ0 श्यामा सुन्दर दास साहित्य लोचन, इंडियन प्रेस पब्लिकेशन,

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 153-154

ग्रामीण समाज पर नगरीकरण का प्रभाव (चनपटिया प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में)

प्रो. डॉ0 अवधेश साह*
*समाजशास्त्र विभाग, एम.एन.एम. महिला महाविद्यालय, बेतिया, प.चम्पारण, बिहार

सारांश : वर्तमान आधुनिक भारत में ग्रामीण समाज का विकास ही पूरे देश का विकास है। महात्मा गाँधी ने कहा था भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और भारत का विकास ग्रामीण समाज के बिना अधूरा है। ग्रामीण समाज को प्रभावित करने की दृष्टि से नगरों का अपना सामाजिक महत्व है। भारतीय समाज को नगरीकरण ने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रुप से प्रभावित किया है। जिस प्रकार एक शांत सरोवर के जल में उथल–पुथल हो जाता है। उसी प्रकार नगरीय पर्यावरण ने ग्रामीण पर्यावरण को भिन्न, दिखावा से परिपूर्ण बनावटी कृत्रिमता से भरपुर और संवेगो से प्रभावित किया है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण समाज, सामुदायिक स्तर, भौगोलिक क्षेत्र, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, चौमुखी विकास आदि।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भौगोलिक क्षेत्र : ग्रामीण समाज पर नगरीकरण के प्रभाव विषय पर हमने एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। जिसका उद्देश्य है ग्रामीण समाज पर नगरीकरण का प्रभाव पड़ा है इसके लिए हमने चनपटिया प्रखण्ड के ग्रामीण इलाको में लोगो से पूछताछ किया। सभी दो सौ उत्तरदाताओं ने हमें मौखिक बतलाया तथा नगरीकरण के प्रभावों को आमने–सामने दिखाया जिसको हमने देखा। अभी वर्तमान सरकार का भी उद्देश्य है जिस तरह महात्मा गाँधी के सपनों का भारत जिसकी आत्मा गाँवों में बसती है। जिसका पूर्ण रुप से चौमुखी विकास होना चाहिए इसलिए नगरों की तरह वर्तमान सरकार ने विकास का अलख जगा दिया है। जैसे गाँवों में प्रत्येक घरो में शौचालयक की व्यवस्था, इंदिरा आवास के तहत प्रत्येक व्यक्ति को घर की सुविधा, नाली की सुविधा, बिजली, सड़क, शिक्षा की सुविधा देने का काम किया है। आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजी–रोटी की तलाश में औद्योगिक नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। विकास के क्षेत्र में इस इलाके का काफी प्रगति हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से नल जल की सुविधा के साथ–साथ मुखिया को गाँवों के विकास के लिए सभी प्रकार के कार्यो को पूरा करना है। 1945 में महात्मा गाँधी ने विनोबा भावे से कहा, देखो विनोबा भारत 7 लाख गाँवों का देश है। भारत को प्रगति की राह पर अग्रसरित करने के लिए गाँवों को आगे बढ़ाना बहुत जरुरी है। इसी बिन्दु पर ग्रामीण समाज का चौमुखी विकास हुआ है क्योंकि इसके उपर नगरीकरण का प्रभाव पड़ा है। जिसका उल्लेख हम विस्तार से नीचे कर रहे हैं।

नगरीकरण ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया है। ग्रामीण लोग शहर की ओर उद्योगोन्मुखी, व्यवसायों, शिक्षा आदि सुविधाओं के लिए आकृष्ट हो रहे हैं। नगरीकरण के कारण आज ग्रामीण जीवन में वास्तविकता आज समाप्त हो गया है। नगरीकरण ने ग्रामीण जीवन पर भौतिकतावादी सुविधाए प्रदान की है। जिसके आधार पर आज इस क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे है। आज ग्रामीण समाज में उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व के कारण परिवर्तन दिख रहा है। नगरीकरण ने ग्रामीण समाज के जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया है। वर्तमान समय में लोग लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे है। लैंगिक असमानता में कमी आई है। लड़को की अपेक्षा लड़कियाँ बेहतर प्रदर्शन कर रही है क्योंकि समाज उन्हें अवसर प्रदान कर रहा है। स्वास्थ्य के प्रति लोगो में जागरुकता आई है। शहरों के जैसा ग्रामीण क्षेत्रों मे भी लोग सुबह सड़कों तथा ग्रामीण खेल मैदान में टहलते, दौड़ते और व्यायाम करते नजर आ रहे हैं। सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना बनाई जा रही है।

कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में ग्रामीण समाज का समावेश हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक स्तर की दुकानें मौजूद हैं सभी तरह के सामान की उपलब्धता है। कम्प्यूटर जैसे लैब का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिकता को दर्शाता है। प्रत्येक युवा के हाथ में स्मार्टफोन उनके जीवन शैली को तेजी से परिवर्तित कर रहा है। आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चे ऑनलाईन क्लास स्मार्टफोन के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। इस आधार पर आज ग्रामीण क्षेत्र नगरीय विकास के दौर में कही पीछे नजर नही आ रहा है। कृषि के उपकरणों में नवीनता आई है। आज इस आधुनिक युग में नए एवं आधुनिक ढंग के उपकरणों का ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदगी है। आधुनिक उपकरणों के द्वारा ही अनाजो के उत्पादकता में वृद्धि हो रही है।

ग्रामीण जीवन स्तर में परिवर्तन स्वभाविक है। कहा जाता है कि किसी देश के निवासियों का जीवन स्तर उस देश की राष्ट्रीय आय द्वारा जाना जा सकता है। इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में आय के साधन नगरों की तरह ज्यादा हो रहा है रोजगार हेतु लोग नगरों की तरफ पलायन कर रहें हैं। नगरों के संपर्क के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिकता की कुछ झलक दिख रही है।

प्राचीन समय में ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति शिक्षित नही थें। इसका मुख्य व्यवसाय खेती करना था नौकरी को वे पसन्द नही करते थें। इसके अलावा वे ग्रामीण समुदायों से बाहर जाना भी पसन्द नही करते थे। किन्तु विज्ञान के अविष्कार के कारण आज उनका सम्पर्क विस्तृत हेा गया। इस आधार पर नगरों का विकास पहले हुआ और इसमें ग्रामीणों का जीविका हेतु नगरों में जाना। इसी कारण नगरीकरण का प्रभाव गाँवों पर पड़ा। आज भी शिक्षा का मूल केन्द्र नगर ही है जिसके कारण नगरों की ओर पलायन करना स्वभाविक है। बेहतर शिक्षा की तलाश हेतु आज सभी लोग सजग हो गये है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिक्षित होंगे तो कृषि के नई तकनिक का प्रयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाएगें। लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने ही क्षेत्र में जहाँ विद्यालय की कमी है निजी विद्यालय की स्थापना कर समाज की सेवा कर रहे हैं अब ऐसा हमने देखा। ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई दे रहे सार्थक बदलाव यह शिक्षा के अधिकार कानून के धरातल पर क्रियान्वित होने के

परिणाम है। यही वजह है कि लगभग सभी सरकारी स्कूलों में नामांकन की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रामीण स्कूली शिक्षा में सामाजिक लैंगिक असमानता अब कम होता नजर आ रहा है। पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश हर पंचायत स्तर पर दिख रहा है। शिक्षा के आधार पर बढ़ते रोजगार एवं नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित युवा कामगारों की माँग ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा की है।

आज के संदर्भ में नगरीकरण से प्रभावित ग्रामीण समाज में लोगो को रोजगार हेतु नगरों मे पलायन करना पड़ रहा है वह परिवार से दूर रहकर कारखानों में काम करता है। उसकी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों पर कोई नियंत्रण नही रह पाता। इस तरह नगरों के लगाव के चलते ग्रामीण संयुक्त परिवार जो एक साथ कृषि कार्य करते थें ये परिवार तेजी से टूट रहे हैं।

वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण में अंतर देखने को मिल रहा है। पहले की अपेक्षा अब ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह पर लगभग नियंत्रण लग गया है। सभी लोग शिक्षित होना चाहते हैं तथा खास कर लड़कियों की शिक्षा पर ज्यादा जोर है। वैवाहिक दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है।

विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों का नगर से आर्थिक संबंध भी होता है। इन गाँवो की जनता से नगरों की जनता द्वारा जो संबंध स्थापित होते है वो भी आर्थिक होते है। अतः इन आर्थिक संबंधों के परस्पर प्रभाव रहना स्वभाविक है। नगर की आर्थिक व्यवस्था में मूल लालच, स्वार्थ आदि तत्व पाए जाते हैं। गाँवों के भोले ग्रामीण प्रथम तो इन कारको के शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनमें भी तत्व विकसित हो जाते हैं। वे भी दुध में पानी मिलाना, अशुद्ध घी की बिक्री करना, अनाज मे नकली बीजों का प्रयोग करना कम तौल आदि इन आर्थिक संबंधों के अतिरिक्त गाँवों के भूमिहीन कृषक तथा अन्य ग्रामीण जनता व्यवसाय एवं नौकरी करने हेतु समीप के नगर मे आ जाते हैं। इससे नगर के दिखावटीपन ने अनेको को आकर्षित कर लिया है। वे भी ग्रामीण परिवर्तन के कारण फैशन अधिक परिश्रम कम आदि बातों के आदी हो गये है। इस प्रकार व्यवसायिक एवं आर्थिक दृष्टि से गाँवों एवं नगर के मध्य संबंध स्थापित होने से ग्रामीण जन–जीवन में अनेक आर्थिक परिवर्तन हो गई है। गाँवों एवं नगरों का परस्पर संबंध केवल आर्थिक आधार पर ही नही होता है। इन संबंधों का प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं पड़ता है बल्कि अन्य क्षेत्र भी इन संबंधों से प्रभावित होते है।

ग्रामीण समाज के राजनीतिक जीवन पर भी नगरों का प्रभाव पड़ा है। गाँवों में औपचारिक शक्ति संरचना, नेतृत्व और संगठानात्मक गति का विकास हो गया है। यहाँ के लोग नेतृत्व की अवधारणा से प्रभावित हो गये हैं इस हेतु वे अनेक अच्छे बुरे साधनों का प्रयोग करने लगे है। प्रतियोगिता, स्पर्धा संघर्ष आदि से भी गाँव प्रभावित हो गये हैं। नगरीय राजनीतिक का प्रभाव ग्रामीण जीवन पर भी पड़ा है। पहले गाँव के जमींदार सिर्फ राजनीति का हिस्सा थें अब सर्वसाधारण की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। महिलाओं की राजनीति में पूर्ण रुप से भागीदारी बढ़ी है। महिला सरपंच, मुखिया, प्रमुख जिला प्रमुख पंचायती राज सरपंच के अनेक पदो पर आसिन है। लोगों में अपने क्षेत्र के विकास हेतु राजनेताओं से सामुदायिक स्तर पर चर्चा करना उनके अनुसार राजनीतिक भूमिका को बढ़ावा देना होता है। गाँव और शहर मे आने जाने से ग्रामीण लोग भौतिकवादी हो गये हैं। गाँवों के लोग आधुनिकता के दौर में अंधविश्वास से मुक्त हो रहे हैं।

निष्कर्ष : ग्रामीण समाज पर नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन चनपटिया प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर किया गया, जिसमें पाया गया कि इस दौर में ग्रामीण समाज किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा नही है। आधुनिकता के इस दौर में शिक्षा, सड़क, बिजली इत्यादी मौजूद है। हाँलाकि रोजगार हेतु आज भी ये क्षेत्र नगरीय क्षेत्र पर आश्रित है। इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगो के जीवन स्तर में काफी परिवर्तन आया है। रहन–सहन, खान–पान, स्वच्छता इत्यादि का समुचित ध्यान ग्रामीण इलाको में विकसित हुआ है। ये सारे बदलाव मुख्य रुप से शिक्षा व्यवस्था मे आयी सुधार के वजह से जो कि शिक्षा के आधार पर ही आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि अच्छे दुकान, अच्छे बाजार ये सारी प्रक्रिया संभव हो पाई है। इससे हम साफ–साफ कह सकते है कि नगरीकरण का प्रभाव ग्रामीण समाज पर बेहतरीन तरीके से पड़ा है और इससे लगता है धीरे–धीरे गाँव का रुतबा बदल जाएगा। इस तरह सरकार का ध्यान आकृष्ट होना काफी जरुरी है और ध्यान आकृष्ट हो रहा है तथा गाँव नगरों की तरह आगे बढ़ रहा है।

सन्दर्भ :

1. गुप्ता एवं शर्मा; नगरीय समाजशास्त्र
2. मुखर्जी, रवीन्द्रनाथ ; भारतीय समाज एवं संस्कृति
3. अग्रवाल, जी. के.; ग्रामीण समाजशास्त्र
4. मदन, जी. आर.;
5. सिंह, मनोज कुमार; पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास

Research Discourse *(ISSN 2277-2014)* **:** An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 155-156

चम्पारण सत्याग्रह में कृषकों की भूमिका : एक ऐतिहासिक विष्लेषण

रवि कुमार*
*शोध अध्येता, इतिहास विभाग, बि. आर. ए. बिहार विष्वविद्यालय, मुजफ्फपुर, बिहार

सारांश : बिहार के चम्पारण सत्याग्रह को दो सौ साल पूरे हो गऐ हैं। यह सत्याग्रह किसानों के हक के लिए महत्वपूर्ण था। 1917 ई0 भारतीय राजनीति का ऐसा दौर था जिसने पूरे इतिहास में कृषक आन्दोलनों को एक नया आयाम प्रस्तुत किया। चम्पारण सत्याग्रह जिसमें माहात्मा गांधी को आन्दोलन के लिए एक बड़ा प्लेटफॉम दिया। 1857 से 1916 तक यहाँ किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। अधिक मुनाफा के चलते अंग्रेजो ने गन्ने की खेती कम कर दी। यहाँ जीरात और असामीवार तरीके से नील की खेती कराई जाने लगी । निलहों की दखल में जो जमीन थी, इसमें किसान अपने हल बैल की सहायता से नील की खेती करने थे। यानि यहाँ तीन कठिया प्रणाली लागू थी। इसमें निलहें जब लाहे रैयतों से मजदूरी करा लिया करते थे। और बदले में उन्हे बहूत कम पैसे दिया करते थें।

मुख्य शब्द : चम्पारण सत्याग्रह, अहिंसक, नागरीक प्रतिरोध, ऋगवेद, अर्थषास्त्र आदि।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं अध्ययन क्षेत्र : यह जिला प्राचीन काल से अभी तक ऋषि मुनियों की तपों भूमि रहीं हैं। यह वहीं धरती है। जहाँ भारत के उतराधिकारी लव–कुष का लालन –पालन हुआ था। इस धरती पर अध्योध्या की कुल वधु जगत जननी माँ सीता को आश्रय मिला था। यह महर्षी वाल्मिकी की तपो भूमि अर्थषास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान कौटिल्य तथा महात्मा गॉधी के तपोंभूमि के नाम से जाना जाता हैं।

इस जिला के उत्तर में सटे नेपाल देष तथा हिमालय पर्वत जो धने जंगलों से अच्छादित हैं इसके पूर्व में पूर्वी चम्पारण जिला एवं पष्चिम में उत्तर प्रदेष राज्य का क्षेत्र पड़ता है। यहा नारायणी तथा सीकराहना इत्यादि अनेकों नदियाँ पाई जाती हैं। जिसके जल को पवित्र माना जाता है। इस जिला में राजा नन्द की राजधानी नन्दनगढ़ राजा विराट का राज्य लौरिया, महाराजा हरेन्द्र किषोर की राजधानी बेतिया, सरेयामन जंगल, मिर्चा धान, बासमती धान का सुगन्ध, अत्यधिक गन्ने की खेती, अनेका–अनेक फसलों से अच्छादित यह धरती आज भी प्रसिद्ध हैं। इसे ऋगवेद में चम्पाफूल के जंगल के नाम से जाना जाता हैं। निलहों से मुक्ति के लिए रैयतों में काफीर छटपटाहट थी, तभी पष्चिम चम्पारण के सतवरिया गाँव निवासी पंडित राजकुमार शुक्ल की मेहनत रंग लाई, शुक्ल को हथुआ राज में नौकरी मिली थी, एक दिन शुक्ला जी को डयूटी चीनी मिल के लिए आए गन्ने को बैलगाड़ी से उतरवाने और वजन कराने के लिए लगी, रैयतों के प्रति सहानुभुति दिखाने के कारण एक अंग्रेज मुलाजीम ने एक मोटा गन्ना उसके पेट में धुसेड़ दिया, प्रतिक्रिया में शुक्ल ने उसकी धुनाई कर दी फिर भागकर गाव चले गए।

लेकिन साथ ही शुक्ल जी निलहों के विरूद्ध किसानों को गोलवंद करने में जुट गए। गणेष शंकर निवासी से मिल कर शुक्ल जी ने चम्पारण के कृषकों से संबंधि समस्या को सुनाया। विद्यार्थी ने जनवरी 1915 में प्रताप पत्रिका में चम्पारण में अंधेरा नाम का एक लेख प्रकाषित किया। इसके बाद शुक्ल जी ने गांधी की एक मुलाकात की। उनके आगमन ने न केवल उस इलाके के लिए अहम बदलाव को रेंखांकित किया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी नयी धार दी। यह अहिंसक नागरीक प्रतिरोध के जरिये हिसंक एवं क्रुर ब्रिट्रिस हुकुमत और उसमें शोषण को खुली चुनौती थी। चम्पारण जिले कि किसानों ने खुद को ब्रिट्रिस साम्राज्यवादियों के लिए जवरन नील की खेती करने पर मजबूर पाया। अंग्रेजो के लिए नील बेहद फायदेमंद नगदी फसल बन चुकी थी । जिसका उपयोग डाई बनाने के लिए किया जाता था। इससे किसानों को काफी परेषानियों और पीड़ा से गुजरना पड़ा। महात्मा गॉधी का मकसद बिहार के किसानों की परेषानियों का समाधान कर उन्हे इस दुर्दषा से छुटकारा दिलाना था।

चम्पारण के किसानों पर थोपी गई नील की खेती और अतिरिक्त कर उनकी कमर तोड़ रहें थे। शासन की क्रुरता के आगे विरोध के विकल्प समाप्त हो चुके थे। इंतजार था, तो बस गांधी का चम्पारण में किसानों का शोषण दिन व दिन बढ़ रहा था। ब्रिटिष शासकों ने उन पर तीन कठिया नाम की व्यवस्था थोप दी थी। जिसके तहत उनसे उनके जमीन के 1/3 हिस्से पर जबरन नील की खेती करवाई जाती थी और साथ में कर भी देना होता था। जिसका पालन नहीं करने पर पिटाई, खेती और घर की नीलामी जैसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थें। गांधी ने बेतिया और मोतिहारी में डेरा लगाकर गांवों में जाने की योजना बनाई।

1857 से लेकर 1917 के पूर्व आजादी की लड़ाई में ज्यादा तर अंग्रेजों के विरूद्ध में कृषको का आन्दोलन होता रहा। दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही थी। कारण ये था की गुलामी के कारण कृषि पर विषेष ध्यान अंग्रेजो द्वारा नही दी गई । अगर ध्यान दिया भी गया तो सिर्फ लाभ के लिए जैसे नील खेती, इत्यादी। कृषक बिलकुल उब चुके थे। चम्पारण पहले से ही पिछड़ा था। इस क्षेत्र में अंग्रेजो ने जगह–जगह कोठी बना लिया था। देष की हालत बिल्कुल खराब थी और इधर चम्पारण आग में जल रहा था। जगह–जगह अंग्रेज किसानो पर तीन कटीया नियम चलाकर यहाँ के किसानों से नील की खेती करवाते थे। एक तरफ कृषि उत्पादन नग्नय था तथा दूसरी तरफ किसान खाने बिना मर रहे थे, खेती की सिंचाई और जोताई में कृषक परेषान थे। किसानों को रोज कोड़े का मार खाना पडता था तथा कृषि कर इतना अधिक था कि किसान इसका वहन करने में सक्षम नहीं थे। किसान उब चुके थे। किसानों ने खेती करना छोड़ दिया फिर भी अंग्रेजों का अत्याचार नही थम रहा था। इस स्थिति में 1915 में महात्मा गाँधी अफ्रिका से आन्दोलन करके आये थे, और भारत देष की आजादी की लडाई में सक्रीय भूमिका निभा रहें थे। कोलकत्ता से लेकर लखनऊँ तक कांग्रेस सम्मेलन में जाकर पं0 सतसरिया के पंडित राजकुमार शुक्ल महात्मा गाँधी से मिले और चम्पारण आने का नेवता

दिया, तब तक अनेकों किसानों का जमीन निलाम हो गया था। सर्वप्रथन महात्मा गाँधी 1917 में सबसे पहले चम्पारण आये उस समय पूर्वी – पष्चिमी चम्पारण का बटँवारा नहीं हुआ था। जब वे मोतीहारी पहुँचे तो उनको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे दिन महात्मा गाँधी ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया और उन्होने कहा मैं यहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति को जानने आया हूँ। ऐसा नहीं हैं कि मैं वापस लौट जाऊंगा, या मैं किसी भी तरह की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे हिरासत में लिया गया तो किसी भी तरह का खून–खराबा हो सकता हैं। उसके बाद वहाँ से जब उनकों छोड़ दिया गया तो वे पकड़ी दयाल चले गये। और वहाँ से भितीहरवा चले गये। जहाँ पर एक मठ के सन्यासी ने झोपड़ी बनाने के लिए कुछ जगह दिया यहाँ के किसानों ने अपनी सहायता से आश्रम बनाया और यही से महात्मा गाँधी जी चम्पारण के गाँव–गाँव में धूम कर किसानों को जगाया।

गाँधी जी के मन में था कि गुलाम होने का मुख्य कारण है अषिक्षा जब तक इसको दूर नहीं किया जायेगा, तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। इसके लिए उन्होने बुनियादी विद्यालय की स्थापना की एवं स्वयं सुत कातकर कपड़ा बुनकर स्वालम्बी बनने का पाठ पढ़ाया। इसके लिए चम्पारण के कई किसान जैसे नवमी बाबू, सेख गुलाब, धरनीधर मिश्र। चनपटिया के प्रजापति मिश्र एवं चुहड़ी के विसुन साह, खेदु साह, विषुन पाठक, सुरेन्द्र नाथ सिंह और सिरिसिया के कपील देव राय, चनपटिया के गुलाली प्रसाद, तथा मठिया के बाबू शीतल राय, बैरिया के खेनर राव रायधुरवा के जगन्नाथ राय इत्यादि हजारों किसानों ने इस लडाई में महात्मा गाँधी का सहयोग दिया, जिसके वजह 1939 में भी दुबारा महात्मा गाँधी को चम्पारण में वृन्दावन की धरती पर आना पड़ा था। कृषको के प्रयास एवं गांधी जी की भूमिका से ही चम्पारण में किसानों को नील की खेती से निजात मिला और लोग स्वालम्बी बनने लगे एवं इस जिला की तमाम जनता और कृषिक वर्ग के लोगों की कठिन परिश्रम से 15 अगस्त 1947 को हमारा देष आजाद हुआ।

अध्ययन का उदेष्य–बहुत दिनों से मेरे मन में इस तरह की ललक थी कि मैं अंग्रेजों द्वारा करवाये गये नील की खेती एवं उस समय किसानों की हालत क्या थी। जिसकी जानकारी लेना मैं जरूरी समझ रहा था। इसके लिए मैं इस जिला के कई क्षेत्रों का अध्ययन किया तथा बड़ें बुर्जूगो लोगों का साक्षात्कार किया। लोगों ने बहुत सारी बाते कहीं और विस्तार से बताया की गाँधी जी जब यहाँ आये थे तो यहाँ दहेज, नारी समस्या एवं नारी षिक्षा, वृद्धों की दषा, छुआ–छुत असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, नील की खेती से किसानों हालात में सुधार इत्यादि अनेकानेक समस्याओं के सुधार के लिए योजना बनाई एवं यहाँ के रेयतों को प्रेरित किया। तब जाकर आज हम स्वतंत्र और खुषहाल है।

चम्पारण सत्याग्रह में कृषकों की भूमिका भारतीय राजनीति का एक नया गाथा हैं। जिसने माहत्मा गाँधी को एक नया प्लेफाँम दिया। यहाँ के किसानों जैसे संवंधित समस्या पर गांधी ने 1917 में एक विषाल कृषक आंदोलनकारीयों के जनसमर्थन के आधार पर तैयार किया। गांधी जी ने अपनी संम्पूर्ण अंहिसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। उनकें लिए सत्याग्रह का अर्थ सही प्रकार में अन्याय अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का हिंसा के विरोद्ध प्रयोग करने से था।

सन्दर्भ :

1 डा0 राजेन्द्र प्रसाद; चम्पारण में महात्मा गांधी
2 व्रजकिषोर सिंह; चम्पारण में बापू
3 डां0 राजेन्द्र प्रसाद सत्याग्रह इन चम्पारण
4 रवीन्द्र कुमार शर्मा; कर्मयोंगी राजकुमार
5 डॉ0 इमत्याज अहमद; बिहार एक परिचय
6 गांधी जी राय; भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भातीय संविधान

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 157-158

बाल श्रम का समाज पर प्रभाव

डॉ0 संजीव कुमार*

*समाजषास्त्र विभाग, मगध विष्वविद्यालय बोधगया, बिहार

सारांश : बाल श्रमिकों के सन्र्दभ में 21वीं सदी और विकास की बात पूर्ण रूप से निरर्थक और बेगानी है। अनुस्ट भोजन एवं मानसिक उत्पीड़न के कारण ये अनेक रोगों के षिकार हो जाते है तथा आपस में बुरी आदतों यथा नषा और जुआ आदि का शिकार हो जाते है। इनकी दुनिया में झाको पर इनकी भयावह सच्चाई सामने आती है। बाल श्रम की समस्या के बारे में कहा गया है कि जैसे–जैसे बाल श्रमिकों की आयु बढ़ती है वैसे–वैसे वे केवल अपनी रोजी–रोटी के बारे में ही सोचते रह जाते है और अगर इन्हें अपने बारे में अहसास हो भी जाता है तो मात्र समाज व मजबुरीयों को कोसने से ज्यादा वे कुछ भी नहीं कर पाते ।

मुख्य शब्द : बाल श्रम, सामाजिक संगठन, वैदिक विकास, अनुकुशलश्रम शक्ति, बौद्धिक विकास आदि ।

बाल श्रम दो प्रकार के नागरिको को जन्म देती है। एक ऐसे बाल मजदूर जो बचपन में मजदूरी करके भी जीवन में कुछ बनने की लालसा रखते है और कुछ हद तक अपने लक्ष्य में कामयाब भी हो जाते है। दूसरे वैसे बच्चे जिन्हें सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों समाज के माथे पर कलंक का टीका वनाती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि दुनिया में आज जो हिंसक वातावरण दिखाई दे रहा है। उसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारण बच्चों की दुर्दषा है। भारत में इसके द्वारा अनेक समस्याऐं विकराल रूप धारण कर चुकी है। जो मूलतः निम्नलिखित है।

व्यस्क श्रमिकों के साथ काम करने से उनकी बुरी आदतें बच्चे भी सीख जाते है। विभिन्न अध्ययन से पता चलता है कि इनमें दो आदतें प्रमुख है पहला बीड़ी और सिगरेट पीने की आदत दूसरी जुआ खेलने की आदत। इसके अलावा इनसे अनुचित अमानवीय और अनैतिक कार्य भी कराये जाते है। अमेरिका और यूरोप में 14 वर्ष के उम्र के बच्चों से वेष्यावृति करायी जाती है। इनसे अष्लिल क्रियाए करवाकर ब्लू फिल्में और अषलिल साहित्य तैयार किया जाता है। बालकों को कच्ची उम्र में ही कार्य पर लगाया जता है और उनसे कठोर कार्य करवाया जाता है जबकि उनमें कार्य करने की प्रयाप्त क्षमता नहीं होती है। बचपन से शरीर व मन दोनों ही कोमल होते है तथा कठोर कार्य पर लगा दिये जाने के कारण इनकी कोमलता नष्ट हो जाती है। यह उनके शारीरिक विकास को रोकती है जो उनके व्यक्तित्व के सामान्य विकास में बाधा डालती है।

बाल श्रमिकों से कार्य तो पूर्ण श्रमिक के बराबर लिया जाता है जबकि मजदूरी काफी कम दी जाती है। अधुरी सीलन श्रम विभाग की रिर्सच कहती है कि काम करते–करते इनकी अंगुलियों पर छाले पड़ जाते हैं।

बच्चा दुनिया में कदम रखने के बाद अपने आस–पड़ोस के माहौल से सिखता है। जब बाल श्रमिक की आधारभूत आवष्यकताओं पूरी नहीं होती विवष होकर वह अपनी आर्थिक पूर्ति हेतु अपराध वृति एवं अन्य बुराईयों में संलिप्त होने लगता है। साथ ही सामाजिक संगठन को कमजोर एवं खोखला करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है तथा विकास में बाधक सिद्ध होता है।

भारत में शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता है समाज में उनके प्रतिदया सहानुभूति व सहायता का व्यवहार नहीं किया जाता जिससे बाल श्रमिक हीनभावना से ग्रस्त हो जाते है या कभी–कभी समाज से बगावत कर असामाजिक कार्यो में लिप्त हो जाते है।

बाल श्रमिक षिक्षा एवं प्रषिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते है जो मानसिक एवं वैदिक विकास के लिए परम आवष्यक है। गरीब परिवार के बच्चें अभाव में षिक्षा एवं प्रषिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते, फलस्वरूप बच्चा कुषल श्रमिक नहीं बन पाता है। जिसके कारण सामाजिक या व्यवसाय क्षेत्र में वह प्रगति नहीं कर सकता ।

जब कोई बच्चा काम द्वारा आय प्राप्त करता है तो अन्य बच्चों से अपने को वह श्रेष्ट समझता है तथा वह अपनी प्राप्त आय के खर्च करने निर्णय भी काफी हद तक स्वयं ही लेता है यदि वह अपनी आय भत्ता पिता को देता भी है तो अपने व्यय के लिए कुछ धन पा लेता है। बाल श्रमिक अपने आय को महत्वपूर्ण एवं स्वतंत्र अनुभव करता है। अतः उसकी भाषा में उग्रता एवं व्यवहार में अभद्रता आ जाती है।

यदि बाल श्रमिक अपने माता–पिता के साथ पारम्परिक रोजगार में भी श्रम करता है तो उनकी आय बहुत कम होती है जिसके फलस्वरूप उसके माता–पिता है समुचित ढ़ंग से उसकी देखभाल नही कर पाते हैं प्रायः बच्चे परिवार की आय बढ़ाने के लिए छोटी उम्र मे ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि परिवार की कुल आय का लगभग एक तिहाई अंषदान बालकों द्वारा किया जाता है। यदि ऐसे परिवारों में बच्चों के कार्य से हटा दिया जाये तो भूखे मरने की अवस्था भी आ जाएगा। यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बालश्रम से व्यस्क बेरोगारी दर बढ़ती है तथा अनुकुषलश्रम शक्ति की मजदूरी गिरती है। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि बाल श्रमिकों बने रोजगार से हटा लिया जाए तो 60 प्रतिषत व्यस्कों को रोजगार मिल सकता है। ये आष्चर्य की बात है कि अनेक बाल श्रमिक व्यस्कों की तुलना में किसी कार्य को कुषलता से करते तो है परन्तु उन्हें अधिक काम करके व्यस्कों के बराबर भी परिश्रमिक नहीं मिलता है। बाल श्रमिक पूरी हद तक गतिषीलता को भी प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों द्वारा गृहकार्य में सहयोग देने के कारण परिवार के व्यस्क सदस्य रोजगार हेतु अन्य स्थानों पर जाने को स्वतंत्र होते हैं।

बाल श्रम कभी कभी लाभप्रद भी होता है वच्चों में उदारता बोध अधिक होता है और वह नौकरी पाते ही अपने कार्य के प्रति एकाग्रचित हो जाता है। कच्चा उम्र में निर्दिष्ट कार्य में संलग्न होने के कारण अन्य दिषा की ओर उसका ध्यान नहीं जा पाता तथा उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। बचपन में ही कार्य में संलग्न होने के कारण बच्चों का शारीरिक विकास भी अवरूद्ध हो जाता है इस प्रकार संक्षेप में हम बाल श्रम के द्वारा समाज एवं परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों को देख पाते है।

सन्दर्भ :

1. रिपोर्ट ऑफ द बिहार लेबर इंक्वारी कमिटी।
2. रिपोर्ट ऑफ द रोआल कमिषन आंफ लेबर इन इण्डिया,1931
3. साप्ताहिक धर्मयुग, 20 नवम्बर 1988, पृ0 19
4. सिंहा एवं सिंहा श्रम अर्थषास्त्र 1979 ई0
5. सक्सेना आर0 सो0 श्रम समस्यायें एवं सामाजिक कल्याण, 1965 ई0, पृ0 430.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 159-160

संस्कृत साहित्य में विशेषणों का प्रयोग : रामायण और महाभारत के सन्दर्भ में

डॉ0 पल्लवी पाण्डेय*
*असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत), सर्वोदय किसान पी0जी0 कालेज, कौड़ीराम, गोरखपुर, उ0प्र0

सारांश : विशेषण तुल्यता, उपाधि, लक्षण, आकृति, पर्यायी, सादृश्यता, गुणवत्ता और संख्या सम्बद्ध होते है। सामान्यतया विशेषण व्यावर्तक विधेयक प्रभेदक तथा जाति सांकार्य से युक्त होता है। जिसका काव्यशास्त्र में अधिक महत्व काव्यशास्त्रियों ने माना है। विवेच्य शोध का सम्बन्ध संस्कृत साहित्य के भाषा काव्य से सम्बन्धित है जिसका प्रवर्तन आदि कवि वाल्मीकि के रामायण से है। वाल्मीकि का रामायण भारतीय संस्कृति का एक विषेष कोश है।

मुख्य शब्द : व्याकरण दर्शन, भारतीय संस्कृति, संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र, महाकाव्य आदि।

व्याकरण दर्शन के अनुसार विशेष और विशेषण सामान्य का पूर्णतः विपरीत पद होता है। अपने आधारभूत द्रव्यार्थ के स्वयं वृत्ति करने वाला विशेष ही विशेषण कहलाते है।[1] आनन्त द्रव्यों में रहने के कारण विशेष अनन्त कहलाते है। विशेष और उससे निर्मित विशेषण निरव्यय नित्य और असंख्य है। विशेषण जब किसी सामान्य का उपाधि रूप धारण करता है, तभी वह साव्यय होता है। क्योंकि उसका आश्रय और आलम्बन सामान्य होता है परन्तु जब वह सामान्य से संयुक्त होता है तो उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए विशेषण का रूप धारण कर लेता है। विशेष पदार्थ पद–अर्थ से दो कार्य सम्पन्न होते है। एक तो यह कि वह पदार्थों में परस्पर विभेद का कारण बनता है और दूसरा यह कि एक विशेषण स्वयं अपने को दूसरे विशेषों से भी व्यावृत करता है। सामान्य अनुवृत्ति प्रत्यय का हेतु है और विशेष व्यावृत्ति प्रत्यय का। विशेषण नित्य द्रव्यों में रहता है और नित्य द्रव्य नाम रूपतामक होते हैं नाम रूपतामक सामान्य होते है। जो सामान्य है वे नित्य होते है। विशेषण तुल्यता, उपाधि, लक्षण, आकृति, पर्यायी, सादृश्यता, गुणवत्ता और संख्या सम्बद्ध होते है। सामान्यतया विशेषण व्यावर्तक विधेयक प्रभेदक तथा जाति सांकार्य से युक्त होता है। जिसका काव्यशास्त्र में अधिक महत्व काव्यशास्त्रियों ने माना है। विवेच्य शोध का सम्बन्ध संस्कृत साहित्य के भाषा काव्य से सम्बन्धित है जिसका प्रवर्तन आदि कवि वाल्मीकि के रामायण से है। वाल्मीकि का रामायण भारतीय संस्कृति का एक विषेष कोश है।

जिसमें कवि ने व्यक्ति के जीवन से लेकर समाज के जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन किया है। वाल्मीकि आर्ष परम्परा के कवि हैं जिनके महाकाव्य में आर्ष रौली भी विद्यमान है परन्तु अपने शोध विषय की सीमा में हम वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त कतिपय विशेषणों के प्रयोग की सुदीर्घ कालीन परम्परा का अभिज्ञान करेंगे। वाल्मीकि ने एक ऐसे प्रसंग में विशेषणों का प्रयोग किया है जो सोलह कन्याएं पत्नी के रूप में भरत हो प्रदान की गयी थी। उनके लिए प्रयुक्त विशेषणों का सुन्दर प्रयोग किया गया है– **''सुकुण्डलाः शुभाचाराः भर्याः कन्यास्तु शोडशः। हेमवर्णाः सुनासोरुः शशि–सौम्याननाः स्त्रियः। सर्वाभरणसम्पन्नाः सम्पन्ना कुलजातिभिः।।**[2] उपर्युक्त श्लोक में सकुण्डलाः, शुभाचारा, हेमवर्णाः सौम्यानना, सर्वाभरणसम्पन्नाः आदि विशेषणों का प्रयोग कन्याओं के लिए किया गया है। इसी प्रकार छठवें कांड में लंका विजय के पश्चात विभीषण ने राम से निवेदन किया कि श्रृंगार क्रिया में निपुण कमल नयना स्त्रियाँ उपस्थित है जो आपको विधिपूर्वक स्नान करा देंगी। राम की भुजाओं का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि उत्तम सैरन्ध्रियाँ उबटन लगाते या अलंकार पहनाते समय उनका स्पर्श किया करती थी–**भुजैः परमनारीणामभिभृष्टमनेधा (बाहु)**।[3]

राम चन्दन लगाकर बहुमूल्य शय्याओं पर विश्राम किया करते थे और रूपवती अलंकृत स्त्रियां उनपर पंखा डुलाया करती थी– **''यः सुखेनोपधानेषु शेते चन्दनरूषितः। वीज्यमानो महार्हाभिः स्त्रिभिर्भम सुत्तोत्तमः।।**[4] उन्होंने किष्किंधा कांड में शरदकालीन रात्रि की शोभा का विशेषणों के माध्यम से बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है–**''रात्रिः शशांकोदित्तसौम्यवक्त्रा तारागणोन्मीलितचारूनेत्रा। ज्योत्स्नोशुकप्रावरणा विभाति, नारीव शुक्लांशुकसंवृतांगी।।**[5] वाल्मीकि न केवल बाल प्रकृति के विषद चित्रण में असाधारण पटु है अपितु अन्तः प्रकृति के निरूपण में भी विशेषणों का सुन्दर प्रयोग किया है। कवि ने नगर, ग्राम, आश्रम, उपवन, वन, पर्वत नदी, पम्पासरोवर, सेना, युद्ध, ऋतुवर्णन, चन्द्रोदय आदि के वर्णन में विशेषण के माध्यम से अपूर्व सौन्दर्य उपस्थित किया है। जैसे अयोध्या कांड में चित्रकूट वर्णन, अरण्यकांड में वन, आश्रम, शरद् एवं हेमन्त ऋतु वर्णन किष्किन्धा कान्ड में पम्पासरोवर वर्णन, सुंदर कांड में चन्द्रोदय वर्णन युद्धकांड में सेना और युद्ध का वर्णन विशेष उल्लेखनीय है। विशेषणों के माध्यम से कवि ने चन्द्रोदय का जो मनोरम वर्णन किया है। वह द्रष्टव्य है–**''हंसो यथा रजतपच्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः, वीरो यथा गर्वितकुंजरस्थश्चन्द्रोडपि बभ्राजतथाम्बरस्थ**।[6]

नदी के समीप होने तथा पास के वनों में लकड़ी बहुतायत से मिलने के कारण निषाद स्वभावतः नावें बनाने और खेने में कुशल थे। गुह ने ही राम को एक सुखद नौका में गंगा पार पहुँचाने का प्रबंध किया था– **''अस्य वाहनसुंयुक्तां कर्णग्राहवतीं शुभाम्। सुप्रतारां दृढ़ा तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहार।।**[7] उपर्युक्त श्लोक में कविवर वाल्मीकि 'सुप्रतारां ''दृढ़ा' आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। निषाद राज कोशल राजकुमार के **आत्मसखः सखाः**[8] थे। यहाँ पर सखा के आत्मसखः विशेषण का प्रयोग किया गया है। जटायु महाराजा दशरथ के सखा थे। पंचवटी में जब कभी राम और लक्ष्मण शिकार खेलने चले जाते तब सीता की रखवाली का भार उन्हीं पर आ पड़ता था। रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाने के प्रयत्न में जटायु ने अपने प्राण तक गँवा दिए थे। क्या आश्चर्य है कि राम ने अपने किसी निकट बंधु की भांति उनका दाह–संस्कार किया हो, **ददाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुमिव दुःखितः**।[9] वानरराज बाली एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने साम्राज्यवादी रावण का सफलता से मुकाबला किया। कहते हैं कि बाली ने रावण को अपनी बगल में दबोचकर पशु की भांति चारों समुद्रों तक घुमाया था। **''येनाहं पशुवदगृह्य भ्रमित चतुरोडर्णवान्''**[10] यहॉ रावण के लिए ''पशुवत्'' तथा समुद्र के लिए 'चतुर' संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है। सीता को जैसा कि उन्होंने राम के साथ वन चलने का

आग्रह करते समय कहा था अपने माता–पिता से पत्नी के कर्तव्यों की समुचित शिक्षा मिल चुकी थी। उन्होंने वहीं सदाचार और नियम का पालन कर लिया था तथा सुख–दुःख को समान समझकर हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। राजकुमारियों को राजधर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। युवराज पत्नी होने के नाते सीता राजधर्म की जानकार थी **'आभिज्ञाराजधर्माणाम्'**।[11]

महाभारत में विशेषणों का उल्लेख : कृष्ण द्वैपाचन वेदव्यास भारतीय ज्ञान गंगा (महाभारत) के भगीरथ। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के पश्चात् भी प्यास हमारे आधुनिक ऐतिहासिक तिथिक्रम में आबद्व नहीं किए जा सकते। महाभारत भारतीय राष्ट्र का वह ग्रन्थराष्ट है जिसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सभी पक्ष विशद् रूप में वर्णित हैं। महाभारत ने लिखा है कि महाभारत में जो प्राप्त है वह सभी जगह व्याप्त है जो महाभारत में नही है वह कहीं नहीं है। महाभारत एक प्रकार का ऐसा ग्रन्थ है जो अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण आदि सभी कुछ है। इसीलिए **गोवर्धनाचार्य** ने लिखा है– **''व्यास गिरां निर्यासं सारं विश्वस्थ भारतं वन्दे। भूषण तथैव संज्ञां यदडिक्तां भारती वहति।।** महाभारत के अष्टादश पर्वों में विभिन्न प्रकार के उपाख्यान, इतिहास, पुराण आदि में विभिन्न प्रसंगों का विशद वर्णन किया गया है। महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्वकोष है जिसमें व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि विभिन्न विषयों के साथ–साथ महाकाव्य के लक्षणों से युक्त है। महाभारत का ही अंश 'भगवत्गीता' विश्व प्रसिद्ध है। विवेच्य विषय की दृष्टि से महाभारत में काव्यसौन्दर्य की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के छंदो, अलंकारों, रसों, के साथ ही विभिन्न प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जिनका एक संक्षिप्त सर्वेक्षण अनुवर्ती पंक्तियों में प्रस्तुत है। यथा–शांति पर्व में ब्रह्मा के विशेषण के सम्बन्ध में लिखा है– **''गृत्थं ब्रहम तदिदम् ब्रवीमि। नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंन्चित्।।''**[12] जब महाराजा परीक्षित् शमीक ऋषि के गर्दन में मरे हुए सर्प को डाल दिए थे उस समय उनसे कुपित होकर ऋषि कुमार ने उनको श्राप दिया। जिसमें परीक्षित के लिए सुन्दर विशेषणों का प्रयोग द्रष्टव्य है– **''तं पापमतिसंक्रूद्वस्तक्षकः पन्नगेश्वरः। सप्तरात्रिदितो नेता यमस्य सदनं प्रति।। द्विजानाममंतारं कुरुणामयशस्करम्।।''**[13] (अर्थात् क्रोधित तक्षक सर्प उस पापी द्विजों के अपमान करने वाले कुरुकुल के कलंक रूपी राजा को सात रातों के बीच में यम के घर पहुँचायेगा) उपर्युक्त श्लोक में 'द्विजानामवमंतारं' तथा कुरुणामयशस्करम्' विशेषणों का प्रयोग राजा के लिए हुआ है। अर्जुन को अपने बंधु बांधवों को युद्धभूमि में देखकर मोह उत्पन्न हो गया। जिसे दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वही उपदेश देते हुए श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं– **''भूय एव महाबाहों श्रृणु में परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया।।**[14]

'प्रीयमाणाय' विशेषण का प्रयोग करके भगवान ने यह दिखलाया है कि हे अर्जुन! तुम्हारा मुझमें अतिशय प्रेम है मेरे वचनों को तुम अम्रत्तुल्य समझकर अत्यन्त श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हो। इसीलिए मैं किसी प्रकार संकोच न करके बिना पूछे भी तुम्हारे सामने अपने परम गोपनीय गुण, प्रभाव और तत्व का रहस्य बार–बार खोल रहा हूँ। इसमें तुम्हारा प्रेम ही कारण है। दशम अध्याय में भगवान ने अपने गुण प्रभाव और तत्व का रहस्य समझाने के लिए जो उपदेश दिया है। वही परम वचन है और उसे फिर से सुनने के लिए कह कर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरी भक्ति का तत्व अत्यन्त ही गहन है। अतः उसे बार–बार सुनना परमावश्यक समझकर बड़ी सावधानी के साथ श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए।

सन्दर्भ :

1. प्रशस्त पाद भाष्य– विशेष प्रकरणं– 284
2. वाल्मीकि रामायण– 6 / 125 / 44
3. वाल्मीकि रामायण– 4 / 17 / 49
4. वाल्मीकि रामायण– 2 / 10 / 13
5. वाल्मीकि रामायण– 3 / 52 / 23
6. वाल्मीकि रामायण– 5.5.4
7. वाल्मीकि रामायण– 2 / 52 / 6
8. वाल्मीकि रामायण– 2 / 50 / 33
9. वाल्मीकि रामायण– 3 / 68 / 32
10. वाल्मीकि रामायण– 7 / 34 / 37
11. वाल्मीकि रामायण– 2 / 24 / 4
12. शांतिपर्व– 180 / 15
13. म0 भा0 आ0– 41 / 14
14. म0 भा0 भी0 पर्व– श्रीमादभगवद्गीता–दशमोअध्यायः–1

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 161-162

नोखा प्रखण्ड (रोहतास जिला) के कृषिजन्य उद्योगों की समस्याओं का विश्लेषण

संजीव कुमार*
*शोधार्थी, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

सारांश : नोखा प्रखण्ड के सामाजिक, आर्थिक विकास में कृषिजन्य पदार्थो पर आधारित उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार, प्रदेश के आर्थिक जीवन पर कृषिजन्य पदार्थो पर आधारित उद्योगों का जो अमूल्य प्रभाव पड़ता है, उसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। विश्व के अध्ययन से यह साफ स्पष्ट होता है कि प्रत्येक देश के औद्योगिक विकास में कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योगों का ही सर्वाधिक एवं अग्रण्य भूमिका रही है। कृषिजन्य पदार्थो पर आधारित उद्योग औद्योगिक तैयार माल के लिए बाजार के विस्तारीकरण में अहम् भूमिका अदा करता है। खाद्य पदार्थो की आपूत्ति को पूरा करता है तथा औद्योगिक पदार्थो के विकास में भी वृद्धि करता है।

मुख्य शब्द : औद्योगिक विकास, ग्रामीण औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था, लघु उद्योग आदि।

भारत में अधिकांश उद्योगों की स्थापना वैसे खाली स्थान पर होती है, जहाँ नगरों का विकास हुआ है। क्योंकि इन उद्योगों से कृषि को अप्रर्याप्त सहायता मिल जाती है। इसका संबंध अन्य कार्य प्रदेशों से नगण्य है। ये उद्योग न तो कृषि कार्य को हानि पहुँचाते हैं और न ही कृषि कार्य से इनकी प्रतियोगिता होती है बल्कि ये उद्योग कृषि के विकास में अग्रणी भूमिका का विकास करते है। साथ ही साथ ग्रामीण औद्योगीकरण को गति प्रदान करते है। इस प्रकार कृषि एवं औद्योगिक विकास के प्रादेशिक संतुलन में कृषि पर आधारित उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

नोखा प्रखण्ड के कृषिजन्य उधोगों की समस्याएं:

1. कृषि पर आधारित उद्योगों को सुचारू रूप से चलाना मुख्य रूप से कच्चा माल की पर्याप्त मात्राा में उपलब्धता पर निर्भर करता है, साथ ही साथ उद्योगों द्वारा निर्मित माल की बिक्री हेतु बाजार की आवश्यकता पड़ती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल की सुनिश्चित व्यवस्था आवश्यक है अन्यथा विकास की क्षमता रखते हुए भी उद्योग विकसित नहीं हो पाते हैं। चावल उद्योग को पर्याप्त मात्राा में सालों भर चावल एवं तेल उद्योग को पर्याप्त मात्रा में तेलहन नहीं मिल पाता। अतः कच्चे माल का अभाव का सामना कृषि जन्य उद्योगों को निरंतर करना पड़ता है।
2. कृषि पर आधारित उद्योगों के अन्तर्गत जो भी कारखाने लगाये गये हैं, उनकी प्रमुख समस्या के रूप में कारखानों के कलपुर्जे अधिक पुराने हैं और प्राचीन मॉडल के हैं। फलतः कलपुर्जे ठीक ढंग से कार्य नहीं करते है। इनकी उत्पादन क्षमता भी कम है और जल्दी–जल्दी खराब होती रहती है। इन कलपुर्जो का आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। आधुनिक मशीनों का उपयोग कर पुराने मशीनों का प्रतिस्थापन करने से इन कल–कारखानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इसमें उत्पादन लागत भी कम पड़ेगा। पुराने मशीनों के खराब होते रहने से मील मालिक उबकर इसे बंद कर देने के स्थिति तक में आ जाते हैं। अतः कलपुर्जो के पुराने एवं खराब होते रहना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की काफी असुविधा है, जिसके कारण कच्चे माल की प्राप्ति एवं तैयार माल बाजार भेजने में काफी कठिनाईयाँ होती है। वाहन का भी अभाव है। ग्रामीण सड़के टूटी–फूटी हुई है। इनकी स्थिति काफी दयनीय है। गाँवों में जो भी काम होते हैं ट्रैक्टर या बैलगाड़ी से, अतएव रोहतास जिला में सोन नदी पर बना पुल यातायात का बहुत बड़ा साधन है। जिससे शहरी क्षेत्र लाभान्वित है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें या तो अधूरी है या क्षतिग्रस्त। अतः नोखा प्रखण्ड में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में यातायात की असुविधा भी एक प्रमुख समस्या है।
4. किसी भी फर्म की सफलता उसके प्रबंधन की कुशलता पर निर्भर करता है। कुशल प्रबंधक अपने श्रमिकों, कच्चे माल एवं बाजार पर उचित ध्यान रखता है। उनमें सामांजस्य स्थापित करता है। नोखा प्रखण्ड के कृषि पर आधरित सभी उद्योग गाँव के अकुशल, अप्रतिक्षित प्रबंधक के द्वारा चलाये जाते हैं। फलतः अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। कहीं–कहीं साझेदारी प्रबंधन में उत्तरदायित्व के अभाव में भी उद्योग बीमार होने लगता है। अतः कुशल प्रबंधन के अभाव में भी कृषि पर आधारित उद्योग की समस्या है।
5. नोखा प्रखण्ड के कृषि जन्य पदार्थों पर आधारित उद्योगों के महत्त्वपूर्ण समस्या वित्त का व्यवस्था करना है। बैंक भी शहरी क्षेत्रों में है। पूँजीपति भी शहरों में ही निवास करते हैं। अतः वित्तीय समस्या को लेकर न तो समय पर कच्चे माल की आपूर्ति और न संसाधनों का व्यवस्था हो पाता है। अतः वित्तीय समस्या को लेकर भी हमारे कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इनका प्रभाव श्रमिकों पर भी पड़ता है।
6. नोखा प्रखण्ड के कृषि पर आधरित उद्योगों के समस्याओं में शक्ति के साधन का अभाव एक महत्वपूर्ण समस्या है। शक्ति के साधन के रूप में कोयला, विद्युत–फर्जा, डीजल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इन सभी फर्जाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वथा अभाव है। इनकी व्यवस्था किसी–न–किसी रूप में शहरी क्षेत्रों से करना पड़ता है। शक्ति के साधनों के अभाव में फसलों को भी हानि होती है। साथ ही कृषि जन्य पदार्थों का अवलम्बित उद्योगों का भी। विद्युत आपूर्ति को लेकर कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू, प्याज, फल इत्यादि कभी–कभी काफी मात्राा में बर्बाद हो जाते हैं, जो ग्रामीण किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इनका क्षतिपूर्त्ति संभव नहीं है। कभी–कभी वाहनों के हड़ताल के कारण, डीजल आपूर्त्ति के अभाव में

भी ग्रामीण उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः शक्ति के साधनों का अभाव भी कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों को प्रभावित करता है।

7. कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पादनों जैसे– भूसी, कुंडा, चावल मिल, खल्ली, तेल मिल आदि को कच्चे माल के रूप में व्यवहार कर अन्य उद्योगों का संचालन किया जा सकता है, जबकि नोखा प्रखण्ड में इन उत्पादों को उपयोग न कर, बेकार रूप में निकृष्ट पदार्थो की तरपफ फेंक देते हैं। भूसा, कुंडा, जलावन के रूप में खल्ली, पशुचारा के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। कृषि पर आधरित उद्योगों का विकास कर भूसा एवं कुंडा का कार्ड–बोर्ड और खल्ली से खाद या अन्य उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कर आर्थिक लाभ के अलावा रोजगार के अवसर भी प्रदान होते हैं। अतः उत्पादक की बर्बादी भी कृषि पर आधारित उद्योगों की एक बड़ी समस्या है।
8. नोखा प्रखण्ड में कृषि पर आधारित उद्योगों के प्राप्त वस्तुओं को बड़े मिलों में उत्पादित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। अतः बाजार विस्तृत नहीं हो पाता। इसके बाजार विस्तृत करने के लिए उत्तम कोटि का सामान भी तैयार करना पड़ेगा, तभी विकास संभव है।
9. किसी भी कृषि पर आधारित उद्योगों के स्थापना पर बहुत अधिक लागत आता है। उसके आधारभूत संरचना पर खर्च होता है। उसके रख–रखाव भंडारण, संरक्षण तथा बिक्री पर खर्च आता है। कृषिजन्य पदार्थो से निर्मित वस्तुओं जैसे–फलों का रस, सॉस या अन्य भोज्य पदार्थ जल्द नष्ट होते हैं। अतः इसकी सुरक्षा के लिए रेफ्रीजरेटर की आवश्यकता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रा में उद्योग लगाना काफी खर्चीला है, जो एक महत्त्वपूर्ण समस्या है।
10. नोखा प्रखण्ड में कृषि आधारित उद्योगों की एक बड़ी समस्या यह है कि श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच समन्वय नहीं होगा, तब तक कोई उद्योग विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकेगा। कृषि आधारित उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की उचित मजदूरी एवं नीतियों का सही निर्धारण होनी चाहिए। प्रबंधक का रवैया भी मजदूरों के प्रति अच्छी होनी चाहिए।

निष्कर्ष : कृषि आधारित उद्योग नोखा प्रखण्ड के अर्थव्यवस्था में एक–चौथाई से भी अधिक योगदान देता है तथा साथ में यह भी सत्य है कि कृषि आधारित उद्योग आज भी कई परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। यातायात की समस्या, बिजली की समस्या, कच्ची सड़के ये सभी नोखा प्रखण्ड के उद्योगों के राह में रोड़ा अटकाते हैं। कृषि उद्योगों को अपना माल पहुँचाने के लिए खुद से गाड़ियों का प्रबंध करना पड़ता है, जो कि समय पर कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। यही समस्याएँ संचार एवं विद्युत से भी संबंधित कही जा सकती है। इसके साथ–साथ आर्थिक समस्याएँ भी मुहँ बाए खड़ी है। इन लघु इकाईयों को छः महीना से लेकर एक साल तक माल उधार देना पड़ता है वही कच्चे माल के लिए नकद भुगतान करना पड़ता है। नगरों तथा महानगरों में राज्य वित्त निगम और स्थानीय लघु उद्योग निगमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार सरकार कृषि आधारित उद्योगों के विकास के संदर्भ में विचार–विमर्श कर रही है, मंत्री एवं पदाधिकारियों से मंत्राणाकर और बैठक बुलाकर इसके विकास हेतु प्रावधान तैयार कर रही है। इन उद्योगों के आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूँजीपतियों से विचार–विमर्श कर रही है एवं उन्हें इन दिशाओं में प्रोत्साहित कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक लाख लघु उद्योग लगाने की व्यवस्था की है जिसमें तीन लाख अस्सी हजार ग्रामीण युवकों को रोजगार मिलने की संभावना है। बिहार सरकार भी लघु उद्योग एवं पीपरमेंट उद्योग के विकास में निरंतर प्रयत्नशील है।

सन्दर्भ :

1. पाण्डेय, रविन्द्र कुमार एवं शर्मा, वी.एन.; 2004 ''पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आधरित उद्योगों का विकास स्तर समस्याओं एवं नियोजन'' उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक– 33, सं0 1, उत्तर भारत भूगोल परिषद, गोरखपुर, पृ033.
2. पाठक, गणेश कुमार; ''ग्रामीण विकास : संकल्पना, उद्देश्य एवं सेवा केन्द्र'' उद्योग व्यापर पत्रिका खण्ड– 40, अंक– 10, इंडिया प्रमोशन आग्रेनाइजेशन, नई दिल्ली।
3. सिंह, अशोक कुमार; 2002 ''इंटे सिन्टी ऑपफ पफार्मिग ऑफ सिवान डिसट्रिक्ट'' ज्योग्राफीकल पर्सपेक्टिव, जनरल ऑफ द बिहार एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर, वाल्युम– 3, पृ0 91.
4. सिंह, राज्यपाल एवं सवान संगीत, ;1999 ''ग्रामीण औद्योगीकरण, भोगनीपुर, तहसील, जनपद कानपुर देहात; उ.प्र. का एक प्रतिकात्मक अध्ययन, उत्तर भारत का भूगोल पत्रिका, अंक– 33, सं0 1, उत्तर भारत भूगोल परिषद, गोरखपुर, पृ0 12.

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 163-164

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएँ एवं विकास : बिहार के सन्दर्भ में

कुश कुमार ठाकुर*
*शोधार्थी, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

सारांश : मानव जाति खाद्य–प्रसंस्करण से प्राचीन काल से परिचित हैं। मनुष्य के द्वारा जब सर्वप्रथम अग्नि की खोज की गई, और कच्चे मांस को पकाकर खाना शुरू किया, तभी मनुष्य जाति खाद्य–प्रसंस्करण से परिचित हो गई। इसके पश्चात् विभिन्न सभ्यताओ में अनेक प्रकार से अपरिष्कृत खाद्य–पदार्थ को सुखाकर भूनकर आग में पकाकर नमक और तेल के द्वारा परिरक्षित करने के उदाहरण प्राप्त होते हैं।

मुख्य शब्द : खाद्य–प्रसंस्करण, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि।

भारत जैसे कृषि प्रधान राष्ट्र के लिए खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। भारत विश्व में अनाज उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। विश्व में सबसे अधिक फल और दूध का उत्पादन भारत में ही होता है। साथ ही साथ मांस के उत्पादन में भारत दूसरे पायदान पर है। इन सभी कारणों से भारत में खाद्य–प्रसंस्करण का महत्व यहाँ बढ़ जाता हैं। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर कृषि आधारित अनाज, फल, सब्जी, दुध, शहद, मछली, आदि का उत्पादन किया जाता है, जो कि खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग को बिहार के लिए उपर्युक्त बनाता हैं।

अध्ययन क्षेत्र : बिहार राज्य की कुल क्षेत्रफल 94.163 वर्ग किलोमीटर है। इसका भौगोलिक विस्तार 20^0-20'-11" उ0 से लेकर 27^0-31'-15" उ0 अक्षांश है तथा देशान्तरीय विस्तार 83^0-19'-50" पू0 से लेकर 88^0-17'-40" पु0 देशान्तर है। बिहार एक स्थलरूद्ध राज्य हैं, बिहार समुद्र तल से 173 फीट ऊँचाई पर हैं। इसकी कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 10,38,04,631 व्यक्ति हैं। तथा इसका जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति कि0 मी0 हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, बिहार की भूमि काफी उर्वर है तथा पानी की उपलब्धता भी पूर्ण है। फिर भी बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों मे आता हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण बिहार का औद्योगिक विकास न हो पाना हैं। वर्ष 2000 में बिहार राज्य का बँटबारा होकर एक नया राज्य झारखंड अस्तित्व में आया और सभी खनिज संसाधन तथा कल–कारखाने वहाँ चले गये। विगत दशकों में देश के अन्य राज्यों में खूब औद्योगिकीकरण हुआ, वहीं बिहार इस विकास से अछूता रह गया। वर्तमान में राज्य के द्वारा आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं। जिसके परिणामस्वरूप बिहार राज्य अपने सतत् विकास की ओर अग्रसर हुआ हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के नये अनुमान के अनुसार विगत वर्ष के 9.9 प्रतिशत से बढ़कर की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दोनों ही वर्ष में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दर 7 प्रतिशत रही हैं। इससे सिद्ध होता है कि बिहार राज्य अपने विकास की ओर अग्रसर हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 2017–2018 में बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4,87,628 करोड़ रूपया है। 2017–2018 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 42,242 तथा स्थिर मूल्य पर 31,316 रू0 हैं।

बिहार राज्य के तीव्र आर्थिक विकास में खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सिर्फ जरूरत हैं इस क्षेत्र को आर्थिक ओर प्रशासनिक दृष्टिकोण में प्रोत्साहन देने की, बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के आर्थिक विकास में खाद्य–प्रसंस्करण एक संजीविनी का कार्य कर सकता है।

उद्देश्य : यह शोध पत्र निम्न उद्देश्यों के लिए लिखा गया हैं।

1. बिहार राज्य में खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग के विकास क्षेत्रा की पहचान की जा सकें।
2. खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग के द्वारा बिहार राज्य का आर्थिक विकास संभव किया जा सकें।
3. कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकें।
4. राज्य के अंदर व्याप्त बेरोजगारी और गरीबी को खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर खत्म किया जा सकें।
6. राज्य का सर्वागिण विकास संभव किया जा सकें।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास क्षेत्र : बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के बहुत सारे क्षेत्र विद्यमान हैं, जो कि निम्न हो सकते हैं।

अनाज एवं दाल प्रसस्करण : बिहार अनाज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर धन, मक्का, गेहू, ईख, चना, अरहर, आदि का उत्पादन किया जाता है। बिहार में लगभग 5000 चावल मिल है, जिनमें से सिर्फ 5 प्रतिशत मिलों में ही आधुनिक तरीके से खाद्य–प्रसंस्करण के कार्य को किया जाता हैं। बिहार में चावल मिल की आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, जिससे कि बिहार के चावल का निर्यात अच्छे तरीके से हो सकें। बिहार में मक्का प्रसंस्करण की कोई बड़ी इकाई बिहार में विद्यमान नहीं हैं। मक्का प्रसंस्करण की बहुत सारी संभावनाएँ हैं, इससे संबंधित बहुत सारी उत्पादों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके औद्योगिक ईकाई से प्रसंस्करण के फलस्वरूप इथेनॉल, एल्कोहल और अन्य चीजों की भी प्राप्ति की जा सकती हैं।

दाल उत्पादन के संदर्भ में बिहार की स्थिति संतोषप्रद है बिहार अरहर, चना, मसूर जैसे दालों का मुख्य उत्पादक राज्य है। बिहार में दाल प्रसंस्करण के लिए मिल का होना आवश्यक है, जिससे कि बिहार के उत्पादित दाल का प्रसंस्करण संभव हो सके और यहाँ के किसानों को दाल खेती में अधिक लाभ प्राप्त हो सकें।

बिहार में मुख्य अनाज उत्पादन के जिले

फसल	श्रेणियां	2017–18	
		उत्पादन	उत्पादकता
चावल	विकसित जिले	रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर	भोजपुर, रोहतास, अरवल
	अल्पविकसित जिले	बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर	मधुबनी, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर
गेहूं	विकसित जिले	रोहतास, पूर्व चंपारण, बक्सर	पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा
	अल्पविकसित जिले	मुंगेर, किशनगंज, अरवल	पश्चिम चंपारण, मधुबनी, किशनगंज
मक्का	विकसित जिले	कटिहार, समस्तीपुर, खगड़िया	कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर
	अल्पविकसित जिले	औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास	लखीसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा
दलहन	विकसित जिले	पटना, औरंगाबाद, नालंदा	सारण, वैशाली, पटना
	अल्पविकसित जिले	मुंगेर, शिवहर, गोपालगंज	समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार के आंकड़ों के आधार पर संकलित

बिहार फल एवं सब्जियों का अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, इसलिए बिहार में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाई की बहुत अधिक आवश्यकता हैं। टमाटर एवं आलु से बहुत सारे प्रसंस्करित उत्पाद बनाये जा सकते हैं। बिहार में वर्तमान कुछ प्रसंस्करण इकाई इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। बिहार से पिछले वर्षो में फल के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। फलों में बिहार की शाही लीची और मापदह आम विश्व–प्रसिद्ध है।

आम प्रसंस्करण : बिहार आम उत्पादन में पूरे भारत में चौथा स्थान रखता है यहाँ पर मुख्यतः मापदह, सिफिया, गुलाबक्स, कृष्णभोग, जरदाल, दशहरी इत्यादि प्रकार के आम का उत्पादन होता है। बिहार में वर्ष 2017–2018 का उत्पादन 14.81 लाख टन था। यहाँ पर आम की इतनी मात्रा में पैदावार हाने के कारण यहाँ पर आम से बनने वाले खाद्य उत्पाद की इकाई लगाई जा सकती है, एवं आम से बनने वाले पेय पदार्थ, कैचप इत्यादि का उत्पादन किया जा सकता है, साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज की बेहतर व्यवस्था करके आम के उपयोग अवधि एवं मूल्य को बढ़ाया जा सकता हैं

लीची प्रसंस्करण : बिहार लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी लीची उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, बिहार सम्पूर्ण भारत का लगभग 40 प्रतिशत लीची का उत्पादन करता है, बिहार में लीची प्रसंस्करण इकाई लगाकर एवं समुचित भंडारण की व्यवस्था करके हम बिहार लीची उत्पादन को एक नया आयाम दे सकते हैं। लीची बिहार में मुख्यतः मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली आदि जिलों में पाये जाते है।

दुग्ध प्रसंस्करण : बिहार पशुधन के मामले में काफी समृद्ध राज्य है। यहाँ कुल पशुधन की संख्या 32939 हजार है, तथा दुग्ध उत्पादन 2017–2018 में 92.41 लाख टन रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि बिहार में दुग्ध संबंधित प्रसंस्करण उद्योग की अधिक सम्भावना है। बिहार कॉम्फेड के द्वारा विभिन्न प्रकार के दुग्ध से संबंधित उत्पाद बनाये जाते हैं, साथ ही साथ बेगुसराय में गंगा डेयरी का भी प्रोजेक्ट इस देश में कार्य कर रही हैं।

मांस प्रसंस्करण : बिहार मांस उत्पादन का एक बहुत बड़ा राज्य है, फिर भी बिहार में एक भी अच्छी और बड़ी मांस प्रसंस्करण ईकाई नहीं हैं, यहाँ पर मांस अधिकांश खुले में काटा और बेचा जाता हैं। बिहार में मांस उद्योग को व्यवस्थित और बाजारोउन्मुख करने की आवश्यकता है।

मछली प्रसंस्करण : बिहार में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, खासकर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मधेपुरा आदि जिला इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नदी तालाब, पोखरा टाल एवं चौड़ की उपलब्धता हैं। बिहार में 2017–2018 में कुल मदली उत्पादन 5.87 लाख टन थी।

शहद प्रसंस्करण : बिहार की लीची शहद विश्वप्रसिद्ध है। बिहार में शहद उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु हैं। खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत शहद का उत्पादन एक अहम खेत्रा बन गया हैं, इसे लोग अपने घरेलू स्तर पर भी अपना रहे है, एवं इसका उत्पादन किया जा रहा हैं। इस उद्योग की सफलता के लिए आवश्यक है कि अच्छी गुणवत्ता के मधुमक्खी का उपयोग किया जाए। बिहार में मधुमक्खी पालन मुख्यतः मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना ग्रामीण, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी इत्यादि जिलों में की जाती है।

निष्कर्ष : बिहार जैसे उद्योग विहीन राज्य के लिए खाद्य–प्रसंस्करण एक संजीवनी के समान हैं। बिहार में खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग के लिए सभी आवश्यक चीजे विद्यमान हैं। बिहार में खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न आयामों को लेकर जागरूकता बढ़ी हैं, और इस उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार भी बहुत कार्य कर रही है, जिसके फलस्वरूप बिहार राज्य में अधिक संख्या में अब खाद्य–प्रसंस्करण से जुड़े औद्योगिक ईकाई की स्थापना हो रही हैं। खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग के द्वारा ही बिहार राज्य को गरीबी, बेरोजगारी आदि से बाहर निकाला जा सकता है। बिहार के किसानों की आय को बढ़ाना, बिहारी खाद्य–पदार्थ उत्पादित वस्तु आदि की वैश्विक पहचान खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा संभव हैं।

सन्दर्भ :

1. www.gov.bihar.nic.in
2. www.censusofindia.gov.in
3. बिहारी आर्थिक सर्वेक्षण–2019
4. वार्षिक रिपोर्ट, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार–2019
5. अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय
6. बागवानी विभाग, बिहार सरकार
7. कांम्पफेड बिहार

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 165-166

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए संवैधानिक उपबंध सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम का विश्लेषण भोजपुर जिला के संदर्भ में

स्नेह कीर्ति*
*शोधार्थी, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग,वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

सारांश : भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न जातियों एवं समुदाय का निवास स्थान रहा है। जिसमें से कमजोर एवं वंचित जातियों एवं समुदायों को संवैधनिक शब्दों में अनुसूचित जाति कहते हैं। क्योंकि इसका उल्लेख संविधान की धारा के अंतर्गत किया गया है। देश के प्राचीन हिन्दू धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में वर्ण–व्यवस्था श्रम के आधर पर वर्णित है। फलस्वरूप जातियों की उत्पत्ति हुई। इसके अनुसार हिन्दू धर्म को चार वर्गो में बाँटा गया–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व एवं शूद्र। ब्राह्मण वर्ग को सर्वश्रेष्ठ जाति बताते हुए उसकी उत्पत्ति देवता के मुख से, क्षत्रिय को उनके भुजा से, वैश्य उनके उदर से और शूद्र, देवता के पैर से निर्मित है। शूद्र जाति जो वर्तमान में अनुसूचित जाति है का मुख्य कार्य समाज के उच्च तीनों वर्गो की सेवा करना तथा अन्य निकृष्ट कार्य करता है। जो उस समय भी शोषित एवं वंचित वर्ग था। अनुसूचित जाति शब्दावली अंग्रेजी के शेडयूल्ड कास्ट शब्द का हिन्दी स्थानांतरण रूपातंरण है।
मुख्य शब्द : औपनिवेशिक एवं आधुनिक काल, वर्ण–व्यवस्था, अनुसूचित जाति, हिन्दू वर्ण व्यवस्था आदि।

औपनिवेशिक एवं आधुनिक काल में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 'साइमन कमीशन' ने 1972 ई0 में किया था। उस समय इन व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दलित शब्द का प्रयोग किया जाता था। महात्मा गाँधी ने पूना ऐक्ट के बाद अस्पृश्य एवं वंचित वर्गो को सम्बोधित करने के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया। जिसका अर्थ ईश्वर की संतान है। हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि नरसिंह मेहता द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, संवैधानिक रूप से अस्पृश्य, अछूत जातियों को अनुसूचित जातियाँ कहा गया है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ0 भीमराव अम्बेडकर को अनुसूचित जातियों का मसीहा कहा जाता है। जिनके प्रयास से भारतीय संविधान में ही छुआछूत को अपराध एवं दंडनीय माना गया है। फलस्वरूप केन्द्र एवं राज्य सरकार के राजनैतिक एवं प्रशासकीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया।

अनुसूचित जातियों को संवैधानिक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है–किसी भी प्रदेश या केन्द्र शासित क्षेत्र में राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति किन्ही जातियों, समुदायों को विशिष्ट घोषित कर सकता है और यह प्रदेश संविधान के संदर्भ में अनुसूचित जातियाँ मानी जाएगी। यह विशिष्टकरण हिन्दू वर्ण व्यवस्था, धर्मिक मान्यता, योग्य–अयोग्य, ऊँच–नीच, भेदभाव, शोषण एवं अंतरजातीय संबंधों के आधार पर किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र : भोजपुर जिला बिहार राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। 1972 में तत्कालीन शाहाबाद जिला दो भागों में बाँटा भोजपुर और रोहतास। पुनः 1992 में भोजपुर से विभक्त होकर बक्सर जिला बना। वर्तमान भोजपुर जिला का अक्षांशीय विस्तार $25^{0}10'$ से $25^{0}4'$ उत्तर तक तथा देशान्तरीय विस्तार $83^{0}45'$ से $84^{0}45'$ पूरब तक विस्तृत है जिसका समुन्द्रतल से औसत ऊचाई 192.989 फीट है जिले के उतर दिशा में गंगा नदी तथा पूर्व दिशा में सोन नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। जिले के उत्तर में सारन (छपरा) और उत्तर प्रदेश का बलिया जिला का पूर्वी हिस्सा तथा पश्चिम में बक्सर पूर्व में पटना, जहानाबाद एवं अरवल जिला है तथा दक्षिण में रोहतास जिला स्थित है।

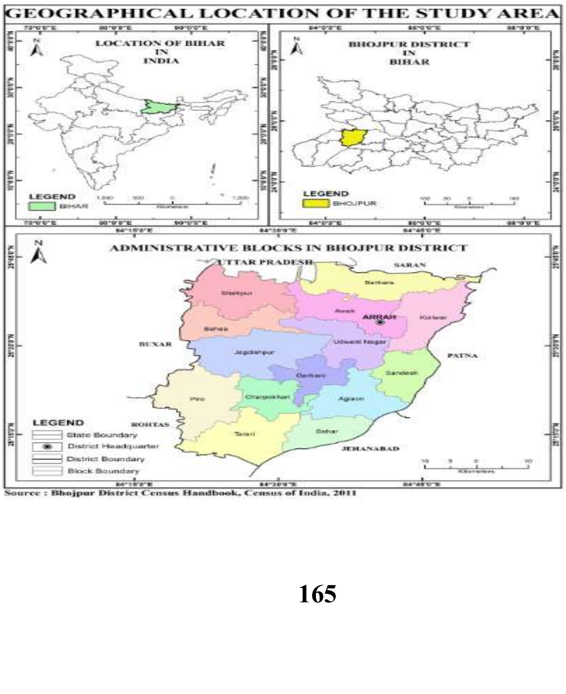

Source : Bhojpur District Census Handbook, Census of India, 2011

भोजपुर जिला का कुल क्षेत्रफल 2395 वर्ग कि0मी0 है तथा कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 2728407 है। जिसमें अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 425402 है। इसमें पुरूष की संख्या 222716 तथा स्त्री की संख्या 202686। जो कुल जनसंख्या का 15.6 प्रतिशत है।

उद्देश्य : मानव प्रकृति की सबसे खुबसूरत रचना है और प्रत्येक रचना स्वयं में अनोखी एवं विशिष्ट है। यह प्रकृति प्रदत्त मानव रूपी संसाधन का बिना भेद–भाव किए समान रूप से विकास करना है। मानव द्वारा कार्य के आधर पर अलग–अलग समुदाय में विभाजन किया गया हैं फलस्वरूप अनुसूचित जातियाँ का समुदाय आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप विकास के मुख्य धारा से वंचित रह गया क्योंकि इनका प्रारंभ से ही शोषण का शिकार किया गया। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में इनकी मुख्य समस्या शोषण गरीबी के विरूद्ध विश्लेषण कर सतत् रूप से विकास के मुख्य धरा में लाने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों के विशेष संवैधानिक उपलब्ध : संविधान के तहत बिहार के अनुसूचित जाति को सामान्य के साथ–साथ विशेष संवैधानिक उपबंध का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद–164 : इसमें राज्य की विधायिका में अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं उनके हित साधक एक मंत्री होगा और उसका एक अलग मंत्रालय होगा। 01 अप्रैल 2007 से बिहार में पूर्ववती कल्याण विभाग से अलग कर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के रूप में स्थापित किया गया है। फलस्वरूप अनु0 जातियों से संबंधित सभी लोगों का समग्र विकास योजना का आसानी से फलीभूत बनाया जा सके।

अनु0–243 : राज्य के स्थानीय पंचायतों के चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। साथ ही 50 प्रतिशत महिला हेतु 50 प्रतिशत सीट सुरक्षित रखा गया है। जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधन है।

बिहार के अनुसूचित जाति हेतु सरकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रम : अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समग्र विकास के लिए पूर्ववर्ती कल्याण विभाग के अलग कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के रूप में स्थापित किया गया है, इसके माध्यम से कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम के आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए चलाये जा रहे है। भारत एवं बिहार के समाज संरचना एवं उसमें व्याप्त जातिगत विभेद एवं असमानता की स्थिति को देखते हुए संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से निर्देश दिया गया कि इसे समाप्त करने की दिशा में कठोर कदम उठाये जाये एवं जो वर्ग सदियों से उपेक्षित एवं शोषित है, उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय दिलाने हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जाये।

निष्कर्ष : अनुसूचति जाति के संदर्भ में उपर्युक्त सभी संवैधनिक उपबंध नीतियाँ एवं कार्यक्रम उनके समग्र विकास के लिए आबंधित है, इस विश्लेषण से ज्ञात होता है। कि ये सभी उपलब्ध निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के सशक्त विकास के लिए है। यह राज्य को सशक्त एवं विकास के लिए आवश्यक है। देश स्वतंत्रा होने के 7 दशक बाद भी वह आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक रूप से कमजोर है। संवैधानिक उपबंध को कठोरता से लागू कर कुछ नये उपबंध करने की आवश्यकता है। इससे संबंधित नीतियाँ और कार्यक्रम में दिए जा रहे सुविधा वर्तमान समयानुकूल नहीं है या फिर काफी कम और सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के ढूलमूल रवैये एवं भ्रष्टाचार के कारण पूर्णतः सफल नहीं हो पाता है। बिहार की अनुसूचित जाति आज भी विकास की मुख्यधारा से काफी दूर है। इनको आर्थिक न्यायिक, शैक्षणिक, रोजगार इत्यादि के मामले में समाज के बौद्धिक वर्ग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्हें भी समानता के साथ न्याय एवं अधिकार मिल सके क्योंकि ये भी हमारे भाई है यह विकास की यात्रा में पिछड़ गए है। अतः बिहार की अनुसूचित जाति के समग्र विकास के लिए सरकार न्याय, अधिकारी एवं बौद्धिक वर्ग के लोगों को संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। तभी डॉ0 अम्बेडकर और गाँधी के सपने पूरे होंगे।

सन्दर्भ :

1. बिहार का भूगोलः– रजनीश कुमार
2. जनसंख्या भूगोल– डॉ0 आर0 सी0 चाँदना
3. अनु0 जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार
4. भारत का संविधन–आचार्य डॉ0 दुर्गा दास बसु
5. भारत की जनगणना प्रतिवेदन वर्ष 2001 एवं 2011
6. भारत के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को वर्त्तमान स्थिति का एक विशेष अध्ययन– कु0 सुनीता राव एवं विनिता मंडल
7. हरिजन एक्ट भारत सरकार
8. अनु0 जाति एवं जनजाति की आर्थिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन–डॉ0 सुनिता जैन
9. दि इंडियन नेशनः– 2 दिसम्बर 1952
10. योजना–प्रकाशन विभाग, भारत सरकार

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 167-168

प्रो0 अस्थाना के नाटकों में शिल्प

डॉ0 आनन्द कुमार*
*पूर्व शोधार्थी, हिन्दी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

सारांश : किसी के नाटकों का शिल्पगत एवं रंगमंचीय महत्व को परखने–जाँचने और जानने–समझने के लिए नाटक के तत्वों, शिल्प एवं रंगमंच के मूलभूत तत्वों एवं रूपों को जानना–पहचानना आवश्यक जान पड़ता है। "भारतीय नाट्य–परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। इसके सूत्र वैदिक वाड्मय में प्राप्त होते हैं। नाटक एक दृश्य–काव्य है। नाटक की उत्पत्ति और उसके अभिनय आदि के विषय में सबसे प्राचीन ग्रन्थ "नाट्यशास्त्र" माना गया है। भारतमुनि के "नाट्यशास्त्र" में बताया गया है कि नाटक की उत्पत्ति त्रेतायुग में हुई थी। देवताओं के असग्रह पर ब्रह्मा जी ने पंचम वेद "नाट्य वेद" की रचना की जो सभी वर्णों के लिए ग्राह्य था रामायण काल और महाभारत काल में भी नाटक निर्माण होता रहा।" हरिवंश पुराण में नाटकों का उल्लेख मिलता है। पुराण काल के बौद्ध काल आता हे। बौद्ध काल में नाट्य कला का प्रचार भारतव्यापी होना विनयपटिक के द्वारा प्रमाणित होता है। व्याकरण काल में भी नाटकों का उल्लेख मिलता है।

मुख्य शब्द : भारतीय नाट्य–परम्परा, नाट्यशास्त्र, नाट्य वेद, अभिज्ञानशाकुन्तलम्', मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम् आदि।

पाणिनी (ईसा से 400 वर्ष पूर्व) के सूत्रों में दो आचार्यों शिलालिन् और कृशाश्व के नाम प्राप्त हुए हैं। 200 ई० पू० जैन कला सूत्रों में दो आचार्य शिलालिन और कुशाश्व के नाम प्राप्त हुए हैं। 200 ई० पू० जैन कला सूत्रों में भी नाटकों का स्पष्ट उल्लेख मिलता हे। महाभारत पंतजलि ने अपने महाभाष्य में कंस वध और इालि वध, दोनों धार्मिक नाटकों का उल्लेख किया है।

डॉ0 गणपति चन्द्र गुप्त किन्दी नाटक : उद्भव और विकास में लिखते हैं– "भारत का बहुत–सा प्रारम्भिक साहित्य अनुपलब्ध है, अतः हमारे प्रारम्भिक नाटक अब भी प्राप्य नहीं है। उपलब्ध नाटकों में सबसे प्राचीन महाकवि भास (प्रथम शती ईसा पूर्व) की रचनाएँ–प्रतिमा, पुचरात्र, स्वप्नवासवदत्ता इत्यादि–है, जिनमें नाट्यकला का विकसित रूप दृष्टिगोचा होता है।" संस्कृत नाटककारों में कालिदास का 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्', "मालविकाग्निमित्र', 'विक्रमोर्वशीयम्' का अपना अलग महत्व है। शुद्रक ने "मृच्छकटिक" की रचना की। महाकवि कालिदास के बाद विशाखदत का नाम आता है। विशाखदत का "मुद्राराक्षस" सात अंकों का राजनीतिक–विषयक है। हर्षवद्धन "प्रियदर्शिक", "रत्नवली" और "नागनन्द" तीन नाट्यकृतियों के रचयिता के रूप में चर्चित है। भवभूति के तीन नाटक उपलब्ध है–(क)"मालतीमाधव", (ख)"महावीरवरित", (ग)"उत्तररामचरित"। राजशेखर विरचित विद्धशाल मंजिल चार अंकों में है। "बाल–रामायण" दस अंकों का नाटक है। "कर्पूमंजरी" भी चार दृश्यों में समाप्त होता है। क्षेमीश्वर का "चाण्डकौशिक" और "नेषधनन्द" नामक नाटक है।"

भारतीय नाट्यशास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को नाटक का मुख्य उद्देश्य माना गया है। रसानुभूति भी एक नाट्य प्रयोजन है। इनके अतिरिक्त आदर्शवादी चेतना भी भारतीय नाट्य का मुख्य उद्देश्य था। किन्तु वर्तमान नाटक जीवन का चित्रण करते हैं, अतः जीवन की समस्याओं की प्रस्तुति और उनकी व्याख्या तथा समाधान नाटकों का उद्देश्य हैं। नाटककार इस उद्देश्य की सिद्धि पात्रों के संवाद, उनके कार्य–कलाप और नाना घटनाओं के द्वारा करता है। प्रायः नाटक में उद्देश्य अभिव्यंजित किया जाता है। कभी–कभी विशिष्ट पात्र के द्वारा वह उद्देश्य को व्यक्त करता है। "नाटक के जिन पात्रों से हमारा भाव–तादात्म्य होता है, नाटककार उन्हीं में बोलता है। इस प्रकार नाटक में नाटककार जीवन की व्याख्या परोक्ष रूप व्यंजित करता है। जितना ही उद्देश्य महान होगा, उतनी ही रचना श्रेष्ठ होगी। जो लेखक जितनी अधिक उदात्त मानवीय संवदेना के रूप में अपना जीवनोद्देश्य प्रकट करता है, वह उतना ही महान कलाकार बनता है उद्देश्य की सिद्धि उदारागों के रस रूप में ही करनी चाहिए, अन्यथा लेखक के उपदेशक या जीवन–व्याख्याता बन जाने का डर रहता है।

संकलन–त्रय–पाश्चात्य नाट्यकला में संकलन–त्रय की पर्याप्त चर्चा है। संकलन–त्रय को कुछ विद्वान् देशकाल–वातावरण में समाहित कर लेते हैं। यूनानी चिन्तकों ने स्थान, समय और घटना की अन्विति का प्रबल आग्रह किया है। स्थान काल और घटना की अन्विति ही संकलन–त्रय कहलाती है। इन तीनों की एकता नाटक में स्वाभाविकता, सजीवता एवं रोचकता को उत्पन्न करने में सहयोगी रही, किन्तु आज का जीवन और परिस्थितियाँ निरन्तर जटिल से जटिलतर हो रही हैं, स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही ही, व्यक्ति अत्यन्त व्यस्त होता जा रहा है। फलस्वरूप इन तीनों अन्वितियों के प्रति आग्रहक्षीण हो रहा है, केवल घटना की अन्विति प्रधान रह गयी है। आज की अनके रचनाओं में स्थान एवं समय की अन्विति का प्रायः अभाव होती है, फिर भी घटना की एकता के कारण रचना अत्यन्त प्रभावशाली होती है।

यूनानी नाटककारों का आग्रह था कि जो घटनाएँ नाटक में प्रस्तुत की जायें वे एक ही स्थान से सम्बद्व हों, इसके लिये प्रायः एक ही दृश्य की योजना थे। यह स्थान या स्थल संकलन कहा जाता था। वास्तक में, यूनानी नाट्यकला की यह अविकसित स्थिति थी, उसमें दृश्य परिवर्तन की व्यवस्था नहीं थी, गर्भांक आदि का प्रदर्शन भी होता था, दूरी और संस्कृत के नाटकों तथा परवर्ती पाश्चात्य नाटक इस नियम से मुक्त थे। स्थान की एकता का आज अभिप्राय यह लिया जाता है कि जो पात्र अभी एक दृश्य में आगरा में दिखया गया है, तुरन्त दूसरे दृश्य में मुम्बई या कोलकाता न दिखया जाय। ऐसा होने पर स्थान और काल का दोष संभावित है, निश्चय ही कुछ ही क्षणों में दूरस्थ स्थान का मुचन अस्वाभाविक एवं आग्रह प्रतीत होता है। भिन्न–भिन्न स्थानों को प्रस्तुत करते समय काल, स्थान और कार्य के औचित्य का घ्यान रखा जाता है और रखा भी जाना चाहिए।

काल–संकलन का आशय यह था कि ''जो कार्य–व्यापार या घटना जितने समय में प्रस्तुतः घटी हो, उसका अभिनय भी उतने ही समय में होना चाहिए।'' प्राचीन यूनानी नाटक दिन–भर या रात–भर चलते थे। अरस्तु के समय में 24 घंटें की सामग्री को रात में प्रस्तुत करने का नियम प्रचलित हुआ। बाद में यह सीमा 30 घंटे तक बढ़ी।

संस्कृत के नाटकों में विशेष सावधानी के साथ इस संकलन का प्रयोग किया जाता था–गर्भांड्कादि का प्रयोग इन्हीं दोषों के निराकरण के लिये था। प्रसाद जी के चन्द्रगुप्त में भी एकसा दोष विद्यमान है। अतः काल के व्यवधान के निराकरण एवं घटना की सफल प्रस्तुति के लिये अत्यन्त सावधानी की अपेक्षा है।

कार्य–संकलन–कार्य (घटना) संकलन का आशय यह है कि नाटक की घटना एक ही हो अर्थात् एक दिन में एक स्थान पर जो कार्य–व्यापार या घटना घटी हो, उसी का एक धारा में प्रदर्शन हो। उसमें प्रासंगिक–अवान्तर घटनाओं का विस्तार एवं भीड़ न हो। वस्तुतः प्रासंगिक घटनाएँ नाटक में रोचकता उत्पन्न करती हैं, प्रमुख पात्र के चरित्र को भी उभारती है, अतः इनका संतुलित प्रयोग होना चाहिए।

आज की नाट्यकला में कार्य–संकलन, कथा–संगठन के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। कथावस्तु में क्रमद्धता, एकता एवं समन्वय नाटक को प्रभावशाली बनाता है और तभी नाटक सफल कहा जाता है। अतः इसका अध्ययन आवश्यक है।

द्वन्द्व योजना–पाश्चात्य नाट्यकला में संघर्ष का प्राधान्य है। यह संघर्ष बाह्य एवं आंतरिक दानों रूपों में होता है। नाटक में घटनाओं का घात–प्रतिघात पारस्परिक विरोध और संघर्ष प्रस्तुत करते हुए कथावस्तु का विकास दिखलाया जाता था। इस संघर्ष या द्वन्द्व योजना के सफल प्रयोग से नाटक में रोचकता, गति और उत्सुकता निरन्तर बनी रहती है। इस संघर्ष से पात्र का चारित्रिक विकास भी गतिशील बना रहता है। पात्र ही विभिन्न मानसिक स्थितियों का चित्रण मानव–मन को समझने में सहयोग देता है। आशय यह है कि बाह्य–द्वन्द्व एवं अर्न्तद्वन्द्व नाटक आज के आवश्यक उपकरण बन गये हैं। आज के हिन्दी नाटकों में द्वन्द्व योजना का सफल प्रयोग देखा जा सकता है।

पाश्चात्य नाट्यकला में कार्य–व्यापार की पाँच स्थितियों का क्रमिक विकास इसी द्वन्द्व पर ही आधृत है। संघर्ष या चरमसीमा (क्राइसिसि, कलाइमेक्स) नाटक का महात्वपूर्ण स्थल है, इसी द्वन्द्व की समाप्ति पर परिणाम उभरता है। आशय यह है कि संघर्ष उत्पन्न करने वाली घटना नाटक में अनिवार्य है। ''इस संघर्ष का चाहे अन्त मे समाधान हो या न हो, पर नाटक में उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। मनुष्य की अनुकरण–प्रवृत्ति तभी नाटक का रूप ग्रहण कर सकती है, जबकि वह कोई मानसिक एवं भौतिक संघर्ष प्रस्तुत करती हो।''

आज हिन्दी नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद है। सबसे पहले तो स्वप्नवासवदत्ता, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, मृच्छकटिकम् और उत्तररामचरित जैसे संस्कृत नाटकों का ढाँचा है जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते है। एक लोकनाटकों का फॉर्म है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। ऊपर वर्णित शिल्प की दृष्टी से प्रो0 अस्थाना के नाटक पूर्व और पश्चिम', रावण तेरे रूप अनेक', 'दूसरी सृष्टि', 'शापग्रस्त', खरीदा हुआ चेहरा', 'नागफनी की डाल', मेरा नाम मथुरा है', 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा' इत्यादी सभी नाटक एवं एकांकी सफल हैं।

सन्दर्भ :

1. रंगमंच और प्रो0 श्याम मोहन अस्थाना के नाटक, भाषा आदि निष्कर्ष, डॉ0 लक्ष्मीकान्त सिन्हा निर्देशित, शोध–प्रबंध, मगध विश्वविद्यालय
2. हिन्दी नाटक : उद्‌भव और विकास, डॉ0 गणपति चन्द्र गुप्त
3. रंगमंच और प्रो0 श्याम, मोहन अस्थाना के नाटक, भाषा आदि निष्कर्ष, डॉ0 लक्ष्मीकान्त सिन्हा निर्देशित, शोध–प्रबंध, मगध विश्वविद्यालय
4. काव्य के रूप एवं विधाएँ, डॉ0 राजकिशोर सिंह
5. काव्य के रूप में विधाएँ, वही
6. काव्य के रूप में विधाएँ, वही
7. अभिव्यक्ति का माध्यम, एन0सी0आर0टी0
8. अभिव्यक्ति का माध्यम, वही
9. संस्कृत–हिन्दी कोश, वामन शिराम आप्टे
10. आखरी रात, अस्थाना जी की पांडुलिपि से साभार
11. आखरी रात, वही
12. निरोग धाम, मासिक पत्रिका, अक्टूबर 09
13. काजल की कोठरी, अस्थानाजी की पांडुलिपि से साभार

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 169-171

सुतपिटक का परिचय

रेणु कुमारी*
*महाबोधि महाविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बेलागंज, बोधगया, बिहार

सारांश : पालि त्रिपिटक सुतपिटक के कारण ही महत्वषाली है। यह बुद्ध के उपदेषों का समागम है। इन्हीं उपदेषों से विष्व में पियूष की धारा प्रवाहित हुई थी, जिसमें एक बार सम्पूर्ण विष्ववासियों को निमग्न होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। इस पिटक के उपदेषों से ही बौद्धधर्म विष्व के विभिन्न देषों में ख्याति को उपलब्ध हो पाया है। इसलिए पालि साहित्य में यह पिटक एक विषिष्ट स्थान ग्रहण करता है।

मुख्य शब्द : सुत्तपिटक, पालि साहित्य, मण्झिमनिकाय, वैदिक साहित्य, वैदिक परम्परा, आदि।

सुतपिटक की विषिष्टता हमें सर्वप्रथम इसके शाब्दिक अर्थों के विष्लेषण की ओर ध्यान आकर्षित करती है। अतः यह प्रष्न उठता है कि 'सुत्तपिटक' शब्द का सही अर्थ क्या है? सुत्त का अर्थ होता है–सूत या धागा और पिटक का अर्थ होता है– पिटारी व टोरी। मण्झिमनिकाय के अनुरूद्ध सुत्त में भी 'पिटक' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है–**मक्खिकांत पिटकेन वा हरीयमानतं।** इसी प्रकार इसी निकाय के ककचूपम सुत्त में 'पिटक' शब्द का अर्थ में प्रयुक्त हुआ है–**'कुद्दालीपटकमादाय'** टादि प्रयोग भी पालि साहित्य में मिलते हैं। मण्झिमनिकाय के बाकी सुत्त4 तथा सन्दक सुत्त4 में 'पिटक सम्प्रदाय' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ 'परम्परा' या 'ग्रंथ–पराम्परा' ही है। इसी प्रकार अंगुत्तरनिकाय के सपुतिय सुत्त के **'मा पिटकसम्प्रदानेनाति'** में ही यही अर्थ निहित है।

आचार्य बुद्धघोष ने अठसालिनी की निदानकथा में पिटक शब्द के दो अर्थों को स्पष्ट करते हुए कहा है–**''पिटकं पिटकत्युविदू परियतिभाजनत्यतो आहु''**। अर्थात् पिटक बुद्ध–वचनों का आधार है, सही अर्थों में इन्हें विभक्त करने वाले हैं और उनकी परियति यानि परम्परा को एक सीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने वाले भी पिटारी शब्द का प्रयोग लिखित ग्रंथों को रखने के लिए ही हो सकता है और बुद्ध–वचन ईसवीं पूर्व प्रथम शताब्दी तक लिपिबद्ध नहीं किया गया था। इसलिए इस समय से पूर्व 'पिटारी' शब्द का प्रयोग सटीक नहीं जान पड़ता है। पूर्वकाल में 'पिटक' शब्द का प्रयोग परम्परा के अर्थ में किया जाता था। जैसे पिटारी व टोकरी में रखकर कोई वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचायी जाती है, उसी प्रकार पहले धार्मिक सम्प्रदाय पुस्तक रूपी पिटारी में अपने विचार और सिद्धांतों को रखकर उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया करते थे। मण्झिमनिकमाय के पंक्तिसुत्त ने वैदिक परम्परा के लिए 'पिटक–सम्प्रदाय' शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। इसी संदर्भ में 'पिटक' शब्द का अर्थ परम्परा या ग्रंथ परम्परा से ही है इसी तरह सुत्तपिटक शब्द का अर्थ है धागे रुपी बुद्ध–वचनों की परम्परा। जिस प्रकार सुत्त के गोले को फेंक देने पर वह खुलता हुआ आगे की ओर चला जाता है, उसी प्रकार सुत्तपिटक को सुत्तपिटक खोल देने के बाद बुद्ध–वचन रूपी विभिन्न धागे प्रकाषित हो सकेगे। अतः सुत्तपिटक को सुत्तटक के नाम से अभिहित करना सही है। संस्कृत बौद्धधर्म के परम्परा के आचार्य असंग चौथी शताब्दी ईसवीं ने अपने ग्रंथ महायान–सुत्रलंकार में 'सूत्र' शब्द की व्युत्पति की चर्चा करते हुए कहा है– **'सूत्नाम् सूत्रम्**। अर्थात् सूचना देने के कारण ही सूत्र 'सूत्र' कहलाता है। असंग की सूत्र–सम्बन्धी यह व्याख्या बुद्धघोष के समान है। अट्ठसालिनी की निदान–कथा में उन्होंने कहा है[3]– **''अत्यानां सूचनातो... सुत्त ति अक्खंत''**। पालि सुत्त का प्रतिस्म संस्कृत मं सूत्र ही है। ऐसे इसे 'सूक्त' भी कहा जा सकता है। परन्तु संस्कृत बौद्ध–ग्रंथों में पालि सुत्तों के प्रतिस्मों को 'सूत्र' ही कहकर पुकारा गया है यथा–महापरिनिर्वाण सूत्र, लंकावतार–सूत्र, सद्धर्मपुण्हरीक सूत्र इत्यादि। वैदिक साहित्य की परम्परा के अनुसार 'सूत्र' शब्द का अर्थ ऐसे स्वल्पाकक्षर कथन से होता है, जिसमें सूत के धागे की तरह महान अर्थ की परम्परा निकलती चली जाए। इस प्रकार के सूत्र–साहित्य का प्रारम्भ वैदिक–साहित्य के विकास के अंतिम युग की घटना है। इस समय विषाल वैदिक वाड्मय को संक्षिप्त रूप प्रदान करने की आवष्यकता दिखाई पड़ी, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक ज्ञान–शाखा पर सूत्र–साहित्य की रचना की गई। धर्म–सूत्र, व्याकरण–सूत्र और मीमांसा सूत्र आदि विषाल सूत्र–साहित्य के उदाहरण है। संस्कृत में 'सूत्र' शब्द की परिभाषा करते हुए कहा गया है–**स्वल्पाक्षरमसंदिग्यं,अस्सोभमनवर्ध व सूत्रं सूत्रविदो विदूः।।**' अर्थात् सूत्रम् पुरूष, उस स्वल्पाचर कथन को, जो असंदिवध, महत्त्वपूर्ण अर्थ का प्रख्यापक, विष्वजनीन उपयोगवाला और विस्तार और व्याकरण को अषुद्धि से रहित हो, सूत्र कहते हैं। इस संदर्भ में पालि का 'सुत्त' सूत्र कभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसका विस्तार ज्यादा हुआ है। पालि के सुत्तों से भी अधिक लम्बा महायानि संस्कृत साहित्य का सूत्र है। पालि के एक ग्रंथ, में उनके लंबे सुत्त हैं और महायनी संस्कृत साहित्य के सूत्र सहस्रों पृष्ठों के ग्रंथ के रूप में है। इस तरह 'सुत्तपिटक' शब्द में अंतर्निहित दो शब्द–सुत्त और पिटक–'सुत्तपिटक' शब्द के अर्थ को सार्थक बना देते है। 'सुत्तपिटकम' शब्द के अर्थ की स्पष्टता के बाद यह जानना आवष्यक है कि इस पिटक की रचना का सही काल क्या रहा।

बुद्ध के जीवन काल में त्रिपिटक साहित्य मौखिक रूप में बुद्ध के शिष्यों के हृदय में उसी रूप में अंकित था, जिस रूप में तथागत बोधि प्राप्ति के उपरान्त पैतालिस वर्षों तक घूम–घूम कर उपदेश दिया था, बुद्ध, अपने शिष्यों को देते थे, उन्हें उसी रूप में स्मृति में रखने का यथा सम्भव प्रयास करते थे। त्रिपिटक में कहा गया है–प्रथम संगीति का कार्य और एतिहासिक पक्ष इतिहासकारों के लिए एक विवाद का विषय है! इनके नाम हैं–मिनयेफ, आल्डनवर्ग, फ्रांके, प्रिलुस्कीदन्त, फाउवाल्नर आदि। इन सबों ने अनेक मत प्रस्तुत किए है। आल्डनवर्ग के अनुसार प्रथम संगीति एक विशुद्ध कल्पना की उपज है। महापरिनिर्वारण सूत्र में संगीति का उद्देश्य और

अवसर वर्णित है, किन्तु संगीति के विषय में कहीं भी चर्चा की गयी है! इसका समर्थन करते हुए फ्रांके ने यह मत प्रस्तुत किया है कि चुल्लवग्ग के संगिति का विवरण करना अनावश्यक था।

राजगृह के प्रथम संगीति का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में उपलब्ध होता है। ये ग्रंथ हैं–1. विनयपिटक–चुल्लवग्ग, 2. दीपवंश, 3. महावंस 4. बुद्धघोष कृत समन्त–पासदिका (विनयपिटक की अट्ठकथा) की निदान–कथा 5. महाबोधिवंश 6. महावस्तु और 7. तिब्बती दुल्वा! इन सभी ग्रंथों में थोड़े बहुत अन्तर के साथ प्रथम संगीति का वर्णन किया गया है। 'चुल्लवग्ग' में सुभद्र को प्रथम संगीति के होने का कारण बतलाया गया है। 'दीपवंश' में इस प्रसंग की चर्चा नहीं की गई है। 'महावंस' में कुछ अन्य कारण दिये गये हैं। अतः स्पष्ट है कि इन ग्रंथों में कोई अंतर नहीं है। इस तरह सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के विषय में भी मतदभेद है। मतभेद होते हुए भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या पाँच सौ थी। इस प्रकार सभी सदस्यों ने मिलकर 'धम्म' और 'विनय' के स्वरूप को निश्चित करने में कितना योगदान दिया, इस विषय पर भी इन ग्रंथों में विभिन्न विचार देखे जाते हैं। 'चुल्लवग्ग' के अनुसार प्रथम संगीति का साराकाम महाकाश्यप, आनन्द और उपालि द्वारा सम्पादित किया गया। 'दीपवंश' के अनुसार इन लोगों के अलावा अन्य भिक्षुओं ने भी काफी योगदान दिया है। उनके नाम इस प्रकार हैं–अनिरूद्ध, वंगीश पूर्ण कात्यायन, कोहित आदि। अतः दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि महाकश्यप, आनन्द और पालि को ही प्रधान होने की बात बतलाई गई है। ''चुल्लवग्ग' का वर्णन ही अधिक प्राचीन है और इसी के आधार पर बौद्ध अनुश्रुति राजगृह की सभा की ऐतिहासिकता में अटूट विश्वास रखती है। ओल्डनवर्ग ने अपना अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि सुभद्र के दुर्व्यर्वहार के कारण, जिसे 'चुल्लवग्ग' में राजगृह की सभा अर्थात् प्रथम संगिति के होने के कारण बतलाया गया है, 'महापरिनिर्वाण सुत्र में उन्हें शब्दों में वर्णित है। दूसरी ओर 'दीपवंश' में प्रथम संगीति का वर्णन किया गया है, लेकिन यह सुभद्र के विषय में मौन है! 'तिब्बतीदुल्वा' का वर्णन भी 'दीपवंश' के सम्मान है। गायगर और विटरनित्ज जैसे विद्वानों ने इसी कारण राजगृह की सभी की ऐतिहासिकता में अपना विश्वास स्पष्ट किया है। विन्टरनित्ज ने एक सुदढ़ तथ्य उपस्थिति करते हुए कहा है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरान्त इतनी जल्दी प्रथम संगीति की सभा का मगध की राजधानी राजगृह में आयोजन किया जाना हमसे कुछ अधिक विश्वास करने की उपेक्षा रखता है। मिनयेफ जैसे विद्वान ने भी हिचकिचाहट भरे शब्दों में कहा है कि बुद्ध–वचनों का संगायन करना ही इस सभा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। अतः यह स्पष्ट है कि सधागत के शरीर परित्याग के बाद उनके पथ पर चलनेवाले भिक्षुओं ने प्रवर्जित होने के समय अधोलिखित तथ्यों को स्वीकार किया था–**बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघ सरणं गच्छामि!** उन लोगों के समक्ष समक्ष इससे पवित्र कर्तव्य क्या हो सकता था कि जल्दी सभी भिक्षुओं एकत्रित होकर बुद्ध की स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उनके द्वारा भिन्न–भिन्न स्थानों में दिये गये उपदेश को संकलित करें। सभी उपासक–उपासिका, भिक्षु–भिक्षुणियों ने बुद्ध के शरीर का दाह संस्कार एक चक्रवर्ती सम्राट की भांति किया और उनकी अस्थियों को बांटकर उनकी आराधना की। तथागत सभी भिक्षुओं के लिए एक उपदेश ही छोड़ दिये गये थे कि मैंने जो धर्म और विनय का उपदेश दिया है, मेरे निर्वाणके बाद वही तुम्हारा शास्ता है। अतः बुद्ध रहित संघ के सामने 'धम्म' की अनुस्मृति करना ही एक मात्र कर्तव्य था। प्रथम संगीति की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने की दिशा में उपर्युक्त तथ्य पर्याप्त है। जिस 'धम्म' की शरण में तथागत ने भिक्षुओं को छोड़ा था, उससे एक मात्र उन भिक्षुओं और अर्हतों का मार्ग–दर्शन होता था, जिन्हें स्वयं बुद्ध का सामीप्य प्राप्त था। लेकिन उन बर्हिमुखी का क्या होता जो तथागत के निकट न थे।

इस विषय परिस्थिति में सभी शोकाकुल भिक्षु यह सोच रहे थे कि शास्त्रा के बाद उनका पथ–प्रदर्शक कौन बनेगा ? इसी बीच सुभद्र नाम का एक भिक्षु प्रसन्न होकर कह उठा कि अच्छा ही हुआ अब उस महाश्रमण से अच्छी तरह हम मुक्त हो गये। वे सदा हमलोगों को यह कहकर पीड़ित किया करते थे–यह तुम्हे विदित है, यह तुम्हे विहित नहीं है। अब जो चाहेंगे करेंगे, जो नहीं चाहेंगे, सो नहीं करेंगे। **अलं आवुसो। मा सोचित्य, मापरिदेविस्थ! समुता मधं तेनमहासमणेन। उपद्दुता च होम। इदं वो कटपति, इदं वोन करपति। इयानि पन मयं, ये इच्छिस्साम सं करिस्सात। यं न इच्छिस्साम तं न करिस्साम।** अतः बौद्ध–संघ की अक्षणुण्ता, पवित्रता को कायम रखने एवं तथागत की स्मृति को चिरस्थायी स्वरूप देने के लिए बुद्ध के प्रमुख शिष्य आर्य महाकाश्यप की अध्यक्षता में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई, जिसमें त्रिपिटिक का संगायन किया गया। ये घटनायें थोड़े परिवर्तन के साथ सभी विनयपिटकों में मिलते हैं। आर्य महाकश्यप की यह उद्घोषणा थी ऐसा कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध–संगीति सप्तपर्णी गुफा के समीप हुए है। 'तिब्बतीदुल्वा' के अनुसार यह संगीतिन्यग्रोथ गुफा के समीप माना गया है। लेकिन 'चुल्लवग्ग की प्रमाणिकता को अप्रामणिकता बताने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि उसके बाते अनेक अभिलेख में चर्चित है। 'महावंस' में लिखा है कि प्रथम संगीत राजगृह के वैभार पर्वत के सप्तपर्णी गुफा द्वार के निकट हुई थी। **सीघं वेभार सेलस्स पस्से कटिसमण्डपं,सप्तपण्णि गुहाद्वारे रम्भं देव समापयं।** लोकोतरवाद का अभिलेख संगीति का स्थान वेभार पर्व के उदोय् प्रांत को बतता है। 'तिब्बतीदुल्वा' के अनुसार यह बताया गया है कि राजगृह को प्रथम संगीति के लिए इसलिए चुना गया कि राजा अजातशत्रु बौद्ध–धर्म का पूर्ण विश्वासी और पोषक था और उसने संगीति के लिए भोजन और निवास का पूर्ण प्रबन्ध किया था। यह संगीति संभवतः बुद्ध परिनिर्वाण के चौथे मास में हुई। बुद्ध का निर्वाण वैशाख पुर्णिमा को हुआ। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास तैयारी में बीत गया। आशा है संगीति सभा की कार्यवाही श्रावण मास में शुरू हुई। एक मान्यता के अनुसार सभा की कार्यवाही बुद्ध परिनिर्वाण के प्रथम मास में शुरू हुई और यह संगीति सात महीनों तक चलती रही जब तक कि संगायन पूर्ण नहीं हुआ––**वस्सं पठमं मासं सब्बतेनासनेसुपि। इस सतेहिमासेकि धम्म संगीति महिता।**

'समन्तपासदिका' में संगीति में हुये कार्यो का विवरण पाते हैं। स्वाभाविक अतिशयोक्ति को मानते हुए भी यह माना जाता है कि महाकाश्यप ने संगीति की रूप–रचना के लिए चार सौ निनान्वे अर्हत् भिक्षुओं का संगायन किया था। यह 'चुल्लवग्ग और 'दीपवंश' में वर्णित, है कि भिक्षुओं की संख्या श्रमण समुदाय द्वारा निश्चित की गई थी। भिक्षुओं के अनुरोध पर महाकाश्यप ने आनन्द को पार्षद बनाया और तब भिक्षुओं की संख्या पाँच सौ हुई। संगीति के कार्यान्वयन के समय आनन्द की परीक्षा की गई। लेकिन 'तिब्बतीदुल्वा' के

अनुसार उसकी परीक्षा संगीति के प्रारंभ होने के पहले की गई थी। 'चुल्लवग्ग' का विवरण ही अतिप्राचीन मालुम पड़ता है जिसका अनुकरण 'महाशासिका' और 'महासांधिक' विनियो ने की। इसके उपरांत आनन्द की बारी आई। सुतपिटक में पाँचो निकायों से संबंधित प्रश्न आनन्द से पुछे गये और उन्होंने उनका यथोचित उत्तर दिया। इस प्रकार आनन्द के द्वारा दिये गये प्रश्नों के उत्तर के परिणामस्वरूप 'सूतपिटक' का संगायन किया गया। संगीति का सम्पूर्ण व्यापार महाकाश्यप, आनन्द और उपाली की देख–रेख में हुआ किन्तु 'दिपवंश के अनुसार' अन्य प्रतिनिधि भिक्षुओं ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया था, जिनमें अनिरूद्ध, वंगीश, पूर्ण कल्याणवन, को हित आदि मुख्य थे। कहा जाता है कि विनय और धम्म की रचना अन्य भिक्षुओं की सहायता के साथ–साथ क्रमशः रूप से उपालि और आनन्द के द्वारा हुई। अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व चार सौ तेरासी में बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद प्रथम संगीति के पांच सौ अर्हत् भिक्षुओं ने धम्म का संगायन किया और इसी संगायन के अंतराल में सुत्तपिटक की रचना आनन्द के द्वारा की गई। इस प्रकार सुत्तपिटक का ख्याल साधारण प्रथम संगीति के काल से पूर्णतः जुड़ा हुआ हैं

'सुत्तपिटक' बुद्ध द्वारा उपदिष्ट उपदेशों का संग्रह है। उनकी यह अमृत वाणी बोद्धि प्राप्ति के उपरांत जनता का पैंतालीस वर्षों तक शामिल करती रही। उनकी यह अमृत वाणी हीं 'सुत्तपिटक' के रूप में आज भी प्रस्तुत है। लेकिन यह पिटक पांच समान्नात ग्रंथो में विभाजित है जो पांच निकायों के नाम से पिटक साहित्य में उद्भाषित हो रहा है। यह पांचो निकाय आकार और प्रकार की दृष्टि से भिन्नता को स्वंय के अंदर समेटे हुए है। पांचवां और अन्तिम निकाय छोटे–छोटे स्वतंत्र ग्रंथों का एक लम्बा समूह है। सभी निकायों का मूल उद्देश्य एक ही है–बुद्ध द्वारा उपदिष्ट उपदेशों का प्रकाशन सिर्फ सुत्तों के आकार और विषय की दृष्टि से कहीं–कहीं अन्तर दिखाई पड़ता है। प्रत्येक निकाय की विषय वस्तु का एक स्पष्ट और संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है– महावग्ग के प्रत्येक सुत्त का प्रारम्भ 'महा' शब्द से होता है। विन्टरनित्ज के अनुसार 'महा' शब्द में क्षेपकों का रहस्य निहित है। सर्वप्रथम इस वग्ग के उपदेश संक्षिप्त आकार के होंगे। बाद में उन्हें बढ़ाकर 'महा' कर दिया गया है।' दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में विचार और मनन करने पर विन्टरनित्ज द्वारा 'महा' शब्द का विश्लेषण निरर्थक प्रतीत होता है। आध्यात्मिक परिवेश में 'महा' शब्द का अर्थ 'महान' ही हो सकता है। निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि संगीतिकारों को सही आर्थ अभिप्रेत था। 'महामोग्गलान' और 'महाकात्यायन' जैसे नामों में यही अर्थ ध्वनित होता है। अतः 'महा' शब्द जुड़ा के आधार पर ऐसे सुत्त जिनके आरम्भ में 'महा' शब्द जुड़ा है, वह मौलिकता से ओत–प्रोत है। पाटिक वग्ग या पाथिक वग्ग का नामकरण ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस वग्ग के सुत्तों का आरम्भ पाथिक सुत्त या पाटिक सुत्त नामक सुत्त से किया गया है।

सन्दर्भ :

1. भिक्षु जगदीश काश्यप : मण्झिमनिकाय, भाग–3, नालन्दा संतकरसा, 1949 ई0 212/2
2. तथाकथित पुस्तक, पृ0 154
3. मण्झिमनिकाय, भाग–2, पृ0 425
4. मण्झिमनिकाय, भाग–2, पृ0 211
5. भिक्षु जगदीश काश्यप : अंगुतरिनकाय, नालंदा संस्करण,1949
6. अठसालिनी, देवनागरी संस्कारण, पुना, 1942, पृ0 21
7. डा0 भरत सिंह उपाध्यायः फालि साहित्य का इतिहास, हिन्दी साहित्य, सम्मेलन, प्रयाग, 1972, पृ0 139
8. तथाकथित पुस्तक,पृ. 139
9. पालि साहित्य का इतिहास, पृ0 139
10. भिक्षु जगदीश काश्यप : उदाम (हिन्दी अनुवाद)महाबोधि सभा, सारनाथ, बुद्धाब्द 2482, पृ0 79
11. विनयपिटक, पृ. 2
12. राहुल सांस्कृत्यायन, बुद्धचर्या, प्रथम संस्करण, पृ0469
13. डा0 लाहा : बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृ0 40–41
14. पालि लिटरेचर एण्ड लेंग्वेज, पृ0 91
15. इण्यिन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृ0 4
16. तथा कथित पुस्तक, पृ0 4
17. डॉ0 लाहा : बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृ0 43
18. भिक्षु डॉ0 धर्मरत्न : खुद्क पाठ, महाबोधि सभा, सारनाथ, 1959, पृ0 1
19. जगदीश काश्यप : दीघनिकाय, भारतीय बौद्ध शिक्षा परिषद् बुद्ध बिहार, लखनऊ 1979 पृ0 146
20. दीघनिकाय (हिन्दी अनुवाद) पृ0 149
21. विनयपटिक (चुलवग्ग), पृ0 50
22. महावंस, पृ0 35
23. अट्ठसालिनी, देवनागरी संस्करण, पूना, 1942, पृ0 10
24. भदन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद : महावंश, पृ०11
25. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० 85
26. अट्ठसालिनी, देवनागरी संस्करण पूना, 1942, पृ0 23
27. बुद्धचर्या, पृ० 522
28. डॉ० लाहा : बुद्धिरिटक स्टडीज, पृ० 44
29. रायल डेविड्स और ओल्डनवर्ग के ग्रंथों के संकेत भी यहीं दोनों जगह दिए हुए हैं।
30. रायल डेविड्स और ओल्डनवर्ग के ग्रंथों के संकेत भी यहीं दोनों जगह दिए हुए हैं।
31. विन्टरनित्य : हिस्ट्र ऑफ इण्डियन लिंटरेचर, पृ० 44–45
32. गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड लेंग्वेज, पृ० 17
33. विन्टरनित्य : हिस्ट्र ऑफ इण्डियन लिटरेचर, पृ० 38–42
34. पालि साहित्य का इतिहास, पृ० 198

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. : 172-173

शम्बूक आख्यान : एक ऐतिहासिक विवेचन

डॉ0 अनिल कुमार यादव*

*(असि0 प्रोफेसर), प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग पी0जी0 कालेज, पट्टी, प्रतापगढ़, (उ0प्र0)

सारांश : प्राचीन आख्यानों एवं मिथकों का इतिहास परक विश्लेषण एवं कथा संयोजन के विविध स्तरों तथा अन्तर्भूत परिवर्तनों की सामाजिक व्याख्या काल एवं स्थान–विशेष की सांस्कृतिक तथा समाज–शास्त्रीय पृष्ठभूमि के अध्ययन हेतु महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन करती है। घटनाओं के यथार्थ लेखन तथा नग्न चित्रण पद्धति से भिन्न भारतीय मनीषियों एवं लेखकों ने आख्यानों एवं मिथकों के माध्यम से पौराणिकता के आवरण में मानव मूल्यों तथा समकालिक समाज आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का छद्म–प्रयास किया है। तैथिकपरिधि से स्वतन्त्र तथा सामाजिक एवं नैतिक मानदण्डों की दृष्टि से अनुपेक्षणीय अनेक आख्यान या तो विचारकों एवं मनीषियों के मस्तिष्क की मौलिक कृतिया हैं। शम्बूक–आख्यान भी अनेक पौराणिक आख्यानों में से एक है, जो यद्यपि अत्यधिक जन–प्रियता कालान्तर में न प्राप्त कर सका, किन्तु उसके कथानक की शल्यक्रिया अनेक सामाजिक मूल्यों, परिवेशों तथा मान्यताओं का निदर्शन प्रस्तुत करती है।

मुख्य शब्द : समकालिक समाज, सामाजिक मूल्यों, नैतिक मानदण्डों, पौराणिक आख्यानों, वर्णविक्रिया आदि।

वाल्मीकिकृत रामायण[1] में शम्बूक का कथानक सर्वप्रथम विकसित रूप में उपलब्ध होता है। परवर्ती अनेक कवियों[2] ने इसी ग्रन्थ को उपजीव्य स्वीकार कर शम्बूक आख्यान को प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि रामायण के आधार पर शम्बूक कथानक को निम्नरूप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः–''राम के शासन काल में एक ब्राहम्ण अपने मृतक पुत्र के साथ उनके सभाकक्ष में उपस्थित हुआ और उनकी भर्त्सना करने लगा क्योंकि पिता के जीवित रहने पर पुत्र की मृत्यु, शासन में अधर्माचरण का प्रमाण उपस्थित करती थी। राम ने ब्रह्मर्षि नारद से इसका कारण पूछा। नारद ने शूद्र के द्वारा क्रियमारण तपोनुष्ठान को ब्राहम्ण सुत की मृत्यु का कारण बताया, क्योंकि शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं था। नारद के द्वारा कारण ज्ञात होने पर राम ने शूद्र के अन्वेषरण हेतु प्रस्थान किया। क्रमशः उदीच्य, प्राच्य दिशाओं में भ्रमण करने के पश्चात् दक्षिण दिशा में शैवल पर्वत के उत्तर में उन्होंने अधःमुख तपसंलग्न एक व्यक्ति को देखा जो अग्निधूम का आहार करता था। तपस्वी के द्वारा यह ज्ञात होने पर कि वह शूद्रयोनि में उत्पन्न शम्बूक संज्ञित व्यक्ति है, राम ने खड्ग से उसका शिरोच्छेद कर दिया।

महाकवि कालिदास–प्ररणीत रघुवंश[3] में शम्बूक का आख्यान वाल्मीकि के आधार पर वर्णित है। इस ग्रन्थ में ब्राहम्ण पुत्र की मृत्यु कारण का वर्ण–धर्म–व्यतिक्रम स्वीकार किया गया है जो शम्बूक नामक शूद्र के तपश्चरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था।[4] वर्णविक्रिया के लिये उत्तरदायी शम्बूक शासक राम के द्वारा शिरच्छेदन के पश्चात् स्वर्ग को प्राप्त हो गया जो उसे तप के माध्यम से कभी न मिलता।[5] यही कथानक भवभूति के उत्तर–रामचरित में भी उपलब्ध होता हैं।[6] उपर्युक्त ग्रन्थों में वर्णित शम्बूक–आख्यान के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इस आख्यान के माध्यम से वर्णधर्म की महत्ता एवं सुदृढ़ता को प्रतिष्ठित करना ही इन लेखकों को अभीष्ट रहा है। कालिदास ने वर्णधर्म–व्यतिक्रम के लिये उत्तरदायी व्यक्ति को दिये गए दण्ड को स्वर्ग–प्राप्ति का साधन स्वीकार करते हुये उसे तपश्चर्या की अपेक्षा महत्तर स्वीकार किया है। भवभूति ने राम के द्वारा शूद्र के दण्डित किये जाने पर आक्रोश की अपेक्षा शूद्र के ही मुख से दण्ड की प्रशंसा भी करवाई है।[7] स्पष्टतया वर्णधर्म की महत्ता का प्रतिपादन तथा राजा के द्वारा वर्ण व्यतिक्रम के विरूद्ध दण्ड की उपादेयता का प्रतिस्थापन ही इन कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा है। आनन्द रामायण[8] में शम्बूक का कथानक वाल्मीकि रामायण के ही आधार पर वर्णित है किन्तु काल–वैभिन्य के कारण किंचित् महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित हो गये हैं। राम ने शूद्र तपस्वी के पास पहुँचकर उसे वरदान दिया और शूद्रों की सद्गति हेतु राम–नाम का जप और कीर्तन श्रेयस्कर प्रतिपादित किया। इस पर शूद्र ने उत्तर दिया कि निरन्तर कृषि कार्यों में व्यस्त रहकर शूद्रों को जप–कीर्तन का समय नहीं मिलेगा। तदनन्तर राम ने यह कहकर उसे संतुष्ट किया कि शूद्र लोग एक दूसरे से मिलकर राम–राम कहेंगे और इसी से उनका उद्धार होगा। इसके पश्चात् राम ने शूद्र का वध कर डाला। इसके पहले की कथा वाल्मीकि का अनुसरण मात्र है। इस कथानक से स्पष्ट है कि शूद्रों को कृषि कार्य करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था, या वे कृषि कार्य में संलग्न हो चुके थे, और उस पर प्रतिवाद नहीं किया जाता था। यह परिवर्तन सम्भवतः इस कारण हुआ कि आनन्द रामायण की रचना अत्यन्त परवर्ती (लगभग सोलहवीं शताब्दी)है[9], और इस समय तक आते–आते धर्म–सूत्रों एवं स्मृतियो[10] में प्रतिपादित शूद्रों का कर्तव्य मात्र द्विजाति–शुश्रूषा तक सीमित न रहकर कृषि कर्म और वाणिज्य तक भी व्यापक हो चुका था। भक्ति आन्दोलन विशेषतः वैष्णव आन्दोलन के प्रभाव के कारण इस कथानक के माध्यम से राम–नाम की महत्ता को भी प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की गई। जैन साहित्य में भी शम्बूक आख्यान उपलब्ध होता है जिसके आधार रूप में विमल सूरि कृत पउमचरिय[11] के कथानक को स्वीकार किया जाता है। इस ग्रन्थ के आधार पर शम्बुक्क का आख्यान निम्नरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है–रावण की बहन चन्द्रनखा तथा उसके पति खरदूषण से शम्बुक्क तथा सुन्द नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये थे। देवकुमारों के समान शम्बुक्क अत्यन्त शोभावान् एवं समर्थ था। उसने सूर्यहास नामक खंग की प्राप्ति के लिये कौंचखा नदी के किनारे तथा लवण–समुद्र के उत्तर में स्थित भू–क्षेत्रमें स्वयं को तप में प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिज्ञा थी कि सम्यकत्व, नियम तथा योग से रहित जो भी व्यक्ति उसकी दृष्टि में आयेगा, उसका वध वह अवश्य करेगा। एक दिन लक्ष्मण घूमते–घूमते उस स्थल पर पहुँच गया और उसने कान्तियुक्त सूर्यहास–खंग को देखा। इस खंग के तीक्ष्ण–धारकी परीक्षा हेतु उसने बाँस के संकुल को काट डाला, उसी संकुल में तपःलीन शम्बुक्क का भी सिर काट गया। 678 ई0 में आचार्य रविषेणा द्वारा रचित पदमपुराण[12] में भी शम्बूक की कथा पउमचिरयं के आधार पर वर्णित की गई है। इस ग्रन्थ में शम्बुक्क को एक अन्न खाने वाला, निर्मल आत्मा का धारक, ब्रहम्चारी तथा जितेन्द्रिय

कहा गया है। शेष कथा पउमचरियं में गृहीत है। जैन ग्रन्थों में वर्णित शम्बूक–आख्यान वाल्मीकि और उनके अनुयायियों द्वारा प्रस्तुत किये गये आख्यान की अपेक्षा भिन्न मान्यताओं को अभिव्यंजित करता है। वाल्मीकि और कालिदास उसके अधःमुख होकर धूम्रपान से वन तथा तपश्चरण का उल्लेख करते हैं[13] जो जनसामान्य की वस्तु न थी और न ही आर्यों के द्वारा स्वीकृत परम्परा थी। इसके विपरीत जैन साहित्य सम्यकत्व में उसे नियम और योग्य से समन्वित[14] तथा जितेन्द्रिय, ब्रहम्चारी, एक समय भोजन करने वाला तथा अमलात्मा''[15] कहा गया है। वाल्मीकि और उनके अनुयायियों ने राम के द्वारा शम्बूक के वध का कारण वर्ण–धर्म में उत्पन्न दोष को स्वीकार किया है जो शम्बूक के तपश्चारण द्वारा संभव हुआ था। शम्बूक के तप के कारण प्रजा के कष्ट होने का उल्लेख इन कवियों ने किया है, क्योंकि शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं था।[16] अतः प्रजा में उत्पन्न कष्ट को दूर करने के लिये से कवियों ने परीक्षतः वर्ण–धर्म के माध्यम से ब्राहम्णत्व की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। इसके विपरीत जैन साहित्य में वर्णविक्रिया के प्रश्न को उपस्थित ही नहीं किया गया है। ब्राहम्ण के द्वारा ही राम के राज्य में अधर्माचरण की भर्त्सना ब्रहमर्षि नारद के द्वारा शूद्र की तपस्या को ब्राहम्ण–पुत्र की मृत्यु का कारण स्वीकार करना और राम अर्थात शासक के द्वारा शूद्र की तपस्या को ब्राहम्ण–पुत्र की मृत्यु का कारण स्वीकार करना और राम अर्थात् शासक के द्वारा उसे दण्डितकरना, इत्यादि उल्लेख हैं। जैन धर्म में वर्ण–व्यवस्था के प्रति इतना आग्रह नहीं प्रतीत होता। यही कारण है कि शम्बूक आख्यान के प्रसंग में जैनियों ने वर्ण–व्यतिक्रम का प्रसंग ही नहीं उपस्थित किया। उन्होंने न केवल शम्बूक को तपस्या करने के अधिकार से युक्त स्वीकार किया, बल्कि उसे जैनधर्म के महनीय लक्षणों का पालयिता भी स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि शम्बूक–आख्यान में विविध समयानुकूल अन्तर्भूत ये परिवर्तन विविध मान्यताओं तथा दृष्टिकोण–वैभिन्य के कारण उपस्थित हुये हैं। एक महत्वपूर्ण अन्तर वाल्मीकि और उनके अनुयायियों तथा जैनियों के शम्बूक आख्यान में यह है कि प्रथम परम्परा के अनुसार राम ने शम्बूक का वध किया था किन्तु जैनियों के अनुसार लक्ष्मण ने। राम दोनों ही परम्पराओं में नायक के रूप में चित्रित हैं। वस्तुतः जैनियों को यह अभीष्ट नहीं था कि नायक राम के हाथों शम्बूक का वध हो क्योंकि उनकी दृष्टि में राम जैनधर्म के अनुयायी तथा अहिंसा सिद्धान्त के पालक थे। उन्होंने रावण का वध भी लक्ष्मण के द्वारा दर्शित किया है।

दक्षिण भाषाओं में निबद्ध रामायण में भी शम्बूक–आख्यान उपलब्ध होता है जिस पर विमल सूरिकृत "पउमचरियं" का प्रभाव परिलक्षित होता है। तेलगू भाषा में रचित रंगनाथ रामायण[17] में शम्बूक को शूर्पनखा का पुत्र स्वीकार किया गया है और उसका नाम जम्बुक अथवा जम्बुकुमार उल्लिखित है। इसमें भी लक्ष्मण के द्वारा शम्बूक के वध का वर्णन मिलता है। कन्नड़ भाषा में रचित तोखे रामायण[18] में यह आख्यान परिवर्तित रूप में उपलब्ध होता है। इसके अनुसार "शम्बूक एक राक्षस था जो इन्द्र पद प्राप्त करने के लिये तपस्या कर रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक वल्मीक बन गया था। इन्द्र ने मृगया के लिये लक्ष्मण को प्रेरित करके शम्बूक के पास खड़े वराह का वध करने के लिये परामर्श दिया। लक्ष्मण ने एक ही बाण से वराह और शम्बूक दोनों का वध कर दिया। कन्नड़ कवि कुवेंपु द्वारा रचित "शूद्रतपस्वी[19] नामक काव्य में वर्णित शम्बूक आख्यान विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें शम्बूक आख्यान को परिवर्तित रूप में इस प्रकार चित्रित किया गया है। एक वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ शम्बूक नामक तपस्वी के आश्रम में पहुँचा। ब्राहम्ण ने अपने पुत्र को तपस्वी के लिये प्रणाम करने से वर्जित कर दिया, क्योंकि तपस्वी शूद्र था। इसके परिणामस्वरूप ब्राहम्ण–बालक की मृत्यु सर्पदंश के कारण हो गई। ब्राहम्ण राम को शूद्र तपस्वी के आश्रम में ले जाकर अनुरोध करने लगा कि उस तपस्वी का वध किया जाय। राम ने ब्रह्मस्त्र चलाकर तपस्वी के वध करने का प्रयास किया, किन्तु उसकी कोई क्षति नहीं हुई। फलतः राम नेब्राहम्ण को दोषी जानकर कटु शब्दों में प्रताड़ित किया। अन्त में ब्राहम्ण ने तपस्वी को प्रणाम किया और उसका पुत्र जीवित हो उठा।

इस आख्यान से स्पष्ट है कि कवि के समक्ष वाल्मीकि एवं उनके अनुयायियों द्वारा निर्मित शम्बूक–कथा का कलेवर विद्यमान था किन्तु दृष्टिकोण तथा सामाजिक मान्यताओं की विभिन्नता के कारण कवि कुवेंपु ने इसे सर्वथा भिन्न रूप में प्रस्तुत किया। वाल्मीकि और परवर्ती कवियों ने तपःलीन शूद्र के वध को प्रजा के कल्याण हेतु अभीष्ट समझा तो कुवेंपु ने ब्राहम्ण के द्वारा शूद्र तपस्वी को प्रणाम कराकर सर्वथा. विपरीत मानदण्ड प्रस्तुत किया। इस प्रकार शम्बूक–आख्यान का ऐतिहासिक अनुशीलन एवं विवेचन विभिन्न सामाजिक परिवेशों, धार्मिक दृष्टिकोणों तथा क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक. दशा का निदर्शन प्रस्तुत करता है।

सन्दर्भ

1. वाल्मीकि रामायण, आलोचनात्मक संस्करण, बड़ौदा, 1975
2. रघुवंश 15.43.53 तथा उत्तररामचरित द्वितीय अंक, उत्तरकांड, अध्याय 65–67, पद्मपुराणसृष्टि खण्ड 33,60–132
3. रघुवंश, 15.43.53
4. रघुवंश
5. रघुवंश
6. उत्तररामचरित–द्वितीय अंक।
7. उत्तररामचरित–द्वितीय अंक।
8. आनन्द रामायण,7.10,50–122
9. बुल्के कामिल–रामकथा उत्पत्ति और विकास(प्रयाग 1971), पृ0168।
10. मनुस्मृति।
11. पउमचरियंदृ पर्व 43।
12. रविषेणाकृत पद्मपुराण–पर्व 43।
13. वाल्मीकि रामायण, 7.66.13
14. पउमचरियं–पर्व 43 17,19।
15. पद्मपुराण(रविषेणकृत)–पर्व 43–46–47।
16. शूद्रों को तप करने का अधिकार नहीं था इसके लिये द्रष्टव्य–रघुवंश 15.53 तथा पद्मपुराण पर्व 76।
17. बुल्के कामिल–वही पृ0 616।
18. मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ (कलकत्ता 1959) पृ0 754।
19. कुवेपु द्वारा रचित शूद्रतपस्वी अत्यन्त आधुनिक है। किन्तु लेखक का मन्तव्य है कि उसनेवाल्मीकि रामायण से प्रसंग ग्रहण की थी। द्रष्टव्य–मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ–पृ० 757।

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. 174-175

दिग्विजय यात्रायें

डॉ0 ज्योत्स्ना पाण्डेय*

*असि0 प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास विभाग, ब्राइट कैरियर गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ

दिक् का अर्थ है – दिशाएं और विजय का अर्थ है जय प्राप्त करना। अर्थात् वह मनुष्य जो अपने बल, पौरुष, पराक्रम, शौर्य और ज्ञान या किसी अन्य सद्गुण के द्वारा किसी क्षेत्र या किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है उसे दिग्विजय कहते हैं। विजय का एकमात्र यहीं उद्देश्य नहीं रहता था कि किसी राजा का किसी भूखण्ड पर अधिकार प्राप्त कर लेना बल्कि इस विजय अभियान के द्वारा इस राजा विशेष का व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता था। उस राजा के सैन्य संगठन के द्वारा उसके द्वारा प्रयुक्त की जा रही युद्ध आयुध के द्वारा और हाथी, घोड़े और युद्ध में प्रयोग किये जा रहे हथियारों के द्वारा।

युद्ध के विभिन्न उद्देश्य होते थे। कोई राजा इसलिए यद्ध करता था कि उसका राज्य विस्तृत हो जाय। कोई राजा इसलिए युद्ध करता था कि इसके द्वारा उसके मान–सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाय और गौरव को सराहा जाय और कुछ नरेश इसलिए आक्रमण करते थे कि उसके द्वारा उनके अहं को संतुष्टि मिलती थी। उनके अन्दर ये लालसा होती थी कि बड़े से बड़े भू–भाग पर सिर्फ उन्हीं का शासन हो। इसके अतिरिक्त कुछ राजा वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आक्रमण करते थे और कुछ राजा अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिशोधात्मक युद्ध करते थे। इसके अतिरिक्त भी कुछ राजा अपने मित्र की मदद करने के उद्देश्य से युद्ध करते थे तो कुछ बदला लेने की नीयत से लड़ाई करते थे। ये कुछ केवल अपने सैन्य बल के द्वारा किसी भूखण्ड पर अधिकार प्राप्त कर लेना ही नही है बल्कि इसके द्वारा एक नयी सभ्यता एक नयी संस्कृति का जन्म होता है। दो शब्दों के एक हो जाने से एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने का अवसर मिलता था। एक दूसरे की भाषा को, लिपि को, कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन होता था। वास्तुकला, चित्रकला सभी पर प्रभाव पड़ता है। वेशभूषा, रहन–सहन सभी पर युद्ध का प्रभाव पड़ता था।

अश्वमेध या वाजपेय यज्ञ का सम्पादन दिग्विजयी राजा युद्ध के परिणाम स्वरूप करते हैं। राजा लोग अपने शौर्य एवं वैभव की प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ सम्पादित करते थे। जिसमें कई तरह की यात्रायें होती थी। इन यज्ञों में प्रयुक्त होने वाली विविध प्रकार की सामाग्रियों को एकत्रित करने के लिए वेदज्ञ, ज्ञानी एवं धर्मनिष्ठ यज्ञ करने में परायण मनीषियों को यज्ञ स्थल में बुलाने के लिए भी यात्राएं की जाती थी। विशेष रूप से अश्वमेध यज्ञ तो राजा के दिग्विजय अभियान का मूल कारण हुआ करता था। जिसमें शक्ति परीक्षण एवं प्रभुत्व के लिए एक घोड़ा दूरस्थ राज्यों के लिए छोड़ा जाता था। तथा जिसके पीछे उसकी रक्षा के लिए राजा लोग अपना दिग्विजय अभियान चलाते थे। इस प्रकार की यात्राओं में साम्राज्य के वैभव, शक्ति के साथ–साथ राज्य की वैदिक परम्परा एवं सनातन परम्परा के पोषण की भी प्रतिष्ठा सम्मिलित रहती थी। कभी–कभी दार्शनिक विचारों के प्रचलन के लिए भी इस प्रकार की यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण थी। शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा[1] अद्वैत वेदान्त दर्शन की तत्कालीन भारतीय अन्य प्रचलित विचारों पर प्रतिस्थापित करने के लिए भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा संदर्भित की जा सकती है।

शंकराचार्य से पहले भी मीमांसकों ने बौद्ध एवं जैन आचार्यों ने यहाँ तक कि भक्तिवादी आलवार और नायनार संतों ने भी यात्राओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभीष्ट समझा था। अश्वमेध की गणना प्राचीनतम यज्ञों में होती है। ऋग्वेद[2] की ऋचाओं से विदित होता है कि इनकी रचनाओं से पूर्व ही अश्वमेध का प्रचलन था। शपतथ ब्राह्मण[3] एवं तैत्तरीय ब्राह्मण[4] में अश्वमेध का वर्णन हुआ है। जिसमें बहुत से ऐसे राजाओं के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ सम्पादित किये थे। सभी पदार्थों के इच्छुकों, सभी विजयों के अभिलष्यियों तथा अतुल समृद्धि के कांक्षियों द्वारा अश्वमेध किया जा सकता था।[5]

फाल्गुन शुक्ल पक्ष के आठवें या नवे दिन या ज्येष्ठ मास के इन्हीं दिनों या कुछ लोगों के मत से आषाढ़ मास के दिनों में अश्वमेध का आरम्भ किया जाता है। प्राचीन काल में अश्वमेध बहुत कम होता था। तैत्तरीय संहिता[6] एवं शतपथ ब्राह्मण[7] के अनुसार अश्वमेध एक उत्सव था। महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में इसका वर्णन दिया गया है। महाभारत में[8] व्यास ने युधिष्ठिर से कहा कि अश्वमेध से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। चैत्र की पूर्णिमा को युधिष्ठिर को इसकी दीक्षा दी गयी थी। अर्जुन सबसे बड़े योद्धा थे उनको साल भर तक चक्कर मारने वाले अश्व की रक्षा का भार सौंपा गया था और इसे युद्ध से बचते रहने को कहा गया था।[9] घोड़े का रंग कृष्ण सार था।[10] अर्जुन के साथ याज्ञवल्क्य का एक शिष्य तथा बहुत से विद्वान ब्राह्मण शान्ति करने के लिए साथ में थे।[11] अश्व सम्पूर्ण भारत में पूर्व से दक्षिण तथा पश्चिम से उत्तर तक बढ़ता था। अपने शत्रुओं से अनेक युद्ध करता हुआ अर्जुन अपने पुत्र मणिपुर के राजा बभ्रुवाहन के हाथों मारा गया। किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागकुमारी उलूपी द्वारा पुनर्जीवित किया गया। मार्ग में अर्जुन ने अपने शत्रुओं को हराया किन्तु उन्हें मारा नहीं बल्कि उन्हें यज्ञ में शामिल होने का निमन्त्रण दिया। दरिद्रों एवं गरीबों को भोजन दिया गया। ब्राह्मणों को करोड़ों नितक दिये गये। व्यास को सम्पूर्ण पृथ्वीदान में मिली थी। जिसे उन्होंने अपने तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण देने के बदले लौटा दिये।

परीक्षित जनमेजय ने सम्पूर्ण धरती पर दिग्विजय प्राप्त की थी और अश्वमेध किया था।[12] ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जनमेजय सर्वभूमि चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। ऐतिहासिक युग में पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किये जाने का वर्णन मिलता है। शपपथ ब्राह्मण[14] में वर्णन मिला है कि राजसूय यज्ञ करने से व्यक्ति राजा होता है। बाजपेय यज्ञ करने से सम्राट होता है। महाभारत में पाण्डवों ने राजसूय यज्ञ किया था।[15]

वाजपेय का शाब्दिक अर्थ है शक्ति का पीना। इस यज्ञ के सम्पादन से भोजन शक्ति आदि की प्राप्ति होती है। इस यज्ञ में 17 की संख्या को प्रमुखता प्राप्त है। इसमें स्रोतों एवं शास्त्रों की संख्या 17 है। प्रजापति के लिए 17 पशुओं की बलि दी जाती है। दक्षिणा में 17 वस्तुएं दी जाती है। यह यज्ञ 17 दिनों तक चलता है।[16] वाजपेय यज्ञ के उपरान्त यजमान क्षत्रियों की भांति व्यवहार करता है। वह अध्ययन कर सकता है या दान कर सकता है किन्तु अध्यापन एवं दान ग्रहण नहीं कर सकता है। इसके उपरान्त वह अभिवादन करने के लिए स्वयं खड़ा नहीं होता और न ऐसे लोगों के साथ खाट पर बैठ सकता था जिसने बाजपेय यज्ञ न किया हो। दिग्विजय यात्रा की पात्रता रखने वाले युद्धों में यह आवश्यक है कि उनमें राजनीति अथवा शास्त्रों के ज्ञान की श्रेष्ठता प्राप्त हो। दिग्विजयी नरेश आपने शासकीय जीवन में प्रजापालक, कर्मठ तथा योद्धा होते थे। उन्हें अपनी प्रजा अपने मित्रों अपने सहायक राजाओं एवं उपराजाओं तथा, सैनिकों के बीचलोकप्रिय होना चाहिए। इसके लिए व्यक्तित्व निर्माण एवं वांछित गुणों का विकास एवं संचालन दिग्विजयी महापुरुषों के लिए नितान्त अपेक्षित होता था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में कहा गया है कि युधिष्ठिर के पास धनुष, शस्त्र, महाबल, सहायक भूमि, यश, सेना आदि दुर्लभ वस्तुएं हैं। अपना कोश बढ़ाने के लिए सभी दिशाओं में युद्धाभियान संचालित करना चाहिए।[17] दिग्विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा अथवा विद्वान अपने क्षेत्र के ज्ञान के साथ–साथ अन्यान्य क्षेत्रों की गतिविधियों एवं ज्ञान–विज्ञान आदि सम्यक जानकारी रखते थे। इसी परिज्ञान के बल पर वे दिग्विजयी यात्रा अभियान संचालित करते थे।शत्रु के बल–बुद्धि, रण–कौशल तथा प्रभाव क्षेत्र को जो राजा सही आंकलन नहीं रखता था वह वीर एवं महत्वाकांक्षा होते हुए भी दिग्विजयी नहीं होपाता था।

आचार्य शंकर ने अपने दार्शनिक सिद्धान्त अद्वैत वेदान्त के प्रतिपादन में प्रवृत्त होने के पूर्व जैन एवं बौद्ध, मीमांस, सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों का सम्यक अनुशीलन किया था। तथा उनके गुण दोषों पर बहुत ही गम्भीरता से विचार किया था। यही कारण है कि शंकर अपने शास्त्र दिग्विजय यात्रा में लगातार अन्य धर्मों के श्रेष्ठ विद्वानों एवं आचार्यों को अपनी अप्रतिम मेधा से पराजित करके उन्हें अपना शिष्य बना लिया था।[18] इस प्रकार दिग्विजयी राजा अथवा दिग्विजयी आचार्य दोनों के लिए ये उपेक्षित था कि दिग्विजयी यात्रा में निकलने के पूर्व प्रत्येक दिशा में विजय प्राप्त करने के अपेक्षित समस्त वांछित गुणों एवं अर्हतों में पूर्ण दक्षता अवश्य प्राप्त करें। दिग्विजय यात्राओं से शक्तिशाली एवं समर्थ राजागणों को महान यश की प्राप्ति होती थी। इन यात्राओं के माध्यम से वे अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के साथ–साथ उसमें धन एवं जन शक्ति की अभिवृद्धि किया करते थे।[19] विजय के माध्यम से प्राप्त कृ षि योग्य भूमि, व्यापारिक केन्द्र, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह, सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों तथा युद्ध एवं समृद्धि के लिए आवश्यक खनिज भण्डार आदि की प्राप्ति होती थी।

विज्ञान, दर्शन, धर्म, कला, अर्थ, राजनय आदि के क्षेत्रों में योग्य विद्वान अपने नूतन ज्ञान के प्रसार के लिए तथा अन्यान्य ज्ञानों से अभिनव ज्ञान को सम्पुष्ट करने के लिए शैक्षणिक यात्राएं अथवा दार्शनिक अथवा ज्ञान–विज्ञान से युक्त दिग्विजय यात्राएं सम्पन्न किया करते थे। आदि शंकराचार्य ने केरल के कलाडी क्षेत्र से निकलकर देश के कोने–कोने में यात्राएं सम्पन्न करके अपने अद्वैत दार्शनिक सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए ऐसी ही दिग्विजय यात्राएं की थी।

सन्दर्भ :

1. पाण्डेय गोविन्द चन्द्र–लाइफ एण्ड थॉट ऑफ शंकराचार्य पृष्ठ 255–335
2. ऋग्वेद 1/162 एवं 163 संख्यक ऋचायें।
3. शतपथ ब्राह्मण 13/1–5
4. तैत्तिरीय ब्राह्मण 3/8–9
5. तैत्तिरीय ब्राह्मण 3/8–9, राष्ट्र वा अश्वमेधः।...... पारा वा एव सिच्यते, योडबलोडश्वमेधेन जयते। यदमित्रा अश्वविन्देरन् हन्येतास्य यज्ञः।
6. तैत्तिरीय संहिता 5/4/12/3
7. शतपथ ब्राह्मण 1/3/3/6
8. महाभारत–अश्वमेधिक पर्व 72/23–24
9. महाभारत–अश्वमेधिक पर्व 73/8
10. महाभारत–अश्वमेधिक पर्व 73/18
11. महाभारत–अश्वमेधिक पर्व 88/23/89/39–43
12. कीथ, ए0बी0, 7 वैदिक इंडैक्स पृष्ठ 281
13. ऐतरेय ब्राह्मण 8.1
14. ऐतरेय ब्राह्मण–9/3/4/8
15. महाभारत–राजसूय पर्व
16. आपस्तम्न 18/1/12 आश्वलायन 9/9/2–3
17. महाभारत, दिग्विजय पर्व, अध्याय 25 श्लोक संख्या 2–5
18. पाण्डेय गोविन्दचन्द्र, लाइफ एण्ड थॉट ऑफ शंकराचार्य, 255–335
19. दृष्टव्य महाभारत, सभापर्व, 25,2,4

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. 176-178

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हथकरघा उद्योग की स्थिति

लाल बहादुर यादव*
*ग्राम– मुसेपुर(पालिया) पो0– सचुई, जिला–मऊ,

सारांश : यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हथकरघा उद्योग की स्थिति को स्पष्ट करता है। यह शोध पत्र अन्वेषणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत्रो से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जनपद में वर्तमान समय में हथकरघों एवं उसमें मानव संलग्नता घटी है। इसके पीछे प्रमुख कारण है पावरलूमों में वृद्धि। यह अध्ययन पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द : हथकरघा उद्योग, आर्थिक अधोसंरचना, औद्योगिक इकाई, ब्रिटिश हुकूमत, हस्तचालित करघे आदि।

हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग के लिए देश में चर्चित उत्तर प्रदेश का मऊ जनपद 1988 में अस्तित्व में आया। इसके पूर्व यह क्षेत्र आजमगढ़ और बलिया जिले का आंशिक भाग था। मऊ जनपद की आर्थिक अधोसंरचना के लिए महत्वपूर्ण दो ही कारक हैं – (1) कृषि और (2) हथकरघा उद्योग। समतल कछारी जलयुक्त भूमि जहाँ कृषि के लिए उपयुक्त है वहीं नगरीय और कस्बाई क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग संचालित है। इस तरह ग्रामीण और नगरीय इकाइयों में आर्थिक दृष्टि से एक विभाजक रेखा दिखती है जो प्रमुख रूप से कृषि और हथकरघा उद्योग की ओर उन्मुख करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अधोसंरचना का आधार कृषि है जहाँ कृषक एवं भू–स्वामी अधिकतर हिन्दू समुदाय के लोग हैं जबकि कस्बाई और नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रही आबादी में आर्थिक स्रोत के रूप में हथकरघा उद्योग प्रमुख सहायक है। मुख्य रूप से सूती कपड़ों की बुनाई होती है जिनमें साड़ी और इसी तरह के मिलते–जुलते अन्य वस्त्र प्रमुख है। जिले में खादी एवं खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए शासन स्तर पर भी योजनाएँ संचालित हैं पर उनका विकास अभी भी अपेक्षित रूप से नहीं हो पाया है।

प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों वाला मऊ जिला की आर्थिक अवस्थापना काफी समृद्ध है। यहाँ पर खनिज सम्पदा, कृषि योग्य भूमि और पर्याप्त मात्रा में वन सम्पदा है जिनका अभी भी समुचित दोहन नहीं हो पा रहा है। जिले में पशुधन, जीवनोपयोगी वनस्पतियाँ एवं फसल समुचित मात्रा में होती है, जिसके लिए अनुकूल वातावरण, पर्याप्त श्रम शक्ति एवं अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। मऊ एक कृषि प्रधान जिला है, फिर भी नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाई के रूप में हथकरघा उद्योग प्रचुर संख्या में संचालित होता है। जिले में मध्यम एवं बड़े आकार के उद्योगों का सर्वथा अभाव है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से इसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले की 'ग' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह जिले में निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि के अतिरिक्त कुछ घरेलू व कुटीर उद्योग तथा परम्परागत व्यवसाय भी हैं जो कि हर अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहते हैं।

जिले में औद्यौगिक इकाइयों के अभाव का प्रमुख कारण यातायात के साधनों की कमी तथा प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन न हो पाना है। यद्यपि जिला प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से काफी सम्पन्न है, किन्तु उत्साही उद्यमियों के अभाव में इसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक योजनाबद्ध कार्य तैयार किया गया है। इस योजना के अनुसार जिले के संसाधन एवं सुविधाओं को दृष्टिगत रखकर लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। मऊ और बुनाई कला एक–दूसरे के पूरक हैं। साड़ियों की बुनाई यहाँ के लोगों की पहचान बन चुकी है। बुनाई कला यहाँ की आबो–हवा में घुलकर यहाँ की संस्कृति में समाहित हो चुकी है। इस क्षेत्र में बुनाई कला का उद्भव मुगलकाल में हुआ। एक जानकारी के अनुसार शाहजहाँ की बेटी जहाँआरा को यह क्षेत्र मिला था। जहाँआरा बेगम ने कटरा में अपना आवास बनाया था। उनके साथ आये कुछ लोग बुनाई के पेशे से जुड़े थे। जैसे–जैसे समय बीतता गया यह कला स्थानीय अल्पसंख्यकों के परम्परागत कला के रूप में विकसित एवं विख्यात हुई। धीरे–धीरे यह प्रदेश के अन्य शहरों में भी फैल गयी। यहाँ के कुछ लोग वाराणसी में भी जा बसे, जिन्हे आज भी 'मऊवाली' के नाम से पुकारा जाता है।

प्रारम्भ में यहाँ के लोग बुनाई का धागा भी स्वयं तैयार करते थे। मछली पकड़ने का जाल एवं गमछा आदि बुनते हुए ब्रिटिश हुकूमत के समय यहाँ के लोग हैण्डलूम (करघे) पर साड़ी एवं लुंगी तैयार करने लगे। प्रारम्भ में छोटी किनारीदार सूती साड़ी बनती थी। इसकी खपत पूर्वी बांग्लादेश तक थी। लोग बताते हैं कि वर्ष भर में तैयार माल दशहरा, दुर्गापूजा के समय पूर्ण रूप से बिक जाता था। सन् 1980 के पूर्व तक हस्तचालित करघे ही प्रचलन में थे। इस करघे को दोनों हाथ, दोनों पैर से चलाते हुए तैयार होते कपड़े पर नजर रखनी पड़ती थी। समय बदलने के साथ–साथ चौड़ी किनारी की साड़ी का जमाना आया। इस साड़ी को तैयार करने में पूर्व की अपेक्षा ज्यादा ताकत लगानी पड़ती थी, जिससे फेफड़ों पर प्रतिकूल असर पड़ा। इससे टी0बी0 के मरीज बढ़े।

समस्या का निदान ढूढ़ने के प्रयास में 1980 के आस–पास शक्ति चालित 'घरेलू पावरलूम' स्थापित हुए। इस पावरलूम को 15–17 फीट के कमरे में लगाया जा सकता है। इस प्रकार के लूम तैयार करने में कानपुर एवं सूरत की मशीनरी बनाने वाली कम्पनियों की मदद मिली। बाद में यह लूम मऊ में ही बनने लगे। इस लूम की खासियत यह है कि लूम बन्द करके परिवार के लोग उसी कक्ष का उपयोग घरेलू कार्य के लिए कर सकते हैं। मऊ में तैयार साड़ी का 'बार्डर' 'बूटी' एवं आँचल पर बनने वाली विभिन्न प्रकार की डिजाइन 'जकाट' नामक यंत्र से बनायी जाती। इस यन्त्र की उत्पत्ति मऊ में ही होना बताया जाता है। साड़ी बुनाई में यह यन्त्र अत्यन्त महत्व रखता है। मऊ में तैयार साड़ियों को देश के कोने–कोने में शोहरत दिलाने के लिए समय–समय पर नुमाइश लगायी गयी। ये नुमाइशें सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों से पूरे देश में जगह–जगह लगाई गयीं।

हथकरघा उद्योग का पारम्परिक स्वरूप : हथकरघा उद्योग का आधार बुनकरी है। बुनकरी के लिए महत्वपूर्ण माध्यम करघा है जो हाथ से चलाये जाने के कारण हथकरघा कहलाया। बुनाई के माध्यम के रूप में करघे का उपयोग कब से प्रभावी हुआ, अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन यह सहज ही कहा जा सकता है कि बुनाई के लिए प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के इस चौखट नुमें यन्त्र का आविष्कार बहुत पहले हुआ होगा। लकड़ी की बड़ी–बड़ी पटिट्यों को आड़े–तिरछे लगाकर उसी के माध्यम से तागे को सुलझाते हुए कपड़े बुनने का कार्य किया जाता रहा।

प्रारम्भ में बुनाई का कार्य सम्मानित माना जाता था। यह कलात्मकता और कारीगरी के साथ बहुत ही सावधानी और सफाई का कार्य था, जो सामान्य व्यक्ति के बुते का नहीं था। कपास के रेशों को सुलझाकर सूत बनाना और कच्चे सूत के माध्यम से वस्त्र बनाना एक नाजुक और कठिन कार्य था। हस्तशिल्प का प्रमुख क्षेत्र बुनकरी था जो मानव समाज एवं मानव संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। वस्त्र उद्योग में शिल्पकारी का कार्य यद्यपि मुगलकाल में अरब एवं फारस से आया, जिस शैली–शिल्प का प्रयोग इस काल के मुस्लिम एवं हिन्दु बनुकरों ने समान रूप से किया। इस दौर में बुनकरी जहाँ जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन बनी वहीं एक सम्मानित व्यवसाय तथा कला प्रदर्शन का माध्यम भी बनी। बुनाई अर्थात वस्त्र उद्योग इस काल में पूरे सबाब पर था। बुनकर कारीगर बुनाई को सहज और सुगम बनाने के लिए हथकरघे का प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर करते थे। हथकरघा के विकास से बुनाई का कार्य जहाँ सुगम हुआ वहीं बुनाई में कलात्मकता भी बढ़ी। इस तरह इस काल में बुनाई के परिष्कृत यंत्र के रूप में हथकरघा का विकास हुआ। बुनाई की कला इतनी अधिक विकसित हुई कि यहाँ के बुने वस्त्रों की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी हुई। इस काल में ढाका की मलमल की साड़ियाँ और रेशे के वस्त्र तो दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हुए। एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि दस्तकारी के क्षेत्र में भारतीय दस्तकारी इतनी उन्नत रही कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वस्त्र (बात बुनाई का करें, कलात्मकता की या आकर्षण की) विश्व बाजार का 24 प्रतिशत उत्पादन भारत में होता था। देश में ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के साथ ही सर्वाधिक नुकसान वस्त्र उद्योग का को हुआ। देश के वस्त्र उद्योग का कच्चामाल विदेशों को गया और वहाँ से रेडीमेड कपड़े आये। विदेशी वस्त्रों ने भारतीय वस्त्र उद्योग और उससे जुड़े लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण हथकरघा उद्योग की स्थिति दिनोदिन दयनीय होती चली गयी।

हथकरघा जिस पर बुनाई का पूरा दारोमदार है लकड़ी का बना हुआ चौखटनुमा यंत्र है जिसके माध्यम से बुनाई की जाती है। यह मशीन पूरी तरह से लकड़ी की बनी होती है, जिसमें बुनकर श्रमिक बुनाई के धागे फंसाकर विभिन्न डिजाइनों के वस्त्रों को बुनते हैं। बुनाई के लिए लूम मशीन जो हाथ से चलने के कारण हथकरघा भी कही जाती है के प्रमुख भाग हैं – खूँटा, पावड़ी, फ्रेम, जकात, मुनिया, सुआ, भार, टुअर, चक्का, बय आदि।

हथकरघा उद्योग में नई तकनीक : वैश्विक बदलाव के साथ हथकरघा उद्योग में भी नई तकनीक का समावेश हुआ है जिसके तहत पारम्परिक करघे में विद्युत चालित मोटर का उपयोग किया जाने लगा है। इस तरह पारम्परिक करघा जो हाथ एवं पैरों के माध्यम से अर्थात पूर्णतः मानव श्रम द्वारा संचालित होता था, अब यह स्वचालित मोटरों द्वारा संचालित होने लगा है। मानव श्रम केवल जकात द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजाइनों को बनाने एवं तानें–बाने की बुनाई को नियंत्रित करने तक ही सीमित होकर रह गया है। स्वचालित विद्युत यंत्र के माध्यम से करघा चलाने की इस व्यवस्था ने हथकरघे को पावरलूम में बदल दिया है।

एक चौकोर पारम्परिक करघा जमीन में 5–7 फीट गड्ढा खोदकर उसमें नीचे एक पैडल लगाया जाता जिसके माध्यम से पैरों से लूम को चलाया जाता था। शेष लूम मशीन को गड्ढे के ऊपर समतल में ही फीट किया जाता था। इसी पैडल की जगह अब विद्युत मोटर का प्रयोग होता है।

पावरलूम से तैयार की गयी साड़ियाँ डिजाइन एवं कटिंग के लिए वर्कशॉप में भेजी जाती हैं, जहाँ मशीन के माध्यम से उनमें विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाई जाती हैं। डिजाइन बनाने के बाद डिजाइनों की कटिंग की जाती है। डिजाइन के लिए विभिन्न प्रकार के रेशों का प्रयोग किया जाता है जिनके रंग अलग–अलग होते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगो के धागों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि उनमें आकर्षक एवं लुभावनी डिजाइने तैयार हों। डिजाइन के अलावा सादी बुनी हुई साड़ियों में छपाई के लिए भी मशीनें आ गई हैं। इन मशीनों के माध्यम से बड़ी सहजता एवं सरलता से विभिन्न तरह की आकर्षक रंगाई होती है।

हथकरघा उद्योग में मानव संलग्नता : मऊ जिले में हथकरघा उद्योग का स्वरूप आज भी विद्यमान है। पहले जहाँ पारम्परिक वस्त्रों का प्रयोग अधिक प्रचलित था और जिनका निर्माण हैण्डलूम अर्थात पारम्परिक हथकरघा उद्योग द्वारा किया जाता था। माँग अधिक होने से उत्पादन भी अधिक किया जाता था। रोजगार प्राप्ति की दृष्टि से यह एक अच्छा उद्योग माना जाता था। फलते–फूलते उद्योग में लोगों का प्रवेश सदैव ही वांछित माना जाता रहा है परन्तु आज पारम्परिक हथकरघा उद्योग (हैण्डलूम) की जगह बड़ी–बड़ी मशीनों (पावरलूम) ने ले लिया है। पावरलूम में निर्मित वस्त्र अधिक मजबूत, आकर्षक, टिकाऊँ तथा सस्ते होते हैं जिसके कारण हथकरघा उद्योग काफी प्रभावित हुआ है। अब लोग हथकरघा से बने वस्त्रों, जो आकर्षक तो होते हैं परन्तु साथ ही महँगे भी होते हैं की अपेक्षा पावरलूम से बने सस्ते वस्त्रों को महत्व देने लगे हैं। इतना ही नहीं अब लोगों की रूझान पश्चिमी सभ्यता के वस्त्रों की ओर भी बढ़ने लगी है। इसने भी हथकरघा उद्योग के व्यवसाय को काफी प्रभावित किया है। इससे पारम्परिक हथकरघा उद्योग में निर्मित वस्त्रों की माँग लगातार कम होती जा रही है जिससे उत्पादन भी कम होते जा रहे हैं। इन परिवर्तित अभिरूचियों एवं कम माँग ने मऊ के हथकरघा बुनकरों के सामने अपने अस्तित्व को बनाये रखने की चुनौती खड़ी कर दी है। लगातार कम होते आय ने बुनकरों को व्यवसाय के अन्य विकल्प तलाशने को मजबूर कर दिया है। इसलिए हथकरघा उद्योग में मानव संलग्नता धीरे–धीरे कम होती जा रही है। हथकरधा इकाइयाँ भी कम होती जा रही हैं या उतनी ही हैं जितनी पहले थी। नीचे वर्षवार मऊ के हथकरघा औद्योगिक इकाइयों एवं उनमें कार्यरत श्रमिकों के आकड़ो एवं उनके विश्लेषण से यह स्थिति और भी स्पष्ट होगी–

तालिका क्रमांक – 1

मऊ जिले में पंजीकृत बुनकर समिति एवं हथकरघों का विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	बुनकर समितियाँ	हथकरघो की संख्या	मानव संलग्नता			
				पुरूष	महिला	बच्चे	योग
1	2001–02	20	61	635	240	265	1140
2	2002–03	–	61	–	–	–	–
3	2003–04	–	49	–	–	–	–
4	2004–05	23	49	810	260	195	1265
5	2005–06	25	45	–	–	–	–
6	2006–07	–	45	900	260	215	1375
7	2007–08	–	45	–	–	–	–
8	2008–09	–	45	–	–	–	–
9	2009–10	27	42	380	–	–	–
10	2010–11	30	42	1370	380	350	2100

स्रोत : महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मऊनाथ भंजन

मऊ में बुनकरों की पंजीकृत प्रारभिक औद्योगिक सहकारी समितियाँ सन् 2001–02 में 20 थी तो 2004–05 में बढ़कर 23 और 2005–06 में 25 हो गयी। परन्तु 2005–06 से लेकर 2009 तक अन्य कोई समिति पंजीकृत नहीं हुई। 2011 में इनकी संख्या 30 थी। इनमें कार्यरत् श्रमिकों की संख्या 2001–02 में 1140 थी जो 2004–05 में बढ़कर 1265 हो गयी। 2006–07 में यह संख्या बढ़कर 1375 हो गयी थी। 2009 तक यही संख्या बनी रही। 2011 तक इनकी संख्या लगभग 2100 के आस–पास थी।

उपरोक्त विवरण मऊ जनपद के सरकारी आँकड़ों के आधार पर है। उसके बाद नये सरकारी आँकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं। वास्तविकता यह है कि इसके बाद हथकरघों एवं उसमें मानव संलग्नता धीरे–धीरे घटी है। इसके पीछे प्रमुख कारण है पावरलूमों में वृद्धि। कभी यह पेशा स्वरोजगार का अच्छा माध्यम माना जाता था। विगत कुछ वर्षो में हथकरघा क्षेत्र में आई मंदी और तकनीकी लाभ हथकरघा श्रमिकों को न मिलने तथा विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से मिलने वाले रेशों के कारण भी लोगों का मन इस पेशे से ऊब रहा है। खासतौर पर नई पीढ़ी जो तेजी से आगे बढ़ने और नई तकनीक पर भरोसा रखती है को यह पारम्परिक हथकरघा उद्योग आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं लिहाजा धीरे–धीरे वे अन्य विकल्प की तलास में इस पेशे से दूर हो रहे है।

सन्दर्भ :

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मऊ
2. वार्षिक प्रतिवेदन हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग, जिला कार्यालय, मऊ
3. महापात्रा, पी0सी0 (2001) : इकोनामिक्स ऑफ काटन हैण्डलूम इण्डस्ट्री इन इण्डिया, ए0पी0एच0 पब्लिशिंग कार्पोरेसन, न्यू दिल्ली
4. सप्त्ऋषि एल0वी0 (2006) : जूट हैण्डलूम आफ इण्डिया, मैपिन पब्लिशिंग जी0पी0 प्राइवेट लिमि0 न्यू दिल्ली
5. उत्तर प्रदेश राज्य बुनकर सहकारी संघ द्वारा प्राप्त जानकारी
6. www. Amarujala.com
7. www. Journalist café.com

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. 179-180

ख्याल गायन का नया आविष्कार : पं0 भिमसेन जोशी

प्रो0 डॉ0 अविराज कृष्णराव तायडे*

*संगीत विभाग प्रमुख, एस.एम.आर.के. बि.के.–अे.के. महिला महाविद्यालय, नाशिक

तानसेन के पष्चात् भारतीय संगीत आकाश पर स्वरों से एकछत्र राज करने वाले गायक, अर्थात पं0 भिमसेन जोशी – पं0 जसराज (मेवाती घराने के आंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक)

भिमसेन, अर्थात ईष्वरीय वरदान प्राप्त भाग्यशाली गायक – स्व. श्रीमती हिराबाई बडोदेकर (किराणा घराने की प्रख्यात गायिका) किराणा घराने की गायकी उनके गायन में स्पष्ट झलकती है, साथ ही अन्य घरानों की गायकी का समन्वय भी दिखाई देता है। – श्रीमती गंगुबाई हतगल (किराणा घराने की प्रख्यात गायिका व पं0 भिमसेन जी की गुरू भगिनी)

भिमसेन जी का सबसे प्रमुख गुण अर्थात उनकी आवाज। ऐसी आवाज मैंने इसके पूर्व कही नहीं सुनी। उनकी आवाज को हम 'पूर्ण पुरुषी' आवाज कह सकते है। – डॉ0 वसंतराव देशपांडे (चतुरस्त्र गायक व प्रख्यात अभिनेता)

उनकी गायकी सही अर्थों में खानदानी है। – भारतरत्न वै. पं0 बिस्मिल्ला खान (सुप्रसिद्ध शहनाई वादक) भिमसेन जी किराणा घराना के आधारस्तंभ है। – स्व. पं0 फिरोज दस्तूर (किराणा घराने के प्रख्यात गायक व भिमसेन जी के गुरूभाई)

कई सदियों पष्चात् ऐसा महान कलाकार जन्म लेता है। – पं0 हरिप्रसाद चौरसिया (अंतरराष्ट्रीय ख्याती प्राप्त बांसुरी वादक) भारतीय संगीत की महान परंपरा को ऊँचाई तक ले जाने वाले जो गिने चुने कलाकार है, उनमें पंडित जी का नाम अग्रणीय है। – पं0 ब्रिजनारायण (प्रख्यात सारंगी वादक) भिमसेन जी की गायकी का वर्णन एक वाक्य में करना हो, तो हम कह सकते है कि उनका गायन अर्थात तेजस्वी प्रकाश ज्योत की तरह है। – स्व. पं0 त्र्यंबकराव जानोरीकर (भिंडी बजार घराने के भिश्माचार्य गायक)

भिमसेन जी की तान को 'भिमसेनी तान' यह संज्ञा दी गई है कारण उनकी तान अद्भुत एवं अनोखी है। इस तरह का कलाकार बार–बार जन्म नहीं लेता। – स्व. श्रीमती ज्योत्स्ना भोळे (प्रख्यात गायिका व रंगमंच अभिनेत्री) प्रत्येक मैहफिल एक जिम्मेदारी होती है और हजारों महफिलें कर चुके भिमसेन जी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है; उनके यश का विचार भी किया तो मन आष्चर्य से भर जाता है। – स्व. श्री. अरविंद मंगरुळकर (प्रख्यात संगीत समीक्षक) गायकी में नयी राहें ढुंढना भिमसेन जी के रक्त में समाविष्ट है। इतने सालों की तपस्या और कमाया हुआ इतना यश साथ होने के बावजूद भिमसेन जी अभी भी गायकी में नये नये प्रयोग करते रहते है। राहें ढुंढना अभी भी चालू है। मुझे लगता है इसी में भिमसेन जी का यश समाया हुआ है। – श्री. अप्पा जळगावकर (प्रख्यात संवादिनी वादक)

भिमसेन जी बहुत समर्पित भाव से गाते है, इसिलिए उनका गायन बहुत ही उच्च स्तर का होता है। प्रकृती के चमत्कार से ही इस तरह का कलाकार जन्म लेता है। – सुहासिनी कोहटकर (पं0 जानोरीकर की शिष्या व ज्येष्ठ गायिका)

पंडीत जी की अनेकानेक बैठकों को सुनने के बाद भी श्रोताओं, समिक्षकों व जानकारों को हमेशा उनके गायन में नये प्रकार के प्रयोग स्तंभित करते है। – स्व. श्री. राम फाटक (प्रख्यात संगीत निर्देशक व गायक) पंडित जी के जैसा 'Down to Earth' कलाकार मेंने आज तक नहीं देखा। – गान सरस्वती किशोरी अमोणकर

पं0 भिमसेन जोशी अर्थात श्रद्धा, निष्ठा, भक्ती, साधना ओर तपस्या का मूर्तिस्वरूप प्रतीक। केवल गायन ही नहीं, पंडित जी प्रत्येक रसिक के लिए मनुष्य रुप में भी बहुत प्रभावी थे। – पंडित जी के निधन के उपरांत मालिनी राजुरकर की प्रतिक्रिया पंडित जी के लिए 'भिमसेन' नाम एकदम उपयुक्त है। उनकी गायकी अत्यंत आक्रमक है। ऊपर के वउज् का ईकार जैसे वो लगता है, वैसा तेजस्वी ईकार मैंने किसी भी गायक का नहीं सुना। उनकी तान एकदम प्राकृतिक है, जो उनके गले में निवास करती है। – प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज पंडित भिमसेन जोशी, अर्थात संगीत विष्व का स्वर भास्कर, भारतीय संगीत का मानदंड, करीब–करीब करोड़ श्रोताओं को मुग्द करने वाला चिरयौवन स्वर; इर तरह के अनेक उपनाम पंडित जी को मिले है। उपर्युक्त प्रतिक्रियाओं से ये बात स्पष्ट होती है कि पंडित जी के द्वारा गायन में किये गये विभिन्न प्रयोग और आविष्कार उनकी गायकी का प्रमुख पक्ष है। पंडित जी की गायकी पर टीका कर सकूँ, मैं इस काबिल नहीं। परंतु संशोधक के रुप में ये दृष्टता मुझे करनी पड़ेगी। विविध उदाहरणों एवं वक्तव्यों द्वारा पंडित जी की गायकी के अनेक पहलू दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ।

किराणा घराने की गायकी स्वर प्रधान है, फिर भी अनेक समिक्षकों ने इस घराने की स्वर लगाने के तरिके को कृत्रिम कहा है। इस घराने की नाल धृपद के गाबरहारी नाती से जुड़ी है, ये ध्यान रखने की बात है। आर्तता और भक्तीभाव इस घराने की विशेषता मानी गई है और यही आर्तता और भक्तिभाव भिमसेन जी की गायकी में स्पष्ट दिखाई देता है। किराणा घराने की गायकी मुख्यतः तंत अंग की मानी जाती है। स्वर की आशा रखते हुए एक स्वर से दूसरे स्वर का निर्माण करना, ये तंत अंग की विशेषता है। यह विशेषता भिमसेन जी के प्रत्येक गाने में प्रकट होती है। नंदिश के या चीज के शब्दों को लेकर किराणा घराना में आलापी की जाती है। फिर भी कभी–कभी पंडित जी आकारयुक्त आलापी ही करते है। (इसमें केसरबाई का प्रभाव उनकी गायकी पर है, यह पंडित जी ने स्वयं माना है।)

किराणा घराने की गायकी स्वरप्रधान है, यह बात सर्वविदित है। यहाँ ताल को अतिरिक्त महत्त्व नहीं दिया जाता, इस कारण प्रत्येक आलाप, ताम, लय अनुसार गाया जाय ऐसी अपेक्षा नहीं रहती। सारा महत्त्व स्वरों को दिया जाता है। (इस घराने में स्वर स्थिर रखने के लिए सालो साल मेहनत की जाती है) भिमसेन जी के गायन में भी उनके द्वारा की गई सालों की मेहनत सर्वश्रुत है। अचूक

लगने वालें स्वर, उनकी दीर्घता और साँस पे नियंत्रण, ये सही अर्थों में एक परिक्षा है और इसकी कसौटी स्वर बंधन में पलटी लेते वक्त लगती है। इस तरह की अनेक परिक्षा, कसौटियाँ भिमसेन जी ने अपनी मेहनत से पार की है। किरणा घराने का साँस नियंत्रण युक्त गमक भी भिमसेन जी की गायकी से प्रकट होता है।

किराणा घराने की और एक विशेषता अर्थात उनके खर्ज के स्वर पर की हुई मेहनत। इसके अंतर्गत अचूक स्वर लगाना और लगाये गये स्वर को गोलाई प्रदान करना, साथ ही प्रत्येक स्वर पर ठहराव भी अचूक लगता है। इन सब बातों का ध्यान खर्जा की मेहनत के वक्त रखा जाता है।

भिमसेन जी ने ख्याल गायकी को सही अर्थों में जन सामान्य तक पहुँचाया। रागों का नाम नहीं, बंदिश की जानकारी नहीं, फिर भी गायन लुभाता है और यादगार बनता है। टप्पे को छोड़कर भिमसेन जी ने ख्याल के साथ–साथ गायन के अन्य प्रकार भी प्रस्तुत किये है। ख्याल की पवित्रता बनाये रखीं उसके विशेषताओं को संभाला। उन्होंने कभी भी ख्याल की ठुमरी नहीं होने दी; नाही कभी ठुमरी को ख्याल होने दिया।

ठुमरी गायन का सौंदर्य और अभिजातता उनके गायन में दिखाई देती है। अपने शिक्षा के दिनों में उन्होंने बड़े गुलाम अली खाँ, सिद्धेस्वरी देवी और बेगम अख्तर जैसे महान बुजुर्ग कलाकारों की गायकी को बहुत ध्यान से सुना। शायद ठुमरी गायन का सही ढंग इसी वजह से उनमें आया।

ठुमरी का सौंदर्य, नखरा और दर्द भिमसेन जी की कौनसी भी ठुमरी सुनने पर महसूस होता है। ठुमरी स्वरों के साथ शब्दों को भी महत्त्व देती है। स्वर रचना के साथ ठुमरी में शब्दरचना का भी विशेष स्थान है। ठुमरी भावनात्मक होती है, श्रृंगार रस के साथ उस में विरह और व्याकुलता का उत्कर्ष दर्शन भिमसेनजी अपनी गायकी द्वारा प्रकट करते है। मिश्र काफी की 'पिया तो मानत नही' हो या जोगिया की 'पिया मिलन की आस' सुनते हुए भिमसेनजी का ठुमरी पर प्रभुत्व स्पष्ट दिखाई देता है।

साहित्य जगत के एक सम्मान चिन्ह माने जाने वाले परंतु संगीत के आँगन में भी खेलनेवाले पु. ल. देशपांडे ने जब आकाशवाणी के लिए पंडित भिमसेन जोशी का साखातकार लिया तब भिमसेन जी ने क्या कहाँ, ये उन्हीं के शब्दों में.....

ख्याल अर्थात अपना एक स्वतंत्र विचार है, इसिलिए हम जितनी तरह से 'राग की मूर्ती' दिखा सकते है, उस पर गायक की योग्यता निर्भर करती है। मैंने एक हेमंत राग लिया निरेगमप – निरेगमप – निमरेगपरेप, निमगरेसा – रंग – रे – रेगप इस तरह अनेक प्रकार से प्रस्तुत कर सकते है। हमारा उनके बारे में स्वतंत्र विचार क्या है, सिर्फ यही बात मायने रखती है।

गायन के समय पहले से न ठहराई हुई और उत्स्फूर्त अंतः प्रेरणा अपने आप प्रवाहित होती है। गाना शुरू करते वक्त बंदिश वही रही, तो भी गायक का प्रभाव उस पर होता है। उसी अनुसार बंदिश का विस्तार होता है। जिस दिशा में गाना जाता है उसी दिशा में अनुराग के रूपधारण कर के आकृती मयता अर्थात ख्याल–भरणा इसी से वहीं बंदिश नया अवतार लेती है, जिससे ख्याल नया महसूस होता है। पंडित जी ने ख्यान का मर्म ऐसा बताया है।

हर वक्त एक सी गाई जाने वाली बंदिश और उसका एक ही तरह से विस्तार अर्थात pre composed music- ऐसी बंदिश गाते वक्त उसमें आने वाली हर उतार, चढाव, सौंदर्य और अभिनव में गायक अपनी मर्यादा न छोडे, इसका यही अर्थ होता है। केवल मर्यादा पालन ही मूल्य निर्मिती का साधन है? सिर्फ मर्यादा पालन पर आश्रित गायक मस्त होकर कैसे गा पाएगा? इसिलिए अनेकानेक तरिकों से बंदिश गायन सही अर्थों में कौशल्य है; यह भाव उन्होंने अपने अधिकार से सिद्ध किया है। सच्चाई मात्र इतनी है कि गायक परंपरानुसार जितना अभ्यास करेगा, उसकी बंदिश गायकी ठराविक रिती के अलावा भी अनेक तरह से अपना स्थान बनाएगी।

सन्दर्भ :

1. भारतरत्न भीमसेन, संकलन–संपादन डॉ0 सुरेष गरसोळे, प्रा. मुक्ता गरसोळे–कुलकर्णी, उत्कर्ष प्रकाषन, पुणे 411004
2. स्वरभास्कर, विद्यावाचस्पती शंकर वासुदेव अभ्यंकर, प्रकाषक आदित्य प्रतिष्ठान, 15, वेदान्त नगरी सोसायटी, स.नं. 4, कर्वेनगर, पुणे 411052
3. स्वरगंगा गंगुबाई हनगल, लेखिका संध्या देषपांडे, अनुबंध प्रकाषन, पुणे 43
4. भीमसेन, लेखक वसंत पोतदार, राजहंस प्रकाषन, 1025, सदाषिव पेठ, पुणे 30

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. 181-183

मानव समाज में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय नैतिकता

डॉ0 रीता मौर्या*

*असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, कन्या महाविद्यालय, आर्य समाज, भूड़, बरेली, उ0 प्र0

सारांश : पृथ्वी पर जड़ और चेतन की अपनी दुनिया है जो आपसी सामंजस्य एवं संतुलन पर आधारित है। पर्यावरण एवं मानव का सम्बन्ध मानव के विकास के साथ चलता रहा है। पर्यावरण के अन्तर्गत सभी प्राणियों का भौगोलिक परिवेश में बराबर का योगदान होता है, परंतु मानव की भूमिका सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण को भली–भांति समझने और उसके संरक्षण, अनुरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यापक पर्यावरणीय ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव ने पिछले कई दशकों से मनमाने तरीके से अनेक पर्यावरण विरोधी कार्यो के द्वारा उसका संतुलन बिगाड़ा है। अतः अब आवश्यक हो गया है कि प्रकृति के साथ मानव समाज के व्यवहार व विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए। पर्यावरण नैतिकता का संबंध प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव के व्यवहार से है। यह इस तथ्य पर जोर देता है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को जीवन जीने का अधिकार है। प्रस्तुत शोध पत्र में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात् करते हुए पर्यावरणीय नैतिकता की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय नैतिकता, पर्यावरणीय ज्ञान, जैविक घटक, अजैविक घटक आदि।

पर्यावरण : पर्यावरण उस परिवेश को कहते हैं जो जीवमण्डल को आवृत किए हुए है, अर्थात् चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण दो शब्दों 'परि' एवं 'आवरण' से बना है। 'परि' का तात्पर्य चारों ओर और 'आवरण' का अर्थ घेरा है। इसके अंतर्गत मण्डल, स्थलमण्डल तथा जलमण्डल के भौतिक, रासायनिक एवं अन्य सभी तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में पर्यावरण शब्द समस्त परिस्थितियों की सम्पूर्णता है जो जीवों के जीवन को प्रभावित करती है। प्रकृति और मानव एक ही नियम से सीधे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना है जिन्हें जैविक एवं अजैविक घटकों में विभाजित किया गया है। जैविक घटकों में पेड़–पौधे, पशु–पक्षी, जीव–जन्तु और मानव आते हैं जबकि अजैविक घटकों में प्रकाश, वायु, जल, भूमि, मिट्टी, ताप आदि तत्व आते हैं। जैविक व अजैविक घटक आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहकर जीवन का संचार करते हैं। अतः पर्यावरण उन समस्त आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों और प्रभावों का योग है जो प्राणी–जगत के जीवन विकास को प्रभावित करता है।

पर्यावरण असंतुलन : सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक प्राकृतिक संतुलन पर आधारित होता है। मानव सहित सभी जीव, वनस्पतियों जल, वायु, भूमि एवं पर्यावरण के अन्य घटक इसके अंग होते हैं। जब किसी भी अंग में प्राकृतिक या प्राकृतिक कारणों से परिवर्तन होता है तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मानव की अत्याधिक भौतिकवादी प्रवृत्ति, औद्योगिकरण प्राकृतिक संसाधनों का अत्याधिक दोहन, कम समय में अधिक उत्पादन की होड़, उपभोक्तावादी संस्कृति आदि के कारण प्राकृतिक की मूल संरचना विकृत हो गई है। आज विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के बहुमूल्य साधनों को निर्ममता से रौंदा जा रहा है। अपव्यय की प्रवृत्ति ने पूरे विश्व में पर्यावरण संकट उत्पन्न कर दिया है। ऊर्जा संसाधनों के अति दोहन से ऊर्जा के भंडार खाली हुए जा रहे हैं। भारत में भी पश्चिमी देशों से आयतित आर्थिक विकास की अंधी दौड़ चल रही है। प्रकृति में संतुलन तभी विद्यमान होता है जब उसका प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाए। प्रकृति उस क्षति को धीरे–धीरे स्वयं ही पूर्ण कर लेती है परन्तु अनियंत्रित शोषण से प्रकृति और पर्यावरण में समरसता समाप्त हो जाती है। प्रकृति में अत्यन्त उदारता से मानव को अपने प्रचुर संस्थान दान किया, परंतु मानव ने उसे अपना नैसर्गिक अधिकार समझ कर उसका दुरुपयोग किया। मानव की इसी शोषणवादी संकीर्ण मानसिकता से पर्यावरण असंतुलन की भयावह स्थिति सामने आ रही है। आए दिन बाढ़, भूकम्प, सूखा जैसी विषम स्थितियां मानव के सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद, अम्लीय वर्षा, बढ़ती बंजर भूमि, लुप्त होते जीव–वनस्पति प्रजातियां, प्रदूषित जल, वायु आदि इसी पर्यावरण असंतुलन के गम्भीर परिणाम हैं।

पर्यावरण प्रदूषण : वैज्ञानिक प्रगति के साथ जैसे–जैसे मनुष्य ने नये–नये अविष्कार करके प्रकृति पर विजय प्राप्त करने और प्राकृतिक दशाओं को अपने अनुकूल करने की कोशिश की प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। जिसके कारण पर्यावरण में ऐसे परिवर्तन होने लगे। जिनसे पर्यावरण का ह्रास होना शुरू हो गया, जिसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, वनों का अंधाधुंध विनाश, असंतुलित रासायनिक खादों का कीटनाशकों का प्रयोग, संसाधनों के अत्याधिक दोहन के फलस्वरुप पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वस्तुतः जब जल, भूमि, व वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन होने लगता है, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य को अत्याधिक दुस्प्रभावित करता है साथ ही साथ हमारे अन्य जैविक प्राणियों के लिए भी खतरा है। यह हमारी जैविक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को क्षति पहुँचाता है।

पर्यावरण संरक्षण एवं मानव समाज : मनुष्य जिस समाज, जिस परिवेश में जीता है वही उसका पर्यावरण है। इसमें भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण तथा सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों सम्मिलित हैं। **वाट्सन** जैसे विद्वान यह मानते हैं कि मनुष्य के विकास में उसके वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। उनका तो यह भी मानना है कि मनुष्य के चारों ओर अनुकूल वातावरण का निर्माण कर उसे मनचाहे रूप में मोड़ा जा सकता है। वास्तव में भौगोलिक पर्यावरण के आंगन में ही किसी समाज का सांस्कृतिक पर्यावरण जन्म लेता है और विकसित होता है।

हमारे ऋषि–मुनियों ने प्रकृति और मनुष्य के आत्मीयता पूर्ण साहचर्य को पहचाना था और लोक कल्याण के लिए इसका उपयोग किया था। भारतीय संस्कृति की आत्मा में ही प्रकृति का वास है। इस संदर्भ में **हरिश्चंद्र व्यास** का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि, ''भारतीय वांग्यमय इस बात का साक्षी है कि उसमें आदि काल से प्रकृति की अर्चना, आराधना एवं पूजा के भाव रहे हैं। हमने प्रकृति में ईश्वर का साक्षात् रुप देखा ऐसे में उसके प्रति बैरभाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।'' पर्यावरण संरक्षित है तो जीवन संरक्षित है यह मात्र उक्ति नहीं बल्कि अकाट्य सत्य है। पर्यावरण का संरक्षण आज पूरे विश्व में अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

सन् 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया था, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना एवं पर्यावरण आंदोलन का प्रारम्भिक सम्मेलन था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था। इसमें 'एक ही पृथ्वी' के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। भारत में सन 1976 में संविधान संशोधन कर नये अनुच्छेद जोड़े गए। जिसमें अनुच्छेद 48 ए सरकार को निर्देशित था कि वह पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार कार्य करें जबकि अनुच्छेद 51 ए (सी) नागरिकों के लिए है कि वे हमारे पर्यावरण की रक्षा करें।

पर्यावरण संरक्षण का कार्य मात्र सरकारी संस्थाओं का नहीं बल्कि हम सब का कर्त्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना–अपना उत्तरदायित्व समझते हुए पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना चाहिए। कुछ आसान से उपायों द्वारा हम पर्यावरण में योगदान दे सकते हैं जैसे पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं का कम से कम उपयोग, वस्तुओं का पुनः उपयोग, पानी का कई स्तरों पर पुनः उपयोग आदि। पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन में एक व्यक्ति की सामाजिक भूमिका समाज के हित के लिए आवश्यक है। अत्याधिक जनसंख्या भी पर्यावरण असंतुलन एवं प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व है अतः जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण व अपने आस–पास स्वच्छता रखना भी प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है।

प्राचीन भारतीय समाज एवं पर्यावरण : भारतीय समाज में पर्यावरण और उससे व्यक्ति तथा समाज का जुड़ाव अत्यन्त प्राचीन है। पर्यावरण और उसका संरक्षण हमारी भारतीय संस्कृति व जीवन दर्शन से अत्यन्त गहराई से जुड़े रहे हैं। हमारे प्राचीन वेदों के वर्णित कल्याणकारी संकल्पना शुद्ध आचरण, निर्मलवाणी एवं सुनिश्चित गति के निर्देशों पर चलने से पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जीव जंतुओं के विनाश हो हमारे यहां अक्षम्य कहा गया है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में ईश्वर, प्रकृति तथा सभी जीव जन्तुओं में सम्बन्ध स्थापित किया गया है। तैतरीयोपनिषद में कहा गया है कि– 'ईश्वरीय आत्मा से आकाश की, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी ने सभी जीव–जन्तुओं को जन्म दिया।'

भारतीय संस्कृति में वृक्ष में देवताओं का निवास माना गया है। गीता के विभूतियोग में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है ''अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम्।'' बाराहपुराण में वृक्षारोपण के महत्व को बतलाते हुए लिखा है कि – जो व्यक्ति एक वृक्ष पीपल का, एक नीम का, एक बरगद का, दस पुष्प देने वाले वृक्ष, दो अनार का वृक्ष, दो संतरे अथवा पाँच आम का पेड़ लगाता है उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती। महाभारत में वृक्षों को पुत्र के समान तारने वाला बताया गया है। वायु के बारे में चरक संहिता में लिखा हैः– वायु जीवन है, वायु बल है, वायु शरीरधारक है, वायु सर्व विश्व है और वायु ही सबका प्रभु कहा गया है। आयुर्वेद में लिखा है कि – जल जीवसृष्टि का प्राण है, जीवन जल के बिना संभव नहीं।

आदिग्रंथ वेद में पृथ्वी के बारे में लिखा है कि पृथ्वी माता है हम सब उसकी संतान है उससे उत्पन्न हुई वस्तुएं मानव जीवन को सुखी बनाती हैं। अथर्ववेद में लिखा है कि पृथ्वी का जितना भाग खोदा जाए उसे तुरन्त भर देना चाहिए। पृथ्वी के मर्म स्थल एवं हृदय को आघात ना पहुँचाया जाए पृथ्वीसूत्र में लिखा है कि हे धरती मां जो कुछ मैं तुझसे लूंगा वह उतना ही होगा जिसे तू पैदा कर सके। तेरे मर्म स्थल पर या तेरे जीवन शक्ति पर कभी आघात नहीं करूंगा। इस प्रकार यदि देखा जाए तो प्राचीन हिन्दू धर्म ग्रंथों में पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा के साथ–साथ उनके साथ समुचित व्यवहार को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को पूजनीय बताया था। गंगा, यमुना, सरस्वती सहित सभी नदियों को पूजनीय माना गया। विभिन्न पेड़–पौधों, जीव–जंतुओं के महत्व को समझते हुए उन्हें मानव ने अपने जीवन के साथ जोड़ते हुए उनकी पूजा का विधान बनाया था।

पर्यावरणीय नैतिकता : मानव एवं पर्यावरण का सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन रहा है। मानव के साथ इस पूरे संसार में अनेक जीव जन्तु हैं जो इस पर्यावरण का हिस्सा है और उन्हें भी जीवन का उतना ही अधिकार है जितना मानव को, इसीलिए मानव का यह कर्तव्य बनता है कि वह पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करें। पर्यावरण के नैतिकता का सम्बन्ध प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव के व्यवहार से है। वास्तव में नैतिकता एक सिद्धांत है जिसमें हम यह तय करते हैं कि कौन–सा कार्य सही है और कौन–सा कार्य गलत। पर्यावरणी नैतिकता दर्शनशास्त्र का वह भाग है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिकता सम्बन्धों को समझाता है। यह इस तथ्य को प्रकट करता है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवो को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। प्रकृति को नष्ट करके हम सभी जीवो के जीवन जीने का अधिकार को अस्वीकृत कर रहे हैं। नैतिकता मानव मात्र के लिए ही नहीं अपितु पूरी प्रकृति के लिए स्वीकार होना चाहिए, ऐसा पर्यावरण नैतिकता की मान्यता है।

नेचर पत्रिका के अनुसार,''पर्यावरणीय नैतिकता या नीति शास्त्र व्यावहारिक दर्शनशास्त्र की एक शाखा है जिसके अन्तर्गत पर्यावरणीय मूल्यों की आधारभूत अवधारणाओं के अध्ययन के साथ–साथ जैव विविधता एवं पारिस्थिकीय तंत्र के संरक्षण एवं उसे बनाए रखने के लिए आसपास के सामाजिक दृष्टिकोण, कार्य एवं नीतियों जैसे मुद्दों को अध्ययन किया जाता है।'' इसी प्रकार अमेरिकी विद्वान **एल्डो लियोपोल्ड** का मानना है कि सभी प्राकृतिक पदार्थों में मूल्य अंतर्निहित होते हैं इसीलिए मानव द्वारा दावा किए जा रहे सभी अधिकार, सभी प्राकृतिक पदार्थों पर भी लागू होते हैं तथा मानव का उनका सम्मान करना चाहिए। पर्यावरणीय मूल्यों के सैद्धान्तिक क्षेत्र की शुरुआत रेचल कार्सन जैसे वैज्ञानिकों के कार्यों के पश्चात हुई। रेचल कार्सन को पर्यावरणीय आंदोलन की जननी कहा जाता है। उनका कहना था कि जबकि मानव स्वयं इस प्रकृति का एक हिस्सा है, वह प्रकृति के विरुद्ध युद्ध कर रहा है और अपने

विरुद्ध एक युद्ध को आमंत्रित कर रहा है। उनकी पुस्तक 'साइलेंट स्प्रिंग' जो कि समुद्र और समुद्री जीवो पर आधारित थी, ने अनेक पर्यावरणीय आंदोलनों को जन्म दिया।

पर्यावरणीय नैतिकता का दृष्टिकोण : पर्यावरणीय नैतिकता के मूलतः तीन दृष्टिकोण हैं–

1. **मानव केंद्रित** : इस मत के अनुसार मानव ही पृथ्वी का सबसे प्रभावी प्रजाति है। मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति को हर प्रकार से उपयोग किया है।
2. **जीवन केन्द्रीत** : यह मत मानता है कि यह मानव का उत्तरदायित्व है कि वह अपनी भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदार बने। इसलिए मानव को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को अच्छी दशा में छोड़कर जाना चाहिए।
3. **पारिस्थितिकी केंद्रित** : इस मत के अनुसार इस पूरी पृथ्वी का संरक्षण करना सभी जीवो के लिए अनिवार्य होता है। आधारभूत तथ्य यह है कि मानव इस ग्रह को पूर्णता नष्ट नहीं कर सकता जबकि यह ग्रह हमको नष्ट कर सकते हैं। अतः यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है कि पर्यावरण की रक्षा करें ताकि हमारी उत्तरजीविता सुरक्षित रह सके एवं हम स्वयं को नष्ट होने से बचा सकें।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति तथा समस्त प्राकृतिक तंत्रों के अपने आंतरिक मूल्य होते हैं। यदि मानव जाति को जीवित रहना है तो पर्यावरण को भी बचाने की आवश्यकता है।

पर्यावरण नैतिकता से सम्बन्धित मुद्दे : पर्यावरणीय नैतिकता इस बात से संबंधित है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और वितरण किस प्रकार करते हैं। वर्ष 1985 में ''स्टेटस ऑफ इण्डियाज एनवायरन्मेंट'' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। इसमें यह बताया गया है कि धनी वर्ग पर्यावरण का अत्याधिक दोहन कर रहा है जबकि इसका दुष्परिणाम गरीब वंचित वर्ग विशेषकर आदिवासियों व महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों की आजीविका अधिकतर पर्यावरण पर ही आधारित है। पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़े कई प्रमुख मुद्दे हैं–

- **उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच समानता तथा विषमता का मुद्दा** : इस मुद्दे का सम्बन्ध संसाधनों के असमान वितरण एवं स्वामित्व से है। एक ओर उत्तर में अमेरिका एवं यूरोप के धनी देश हैं तो दूसरी तरफ दक्षिण के विकासशील और गरीब देश। उत्तर के धनी एवं औद्योगिक देश प्राकृतिक संसाधनों का सबसे ज्यादा खपत करते हैं जबकि दक्षिण के देशों की अधिकतम जनसंख्या इससे वंचित है। इस अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था को बदलकर एक नये न्यायपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता है।
- **नगर–ग्राम समानता का मुद्दा** : यह मुद्दा भी पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़ा है। नगरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण समुदायों के संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग होता है, जिसका उचित मूल्य भी इन्हें नहीं मिल पाता है जबकि नैतिकता के अनुसार नगरीय उपभोक्ताओं को इन संस्थानों का उचित मूल्य देना चाहिए।
- **लैंगिक समानता का मुद्दा** : यह मुद्दा भी कहीं ना कहीं पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़ा हुआ है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा पर्यावरण से ज्यादा नजदीक होती हैं, अतः उनको संसाधनों पर अधिक अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि वे पर्यावरण के महत्व को ज्यादा समझती हैं और आगे की पीढ़ी में इसे हस्तान्तरित कर सकती हैं।
- **भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण** : इसके लिए नयी पीढ़ी को यह समझना होगा कि पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग हम किस प्रकार करें कि यह भावी पीढ़ी का उपलब्ध हो सके।
- अन्य जीव–जंतुओं का पर्यावरण पर अधिकार का मुद्दा भी पर्यावरणीय नैतिकता के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आशय यह है कि मात्र मनुष्य ही पृथ्वी के सभी संसाधनों का अकेले उपभोग करने का अधिकार नहीं है, उस पर अन्य जीव–जंतुओं का भी बराबर अधिकार है।

प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग एवं अत्याधिक दोहन से पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है जबकि प्रकृति के साथ सहयोग व सामंजस्य स्थापित करके प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण असंतुलन का प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ रहा है।

पर्यावरण नैतिकता को बनाए रखने का उपाय : अमेरिकी विद्वान एल्डो लियोपोल्ड ने 'भूमि नैतिकता' की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि हमें भूमि को संसाधन मात्र मानने वाले विचार को त्यागना होगा। हमें भूमि संरक्षण पर बल देना होगा। मानव जीवन एवं संस्कृति के समृद्धि के लिए ही नहीं अपितु गैर–मानव जीवन की समृद्धि के लिए भी जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण की पारम्परिक गतिविधियों को व्यवहार में लाकर प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है।वस्तुतः पृथ्वी पर मानवीय एवं गैर–मानवीय जीवन का कल्याण एवं समृद्धि करना स्वयं में ही एक नैतिक मूल्य है।

सन्दर्भ :

1. डॉ0 दया शंकर त्रिपाठी 'पर्यावरण विज्ञान के विविध आयाम' हिन्दी प्रकाशन समिति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 2013।
2. इरफान हबीब अनु0 राजीव लोचन शुक्ल, 'मनुष्य एवं पर्यावरण' राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली 2018।
3. प्रो0 हरिमोहन, ''मानव अधिकारी और पर्यावरण संतुलन' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007।
4. 'योजना' पत्रिका' जुलाई 2001।
5. पर्यावरणीय प्रबंधन– (मॉड्यूल 7) nios.ac.in

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. 184-187

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की मूल्यों का उनकी शिक्षक प्रभावशीलता के निर्धारक के संदर्भ में अध्ययन

डॉ0 मुकेश कुमार गुप्ता*
*असि0 प्रो0, शिवा एजुकेशनल इंस्टीटयूट, मोदीनगर, गाजियाबाद, उ0प्र0

सारांश : भारतीय समाज में गुरू का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से समाज को विकासोन्मुख बनाता है और मानव एक ऐसा प्राणी है जो आदिकाल से ही ज्ञान का संचालन करता रहा है। प्रत्येक नई पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं ज्ञान में वृद्धि करती है। ज्ञान की यह परम्परात्मक श्रृंखला ही शिक्षा है जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही मानव को पशु स्तर से ऊँचा उठाया है और श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है। चीनी सन्त कन्फ्यूशस ने कहा था "अज्ञानता एक ऐसी रात्रि के समान है जिसमें न चाँद है न तारे।" शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर अज्ञान रूपी अंधेरी रात्रि के अंधकार को दूर करना है ताकि छात्र का सर्वांगीण विकास हो सके। वर्तमान में शिक्षक की कार्यकुशलता एवं कर्त्तव्यपरायणता पर अँगुली उठने लगी है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए शिक्षक मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है।

मुख्य शब्द : शिक्षको अभिवृत्ति प्रभावशीलता, उच्च प्राथमिक स्तर, सकारात्मक अभिवृत्ति, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आदि

प्रस्तावना : भारतीय समाज में गुरू का सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से समाज को विकासोन्मुख बनाता है और मानव एक ऐसा प्राणी है जो आदिकाल से ही ज्ञान का संचालन करता रहा है। आज वर्तमान में इन सभी कारणों का उत्तरादायी शिक्षक को माना जाने लगा है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए शिक्षक मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव है जबकि शिक्षकों की अभिवृत्ति, का उनकी शिक्षक प्रभावशीलता के निर्धारक के संदर्भ में अध्ययन किया जाये और जिन शिक्षकों को इस व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, भावशीलता के निर्धारक के संदर्भ में उनको ही इस कार्य हेतु नामांकित किया जाए ताकि शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन हेतु निर्धारित की जाने वाली पाठ्य–पुस्तकों का प्रयोग किया जाये।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व : शिक्षक की भूमिका इतनी ही नहीं है कि मात्र विषय की जानकारी दे दें, वरन् उनका दायित्व यह भी बनता है कि वह विषय का भली प्रकार ह्रदयंगम भी कर दें। उनके दायित्व में अभिभावक का दायित्व भी सम्मिलित है। गुरूदेव टैगोर के शब्दों में "हमारे शिक्षक जब यह समझने लगेंगे कि हम गुरू के आसन पर बैठे हैं और हमें अपने जीवन द्वारा अपने छात्रों में प्राण फूंकने हैं, अपने ज्ञान द्वारा बालकों का उद्धार करना है, उस समय वे सत्य रूप में स्वाभिमान के अधिकारी बन सकेंगे। उस समय वे छात्रों के समाय प्राकृतिक नियम के अनुसार सम्मानित एवं पूज्य बन सकेंगे।

अध्ययन का औचित्य : इन दिनों शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में जिस शब्द का काफी इस्तेमाल हो रहा है वह है "गुणवत्ता युक्त शिक्षा" परन्तु गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षकों का होना अनिवार्य है परन्तु विगत एक दर्शक से शिक्षण, प्रशिक्षण और शैक्षिक योजनाओं से जुड़े रहने के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रायः अधिकांश शिक्षकों में गुणवत्ता का स्तर दिन–प्रतिदिन घटता जा रहा है। इस दृष्टि से नैतिक मूल्यों से ओत–प्रोत, श्रेष्ठ और सृजनशील शिक्षकों के निर्माण में 'अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम' की अहम् भूमिका है। अतः अध्यापक शिक्षा का सम्बन्ध शिक्षकों के केवल संज्ञानात्क विकास (ज्ञान, कौशल और योग्यता) से नहीं है बल्कि यह जीवन के उस भावात्मक पक्ष से भी सम्बन्धित है जो शिक्षक को 'शिक्षक' के रूप में उसके अस्तित्व का बोध कराता है। शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों को इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मानवीय मूल्यों पर आधारित अध्यापक शिक्षा की परिकल्पना व्यापक रूप में करनी होगी ताकि उसे विद्यालय और समाज से जोड़कर प्रभावी, प्रासंगिक एवं मूल्यपरक बनाया जा सके। विद्यालय और समाज में इसकी प्रासंगिकता और उद्देयता को सार्थकता प्रदान करने के लिए 'अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम' एक दिशा चिंतन पर आधारित न होकर विविधतापूर्ण सृजनात्मक चिन्तन पर आधारित होना चाहिए।

अध्ययन के उद्देश्य : उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना। उच्च प्राथमिक स्तर की कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षिकाओं के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएं : उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर की कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षिकाओं के मूल्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

समस्या का परिसीमन : प्रस्तुत शोध उत्तर प्रदेश राज्य के तीन जिले गाजियाबाद, मेरठ एवं बागपत तथा राजस्थान राज्य के तीन जिले–चूरू, झूंझनुं एवं सीकर से उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों से दत्त संकलन किया गया। अध्ययन में पुरूष एवं महिला शिक्षकों, सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षकों, शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों तथा सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को सम्मिलित किया गया। शोध में न्यायदर्श के रूप में केवल 600 शिक्षकों (महिला+पुरूष) कों शामिल किया गया।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन : वर्मा, अरूणा (2009) ने–"विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, मूल्यों एवं संवेगात्मक परिपक्वता पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन" शीर्षक पर पी–एच.डी. स्तरीय शोध कार्य किया और शोध के निष्कर्ष में पाया कि सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने वाले छात्रों की अपेक्षा भाग लेने वाले छात्रों में व्यक्तित्व गुण सक्रियता की मात्रा अधिक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने वाले छात्रों में उक्त विषेशताएं विपरीत पायी गई। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने वाली छात्राओं की अपेक्षा भाग लेने वाली छात्राएं अधिक सक्रिय उत्साही प्रभुत्ववादी विश्वासी, विशादरहित संवेगात्मक रूप से स्थिर, उच्च व्यक्तित्व स्तर वाली पायी गई। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने वाले छात्राएं निष्क्रिय निरुत्साही, दब्बू प्रवृत्ति अविश्वासी विशादयुक्त व निम्न व्यक्तित्व स्तर वाली पाई गई। सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने वाले छात्रों की अपेक्षा भाग लेने वाले छात्रों में सैद्धान्तिक आर्थिक राजनैतिक व धार्मिक मूल्य की मात्रा अधिक पायी गई

तथा सौन्दर्यात्मक व सामाजिक मूल्यों की मात्रा कम पायी गई। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने वाले छात्रों में उक्त मूल्यों की मात्रा में भाग न लेने वाले छात्रों में उक्त मूल्यों की मात्रा इसके विपरीत पायी गई।[1]

भारद्वाज, ओमऋषि (2010) ने – "सरकारी तथा गैर–सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन"[2] विषय पर अध्ययन कार्य किया। प्रस्तुत शोध अध्ययन जनपद एटा (उ0प्र0) के 7 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के 60 अध्यापकों (जिनमें 30 अध्यापिकाएं भी शामिल है।) तथा 7 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के 60 अध्यापकों (जिनमें 30 अध्यापिकाएं भी शामिल है) तक ही सीमित रखा गया है। प्रस्तुत शोध निष्कर्ष निम्नवत् हैं –

1. सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के मध्य सैद्धान्तिक, आर्थिक, सौन्दर्यात्मक एवं राजनैतिक मूल्यों मे कोई सार्थक अन्तर नही है। अतः उक्त मूल्यों पर प्रषासनिक संगठन का कोई महत्वपूर्ण अभाव नहीं सिद्ध होता है।
2. संदर्भित अध्यापकों के मध्य सामाजिक मूल्यों में स्पष्ट सार्थक अन्तर है जो 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थक है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी अध्यापकों की तुलना में गैर सरकारी अध्यापक सामाजिक मूल्यों को अपेक्षाकृत अधिक वरीयता प्रदान करते है।
3. सरकारी एवं गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच 0.05 विश्श्वास के स्तर पर धार्मिक मूल्यों में स्पष्ट सार्थक अन्तर है अर्थात् धार्मिक मूल्यों में सरकारी अध्यापक गैर सरकारी अध्यापकों की तुलना में अधिकवरीयता प्रदर्षित करते है।

शोध विधि : प्रस्तुत अध्ययन में शोधक ने अनुसंधान की विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि को अपनाया है। यह अनुसंधान की एक वैज्ञानिक विधि है। इसके द्वारा एकत्रित दत्त प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माने जाते हैं।

न्यादर्श : प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्त्ता ने आंकड़ों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले एवं राजस्थान राज्य के चूरू, सीकर एवं झूंझनू तीन जिलों मं स्थिति विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी उच्च प्राथमिक स्तर विद्यालयों में से 300 सरकारी तथा 300 गैर सरकारी पुरूष व महिला शिक्षकों को चयनित किया है।

न्यादर्श चयन विधि : प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्ता द्वारा यादृच्छिक प्रतिचयन न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्तशोध उपकरण : प्रस्तुत अध्ययन में दत्त संकलन हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा।

Teacher Atitude Inventory = S.P. Ahluwalia

अध्यापक अभिवृत्ति अनुसूची

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ : सांख्यकी अनुसंधान का मूल आधार है। प्रस्तुत शोध हेतु जिन सांख्यिकी विधि की सहायता ली गई है उनकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। 1. मध्यमान (Mean) 2. मानक विचलन (S.D.) 3. क्रांतिक अनुपात (C.R. Value)

उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के छः आयामों के प्राप्तांकों के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना।

(A) उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के प्रथम आयाम–'सैद्धान्तिक मूल्य' के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना।

तालिका संख्या . 1

अध्यापकों की प्रभावशीलता	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात मान	सार्थकता के स्तर	
					.05 स्तर	.01 स्तर
अधिक प्रभावशाली	150	89.57	13.46	1.656	सार्थक अन्तर नहीं है।	
कम प्रभावशाली	150	87.08	12.53			

(df=150+150-2=298)

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका सं.(2) में कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के प्रथम आयाम–'सैद्धान्तिक मूल्य' में सार्थक अन्तर नहीं है। तालिका में दिए गए दोनों समूह के मध्यमानों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के कम प्रभावशाली एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के प्रथम आयाम–'सैद्धान्तिक मूल्य' का मध्यमान लगभग समान है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक प्रभावशाली शिक्षकों की के मूल्यों के प्रथम आयाम–'सैद्धान्तिक मूल्य' की मात्रा कम प्रभावशाली शिक्षकों के समान पायी गई।

(B) उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के द्वितीय आयाम–'आर्थिक मूल्य' के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना।

तालिका संख्या . 2

अध्यापकों की प्रभावशीलता	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात मान	सार्थकता के स्तर	
					.05 स्तर	.01 स्तर
अधिक प्रभावशाली	150	86.94	12.47	0.598	सार्थक अन्तर नहीं है।	
कम प्रभावशाली	150	86.08	12.44			

(df=150+150-2=298)

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका सं.(2) में दिए गए दोनों समूह के मध्यमानों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के कम प्रभावशाली एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के द्वितीय आयाम–'आर्थिक मूल्य' का मध्यमान लगभग समान है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक प्रभावशाली शिक्षकों की के मूल्यों के द्वितीय आयाम–'आर्थिक मूल्य' की मात्रा कम प्रभावशाली शिक्षकों के समान पायी गई।

[illegible] प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के तृतीय आयाम–'सौन्दर्यात्मक मूल्य' के मध्यमानों के अन्तरों की

सार्थकता की तुलना।

तालिका संख्या . 3

अध्यापकों की प्रभावशीलता	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात मान	सार्थकता के स्तर	
					.05 स्तर	.01 स्तर
अधिक प्रभावशाली	150	95.77	16.36	5.531		सार्थक अन्तर है।
कम प्रभावषाली	150	84.83	17.84			

(df=150+150-2=298)

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका सं.(3) में दोनों समूह के मध्यमानों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के तृतीय आयाम–'सौन्दर्यात्मक मूल्य' का मध्यमान अधिक है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के तृतीय आयाम–'सौन्दर्यात्मक मूल्य' की मात्रा कम प्रभावशाली शिक्षकों की तुलना में अधिक पाई गयी।

(D) उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के चतुर्थ आयाम–'सामाजिक मूल्य' के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना।

तालिका संख्या. 4

अध्यापकों की प्रभावशीलता	संख्या (N)	मध्यमान (Mean)	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात मान	सार्थकता के स्तर	
					.05 स्तर	.01 स्तर
अधिक प्रभावशाली	150	89.42	17.75	2.652		सार्थक अन्तर है।
कम प्रभावशाली	150	94.72	16.91			

(df=150+150-2=298)

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका सं.(4) में गणना द्वारा प्राप्त क्रांतिक अनुपात मान सारणी में दिए गए दोनों मानों से अधिक है। अतः निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृति की गई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के चतुर्थ आयाम–'सामाजिक मूल्य' में सार्थक अन्तर है। तालिका में दिए गए दोनों समूह के मध्यमानों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के कम प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के चतुर्थ आयाम–'सामाजिक मूल्य' का मध्यमान अधिक है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक प्रभावशाली शिक्षकों की के मूल्यों के चतुर्थ आयाम–'सामाजिक मूल्य' की मात्रा कम प्रभावशाली शिक्षकों की तुलना में कम पायी गयी।

निष्कर्ष : परिकल्पना संख्या (1) . उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, का परीक्षण मूल्य परीक्षण के छः आयामों के आधार पर करने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए–उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के तृतीय आयाम–'सौन्दर्यात्मक मूल्य', चतुर्थ आयाम–'सामाजिक मूल्य', पंचम् आयाम–'राजनैतिक मूल्य' में 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अन्तर है। यहाँ पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की गयी। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के षष्ठ आयाम–'धार्मिक मूल्य' में 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक अन्तर है। तथा उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षकों के मूल्यों के प्रथम आयाम–'सैद्धान्तिक मूल्य', द्वितीय आयाम–'आर्थिक मूल्य', में 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं है। यहां पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गयी।

परिकल्पना संख्या (2) . उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षिकाओं के मूल्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है, का परीक्षण मूल्य परीक्षण के छः आयामों के आधार पर करने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए– उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षिकाओं के मूल्यों के प्रथम आयाम–'सैद्धान्तिक मूल्य', पंचम् आयाम–'राजनैतिक मूल्य' में 0.01 सार्थकता स्तर पर सार्थक अन्तर है। यहाँ पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की गयी। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली शिक्षिकाओं के मूल्यों के द्वितीय आयाम–'आर्थिक मूल्य', तृतीय आयाम–'सौन्दर्यात्मक मूल्य', चतुर्थ आयाम–'सामाजिक मूल्य' एव षष्ठ आयाम– 'धार्मिक मूल्य' में 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं हैं। यहाँ पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना स्वीकृत की गयी।

शैक्षिक उपयोगिता : अध्यापक (शिक्षक) कों समाज के निर्माता के रूप में माना जाता है यह तथ्य पूर्णरूपेण सही एवं सार्थक भी है, क्योंकि शिक्षक बच्चों के सम्पूर्ण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए शिक्षक की योग्यता एवं दक्षता को ध्यान में रखना समाज का एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। सकारात्मक अभिवृत्ति अध्यापकों में लगन, कार्यशीलता, रूचि, मनोयोग, मनोबल, योग्यता एवं दक्षता को भी विकसित करता है। यह शोध अध्यापकों को एक सार्थक दिशा देने में योगदान देगा। शोधक का यह प्रयास है कि शिक्षकों के कार्योन्मुखी कार्यक्रमों के निमार्ण एवं भावी शिक्षकों के लिए योजनाओं में अपना योगदान अवश्य देगा।

अध्यापकों हेतु सुझाव : अध्यापकों को अपनी शिक्षण कला मे सुधार करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी प्रभाशीलता को बनाये रखे एवं सुधार भी करते रहे। अध्यापकों को अपनी शिक्षण कला में सुधार हेतु शैक्षिक नवाचारों को अपनी शिक्षण कला में अपनाते रहना होगा और अपने ज्ञान एवं विषय वस्तु की जानकारी को अपडेट रखें। अध्यापकों को अपनी मानसिक योग्यता का ध्यान रखते हुये अपनी शिक्षण शैली एवं व्याख्यान कौशलों में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं और वे अपनी शिक्षण कला में चार चांद लगाकर शिक्षण कला में प्रभावशाली अध्यापक के रूप में स्थापित हो सकेंगे। अध्यापकों को समाज में एक आदर्श पुरूष का के रूप में माना जाता है इसलिए अपने संस्कारों एवं मूल्यों का सर्वोच्च स्तर बनाये रखना चाहिए ताकि अध्यापक के उत्तम गुणों का संचार हो। अध्यापकों को अपनी कक्षा शिक्षण में लोकतांत्रिक गुणों को बनाये रखना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में ईर्ष्या एवं शुद्ध प्रतिद्वन्द्वता स्वीकार कर सके। अध्यापक अध्यापिकाओं को अपने शिक्षण कला में मनोवैज्ञानिक विधियों एवं नियमों का प्रयोग कर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए।

भावी अनुसंधान हेतु सुझाव : माध्यमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली अध्यापकों में वचनबद्धता, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं व्यावसायिक सन्तुष्टि का अध्ययन किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर के कम एवं अधिक प्रभावशाली अध्यापकों में शिक्षण शैली, शैक्षिक मूल्य एवं व्यावसायिक सन्तुष्टि

का अध्ययन किया जा सकता है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के अध्यापकों में शिक्षक अभिवृत्ति, कार्य सन्तुष्टि एवं मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। शोधकर्त्ता के उक्त शीर्षक को राष्ट्रीय स्तर पर एवं विस्तृत न्यादर्श के दत्तों का संकलन करके इसी शोध कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। उच्च मानसिक योग्यता एवं औसत मानसिक स्तर के अध्यापकों में शिक्षक प्रभावशीलता, शिक्षण कौशलों की निपुणता एवं शैक्षिक मूल्यों का अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ :

1	शर्मा, आर.एस.(2004)	:	शिक्षा अनुसंधान, आर.लाल बुक डिपो मेरठ पृ0 145–213
2.	शर्मा, वन्दना एवं राजकुमारी (2006)	:	''शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन'' राधा प्रकाशन आगरा पृ0 92
3.	श्री वास्तव, डी.एन. और वर्मा प्रीति (2004)	:	''शिक्षा अनुसंधान में सांख्यिकी विधियाँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
4.	सुखिया, एस.पी. (1973)	:	''शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व'' द्वितीय संस्करण, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृ0 487
5.	हकीम, एम.ए. और अस्थाना विपिन (1994)	:	''मनोविज्ञान की शोध विधियाँ'' विनोद पुस्तक मंदिर आगरा पृ0 169

Research Discourse (ISSN 2277-2014) : An International Refereed Research Journal, **Published by :** SARDI, Varanasi, U.P. (INDIA)
Indexed by : IIJIF, I2OR, SJIF, **IIJ Impact Factor :** 2.471, Year VIII, No. V, Supplement 2018, Page No. 188-191

भारत के ग्रामीण विकास में इन्दिरा आवास योजना की भूमिका का अध्ययन (जनपद –ऊ०सिं०नगर के विकासखण्ड बाजपुर के विषेष सन्दर्भ में)

कु0 नीतू*
*शोध छात्रा, (अर्थषास्त्र), चन्द्रावति तिवारी कन्या स्ना0 महा0, काशीपुर (ऊ0 सि0 नगर)

सारांश : भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे–निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, आवास सम्बन्धी समस्याए आदि। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें से एक प्रमुख योजना ग्रामीणों की प्रथमिक आवश्यकता आवास सम्बन्धी समस्या को दूर करने के लिए चलायी गई। इस समस्या को ''इन्दिरा आवास योजना'' कहा गया हैं। इस योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित बी.पी.एल. परिवारों को आवास मुहैया कराए गए। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सबके लिए मकान का लक्ष्य पूरा करना हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र में जनपद ऊधम सिंह नगर के विकास खण्ड बाजपुर में इन्दिरा आवास योजना की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत रखे गये लक्ष्यों की पूर्ति, आवास में मिलने वाली धनराषि तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन किया गया हैं, साथ ही लाभार्थियों की आर्थिक स्थिाति पर इसके प्रभाव का भी अध्ययन किया गया हैं।

प्रस्तावना : भारत में 83 प्रतिषत जनसंख्या गाँव में निवास करते हैं और लगभग 73 प्रतिषत ग्रामीण जनसंख्या असंतोषजनक कच्चे ढाँचे में निवास करते हैं। भारत के संविधान में ग्रामीण आवास को राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में रखा गया हैं। केंद्र सरकार सभी के लिए आश्रय को संभव बनाने के दृष्टिकोण के तहत इन्दिरा आवास योजना का कार्यान्वयन करती हैं। इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसमें षुरूआत से ही ऐसे गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को सहायता दी जाती है, जो या तो बेघर है या जिनके पास टिकाऊँ आश्रय के र्निमाण के लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं ''सभी के लिए आश्रय'' की मंत्रालय की प्रतिबद्धता को बल, तब मिला जब भारत ने जून 1996 में मानव आवास सम्बंधी इस्ताम्बूल घोसणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें किसी व्यक्ति के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए उसे सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक आश्रय एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को बुनियादी जरूरत माना गया हैं।

इन्दिरा आवास योजना भारत निर्माण कार्यक्रम के छः घटकों में से एक है। वर्ष 2010–11 के दौरान 29.09 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में 27.15 लाख मकान निर्मित किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान 27.26 लाख मकानों के वास्तविक लक्ष्य के मुकाबले 21.18 लाख मकान संस्वीकृत किए गए थे तथा 3 अक्टूबर 2011 तक 7.26 लाख मकान निर्मित किए गए थे, योजना के प्रारम्भ से सितम्बर 2011 तक 271 लाख मकान पूरे किए गए थे। इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत निवास इकाई के र्निमाण के लिए ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उपलब्ध करायी गयी, इकाई सहायता 1 अप्रैल 2010 से मैदानी क्षेत्रों के लिए 35,000 से 45,000 रूपये तक तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 38,000 से 48,000 रूपये तक संशोधित कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रति आवासीय इकाई 20,000 रूपए प्रदान करने के लिए विभेदक ब्याज दर (डी.आर.आई.) योजना में इन्दिरा आवास योजना मकानों का निर्माण शामिल किया गया है। साठ वाम मार्गी उपग्रवाद (एल.डब्ल्यु.ई) प्रभावित जिले 48,500 रूपए की उच्च दर की इकाई सहायता के लिए पात्र बनाए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत 100–250 वर्ग मीटर की आवास योग्य भूमि उन ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास न तो भूमि हैं न मकान हैं। इस योजना के लिए प्रति लाभार्थी 10,000 रूपए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.ए) को प्रदान किए जाएंगे जिन्हें 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों द्वारा बांटा जाएगा ।

इन्दिरा आवास योजना : इन्दिरा आवास योजना जो वर्ष 1985–86 से प्रारम्भ की गई थी। इन्दिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से हुई, जो 1980 के प्रारम्भ में शुरू हुई। वर्ष 1980 में शुरू होने वाली ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और वर्ष 1983 में शुरू होने वाली ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियों में से एक गतिविधि आवासों का निर्माण था। गाँव में निवास करने वाले गरीबों की आवास सम्बंधित आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एक उपयोजना के रूप में इन्दिरा आवास योजना शुरू की गई थी। जिसका उद्देष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःषुल्क आवास उपलब्ध करना हैं, वर्ष 1989–90 में आर.एल.ई.जी.पी. को जे.आर.वाई. में मिला दिए जाने के बाद इस योजना को भी जे.आर.वाई. का अंग बना दिया गया। किन्तु वर्ष 1996 में इसे जे.आर.वाई. से अलग करके इसे एक स्वतन्त्र योजना का रूप दिया गया हैं। वर्तमान में यह भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटकों में से एक हैं।

इस योजना के महत्त्वपूर्ण बिन्दु निन्नलिखित हैं : वर्ष 1993–94 से इस योजना के कार्यक्षेत्र में गैर–अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों को भी सम्मिलित किया गया हैं। किन्तु उनको मिलने वाली लाभ योजना कि आवंटन राशि का 40 प्रतिषत से अधिक नहीं हो सकता, (अर्थात अभी भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए कम से कम 60 प्रतिषत धनराषि का उपयोग अनिवार्य हैं) वर्ष 1995–96 से इस योजना का लाभ लड़ाई में मारे गए रक्षाकर्मियों की विधवाओं या निकट सम्बंधी को भी देने का प्रावधन किया गया है।
कुल निर्मित मकानों का 3 प्रतिषत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे के अपंग एवं

मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया हैं। इस योजना के अन्तर्गत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम से अथवा पत्ति–पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता हैं। ग्राम सभा को इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करने का अधिकार प्राप्त हैं। स्वच्छ शौचालय और धुआँ रहित चुल्हा का अभिन्न अंग हैं। यह योजना केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के लागत बँटवारे के आधार पर वित्त पोषित की जा रही हैं। कच्चे एवं जीर्ण–क्षीण मकानों की हालत ठीक करने के लिए रू० 15,000 राषि प्रदान की जाती हैं।

अध्ययन का उद्देष्य : प्रस्तुत शोध पत्र के विकास खण्ड बाजपुर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रखे गये लक्ष्यों में से प्राप्त पूर्ति की समीक्षा की गई हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के विकास खण्ड बाजपुर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दी गई धनराषि की समीक्षा की गई हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के विकास खण्ड बाजपुर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की आर्थिक स्थिती की समीक्षा की गई हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के विकास खण्ड बाजपुर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा की गई हैं।

अध्ययन का क्षेत्र : प्रस्तुत शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र बाजपुर विकासखण्ड जो ऊधम सिंह नगर जनपद में आता हैं। ऊधम सिंह नगर में 7 विकासखण्ड हैं। विकासखण्ड – बाजपुर, खटीमा, सितारगंज, रूद्रपुर, गदरपुर, काशीपुर तथा जसपुर हैं। ऊधम सिंह नगर का क्षेत्रफल 2912 वर्ग मीटर हैं। ऊधम सिंह नगर में कुल जनसंख्या 1,64,83,67 (16.29 प्रतिषत) हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद के पष्चिम भाग में बाजपुर विकासखण्ड स्थित हैं। बाजपुर विकासखण्ड के पूर्व भाग में गदरपुर तहसील, पष्चिम भाग में काषीपुर तहसील, उत्तर भाग में कालाढुगी, तथा दक्षिण भाग में रामपुर जिला स्थित हैं। बाजपुर विकासखण्ड में 122 गॉव स्थित हैं। बाजपुर विकासखण्ड में कुल जनसंख्या 1,88,083 हैं। जिसमें 98,194 पुरुष (64.04 प्रतिषत) तथा 89.889 महिलाएँ (48.1 प्रतिषत) हैं।

शोध पद्धति : प्रस्तुत शोध पत्र में ऊधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर विकासखण्ड के 122 गाँवों में से दैव निर्देशन के आधार पर 50 गाँवों का चयन करके प्रत्येक गाँव में से 5–5 लाभार्थियों का भी दैव निर्देषन के आधार पर चयन किया हैं। कुल चयनित लाभार्थियों की संख्या 250 हैं। प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों समंको पर आधारित हैं। **1. इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रखे गये लक्ष्यों में से प्राप्त पूर्ति की समीक्षा** : इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ऊधम सिंह नगर जनपद के सात विकास खण्डों में अलग–अलग लक्ष्य रखे गये हैं। सात विकास खण्डों में से बाजपुर विकास खण्ड में लक्ष्यों की पूर्ति को तालिका के माध्यम से दर्षाया गया हैं।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रखे गये लक्ष्यों और पूर्ति –(2009–15)

क्र०स०	वर्ष	लक्ष्य	पूर्ति	षेष
1	2009–10	880	859	21
2	2010–11	881	881	0
3	2011–12	944	902	42
4	2012–13	234	203	31
5	2013–14	3	3	0
6	2014–15	344	176	168
	कुल योग	3,286	3,024	262

स्त्रोत– विकास भवन, रूद्रपुर

प्रस्तुत शोध पत्र में ऊ० सिं० नगर जनपद के बाजपुर विकासखण्ड में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत रखे गये लक्ष्यों में से पूर्ति का अध्ययन किया गया हैं। इसमें वर्ष 2009 से वर्ष 2015 तक के वर्षो में कुल लक्ष्य 3,286 जिसमें से 3,024 की पूर्ति हुई हैं। तथा 262 लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई। अर्थात शोध पत्र से यह स्पष्ट हुआ हैं, कि 262 लाभार्थियों को आवास प्राप्त नहीं हुआ हैं।

2. बाजपुर विकासखण्ड में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दी गई धनराषि की समीक्षा की गई हैं : बाजपुर विकासखण्ड में गरीब परिवारों को मकान बनाने में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराषि वितरण की जाती हैं। जिससे गरीब परिवारों को काफी मदद मिली और वे अपने मकान बनाने में सक्षम हो पाये। गरीब परीवारों को यह धनराषि दो या तीन किस्तों के रूप में दी जाती हैं। इस धनराषि में समय–समय पर वृद्धी भी होती रही हैं।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दी गई धनराषि की समीक्षा

वर्ष	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	कुल धन राषि
2009–10	30,000	5,000	–	35,000
2010–11	41,000	4,000	–	45,000
2011–12	41,000	4,000	–	45,000
2012–13	41,000	4,000	–	45,000
2013–14	41,000	4,000	–	45,000
2014–15	17,500	42,000	10,500	70,000

_**स्त्रोत**– विकासखण्ड, बाजपुर

प्रस्तुत शोध पत्र के बाजपुर विकास खण्ड में इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराषि का विवरण दिया गया हैं। अतः: शोध से स्पष्ट हुआ हैं, कि इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से दी जाने वाली धनराषि में वृद्धि हुई हैं। तथा किस्तों में भी परिवर्तन हुआ हैं।

3. विकास खण्ड बाजपुर में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की आर्थिक स्थिती की समीक्षा की गई हैं : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को अपने घर में रहने का सपना पुरा हुआ। सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ हैं।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की आर्थिक स्थति

क्र०स०	मासिक आय का विवरण	चयनित लाभार्थियों की संख्या (250)	प्रतिषत
1	3000 रू०	150	60
2	3000–6000 रू०	75	30
3	6000 रू० से अधिक	25	10

स्त्रोत– स्वंयम सर्वेक्षण

शोधार्थी द्वारा शोध पत्र में तालिका के माध्यम से बाजपुर विकासखण्ड में लाभार्थियों के मासिक आय का विवरण दिया गया हैं। अतः बाजपुर विकासखण्ड में अधिक आय प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या केवल 10 प्रतिषत ही हैं। तथा कम आय प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 60 प्रतिषत हैं।

गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। लाभार्थी अपने आय में से 200 रू० भी बहुत मुष्किल से ही बचा पाते हैं। गरीब परिवारों की आय निम्न होने की वजह से उनके बच्चों के षिक्षा स्तर में भी कमी आ जाती हैं। गाँव में अधिकतर संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें कई लोग रोजगार तो होते हैं लेकिन फिर भी लोगों की आवष्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। गरीब परिवारों को आवास मिलने से काफी सहयोग तो मिला हैं। परन्तु वह पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आवास का लाभ पूरा नहीं मिल पाया हैं। इसलिए गरीब परीवारों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ हैं पूरा सुधार नहीं हो पाया हैं।

4. इन्दिरा आवास योजना में लक्ष्यों की पूर्ति होने में आने वाली कठिनाइयॉ : अधिकांष लाभार्थी साक्षर नहीं होते हैं, जिसके कारण वह आवेदन पत्र भरने में गलतियां करते हैं। लाभार्थियों के पास पूरा प्रमाण पत्र न होने से आवास मिलने में समय लग जाता हैं। लाभार्थियों को प्रथम किस्त तो मिल जाती हैं, परन्तु दूसरी किस्त आने में अधिक समय लग जाता हैं। जिसके कारण उनका मकान पूर्ण नहीं हो पाता हैं। ग्राम विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख का लाभार्थियों के घर समय–समय पर जाँच न करने से दूसरे व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा लेते हैं। इन्दिरा आवास योजना के बारे में सही प्रकार से लाभार्थियों को जानकारी न होने से आवेदन पत्र में कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं, जिसके कारण आवेदन पत्र रदद् हो जाता हैं। इन्दिरा आवास योजना में कम धन राषि होने से अधिकांष लाभार्थियों के मकानपूर्ण नहीं हो पाते हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन में अनियमिताएं होते रहे हैं, जिस लाभार्थी को आवास नहीं मिलना चाहिए वह आवास का लाभ उठा लेते हैं, और जिस लाभार्थी को आवास की जरूरत होती हैं, वह इससे वंचित रह जाते हैं। इस योजना के द्वारा बने मकान में सही प्रकार की सामाग्री का प्रावधान न होने से मकान टिकाऊँ नहीं रहता हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के साथ मनरेगा योजना का तालमेल न होने से समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, मनरेगा योजना के तहत मकान के साथ शौचालय सुविधा, सड़क सुविधा, पेयजल आदि ये सुविधाएं भी आवष्यक हैं। इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान का कुल क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हैं। मकान का डिजाइन निर्धारित होने से लाभार्थियों को समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि लाभार्थियों द्वारा चयन किए गए डिजाइन स्वीकार नहीं की जाती हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव : भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से मकानों में रहने का सपना पूरा हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम ही कच्चे घर देखने को मिले। इस योजना के माध्यम से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ हैं। ग्रामीणों के आवास के लिए जो लक्ष्य रखे गये हैं, उसे पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से कोषिष की गई हैं, कुछ ही घर ऐसे हैं, जो नहीं बन पाए कुछ कठिनाइयों की वजह से अर्ध–पक्के हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर विकासखण्ड में 3,286 का लक्ष्य रखा गया जिसमें से 3,024 लक्ष्यों की पूर्ति हुई। कुछ कठिनाईयों के कारण 262 लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई। इन्दिरा आवास योजना के द्वारा गरीबों को मिलने वाली धनराषि वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई हैं, किस्तों में भी परिवर्तन हुए हैं। इस योजना से मिलने वाला लाभ तभी सफल होगा जब गरीबों को यह धनराषि समय समय पर मिल पायेगा। सरकार द्वारा यह लाभ समय पर न मिलने से गरीबों को बहुत–सी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। गरीब परिवार मेहनत मजदूरी करके जो भी आय प्राप्त करते हैं वह उनके घरेलू कार्यों में ही खर्च हो जाता हैं। वह बचत ही नहीं कर पाते कि कोई और कार्यों में लगा पाये। गरीबों की आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगीं जब सरकार इस योजना के माध्यम से जरुरतमंद व्यक्तियों को इसका लाभ देगी।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को जागरूक होना आवष्यक हैं, जिससे वह योजनाओं का पूरा–पूरा लाभ उठा पाये।
2. इस योजना के माध्यम से दी जाने वाली आवण्टीत धनराषि का सही प्रकार से जॉच करके देना चाहिए, ऐसा नहीं की आवेदन पत्र में जिसका नाम हैं, उसको नहीं मिला और जिसका नाम आवेदन पत्र मे नहीं हैं, उसको मिला हैं।
3. ग्रामीणों को साक्षर होना आवष्यक हैं, जिससे की वह आवेदन पत्र भरने में गलतियॉ न करें।

4. ग्रमीण विकास अधिकारी को समय–समय पर जॉच करते रहना चाहिए जिससे की ग्रामीणों को मिलने वाली धनराषि पूरी–पूरि आवण्टीत हो।
5. आवास बनाने में सामग्री का प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए, सामग्री में किसी भी प्रकार का मिलावटी नहीं होना चाहिए। सही प्रकार की सामग्री से ही मकान मजबूत रहे ।

सन्दर्भ :

1. h.vikaspedia>social-welfare
2. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन; नई दिल्ली –110114 जून, 2013
3. समसामयिका (प्रारंभिक) सन्–2012, पेज न०–163
4. भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ० चतुभुर्ज मामोरिया; पेज न०–94
5. प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था, सन्–2015, पेज न०–216
6. विकास भवन, रुद्रपुर
7. विकास खण्ड, बाजपुर

प्रकाशित पुस्तकें :

- नारी विमर्श (प्राचीन काल से आधुनिक काल तक) - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- सामाजिक न्याय : समस्या एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- कामकाजी महिलाएँ : समस्याएँ एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- काशी में हिन्दू विधवायें - डॉ० रजनीश
- विश्व के प्रमुख धर्म - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- प्रमुख समकालीन दार्शनिक - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- लिंग भेद एवं सामाजिक परिवर्तन - डॉ० त्रिपुन्जेय कुमार पटेल
- यज्ञतंत्र - डॉ० मिताली देव
- Effects of Migration on Rural Labour Households at Origin - Indra Kant Bharti

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund
Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.org
Email : researchdiscourse2012@gmail.com
Mob. 09453025847, 08840080928

ISSN 2277-2014